

प्रशासनिक नीतिशास्त्र

— ADMINISTRATIVE ETHICS —

संस्करण 3.0 | समृद्ध एवं सचित्र संस्करण

RAS MAINS EXAM

PAPER - 2

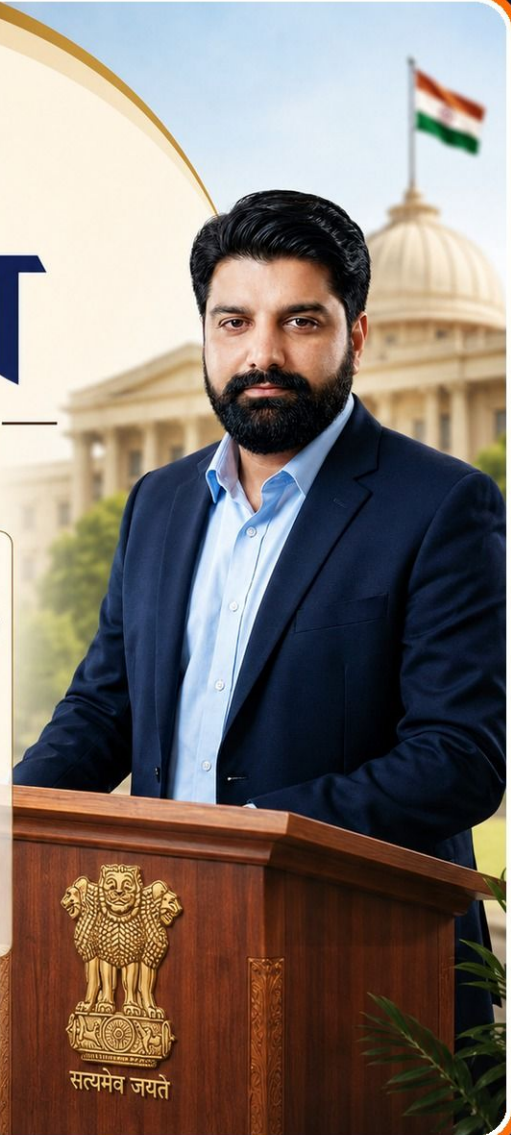
प्रशासनिक नैतिकता

— ADMINISTRATIVE ETHICS —

UNIT - 01

CHAPTER नाम

- 1 नैतिकता एवं मानवीय मूल्य (Ethics and Human Values)
- 2 भारतीय नैतिक अवधारणाएँ: ऋत, ऋण, कर्मवाद, कर्तव्य, शुभ एवं सद्गुण
- 3 निजी एवं सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता, सत्यनिष्ठा एवं निष्ठाक्षता
- 4 भगवद्गीता का नैतिक दर्शन एवं प्रशासन में भूमिका
- 5 गांधीवादी नैतिकता (Gandhian Ethics)
- 6 भारतीय एवं विश्व के नैतिक चिंतक एवं दार्शनिक
- 7 प्रशासन में नैतिक चिंताएँ, द्वंद्व एवं चुनौतियाँ
- 8 नैतिक निर्णय-निर्माण, सामाजिक न्याय एवं सुशासन
- 9 केस स्टडी (Case Studies)



10

अध्याय

223

चित्र व फ़्लोचार्ट

55

सच्ची व काल्पनिक कहानियाँ

80+

आसान परिभाषाएँ

20

हल की गई केस स्टडीज़

कहानी: "जनता के अधिकारी" — एस. आर. शंकरन (एक सच्ची घटना)

आंध्र प्रदेश संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी एस. आर. शंकरन (1934–2010) को लोग प्यार से "जनता का अधिकारी" कहते थे। उनका सादा जीवन, ईमानदारी और काम के प्रति समर्पण ही उनकी पहचान था — निजी संपत्ति जोड़ने की उन्हें कभी चाह नहीं रही।

उन्होंने अपने पूरे सेवाकाल में समाज के सबसे कमजोर लोगों — दलितों, आदिवासियों और बंधुआ मजदूरों — को केंद्र में रखा। बंधुआ मजदूरी (क्रूर के बदले किसी व्यक्ति से जबरन, लगभग बिना मजदूरी के काम करवाने की प्रथा) समाप्त करने वाले कानून — बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 — का ज़मीनी क्रियान्वयन, अनुसूचित जातियों-जनजातियों का कल्याण और भूमि-सुधार उनके काम के मुख्य क्षेत्र रहे। फ़ाइल पर निर्णय लेते समय उनका प्रश्न सीधा होता था — "इससे सबसे गरीब आदमी को क्या मिलेगा?" उनकी निष्पक्षता पर इतना भरोसा था कि सेवानिवृत्ति के बाद भी कठिन सामाजिक विवादों में उन्हें मध्यस्थ बनाया जाता था।

उनके जीवन में इस पूरी पुस्तक के मूल्य एक साथ दिखते हैं — सत्यनिष्ठा, कर्तव्य, गांधी जैसी सादगी, सामाजिक न्याय और कठिन परिस्थितियों में विवेकपूर्ण निर्णय। उनकी ईमानदारी सत्यनिष्ठा का, कमजोर वर्गों के लिए लगातार काम करना कर्तव्य और सामाजिक न्याय का, निजी संपत्ति न जोड़ना गांधी जैसी सादगी का, और विवादों में निष्पक्ष मध्यस्थता विवेकपूर्ण निर्णय का उदाहरण थी। इससे स्पष्ट है कि प्रशासनिक नीतिशास्त्र कोई किताबी विषय नहीं — यह अधिकारी के रोज़ के निर्णयों में जीने वाली चीज़ है।

इस कहानी से सीख: प्रशासनिक नीतिशास्त्र का सार है — शक्ति को सेवा में बदलना (यानी पद से मिले अधिकारों का प्रयोग अपनी सुविधा या रौब के लिए नहीं, बल्कि जनता की भलाई के लिए करना), और हर निर्णय में सबसे कमजोर व्यक्ति को केंद्र में रखना।

1. विषय-परिचय — प्रशासनिक नीतिशास्त्र क्या और क्यों?**आसान परिभाषा: प्रशासनिक नैतिकता (Administrative Ethics)**

परिभाषा: वह अध्ययन-क्षेत्र जो यह परखता व सिखाता है कि एक लोक सेवक को अपने अधिकार, विवेकाधिकार (नियमों की सीमा में अपनी समझ से निर्णय लेने की छूट — Discretion) व शक्ति का प्रयोग करते समय किन नैतिक मूल्यों — सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, जवाबदेही, करुणा, पारदर्शिता — से निर्देशित होना चाहिए, विशेषकर तब जब कानून व नियम किसी स्थिति में मौन हों या स्वयं दुविधा में डाल दें।

आसान भाषा में: जैसे एक डॉक्टर के पास चिकित्सा-ज्ञान (Knowledge) होने के बावजूद 'हिप्पोक्रेटिक शपथ' (रोगी को हानि न पहुँचाने का नैतिक संकल्प) उसे यह तय करने में मदद करती है कि मरीज़ के हित में सही निर्णय क्या है — ठीक उसी तरह एक प्रशासक के पास कानूनी ज्ञान होने के बावजूद नैतिकता ही उसे यह तय करने में मदद करती है कि किसी जटिल स्थिति में 'सही' निर्णय क्या है। **उदाहरण:** जब कोई ज़िला कलेक्टर किसी आपदा में नियम-प्रक्रिया के पूरा होने का इंतज़ार किए बिना तुरंत राहत पहुँचाने का विवेकाधिकार-आधारित निर्णय लेता है — वह प्रशासनिक नैतिकता का ही प्रयोग कर रहा होता है, क्योंकि उस समय लोगों की जान बचाना कागज़ी प्रक्रिया की औपचारिकता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।

नीतिशास्त्र (Ethics) दर्शनशास्त्र की वह शाखा है, जो मानव आचरण के सही-ग़लत और उचित-अनुचित का व्यवस्थित अध्ययन करती है; "एथिक्स" शब्द यूनानी शब्द "एथोस" (चरित्र, स्वभाव) से बना है। कानून न्यूनतम आचरण तय करता है, जबकि नैतिकता सर्वोत्तम आचरण की ओर ले जाती है। उदाहरण के लिए, कानून केवल इतना कहता है कि अधिकारी रिश्तत न ले, पर नैतिकता यह भी कहती है कि वह हर फ़रियादी से विनम्रता से मिले और उसका काम बिना टाले समय पर करे। एक लोक सेवक को प्रतिदिन ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है, जहाँ नियम स्पष्ट निर्देश नहीं देते — वहाँ नैतिक समझ ही सही राह दिखाती है, और यही समझ भावी सेवाकाल की वास्तविक दुविधाओं से निपटने का मानसिक ढाँचा (Framework) तैयार करती है।

“ जैसे जीभ पर रखे शहद या विष का स्वाद न लेना असंभव है, वैसे ही सरकारी धन का काम करने वाले के लिए उसमें से थोड़ा भी न चखना कठिन है; और जैसे पानी में तैरती मछली कब पानी पीती है, यह जानना कठिन है, वैसे ही सरकारी कर्मचारी कब धन का दुरुपयोग करता है, यह जानना कठिन है। ” — कौटिल्य (चाणक्य; चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु व मंत्री) — अर्थशास्त्र

📖 कहानी: पुस्तक की यात्रा — "नौ द्वार: नई उपखंड अधिकारी कविता का पहला वर्ष"

(यह एक काल्पनिक कहानी है। इसका हर पड़ाव पुस्तक के एक अध्याय से जुड़ा है।)

कार्यभार सँभालते ही **कविता** को पिता का पत्र मिला — "कुर्सी बदलेगी, पर मूल्य मत बदलना" (**अध्याय 1**)। नहर के पानी पर दो गाँवों के झगड़े में उन्होंने समाज की व्यवस्था (ऋत — वह शाश्वत नियम-व्यवस्था जो प्रकृति और समाज को संतुलन में रखती है और सब पर समान रूप से लागू होती है) और नागरिक के ऋण (यह भाव कि हर व्यक्ति पर समाज, पूर्वजों और प्रकृति का ऋण है, जिसे अपने कर्तव्य निभाकर चुकाना होता है) को समझा (**अध्याय 2**)। एक रिश्तेदार की फ़ाइल आई, तो उन्होंने खुद को उस मामले से अलग कर लिया, क्योंकि अपने ही रिश्तेदार के मामले में निर्णय लेने से हितों का टकराव (Conflict of Interest) होता और उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठता (**अध्याय 3**)।

बाढ़ की रात उन्होंने बिना फल की चिंता किए काम किया — यानी प्रशंसा या पुरस्कार की परवाह छोड़कर केवल कर्तव्य समझकर, जिसे गीता में निष्काम कर्म कहा गया है (**अध्याय 4 — गीता**) और राहत बाँटते समय सबसे पहले सबसे दूर की झोपड़ी तक पहुँचीं, क्योंकि गांधी जी का जंतर (ताबीज़ जैसा सूत्र) सिखाता है कि कोई भी निर्णय लेते समय सबसे गरीब और कमज़ोर व्यक्ति का चेहरा याद करो और सोचो कि इससे उसे क्या लाभ होगा (**अध्याय 5 — गांधी का जंतर**)। एक नीति पर उन्होंने बेन्थम (अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख), कांट (कर्तव्य और सब पर समान लागू होने वाला नियम) और अरस्तू (सद्गुण और संतुलित 'मध्यम मार्ग') की कसौटियाँ लगाईं (**अध्याय 6**)। एक AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) प्रणाली ने एक ज़रूरतमंद का नाम लाभार्थी-सूची से काट दिया, तो उन्होंने मशीन के निर्णय को आँख मूँदकर मानने के बजाय अपनी अंतरात्मा की सुनी और मामले की स्वयं जाँच की (**अध्याय 7**); और उद्योग को छूट के प्रस्ताव पर सामाजिक न्याय तथा जवाबदेही की कसौटी लगाई — यानी यह परखा कि इस छूट का लाभ और बोझ समाज के किन वर्गों पर पड़ेगा और इस निर्णय का हिसाब जनता को कैसे दिया जाएगा (**अध्याय 8**)।

वर्ष के अंत में अकादमी में उन्होंने अपनी हर कठिन परिस्थिति एक केस स्टडी की तरह सुनाई — दुविधा, हितधारक, विकल्प, निर्णय और औचित्य — यानी पहले समस्या में छिपी दुविधा पहचानी, फिर उससे प्रभावित लोगों (हितधारकों) को गिना, सभी संभव विकल्प तौले, एक निर्णय चुना और अंत में बताया कि वह निर्णय सही क्यों था (**अध्याय 9**)।

🔑 **इस कहानी से सीख:** यह पुस्तक मूल्यों की नींव से शुरू होकर भारतीय और विश्व-दर्शन, प्रशासन की दुविधाओं, निर्णय के आधार और केस स्टडी के व्यावहारिक प्रयोग तक एक क्रमबद्ध यात्रा है।

2. आधिकारिक पाठ्यक्रम — इकाई-I : प्रशासनिक नीतिशास्त्र

पाठ्यक्रम में कुल **नौ बिंदु** हैं — आठ विषय-बिंदु और नौवाँ बिंदु इन्हीं विषयों पर आधारित गैर-तथ्यात्मक केस स्टडीज़ (ऐसी काल्पनिक प्रशासनिक परिस्थितियाँ जिनमें तथ्य याद करके नहीं, बल्कि नैतिक समझ से निर्णय लेकर उसका कारण बताना होता है)। इस पुस्तक में हर बिंदु के लिए एक अलग अध्याय है, यानी बिंदु और अध्याय का सीधा एक-एक मिलान है।

क्र.	पाठ्यक्रम-बिंदु (हिंदी अर्थ, मूल शब्द कोष्ठक में)	पुस्तक में
1	नीतिशास्त्र एवं मानवीय मूल्य: महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन और शिक्षाओं से सीख। मूल्यों के विकास में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका। (Ethics and human Values: Lessons from lives and teachings of great leaders, reformers and administrators. Role of family, society and educational institutions in inculcating values.)	अध्याय 1
2	नैतिक अवधारणाएँ — ऋत और ऋण; कर्मवाद से प्रेरणा। कर्तव्य की अवधारणा, शुभ (अच्छाई) और सद्गुण की अवधारणा। (Ethical concepts Rit and Rin — Inspiration from Karmavada. Concept of Duty, concept of Good and Virtue.)	अध्याय 2
3	निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीतिशास्त्र। सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और गैर-पक्षपात का दार्शनिक आधार। उदारवादी समाज: पारदर्शिता, मीडिया और नौकरशाही। (Ethics in private and public relationships. Philosophical basis of Integrity, impartiality and non-partisanship. Liberal Society: Transparency, media and bureaucracy.)	अध्याय 3
4	भगवद्गीता का नीतिशास्त्र और प्रशासन में इसकी भूमिका। (Ethics of Bhagwad Geeta and its role in administration.)	अध्याय 4
5	गांधीवादी नीतिशास्त्र। (Gandhian Ethics.)	अध्याय 5
6	भारत और विश्व के नैतिक विचारकों और दार्शनिकों का योगदान। (Contribution of Moral thinkers, and Philosophers from India and World.)	अध्याय 6
7	प्रशासन में नैतिक चिंताएँ, दुविधाएँ और चुनौतियाँ। प्रशासनिक निर्णय-निर्माण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) बनाम अंतरात्मा। (Ethical concerns, dilemmas and challenges in administration. Artificial Intelligence (AI) Versus Conscience in administrative decision making.)	अध्याय 7
8	नैतिक निर्णय-निर्माण का आधार: सामाजिक न्याय, मानवीय चिंताएँ, शासन में जवाबदेही। साधनभूत तार्किकता बनाम	अध्याय 8

क्र.	पाठ्यक्रम-बिंदु (हिंदी अर्थ, मूल शब्द कोष्ठक में)	पुस्तक में
	मूल्य तार्किकता। (Basis of Ethical decision making: Social justice, humanitarian concerns, accountability in governance. Instrumental rationality versus value rationality.)	
9	उपर्युक्त विषयों पर आधारित गैर-तथ्यात्मक केस स्टडीज़। (Non-factual Case Studies on the above mentioned topics.)	अध्याय 9

3. पूरी पुस्तक की विषय-सूची

पूरी पुस्तक — एक नज़र में



चित्र 0.1: पूरी पुस्तक — एक नज़र में

अध्याय	शीर्षक	मुख्य विषय	पृष्ठ
00	विषय-परिचय, पाठ्यक्रम एवं विषय-सूची	नीतिशास्त्र का परिचय, आधिकारिक पाठ्यक्रम	2
01	नैतिकता और मानवीय मूल्य	मानवीय मूल्य, महान व्यक्तित्वों से सीख, परिवार-समाज-शिक्षा की भूमिका	5
02	नैतिक अवधारणाएँ — ऋत, ऋण एवं कर्मवाद	ऋत, ऋण, कर्मवाद, कर्तव्य, शुभ और सद्गुण	50
03	निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीतिशास्त्र	सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, गैर-पक्षपात, पारदर्शिता, मीडिया	75
04	भगवद्गीता की नैतिकता और प्रशासन में भूमिका	निष्काम कर्म, स्थितप्रज्ञ, लोकसंग्रह, स्वधर्म	99
05	गांधीवादी नीतिशास्त्र	सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, ट्रस्टीशिप, सर्वोदय	126
06	नैतिक विचारक और दार्शनिक	भारत और विश्व के विचारक — सुकरात से आंबेडकर तक	152
07	प्रशासन में नैतिक चिंताएँ, दुविधाएँ और चुनौतियाँ	चिंताएँ, दुविधाएँ, हितों का टकराव, AI बनाम अंतरात्मा	190
08	नैतिक निर्णय-निर्माण का आधार	सामाजिक न्याय, मानवीय चिंताएँ, जवाबदेही, साधनभूत बनाम मूल्य तार्किकता	216
09	गैर-तथ्यात्मक केस स्टडीज़	केस स्टडी का ढाँचा, 20 हल की गई परिस्थितियाँ	236

कहानी: सच्ची कहानी — ₹5,000 का कर्ज़ और एक प्रधानमंत्री की ईमानदारी

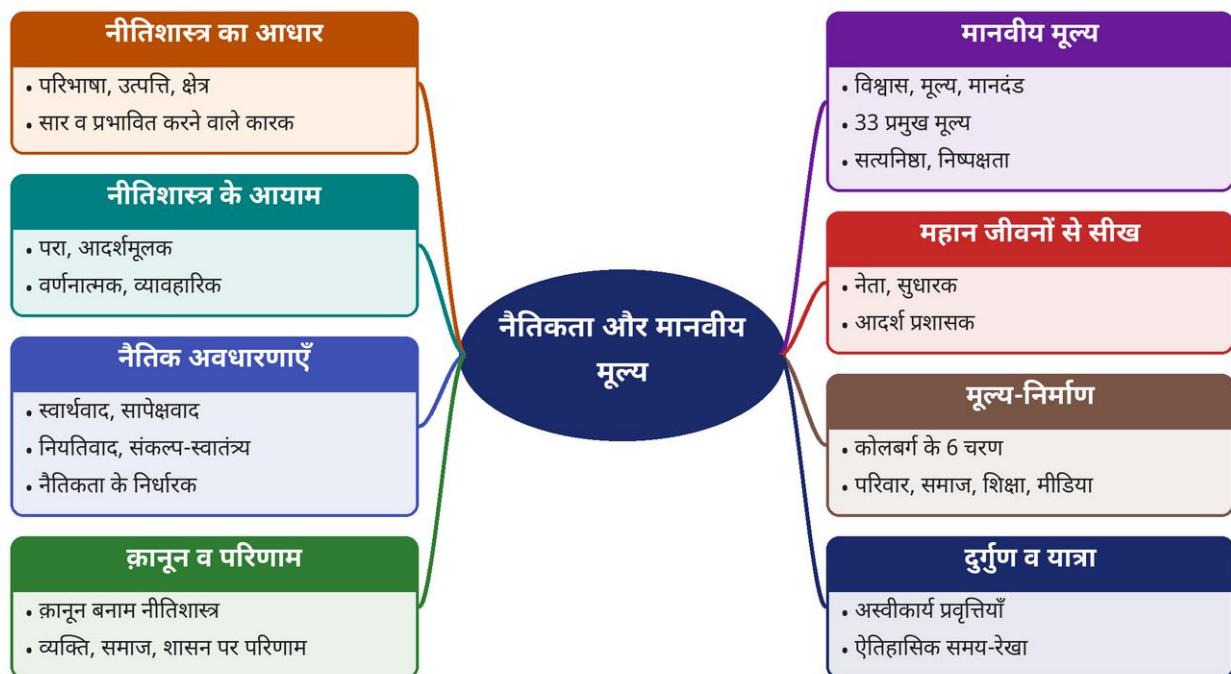
बात 1964-65 की है। लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री थे। एक दिन घर में बच्चों ने कहा — "बाबूजी, अब तो हमारे पास भी एक अपनी कार होनी चाहिए। सरकारी गाड़ी तो सरकारी काम के लिए है, घर के काम के लिए नहीं।" शास्त्रीजी मुस्कुराए। उन्हें यह बात अच्छी लगी कि बच्चे सरकारी गाड़ी को निजी काम में लेना ठीक नहीं मानते।

उन्होंने अपनी बचत देखी — बैंक खाते में कुल ₹7,000 थे, जबकि उस समय एक नई फ़िएट (Fiat) कार ₹12,000 की आती थी। देश का प्रधानमंत्री चाहता तो एक इशारे पर सब कुछ हो सकता था, पर शास्त्रीजी ने वही रास्ता चुना जो एक आम नागरिक चुनता है। उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक में ₹5,000 के ऋण का आवेदन दिया, ठीक वैसे ही जैसे कोई भी ग्राहक देता है, और बाक़ी पैसे अपनी बचत से मिलाकर कार ख़रीदी। उन्होंने परिवार से कहा — "यह ऋण हम पाई-पाई चुकाएँगे।"

जनवरी 1966 में ताश्कंद में भारत-पाकिस्तान समझौते के बाद शास्त्रीजी का अचानक देहांत हो गया। ऋण अभी बाक़ी था। ऐसे में उनकी पत्नी ललिता शास्त्री ने वह किया जो इस परिवार के संस्कारों के अनुरूप था — उन्होंने किसी रियायत की माँग नहीं की, बल्कि अपनी पेंशन से धीरे-धीरे पूरा ऋण चुका दिया।

यही शास्त्रीजी थे जिन्होंने 1965 के अन्न-संकट में देशवासियों से सप्ताह में एक समय का भोजन छोड़ने की अपील की थी — पर अपील करने से पहले उन्होंने अपने ही परिवार के साथ एक समय भोजन छोड़कर देखा था कि बच्चे भूख सह पाएँगे या नहीं। वे पहले स्वयं करते थे, फिर दूसरों से कहते थे। आज वह फ़िएट कार नई दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री स्मारक में रखी है — एक ऐसी कार, जो याद दिलाती है कि सबसे बड़ा पद भी सबसे सादे मूल्यों से ही महान बनता है।

इस कहानी से सीख: सत्यनिष्ठा का अर्थ है — जब कोई देख न रहा हो और आपके पास शॉर्टकट की पूरी ताक़त हो, तब भी सही रास्ता चुनना। शास्त्रीजी ने सार्वजनिक संसाधन (सरकारी गाड़ी) और निजी ज़रूरत (परिवार की कार) को अलग रखा, उदाहरण से नेतृत्व किया, और यह मूल्य उनके परिवार में इतनी गहराई तक उतरा कि उनकी पत्नी ने भी वही रास्ता निभाया। यही इस अध्याय का केंद्रीय संदेश है — मूल्य परिवार से बनते हैं, आचरण से दिखते हैं और नेतृत्व से समाज में फैलते हैं।

अध्याय 01 — एक नज़र में

चित्र 1.1: अध्याय 01 — एक नज़र में

कहानी: अध्याय की यात्रा — "दादाजी की चौपाल: एक दिन, सोलह सबक"

(यह एक काल्पनिक कहानी है। इसकी हर घटना आपको इस अध्याय के किसी न किसी खंड की झलक देगी — इसे ध्यान से पढ़िए, पूरा अध्याय आपकी आँखों के सामने घूम जाएगा।)

सीकर ज़िले के एक छोटे-से गाँव में सुबह की धूप अभी आँगन में उतरी ही थी कि **मेघा** ढोल-नगाड़ों के बीच घर पहुँची। राजस्थान प्रशासनिक सेवा में उसका चयन हुआ था और अगले हफ्ते से उसका प्रशिक्षण शुरू होना था। सबसे पहले वह अपने दादाजी **हरिराम जी** के पैर छूने पहुँची, जो गाँव के सरकारी विद्यालय से प्रधानाध्यापक होकर सेवानिवृत्त हुए थे। दादाजी ने आशीर्वाद दिया और बोले — "बधाई हो बिटिया! पर अफ़सर बनने से पहले आज पूरा दिन मेरे साथ गाँव में घूमना। किताबें तुमने बहुत पढ़ लीं, आज ज़िंदगी की किताब पढ़ेंगे।"

पहला पड़ाव — चौपाल की बहस: चौपाल पर दो बुजुर्ग बहस कर रहे थे — एक कह रहा था "हमारे ज़माने में बेटियों को बाहर पढ़ने भेजना ठीक नहीं माना जाता था", दूसरा कह रहा था "समय बदल गया है, बेटी अफ़सर बनी है!" दादाजी ने मेघा से पूछा — "बताओ, सही-गलत तय कौन करता है? गाँव की रीत, क़ानून, या हमारी अंतरात्मा?" यहीं से मेघा ने समझा कि **नीतिशास्त्र क्या है, यह नैतिकता से कैसे अलग है, इसके आयाम कौन-से हैं, और किसी कार्य को परखने के निर्धारक — उद्देश्य, साधन, परिस्थिति और परिणाम — क्या होते हैं।** (खंड 1 से 4)

दूसरा पड़ाव — बस अड्डे का पर्स: बस अड्डे पर एक लड़का किसी यात्री का गिरा हुआ पर्स लौटाने दौड़ा। लोग बोले — "क़ानून तो कहता ही है कि दूसरे का माल लौटाओ।" दादाजी ने कहा — "क़ानून तो केवल न्यूनतम बताता है। उस लड़के को किसी पुलिस ने नहीं देखा था — फिर भी उसने लौटाया, क्योंकि उसके भीतर का नियम क़ानून से ऊँचा है।" मेघा को **क़ानून और नीतिशास्त्र का अंतर** और यह बात समझ आई कि नैतिक आचरण का **परिणाम** व्यक्ति, संगठन और पूरे समाज के भरोसे पर पड़ता है। (खंड 5 और 6)

तीसरा पड़ाव — दादी की पोटली: घर लौटे तो दादी ने पड़ोस की एक बीमार विधवा के लिए खिचड़ी की पोटली बाँध रखी थी। "हम अमीर नहीं, पर भूखे को खिलाना हमारा धर्म है," दादी ने कहा। दादाजी बोले — "देखो, यह है **मूल्य** — जिस बात को हम दिल से ज़रूरी मानते हैं। विश्वास में जब भावना मिल जाती है, तो वह मूल्य बनता है, और मूल्य ही हमारे व्यवहार में उतरता है।" उस दिन मेघा ने **करुणा, सहानुभूति, सहिष्णुता, अनुशासन, कृतज्ञता** जैसे मूल्यों को किताब से निकलकर जीते हुए देखा। (खंड 7 और 8)

चौथा पड़ाव — पंचायत भवन की शिकायत: दोपहर में पंचायत भवन पर एक युवक आया और बोला — "मेघा दीदी, अब तो आप अफ़सर हो। हमारे खेत की नाप वाला मामला अपने हिसाब से करवा देना।" मेघा कुछ बोलती, उससे पहले दादाजी ने कहा — "बेटा, अफ़सर किसी गाँव, जाति या दल का नहीं होता। जिस दिन फ़ाइल पर अपना-पराया दिखने लगा, उस दिन कुर्सी की इज़ज़त चली जाती है।" मेघा को **सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और गैर-पक्षपात** का असली अर्थ समझ आ गया — न्याय होना ही नहीं, होते हुए दिखना भी चाहिए। (खंड 9 और 10)

पाँचवाँ पड़ाव — विद्यालय की दीवार: शाम को दादाजी उसे अपने पुराने विद्यालय ले गए। दीवारों पर गांधीजी, डॉ. अंबेडकर, सरदार पटेल, स्वामी विवेकानंद और कई आदर्श प्रशासकों के चित्र थे। दादाजी ने हर चित्र के नीचे लिखी एक पंक्ति पढ़कर सुनाई और बोले — "इनके भाषण नहीं, इनका जीवन पढ़ना। नेता दिशा देता है, सुधारक कुरीतियाँ तोड़ता है और प्रशासक योजनाओं को ज़मीन पर उतारता है।" (खंड 11)

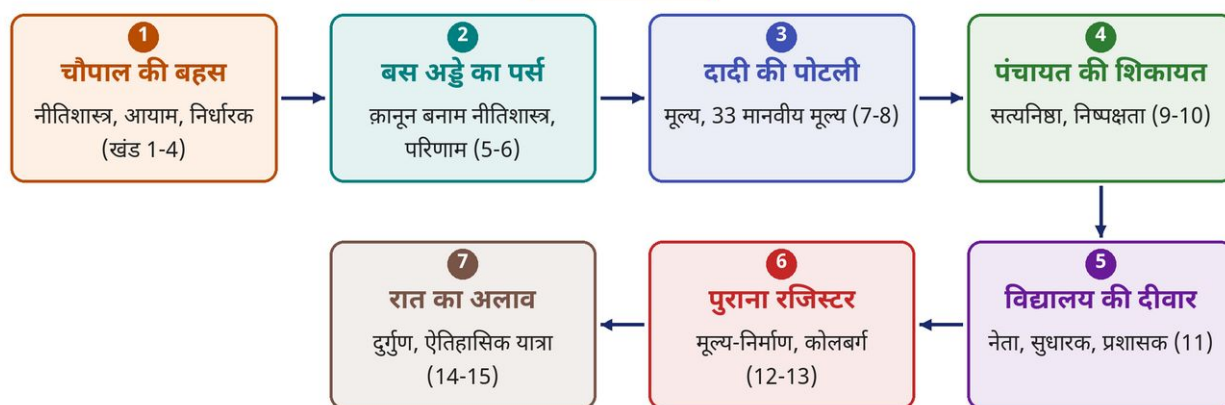
छठा पड़ाव — कक्षा का पुराना रजिस्टर: एक अलमारी से दादाजी ने पुराना रजिस्टर निकाला, जिसमें मेघा के बचपन की एक घटना दर्ज थी — उसने परीक्षा में नकल की पर्ची मिलने पर खुद शिक्षक को सौंप दी थी। "तब तुम सज़ा के डर से नहीं, सही होने के कारण ऐसा कर पाई थीं," दादाजी मुस्कुराए। "मनुष्य पहले डर से अच्छा बनता है, फिर तारीफ़ के लिए, फिर नियम के लिए — और सबसे ऊँची सीढ़ी पर इसलिए कि वह सही है।" यहीं मेघा ने **मूल्य बनने की प्रक्रिया और कोलबर्ग के नैतिक विकास के छह चरणों** को अपने ही जीवन में पहचाना, और समझा कि **परिवार, समाज, विद्यालय और आज का मीडिया** मिलकर मनुष्य के मूल्य गढ़ते हैं। (खंड 12 और 13)

सातवाँ पड़ाव — रात का अलाव: रात को अलाव के पास बैठकर दादाजी ने आखिरी सीख दी — "बिटिया, कुर्सी के साथ लालच, अहंकार, चापलूसी और उदासीनता जैसे दुर्गुण भी चुपके से आते हैं। इन्हें पहचानना और इनके सामने संतोष, विनम्रता, साहस और करुणा खड़ी रखना। और याद रखना — सुकरात से लेकर गांधीजी तक, मानवता की हज़ारों साल की यात्रा ने यही सिखाया है कि मूल्य ही सभ्यता की असली पूँजी हैं।" (खंड 14 और 15)

अगली सुबह विदा होते समय मेघा ने अपनी डायरी के पहले पन्ने पर लिखा — "**फ़ाइल पर हस्ताक्षर करने से पहले, अपने भीतर के हस्ताक्षर देख लेना।**" दादाजी की उस एक दिन की चौपाल में पूरा नीतिशास्त्र छिपा था — और यही यात्रा अब आप इस अध्याय में करने जा रहे हैं।

 **इस कहानी से सीख:** यह अध्याय सात पड़ावों में चलता है — (1) नीतिशास्त्र का आधार, आयाम और निर्धारक, (2) क़ानून और परिणाम, (3) मूल्य और 33 प्रमुख मानवीय मूल्य, (4) सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता, (5) महान जीवनों से सीख, (6) मूल्य-निर्माण और कोलबर्ग के चरण, (7) दुर्गुण और ऐतिहासिक यात्रा।

दादाजी की चौपाल — कहानी के सात पड़ाव, अध्याय के सात भाग



चित्र 1.2: दादाजी की चौपाल — कहानी के सात पड़ाव, अध्याय के सात भाग



अध्याय विषय-सूची

1	नीतिशास्त्र (Ethics) — परिभाषा, उत्पत्ति एवं विशेषताएँ	9	सत्यनिष्ठा (Integrity) — अर्थ, महत्व एवं दार्शनिक आधार
2	नैतिकता (Morality) और नीतिशास्त्र (Ethics) — तुलना	10	निष्पक्षता (Impartiality) और गैर-पक्षपात (Non-Partisanship)
3	नीतिशास्त्र के प्रकार (Types of Ethics)	11	महान दार्शनिकों, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन से शिक्षाएँ
4	प्रमुख नैतिक अवधारणाएँ (Key Ethical Concepts)	12	मूल्य कैसे बनते हैं? — समाजीकरण और नैतिक विकास के चरण
5	कानून और नीतिशास्त्र में अंतर (Law vs Ethics)	13	मूल्य-निर्माण में परिवार, समाज और शिक्षण संस्थाओं की भूमिका
6	नीतिशास्त्र के परिणाम (Consequences of Ethics)	14	दुर्गुण (Vices) — समाज में अस्वीकार्य प्रवृत्तियाँ
7	मानवीय मूल्य (Human Values) — परिभाषा एवं वर्गीकरण	15	नैतिकता और मानवीय मूल्य — ऐतिहासिक यात्रा (Timeline)
8	प्रमुख मानवीय मूल्य — विस्तृत विश्लेषण (असली कहानियों सहित)		

1. नीतिशास्त्र (Ethics) — परिभाषा, उत्पत्ति एवं विशेषताएँ

नीतिशास्त्र (Ethics) मानव जीवन की वह आधारशिला है जो व्यक्ति, समाज और प्रशासन को सही दिशा प्रदान करती है। प्रशासनिक सेवाओं में नैतिकता केवल कानून का पालन नहीं, बल्कि लोककल्याण की भावना से कर्तव्य निर्वहन का नाम है। मानवीय मूल्य वे मार्गदर्शक सिद्धांत हैं जो एक लोकसेवक को साधारण अधिकारी से आदर्श प्रशासक बनाते हैं।

नीतिशास्त्र एक बहुआयामी विषय है: इसे केवल किताबी नियम मत समझिए। यह अपनी उत्पत्ति (इतिहास), अपने प्रकार (परा, आदर्शमूलक, व्यावहारिक) और व्यावहारिक प्रशासनिक निर्णयों — इन तीनों आयामों में एक साथ काम करता है, जैसा नीचे इस पूरे खंड में समझाया गया है।

1.1 शब्द-उत्पत्ति (Etymology)

- नीतिशास्त्र (Ethics) शब्द यूनानी (Greek) भाषा के शब्द "एथॉस (Ethos)" तथा "एथिकॉस (Ethikos)" से व्युत्पन्न है — इनका संबंध चरित्र, आदत और रीति-रिवाज़ से है। जैसे किसी गाँव के लोग सदियों से एक ही तरीके से त्योहार मनाते आ रहे हों, वही उनका 'एथिकॉस' है — यानी समाज का बना-बनाया आचरण।
- इसका समानांतर शब्द नैतिकता (Morality) है, जो लैटिन शब्द "मोरेस (Mores)" से बना है — इसकी जड़ भी रीति-रिवाज़ ही है, पर आधुनिक प्रयोग में नीतिशास्त्र को अक्सर व्यावसायिक/संस्थागत आचार-संहिता से, और नैतिकता को व्यक्तिगत मान्यताओं से जोड़ा जाता है — यह भेद पूर्ण नहीं, बल्कि सामान्य प्रचलन है।
- आसान शब्दों में: नीतिशास्त्र (Ethics) को अक्सर सैद्धांतिक/संस्थागत (theory) पक्ष माना जाता है — यानी समाज या संगठन ने किताबों/आचार-संहिता में जो सही-गलत लिख रखा है, वह। नैतिकता (Morality) को अक्सर व्यावहारिक (practice) पक्ष माना जाता है — यानी व्यक्ति खुद अपने भीतर से क्या मानता है और कैसा व्यवहार करता है — पर व्यवहार में दोनों शब्द एक-दूसरे में घुले-मिले भी इस्तेमाल होते हैं।

1.2 नीतिशास्त्र की परिभाषाएँ (Multiple Definitions)

- नीतिशास्त्र एक आदर्शमूलक विज्ञान (Normative Science) है जो सामान्य मनुष्य के ऐच्छिक आचरण का नैतिक परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन करता है — सही-गलत, उचित-अनुचित, शुभ-अशुभ का निर्धारण करता है।
- यह दर्शनशास्त्र की वह शाखा है जो चेतन प्राणी को यह निर्धारित करने में सहायता करती है कि उसे क्या करना चाहिए।

◆ **मैकेंज़ी (McKenzie)** (ब्रिटिश दार्शनिक जॉन एस. मैकेंज़ी, जिनकी पुस्तक 'ए मैनुअल ऑफ़ एथिक्स' नीतिशास्त्र की प्रसिद्ध आरंभिक पाठ्यपुस्तक है) के अनुसार — "नीतिशास्त्र मानव आदतों के पीछे के सिद्धांतों की जाँच करता है और उनकी अच्छाई या बुराई के कारणों का विश्लेषण करता है।"

◆ **शुक्रनीति** (शुक्राचार्य से जोड़ा जाने वाला प्राचीन भारतीय नीति-ग्रंथ, जिसमें राजा, प्रशासन और आचरण के नियम बताए गए हैं) के अनुसार — "नीतिशास्त्र समस्त शास्त्रों का सार है और सामाजिक व्यवस्था का प्रशासक है — यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष — चारों पुरुषार्थों का प्रदाता है।"

🔍 आसान परिभाषा: नीतिशास्त्र (Ethics) — एक लाइन में समझें

📖 **परिभाषा:** नीतिशास्त्र एक आदर्शमूलक विज्ञान है जो मनुष्य के आचरण का नैतिक दृष्टि से मूल्यांकन करता है — सही-गलत तय करता है।

💡 **आसान भाषा में:** जैसे किसी खेल में रेफरी नियम बताता है कि कौन-सी चाल सही है और कौन-सी फ़ाउल — ठीक वैसे ही नीतिशास्त्र जीवन के 'खेल' में बताता है कि कौन-सा आचरण सही है और कौन-सा गलत। 🏠 **उदाहरण:** परीक्षा में नकल करना गलत है — यह कोई कानून की किताब नहीं, बल्कि नीतिशास्त्र (हमारी अंतरात्मा) सिखाती है।

नीतिशास्त्र — उत्पत्ति, परिभाषा एवं प्रकृति



चित्र 1.3: नीतिशास्त्र — उत्पत्ति, परिभाषा एवं प्रकृति

1.3 नीतिशास्त्र का क्षेत्र — "मानवीय कर्म" बनाम "मनुष्य के कर्म"

नीतिशास्त्र का क्षेत्र (Scope) यानी वह दायरा जिसके अंदर यह विषय काम करता है। नीतिशास्त्र मनुष्य के **हर काम** को नहीं परखता, बल्कि केवल उन कामों को परखता है जो सोच-समझकर किए जाते हैं। इसीलिए विद्वान दो शब्दों में अंतर करते हैं — **"मानवीय कर्म" (Human Action)** और **"मनुष्य के कर्म" (Action of Human)**।

◆ **मानवीय कर्म (Human Action):** वह काम जिसमें तीन बातें एक साथ हों — **ज्ञान** (व्यक्ति जानता है कि वह क्या कर रहा है), **स्वतंत्र इच्छा** (उसके पास करने या न करने का विकल्प है) और **स्वैच्छिकता** (वह अपनी मर्ज़ी से कर रहा है)। जैसे — पढ़ना, रिश्तत लेना, किसी की मदद करना, धूम्रपान करना। ऐसे कामों पर ही "सही" या "गलत" का निर्णय दिया जाता है।

◆ **मनुष्य के कर्म (Action of Human):** वे काम जो शरीर अपने-आप करता है और जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता — जैसे छींकना, जम्हाई लेना, नींद में करवट बदलना। इन्हें नैतिक या अनैतिक नहीं कहा जा सकता, इसलिए ये नीतिशास्त्र के क्षेत्र से बाहर हैं।

◆ **चरित्र और आचरण का संबंध:** बार-बार किए गए मानवीय कर्म आदत बनते हैं, आदतें मिलकर **चरित्र (Character)** बनाती हैं, और चरित्र फिर हमारे **आचरण (Conduct)** में दिखाई देता है। इसीलिए नीतिशास्त्र को कभी-कभी "चरित्र का विज्ञान" भी कहा जाता है।

◆ **सर्वोच्च शुभ (Summum Bonum):** नीतिशास्त्र का सबसे बड़ा प्रश्न है — जीवन का सबसे ऊँचा लक्ष्य या "सबसे बड़ा अच्छा" क्या है? किसी के लिए यह सुख है, किसी के लिए कर्तव्य, तो भारतीय परंपरा में यह मोक्ष या लोक-कल्याण है।

🔍 आसान परिभाषा: मानवीय कर्म (Human Action)

📖 **परिभाषा:** वह सचेत कार्य जो ज्ञान, स्वतंत्र इच्छा और स्वैच्छिकता — तीनों के साथ किया गया हो; केवल ऐसे कार्य ही नैतिक मूल्यांकन के दायरे में आते हैं।

💡 **आसान भाषा में:** जो काम आपने जान-बूझकर, अपनी मर्ज़ी से और विकल्प होते हुए चुना — उसी के लिए आपकी तारीफ़ या आलोचना होगी। 🏠 **उदाहरण:** भीड़ में धक्का लगने से किसी का गिलास गिर जाए तो यह "मनुष्य का कर्म" है; पर जान-बूझकर गिलास फेंकना "मानवीय कर्म" है।

नीतिशास्त्र अकेला नहीं चलता — यह कई दूसरे विषयों के प्रश्नों से भी जुड़ता है। नीचे की तालिका इसे सरल रूप में दिखाती है:

प्रश्नों का प्रकार	नीतिशास्त्र किन बातों की जाँच करता है	सरल उदाहरण
मनोवैज्ञानिक	ऐच्छिक कार्य क्या है, उद्देश्य (Motive) कैसे बनते हैं, इच्छा और सुख का संबंध	भूख के कारण चोरी — मजबूरी थी या लालच?
दार्शनिक	मानव व्यक्तित्व का स्वभाव, सर्वोच्च शुभ क्या है	खुशी बड़ी है या कर्तव्य?

प्रश्नों का प्रकार	नीतिशास्त्र किन बातों की जाँच करता है	सरल उदाहरण
धार्मिक	संकल्प की स्वतंत्रता, आत्मा, कर्म-फल	क्या हर कर्म का फल मिलता है?
सामाजिक	व्यक्ति और राज्य का संबंध, निजी हित बनाम सामाजिक हित	अपने खेत के लिए नहर का पानी रोकना
क्रान्तीय	कोई कानून नैतिक है या नहीं, दंड का नैतिक आधार	मृत्युदंड उचित है या नहीं?

1.4 नीतिशास्त्र क्या नहीं है? — पाँच भ्रम

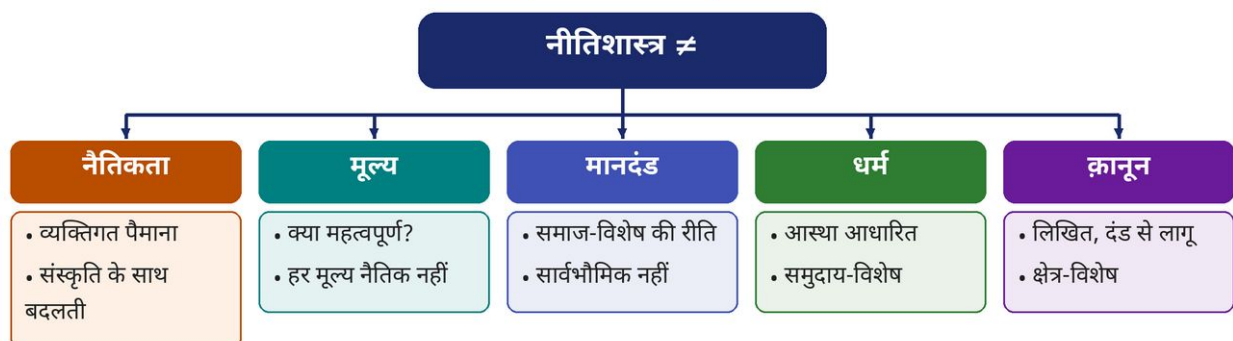
बहुत से विद्यार्थी नीतिशास्त्र को नैतिकता, मूल्य, सामाजिक रीति, धर्म या कानून — इनमें से किसी एक के बराबर मान लेते हैं। ये सब आपस में जुड़े ज़रूर हैं, पर एक-दूसरे के समान नहीं हैं। अंतर समझने से पूरे विषय की समझ साफ़ होती है।

नीतिशास्त्र ≠	अंतर का कारण	उदाहरण
नैतिकता (Morality)	नैतिकता व्यक्ति, परिवार या समुदाय का अपना पैमाना है, जबकि नीतिशास्त्र अपेक्षाकृत सार्वभौमिक मानकों की व्यवस्थित खोज है।	किसी समुदाय में बहुविवाह स्वीकार्य हो सकता है, पर समानता के नैतिक सिद्धांत पर यह खरा नहीं उतरता।
मूल्य (Values)	मूल्य बताते हैं कि क्या "महत्वपूर्ण" है; नीतिशास्त्र बताता है कि क्या "सही" है। हर मूल्य नैतिक नहीं होता।	जाति-नियमों का पालन किसी के लिए "मूल्य" हो सकता है, पर वह नैतिक नहीं है।
सामाजिक मानदंड (Social Norms)	मानदंड किसी विशेष समाज की रीतियों से बनते हैं, सार्वभौमिक नहीं होते।	बड़ों का सम्मान नैतिक भी है, पर दहेज एक रीति होकर भी अनैतिक है।
धर्म (Religion)	धर्म आस्था पर टिका है और किसी समुदाय-विशेष से जुड़ा है; नीतिशास्त्र तर्क पर आधारित है।	फिर भी करुणा, अहिंसा, सत्य जैसे कई नैतिक सिद्धांत धर्मों से ही आए हैं।
कानून (Law)	कानून किसी देश/क्षेत्र तक सीमित, लिखित और दंड से लागू होता है; नीतिशास्त्र अलिखित और अंतरात्मा से संचालित।	नमक कानून कानूनी था, पर गांधीजी ने उसे अनैतिक मानकर तोड़ा।

धर्म और नीतिशास्त्र अलग होते हुए भी गहराई से जुड़े हैं, क्योंकि मानव इतिहास में धर्म पहले आया और उसी से अनेक नैतिक सिद्धांत निकले। प्रमुख धर्मों के मूल नैतिक मूल्य इस प्रकार हैं:

धर्म	प्रमुख नैतिक मूल्य
हिंदू धर्म	धर्म (कर्तव्य), कर्म का नियम, निष्काम कर्म, अहिंसा, वसुधैव कुटुम्बकम्, सत्यमेव जयते
जैन धर्म	पंच महाव्रत — सत्य, अहिंसा, अस्तेय (चोरी न करना), अपरिग्रह (संग्रह न करना), ब्रह्मचर्य; त्रिरत्न — सम्यक् ज्ञान, दर्शन, चरित्र
बौद्ध धर्म	शील (सदाचार), समाधि, प्रज्ञा; मैत्री (प्रेम-भाव), करुणा, मुदिता (दूसरों की खुशी में खुशी), उपेक्षा (समभाव); मध्यम मार्ग, "अप्प दीपो भव" (अपना दीपक स्वयं बनो)
इस्लाम	अदल (न्याय), रहमत (करुणा), ज़कात (दान), समानता, भाईचारा, अख़लाक़ (अच्छा चरित्र)
ईसाई धर्म	प्रेम, करुणा, क्षमा, विनम्रता; "स्वर्णिम नियम" — दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपने साथ चाहते हो
सिख धर्म	सेवा, लंगर (साझा भोजन), "किरत करो, नाम जपो, वंड छको" — ईमानदारी से कमाओ, ईश्वर को याद करो, बाँटकर खाओ

नीतिशास्त्र क्या नहीं है? — पाँच भ्रम



चित्र 1.4: नीतिशास्त्र क्या नहीं है? — पाँच भ्रम

1.5 नैतिक उत्तरदायित्व कब सीमित माना जाता है? (Limited Moral Responsibility)

निम्नलिखित स्थितियों में व्यक्ति के नैतिक उत्तरदायित्व को सीमित माना जाता है, क्योंकि इनमें सही-गलत तय करने की स्वतंत्र क्षमता, ज्ञान या विकल्प पर्याप्त रूप से मौजूद नहीं होते:

1. जिस व्यक्ति में नैतिक ज्ञान, तर्कबुद्धि और स्वतंत्र निर्णय की पर्याप्त क्षमता विकसित ही न हुई हो — जैसे घने जंगल में बिल्कुल अकेले पले-बढ़े किसी व्यक्ति को हम पूरी तरह 'अनैतिक' नहीं कह सकते, क्योंकि उसे कभी समाज में सही-गलत सिखाया ही नहीं गया।
2. गंभीर मानसिक अस्वस्थता की स्थिति — भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 22 के अनुसार, यदि व्यक्ति मानसिक अस्वस्थता के कारण कृत्य की प्रकृति या उसके गलत/विधि-विरुद्ध होने को समझने में ही असमर्थ था, तो उसे आपराधिक दायित्व से छूट मिल सकती है — यह पूर्ण छूट नहीं, बल्कि एक शर्त-आधारित प्रावधान है।
3. बहुत छोटे बच्चे — कानून में 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे को आपराधिक दायित्व से मुक्त रखा गया है, क्योंकि जैसे एक 4 साल का बच्चा किसी का खिलौना छीन ले तो हम उसे 'चोर' नहीं कहते — उसमें मालिकाना हक की समझ ही विकसित नहीं हुई (यह मुख्यतः आपराधिक दायित्व की अवधारणा है, नीतिशास्त्र का सामान्य नियम नहीं)।
4. पशु-पक्षी — इनके पास नैतिक विवेक की मानवीय क्षमता नहीं मानी जाती।
5. अनेच्छिक कार्य (Involuntary Actions) — जैसे नींद में चलते हुए किसी चीज़ का टूट जाना।
6. गंभीर बाह्य दबाव में करवाया गया कार्य — जैसे किसी व्यक्ति को बंदूक की नोक पर धमकाकर कोई अपराध करने पर मजबूर किया जाए, तो उस व्यक्ति की नैतिक/कानूनी जवाबदेही सीमित हो सकती है (दोष मुख्यतः धमकाने वाले का माना जाता है)।

 **इन्हें सीमित उत्तरदायित्व क्यों माना जाता है:** इसका मुख्य आधार 'नैतिक अभिकर्ता' (Moral Agent) की अवधारणा है — यानी सही-गलत समझने की मानसिक क्षमता, ज्ञान और स्वतंत्र विकल्प का होना। जहाँ ये तीनों पर्याप्त रूप से मौजूद न हों, वहाँ नैतिक मूल्यांकन कठोरता से नहीं किया जा सकता — यह पूर्ण अपवाद नहीं, बल्कि मात्रा (Degree) का प्रश्न है।

1.6 नीतिशास्त्र की पूर्व-मान्यताएँ (Pre-conditions)

- ◆ **संकल्प-स्वातंत्र्य (Freedom of Will):** नैतिक मूल्यांकन के लिए सामान्यतः यह माना जाता है कि व्यक्ति के पास पर्याप्त स्वेच्छा, जानकारी और विकल्प होने चाहिए — इनकी कमी उत्तरदायित्व को कम कर सकती है। (ध्यान रहे — नियतिवाद और नैतिक उत्तरदायित्व को पूरी तरह विपरीत मानना ज़रूरी नहीं; 'सामंजस्यवाद (Compatibilism)' जैसे विचार दोनों को साथ स्वीकारने का भी प्रयास करते हैं — इनके अनुसार हमारे कार्य कारणों से प्रभावित होते हुए भी, यदि वे हमारी अपनी इच्छा और सोच से निकले हैं, तो हम उनके लिए ज़िम्मेदार हैं; यह एक दार्शनिक बहस का विषय है।)
- ◆ **ज्ञान एवं उद्देश्य:** कर्ता को अपने कार्य का ज्ञान और उद्देश्य होना चाहिए — जैसे किसी को यह पता ही न हो कि दवा ज़हरीली है और वह गलती से किसी को दे दे, तो यह जानबूझकर किया अपराध नहीं माना जाता।
- ◆ **विकल्पों की उपलब्धता:** जब विकल्प उपलब्ध हों तभी नैतिक चुनाव संभव है — जैसे किसी अधिकारी के पास घूस लेने या न लेने, दोनों विकल्प खुले हों, तभी उसका फैसला 'नैतिक' या 'अनैतिक' कहलाएगा।

1.7 नैतिकता की विशेषताएँ

- ◆ **सार्वभौमिकता:** कुछ मूल नैतिक नियमों पर व्यापक सामाजिक सहमति (Broad Consensus) पाई जाती है (जैसे निर्दोष की हत्या को लगभग सभी समाज गलत मानते हैं) — हालाँकि युद्ध, आत्मरक्षा या न्यायिक दंड जैसे संदर्भों में इस पर नैतिक विमर्श जटिल हो सकता है, यह पूर्ण रूप से निरपवाद नियम नहीं है।
- ◆ **सापेक्ष वस्तुनिष्ठता:** एक समाज में नैतिक नियमों की सामान्य सहमति होती है, पर अलग-अलग समाजों में भिन्नता संभव है। यानी एक समाज के भीतर लोग अधिकतर नैतिक बातों पर सहमत होते हैं, इसलिए वहाँ नियम 'वस्तुनिष्ठ' (सबके लिए एक जैसे) लगते हैं; पर दूसरे समाज से तुलना करें तो वही नियम बदल सकते हैं, इसलिए वे 'सापेक्ष' हैं — जैसे भोजन, पहनावे या विवाह से जुड़े नैतिक नियम।
- ◆ **गत्यात्मकता:** नैतिक मानक समय के साथ बदलते हैं (जैसे सती प्रथा जैसी कुप्रथाओं का उन्मूलन, LGBTQ+ अधिकारों की मान्यता)।
- ◆ **अर्जित:** नैतिक व्यवहार का बड़ा भाग परिवार, समाज और शिक्षा से सीखा-विकसित होता है; हालाँकि सहानुभूति जैसी कुछ प्रवृत्तियों का एक आंशिक जैविक आधार भी माना जाता है।
- ◆ **आंतरिक प्रेरणा:** सच्चा नैतिक आचरण बाहरी दबाव या सज़ा के डर से नहीं, बल्कि अंतरात्मा की आवाज़ से चलता है। जैसे कोई व्यक्ति इसलिए चोरी न करे कि पुलिस पकड़ लेगी, तो यह केवल क़ानून का डर है; पर अगर वह इसलिए चोरी न करे कि उसका मन इसे गलत मानता है, तो यह नैतिकता है।

1.8 नीतिशास्त्र का सार (Essence of Ethics)

किसी चीज़ का "सार" (Essence) उसका वह मूल गुण है जो उसकी पहचान तय करता है। नीतिशास्त्र के सार को नीचे के आठ लक्षणों से समझा जा सकता है:

- ◆ **अच्छे-बुरे का निर्धारण:** नीतिशास्त्र हमारे विचार, आचरण और व्यवहार की अच्छाई-बुराई तय करने में मदद करता है।
- ◆ **समाज में ही बनता है:** कोई व्यक्ति नैतिक व्यवस्था लेकर पैदा नहीं होता। परिवार, समाज और संस्कृति के साथ रहकर ही वह सही-गलत सीखता है।

- ◆ **मनुष्य नीतिशास्त्र को बनाता भी है:** दास-प्रथा, सती-प्रथा, छुआछूत कभी "सामान्य" मानी जाती थीं; राजा राम मोहन राय, डॉ. अंबेडकर जैसे सुधारकों ने इन मानकों को बदल दिया।
- ◆ **संदर्भ पर निर्भर:** समय, स्थान और व्यक्ति के अनुसार नैतिक मानकों का अर्थ और तीव्रता बदलती है। जैसे भूख से तड़पते व्यक्ति का रोटी चुराना और किसी अमीर का लालच में चोरी करना — दोनों चोरी हैं, पर नैतिक दृष्टि से दोनों को बराबर गंभीर नहीं माना जाता।
- ◆ **क्रानून से आगे:** नैतिक मानक नियम-पुस्तिका से ऊपर जाते हैं। जैसे — "घटना हमारे थाने की सीमा में नहीं हुई" कहकर पीड़ित की मदद न करना क्रानूनन शायद सही हो, पर नैतिक रूप से गलत है।
- ◆ **अंदर की ज़िम्मेदारी से टिकता है:** नीतिशास्त्र केवल बाहरी जवाबदेही (Accountability) से नहीं, बल्कि भीतर की ज़िम्मेदारी (Responsibility) से चलता है।
- ◆ **निर्देशात्मक भी, वर्णनात्मक भी:** यह बताता है कि "कैसे व्यवहार करना चाहिए" (निर्देशात्मक) और यह भी देखता है कि "लोग वास्तव में कैसे व्यवहार करते हैं" (वर्णनात्मक)।
- ◆ **कई स्तरों पर काम करता है:** व्यक्ति, परिवार, संगठन, समाज, राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय — हर स्तर की नैतिकता दूसरे स्तर को प्रभावित करती है।

“ नीतिशास्त्र यह जानना है कि आपको क्या करने का अधिकार है और क्या करना उचित है — इन दोनों में क्या अंतर है। (Ethics is knowing the difference between what you have a right to do and what is right to do.) ” — पॉटर स्टीवर्ट (Potter Stewart), अमेरिकी न्यायाधीश

1.9 नीतिशास्त्र को प्रभावित करने वाले कारक (Sources / Factors)

हमारी नैतिक सोच किसी एक स्रोत से नहीं बनती। अनेक कारक मिलकर यह तय करते हैं कि हम किसे सही और किसे गलत मानेंगे:

कारक	कैसे प्रभावित करता है	उदाहरण
धर्म	धर्मग्रंथ बताते हैं कि व्यक्ति को कैसे आचरण करना चाहिए	जैन धर्म में मांसाहार निषिद्ध
परंपरा व संस्कृति	हर संस्कृति के अपने मूल्य होते हैं	पश्चिम में व्यक्तिवाद, भारत में परोपकार व सामूहिकता
क्रानून व संविधान	अधिकांश नागरिकों द्वारा स्वीकृत नैतिक मानक क्रानून में बदल जाते हैं	संविधान के न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व
नेतृत्व	नेता के आचरण से अनुयायियों का आचरण तय होता है	स्वतंत्रता सेनानियों की सहिष्णु, लोकतांत्रिक परंपरा
दर्शन	विचारकों के सिद्धांत सोचने की दिशा देते हैं	अरस्तू से गांधी तक
भूगोल	संसाधनों की उपलब्धता संस्कृति और नैतिक सोच बदलती है	समुद्र-तटीय क्षेत्रों में मछली भोजन का सामान्य हिस्सा
आर्थिक व्यवस्था	लाभ को कोई व्यवस्था उचित, कोई अनुचित मानती है	पूँजीवाद बनाम साम्यवाद
संगठन	संस्था की कार्य-संस्कृति कर्मचारियों की नैतिकता गढ़ती है	ईमानदार कार्य-संस्कृति वाले विभाग
समय	नैतिक मानक युगों के साथ बदलते हैं	18वीं बनाम 21वीं सदी के मूल्य
अनुभव	कोई बड़ी घटना पूरी सोच बदल देती है	कलिंग युद्ध के बाद अशोक का धम्म की ओर मुड़ना
शिक्षा	ज्ञान से सोच और तर्क-शक्ति बदलती है	वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अंधविश्वास का विरोध
सत्ता	समाज के प्रभावशाली वर्ग अक्सर सही-गलत की परिभाषा तय करते हैं	औपनिवेशिक शासकों द्वारा "सभ्य-असभ्य" की परिभाषा

नीतिशास्त्र को प्रभावित करने वाले 12 कारक

हमारी नैतिक सोच

धर्म	संस्कृति	क़ानून-संविधान	नेतृत्व
दर्शन	भूगोल	अर्थव्यवस्था	संगठन
समय	अनुभव	शिक्षा	सत्ता

चित्र 1.5: नीतिशास्त्र को प्रभावित करने वाले 12 कारक

2. नैतिकता (Morality) और नीतिशास्त्र (Ethics) — तुलना

2.1 नैतिकता (Morality) की परिभाषा

- ◆ नैतिकता व्यक्ति के विश्वासों, विचारों, दृष्टिकोणों, व्यवहार और कार्यों को मार्गदर्शित करने वाले **व्यक्तिगत सिद्धांतों** का समूह है।
- ◆ नैतिकता व्यक्तिगत चरित्र को परिभाषित करती है — यह **आंतरिक** है और उच्च व्यक्तिपरकता रखती है — यानी यह हर व्यक्ति की अपनी सोच, परवरिश और अंतरात्मा पर निर्भर करती है, इसलिए दो लोगों की नैतिकता एक-दूसरे से अलग हो सकती है।

कारक	नीतिशास्त्र (Ethics)	नैतिकता (Morality)
परिभाषा	समाज या समूह की आचार संहिता	व्यक्तिगत प्रतिबद्धताओं का समूह
प्रभाव	सामाजिक मानदंड निर्धारित करता है	व्यक्तिगत चरित्र परिभाषित करता है
स्रोत	बाह्य (External) — समाज, कानून, संहिता	आंतरिक (Internal) — अंतरात्मा
व्यक्तिपरकता	कम	अधिक
सामान्य प्रयोग में	विश्लेषणात्मक/संस्थागत आचार से अधिक जुड़ी मानी जाती है	व्यक्तिगत/सामाजिक व्यवहार से अधिक जुड़ी मानी जाती है
प्रकृति	सामान्य विज्ञान की तरह नियम-आधारित	व्यक्ति-विशेष की अंतरात्मा-आधारित

नीतिशास्त्र बनाम नैतिकता — मुख्य अंतर

नीतिशास्त्र (Ethics)	बनाम	नैतिकता (Morality)
एथॉस — चरित्र	मूल शब्द	मोरेस — रीति-रिवाज़
समाज, पेशा, संस्था के मानक	स्रोत	व्यक्ति का विवेक, परवरिश
बाहरी, अपेक्षाकृत सार्वभौमिक	प्रकृति	आंतरिक, व्यक्तिपरक
धीरे-धीरे बदलता है	परिवर्तन	व्यक्ति-व्यक्ति में अलग
डॉक्टर की आचार संहिता	उदाहरण	डॉक्टर का निजी विश्वास

चित्र 1.6: नीतिशास्त्र बनाम नैतिकता — मुख्य अंतर

2.2 व्यावहारिक उदाहरण

- ◆ युद्ध में शत्रु सैनिक की हत्या — समाज इसे सामान्यतः स्वीकार्य मानता है (देश की रक्षा), पर व्यक्तिगत रूप से यह किसी सैनिक की अंतरात्मा को कचोट भी सकती है (किसी की जान लेना)। ध्यान रहे — युद्ध में भी न्यायोचित-युद्ध सिद्धांत (Just War Theory), अनुपातिकता और नागरिकों की सुरक्षा जैसी नैतिक सीमाएँ लागू होती हैं, यह असीमित छूट नहीं है।
- ◆ चिकित्सा-आपातकाल में डॉक्टर का व्यक्तिगत/धार्मिक कारणों से इनकार करना उसकी निजी नैतिक मान्यता (Morality) हो सकता है, पर चिकित्सा-आचार-संहिता के अनुसार आपातकाल में मरीज़ के जीवन व स्वास्थ्य की सुरक्षा सर्वोच्च मानी जाती है — इसलिए इसे केवल एक सरल 'नीतिशास्त्र (Ethics) बनाम नैतिकता (Morality)' उदाहरण न मानकर, एक जटिल वास्तविक दुविधा के रूप में देखना बेहतर है।

◆ सिविल सेवा में किताबी नियम का पालन और मानवीय आधार पर नियमों से परे जाकर सहायता करना — दोनों ही नीतिशास्त्र (Ethics) का हिस्सा हो सकते हैं, बशर्ते वह सहायता कानून, समानता और जवाबदेही के दायरे में हो। इन्हें दो अलग 'तरह के अधिकारी' में बाँटना ज़रूरी नहीं।

✨ एक और आधुनिक उदाहरण

कोविड-19 महामारी (Covid-19, 2020-21) के दौरान कई अधिकारियों ने उपलब्ध संसाधनों, सामुदायिक सहयोग और अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए गरीबों तक राशन-दवा पहुँचाने के रास्ते निकाले। यह उनकी अंतरात्मा (नैतिकता/Morality) की प्रेरणा और संस्थागत नीतिशास्त्र (Ethics) — दोनों के तालमेल से संभव हुआ।

2.3 प्रशासन में प्राथमिकता — एक संतुलित दृष्टिकोण

एक सिविल सेवक के लिए यह कोई कठोर, सार्वभौमिक क्रम नहीं है कि 'पहले कानून, फिर नीतिशास्त्र, फिर नैतिकता' — बल्कि सामान्य सिद्धांत यह है कि सिविल सेवक को संविधान और कानून का अनिवार्य पालन करते हुए, लोकहित, निष्पक्षता, करुणा, सत्यनिष्ठा तथा विवेक के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। नीचे दी गई तालिका इसे स्तरों में समझने में मदद करती है:

स्तर	श्रेणी	उदाहरण
प्रथम (कठोर अनुपालन)	प्रशासनिक कानून (Administrative Laws)	आचार संहिता, BNS (भारतीय न्याय संहिता), BNSS (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता), GST कानून आदि
द्वितीय (मार्गदर्शक सिद्धांत)	प्रशासनिक नीतिशास्त्र (Administrative Ethics)	नोलन सिद्धांत (Nolan Principles), द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, सन्थानम समिति (1964, भ्रष्टाचार-निवारण)
तृतीय (विवेकाधिकार)	प्रशासनिक नैतिकता (Administrative Morality)	विवेकाधीन शक्ति (Discretionary Power), भावनात्मक बुद्धिमत्ता, कर्तव्य से परे जाना

प्रशासन में प्राथमिकता — तीन स्तर



चित्र 1.7: प्रशासन में प्राथमिकता — तीन स्तर

3. नीतिशास्त्र के प्रकार (Types of Ethics)

नीतिशास्त्र को तीन प्रमुख श्रेणियों में बाँटा जाता है — परा-नैतिकता (Meta Ethics), आदर्शमूलक नीतिशास्त्र (Normative Ethics) और व्यावहारिक नैतिकता (Applied Ethics)। तीनों में फर्क समझने का सबसे आसान तरीका है — क्रिकेट का उदाहरण।

नीतिशास्त्र के 3 प्रकार (Types of Ethics)



उपमा: Meta = "क्रिकेट क्या है?" Normative = "अच्छा क्रिकेट कैसे खेलें?" Applied = "Mankading सही है या गलत?"

चित्र 1.8: नीतिशास्त्र के 3 प्रकार — परा, आदर्शमूलक और व्यावहारिक नीतिशास्त्र (Meta, Normative, Applied Ethics)

3.1 परा-नैतिकता (Meta Ethics)

- ◆ नैतिक सिद्धांतों की सैद्धांतिक उत्पत्ति और अर्थ को समझने में सहायता करता है — यानी यह पूछता है कि 'अच्छा' शब्द का मतलब ही क्या है।
- ◆ प्रश्न जैसे — "नैतिक निर्णय क्या है?", "शुभत्व क्या है?" — यही परा-नैतिकता (Meta Ethics) का विषय है।
- ◆ इसके अंतर्गत आते हैं: नैतिक यथार्थवाद (Moral Realism — Universalism) और नैतिक अयथार्थवाद (Moral Anti-Realism — Subjectivism)। नैतिक यथार्थवाद मानता है कि सही-गलत के कुछ वस्तुनिष्ठ सत्य होते हैं जो हर व्यक्ति पर समान रूप से लागू होते हैं, जैसे 'निर्दोष को सताना गलत है'; जबकि नैतिक अयथार्थवाद मानता है कि सही-गलत कोई बाहरी सत्य नहीं, बल्कि व्यक्ति या समाज की भावना और राय पर टिका होता है।
- ▶ उपमा: "क्रिकेट क्या है? क्या गली-क्रिकेट को भी क्रिकेट कहा जा सकता है?" — यह सवाल खुद खेल के मूल स्वरूप पर है, किसी एक मैच पर नहीं।

“ बिना परखा हुआ जीवन जीने योग्य नहीं है। (The unexamined life is not worth living.) ” — सुकरात (Socrates)

3.2 आदर्शमूलक नीतिशास्त्र (Normative Ethics)

- ◆ यह बताता है कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए — यानी नैतिक रूप से सही आचरण की कसौटियाँ (Criteria) क्या हो सकती हैं।
- ◆ यह व्यवहार के मूल्यांकन के लिए एक तरह की कसौटी (Litmus Test) है — किस काम की समाज में प्रशंसा होगी और किस काम की नैतिक निंदा, यह इसी से तय होता है (ध्यान रहे — दंड का वास्तविक निर्धारण मुख्यतः कानून करता है, नीतिशास्त्र नैतिक मानदंड गढ़ता है)।
- ▶ उपमा: "क्या वह अच्छा क्रिकेट खेल रहा है?" — यानी किसी खिलाड़ी के खेलने के तरीके का मूल्यांकन।

तीन असली प्रशासकों की कहानियाँ देखिए, जो दिखाती हैं कि आदर्शमूलक नीतिशास्त्र (Normative Ethics) — यानी "अधिकारी को कैसा व्यवहार करना चाहिए" — किताबी नियम से आगे जाकर व्यवहार में कैसी दिखती है:

☀ कहानी 1 — पी. नरहरि (P. Narahari) और 'पंच स्पर्श' अभियान

मध्य प्रदेश के IAS अधिकारी पी. नरहरि ने ग्वालियर, इंदौर, सिंगरौली जैसे कई जिलों में कलेक्टर रहते हुए एक बात नोटिस की — सरकारी भवनों में रैंप, रेलिंग, नीची टॉयलेट सीट जैसे नियम कागज़ पर तो मौजूद थे, पर किसी ने उन्हें ठीक से लागू ही नहीं किया था, जिससे दिव्यांगजनों को हर सरकारी दफ्तर में परेशानी झेलनी पड़ती थी। उन्होंने खुद लगभग 200 लोगों को 'सुगम्यता ऑडिट' (Accessibility Audit) करने की ट्रेनिंग दी, ताकि हर दफ्तर जाँचकर सही किया जा सके। ग्वालियर में उन्होंने 'पंच स्पर्श' नाम से एक योजना शुरू की, जिसमें दृष्टिबाधित लोगों को मालिश और एक्स्प्रेसर जैसी पाँच थैरेपी सिखाकर रोज़गार मेलों और कॉल-सेंटर नौकरियों से जोड़ा गया, जिससे उनकी आमदनी में उल्लेखनीय सुधार हुआ — इस काम के लिए उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला। यही आदर्शमूलक नीतिशास्त्र (Normative Ethics) है — सिर्फ नियम की किताब में रैंप का जिक्र होना काफी नहीं, अधिकारी का असली काम है उसे ज़मीन पर लागू करवाना।

☀ कहानी 2 — प्रशांत नायर (Prashant Nair) और 'ऑपरेशन सुलेमानी'

केरल के कोझीकोड ज़िले के कलेक्टर प्रशांत नायर ने पाया कि शहर में भूख किसी को दिखती नहीं थी — यह सिर्फ सड़क पर सोने वालों की

समस्या नहीं थी, बल्कि कई साधारण दिखने वाले लोग भी चुपचाप भूखे रह जाते थे, शर्म के मारे किसी को बता नहीं पाते थे। अप्रैल 2015 में उन्होंने 'ऑपरेशन सुलेमानी' शुरू किया — नाम कोड़ीकोड की मशहूर सुलेमानी चाय पर रखा गया। इसमें मुफ्त खाने के कूपन सरकारी दफ्तरों, अखबारों और वालंटियरों के ज़रिए बांटे जाते थे, और भूखा व्यक्ति बिना किसी शर्मादगी के शहर के करीब 125 भागीदार होटलों में जाकर कूपन दिखाकर खाना खा सकता था। आम नागरिक गुमनाम रहकर दान-पेटी में पैसे डालते थे, जिससे होटलों को भुगतान होता था — प्रशासनिक खर्च अलग से जुटाया जाता था ताकि दान का पूरा पैसा सिर्फ खाने पर ही खर्च हो। एक ही साल में 9000 से ज़्यादा लोगों को बिना पैसे खत्म हुए खाना मिल चुका था। यह दिखाता है कि आदर्शमूलक नीतिशास्त्र (Normative Ethics) सिर्फ 'गरीबों की मदद करो' कहने में नहीं, बल्कि एक ऐसा भरोसेमंद सिस्टम बनाने में है जिसमें मदद पाने वाले की गरिमा भी बनी रहे।

☀ कहानी 3 — कौस्तुभ दिवेगांवकर (Kaustubh Diwegaonkar) — ज़मीन पर बैठा कलेक्टर

महाराष्ट्र के उस्मानाबाद ज़िले के कलेक्टर कौस्तुभ दिवेगांवकर के पास एक दिव्यांग व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर आया, जो शारीरिक स्थिति के कारण सामने रखी कुर्सी पर बैठ नहीं पा रहा था। कलेक्टर ने बिना किसी हिचक के खुद ज़मीन पर बैठकर उस व्यक्ति की पूरी बात सुनी, ताकि दोनों की आँखें एक ही तल पर हों और सामने वाले को असहज महसूस न हो। यह तस्वीर देश भर में वायरल हुई और IAS एसोसिएशन ने इसे "सुलभ, सम्मानजनक और मानवीय प्रशासन" का उदाहरण बताया। यही आदर्शमूलक नीतिशास्त्र (Normative Ethics) का सबसे सीधा सबक है — बड़ा पद मिलने के बाद भी व्यवहार में विनम्रता और बराबरी बनाए रखना ही सही आचरण है।

3.3 व्यावहारिक नैतिकता (Applied Ethics)

- ◆ नैतिक सिद्धांतों को वास्तविक जीवन की समस्याओं में लागू करता है।
- ◆ प्रश्न जैसे — "क्या इच्छा-मृत्यु (Euthanasia) उचित है?", "क्या मैकडिंग (Mankading — क्रिकेट में एक विवादित रन-आउट तरीका) नैतिक है?"
- ◆ इसके प्रमुख क्षेत्र हैं — चिकित्सा नैतिकता (जैसे अंग-प्रत्यारोपण या इच्छामृत्यु के प्रश्न), पर्यावरण नैतिकता (जैसे विकास के लिए जंगल काटना कितना उचित है), खेल नैतिकता (जैसे डोपिंग या मैच फिक्सिंग) और व्यापार नैतिकता (जैसे मिलावट, भ्रामक विज्ञापन)। यानी हर पेशे और क्षेत्र की ठोस समस्याओं पर नैतिक सिद्धांतों को लागू करना ही व्यावहारिक नैतिकता है।

3.4 वर्णनात्मक नीतिशास्त्र (Descriptive Ethics) — चौथा आयाम

ऊपर के तीन आयामों के अलावा कई विद्वान एक चौथा आयाम भी मानते हैं — **वर्णनात्मक या तुलनात्मक नीतिशास्त्र (Descriptive / Comparative Ethics)**। यह शाखा यह नहीं बताती कि क्या करना "चाहिए", बल्कि यह खोजती है कि लोग वास्तव में किसे सही और किसे गलत मानते हैं।

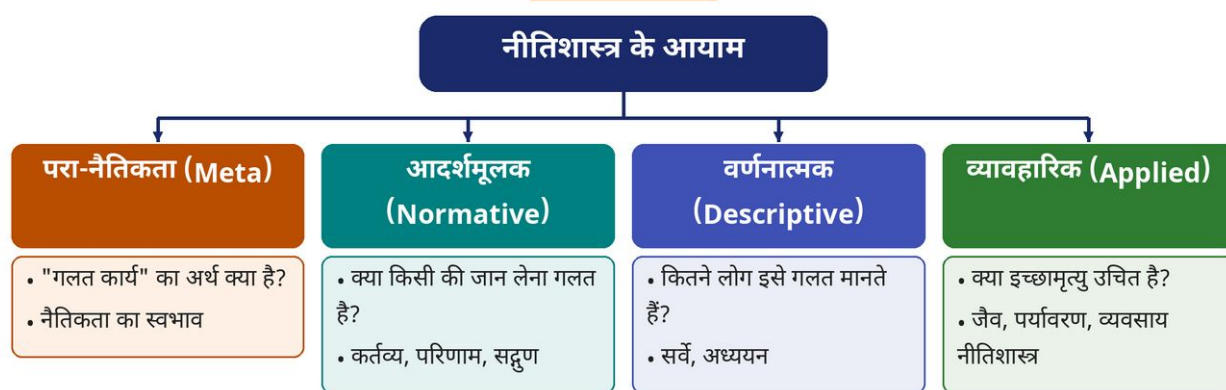
- ◆ यह एक तरह का अनुभवजन्य (Empirical) अध्ययन है — सर्वेक्षण, मानवशास्त्र (Anthropology), मनोविज्ञान और समाजशास्त्र की विधियों से विभिन्न समाजों की नैतिक मान्यताओं को दर्ज किया जाता है।
- ◆ प्रश्न का उदाहरण: "आपके ज़िले के कितने प्रतिशत लोग दहेज लेना गलत मानते हैं?" — यह वर्णनात्मक प्रश्न है; जबकि "क्या दहेज लेना गलत है?" — यह आदर्शमूलक प्रश्न है।
- ◆ लॉरेंस कोलबर्ग (Lawrence Kohlberg) का नैतिक विकास सिद्धांत (आगे खंड 12 में विस्तार से) भी वर्णनात्मक नीतिशास्त्र का ही उदाहरण है, क्योंकि यह बताता है कि मनुष्य की नैतिक सोच वास्तव में कैसे विकसित होती है।
- ◆ **प्रशासनिक उपयोग:** किसी जनजातीय क्षेत्र में योजना लागू करने से पहले वहाँ की नैतिक-सामाजिक मान्यताओं का अध्ययन करना — ताकि नीति लोगों पर थोपी न जाए, बल्कि उनसे जुड़कर लागू हो।

🔍 आसान परिभाषा: वर्णनात्मक नीतिशास्त्र (Descriptive Ethics)

📘 **परिभाषा:** नीतिशास्त्र की वह शाखा जो किसी समाज या समूह की वास्तविक नैतिक मान्यताओं और व्यवहार का तथ्यात्मक अध्ययन करती है, बिना यह कहे कि वे सही हैं या गलत।

💡 **आसान भाषा में:** यह "क्या होना चाहिए" नहीं, बल्कि "लोग क्या मानते हैं" — इसकी तस्वीर खींचता है। 🏠 **उदाहरण:** चुनाव से पहले का सर्वे बताता है कि लोग किसे वोट देंगे; वह यह नहीं बताता कि किसे वोट देना सही है।

नीतिशास्त्र के चार आयाम — एक ही विषय पर चार तरह के प्रश्न



चित्र 1.9: नीतिशास्त्र के चार आयाम — एक ही विषय पर चार तरह के प्रश्न

3.5 आदर्शमूलक नीतिशास्त्र (Normative Ethics) के उपभेद

सिद्धांत	मुख्य विचार	समर्थक	प्रशासनिक उदाहरण
1. कर्तव्यवाद (Deontology)	नैतिक नियम और कर्तव्य को प्राथमिकता — भले ही परिणाम अनुकूल न हों।	इमैनुएल कांट, डब्ल्यू.डी. रॉस गीता का निष्काम-कर्म भी इससे मिलता-जुलता भाव रखता है (गीता का दर्शन इससे कहीं व्यापक है)	अधिकारी कानून का पालन करे, चाहे परिणाम जो हो
2. परिणामवाद (Teleology)	कार्य की नैतिकता का मूल्यांकन उसके परिणामों/कल्याण के आधार पर।	बेन्थम, जे.एस. मिल चार्वाक को सामान्यतः भौतिकवादी/सुखवादी परंपरा से जोड़ा जाता है	अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण
3. सद्गुण नैतिकता (Virtue Ethics)	व्यक्ति के चरित्र और विवेकपूर्ण आदतों पर ध्यान — सद्गुणी व्यक्ति के सही आचरण की संभावना अधिक मानी जाती है।	अरस्तू, प्लेटो, सुकरात	IAS अधिकारी का ईमानदार चरित्र

उदाहरण: यदि आपको रास्ते में किसी का गिरा हुआ बटुआ मिले, तो तीनों सिद्धांत अलग-अलग तरीके से सोचते हैं:

- ◆ **कर्तव्यवाद (Deontology):** आप इसे लौटाएंगे क्योंकि चोरी न करना और ईमानदारी आपका कर्तव्य है, चाहे परिणाम कुछ भी हो।
- ◆ **परिणामवाद (Teleology):** आप इसे लौटाएंगे क्योंकि इससे बटुए के मालिक की हानि कम होगी और समाज में विश्वास बढ़ेगा — यानी कुल कल्याण की दृष्टि से लौटाना उचित है।
- ◆ **सद्गुण नैतिकता (Virtue Ethics):** आप इसे इसलिए लौटाएंगे क्योंकि एक 'सज्जन' व्यक्ति स्वाभाविक रूप से यही करता है।

New India Education by Omkar Sir

3 नैतिक सिद्धांत — एक ही उदाहरण से समझें

स्थिति: रास्ते में किसी का गिरा हुआ बटुआ (Wallet) मिला

Deontology (कर्तव्यवाद)

आप बटुआ लौटाएंगे क्योंकि चोरी न करना आपका 'कर्तव्य' है — परिणाम चाहे जो हो।

मुख्य समर्थक (Supporters):

Kant, Geeta: "कर्मण्येवाधिकारस्ते"

ध्यान: नियम/कर्तव्य पर

Teleology (परिणामवाद)

आप बटुआ लौटाएंगे ताकि मालिक को खुशी मिले या आपको इनाम मिले।

मुख्य समर्थक (Supporters):

Bentham, JS Mill

ध्यान: परिणाम/साध्य पर

Virtue Ethics (सद्गुण नैतिकता)

आप बटुआ लौटाएंगे क्योंकि एक 'सज्जन' व्यक्ति यही स्वाभाविक रूप से करता है।

मुख्य समर्थक (Supporters):

Aristotle, Plato, Socrates

ध्यान: चरित्र/सद्गुण पर

चित्र 1.10: एक ही उदाहरण से कर्तव्यवाद, परिणामवाद और सद्गुण नैतिकता की तुलना

परिणामवाद (Teleology) के प्रकार: परिणामवाद (Teleology) के कई रूप हैं। पहला है नैतिक स्वार्थवाद (Ethical Egoism) — जिसमें सही वही है जिसका परिणाम स्वयं कर्ता के लिए अच्छा हो (आगे खंड 4.2 में)। दूसरा है उपयोगितावाद (Utilitarianism) — जेरेमी बेन्थम के अनुसार सही कार्य वह है जो अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख दे, और जे.एस. मिल ने इसमें जोड़ा कि सुख की मात्रा ही नहीं, उसकी गुणवत्ता भी देखी जाए (गुणात्मक उपयोगितावाद) — जैसे ज्ञान या कला का सुख केवल शारीरिक सुख से ऊँचा है। तीसरा है सुखवाद (Hedonism) — जिसका भारतीय उदाहरण चार्वाक दर्शन है: "यावत् जीवेत् सुखम् जीवेत्, ऋणं कृत्वा धृतं पिबेत्" यानी जब तक जियो सुख से जियो, कर्ज लेकर भी घी पियो। चौथा है सार्थक-जीवनवाद (Eudaimonism) — जो कहता है कि सच्ची खुशी क्षणिक सुख में नहीं, बल्कि अपनी क्षमताओं का पूरा विकास करते हुए सार्थक और सद्गुणी जीवन जीने में है।

4. प्रमुख नैतिक अवधारणाएँ (Key Ethical Concepts)

4.1 मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद (Psychological Egoism)

◆ यह सिद्धांत मानता है कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से स्वार्थी है और केवल अपने लाभ की चिंता करता है।

💡 **आसान भाषा में:** जैसे कोई कहे "हर इंसान जन्म से ही पहले अपना फायदा देखता है, फिर दूसरों का" — यह एक दावा है कि मनुष्य 'ऐसा है ही', यह सलाह नहीं है कि उसे 'ऐसा' होना चाहिए।

◆ उदाहरण: कोई खिलाड़ी टीम और खेल-भावना से ऊपर अपने निजी आर्थिक लाभ को रखकर मैच फिक्सिंग करे — यह दिखाता है कि स्वार्थ कभी-कभी सामूहिक हित पर हावी हो जाता है।

◆ उदाहरण: कोई भ्रष्ट अधिकारी लोकहित के बजाय अपने निजी लाभ को ऊपर रखकर निर्णय ले — यह भी इसी प्रवृत्ति का प्रशासनिक रूप है।

◆ **आलोचना:** अनेक स्थितियों में मनुष्य जान जोखिम में डालकर दूसरों की सहायता करता है — यह दिखाता है कि स्वार्थ मनुष्य का इकलौता स्वभाव नहीं।

▶ सैनिक युद्ध में साथियों को बचाने के लिए प्राण त्यागते हैं।

▶ पन्नाधाय ने मेवाड़ राज्य की रक्षा के लिए अपने पुत्र का बलिदान दिया — जब बनवीर बालक राजकुमार उदयसिंह को मारने आया, तो उन्होंने राजकुमार के बिस्तर पर अपने बेटे चंदन को सुला दिया। स्वार्थ ही मनुष्य का एकमात्र स्वभाव होता, तो ऐसा त्याग संभव ही नहीं था।

4.2 नैतिक स्वार्थवाद (Ethical Egoism)

◆ लोगों को अपने स्वार्थ के अनुसार कार्य करना चाहिए — जो अपनी खुशी बढ़ाए और दुख कम करे।

◆ थॉमस हॉब्स (17वीं सदी के अंग्रेज़ दार्शनिक, जिनका सामाजिक अनुबंध सिद्धांत आगे खंड 4.3 में है) और बर्नार्ड मैडेविल (डच मूल के ब्रिटिश लेखक, जिन्होंने 'द फ्रेबल ऑफ़ द बीज़' में तर्क दिया कि निजी स्वार्थ से भी समाज का लाभ हो सकता है) जैसे विचारकों ने इसे प्रतिपादित किया — "आत्म-संरक्षण अस्तित्व का प्रथम नियम है।" (ध्यान रहे — अर्थशास्त्र के जनक माने जाने वाले एडम स्मिथ को उनकी पुस्तक 'द वेल्थ ऑफ़ नेशंस' के कारण अक्सर स्वार्थवाद का समर्थक मान लिया जाता है, पर यह अधूरा है; उन्होंने 'द थ्योरी ऑफ़ मोरल सेंटिमेंट्स' पुस्तक में सहानुभूति और नैतिक भावनाओं पर भी विस्तार से लिखा है।)

◆ समस्या: यह सिद्धांत कभी-कभी नैतिक कार्य की ओर ले जाता है (जैसे अपने ही स्वास्थ्य-लाभ के लिए धूम्रपान छोड़ना), तो कभी विवादास्पद परिणाम भी दे सकता है — जैसे कोई व्यापारी केवल अपने मुनाफे के लिए दूध में मिलावट करे; नैतिक स्वार्थवाद के तर्क से इसे 'उसके हित में' कहा जा सकता है, जबकि इससे दूसरों का स्वास्थ्य खतरे में पड़ता है। इसीलिए अधिकतर विचारक इस सिद्धांत को अधूरा मानते हैं।

आसान परिभाषा: नैतिक स्वार्थवाद बनाम मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद (Ethical vs Psychological Egoism)

परिभाषा: मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद (Psychological Egoism) कहता है — मनुष्य है ही स्वार्थी (एक तथ्य)। नैतिक स्वार्थवाद (Ethical Egoism) कहता है — मनुष्य को स्वार्थी होना चाहिए (एक सलाह)।

आसान भाषा में: पहला बताता है 'मनुष्य ऐसा है', दूसरा कहता है 'मनुष्य को ऐसा होना चाहिए' — यानी एक तो सिर्फ वर्णन (Description) है, दूसरा एक सलाह/आदेश (Prescription)। उदाहरण: जैसे कोई कहे "बच्चे मीठा पसंद करते हैं" (यह मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद जैसा तथ्य है) बनाम "बच्चों को मीठा ही खाना चाहिए" (यह नैतिक स्वार्थवाद जैसी सलाह है, जो गलत भी हो सकती है)।

4.3 थॉमस हॉब्स का सामाजिक अनुबंध सिद्धांत (Social Contract Theory)

◆ हॉब्स (Hobbes) ने अपनी पुस्तक "लेवियाथन (Leviathan)" में यह सिद्धांत दिया।

◆ हॉब्स के अनुसार, 'प्रकृति की अवस्था' (State of Nature) में मनुष्य पूरी तरह स्वतंत्र था, लेकिन कोई नियम न होने के कारण वहाँ अराजकता (Chaos) और डर का माहौल था।

◆ इस स्थिति से बचने के लिए, मनुष्यों ने आपस में समझौता (Contract) किया और अपनी कुछ स्वतंत्रताएँ एक 'संप्रभु' (सरकार) को सौंप दीं। बदले में सरकार ने उन्हें सुरक्षा और कानून-व्यवस्था दी।

आसान परिभाषा: सामाजिक अनुबंध सिद्धांत (Social Contract Theory)

परिभाषा: मनुष्यों ने 'प्रकृति की अवस्था' (State of Nature — अराजकता) से बचने के लिए अपनी कुछ स्वतंत्रताएँ एक संप्रभु सत्ता को सौंपकर सामाजिक अनुबंध किया।

आसान भाषा में: सोचिए बिना ट्रैफिक-सिग्नल वाली सड़क — हर कोई मनमानी करेगा, दुर्घटनाएँ बढ़ेंगी। इसलिए हम सब मिलकर एक नियम (सिग्नल) मान लेते हैं और उसे लागू करने की ज़िम्मेदारी सरकार को दे देते हैं — यही सामाजिक अनुबंध है। उदाहरण: हम टैक्स देते हैं (अपनी आज़ादी का एक हिस्सा राज्य को सौंपते हैं) और बदले में राज्य हमें सड़क, सुरक्षा, न्याय देता है — यही आज का सामाजिक अनुबंध है।

4.4 नैतिक सापेक्षवाद (Moral Relativism)

◆ नैतिक निर्णय व्यक्ति या समाज-विशेष के सापेक्ष होते हैं — सार्वभौमिक नहीं।

आसान भाषा में: जैसे अभिवादन करने, भोजन करने या शोक व्यक्त करने के तरीके अलग-अलग संस्कृतियों में अलग-अलग होते हैं और हर जगह उसे वहाँ के हिसाब से उचित माना जाता है — यानी सही-गलत जगह/संस्कृति के हिसाब से बदल सकता है, यही सापेक्षवाद है।

नैतिक व्यक्तिवाद (Moral Subjectivism)	सांस्कृतिक सापेक्षवाद (Cultural Relativism)
सही-गलत व्यक्ति की राय पर निर्भर	एक संस्कृति के मानक दूसरी के लिए सत्य नहीं
उदाहरण: किसी विवादास्पद सामाजिक विषय पर अलग-अलग व्यक्तियों की अलग नैतिक राय	उदाहरण: अभिवादन-पद्धति, वेशभूषा या भोजन-रीति की भिन्न सांस्कृतिक मान्यताएँ
व्यक्ति की संस्कृति, परिवेश से प्रभावित	विविधता को बढ़ावा देता है (सकारात्मक)

4.5 नैतिक वस्तुनिष्ठवाद (Moral Objectivism)

◆ वस्तुनिष्ठ नैतिक सत्य होते हैं — कुछ कार्य सभी समयों और समाजों में सही/गलत हैं।

आसान भाषा में: नैतिक सापेक्षवाद (Moral Relativism) के ठीक उलट — यह कहता है कि कुछ बातें हर देश, हर काल में एक जैसी ही गलत रहेंगी, जैसे निर्दोष की हत्या — चाहे कोई भी संस्कृति हो, यह हमेशा गलत ही रहेगी।

◆ उदाहरण: निर्दोष की हत्या को लगभग सभी समाज सार्वभौमिक रूप से गलत मानते हैं; सत्यभाषण को व्यापक रूप से एक सही मूल्य माना जाता है — हालाँकि आपातकालीन/जटिल परिस्थितियों में इन पर भी नैतिक विमर्श हो सकता है।

◆ परिणामवादी (Consequentialist) कार्य के परिणाम को और कर्तव्यवादी (Deontologist) नियम-पालन को नैतिकता की मुख्य कसौटी मानते हैं — पर वस्तुनिष्ठवादी (Objectivist) दृष्टिकोण के अनुसार दोनों ही यह स्वीकार करते हैं कि कुछ मूल नैतिक सत्य परिस्थिति-निरपेक्ष होते हैं।

ध्यान रहे: नियतिवाद (Determinism) संकल्प-स्वातंत्र्य (Freedom of Will) का ठीक उल्टा विचार है — नियतिवाद कहता है कि हमारे कार्य पहले से तय कारणों से होते हैं, जबकि संकल्प-स्वातंत्र्य कहता है कि हम चुनने के लिए स्वतंत्र हैं।

4.6 नियतिवाद का सिद्धांत (Doctrine of Determinism)

◆ मनुष्य के निर्णय और कार्य बाह्य शक्तियों द्वारा कारणात्मक रूप से निर्धारित होते हैं — अतः वह अपने कार्यों के लिए पूरी तरह उत्तरदायी नहीं है, ऐसा यह सिद्धांत मानता है।

◆ नियतिवाद के अनुसार हमारे कार्यों को तय करने वाले मुख्य कारक तीन हैं — जीन्स (माता-पिता से मिले जैविक गुण, जैसे स्वभाव से गुस्सैल होना), मस्तिष्क की बनावट और उसकी रासायनिक क्रियाएँ, तथा पर्यावरणीय कारक (परिवार, गरीबी, संगति, शिक्षा जैसी परिस्थितियाँ)। इनके कारण व्यक्ति जो करता है, वह मानो पहले से तय होता है।

आसान परिभाषा: नियतिवाद (Determinism)

परिभाषा: यह सिद्धांत कहता है कि मनुष्य के सभी कार्य पहले से मौजूद कारणों (जीन्स, परिवेश, परिस्थिति) से तय होते हैं — इसलिए व्यक्ति की कोई 'सच्ची स्वतंत्र इच्छा' नहीं होती।

आसान भाषा में: जैसे डोमिनो के पत्थर — पहला पत्थर गिरते ही बाकी सब अपने-आप गिरते चले जाते हैं। नियतिवाद कहता है इंसान की ज़िंदगी भी वैसे ही पहले से तय ज़ंजीर है। उदाहरण: एक भूखा बच्चा रोटी चुरा ले तो नियतिवादी कहेगा — 'गरीबी और भूख' (परिस्थिति) ने उससे यह करवाया, वह पूरी तरह दोषी नहीं।

निर्धारक	व्याख्या	उदाहरण
समय (Time)	दासता 18वीं शताब्दी में नैतिक मानी जाती थी	धारा 377 (Section 377) का आंशिक निरसन (2018), सती प्रथा
स्थान/प्रथा (Custom)	स्थान-विशेष की परंपराएँ और रीतियाँ भी तय करती हैं कि किसे सही माना जाए	थलाइकूथल (Thalaikoothal — बुजुर्गों की हत्या की कुप्रथा, तमिलनाडु), गर्भपात (Abortion) संबंधी अलग-अलग देशों की अलग नीतियाँ
परिस्थिति (Circumstance)	भूखे व्यक्ति की चोरी — ज़रूरत बनाम लालच (Need vs Greed)	भ्रष्ट अधिकारी — केवल लालच
कानून (Law)	नाज़ी जर्मनी का कानून यहूदियों के विरुद्ध भेदभाव को 'कानूनी' बनाता था, पर वह अनैतिक था — यानी कानूनी होना ही नैतिक होने की गारंटी नहीं	BNS धारा 22 — विक्षिप्त को दंड नहीं
कर्ता (Actor)	महाभारत में भीम का दुर्योधन-वध — धर्मयुद्ध के नियमों के विरुद्ध होते हुए भी न्याय के पक्ष में माना जाता है; यह एक बहुचर्चित नैतिक दुविधा (Moral Dilemma) है, सर्वसम्मत निर्णय नहीं	किशोर अपराध में रियायत
बाह्य दबाव	बंदूक की नोक पर किया गया कार्य	अनैच्छिक कार्य

4.7 संकल्प स्वातंत्र्य का सिद्धांत (Doctrine of Freedom of Will)

◆ यह सिद्धांत नियतिवाद के उलट मानता है कि मनुष्य के कई कार्य ऐसे होते हैं जो न बाहरी दबाव से तय होते हैं और न किसी मजबूरी (आवश्यकता) से — व्यक्ति उन्हें अपनी स्वतंत्र इच्छा से चुनता है। इसीलिए वह उन कार्यों के लिए पूरी तरह उत्तरदायी माना जाता है।

संकल्प-स्वातंत्र्य (Freedom of Will) की 3 शर्तें:

- विकल्पों की उपलब्धता (Availability of Alternatives)।
- कार्य करने की क्षमता (Capacity to Act)।
- परिस्थितियों का ज्ञान (Awareness about Circumstances)।

◆ उदाहरण: कोई अधिकारी बिना किसी बाहरी दबाव के, पूरी जानकारी रखते हुए, भ्रष्ट सिफ़ारिश को अस्वीकार करके स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्णय ले — यही संकल्प-स्वातंत्र्य का व्यावहारिक उदाहरण है।

◆ सुकरात (Socrates) बनाम अरस्तू (Aristotle): सुकरात मानते थे कि ज्ञान ही सद्गुण है — जो व्यक्ति सचमुच जानता है कि क्या सही है, वह गलत कर ही नहीं सकता; गलत काम केवल अज्ञान से होता है। अरस्तू इससे असहमत थे — उनके अनुसार व्यक्ति सही जानते हुए भी अपनी इच्छा से गलत चुन सकता है (जैसे धूम्रपान को हानिकारक जानते हुए भी करना)। इसलिए संकल्प-स्वातंत्र्य (Freedom of Will) के कारण एक जैसा ज्ञान रखने वाले अलग-अलग लोगों के कार्य भी भिन्न होते हैं।

“ दो चीज़ें मन को सदा नए और बढ़ते हुए आश्चर्य व श्रद्धा से भर देती हैं — मेरे ऊपर तारों भरा आकाश और मेरे भीतर का नैतिक नियम। (Two things fill the mind with ever new and increasing admiration and awe... the starry heavens above me and the moral law within me.) ” — इमैनुएल कॉट (Immanuel Kant)

संकल्प की स्वतंत्रता का मूल अर्थ ऊपर दी गई तीन शर्तों में ही छिपा है — विकल्पों की उपलब्धता, कार्य करने की क्षमता और परिस्थितियों का ज्ञान। इनमें से कोई एक भी न हो, तो व्यक्ति पूरी तरह स्वतंत्र निर्णय नहीं ले रहा होता।

4.8 द्वि-प्रभाव का सिद्धांत (Doctrine of Double Effect)

◆ कई कार्यों के सकारात्मक और नकारात्मक — दोनों परिणाम एक साथ होते हैं; इसलिए उन्हें सीधे अच्छा या बुरा कहना कठिन है। मध्यकालीन दार्शनिक थॉमस एक्विनास से जुड़ा यह सिद्धांत बताता है कि ऐसा कार्य किन शर्तों पर उचित माना जा सकता है (नीचे परिभाषा-बॉक्स में)।

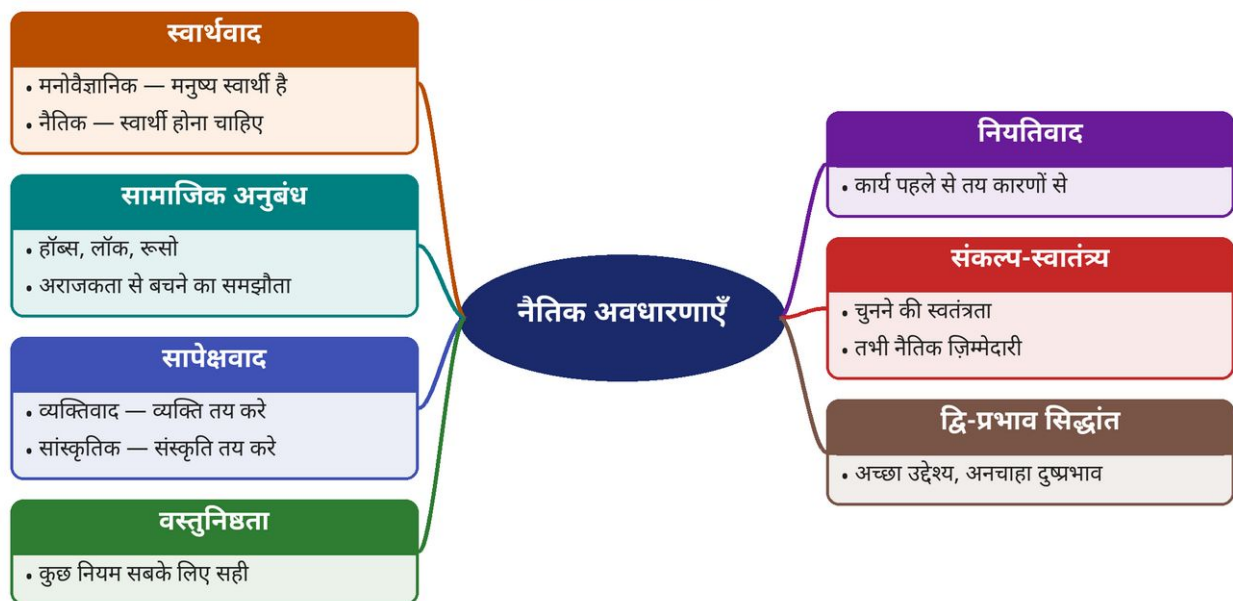
- ◆ उदाहरण: (1) आत्मरक्षा में हमलावर की मृत्यु — इरादा अपनी जान बचाना था, हमलावर की मौत उसका दुष्प्रभाव है। (2) सहवर्ती क्षति (Collateral Damage) — युद्ध में सैन्य ठिकाने पर हमले के दौरान आस-पास के निर्दोष लोगों की मौत। (3) माता बनाम भ्रूण — गर्भावस्था में ऐसी स्थिति, जब माँ की जान बचाने वाले इलाज से भ्रूण की जान चली जाए।

आसान परिभाषा: द्वि-प्रभाव का सिद्धांत (Doctrine of Double Effect)

परिभाषा: जब कोई कार्य अपने आप में अच्छे इरादे से किया जाए, पर उसका एक अनिवार्य/अनपेक्षित बुरा परिणाम भी साथ आए, तो वह कार्य नैतिक रूप से उचित माना जा सकता है — बशर्ते बुरा परिणाम कार्य का साधन न हो, केवल एक दुष्प्रभाव (Side-Effect) हो, और अच्छे परिणाम का महत्व बुरे परिणाम से अधिक हो।

आसान भाषा में: जैसे किसी को बचाने के लिए डॉक्टर ऑपरेशन करे और मरीज़ का एक अंग निकालना पड़े — अंग निकालना 'बुरा' परिणाम है, पर जान बचाना 'अच्छा' परिणाम — डॉक्टर का इरादा अंग निकालना नहीं, बल्कि जान बचाना था। **उदाहरण:** युद्ध में किसी सैन्य ठिकाने पर की गई कार्रवाई का उद्देश्य केवल उस ठिकाने को निष्क्रिय करना हो, पर उसमें आस-पास सहवर्ती क्षति (Collateral Damage) भी हो जाए — नैतिक दार्शनिक इस पर बहस करते हैं कि ऐसी क्षति कब तक उचित मानी जा सकती है।

प्रमुख नैतिक अवधारणाएँ — एक नज़र में



चित्र 1.11: प्रमुख नैतिक अवधारणाएँ — एक नज़र में

4.9 किसी कार्य की नैतिकता के निर्धारक (Determinants of Ethicality of an Action)

जब हम कहते हैं कि "अमुक अधिकारी का निर्णय नैतिक था", तो यह निर्णय किन आधारों पर दिया जाता है? किसी कर्ता (Agent) के कार्य की नैतिकता मुख्य रूप से छह बातों से तय होती है:

निर्धारक	अर्थ	प्रशासनिक उदाहरण
1. सोच-समझकर किया गया कार्य	कार्य ज्ञान, स्वतंत्र इच्छा और स्वेच्छिकता से किया गया हो	दबाव में नहीं, अपने विवेक से फ़ाइल पर हस्ताक्षर
2. उद्देश्य (Purpose / Motive)	कार्य किस इरादे से किया गया — व्यक्तिगत, सामाजिक या संगठनात्मक	तबादला जनहित में या बदले की भावना से?
3. विषय-वस्तु (Object)	कार्य अपने आप में अच्छा, बुरा या तटस्थ है	राशन बाँटना (अच्छा) बनाम राशन की कालाबाज़ारी (बुरा)
4. परिस्थिति (Circumstances)	सामान्य स्थिति थी या आपात स्थिति	बाढ़ में बिना पूरी कागज़ी कार्रवाई के राहत बाँटना
5. परिणाम (Consequence)	कार्य का अंतिम नतीजा — परिणामवाद (Teleology) का आधार	नीति से कितने लोगों को लाभ हुआ?
6. साधन (Means)	लक्ष्य पाने का तरीका कितना उचित था — कर्तव्यवाद (Deontology) का आधार	अपराध रोकने के लिए हिरासत में यातना — साधन अनुचित

वास्तविक जीवन में ये निर्धारक अलग-अलग नहीं, बल्कि साथ-साथ काम करते हैं। इनके आपसी संबंध के तीन रूप होते हैं:

- ◆ **एक साथ उपस्थित होना (Overlap):** किसी योजना को लागू करते समय नियमों का पालन (साधन) और गरीब के प्रति करुणा (उद्देश्य) — दोनों एक साथ चल सकते हैं।
- ◆ **एक ही कार्य, अलग मूल्यांकन (Vary):** भूख से मरते व्यक्ति के लिए रोटी चुराना और किसी अधिकारी द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अनाज चुराना — दोनों "चोरी" हैं, पर उद्देश्य और परिस्थिति के कारण दोनों का नैतिक भार बिल्कुल अलग है।
- ◆ **आपस में टकराव (Contradict):** राजा की जान बचाने (उद्देश्य) के लिए सैनिकों का बलिदान (साधन) — यहाँ एक निर्धारक दूसरे से टकराता है और नैतिक दुविधा पैदा होती है।

किसी कार्य की नैतिकता कैसे तय होती है?



चित्र 1.12: किसी कार्य की नैतिकता कैसे तय होती है?

इन निर्धारकों के पीछे गहरी शक्तियाँ भी काम करती हैं, जिन्हें तीन स्तरों में बाँटा जा सकता है — **व्यक्तिगत** (भीतर का कम्पास), **सामाजिक-सांस्कृतिक** (बाहर का साँचा) और **संस्थागत** (औपचारिक सीमाएँ)।

नैतिक सोच को गढ़ने वाले तीन स्तर



चित्र 1.13: नैतिक सोच को गढ़ने वाले तीन स्तर

आसान परिभाषा: अंतरात्मा का संकट (Crisis of Conscience)

परिभाषा: वह गहरा आंतरिक संघर्ष जो तब पैदा होता है जब व्यक्ति के कार्य या निर्णय उसके अपने गहरे नैतिक सिद्धांतों से टकराने लगते हैं।

आसान भाषा में: मन कहे "यह गलत है", पर हालात या आदेश कहें "यही करो" — इस खिंचाव को अंतरात्मा का संकट कहते हैं।

उदाहरण: चोरी-चौरा की हिंसा (1922) के बाद गांधीजी ने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, जबकि आंदोलन चरम पर था।

5. कानून और नीतिशास्त्र में अंतर (Law vs Ethics)

कानून (Law) सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का वह समूह है जिसे न्यायालयों द्वारा लागू किया जाता है। यह मानव व्यवहार को विनियमित करता है।

कानून (Law)	नीतिशास्त्र (Ethics)
सरकारी संस्थाओं द्वारा निर्मित नियम	समाज या समूह की आचार संहिता
न्यायालयों द्वारा लागू होता है	मुख्यतः अंतरात्मा एवं सामाजिक दबाव से पालन होता है
शांति और व्यवस्था के लिए	सामाजिक मानदंड निर्धारित करती है
उल्लंघन पर दंड का प्रावधान	उल्लंघन पर सामाजिक निंदा

कानून (Law)	नीतिशास्त्र (Ethics)
बाह्य नियंत्रण	आंतरिक नियंत्रण

☀ उदाहरण-1

गांधीजी का सविनय अवज्ञा आंदोलन — ब्रिटिश कानून की दृष्टि से गैर-कानूनी (Illegal) था, किंतु भारतीय समाज की दृष्टि से नैतिक (Ethical) था।

☀ उदाहरण-2

नाज़ी जर्मनी में यहूदियों का उत्पीड़न — हिटलर के कानून की दृष्टि से वैध (Legal) था, किंतु विश्व समाज की दृष्टि से अनैतिक (Unethical) था।

कानून और नैतिकता — चार संभावित स्थितियाँ

कानूनी भी, नैतिक भी समय पर कर चुकाना, गरीब को योजना का लाभ देना	कानूनी, पर अनैतिक नियम की खामी का फायदा उठाकर ठेका अपने रिश्तेदार की फ़र्म को दिलवाना
गैर-कानूनी, पर नैतिक गांधीजी का नमक कानून तोड़ना (सविनय अवज्ञा)	गैर-कानूनी भी, अनैतिक भी रिश्वत, मिलावट, हिरासत में यातना

चित्र 1.14: कानून और नैतिकता — चार संभावित स्थितियाँ

कानून और नीतिशास्त्र सामान्यतः एक-दूसरे के साथ चलते हैं — नीतिशास्त्र कानून को नैतिक आधार देता है, और कानून नीतिशास्त्र के उल्लंघन पर दंड का डर पैदा करता है। पर जब दोनों में टकराव हो, तब किसे प्राथमिकता दी जाए — यह व्यक्ति की भूमिका पर निर्भर करता है:

◆ **लोक सेवक (Civil Servant) के लिए:** कानून का पालन उसका बाध्यकारी कर्तव्य है। कानून के अनुसार चलने से उसे कानूनी सुरक्षा भी मिलती है। यदि कोई कानून अन्यायपूर्ण लगे, तो वह व्यवस्था के भीतर रहकर — जैसे नियम-संशोधन का प्रस्ताव भेजकर, वरिष्ठों को लिखित सुझाव देकर — बदलाव का प्रयास करे। इसे **"संविधान-निर्देशित अंतरात्मा" (Constitutionally Guided Conscience)** कहा जा सकता है।

◆ **समाज-सुधारक या जन-नेता के लिए:** उससे अपेक्षा की जाती है कि वह अन्यायपूर्ण कानूनों, रीतियों और व्यवस्थाओं पर प्रश्न उठाए। गांधीजी ने नमक कानून तोड़ा, अमेरिका में रोज़ा पार्क्स (Rosa Parks) ने 1955 में बस में अलगाव (Segregation) का नियम मानने से इनकार किया, और पोलैंड में लेख वालेसा (Lech Wałęsa) ने मज़दूरों के अधिकारों के लिए "सॉलिडैरिटी" आंदोलन चलाया।

☀ जब नैतिकता कानून बनी — "नेक मददगार" (Good Samaritan) की सुरक्षा

सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करना नैतिक कर्तव्य है, पर पहले लोग पुलिस-पूछताछ और अदालत के चक्करों के डर से मदद करने से कतराते थे। नतीजा — कई घायलों की जान "सुनहरे घंटे" (Golden Hour) में इलाज न मिलने से चली जाती थी।

वर्ष 2016 में सर्वोच्च न्यायालय ने सेवलाइफ़ फ़ाउंडेशन बनाम भारत संघ (SaveLife Foundation v. Union of India) मामले में केंद्र सरकार के "नेक मददगार" दिशानिर्देशों को सभी राज्यों के लिए बाध्यकारी बना दिया। फिर मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 में धारा 134A जोड़ी गई, जिसके अनुसार मदद करने वाले व्यक्ति पर घायल की मृत्यु या चोट के लिए कोई दीवानी या आपराधिक दायित्व नहीं होगा।

यह इस बात का सुंदर उदाहरण है कि कैसे एक नैतिक मूल्य (करुणा, जीवन की रक्षा) धीरे-धीरे कानून में बदल जाता है और कानून फिर उस मूल्य को और मज़बूत करता है।

"जो सही है, उसे करने का समय हमेशा सही होता है।" (The time is always right to do what is right.) — मार्टिन लूथर किंग जूनियर (Martin Luther King Jr.)

📖 कहानी: "सौ रुपये ऊपर" — नियम की रेखा और एक विधवा की आँखें

बाड़मेर ज़िले की एक तहसील। नई-नई उपखंड अधिकारी (SDM) बनी **अनुराधा** (काल्पनिक नाम) जनसुनवाई में बैठी थीं। भीड़ में एक बुजुर्ग विधवा, **गवरी देवी**, काँपते हाथों से अपनी फ़ाइल आगे बढ़ा रही थीं। उनकी विधवा-पेंशन की अर्ज़ी तीन महीने से अटक की थी।

बाबू ने धीरे से बताया — "मैडम, नियम साफ़ है। इनके बेटे की आय सर्वे में आय-सीमा से लगभग सौ रुपये महीना ज़्यादा दर्ज है। पात्रता नहीं बनती। अगर हमने स्वीकृति दी तो ऑडिट-आपत्ति आएगी और ज़िम्मेदारी आपकी होगी।"

अनुराधा ने गवरी देवी से बात की। पता चला कि बेटा पत्थर की खदान में दिहाड़ी मज़दूर है — किसी महीने काम मिलता है, किसी महीने नहीं। पिछली बरसात के चार महीने उसे एक दिन भी काम नहीं मिला था। सर्वे वाले दिन उसने "अच्छे महीने" की कमाई बता दी थी। घर में गवरी देवी की दवाइयों के पैसे तक नहीं थे।

अनुराधा के मन में खिंचाव था। एक आवाज़ कहती — "नियम नियम है, भावनाओं में बहकर ग़लत स्वीकृति देना भी भ्रष्टाचार का ही एक रूप है।" दूसरी आवाज़ कहती — "नियम इसी महिला की मदद के लिए बना है; आँकड़े की एक रेखा उसे भूखा कैसे रख सकती है?"

उन्होंने बीच का, पर नियम के अंदर का रास्ता चुना। पहले उन्होंने बेटे की आय का **दोबारा भौतिक सत्यापन** करवाया, जिसमें पिछले बारह महीनों की वास्तविक औसत आय निकाली गई — वह आय-सीमा से नीचे निकली। सत्यापन-रिपोर्ट के आधार पर पेंशन स्वीकृत हुई और हर कदम फ़ाइल में लिखित दर्ज किया गया। जब तक पहली किस्त नहीं आई, तब तक ज़िला रेड क्रॉस समिति से तत्काल सहायता दिलवाई।

यहीं वे रुकीं नहीं। उन्होंने ज़िला कलेक्टर को एक पत्र लिखा कि दिहाड़ी मज़दूरों की आय "एक दिन के बयान" से नहीं, बल्कि साल भर के औसत से आँकी जानी चाहिए। कुछ महीनों बाद ज़िले में सत्यापन का तरीक़ा बदल दिया गया — और सैकड़ों ऐसी अर्ज़ियाँ, जो "सौ रुपये ऊपर" में फँसी थीं, न्यायपूर्ण ढंग से निपटीं।

🔑 **इस कहानी से सीख:** लोक सेवक के लिए क़ानून सबसे पहले है, पर क़ानून का उद्देश्य (Spirit) भी उतना ही महत्वपूर्ण है। करुणा का अर्थ नियम तोड़ना नहीं, बल्कि नियम के भीतर रहकर सही तथ्य खोजना और ज़रूरत हो तो नियम सुधारने की पहल करना है। अनुराधा ने वैधता (Legality), करुणा (Compassion), पारदर्शिता (हर कदम लिखित) और नीति-सुधार — चारों को साथ साधा।

6. नीतिशास्त्र के परिणाम (Consequences of Ethics)

नीतिशास्त्र की उपस्थिति और अनुपस्थिति — दोनों के गहरे परिणाम होते हैं। इसे पाँच स्तरों पर समझा जा सकता है:

स्तर	उपस्थिति में	अनुपस्थिति में	उदाहरण
व्यक्तिगत	पहचान, आत्म-साक्षात्कार, उच्च लक्ष्य	अत्यधिक स्वार्थ-केंद्रित सुखवाद (Hedonism), आंतरिक असंतोष	सत्येन्द्र दुबे (भ्रष्टाचार उजागर करने वाले इंजीनियर, खंड 11.3) जैसे अधिकारियों का नैतिक साहस (नैतिक) बनाम गंभीर आर्थिक अपराध के आरोपी व्यवसायी (अनैतिक)
सामाजिक	समरसता, सामाजिक पूँजी, समानता	भय, अविश्वास, अपराध, असहिष्णुता	सामाजिक भरोसे में कमी से सहयोग व सामूहिक कल्याण योजनाओं की सफलता प्रभावित होना
संगठनात्मक	व्यावसायिकता, दक्षता, विश्वास, टीमवर्क	भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद	टाटा समूह (अच्छी छवि) बनाम वोक्सवैगन डीज़लगेट — 2015 में प्रदूषण-जाँच में धोखाधड़ी का खुलासा (बुरी छवि)
राष्ट्रीय	धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, कानून का राज	सांप्रदायिकता, अराजकता, संस्थाओं में कमज़ोर जवाबदेही	जिन देशों में संस्थागत नीतिशास्त्र कमज़ोर रहा, वहाँ लोकतांत्रिक स्थिरता को चुनौती मिलने के उदाहरण मिलते हैं
अंतरराष्ट्रीय	सतत विकास, संप्रभुता, मानवीय आधार	आतंकवाद, संसाधनों की असमानता, जलवायु संकट	अंतरराष्ट्रीय आतंकी घटनाएँ (जैसे 9/11) वैश्विक सुरक्षा-सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं

नीतिशास्त्र के परिणामों को तीन मुख्य स्तरों — **व्यक्ति**, **संगठन** और **समाज** — पर भी समझा जाता है। अनैतिक आचरण के नकारात्मक परिणाम भी उतने ही गहरे होते हैं जितने नैतिक आचरण के सकारात्मक परिणाम:

स्तर	नैतिक आचरण के सकारात्मक परिणाम	अनैतिक आचरण के नकारात्मक परिणाम
व्यक्ति	विश्वसनीयता, आत्मविश्वास, मानसिक शांति, सामाजिक पूँजी (लोगों का भरोसा), बेहतर निर्णय-क्षमता, आत्म-साक्षात्कार	आत्म-सम्मान की हानि, पकड़े जाने का लगातार डर, "बँटा हुआ व्यक्तित्व" (कहना कुछ, करना कुछ)
संगठन	अच्छी छवि (Brand), कर्मचारी-नियोक्ता में भरोसा, निवेशकों का विश्वास, प्रतिभाशाली लोगों का आकर्षण, टिकाऊपन	घोटाले, मुक़दमे, साख का पतन, योग्य कर्मचारियों का पलायन

स्तर	नैतिक आचरण के सकारात्मक परिणाम	अनैतिक आचरण के नकारात्मक परिणाम
समाज व शासन	लालच का अभाव, सहयोग, शांति, समानता, न्याय; कानूनों का स्वैच्छिक पालन; योजनाओं में जन-भागीदारी	सामाजिक भरोसे का क्षरण, भ्रष्टाचार का सामान्य हो जाना, गरीबों के अधिकारों का हनन, सरकार की वैधता (Legitimacy) पर प्रश्न

◆ **नैतिकता के और लाभ:** यह सही-गलत के मानक तय करती है, सोचने और परखने की क्षमता बढ़ाती है, नैतिक दुविधाओं (जैसे इच्छामृत्यु) में साफ़ दृष्टि देती है, और जहाँ न कानून कुछ कहता है न सामाजिक रीति — वहाँ **विवेकाधिकार (Discretion)** के सही प्रयोग में मार्गदर्शन करती है।

☀ उदाहरण — भरोसे से बनी समृद्धि: सहकारी दुग्ध आंदोलन

गुजरात के आणंद में शुरू हुआ सहकारी डेयरी आंदोलन (अमूल) और फिर वर्गीज़ कुरियन (Vergheese Kurien) के नेतृत्व में 1970 से चला "ऑपरेशन फ़्लड" इस बात का प्रमाण है कि नैतिक आचरण आर्थिक समृद्धि भी लाता है। लाखों छोटे किसानों को दूध का उचित और पारदर्शी भुगतान मिला, बिचौलियों का शोषण घटा, और भारत दुनिया के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक देशों में शामिल हुआ। इस पूरी व्यवस्था की नींव थी — **भरोसा, पारदर्शिता और सामूहिक भलाई।**

नीतिशास्त्र के परिणाम — तीन स्तर



चित्र 1.15: नीतिशास्त्र के परिणाम — तीन स्तर

7. मानवीय मूल्य (Human Values) — परिभाषा एवं वर्गीकरण

मूल्य (Values) वे मार्गदर्शक सिद्धांत, विचारधाराएँ और विश्वास हैं जिन्हें व्यक्ति अपना मानता है और प्राप्त करना चाहता है। मूल्य व्यक्ति के आचरण को दिशा देते हैं।

💡 **दुर्गुण (Vices):** दुर्गुण वे अवांछनीय आदतें, व्यवहार या प्रवृत्तियाँ हैं जिन्हें समाज में सामान्यतः गलत माना जाता है। जैसे: भ्रष्टाचार, हिंसा, बेईमानी, अहंकार, लालच — इन सबका विस्तृत विश्लेषण आगे खंड 14 में मिलेगा।

7.1 मूल्यों का वर्गीकरण (Classification of Values)

आधार	प्रकार	उदाहरण
उद्देश्य के आधार	साधन मूल्य (Instrumental) — साध्य मूल्य (Intrinsic)	पैसा, स्वास्थ्यवर्धक भोजन/पोषण (साधन, किसी बड़े लक्ष्य के लिए ज़रिया) — प्रेम, स्वतंत्रता, स्वास्थ्य स्वयं (साध्य, जो अपने-आप में मूल्यवान हैं)
श्रेणी के आधार	सार्वभौमिक — सांस्कृतिक — सामाजिक — संगठनात्मक — व्यक्तिगत	स्वतंत्रता, खुशी (सार्वभौमिक) — अनुशासन, दक्षता (संगठनात्मक)
स्रोत के आधार	आंतरिक (Internal) — बाह्य (External)	आध्यात्मिकता, आत्म-सम्मान, विवेक (आंतरिक — अपने भीतर से उपजे) — सामाजिक मान्यता, प्रतिष्ठा (बाह्य — बाहरी परिस्थिति/समाज से जुड़े); ध्यान रहे, सम्मान और प्रेम जैसे मूल्यों में आंतरिक-बाह्य दोनों पक्ष मिश्रित होते हैं
जन्मजात बनाम अर्जित	जन्मजात-प्रवृत्ति (Innate Tendency) — अर्जित (Acquired)	सहानुभूति की एक आंशिक स्वाभाविक प्रवृत्ति मानी जाती है, पर करुणा जैसे मूल्य मुख्यतः परिवार-समाज से विकसित/परिष्कृत होते हैं — टीमवर्क, सहयोग स्पष्टतः अर्जित मूल्य हैं
क्षेत्र के आधार	आर्थिक — पर्यावरणीय — वैज्ञानिक — प्रशासनिक — राजनीतिक — लोकांतरिक	दक्षता — टिकाऊपन — सटीकता — पारदर्शिता — जवाबदेही

आधार	प्रकार	उदाहरण
स्थायित्व के आधार	सार्वभौमिक — प्रासंगिक — गतिशील व विकासशील	सत्य, अहिंसा (सार्वभौमिक) — अतिथि-सत्कार की स्थानीय रीतियाँ (प्रासंगिक, समय-स्थान अनुसार बदलती हैं) — लैंगिक समानता (विकासशील)

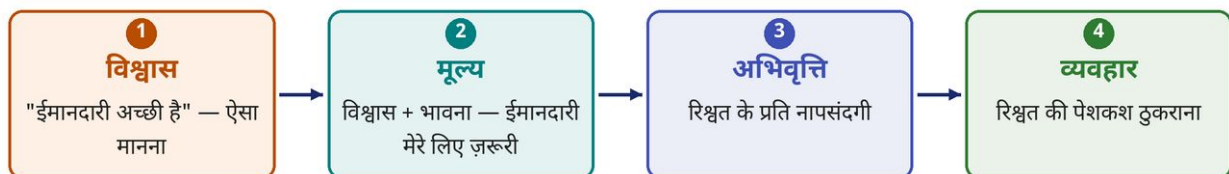
7.2 विश्वास, मूल्य, मानदंड और सिद्धांत — क्या अंतर है?

मूल्यों को ठीक से समझने के लिए उनसे मिलते-जुलते चार शब्दों का अंतर जानना ज़रूरी है:

- ◆ **विश्वास (Belief):** किसी बात को सच मान लेना, चाहे वह सिद्ध हो या न हो। यह हमारी सोच की सबसे छोटी इकाई है। विश्वास कमज़ोर (परिधीय — Peripheral) भी हो सकते हैं और गहरे (केंद्रीय — Core) भी। विश्वास भावना जगाते हैं, पर ज़रूरी नहीं कि कार्य भी करवाएँ।
- ◆ **मूल्य (Value):** जब किसी विश्वास के साथ भावना जुड़ जाती है और वह हमारे लिए "महत्वपूर्ण" बन जाता है, तब वह मूल्य कहलाता है। सरल सूत्र: **मूल्य = विश्वास + भावना**। मूल्य हमें प्रेरित करते हैं।
- ◆ **मानदंड (Norm):** समाज की वे अपेक्षाएँ जो बताती हैं कि किस स्थिति में कैसा व्यवहार स्वीकार्य है। ये व्यक्ति पर बाहर से लागू होते हैं, जबकि विश्वास और मूल्य भीतर होते हैं। मानदंड तोड़ने पर निंदा, बहिष्कार जैसी सामाजिक सज़ा मिलती है। क़ानून असल में मानदंडों का ही लिखित और विकसित रूप है।
- ◆ **सिद्धांत (Principle):** विश्वास, मूल्य और मानदंड व्यक्ति-व्यक्ति व समाज-समाज में बदल सकते हैं, पर सिद्धांत सार्वभौमिक सत्य होते हैं — जैसे निष्पक्षता, सत्यता, समानता, न्याय।

आधार	मूल्य (Values)	नीतिशास्त्र (Ethics)
मूल प्रश्न	क्या महत्वपूर्ण है? मुझे क्या पाना है?	क्या सही है? सही कार्य कौन-सा है?
प्रकृति	व्यक्तिपरक — व्यक्ति-व्यक्ति में अलग	अपेक्षाकृत सार्वभौमिक
भूमिका	प्रेरित करते हैं (Motivate)	सीमा तय करता है (Constrain)
स्वरूप	वर्णनात्मक — बताते हैं कि हमें क्या प्रिय है	निर्देशात्मक — बताता है कि कैसे व्यवहार करना चाहिए

विश्वास से व्यवहार तक — मूल्य कैसे काम करते हैं



चित्र 1.16: विश्वास से व्यवहार तक — मूल्य कैसे काम करते हैं

आसान परिभाषा: मूल्य (Value)

परिभाषा: किसी व्यक्ति या समाज के वे गहरे और स्थायी विश्वास जो यह तय करते हैं कि क्या अच्छा, वांछनीय और महत्वपूर्ण है; ये आचरण के मार्गदर्शक मानक हैं।

आसान भाषा में: जिस बात को आप दिल से ज़रूरी मानते हैं और उसके लिए कुछ छोड़ने को भी तैयार हैं — वही आपका मूल्य है।

उदाहरण: कोई छात्र नकल का मौक़ा होते हुए भी नकल न करे और कम अंक स्वीकार कर ले — उसके लिए ईमानदारी एक मूल्य है।

आसान परिभाषा: मानदंड (Norm)

परिभाषा: किसी समूह या समाज की सामूहिक अपेक्षाएँ जो व्यवहार के स्वीकार्य तरीक़े तय करती हैं और उल्लंघन पर सामाजिक दबाव या दंड लाती हैं।

आसान भाषा में: समाज के "अलिखित नियम" — जिन्हें तोड़ने पर लोग टोकते, ताने देते या दूरी बना लेते हैं। उदाहरण: शादी-समारोह में बड़ों के पैर छूना एक मानदंड है; न छूने पर कोई क़ानूनी सज़ा नहीं, पर रिश्तेदार टोक देते हैं।

7.3 मूल्यों की विशेषताएँ और कुछ और वर्गीकरण

- ◆ मूल्य हमारे चरित्र और आचरण की नींव हैं — इन्हें व्यक्तित्व का "केंद्र" कहा जाता है।
- ◆ मूल्य जन्म से तैयार नहीं मिलते; परिवार, समाज और अनुभव से सीखे जाते हैं।
- ◆ मूल्य किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति तक सीमित नहीं होते, जबकि अभिवृत्ति (Attitude) किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थिति के प्रति होती है। जैसे — "न्याय" एक मूल्य है जो हर जगह लागू होता है; "महिलाओं के प्रति न्यायपूर्ण दृष्टि" एक अभिवृत्ति है।

◆ मूल्य अपेक्षाकृत **स्थायी** होते हैं, पर जीवन की कोई बड़ी घटना उन्हें बदल सकती है — जैसे कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक, या डाकू से संत बने अंगुलिमाल और वाल्मीकि की कथाएँ।

वर्गीकरण	प्रकार	उदाहरण
मिल्टन रोकैच (Milton Rokeach, अमेरिकी सामाजिक मनोवैज्ञानिक) के अनुसार	साध्य मूल्य (Terminal) — जीवन के अंतिम लक्ष्य साधन मूल्य (Instrumental) — उन लक्ष्यों तक पहुँचने के व्यवहार	साध्य: सुख, आत्म-सम्मान, स्वतंत्रता, पारिवारिक सुरक्षा साधन: साहस, संयम, परिश्रम, धैर्य
आंतरिक/बाह्य	आंतरिक (Intrinsic) — अपने आप में मूल्यवान बाह्य (Extrinsic) — किसी और लक्ष्य का साधन	ईमानदारी, शांति (आंतरिक) धन (बाह्य)
संस्थागत/व्यक्तिगत	संस्थाएँ जिन मूल्यों को फैलाती हैं व्यक्ति के अपने मूल्य	लोकतंत्र — स्वतंत्रता; विवाह — निष्ठा आत्म-सम्मान
व्यक्तिगत/सामाजिक	अपनी भलाई के लिए दूसरों की भलाई के लिए	आरामदायक जीवन समानता, सामाजिक न्याय, विश्व-शांति
नैतिक दृष्टि से	नैतिक अनैतिक नीति-निरपेक्ष (Amoral)	ईमानदारी लालच सुंदरता, शारीरिक फिटनेस

7.4 सार्वभौमिक मानवीय मूल्य (Universal Human Values)

कुछ मूल्य ऐसे हैं जो हर संस्कृति, धर्म और युग में सम्मानित रहे हैं। इन्हें **सार्वभौमिक मूल्य** कहते हैं, क्योंकि ये जाति, धर्म, क्षेत्र और वर्ग की सीमाओं को पार करते हैं। 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई **मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (UDHR)** इन्हीं मूल्यों का अंतरराष्ट्रीय रूप है। पाँच प्रमुख सार्वभौमिक मूल्य हैं:

- ◆ **सत्य (Truth):** सत्य किसी की इच्छा पर निर्भर नहीं करता। कोई भी "झूठ" कहलाना पसंद नहीं करता — यही दिखाता है कि सत्य मनुष्य के मन में गहराई से बसा मूल्य है। एक झूठ को छिपाने के लिए दस और झूठ बोलने पड़ते हैं, जबकि सत्य अपने आप टिका रहता है।
- ◆ **प्रेम और देखभाल (Love-Caring):** यहाँ प्रेम का अर्थ व्यापक है — दूसरों और पर्यावरण की निःस्वार्थ चिंता। परोपकार, समझ और क्षमा इसी के रूप हैं।
- ◆ **शांति (Peace):** शांति का अर्थ है व्यक्ति के मन में संतुलन और समाज में सद्भाव। सत्य, प्रेम और न्याय के बिना शांति टिक नहीं सकती।
- ◆ **उत्तरदायित्व (Responsibility):** अपना कर्तव्य निभाना और किसी जीव या पर्यावरण को अनावश्यक हानि न पहुँचाना — यह अहिंसा और धर्म की भारतीय अवधारणा से जुड़ा है।
- ◆ **न्याय (Justice):** न्याय का अर्थ है हर व्यक्ति के साथ निष्पक्ष व्यवहार और क़ानून के सामने सबकी समानता। सुकरात और प्लेटो ने इसे सर्वोच्च मूल्य माना; आधुनिक मानवाधिकारों की धारणा इसी से निकली।

पाँच सार्वभौमिक मानवीय मूल्य

सार्वभौमिक मूल्य

सत्य इच्छा से स्वतंत्र	प्रेम-देखभाल निःस्वार्थ चिंता	शांति मन व समाज में सद्भाव	उत्तरदायित्व कर्तव्य, अहिंसा	न्याय निष्पक्षता, समानता
----------------------------------	---	--------------------------------------	--	------------------------------------

चित्र 1.17: पाँच सार्वभौमिक मानवीय मूल्य

“ प्रेम का विपरीत घृणा नहीं, उदासीनता है। (The opposite of love is not hate, it's indifference.) ” — एली वीज़ल (Elie Wiesel), नोबेल शांति पुरस्कार विजेता

7.5 प्रशासनिक मूल्य — द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग एवं नोलन समिति (Nolan Committee)

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुशंसित मूल्य (DIPAO)	नोलन समिति (Nolan Committee) के मूल्य (IASHOOL)
◆ D — समर्पण (Dedication)	◆ I — सत्यनिष्ठा (Integrity) — पद का दुरुपयोग स्वयं/परिवार के लाभ हेतु न करना
◆ I — निष्पक्षता (Impartiality)	◆ A — जवाबदेही (Accountability) — निर्णयों के लिए जनता के प्रति जवाबदेह
◆ P — राजनीतिक तटस्थता (Political Neutrality)	◆ S — निस्वार्थता (Selflessness) — सदैव जन-हित में कार्य
◆ A — अनाम-कार्य (Anonymity)	◆ H — ईमानदारी (Honesty)
◆ O — क़ानून के शासन के प्रति दायित्व (Obligation — Rule of)	◆ O — खुलापन (Openness) O — वस्तुनिष्ठता

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुशंसित मूल्य (DIPAO)	नोलन समिति (Nolan Committee) के मूल्य (IASHOOL)
Law)	(Objectivity) L — नेतृत्व (Leadership)

“ यदि आपके पास एक अच्छी अखिल भारतीय सेवा नहीं होगी, जिसे अपने मन की बात खुलकर कहने की स्वतंत्रता हो, तो आपके पास एकजुट भारत नहीं होगा। (You will not have a united India if you do not have a good All-India Service which has the independence to speak out its mind.) ” — सरदार वल्लभभाई पटेल, संविधान सभा, 10 अक्टूबर 1949

लोक सेवा के मूल्य — द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग बनाम नोलन समिति

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग	और	नोलन समिति, ब्रिटेन (1995)
समर्पण (Dedication)	1	निःस्वार्थता (Selflessness)
निष्पक्षता (Impartiality)	2	सत्यनिष्ठा (Integrity)
राजनीतिक तटस्थता	3	वस्तुनिष्ठता (Objectivity)
अनाम-कार्य (Anonymity)	4	जवाबदेही (Accountability)
क्रानून का शासन	5	खुलापन (Openness)
—	6	ईमानदारी (Honesty)
—	7	नेतृत्व (Leadership)

चित्र 1.18: लोक सेवा के मूल्य — द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग बनाम नोलन समिति

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग भारत सरकार ने 2005 में वीरप्पा मोडली की अध्यक्षता में बनाया था, जिसकी चौथी रिपोर्ट 'शासन में नैतिकता' (Ethics in Governance) सिविल सेवा के मूल्यों पर है। नोलन समिति ब्रिटेन में 1994 में लॉर्ड नोलन की अध्यक्षता में 'सार्वजनिक जीवन में आचरण के मानक' तय करने के लिए बनी थी और 1995 की अपनी पहली रिपोर्ट में इसने सार्वजनिक जीवन के सात सिद्धांत दिए। DIPAO और IASHOOL इन मूल्यों के अंग्रेजी नामों के पहले अक्षरों से बने याद रखने के सूत्र हैं। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के मूल्य (DIPAO) और नोलन समिति के सिद्धांत (IASHOOL) एक-दूसरे के पूरक हैं। भारतीय संदर्भ में सिविल सेवा के प्रमुख मूल्यों को दोनों को साथ जोड़कर ही पूरी तरह समझा जा सकता है — पहला भारतीय प्रशासन की ज़रूरतों से निकला है, दूसरा सार्वजनिक जीवन के सार्वभौमिक सिद्धांत देता है।

🔦 राजस्थान विशेष: राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 (Rajasthan Civil Services (Conduct) Rules 1971) प्रदेश के सिविल सेवकों के लिए आचार संहिता निर्धारित करते हैं। इन नियमों के अनुसार हर सरकारी कर्मचारी से अपेक्षा की जाती है कि वह हर समय पूर्ण सत्यनिष्ठा और कर्तव्य-परायणता बनाए रखे, सरकारी सूचना को बिना अधिकार किसी को न बताए (गोपनीयता) और ऐसा कोई काम न करे जो एक सरकारी सेवक के लिए अशोभनीय हो। राजस्थान में तैनात IAS, IPS जैसे अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों पर इसी तरह अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम 1968 (All India Services (Conduct) Rules 1968) लागू होते हैं।

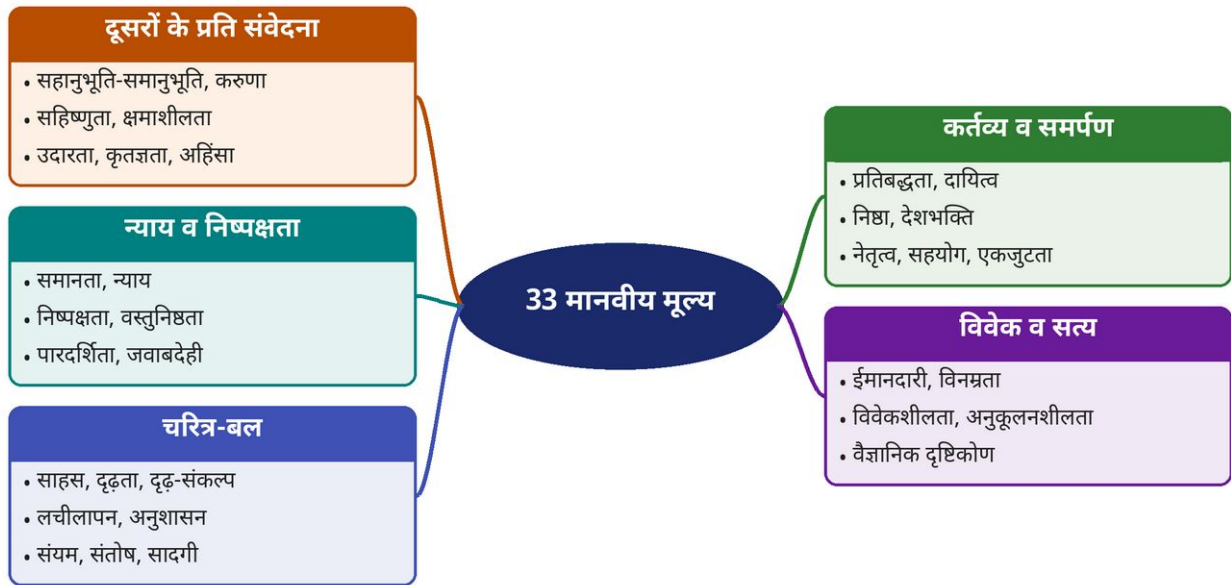
🌟 ताज़ा संदर्भ — मिशन कर्मयोगी

मिशन कर्मयोगी (iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म) के अंतर्गत केंद्र सरकार के सिविल सेवकों के लिए क्षमता-निर्माण व ऑनलाइन प्रशिक्षण को व्यापक रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें नोलन सिद्धांत (Nolan Principles) और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा सुझाए गए मूल्यों को व्यावहारिक प्रशिक्षण मॉड्यूल के ज़रिए सिखाया जाता है — यानी ये सिद्धांत अब सिर्फ किताबी नहीं, आधुनिक प्रशासनिक प्रशिक्षण का भी हिस्सा बनते जा रहे हैं।

8. प्रमुख मानवीय मूल्य — विस्तृत विश्लेषण (असली कहानियों सहित)

नीचे 33 मानवीय मूल्यों को उनके मूल अर्थ, आसान भाषा में समझ, और असली-जीवन की कहानियों सहित समझिए। हर मूल्य के साथ ऐसा उदाहरण दिया गया है जो सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि पूरी घटना बताता है — ताकि शब्द रटा हुआ न लगे, बल्कि दिल से समझ आए।

33 प्रमुख मानवीय मूल्य — पाँच समूहों में



चित्र 1.19: 33 प्रमुख मानवीय मूल्य — पाँच समूहों में

(1) समानुभूति / परानुभूति (Empathy)

◆ **मूल परिभाषा:** दूसरों की भावनाओं को समझने और उसके अनुसार व्यवहार करने की क्षमता।

💡 **आसान भाषा में:** जैसे आपका दोस्त परीक्षा में फेल हो जाए और आप उसकी उदासी को वैसे ही महसूस करें जैसे वह आपकी अपनी हो, और उसे सांत्वना दें — यही समानुभूति है।

► IAS अधिकारी पी. नरहरि ने मध्य प्रदेश में दिव्यांगजनों की तकलीफ को इतनी गहराई से महसूस किया कि उन्होंने खुद 200 लोगों को ट्रेनिंग देकर हर सरकारी भवन में रैंप-रेलिंग जैवचाप (पूरी कहानी खंड 3.2 में)।

► केरल के कलेक्टर प्रशांत नायर ने कोझीकोड में चुपचाप भूखे रह जाने वाले लोगों का दर्द समझा और 'ऑपरेशन सुलेमानी' के ज़रिए बिना शर्मादगी के मुफ्त खाना दिलाया।

🏠 **रोज़मर्रा में सोचिए:** कोविड-19 की दूसरी लहर (2021) में देशभर के कई ज़िला कलेक्टर खुद ऑक्सीजन-बेड ढूँढ रहे परिवारों के घर जाकर उनसे सीधे मिले और मदद की — यह दिखाता है कि प्रशासन में समानुभूति सिर्फ किताबी शब्द नहीं है।

(2) समानता (Equality)

◆ **मूल परिभाषा:** समान स्थिति वाले सभी लोगों को बिना भेदभाव के समान अवसर, अधिकार और दर्जा देना।

💡 **आसान भाषा में:** जैसे किसी क्लास में टीचर सभी बच्चों को एक जैसी किताब और एक जैसा मौका दें, चाहे बच्चा अमीर घर से हो या गरीब घर से — यही समानता है।

► 1917 की रूसी क्रांति (Russian Revolution) — जिसमें ज़ार के निरंकुश शासन और ज़मींदारों-पूँजीपतियों के शोषण के विरुद्ध मज़दूर और किसान उठ खड़े हुए — असमानता के विरुद्ध सबसे बड़े ऐतिहासिक विद्रोहों में से एक थी — इसने दिखाया कि जब समानता छिन जाती है तो समाज में गहरा असंतोष जन्म लेता है।

► भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी समता (Equality) को मौलिक मूल्य के रूप में शामिल किया गया है।

► फ्रांसीसी दार्शनिक ज्यॉं ज़ाक रूसो (Jean Jacques Rousseau) ने कहा था — "बिना समानता के स्वतंत्रता नहीं टिक सकती।"

(3) जवाबदेही (Accountability)

◆ **मूल परिभाषा:** अपने कार्यों के अंतिम परिणामों के लिए उत्तर देने की भावना।

💡 **आसान भाषा में:** जैसे अगर आपकी गलती से टीम कोई खेल हार जाए, तो बहाना बनाने की बजाय आप खुद कहें — "हाँ, गलती मेरी थी, मैं सुधार करूँगा" — यही जवाबदेही है।

► रेलमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने 1956 में तमिलनाडु के अरियालूर में हुए एक बड़े रेल हादसे के बाद, अपनी सीधी गलती न होने पर भी, नैतिक ज़िम्मेदारी लेते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया — यह जवाबदेही की सबसे मशहूर मिसाल मानी जाती है।

► इसरो (ISRO) के तत्कालीन अध्यक्ष सतीश धवन ने 1979 में SLV-3 रॉकेट की पहली लॉन्च विफल होने पर पूरी ज़िम्मेदारी खुद ली, जबकि परियोजना का नेतृत्व डॉ. कलाम की टीम कर रही थी — अगले साल सफलता मिलने पर धवन ने श्रेय उस टीम के प्रमुख डॉ. कलाम को दे दिया।

(4) अनुकूलनशीलता (Adaptability)

◆ **मूल परिभाषा:** नई परिस्थितियों में स्वयं को ढालने की क्षमता — किंतु अपने मूल मूल्यों से समझौता किए बिना।

💡 **आसान भाषा में:** जैसे नए स्कूल में जाने पर भी आप जल्दी नए दोस्त बना लें और नए माहौल में घुल-मिल जाएँ, बिना अपनी अच्छी आदतें छोड़े — यही अनुकूलनशीलता है।

► किरण बेदी ने ट्रैफिक पुलिस, तिहाड़ जेल की सुधारक भूमिका और पुदुचेरी की उप-राज्यपाल — हर बिल्कुल अलग भूमिका में खुद को ढालते हुए उत्कृष्ट काम किया।

► ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने ISRO में SLV-3 परियोजना निदेशक, DRDO प्रमुख, प्रोफेसर और राष्ट्रपति — हर पद पर खुद को ढालकर बराबर न्याय किया।

🏠 **रोज़मर्रा में सोचिए:** विकासवाद के सिद्धांत का सार अक्सर इस रूप में कहा जाता है — "सबसे मज़बूत नहीं, सबसे बुद्धिमान नहीं — सबसे अनुकूलनशील ही जीवित रहता है" (यह पंक्ति सीधे डार्विन के मूल लेखन में नहीं मिलती, पर उनके विचार का लोकप्रिय सार मानी जाती है)।

(5) संयम (Temperance)

◆ **मूल परिभाषा:** विचारों, भावनाओं और कार्यों में मध्यमार्ग अपनाना — न अतिशयता, न अभाव।

💡 **आसान भाषा में:** जैसे आपको चॉकलेट बहुत पसंद है, पर आप एक-दो टुकड़े खाकर रुक जाते हैं, लालच में पूरा डिब्बा नहीं खा जाते — यही संयम है।

► उत्तर प्रदेश (बांदा) की गुलाबी गैंग (Gulabi Gang) ने पतियों द्वारा शराब के दुरुपयोग के खिलाफ संघर्ष किया, ताकि परिवारों में संयम और अनुशासन लौट सके।

► संविधान के अनुच्छेद 47 (DPSP) में राज्य को नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया है — यह संयम को नीति स्तर पर बढ़ावा देने का प्रयास है।

(6) दृढ़ता (Tenacity)

◆ **मूल परिभाषा:** प्रतिकूल परिस्थितियों में भी निरंतर अपने कर्तव्य पर टिके रहना।

💡 **आसान भाषा में:** जैसे साइकिल चलाना सीखते समय बार-बार गिरने के बावजूद आप रोज़ फिर कोशिश करते रहें, अभ्यास न छोड़ें — यही दृढ़ता है।

► IAS अधिकारी अरति डोगरा (Arti Dogra) — जो जन्म से केवल साढ़े तीन फुट लंबी हैं और जिन्हें डॉक्टरों ने कभी स्कूल जाने लायक तक नहीं बताया था — ने बिना रुके पढ़ाई जारी रखी और पहले ही प्रयास में अखिल भारतीय रैंक 56 के साथ IAS बनीं। वे राजस्थान में बीकानेर और अजमेर जैसे ज़िलों की कलेक्टर रह चुकी हैं।

► आपदा या संकट के दौरान तैनात कई प्रशासनिक अधिकारी लगातार कई-कई घंटों तक चुनौतीपूर्ण हालात में डटकर काम करते हैं, बिना अपना पद छोड़े — यही दृढ़ता प्रशासन में सबसे ज़्यादा परखी जाती है।

(7) सहिष्णुता (Tolerance)

◆ **मूल परिभाषा:** अपने से भिन्न विचारों, आस्थाओं और व्यवहारों को स्वीकार करने की इच्छा।

💡 **आसान भाषा में:** जैसे आपका दोस्त किसी और धर्म को मानता है या अलग तरह का खाना पसंद करता है, फिर भी आप उससे उतनी ही सच्ची दोस्ती निभाते हैं — यही सहिष्णुता है।

► हेलेन केलर, जो खुद देख-सुन नहीं सकती थीं, फिर भी उन्होंने कहा — "शिक्षा का सर्वोच्च परिणाम सहिष्णुता है।"

► "मैं आपसे असहमत हो सकता हूँ, किंतु आपके कहने के अधिकार के लिए प्राण देने को तैयार हूँ" — यह कथन वॉल्टेयर (Voltaire) के विचारों के सार के रूप में उन्हीं से जोड़कर लोकप्रिय हुआ, हालाँकि यह वाक्य वास्तव में उनकी जीवनी-लेखिका एवेलिन बीट्रिस हॉल (Evelyn Beatrice Hall) ने लिखा था।

(8) पारदर्शिता (Transparency)

◆ **मूल परिभाषा:** कार्य में खुलापन रखना — ताकि संबंधित हितधारक आवश्यकतानुसार कार्य की जाँच कर सकें।

💡 **आसान भाषा में:** जैसे किसी सोसाइटी का खज़ांची हर खर्च की रसीद सबको दिखाए, कुछ न छुपाए — यही पारदर्शिता है।

► सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (RTI Act) नागरिकों को सरकारी फ़ाइलें माँगने का हक़ देता है, जिससे सरकारी कामकाज में पारदर्शिता आई है।

► पूर्व IAS अधिकारी और मज़दूर किसान शक्ति संगठन (MKSS) की संस्थापक अरुणा रॉय ने राजस्थान के गाँवों में मज़दूरी और खर्च के हिसाब को सार्वजनिक 'सामाजिक अंकेक्षण' (Social Audit) के ज़रिए सबके सामने रखवाने के लिए वर्षों संघर्ष किया, जिसका नतीजा RTI कानून के रूप में सामने आया।

(9) वस्तुनिष्ठता (Objectivity)

◆ **मूल परिभाषा:** निर्णय लेते समय व्यक्तिगत भावनाओं, पूर्वाग्रहों या रिश्तों से प्रभावित हुए बिना, केवल तथ्यों और योग्यता के आधार पर फैसला करना।

💡 **आसान भाषा में:** जैसे कोई टीचर परीक्षा की कॉपी जाँचते समय यह न देखे कि यह किस बच्चे की है — सिर्फ लिखे गए जवाब के आधार पर नंबर दे — यही वस्तुनिष्ठता है।

► अमेरिकी दार्शनिक जॉन रॉल्स (John Rawls), जिनकी पुस्तक 'ए थ्योरी ऑफ़ जस्टिस' (1971) न्याय पर सबसे प्रभावशाली आधुनिक ग्रंथ मानी जाती है, का "अज्ञानता का पर्दा" (Veil of Ignorance) सिद्धांत कहता है — अगर कोई नियम बनाने वाला यह न जानता हो कि नियम लागू होने पर वह खुद अमीर होगा या गरीब, तो वह सबसे निष्पक्ष नियम बनाएगा।

► लोक सेवा आयोगों में साक्षात्कार बोर्ड कई सदस्यों से मिलकर बनता है, ताकि एक व्यक्ति के निजी पूर्वाग्रह से पूरा फैसला प्रभावित न हो।

(10) निष्पक्षता (Impartiality)

◆ **मूल परिभाषा:** किसी के प्रति व्यक्तिगत पक्षपात न रखते हुए, हर व्यक्ति के साथ बराबरी का व्यवहार करना।

💡 **आसान भाषा में:** जैसे कोई अंपायर दोनों टीमों पर एक जैसा नियम लागू करे, चाहे उसका अपना बेटा ही किसी एक टीम में क्यों न खेल रहा हो — यही निष्पक्षता है।

► राजस्व अधिकारी ज़मीन के विवाद में बिना किसी पक्ष का लिहाज़ किए, सिर्फ़ दस्तावेज़ों के आधार पर फैसला दे — यही प्रशासनिक निष्पक्षता है।

(11) क्षमाशीलता (Forgiveness)

◆ **मूल परिभाषा:** दूसरों की गलती को माफ़ करने और बदले की भावना से ऊपर उठने की क्षमता।

💡 **आसान भाषा में:** जैसे किसी दोस्त ने गलती से आपकी प्रिय किताब फाड़ दी और सच्चे मन से माफ़ी मांगी, तो आप गुस्सा छोड़कर उसे माफ़ कर दें, रिश्ता न तोड़ें — यही क्षमाशीलता है।

► महात्मा गांधी से जोड़ी जाने वाली प्रसिद्ध उक्ति है — "आँख के बदले आँख लेने की नीति पूरी दुनिया को अंधा बना देगी।" (An eye for an eye only ends up making the whole world blind) — यानी बदले की भावना छोड़कर क्षमा अपनाना ही असली शक्ति है।

► अक्सर चीनी दार्शनिक कन्फ़्यूशियस से जोड़ी जाने वाली एक प्रचलित उक्ति है — जो व्यक्ति बदला लेने की यात्रा पर निकलता है, उसे पहले दो कब्रें खोदनी चाहिए — एक अपने दुश्मन के लिए, एक खुद के लिए (क्योंकि बदला खुद को भी नष्ट कर देता है)।

(12) साहस (Courage)

◆ **मूल परिभाषा:** डर के बावजूद सही कदम उठाने की तुरंत हिम्मत।

💡 **आसान भाषा में:** जैसे अंधेरे कमरे में जाने से डर लगता है, फिर भी आप हिम्मत करके चले जाते हैं — डर खत्म नहीं होता, पर आप उस पर विजय पा लेते हैं — यही साहस है।

► IPS मृदुल कछावा ने राजस्थान के चंबल के बीहड़ों में करीब एक साल के कार्यकाल में कई खूँखार डकैतों को पकड़ा (अलग-अलग रिपोर्टों में यह संख्या भिन्न-भिन्न बताई गई है), जबकि यह इलाक़ा दशकों से पुलिस के लिए सबसे खतरनाक माना जाता रहा है।

► पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा, जिनका एक पैर ट्रेन दुर्घटना में कट गया था, कृत्रिम पैर के सहारे विश्व की पहली दिव्यांग महिला बनीं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया।

► गांधीजी ने बिना किसी हथियार के, सिर्फ़ नमक की एक चुटकी के प्रतीकात्मक विरोध (दांडी मार्च) से विशाल ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया।

(13) विवेकशीलता (Prudence)

◆ **मूल परिभाषा:** ज्ञान का व्यावहारिक उपयोग करना — सीमित संसाधनों का अधिकतम व समझदारीपूर्ण उपयोग।

💡 **आसान भाषा में:** जैसे आपके पास सीमित पॉकेट-मनी है और आप सोच-समझकर खर्च करते हैं ताकि ज़रूरी चीज़ के लिए पैसा बचा रहे — यही विवेकशीलता है।

► 1965 के युद्ध में असल उत्तर (Battle of Asal Uttar) में भारतीय सेना ने गन्ने के खेतों में पानी भरकर पाकिस्तानी टैंकों को फँसाया — यह सीमित संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की मिसाल है।

► सीमित बजट और संसाधनों में काम करने वाला कोई प्रशासनिक अधिकारी प्राथमिकता तय करके पहले सबसे ज़रूरी योजनाओं पर खर्च करता है, बाकी को चरणबद्ध तरीके से पूरा करता है — यही प्रशासनिक विवेकशीलता है।

(14) दृढ़-संकल्प (Perseverance)

◆ **मूल परिभाषा:** बार-बार असफल होने पर भी लक्ष्य की ओर डटे रहना और कोशिश जारी रखना।

💡 **आसान भाषा में:** जैसे गणित का कोई सवाल बार-बार गलत होने पर भी आप हार न मानकर तब तक कोशिश करते रहें जब तक वह सही न हो जाए — यही दृढ़-संकल्प है।

► एक प्रसिद्ध कथन है — "महानतम गौरव कभी न गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठने में है।" (इस कथन को अक्सर नेल्सन मंडेला के नाम से भी उद्धृत किया जाता है, हालाँकि इसका मूल स्रोत निश्चित रूप से प्रमाणित नहीं है — भाव इतना सशक्त है कि यह हर दृढ़-संकल्पी व्यक्ति पर लागू होता है)।

► इसरो के चंद्रयान-3 मिशन ने चंद्रयान-2 की असफलता (2019) के बाद भी हार नहीं मानी और 23 अगस्त 2023 को चाँद के दक्षिणी ध्रुव के निकट सफल सॉफ्ट-लैंडिंग कर दिखाई — यह दृढ़-संकल्प का ताज़ा और गौरवशाली उदाहरण है।

(15) प्रतिबद्धता (Commitment)

◆ **मूल परिभाषा:** किसी कार्य या उद्देश्य के प्रति समर्पण — बिना किसी बाहरी प्रेरणा के, अपने-आप निभाया गया वादा।

💡 **आसान भाषा में:** जैसे आपने दोस्त से वादा किया कि रोज़ शाम साथ पढ़ाई करेंगे, और कोई टोके बिना भी आप रोज़ वह वादा निभाते हैं — यही प्रतिबद्धता है।

► कई ग्रामीण जनसुनवाई कार्यकर्ता व स्वयंसेवक शिकायतें सुनने के लिए नियमित रूप से घंटों पैदल चढ़कर दूरदराज़ बस्तियों तक जाते हैं, बिना किसी को दिखाए — यही निरंतर, बिना-प्रचार निभाई गई प्रतिबद्धता है।

► 'हॉकी वाली सरपंच' नीरू यादव ने झुंझुनू के लांबी-अहीर गाँव में लगातार दो साल अपनी खुद की तनखाह लगाकर लड़कियों के लिए हॉकी मैदान, किट और कोच का इंतज़ाम किया — उनकी टीम राज्य के ग्रामीण ओलंपिक तक पहुँची, और उनकी पहल से 10 से ज़्यादा लड़कियों को नौकरी भी मिली।

(16) करुणा (Compassion)

◆ **मूल परिभाषा:** दूसरे के कष्ट को गहराई से महसूस करना और उसे दूर करने के लिए कदम उठाने की प्रेरणा — यानी समझना (Empathy) + मदद करना (Kindness), दोनों।

💡 **आसान भाषा में:** जैसे रास्ते में किसी घायल जानवर को देखकर आपका मन दुखी हो और आप रुककर उसकी मदद करने की कोशिश करें, सिर्फ आगे बढ़कर न निकल जाएँ — यही करुणा है।

► डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी (IAS) ने 'चरण पादुका अभियान' और 'रक्तकोष फाउंडेशन' के ज़रिए ज़रूरतमंदों तक जूते-चप्पल और खून पहुँचाने का काम किया।

► मदर टेरेसा ने कहा था — "दूसरों के लिए जिया गया जीवन ही वास्तविक जीवन है।"

🏠 **रोज़मर्रा में सोचिए:** बाल-अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी ने बचपन बचाओ आंदोलन के ज़रिए हज़ारों बाल-मज़दूरों को मुक्त कराया — 2014 में उन्हें इसी काम के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिला — करुणा को जीवन का मिशन बनाने का आधुनिक उदाहरण।

(17) संतोष (Contentment)

◆ **मूल परिभाषा:** मानसिक एवं भावनात्मक संतुष्टि — लालच और ईर्ष्या से मुक्ति।

💡 **आसान भाषा में:** जैसे आपके पास पुराना फोन है और दोस्त के पास नया, फिर भी आप जो आपके पास है उसी में खुश रहें, जलन महसूस न करें — यही संतोष है।

► पूर्व राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के बारे में व्यापक रूप से कहा जाता है कि वे राष्ट्रपति भवन में बहुत सीमित निजी सामान लेकर आए और उतने ही सादे सामान के साथ वापस चले गए — उनकी सादगी की यह छवि उनके सार्वजनिक जीवन से मेल खाती है।

► त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री माणिक सरकार का बैंक बैलेंस उनके एक चुनावी शपथपत्र में बेहद कम दर्ज किया गया था (सटीक राशि वर्ष के अनुसार शपथपत्रों में अलग-अलग मिलती है) — इतने बड़े पद पर रहते हुए भी संतोषी जीवन की मिसाल।

(18) सहयोग (Cooperation)

◆ **मूल परिभाषा:** किसी साझा लक्ष्य के लिए दूसरों के साथ मिल-जुलकर काम करना। इसका आधार है "एकता में बल है" — यानी टीम-भावना (Team Effort) से किया गया काम अकेले के प्रयास से अधिक कारगर होता है।

💡 **आसान भाषा में:** जैसे स्कूल के प्रोजेक्ट में हर बच्चा अपना-अपना हिस्सा करे ताकि पूरा प्रोजेक्ट जल्दी और अच्छा बने, अकेले एक ही बच्चा सब कुछ न करे — यही सहयोग है।

► डॉ. वर्गीज़ कुरियन ने गुजरात के हज़ारों छोटे किसानों को सहकारी समितियों में जोड़कर अमूल (Amul) जैसा विशाल दुग्ध-सहकारिता संगठन खड़ा किया।

► इसरो (ISRO) का चंद्रयान/मंगलयान मिशन सैकड़ों वैज्ञानिकों के वर्षों के सामूहिक सहयोग का नतीजा है।

► बास्केटबॉल खिलाड़ी माइकल जॉर्डन ने कहा था — "अकेली प्रतिभा मैच जिता सकती है, पर टीम-भावना ही चैंपियनशिप जिताती है।"

(19) अनुशासन (Discipline)

◆ **मूल परिभाषा:** किसी शासन-प्रणाली या नियम-व्यवस्था के अनुसार कार्य करना।

💡 **आसान भाषा में:** जैसे रोज़ सुबह तय समय पर उठकर पढ़ाई करना, भले ही मन न कर रहा हो — यही अनुशासन है। कहा भी गया है: "या तो अनुशासन का दर्द झेलो, या बाद में पछतावे का।"

► इंजीनियर ई. श्रीधरन ने कोंकण रेलवे जैसी विशाल परियोजना को कठिन भौगोलिक चुनौतियों के बावजूद लगभग सात वर्ष के रिकॉर्ड समय में, बिना किसी बड़े भ्रष्टाचार-आरोप के पूरा किया — यह उनके कठोर अनुशासन का ही नतीजा था।

► भारतीय सेना अपने कठोर अनुशासन के लिए जानी जाती है — यही अनुशासन उसे कठिन मोर्चे पर डटे रहने की ताकत देता है।

(20) लचीलापन (Resilience)

◆ **मूल परिभाषा:** कठिनाइयों से जल्दी उबरने और वापस खड़े होने की क्षमता।

💡 **आसान भाषा में:** जैसे परीक्षा में कम नंबर आने पर निराश होकर बैठ न जाना, बल्कि अगली बार बेहतर करने के लिए फिर से मेहनत में जुट जाना — यही लचीलापन है।

► किरण बेदी के हवाले से अक्सर यह बात कही जाती है कि वे भारी फर्नीचर में निवेश नहीं करतीं — ताकि तबादले के लिए सदा तैयार रहें — यानी हर नई मुश्किल परिस्थिति के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना।

► बूंदी के कलेक्टर डॉ. रविन्द्र गोस्वामी, जो खुद MBBS डॉक्टर भी हैं, ने 2023 में राजस्थान में डॉक्टरों की बड़ी हड़ताल के दौरान खुद अस्पताल जाकर मरीजों का इलाज किया, ताकि आम जनता परेशान न हो।

(21) कृतज्ञता (Gratitude) — ऋण-भावना

◆ **मूल परिभाषा:** किसी के उपकार के प्रति गहरी प्रशंसा और आभार की भावना।

💡 **आसान भाषा में:** जैसे टीचर ने आपको कुछ नया सिखाया तो दिल से धन्यवाद कहना और उनका सम्मान करना, यह भूल न जाना कि किसी ने आपकी मदद की थी — यही कृतज्ञता है।

► भारतीय समाज में ऋण की अवधारणा प्राचीन काल से चली आ रही है — देव ऋण (ईश्वर और प्रकृति की शक्तियों के प्रति), ऋषि ऋण (गुरुओं और ज्ञान देने वालों के प्रति), पितृ ऋण (माता-पिता व पूर्वजों के प्रति) और भूत ऋण (पशु, पक्षी, पौधों के प्रति) — ये सभी कृतज्ञता के ही अलग-अलग रूप हैं। 'ऋण-भावना' का अर्थ यही है कि हमें जो कुछ मिला है वह बहुतों के योगदान से मिला है, इसलिए अच्छे कर्म करके यह 'कर्ज़' चुकाना हमारा कर्तव्य है।

(22) अहिंसा (Non-violence)

◆ **मूल परिभाषा:** केवल हिंसा न करना ही अहिंसा नहीं है — उत्पीड़न के विरुद्ध शांतिपूर्ण प्रतिरोध करना भी अहिंसा है।

💡 **आसान भाषा में:** जैसे कोई आपसे झगड़ने की कोशिश करे, फिर भी आप मारपीट न करके शांति से बात करके मामला सुलझाएँ — यही अहिंसा है।

► महात्मा गांधी ने पूरे स्वतंत्रता संग्राम को अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित रखा और इसे विश्व भर में सत्याग्रह के रूप में मशहूर किया।

► एक IPS अधिकारी ने खतरनाक अपराधियों से भी पूछताछ में शारीरिक यातना (Custodial Torture) की जगह मनोवैज्ञानिक और अहिंसक तकनीकों को अपनाकर सच उगलवाने का तरीका अपनाया।

(23) निष्ठा (Loyalty)

◆ **मूल परिभाषा:** किसी व्यक्ति, संस्था या मूल्य के प्रति दृढ़ और स्थायी समर्थन।

💡 **आसान भाषा में:** जैसे आपकी स्कूल टीम कभी जीते कभी हारे, फिर भी आप हमेशा अपनी ही टीम का साथ दें, बीच में पाला न बदलें — यही निष्ठा है।

► मेवाड़ की धाय माँ पन्नाधाय ने राज्य के प्रति अपनी निष्ठा में अपने ही पुत्र चंदन का बलिदान देकर राजकुमार उदय सिंह की जान बचाई।

(24) नेतृत्व (Leadership)

◆ **मूल परिभाषा:** दूसरों को किसी साझा लक्ष्य की ओर प्रेरित करने और साथ लेकर चलने की क्षमता। अमेरिकी लेखक जॉन सी. मैक्सवेल के शब्दों में — "नेता वही है जो रास्ता जानता है, रास्ते पर खुद चलता है और दूसरों को भी रास्ता दिखाता है।"

💡 **आसान भाषा में:** जैसे ग्रुप प्रोजेक्ट में कोई एक बच्चा सबको सही दिशा दिखाए, खुद पहले मेहनत करके उदाहरण पेश करे, और सबको साथ लेकर चले — यही नेतृत्व है।

► सरदार वल्लभभाई पटेल ने अपने नेतृत्व और कूटनीतिक कौशल से आज़ादी के बाद लगभग 565 रियासतों का भारत में विलय करवाया — अधिकांश रियासतें बातचीत से विलय के लिए राजी हुईं, हालाँकि हैदराबाद व जूनागढ़ जैसे कुछ मामलों में सैन्य कार्रवाई भी करनी पड़ी — यह इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक एकीकरण प्रक्रियाओं में से एक मानी जाती है।

► फ़िल्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने 1971 के भारत-पाक युद्ध में असाधारण नेतृत्व दिखाकर भारतीय सेना को निर्णायक जीत दिलाई।

(25) एकजुटता (Solidarity)

◆ **मूल परिभाषा:** समूह के सदस्यों की आपस में एकता — 'वसुधैव कुटुंबकम्' (सारा विश्व एक परिवार है) की भावना।

💡 **आसान भाषा में:** जैसे बाढ़ आने पर पूरी कॉलोनी मिलकर फंसे हुए परिवार की मदद के लिए इकट्ठा हो जाए — यही एकजुटता है।

► राजसमंद ज़िले के पिपलांत्री गाँव के पूर्व सरपंच श्याम सुंदर पालीवाल ने अपने गाँव में बेटी के जन्म पर 111 पेड़ लगाने की परंपरा शुरू की — गाँव में लड़की के जन्म पर पूरा परिवार और गाँव मिलकर पेड़ लगाता है, माता-पिता 10,000 रुपये और गाँव के दानदाता 21,000 रुपये फिक्स्ड डिपॉजिट में डालते हैं, और परिवार शपथ लेता है कि न भ्रूण-हत्या करेंगे, न बाल-विवाह — बेटी और पेड़, दोनों को साथ बढ़ा करेंगे। इस एक विचार ने कन्या-भ्रूण-हत्या के खिलाफ पूरे गाँव को एकजुट कर दिया।

(26) सादगी (Simplicity)

◆ **मूल परिभाषा:** बाह्य आडंबर और दिखावे से मुक्त, सरल जीवन जीना।

💡 **आसान भाषा में:** जैसे कोई अमीर होकर भी दिखावा न करे और सादे कपड़ों-सादे जीवन में ही खुश रहे — यही सादगी है।

► लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री रहते हुए भी बेहद सादा जीवन जीते थे और अपने निजी खर्च के लिए भी कर्ज़ लेने से नहीं हिचकते थे (जैसे अध्याय की शुरुआत की कहानी में परिवार की कार के लिए बैंक से ₹5,000 का ऋण) — बड़े पद पर रहते हुए भी दिखावे से दूर रहना ही सादगी है।

(27) वैज्ञानिक दृष्टिकोण (Scientific Temperament)

◆ **मूल परिभाषा:** तर्क और तथ्यों पर आधारित निर्णय लेने की आदत।

💡 **आसान भाषा में:** जैसे किसी अफवाह या व्हाट्सएप मैसेज पर तुरंत विश्वास न करके पहले सच्चाई जानने की कोशिश करना — यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण है।

► राजस्थान के IAS अधिकारी डॉ. समित शर्मा ने चित्तौड़गढ़ में जेनेरिक दवा योजना शुरू की — उन्होंने नियामक-मानकों (Regulatory Standards) के अनुसार समतुल्य पाई गई सस्ती जेनेरिक दवाइयों को बढ़ावा देकर तथ्य-आधारित निर्णय का उदाहरण पेश किया, जिससे मरीजों के दवा-खर्च में भारी कमी आई और यह योजना बाद में पूरे राजस्थान में लागू हुई।

► जल-संरक्षक लक्ष्मण सिंह ने राजस्थान के लापोड़िया गाँव में वैज्ञानिक अवलोकन से 'चौका पद्धति' विकसित की — चौकोर मेड़ों से बरसाती पानी को धीरे-धीरे ज़मीन में सोखने दिया जाता है, जिससे भूजल स्तर 500 फीट की गहराई से बढ़कर सिर्फ 15-40 फीट पर आ गया, और गाँव में साल में दो फ़सलें होने लगीं।

(28) ईमानदारी (Honesty)

◆ **मूल परिभाषा:** विचार, वाणी और कार्य — तीनों में सच्चाई बनाए रखना।

💡 **आसान भाषा में:** जैसे परीक्षा में गलती से ज़्यादा नंबर मिल जाएँ तो टीचर को खुद जाकर बता देना, चुप न रहना — यही ईमानदारी है।

► कोई परीक्षा-मूल्यांकनकर्ता गलती से किसी परिचित परीक्षार्थी की कॉपी में ज़्यादा नंबर जुड़ा हुआ पाए, तो चुप रहने की बजाय स्वयं आगे बढ़कर सुधार के लिए रिपोर्ट करे — बिना दबाव, बिना डर के सच बोलना और उस पर टिके रहना ही ईमानदारी है।

(29) विनम्रता (Humility)

◆ **मूल परिभाषा:** अपने आप को दूसरों के बराबर समझना, घमंड न करना।

💡 **आसान भाषा में:** जैसे क्लास में फर्स्ट आने पर भी आप दूसरों से घमंड से बात न करें, सबके साथ पहले जैसा ही व्यवहार रखें — यही विनम्रता है।

► ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के बारे में व्यापक रूप से कहा जाता है कि वे राष्ट्रपति भवन में सभी कर्मचारियों से आदर और समानता का व्यवहार करते थे — पद कितना भी बड़ा हो, इंसान से इंसान जैसा बर्ताव रखते थे।

(30) न्याय (Justice)

◆ **मूल परिभाषा:** निष्पक्षता के मापदंड पर, बिना किसी पूर्वाग्रह के सही-गलत तय करना।

💡 **आसान भाषा में:** जैसे दो दोस्तों के झगड़े में दोनों की पूरी बात सुनकर, जो सच में गलत हो सिर्फ उसी को गलत कहना — किसी को दोस्त होने के नाते बचाना नहीं — यही न्याय है।

► आदिवासी क्षेत्रों में तैनात कई प्रशासनिक अधिकारी सरकारी योजनाओं के लाभ के वितरण में सामाजिक दबाव या प्रभावशाली व्यक्तियों की सिफारिश के बजाय पात्रता की सूची को ही आधार बनाते हैं, ताकि लाभ असल ज़रूरतमंद तक पहुँचे — यही प्रशासनिक न्याय है।

► IAS टीना डाबी ने जैसलमेर में महिला सशक्तीकरण की 'जैसाण शक्ति' पहल के ज़रिए महिलाओं को बराबर अवसर दिलाने पर काम किया।

(31) उदारता (Generosity)

◆ **मूल परिभाषा:** बिना स्वार्थ के दूसरों को देने की भावना।

💡 **आसान भाषा में:** जैसे अपना टिफ़िन किसी भूखे दोस्त के साथ खुशी-खुशी बाँट लेना — यही उदारता है।

► उद्योगपति अज़ीम प्रेमजी ने विभिन्न वर्षों में परोपकार-रिपोर्टों के अनुसार भारत के सबसे बड़े व्यक्तिगत दानदाताओं में लगातार स्थान पाया है, कुछ वर्षों में औसतन प्रतिदिन करोड़ों रुपये के दान के बराबर योगदान के साथ।

(32) दायित्व (Obligation)

◆ **मूल परिभाषा:** कानूनी या नैतिक रूप से अपना कार्य करने की बाध्यता — भले कोई देखे या न देखे।

💡 **आसान भाषा में:** जैसे क्लास मॉनिटर टीचर के न होने पर भी अपनी ज़िम्मेदारी ईमानदारी से निभाए, सिर्फ टीचर के सामने अच्छा बनने के लिए नहीं — यही दायित्व है।

► अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम 1968 (All India Services Conduct Rules 1968) IAS, IPS और भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के दायित्व लिखित रूप में तय करते हैं — जैसे राजनीतिक तटस्थता रखना, निर्धारित सीमा से अधिक उपहार न लेना और हर समय पूर्ण सत्यनिष्ठा व कर्तव्य-परायणता बनाए रखना। यानी नैतिक दायित्व को यहाँ नियम का रूप दे दिया गया है।

(33) देशभक्ति (Patriotism)

◆ **मूल परिभाषा:** अपने देश, उसकी संस्कृति और नागरिकों के कल्याण के प्रति गहरा प्रेम और समर्पण।

💡 **आसान भाषा में:** जैसे आप किसी दूसरे देश में भी अपने देश का झंडा देखकर गर्व महसूस करें, और मौका मिलने पर देश की भलाई के लिए बिना स्वार्थ काम करें — यही देशभक्ति है।

► मणिपुर के IAS अधिकारी आर्मस्ट्रांग पामे ने अपने गाँव को सड़क से जोड़ने के लिए, जब सरकार से पैसा नहीं मिला, तो अपनी और परिवार की बचत लगाकर तथा फेसबुक पर अपील करके देश-विदेश से लगभग 40 लाख रुपये जुटाए। सैकड़ों गाँववालों — जिनमें 100 से ज़्यादा महिलाएँ शामिल थीं — ने मिलकर सिर्फ 7 महीनों में 100 किलोमीटर लंबी 'जनता की सड़क' बना डाली। इसी वजह से उन्हें 'मिरेकल मैन' कहा जाने लगा — यह दिखाता है कि देशभक्ति सिर्फ नारा नहीं, ज़मीन पर काम करके दिखाने का ज़ुबा है।

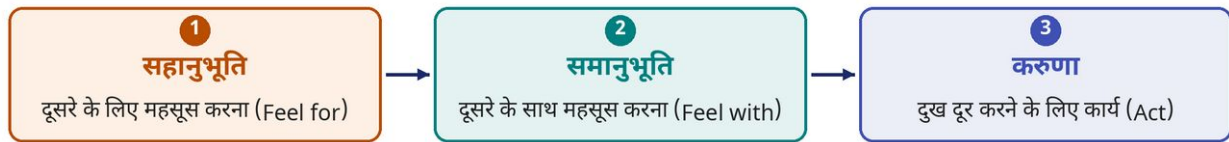
💡 **याद रखने का आसान तरीका:** 33 मूल्यों को रटने की बजाय हर मूल्य के साथ एक असली नाम या घटना और एक रोज़मर्रा की मिसाल — दोनों जोड़कर याद करें, जैसे ऊपर दिया गया है। मूल्य परिभाषा से कम और उदाहरण से ज़्यादा याद रहते हैं।

8.1 सहानुभूति, समानुभूति और करुणा — तीन सीढ़ियाँ

ये तीनों शब्द अक्सर एक-दूसरे की जगह प्रयोग कर दिए जाते हैं, पर इनमें स्पष्ट अंतर है। इन्हें एक सीढ़ी की तरह समझिए — हर अगला कदम पिछले से गहरा है:

मूल्य	अर्थ	मन की स्थिति	प्रशासनिक उदाहरण
सहानुभूति (Sympathy)	दूसरे के दुख के प्रति दया या अफ़सोस महसूस करना	"मुझे आपके लिए बुरा लग रहा है" — दूरी बनी रहती है	बाढ़ पीड़ितों की खबर पढ़कर दुख होना
समानुभूति (Empathy)	खुद को दूसरे की जगह रखकर उसकी भावना को उसी तरह महसूस करना	"मैं समझ सकता हूँ कि आप पर क्या बीत रही है"	दिव्यांग व्यक्ति की तरह व्हीलचेयर पर बैठकर दफ़्तर की सीढ़ियाँ देखना
करुणा (Compassion)	समानुभूति के साथ दुख दूर करने के लिए कार्य करना	"मैं आपकी मदद के लिए कुछ करूँगा"	दफ़्तरों में रैंप बनवाना और सुगम्यता ऑडिट करवाना

सहानुभूति से करुणा तक — भावना से कार्य की ओर



चित्र 1.20: सहानुभूति से करुणा तक — भावना से कार्य की ओर

9. सत्यनिष्ठा (Integrity) — अर्थ, महत्व एवं दार्शनिक आधार

सत्यनिष्ठा (Integrity) शब्द लैटिन "इंटीजर (integer)" / "इंटीग्रिटास (integritas)" से आया है — जिसका अर्थ है "पूर्णा, अखंड, समग्र" (Whole/Undivided), अर्थात् विचार, वाणी और कर्म में कोई विभाजन न होना। इसे प्रायः नैतिक सिद्धांतों के प्रति सुसंगत और दृढ़ प्रतिबद्धता के रूप में समझा जाता है।

आसान परिभाषा: सत्यनिष्ठा (Integrity)

परिभाषा: "ज्ञान सही रास्ता जानना है, सत्यनिष्ठा उस पर चलना है" — यानी ज्ञान के बिना सत्यनिष्ठा कमजोर और अधूरी रह जाती है, और सत्यनिष्ठा के बिना ज्ञान खतरनाक हो सकता है।

आसान भाषा में: जैसे किसी को पता हो कि झूठ बोलना गलत है (ज्ञान), पर फिर भी वह अपने फायदे के लिए झूठ बोल दे — तो सिर्फ जानना काफी नहीं, उस पर अमल करना ही असली सत्यनिष्ठा है। **उदाहरण:** एक अधिकारी को पता है कि रिश्तत लेना गलत है (यह तो हर कोई जानता है), पर जब सामने असली मौका आए और वह रिश्तत ठुकरा दे — तभी उसकी सत्यनिष्ठा साबित होती है, सिर्फ जानने से नहीं।

“ ज्ञान के बिना सत्यनिष्ठा कमजोर और बेकार है, और सत्यनिष्ठा के बिना ज्ञान खतरनाक और भयावह है। (Integrity without knowledge is weak and useless, and knowledge without integrity is dangerous and dreadful.) ” — सैमुअल जॉनसन (Samuel Johnson)

दार्शनिक आधार — भारतीय एवं पश्चिमी

परंपरा	विचार
भारतीय (वैदिक)	सत्य और ऋत (ब्रह्मांडीय व्यवस्था) पर आधारित आचरण — 'सत्यमेव जयते'।
इमैनुएल कांट (पश्चिमी)	कर्तव्य के लिए कर्तव्य — नैतिक नियम पर अटल रहना, चाहे परिणाम कुछ भी हो।
जॉन रॉल्स (पश्चिमी)	न्याय और निष्पक्षता को सत्यनिष्ठा से जोड़ा — 'अज्ञानता का पर्दा' सिद्धांत।

☀ गांधीजी की सत्यनिष्ठा

महात्मा गांधी ने अपने पूरे जीवन में जो कहा, वही किया — नमक कानून तोड़ने से पहले उन्होंने सार्वजनिक रूप से ब्रिटिश सरकार को अपनी योजना बता दी थी, कुछ छुपाया नहीं। यही सत्यनिष्ठा है — विचार, वाणी और कर्म में कोई अंतर न होना।

प्रोबिटी (Probity) — सत्यनिष्ठा का विस्तृत रूप

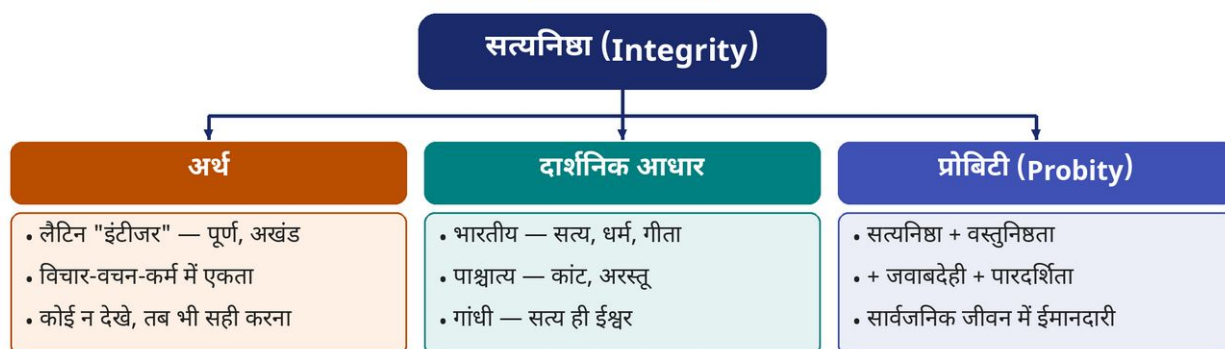
◆ प्रोबिटी (Probity) का अर्थ है सार्वजनिक पद पर रहते हुए पूरी तरह साफ़-सुथरा और सिद्धांतों पर टिका आचरण। इसे सत्यनिष्ठा का विस्तृत रूप इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कई गुण एक साथ शामिल हैं — सूत्र के रूप में: प्रोबिटी (Probity) = सत्यनिष्ठा (Integrity) + वस्तुनिष्ठता (Objectivity) + जवाबदेही (Accountability) + पारदर्शिता (Transparency) + निस्वार्थता (Selflessness) — यानी सिर्फ ईमानदार होना काफी नहीं, सार्वजनिक जीवन में इन पाँचों गुणों का एक साथ होना ज़रूरी है।

☀ चाणक्य के दो दीपक — प्रोबिटी का प्रतीक

कहा जाता है कि आचार्य चाणक्य अपने कक्ष में दो अलग दीपक जलाकर रखते थे — एक दीपक की रोशनी में वे राज-काज (राज्य का काम) करते थे, और जैसे ही कोई निजी पत्र लिखना होता, वे राजकीय दीपक बुझाकर अपना निजी दीपक जला लेते थे। यह छोटी-सी आदत बताती है कि सार्वजनिक संसाधन का एक कण भी निजी काम में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए — यही प्रोबिटी का सार है।

क्या वस्तुनिष्ठता के लिए सत्यनिष्ठा आवश्यक है? हाँ, बिना सत्यनिष्ठा (ईमानदार नीयत) के वस्तुनिष्ठता (निष्पक्ष निर्णय) टिक ही नहीं सकती — जैसे ऊपर चाणक्य के उदाहरण में, अगर नीयत साफ़ न हो तो कोई भी नियम-कायदा दिखावा बनकर रह जाता है।

सत्यनिष्ठा — अर्थ, आधार और प्रोबिटी



चित्र 1.21: सत्यनिष्ठा — अर्थ, आधार और प्रोबिटी

10. निष्पक्षता (Impartiality) और गैर-पक्षपात (Non-Partisanship)

निष्पक्षता और गैर-पक्षपात को अक्सर एक-दूसरे का पर्याय मान लिया जाता है, जबकि दोनों अलग हैं। नीचे दोनों को अलग-अलग स्पष्ट किया गया है।

10.1 निष्पक्षता (Impartiality)

◆ व्यक्तिगत पूर्वाग्रह के बिना, योग्यता के आधार पर निर्णय लेना।

💡 **आसान भाषा में:** जैसे किसी प्रतियोगिता में जज सिर्फ यह देखे कि किसने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, चाहे वह उसका अपना रिश्तेदार हो या अनजान बच्चा — बिना यह देखे कि वह कौन है, सिर्फ काम देखकर फैसला करना ही निष्पक्षता है।

◆ जॉन रॉल्स का "अज्ञानता का पर्दा" (Veil of Ignorance) निष्पक्ष न्याय का आधार माना जाता है — यानी निर्णय ऐसे लिया जाए मानो निर्णय लेने वाले को पता ही न हो कि उस निर्णय से वह स्वयं किस पक्ष में खड़ा होगा; तब वह किसी के साथ पक्षपात नहीं करेगा (देखें खंड 8, मूल्य 9)।

◆ अनुच्छेद 14-18 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 19-22 (स्वतंत्रता का अधिकार) की रक्षा के लिए निष्पक्षता अनिवार्य है, क्योंकि अगर अधिकारी ही लोगों के साथ भेदभाव करे तो नागरिकों को संविधान से मिला बराबरी और स्वतंत्रता का अधिकार केवल कागज़ पर रह जाएगा।

10.2 निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उपाय

◆ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS — राशन व्यवस्था) का डिजिटलीकरण और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT — सरकारी सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजना): जब पात्रता के नियम साफ़ हों और राशन या पैसा सीधे सही व्यक्ति तक पहुँचे, तो बीच के बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाती है और किसी के साथ पक्षपात की गुंजाइश घट जाती है।

◆ सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (RTI Act), GeM पोर्टल (Government e-Marketplace — सरकारी ख़रीद का ऑनलाइन बाज़ार) और ई-बिडिंग (ऑनलाइन निविदा): जब सरकारी फैसले और ख़रीद सबके सामने खुले रूप में होते हैं, तो अधिकारी किसी चहेते को लाभ नहीं पहुँचा पाता — इससे पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों बढ़ती हैं।

◆ राजस्थान में मनरेगा का सामाजिक अंकेक्षण (MGNREGA Social Audit): इसमें ग्राम सभा के सामने मज़दूरी और खर्च का पूरा हिसाब पढ़कर सुनाया जाता है, जिससे फ़र्ज़ी नाम, अपनों की ज़्यादा काम देने जैसे पक्षपात सबके सामने उजागर हो जाते हैं।

◆ पुलिस के लिए लैंगिक संवेदनशीलता प्रशिक्षण (जैसे मिशन शक्ति जैसे महिला-सुरक्षा अभियानों में): कई बार अधिकारी बिना जाने-समझे महिलाओं या किसी वर्ग के प्रति पहले से बनी धारणा (अचेतन पूर्वाग्रह — Unconscious Bias) से व्यवहार करते हैं; ऐसा प्रशिक्षण इस छिपे पूर्वाग्रह को पहचानने और दूर करने में मदद करता है।

◆ वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (APAR) और 360-डिग्री मूल्यांकन: 360-डिग्री मूल्यांकन में अधिकारी के काम को केवल वरिष्ठ ही नहीं, बल्कि सहकर्मी, अधीनस्थ और जनता भी आँकते हैं — इससे किसी एक व्यक्ति की पसंद-नापसंद मूल्यांकन पर हावी नहीं होती और संस्था के भीतर निष्पक्षता की जाँच होती रहती है।

10.3 गैर-पक्षपात (Non-Partisanship)

◆ किसी राजनीतिक दल के प्रति पक्षपात का अभाव — सिविल सेवक राजनीतिक मामलों में तटस्थ और निष्पक्ष रहे।

💡 **आसान भाषा में:** जैसे एक स्कूल का प्रिंसिपल दो टीचरों की आपसी गुट-बाज़ी (ग्रुपबाज़ी) में शामिल न हो, बल्कि दोनों के साथ बराबर और तटस्थ व्यवहार करे — सिविल सेवक को भी राजनीतिक दलों के बीच ठीक ऐसे ही तटस्थ रहना होता है।

◆ यह राजनीतिक तटस्थता (Political Neutrality) से थोड़ा अलग है: **गैर-पक्षपात = अपने आधिकारिक निर्णयों और कार्यों में किसी राजनीतिक दल-विशेष के प्रति झुकाव न रखना।** | **राजनीतिक तटस्थता = सेवा में रहते हुए सक्रिय दलगत राजनीति, सार्वजनिक प्रचार या किसी दल के खुले समर्थन से दूर रहना।** दोनों साथ मिलकर सुनिश्चित करते हैं कि सिविल सेवक की निष्ठा किसी दल के प्रति नहीं, संविधान और जनहित के प्रति बनी रहे।

► उदाहरण: भारत का शीत युद्ध में गुट-निरपेक्ष आंदोलन (NAM — Non-Aligned Movement) अपनाना — दुनिया में दो बड़े गुटों (अमेरिका व सोवियत संघ) के बीच बिना किसी का पक्ष लिए अपनी स्वतंत्र नीति बनाना।

◆ शाह आयोग (Shah Commission) — 1977 में न्यायमूर्ति जे.सी. शाह की अध्यक्षता में आपातकाल (1975-77) की ज्यादतियों की जाँच के लिए बना था। इसने पाया कि कई अधिकारियों ने कानून के बजाय सत्ताधारी नेताओं के मौखिक आदेशों पर काम किया, यानी सिविल सेवा का राजनीतिक पक्षपात में इस्तेमाल हुआ — इसीलिए इसने सिविल सेवकों की राजनीतिक तटस्थता पर ज़ोर दिया।

◆ पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन ने चुनाव आयोग को इतना सख्त और निष्पक्ष बना दिया कि सत्ताधारी दल भी नियम तोड़ने से डरने लगे — निष्पक्ष चुनाव के लिए साहसिक कदम की मिसाल।

◆ सरकारिया आयोग (Sarkaria Commission) — 1983 में केंद्र-राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए बना था। इसने सुझाव दिया कि राज्यपाल ऐसा व्यक्ति हो जो हाल के समय में सक्रिय दलगत राजनीति से गहराई से जुड़ा न रहा हो, ताकि वह किसी दल के पक्ष में काम न करे — यानी राज्यपाल की नियुक्ति में भी गैर-पक्षपात ज़रूरी माना गया।

◆ अनुच्छेद 319 — संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य/अध्यक्ष कार्यकाल के बाद (आयोगों के भीतर कुछ निर्धारित अपवादों को छोड़कर) सरकार के अधीन अन्य नियोजन नहीं ले सकते, ताकि निष्पक्षता बनी रहे।

निष्पक्षता (Impartiality)	गैर-पक्षपात (Non-Partisanship)
व्यक्तिगत पक्षपात का अभाव	राजनीतिक दल-विशेष के प्रति पूर्वाग्रह का अभाव
योग्यता-आधारित निर्णय (Merit-based)	चुनाव, नीति में तटस्थता
भेदभाव से मुक्त	राजनीतिक तटस्थता से अलग
उदाहरण: जॉन रॉल्स — अज्ञानता का पर्दा	उदाहरण: गुट-निरपेक्ष आंदोलन (NAM)

निष्पक्षता बनाम गैर-पक्षपात

निष्पक्षता (Impartiality)	बनाम	गैर-पक्षपात (Non-Partisanship)
किसी व्यक्ति/समूह के प्रति पूर्वाग्रह नहीं	आशय	किसी राजनीतिक दल के प्रति झुकाव नहीं
हर निर्णय — भर्ती, लाइसेंस, जाँच	दायरा	राजनीतिक मामलों में तटस्थता
भाई-भतीजावाद, जाति-धर्म पक्षपात	खतरा	सत्ताधारी दल का औज़ार बन जाना
योग्यता, नियम, तथ्य	आधार	संविधान, जनहित

चित्र 1.22: निष्पक्षता बनाम गैर-पक्षपात

NEW INDIA
ACADEMY
New India Education by Omkar Sir

📖 कहानी: "चाचा की ज़मीन" — जब फ़ाइल पर अपना ही परिवार हो

जयपुर संभाग की एक तहसील में विक्रम (काल्पनिक नाम) को तहसीलदार बने आठ महीने हुए थे। एक सुबह राजस्व-न्यायालय की सुनवाई-सूची देखते हुए उनकी नज़र एक नाम पर अटक गई — ज़मीन के बँटवारे के एक विवाद में एक पक्ष उनके सगे चाचा थे, और दूसरा पक्ष गाँव का एक दलित किसान परिवार, जो सालों से उस ज़मीन पर खेती कर रहा था।

उसी शाम चाचा का फ़ोन आया — "बेटा, अब तो तू ही साहब है। फ़ैसला अपने घर का ही होना चाहिए। गाँव में हमारी इज़्ज़त का सवाल है।" अगले दिन क्षेत्र के एक प्रभावशाली जनप्रतिनिधि का संदेश भी आया कि "आपके परिवार वाले हमारी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, ध्यान रखिएगा।" विक्रम जानते थे कि रिकॉर्ड की कुछ बातें चाचा के पक्ष में भी जा सकती हैं। पर उन्हें यह भी पता था कि यदि वे इस मामले की सुनवाई ख़ुद करेंगे, तो फ़ैसला चाहे कुछ भी हो, किसान परिवार यही मानेगा कि "साहब ने अपने घर वालों का पक्ष लिया"। न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, होते हुए दिखना भी चाहिए।

उन्होंने उसी दिन उपखंड अधिकारी को लिखित आवेदन भेजा कि इस मामले में उनका हितों का टकराव (Conflict of Interest) है, इसलिए प्रकरण किसी अन्य सक्षम अधिकारी को स्थानांतरित किया जाए। आवेदन की प्रति फ़ाइल में लगाई गई, ताकि दोनों पक्षों को पता रहे कि सुनवाई कौन और क्यों कर रहा है। जनप्रतिनिधि के संदेश का उन्होंने शालीनता से उत्तर दिया कि मामला अब उनके पास नहीं है और नियम के अनुसार ही निपटेगा।

घर में तूफ़ान आ गया। चाचा ने कहा — "अपने ही खून को धोखा दिया।" कई महीनों तक परिवार के कार्यक्रमों में उनसे दूरी रखी गई। पर गाँव में एक अलग बात फैली — "नया तहसीलदार अपने चाचा का केस भी नहीं सुनता, यहाँ सिफ़ारिश नहीं चलेगी।" अगले वर्षों में उस तहसील में राजस्व-मामलों में सिफ़ारिशों का दबाव साफ़ घटा।

दूसरे अधिकारी ने दस्तावेज़ों के आधार पर फ़ैसला किया — कुछ हिस्सा चाचा को, और खेती करने वाले परिवार के कब्ज़े वाला हिस्सा उस परिवार को मिला। दोनों पक्षों ने फ़ैसला स्वीकार किया, क्योंकि प्रक्रिया पर किसी को संदेह नहीं था।

🔑 इस कहानी से सीख: निष्पक्षता का अर्थ केवल सही फ़ैसला देना नहीं, बल्कि ऐसी प्रक्रिया अपनाना है जिस पर सबको भरोसा हो। हितों के टकराव में स्वयं को मामले से अलग करना (Recusal), सब कुछ लिखित रखना और राजनीतिक दबाव को शालीनता से ठुकराना — यही निष्पक्षता और गैर-पक्षपात का व्यावहारिक रूप है। साथ ही, यह कहानी निजी संबंधों (परिवार) और सार्वजनिक कर्तव्य के टकराव को भी दिखाती है।

11. महान दार्शनिकों, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन से शिक्षाएँ

महान व्यक्तियों का जीवन नैतिक मूल्यों का जीवंत प्रमाण है। उनके जीवन और शिक्षाओं से सिविल सेवक नैतिक प्रेरणा ग्रहण कर सकते हैं।

11.1 पाश्चात्य दार्शनिक (Western Philosophers)

दार्शनिक	जीवन-शिक्षा	प्रशासनिक मूल्य
सुकरात (Socrates, 470-399 ई.पू.)	ज्ञान एवं सद्गुण — सत्यभाषी, निर्भीक, आत्म-अनुशासित। "सद्गुण ज्ञान है।"	ज्ञान-आधारित निर्णय, निर्भीकता, सत्यनिष्ठा
प्लेटो (Plato, 428-348 ई.पू.)	4 प्रमुख सद्गुण (Cardinal Virtues): विवेक (Wisdom), साहस (Courage), न्याय (Justice), संयम (Temperance)।	संतुलित प्रशासन — चारों सद्गुण
अरस्तू (Aristotle, 384-322 ई.पू.)	"सद्गुण दो अतियों के बीच का स्वर्णिम मध्य-मार्ग है" (Virtue is the Golden Mean) — दो दोषों के मध्य सद्गुण। निकोमेकियन एथिक्स (Nicomachean Ethics) — पश्चिमी नैतिक दर्शन के सबसे प्रभावशाली और आरंभिक व्यवस्थित ग्रंथों में से एक।	मध्यमार्ग की नीति, विवेकपूर्ण कार्य
इमैनुएल कांट (Immanuel Kant, 1724-1804)	कर्तव्य का बिना शर्त आदेश (Categorical Imperative) — "ऐसे कार्य करो जिसे तुम एक सार्वभौमिक नियम (Universal Law) बनाना चाहो।" "कर्तव्य के लिए कर्तव्य।"	कर्तव्यनिष्ठा, नियम का पालन, नैतिक दृढ़ता

11.2 भारतीय समाज-सुधारक

व्यक्तित्व	जीवन-शिक्षा	प्रशासनिक प्रासंगिकता
राजा राम मोहन राय (1772-1833)	आधुनिक भारत के निर्माता, ब्रह्म समाज के संस्थापक; उनके निरंतर सामाजिक अभियान और गवर्नर-जनरल लॉर्ड बेंटिंक के 1829 के विनियमन (Regulation XVII) के संयुक्त प्रयास से सती प्रथा का कानूनी उन्मूलन संभव हुआ।	सामाजिक सुधार में साहस, वैज्ञानिक दृष्टिकोण
स्वामी विवेकानंद (1863-1902)	नव-वेदांत — मानव सेवा ही ईश्वर सेवा। "दरिद्र नारायण" पर बल।	जन-केंद्रित प्रशासन, समभाव
बी.आर. अंबेडकर (1891-1956)	दलित उत्थान, संविधान के शिल्पी। सामाजिक न्याय के प्रहरी।	सामाजिक न्याय, संवैधानिक मूल्य
सरदार पटेल (1875-1950)	लौह पुरुष — लगभग 565 रियासतों का विलय। "देशहित सर्वोपरि।"	प्रशासनिक दृढ़ता, राष्ट्रीय एकता

व्यक्तित्व	जीवन-शिक्षा	प्रशासनिक प्रासंगिकता
जवाहरलाल नेहरू (1889-1964)	उदार राष्ट्रवाद, वैज्ञानिक मानवतावाद, पंचशील।	वैज्ञानिक सोच, बहुलवादी दृष्टि

11.3 आदर्श प्रशासक (Model Administrators) — पूरी कहानियाँ

नीचे दिए गए प्रशासकों में से कुछ की कहानियाँ पहले ही ऊपर विस्तार से बताई जा चुकी हैं (खंड 3.2 और 8) — बाकी की कहानियाँ यहाँ पूरी तरह समझिए:

📖 सत्यनिष्ठा की कीमत — एक सच्ची घटना (सत्येन्द्र दुबे)

2002-03 की बात है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) में तैनात युवा इंजीनियर **सत्येन्द्र दुबे** स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना (सड़क बनाने की एक बड़ी सरकारी योजना) में हो रहे भ्रष्टाचार को रोज़ अपनी आँखों से देख रहे थे — ठेकेदार घटिया सामग्री लगा रहे थे, अधिकारी रिश्वत लेकर आँखें मूंद रहे थे। सत्येन्द्र ने पहले अपने ऊपर के अधिकारियों को बताया, पर किसी ने कार्रवाई नहीं की। हिम्मत करके उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखा — पूरी सच्चाई बताई और साफ शब्दों में लिखा: "मेरी पहचान गोपनीय रखी जाए, वरना मेरी जान को खतरा है।" दुर्भाग्य से यह पत्र लीक हो गया और सत्येन्द्र का नाम भ्रष्ट अधिकारियों तक पहुँच गया। नवंबर 2003 की एक रात, गया (बिहार) में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई — सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने सच बोलने की हिम्मत दिखाई थी। आज, हर लोक सेवक के सामने सत्येन्द्र दुबे की कहानी एक सवाल खड़ा करती है — **सत्यनिष्ठा की कीमत इतनी बड़ी क्यों होती है, और फिर भी लोग इसे क्यों चुनते हैं?** यही सवाल यह पूरा अध्याय आपको समझाएगा — नीतिशास्त्र और मानवीय मूल्य किसी परीक्षा के लिए रटे गए शब्द नहीं, बल्कि एक प्रशासक के हर फैसले की नींव हैं, और कई बार अपनी जान की कीमत पर भी निभाई जाने वाली ज़िम्मेदारी हैं।

☀ टीएन शेषन (TN Seshan) — चुनाव आयोग का असली अर्थ

1990 में जब टीएन शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त बने, तब चुनावों में बूथ-कैप्चरिंग, पैसे-शराब बाँटना, तय सीमा से ज़्यादा खर्च करना — यह सब आम बात थी और चुनाव आयोग का प्रभावी क्रियान्वयन कमज़ोर माना जाता था। शेषन ने बिना डरे आदर्श आचार संहिता को सख्ती से लागू करना शुरू किया — बड़े-बड़े नेताओं की रैलियाँ रुकवाई, चुनाव खर्च का हिसाब माँगा, गड़बड़ी वाले बूथों पर दोबारा वोटिंग करवाई। नतीजा यह हुआ कि पहली बार आम आदमी को लगा कि उसका वोट सच में मायने रखता है। यही कहानी दिखाती है कि गैर-पक्षपात और साहस मिलकर एक कमज़ोर संस्था को भी शक्तिशाली बना सकते हैं।

☀ अशोक खेमका (Ashok Khemka) — बार-बार तबादले के बावजूद न झुकने की कहानी

हरियाणा कैडर के IAS अधिकारी अशोक खेमका ने एक बड़े राजनीतिक परिवार से जुड़े ज़मीन सौदे में गड़बड़ी पाकर उसे रद्द करने का आदेश दे दिया, जबकि उन्हें पता था कि इसका नतीजा उनके करियर पर भारी पड़ेगा। अपने लगभग तीन दशकों की सेवा में उनका बार-बार तबादला हुआ — हर बार सत्ता से टकराव के बाद। फिर भी उन्होंने कभी अपना रुख नहीं बदला। यह कहानी सत्यनिष्ठा और साहस की सबसे चर्चित प्रशासनिक मिसालों में गिनी जाती है।

☀ अरुणा रॉय (Aruna Roy) — सुविधा छोड़कर संघर्ष चुनने की कहानी

अरुणा रॉय एक सफल IAS अधिकारी थीं, फिर भी उन्होंने अपनी सुरक्षित सरकारी नौकरी छोड़ दी क्योंकि उन्हें लगा कि असली बदलाव गाँव-गाँव जाकर मज़दूरों के हक़ के लिए लड़ने से आएगा। राजस्थान के गाँवों में उन्होंने मज़दूरी और सरकारी खर्च का सार्वजनिक हिसाब (सामाजिक अंकेक्षण) करवाना शुरू किया, जिससे कई जगह भ्रष्टाचार खुलकर सामने आया। उनके वर्षों के संघर्ष और मज़दूर किसान शक्ति संगठन जैसे आंदोलनों ने सूचना के अधिकार की माँग को व्यापक जन-समर्थन दिया, जिसने अंततः सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI Act, 2005) बनने में महत्वपूर्ण वैचारिक व जन-आधार भूमिका निभाई।

प्रशासक	कार्य एवं शिक्षा	मूल्य
ई. श्रीधरन	कोंकण रेलवे को कठिन भौगोलिक चुनौतियों के बावजूद रिकॉर्ड समय में और दिल्ली मेट्रो के विभिन्न चरणों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा किया — अनुशासन और सत्यनिष्ठा।	अनुशासन, सत्यनिष्ठा, प्रतिबद्धता
सत्येन्द्र दुबे	NHAI भ्रष्टाचार उजागर किया — व्हिसलब्लोअर, जान गँवाई (देखें इसी खंड की शुरुआत में दी गई पूरी कहानी)।	सत्यनिष्ठा, नैतिक साहस
टीना डाबी	जैसाण शक्ति — जैसलमेर में महिला सशक्तीकरण (देखें खंड 8, मूल्य 30)।	लैंगिक न्याय, प्रतिबद्धता

11.4 नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के मूल्य — एक तुलनात्मक दृष्टि

नेता, सुधारक और प्रशासक — तीनों की भूमिका अलग है, इसलिए उनसे सीखने वाले मूल्य भी थोड़े अलग हैं। **नेता** दिशा देता है, **सुधारक** समाज की कुरीतियों को चुनौती देता है, और **प्रशासक** नीतियों को ज़मीन पर उतारता है।

नेतृत्व का मूल्य	अर्थ	उदाहरण
सशक्तीकरण	अपने लोगों की क्षमता बढ़ाना	डॉ. बी.आर. अंबेडकर — "शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष"

नेतृत्व का मूल्य	अर्थ	उदाहरण
(Empowerment)		करो"
दूरदृष्टि (Vision)	लक्ष्य की स्पष्ट तस्वीर देना	महात्मा गांधी — स्वराज और सर्वोदय
संवाद-कौशल (Communication)	भरोसा बनाना, सबको जोड़े रखना	जवाहरलाल नेहरू — "भारत की खोज", पत्रों द्वारा संवाद
समानुभूति (Empathy)	साथियों और जनता का दृष्टिकोण समझना	छत्रपति शिवाजी — किसानों की फ़सल को सेना से नुक़सान न पहुँचाने के आदेश
प्रतिबद्धता (Commitment)	लक्ष्य के प्रति पूरा समर्पण	सरदार पटेल — रियासतों का एकीकरण
धैर्य व दृढ़ता (Perseverance)	असफलताओं के बावजूद टिके रहना	नेल्सन मंडेला (Nelson Mandela) — 27 वर्ष कारावास के बाद भी मेल-मिलाप की राजनीति

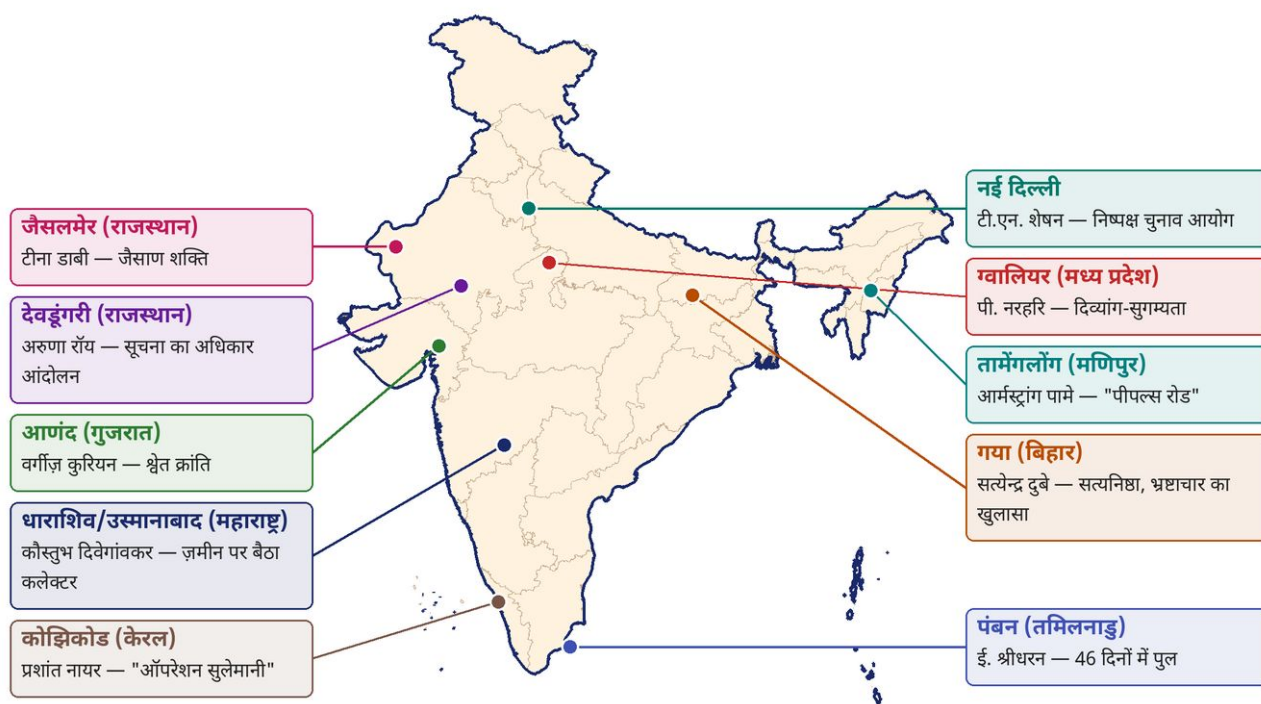
सुधारकों के मूल्य	क्यों ज़रूरी	उदाहरण
तर्क (Reason)	अन्यायपूर्ण और रूढ़िवादी व्यवस्था पर प्रश्न उठाने के लिए	राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर
संतोष (Contentment)	अनुयायियों का भरोसा जीतने के लिए — स्वयं के लिए कुछ न चाहना	बुद्ध, महावीर, कबीर, गुरु नानक
मानवतावाद (Humanism)	जाति, धर्म, क्षेत्र की सीमाएँ पार करने के लिए	स्वामी विवेकानंद — "नर सेवा ही नारायण सेवा"
समानता (Equality)	भेदभाव मिटाने के लिए	ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, डॉ. अंबेडकर

प्रशासक	प्रमुख योगदान	सीखने योग्य मूल्य
वी.पी. मेनन (V.P. Menon)	सरदार पटेल के साथ रियासतों के एकीकरण में मुख्य प्रशासनिक भूमिका	निष्ठा, विवेक, संवाद-कौशल
ई. श्रीधरन (E. Sreedharan)	पंबन पुल का रिकॉर्ड पुनर्निर्माण, कोंकण रेलवे, दिल्ली मेट्रो	अनुशासन, समयबद्धता, सत्यनिष्ठा
वर्गीज़ कुरियन (Vergheese Kurien)	ऑपरेशन फ़्लड — "श्वेत क्रांति"	जनसेवा के प्रति समर्पण, सहकारिता
आर्मस्ट्रॉंग पामे (Armstrong Pame)	मणिपुर में जनसहयोग से लगभग 100 किमी "पीपल्स रोड" (2012)	करुणा, नवाचार, जन-भागीदारी
किरण बेदी (Kiran Bedi)	तिहाड़ जेल में सुधार — शिक्षा, ध्यान, मानवीय व्यवहार	सुधारात्मक दृष्टि, साहस
विनोद राय (Vinod Rai)	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में पारदर्शिता पर बल	जवाबदेही, पारदर्शिता

☀ ई. श्रीधरन — 46 दिनों में खड़ा हुआ पुल

दिसंबर 1964 में आए भीषण चक्रवात ने तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ने वाले पंबन रेल पुल को बुरी तरह तोड़ दिया। रेलवे ने इसकी मरम्मत के लिए छह महीने का लक्ष्य रखा, जिसे घटाकर तीन महीने किया गया और यह ज़िम्मेदारी युवा इंजीनियर ई. श्रीधरन को सौंपी गई। श्रीधरन ने कर्मचारियों के साथ दिन-रात काम किया, समुद्र में डूबे गर्डरों को निकालकर दोबारा इस्तेमाल किया और पुल को केवल 46 दिनों में फिर से चालू कर दिया। आगे चलकर यही अनुशासन और समयबद्धता कोंकण रेलवे और दिल्ली मेट्रो में दिखाई दी। उनका संदेश साफ़ है — **सार्वजनिक धन और जनता का समय, दोनों पवित्र हैं।**

प्रेरक प्रशासकों और सुधारकों की कहानियों का भारत-मानचित्र



मानचित्र केवल प्रतीकात्मक है — स्थान लगभग दर्शाए गए हैं

चित्र 1.23: प्रेरक प्रशासकों और सुधारकों की कहानियों का भारत-मानचित्र

महान सुधारकों और प्रशासकों से मूल्य सीखने का सबसे अच्छा तरीका एक त्रिकोण है — (1) मूल्य का नाम, (2) व्यक्ति का असली उदाहरण, और (3) उस मूल्य का प्रशासन में व्यावहारिक उपयोग। ऊपर दी गई हर कहानी में यह त्रिकोण मौजूद है।

12. मूल्य कैसे बनते हैं? — समाजीकरण और नैतिक विकास के चरण

बच्चा जन्म से ईमानदार या बेईमान नहीं होता। उसके मूल्य धीरे-धीरे **समाजीकरण (Socialization)** की प्रक्रिया से बनते हैं — यानी वह परिवार, मित्रों, विद्यालय, धर्म, मीडिया और अपने अनुभवों से सीखता है कि क्या सही है और क्या गलत। व्यक्ति के मूल्यों पर धार्मिक विश्वास, सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक परिस्थितियों का भी असर पड़ता है। गहरे (साध्य) मूल्य लंबे समय में बनते हैं, जबकि साधन मूल्य परिस्थितियों के साथ जल्दी बदलते हैं।

12.1 मूल्य-निर्माण की चार सीढ़ियाँ

- ◆ **अनुकरण (Imitation):** बच्चा जो देखता है, वही करता है। माता-पिता अगर फ़ोन पर झूठ बुलवाते हैं ("कह दो पापा घर पर नहीं हैं"), तो बच्चा झूठ बोलना ही सीखता है — चाहे ज़बान से उसे सच बोलने को कहा जाए।
- ◆ **पुरस्कार और दंड (Reinforcement):** अच्छे काम की प्रशंसा और ग़लत काम पर टोकना — इससे व्यवहार पक्का होता है।
- ◆ **पहचान (Identification):** बच्चा किसी आदर्श व्यक्ति — माँ, शिक्षक, खिलाड़ी, स्वतंत्रता सेनानी — जैसा बनना चाहता है और उसके मूल्य अपना लेता है।
- ◆ **आत्मसात्करण (Internalization):** अंत में मूल्य बाहर से थोपे हुए नहीं, बल्कि व्यक्ति के अपने बन जाते हैं। अब वह बिना किसी के देखे भी उनके अनुसार चलता है।

मूल्य बनने की प्रक्रिया — अनुकरण से आत्मसात्करण तक



चित्र 1.24: मूल्य बनने की प्रक्रिया — अनुकरण से आत्मसात्करण तक

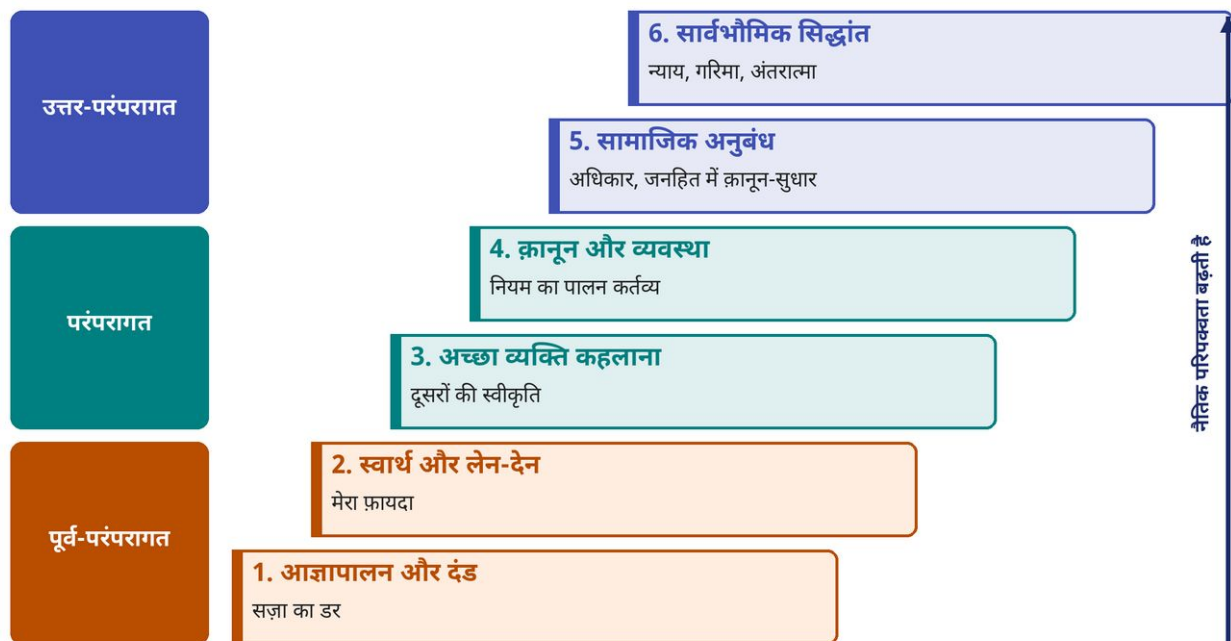
“ हम न्यायपूर्ण कार्य करके न्यायी बनते हैं, संयमित कार्य करके संयमी और साहसिक कार्य करके साहसी बनते हैं। (We become just by doing just acts, temperate by doing temperate acts, brave by doing brave acts.) ” — अरस्तू (Aristotle),

12.2 लॉरेंस कोलबर्ग (Lawrence Kohlberg) के नैतिक विकास के छह चरण

अमेरिकी मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोलबर्ग ने स्विस मनोवैज्ञानिक जाँ प्याजे (Jean Piaget) के काम को आगे बढ़ाते हुए बताया कि मनुष्य की नैतिक सोच तीन स्तरों और छह चरणों से होकर विकसित होती है। कोलबर्ग की रुचि इस बात में नहीं थी कि व्यक्ति "हाँ" कहता है या "ना", बल्कि इसमें थी कि वह अपने उत्तर के पीछे क्या तर्क देता है।

स्तर	चरण	नैतिक सोच का आधार	प्रशासन में उदाहरण
पूर्व-परंपरागत (Pre-conventional) — सामान्यतः बचपन	1. आज्ञापालन और दंड	सज़ा के डर से नियम मानना	"निलंबन के डर से रिश्तत नहीं ली"
	2. स्वार्थ और लेन-देन	जिसमें मेरा फ़ायदा, वही सही; "तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा"	"उसने मेरी मदद की थी, तो मैं उसकी फ़ाइल आगे बढ़ा दूँ"
परंपरागत (Conventional) — किशोर अवस्था व अधिकांश वयस्क	3. अच्छा व्यक्ति कहलाना	दूसरों की स्वीकृति और अच्छी छवि	"लोग मुझे ईमानदार अफ़सर कहें"
	4. क़ानून और व्यवस्था	नियम सबके लिए; समाज की व्यवस्था बनाए रखना कर्तव्य	"नियम में नहीं है, इसलिए नहीं होगा"
उत्तर-परंपरागत (Post-conventional) — परिपक्व वयस्क	5. सामाजिक अनुबंध और अधिकार	क़ानून लोगों की भलाई के लिए बने समझीते हैं; अन्यायपूर्ण क़ानून बदले जाने चाहिए	जनहित में नियम-संशोधन का प्रस्ताव भेजना
	6. सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत	न्याय, समानता, मानवीय गरिमा — अंतरात्मा का सिद्धांत	सत्येन्द्र दुबे जैसा नैतिक साहस

कोलबर्ग के नैतिक विकास की सीढ़ी — 3 स्तर, 6 चरण



चित्र 1.25: कोलबर्ग के नैतिक विकास की सीढ़ी — 3 स्तर, 6 चरण

हाइज़ की दुविधा (Heinz Dilemma): कोलबर्ग ने लोगों से एक काल्पनिक प्रश्न पूछा — हाइज़ की पत्नी गंभीर रूप से बीमार है। एक दवा उसकी जान बचा सकती है, पर दवा-विक्रेता उसकी कई गुना कीमत माँग रहा है। हाइज़ उधार लेकर भी पूरे पैसे नहीं जुटा पाता। क्या उसे दवा चुरा लेनी चाहिए? अलग-अलग चरणों के लोग अलग-अलग तर्क देते हैं:

चरण	संभावित उत्तर और तर्क
चरण 1	नहीं चुरानी चाहिए — चोरी क़ानून के खिलाफ़ है, पकड़ा गया तो जेल होगी।
चरण 2	चुरा लेनी चाहिए — पत्नी बचेगी तो उसका अपना जीवन सुखी रहेगा; यह उसके हित में है।

चरण	संभावित उत्तर और तर्क
चरण 3	चुरा लेनी चाहिए — एक अच्छा पति यही करेगा; लोग उसे प्रेम करने वाला पति मानेंगे।
चरण 4	नहीं चुरानी चाहिए — अगर सब ऐसे ही चोरी करने लगे तो समाज की व्यवस्था टूट जाएगी।
चरण 5	चुरा लेनी चाहिए — जीवन रक्षक दवा पाना मूल अधिकार है; क़ानून इतना लचीला होना चाहिए कि ऐसी स्थिति का ध्यान रखे।
चरण 6	चुरा लेनी चाहिए — जीवन का अधिकार और मानवीय गरिमा जैसे सार्वभौमिक सिद्धांत किसी भी क़ानून से ऊपर हैं।

 **आलोचना:** कोलबर्ग स्वयं मानते थे कि हर व्यक्ति छठे चरण तक नहीं पहुँचता। संस्कृति और व्यक्तिगत परिस्थितियाँ भी नैतिक विकास की दिशा बदलती हैं। उनकी शिष्या कैरोल गिलिगन (Carol Gilligan) ने आलोचना की कि यह सिद्धांत "न्याय" पर अधिक ज़ोर देता है और "देखभाल" (Care) की नैतिकता को कम आँकता है।

आसान परिभाषा: नैतिक विकास (Moral Development)

 **परिभाषा:** वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति की सही-गलत को समझने की तर्क-क्षमता उम्र और अनुभव के साथ सज़ा के डर से आगे बढ़कर सार्वभौमिक सिद्धांतों तक पहुँचती है।

 **आसान भाषा में:** पहले हम डर से अच्छे बनते हैं, फिर तारीफ़ के लिए, फिर नियम के लिए — और सबसे ऊँचे स्तर पर इसलिए कि वह सही है।  **उदाहरण:** छोटा बच्चा मार के डर से होमवर्क करता है; बड़ा होकर वही व्यक्ति इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसे सीखना ज़रूरी लगता है।

कहानी: "लिफ़ाफ़ा" — एक युवा इंजीनियर की छह सीढ़ियाँ

झुंझुनूं ज़िले में सार्वजनिक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियंता राहुल (काल्पनिक नाम) को नौकरी में आए सिर्फ़ छह महीने हुए थे। गाँव की एक सड़क का काम पूरा होने वाला था और अंतिम माप-पुस्तिका (Measurement Book) पर उनके हस्ताक्षर बाक़ी थे। सड़क की परत तय मोटाई से लगभग एक-तिहाई पतली थी।

शाम को ठेकेदार चाय पर आया और जाते समय मेज़ पर एक मोटा लिफ़ाफ़ा छोड़ गया। "साहब, सब यही करते हैं। आपके सहायक अभियंता साहब को भी पता है। बस साइन कर दीजिए, अगली बार और ध्यान रखूँगा।"

रात भर राहुल सो नहीं पाए। उनके मन में एक के बाद एक आवाज़ें उठीं। पहली आवाज़ बोली — "पकड़े गए तो निलंबन होगा, जेल भी हो सकती है" (चरण 1 — **दंड का डर**)। दूसरी बोली — "इतने पैसे से घर की किस्ते जल्दी चुक जाएँगी" (चरण 2 — **स्वार्थ**)। तीसरी ने याद दिलाया — "पर बैच के दोस्त और गाँव वाले मुझे क्या समझेंगे?" (चरण 3 — **छवि**)। चौथी बोली — "नियम कहता है कि माप-पुस्तिका में सही माप ही लिखा जाए; यह मेरा कर्तव्य है" (चरण 4 — **क़ानून और व्यवस्था**)।

फिर उन्हें अपनी माँ की बात याद आई, जो सरकारी स्कूल में शिक्षिका थीं — "बेटा, सड़क पर चलने वाले हर बच्चे को अपना बच्चा समझना। अगर तेरी बनाई सड़क पहली बरसात में टूटी और उस पर कोई हादसा हुआ, तो वह पाप तेरे सिर होगा।" राहुल ने सोचा — यह सड़क गाँव के बच्चों के स्कूल और प्रसूता महिलाओं के अस्पताल का रास्ता है। यह **जनता के पैसे और लोगों की जान** का सवाल है (चरण 5 और 6 — **जनहित और सार्वभौमिक सिद्धांत**)।

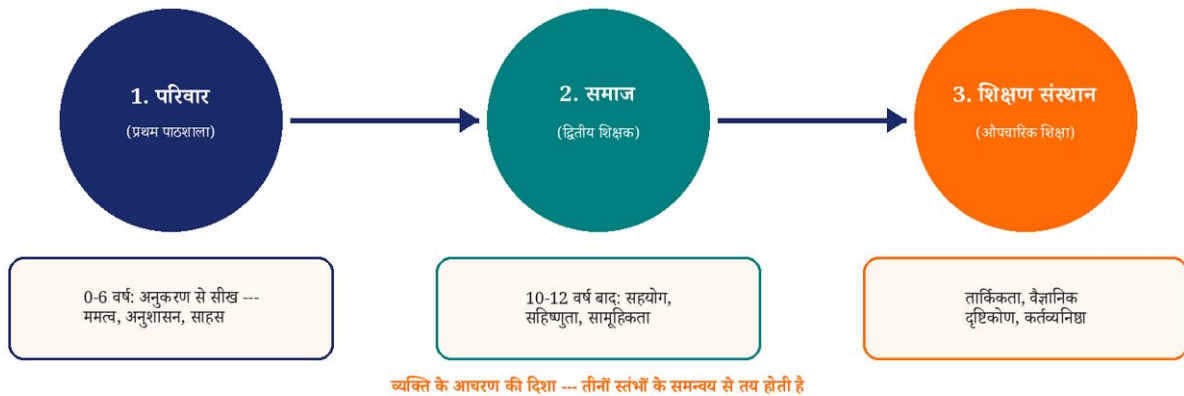
अगली सुबह उन्होंने लिफ़ाफ़ा लौटा दिया, माप-पुस्तिका में वास्तविक मोटाई दर्ज की और सहायक अभियंता को लिखित नोट भेजा कि भुगतान से पहले कमी दूर करवाई जाए। ठेकेदार ने ऊपर तक शिकायतें कीं, तबादले की धमकी भी मिली। पर लिखित रिकॉर्ड और गुणवत्ता-जाँच की रिपोर्ट राहुल के पक्ष में थी। ठेकेदार को अपने खर्च पर सड़क दोबारा बनानी पड़ी।

कुछ साल बाद जब उस क्षेत्र में भारी बारिश हुई और कई सड़कें बह गईं, वह सड़क सलामत रही। गाँव के सरपंच ने ग्राम सभा में कहा — "यह सड़क एक ईमानदार इंजीनियर की माँ की दी हुई सीख है।"

 **इस कहानी से सीख:** मूल्य परिवार से शुरू होते हैं (माँ की सीख), शिक्षा और कर्तव्य-बोध से मज़बूत होते हैं, और संकट के समय निर्णय तय करते हैं। राहुल की सोच कोलबर्ग के छहों चरणों से होकर गुज़री — डर और स्वार्थ से शुरू होकर जनहित और अंतरात्मा तक। साथ ही, उसने सत्यनिष्ठा को लिखित रिकॉर्ड और उचित प्रक्रिया से सुरक्षित भी किया।

13. मूल्य-निर्माण में परिवार, समाज और शिक्षण संस्थाओं की भूमिका

मूल्य-निर्माण की यात्रा (Journey of Value Formation)



चित्र 1.26: मूल्य-निर्माण की यात्रा — परिवार → समाज → शिक्षण संस्थान

मूल्य-निर्माण में परिवार, समाज और शिक्षण संस्थाओं — तीनों की भूमिका अलग-अलग है, और तीनों मिलकर ही व्यक्ति के मूल्य गढ़ते हैं। किसी एक को समझ लेने से पूरी तस्वीर नहीं बनती, इसलिए आगे तीनों को अलग-अलग समझाया गया है।

13.1 परिवार की भूमिका (प्रथम पाठशाला)

मूल्य-निर्माण में परिवार की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक वर्षों में बच्चे का संपर्क मुख्यतः परिवार से होता है — इसी दौर में बच्चा घर के सदस्यों के आचरण का सबसे ज़्यादा अनुकरण करता है, अतः परिवार के सदस्यों का आचरण निर्णायक भूमिका निभाता है।

आसान भाषा में: नीचे दी गई तालिका एक सामान्य प्रवृत्ति दिखाती है — व्यावहारिक रूप से परिवार का हर सदस्य ये सभी मूल्य साझा रूप से सिखा सकता है, यह विभाजन कोई कठोर नियम नहीं है।

परिवार का सदस्य	सिखाए जाने वाले प्रमुख मूल्य	उदाहरण
माता (Mother)	ममत्व, स्नेह, त्याग, धैर्य, बड़ों का सम्मान, देखभाल, निस्वार्थता	जीजाबाई ने शिवाजी को बचपन से ही वीरता और धर्म-कथाओं से नैतिक शिक्षा दी
पिता (Father)	कर्तव्यपरायणता, अनुशासन, साहस, कठोर परिश्रम, निर्भीकता, सुरक्षा का भाव	झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई को बचपन में पिता मोरोपंत तांबे की देखरेख में घुड़सवारी व शस्त्र-कौशल की शिक्षा मिली, जिसने उनके आगे के जीवन को आकार दिया
भाई-बहन	सहयोग, साझा करना, देखभाल, बंधुत्व	संयुक्त परिवार में टीम-भावना
दादा-दादी	आध्यात्मिकता, नैतिकता, स्नेह, परंपराओं का हस्तांतरण	बच्चों की कहानियाँ — नैतिक शिक्षा

◆ **अनुकरण विधि (Imitation Method):** बच्चा घर में जो व्यवहार देखता है, उसी की नकल करता है। जैसे — अगर माता-पिता सभी भाई-बहनों को बराबर प्यार देते हैं और बेटा-बेटी में भेद नहीं करते, तो बच्चा यही देखकर सीखता है और आगे चलकर समाज में भी सबके साथ समानता और सद्भावना का व्यवहार करता है।

◆ **परिवार संस्कृति के हस्तांतरण (Transfer of Culture)** का माध्यम है — दादा-दादी से माता-पिता और माता-पिता से बच्चों तक भाषा, त्योहार, रीति-रिवाज़ और नैतिक मूल्य पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ते हैं। जैसे अतिथि को भगवान मानने का संस्कार किसी किताब से नहीं, घर के व्यवहार से ही अगली पीढ़ी तक पहुँचता है।

◆ संयुक्त परिवार बनाम एकल परिवार — संयुक्त परिवार में कई पीढ़ियाँ और रिश्तेदार साथ रहते हैं, इसलिए बच्चा मिल-बाँटकर रहना, सबके साथ तालमेल बैठाना (टीम-भावना) सहज ही सीख जाता है और उसे अकेलापन भी कम महसूस होता है। एकल परिवार में ये अवसर अपेक्षाकृत कम होते हैं।

◆ **चुनौतियाँ:** आज एकल परिवार बढ़ रहे हैं, माता-पिता दोनों नौकरी या काम में व्यस्त रहते हैं और बच्चों के हाथ में बहुत कम उम्र में स्मार्टफोन (Smartphone) आ जाता है। इससे परिवार के साथ बातचीत का समय घटता है और बच्चों में अकेलापन तथा मानसिक तनाव बढ़ता है — यानी मूल्य सिखाने वाली 'पहली पाठशाला' ही कमज़ोर पड़ने लगती है।

मूल्य-निर्माण में परिवार की ताकत	परिवार की सीमाएँ / समस्याएँ
समाजीकरण की पहली जगह — "परिवार पहली पाठशाला, माँ पहली शिक्षिका"	जातिवाद, पितृसत्ता, रूढ़िवादिता जैसे प्रतिगामी मूल्य भी सिखा सकता है
गहरा भावनात्मक लगाव — इसलिए सीख गहरी	परिवार के सदस्य अलग-अलग, विरोधी मूल्य दे सकते हैं

मूल्य-निर्माण में परिवार की ताकत	परिवार की सीमाएँ / समस्याएँ
बच्चा सबसे अधिक समय परिवार में बिताता है	कहना कुछ, करना कुछ — जैसे बच्चे से झूठ बोलवाना
आपसी भरोसा; प्रगति पर बारीक नज़र रखना संभव	एकल परिवार और व्यस्त माता-पिता — साथ बिताया समय कम
आदर्श के रूप में माता-पिता — गांधीजी ने कहा कि उपवास और सत्याग्रह की प्रेरणा उन्हें माँ और पत्नी से मिली	प्रतिस्पर्धा और भौतिकवाद को देखभाल और प्रेम से ऊपर रखना; बच्चे पर मूल्य थोपना

पालन-पोषण की शैली का प्रभाव: जिन परिवारों में बच्चों से संवाद होता है और उनकी राय पूछी जाती है (लोकतांत्रिक शैली), वहाँ बच्चे में लोकतांत्रिक मूल्य और आत्मविश्वास विकसित होते हैं। जहाँ केवल आदेश चलता है (सत्तावादी शैली), वहाँ बच्चा या तो डरपोक बनता है या विद्रोही। शारीरिक दंड झेलने वाला बच्चा अक्सर बड़ा होकर हिंसा को "अनुशासन का सही तरीका" मानने लगता है — कॉलेज में रैगिंग, घर में बच्चों की पिटाई, या पुलिस में हिरासत में यातना को उचित ठहराना।

“ यदि किसी देश को भ्रष्टाचार-मुक्त और सुंदर मन वाले लोगों का राष्ट्र बनना है, तो मुझे दृढ़ विश्वास है कि तीन सामाजिक सदस्य ही यह बदलाव ला सकते हैं — पिता, माता और शिक्षक। (If a country is to be corruption free and become a nation of beautiful minds, I strongly feel there are three key societal members who can make a difference. They are the father, the mother and the teacher.) ” — डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम

13.2 समाज की भूमिका (द्वितीय शिक्षक)

परिवार के बाद समाज मूल्य-निर्माण में दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किशोरावस्था के आसपास बच्चे का समाज से संपर्क क्रमशः बढ़ता जाता है।

- ◆ **औपचारिक मूल्य** — समाज की वे रीतियाँ, परंपराएँ और मान्यताएँ जिन्हें खुले तौर पर स्वीकार किया जाता है और जिनका पालन सबसे अपेक्षित होता है। इनके ज़रिए व्यक्ति सहायता, भाईचारा, सौहार्द, सहिष्णुता और सामूहिक प्रयास जैसे मूल्य सीखता है — जैसे गाँव में किसी के घर विवाह या मृत्यु होने पर पूरा मोहल्ला मदद के लिए आ जाता है।
- ◆ **अनौपचारिक मूल्य** — वे मूल्य जो कहीं लिखे या घोषित नहीं होते, बल्कि रोज़मर्रा के मेल-जोल से अपने-आप सीख लिए जाते हैं — जैसे खान-पान की आदतें, बस में बुजुर्ग या महिला के लिए सीट छोड़ देना और बड़ों का सम्मान करना।
- ◆ **प्रगतिशील, शिक्षित समाज** — जहाँ समाज पढ़ा-लिखा और खुले विचारों वाला होता है, वहाँ व्यक्ति वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विचारों की व्यापकता (दूसरों की राय सुनने का खुलापन) और रचनात्मकता जैसे मूल्य सहज रूप से सीखता है।
- ◆ **नकारात्मक मूल्य** — जातिवाद, सांप्रदायिकता, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता भी समाज से आते हैं।

सकारात्मक मूल्य (समाज से)	नकारात्मक मूल्य (समाज से)
सहयोग, भाईचारा, सौहार्द, सहिष्णुता	जातिवाद, सांप्रदायिकता
राजनीतिक मूल्य, सामूहिक प्रयास	लिंग-भेद, छुआछूत
कर्तव्यचेतना, प्रकृति प्रेम	अंधविश्वास, रूढ़िवादिता
सेवा-भाव, संयम, सहानुभूति	हिंसा, घृणा, कट्टरता

☀ समाज की सामूहिक शक्ति के उदाहरण

अन्ना हज़ारे — महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िले के रालेगण सिद्धि गाँव में उन्होंने ग्रामीणों के श्रमदान से जल-संरक्षण और नशाबंदी जैसे काम करवाए; इस सामाजिक एकजुटता से सूखाग्रस्त और ग़रीब गाँव का पूरी तरह कायाकल्प हो गया। आर्मस्ट्रॉंग पामे — क्राउडफंडिंग से 100 किलोमीटर सड़क निर्माण (पूरी कहानी खंड 8, मूल्य 33 में)। श्याम सुंदर पालीवाल — पिपलांत्री गाँव में समाज की भागीदारी से पर्यावरण संरक्षण और बेटी-बचाओ दोनों साधे (पूरी कहानी खंड 8, मूल्य 25 में)।

समाज के माध्यम	मूल्य-निर्माण में ताकत	समस्याएँ
धर्म, परंपरा, रीति	स्थिरता और सामाजिक सद्भाव	रूढ़िवादिता, कुरीतियाँ
राजनीति व नेतृत्व	आदर्श प्रस्तुत करना	जब नेता स्वयं भ्रष्ट हों तो ग़लत संदेश
नागरिक समाज, स्थानीय समुदाय	सामूहिक दबाव से अच्छे व्यवहार को बढ़ावा	विविधता के कारण परस्पर विरोधी संदेश
अर्थव्यवस्था, बाज़ार	परिश्रम और उद्यम के मूल्य	उपभोक्तावाद, "पैसा ही सब कुछ"

- ◆ **उल्टा असर (Boomerang Effect):** जब समाज कठोर और बिना समझाए मूल्य थोपता है, तो व्यक्ति, खासकर युवा, उसके खिलाफ़ विद्रोह कर देता है। इसलिए मूल्यों के पीछे का कारण समझाना ज़रूरी है।

13.3 मीडिया और सोशल मीडिया की भूमिका

आज मूल्य-निर्माण में परिवार, समाज और विद्यालय के साथ एक चौथी बड़ी शक्ति जुड़ गई है — **मीडिया और सोशल मीडिया**। यह तय करने में बड़ी भूमिका निभाता है कि समाज किसे "स्वीकार्य" और किसे "शर्मनाक" माने।

◆ **सकारात्मक भूमिका:** मीडिया भ्रष्टाचार और अन्याय का खुलासा करके गलत काम करने वालों पर सामाजिक दबाव बनाता है, स्वच्छता और अंगदान जैसे जन-जागरूकता अभियानों से अच्छे व्यवहार को बढ़ावा देता है, और हाशिए के लोगों (गरीब, दूर-दराज़ के, कमज़ोर वर्ग) की आवाज़ को मंच देकर समाज में समानुभूति जगाता है।

◆ **नकारात्मक भूमिका:** यही मीडिया फ़र्ज़ी ख़बरें (Fake News) और नफ़रत भरी सामग्री फैलाकर समाज में अविश्वास और तनाव पैदा कर सकता है, दिखावे और उपभोक्तावाद ('जो दिखाता है वही बिकता है') को बढ़ावा देता है, और साइबर-धोस (Cyber-bullying — ऑनलाइन किसी को डराना, अपमानित करना) से युवाओं के मन पर गहरी चोट करता है।

◆ **"गूँज कक्ष" (Echo Chamber):** सोशल मीडिया के एल्गोरिथ्म व्यक्ति को वही सामग्री बार-बार दिखाते हैं जो उसकी पहले से बनी राय से मेल खाती है। इससे विरोधी विचार सुनने की आदत घटती है, ध्रुवीकरण बढ़ता है और सहिष्णुता जैसे मूल्य कमज़ोर होते हैं।

◆ **आगे की राह:** हर नागरिक को डिजिटल साक्षरता चाहिए, ताकि वह सच्ची और फ़र्ज़ी ख़बर में अंतर कर सके; विद्यालयों में "मीडिया-विवेक" (किसी ख़बर को परखकर ही मानना) सिखाया जाए; मीडिया संस्थान ज़िम्मेदार पत्रकारिता के लिए स्वयं अपने नियम बनाकर उनका पालन करें (स्व-नियमन); और परिवार में बच्चों से स्क्रीन-समय पर डाँटने के बजाय संवाद हो।

13.4 शिक्षण संस्थाओं की भूमिका (औपचारिक शिक्षा)

संस्कृत सूक्ति "विद्या ददाति विनयम्" का शाब्दिक अर्थ है — "विद्या विनय (नम्रता) देती है"। इसे आगे विस्तारित करते हुए पारंपरिक रूप से यह भी समझाया जाता है कि विनय से पात्रता, पात्रता से धन, धन से धर्माचरण और अंततः सुख प्राप्त होता है — यानी सच्ची शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी नहीं, बल्कि शीलता, सदाचार और कर्तव्यनिष्ठा जैसे गुण विकसित करना है। शिक्षण संस्थाओं की भूमिका परिवार और समाज की तुलना में थोड़ी बाद में आती है, किंतु उतनी ही महत्वपूर्ण है।

◆ शिक्षण संस्थाएँ विद्यार्थियों में सबसे पहले तार्किकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण (Scientific Temperament) विकसित करती हैं — यानी किसी बात को आँख मूँदकर मानने के बजाय उसका कारण पूछना और प्रमाण देखकर निष्कर्ष निकालना।

◆ इसके साथ वे पंथनिरपेक्षता/धर्मनिरपेक्षता (Secularism), न्यायप्रियता, कठोर परिश्रम, अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा, स्वतंत्र सोच और वैचारिक गतिशीलता (नए विचारों को अपनाने का खुलापन) जैसे मूल्य सिखाती हैं, क्योंकि विद्यालय में अलग-अलग धर्म, जाति और वर्ग के विद्यार्थी साथ पढ़ते हैं, समान नियमों के अनुसार चलते हैं और अपनी बात खुलकर रखना सीखते हैं।

◆ पर्यावरण संरक्षण, बंधुत्व और लैंगिक समानता जैसे संवैधानिक मूल्य भी विद्यालय में गहराई पाते हैं — जैसे वृक्षारोपण अभियान, साथ मिलकर खेलना और लड़के-लड़कियों को बराबर ज़िम्मेदारियाँ देना।

शिक्षण संस्थाओं के प्रमुख कार्य:

1. बौद्धिक प्रशिक्षण (Intellectual Training) — सोचने, समझने और तर्क करने की क्षमता का विकास।
2. चरित्र-निर्माण (Character Building) — ईमानदारी, अनुशासन और ज़िम्मेदारी जैसी अच्छी आदतें डालना।
3. सामुदायिक जीवन की प्रेरणा (Community Life) — दूसरों के साथ मिल-जुलकर रहना और समूह के हित को समझना।
4. स्वास्थ्य एवं स्वच्छता — व्यायाम, संतुलित भोजन और साफ़-सफ़ाई की आदत डालना।
5. देशभक्ति की भावना का विकास — राष्ट्रीय पर्वों, राष्ट्रगान और स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियों से देश के प्रति प्रेम जगाना।
6. सृजनात्मकता (Creativity) — कला, विज्ञान-प्रदर्शनी और नई सोच के माध्यम से कुछ नया रचने की क्षमता बढ़ाना।

◆ **पाठ्यक्रम-सहगामी क्रियाएँ (Co-curricular Activities)** — यानी पढ़ाई के साथ चलने वाली गतिविधियाँ, जैसे खेलकूद, प्रार्थना सभा और महापुरुषों की जयंती मनाना। खेल में टीम के साथ खेलना और हार स्वीकार करना टीम-भावना व धैर्य सिखाता है, और नियमों से खेलना सत्यनिष्ठा का अभ्यास कराता है।

◆ **चुनौती:** शिक्षा के बढ़ते व्यावसायीकरण से यह जोखिम पैदा हो सकता है कि शिक्षा सिर्फ़ रोज़गार पाने का साधन मानी जाने लगे, और मूल्य-निर्माण का पक्ष पीछे छूट जाए।

◆ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) इसी कमी को दूर करने के लिए मूल्य-आधारित समग्र विकास पर बल देती है — यानी शिक्षा का लक्ष्य केवल अंक और डिग्री नहीं, बल्कि नैतिकता, संवैधानिक मूल्य, समानुभूति और ज़िम्मेदार नागरिकता का विकास भी माना गया है।

✨ ऐतिहासिक उदाहरण

आचार्य चाणक्य ने साधारण बालक चंद्रगुप्त को रणनीति और नेतृत्व की शिक्षा देकर मौर्य साम्राज्य का संस्थापक बनाया। रामकृष्ण परमहंस ने नरेन्द्रनाथ को आध्यात्मिकता और 'मानव सेवा ही ईश्वर सेवा' का पाठ पढ़ाया, जिससे वे स्वामी विवेकानंद बने। ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने बताया है कि बचपन में उनके विज्ञान-शिक्षक शिवसुब्रमण्य अय्यर ने समुद्र-तट पर उड़ते पक्षियों को दिखाकर उड़ान का विज्ञान समझाया था — उसी दिन से उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण और उड़ान के प्रति लगाव जागा।

13.5 शिक्षण संस्थाएँ मूल्य कैसे सिखाती हैं? — शिक्षक की भूमिका

विद्यालय वह पहली जगह है जहाँ बच्चा परिवार से बाहर के लोगों — सहपाठियों, शिक्षकों, कर्मचारियों — से मिलता है और सीखता है कि समाज में अपने व्यवहार को कैसे नियंत्रित करे। शिक्षण संस्थाएँ अनेक तरीकों से मूल्य सिखाती हैं:

◆ **पाठ्यक्रम और पुस्तकें:** फ़्रांसीसी क्रांति से "स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व"; दक्षिण अफ़्रीका में गांधीजी को ट्रेन से उतारे जाने की घटना से अन्याय के विरोध का साहस; संविधान से लोकतंत्र और पंथनिरपेक्षता। पर पुस्तकें रूढ़ियाँ भी गढ़ सकती हैं — जैसे "पापा दफ़्तर से आ रहे हैं, मम्मी खाना बना रही हैं" जैसे वाक्य लैंगिक भूमिकाओं को पक्का करते हैं।

◆ **गतिविधियाँ और भ्रमण:** वृद्धाश्रम ले जाकर करुणा, संग्रहालय और विविध धार्मिक स्थलों के भ्रमण से सहिष्णुता, वृक्षारोपण और सफाई से पर्यावरण-प्रेम, खेलों से टीम-भावना और खेल-भावना।

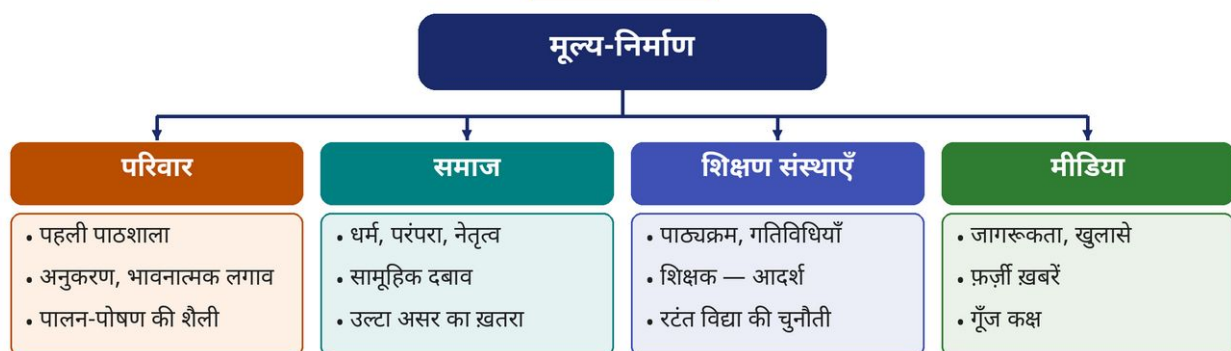
◆ **अनुशासन, पुरस्कार-दंड, सहपाठी:** विद्यालय की घंटी, गणवेश (यूनिफॉर्म) और नियम बच्चे को समय की पाबंदी और नियम-पालन सिखाते हैं; अच्छे काम पर पुरस्कार और गलती पर टोकना इन आदतों को पक्का करता है। साथ ही, सहपाठियों का दबाव (Peer Pressure) भी व्यवहार बदलता है — अच्छी संगति अच्छे मूल्य देती है और बुरी संगति गलत आदतें।

◆ **शिक्षक — सबसे बड़ा आदर्श:** शिक्षक सीखने का माहौल बनाता है, विद्यार्थियों के मन को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करता है और स्वयं एक जीवंत उदाहरण बनता है। जो शिक्षक समय का पाबंद, निष्पक्ष और ईमानदार है, उसके विद्यार्थी बिना भाषण के ही ये मूल्य सीख लेते हैं।

शिक्षण संस्थाओं की ताकत	चुनौतियाँ
औपचारिक समाजीकरण की पहली जगह; अधिकार और नियंत्रण के कारण अधिक प्रभावी	रटंत विद्या (Rote Learning) — मूल्य केवल परीक्षा का अध्याय बनकर रह जाते हैं
वरिष्ठ विद्यार्थियों और शिक्षकों के रूप में आदर्श उपलब्ध	शिक्षा का राजनीतिकरण और व्यावसायीकरण
व्यवस्थित शिक्षण-विधियाँ — वाद-विवाद, चर्चा, परियोजना	गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक असमान पहुँच
व्यक्ति जीवन का बड़ा हिस्सा यहाँ बिताता है	अंकों की होड़ में चरित्र-निर्माण की उपेक्षा

“ शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है, जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। (Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.) ” — नेल्सन मंडेला (Nelson Mandela)

मूल्य-निर्माण के चार माध्यम — एक नज़र में



चित्र 1.27: मूल्य-निर्माण के चार माध्यम — एक नज़र में

परिवार + समाज (अनौपचारिक शिक्षा)	शिक्षण संस्थाएँ (औपचारिक शिक्षा)
भावनात्मक मूल्य प्रबल	बौद्धिक मूल्य प्रबल
अनुकरण विधि से सीखना	तर्क और ज्ञान आधारित
प्रारंभिक वर्षों में अधिक प्रभाव	बाद के वर्षों में अधिक प्रभाव
स्थायी छाप छोड़ते हैं	वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित

14. दुर्गुण (Vices) — समाज में अस्वीकार्य प्रवृत्तियाँ

दुर्गुण वे अवांछनीय आदतें, व्यवहार या प्रवृत्तियाँ हैं जिन्हें समाज में सामान्यतः गलत माना जाता है। एक प्रशासक के लिए दुर्गुणों से बचना अनिवार्य है — नीचे हर दुर्गुण के सामने उसका **विपरीत मूल्य** भी दिया गया है, ताकि याद रखना आसान हो।

दुर्गुण	प्रभाव	विपरीत मूल्य
भ्रष्टाचार (Corruption)	संसाधनों का दुरुपयोग, जनविश्वास का क्षरण	प्रोबिटी, सत्यनिष्ठा (Probity, Integrity)
उदासीनता (Apathy)	लोक-सेवा की विफलता	करुणा, प्रतिबद्धता (Compassion, Commitment)
आलस्य (Sloth)	अकुशलता, लक्ष्यहीनता	दृढ़ता, अनुशासन (Tenacity, Discipline)
अहंकार (Arrogance)	जन-असंतोष, टीमवर्क में बाधा	विनम्रता, समानुभूति (Humility, Empathy)
लालच (Greed)	भ्रष्टाचार, संसाधनों का दोहन	संतोष, संयम (Contentment, Temperance)
घृणा (Hatred)	सांप्रदायिकता, हिंसा	सहिष्णुता, भाईचारा (Tolerance, Brotherhood)

दुर्गुण	प्रभाव	विपरीत मूल्य
चापलूसी (Flattery)	पक्षपाती निर्णय, जी-हुजूरी	ईमानदारी, साहस (Honesty, Courage)
छल-कपट (Deceit)	जनविश्वास का हनन	पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा (Transparency, Integrity)
अन्याय (Injustice)	सामाजिक असंतोष, विद्रोह	न्याय, निष्पक्षता (Justice, Fairness)

दुर्गुण और उनके विपरीत मूल्य

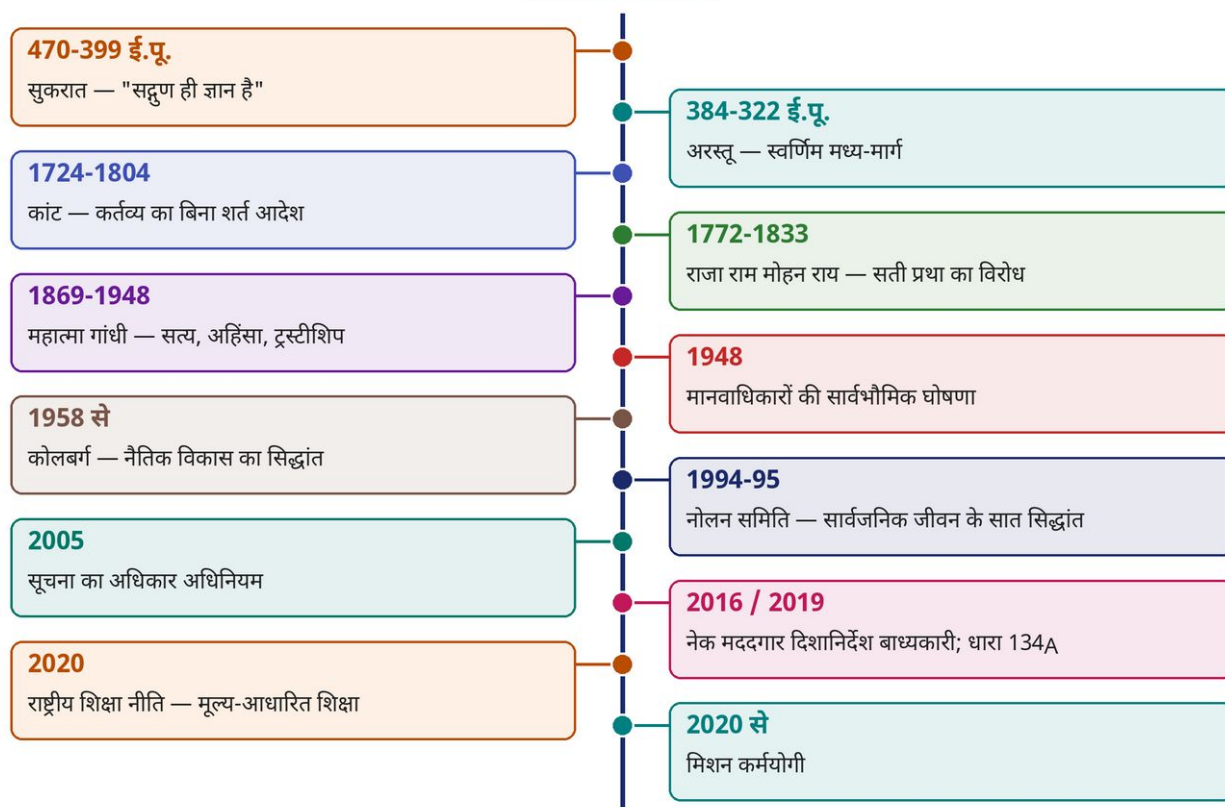
भ्रष्टाचार → प्रोबिटी, सत्यनिष्ठा	उदासीनता → करुणा, प्रतिबद्धता	आलस्य → दृढ़ता, अनुशासन
अहंकार → विनम्रता, समानुभूति	लालच → संतोष, संयम	घृणा → सहिष्णुता, भाईचारा
चापलूसी → ईमानदारी, साहस	छल-कपट → पारदर्शिता	अन्याय → न्याय, निष्पक्षता

चित्र 1.28: दुर्गुण और उनके विपरीत मूल्य

15. नैतिकता और मानवीय मूल्य — ऐतिहासिक यात्रा (Timeline)

वर्ष / संदर्भ	विषय / घटना / विचारक
470-399 ई.पू.	सुकरात (Socrates) — "सद्गुण ज्ञान है।" पश्चिमी नैतिक दर्शन की नींव।
428-348 ई.पू.	प्लेटो (Plato) — 4 प्रमुख सद्गुण: विवेक, साहस, न्याय, संयम।
384-322 ई.पू.	अरस्तू (Aristotle) — निकोमेकियन एथिक्स — "स्वर्णिम मध्य-मार्ग" — पश्चिमी नैतिक दर्शन के सबसे प्रभावशाली ग्रंथों में से एक।
1724-1804	इमैनुएल कांट (Immanuel Kant) — कर्तव्य का बिना शर्त आदेश, "कर्तव्य के लिए कर्तव्य।"
1748-1832	जेरेमी बेन्थम (Jeremy Bentham) — उपयोगितावाद — "अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख।"
1772-1833	राजा राम मोहन राय — सती प्रथा उन्मूलन में योगदान, ब्रह्म समाज।
1806-1873	जॉन स्टुअर्ट मिल (John Stuart Mill) — गुणात्मक उपयोगितावाद।
1863-1902	स्वामी विवेकानंद — नव-वेदांत, दरिद्र नारायण, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा।
1869-1948	महात्मा गांधी — सत्य, अहिंसा, सत्यनिष्ठा, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत।
1875-1950	सरदार वल्लभभाई पटेल — लौह पुरुष, लगभग 565 रियासतों का विलय।
1891-1956	बी.आर. अंबेडकर — संविधान, सामाजिक न्याय, दलित उत्थान।
1994	नोलन समिति (UK) — IASHOOL — सार्वजनिक जीवन के सात सिद्धांत।
2005-2009	द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) की कुल 15 रिपोर्टें — शासन में नैतिकता, DIPAO मूल्य।
2005	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (RTI Act) — पारदर्शिता, जवाबदेही को संस्थागत रूप।
2020	राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) — मूल्य-आधारित समग्र शिक्षा।
2020 से आगे	मिशन कर्मयोगी — सिविल सेवकों में सत्यनिष्ठा एवं दक्षता का विकास।
2023	चंद्रयान-3 — चाँद के दक्षिणी ध्रुव के निकट सफल सॉफ्ट-लैंडिंग (23 अगस्त 2023, विक्रम लैंडर टचडाउन) — दृढ़-संकल्प और टीमवर्क की मिसाल।

नैतिकता और मानवीय मूल्य — ऐतिहासिक यात्रा



चित्र 1.29: नैतिकता और मानवीय मूल्य — ऐतिहासिक यात्रा

☀ अध्याय का सार — एक पंक्ति में

अमेरिकी विचारक आर.डब्ल्यू. एमर्सन (R.W. Emerson) ने कहा था — "गहरी नैतिकता के बिना उच्च सभ्यता नहीं हो सकती।" यानी नैतिकता कोई अलग-थलग गुण नहीं, बल्कि सत्येन्द्र दुबे जैसे लोगों की सत्यनिष्ठा से लेकर परिवार-समाज-शिक्षा तक — हर स्तर पर मिलकर बनने वाली एक सभ्यता का हिस्सा है। यही इस पूरे अध्याय की मूल सीख है।

बोनस: उत्तर-लेखन अभ्यास (मॉडल प्रश्न और उत्तर)

प्रश्न 1: "प्रशासनिक उत्कृष्टता प्राप्त करने में नैतिक मूल्यों की भूमिका पर चर्चा कीजिए।"

उत्तर: प्रशासनिक उत्कृष्टता का अर्थ केवल कार्यकुशलता नहीं, बल्कि 'लोक-कल्याण' और 'संविधान के प्रति निष्ठा' के साथ कार्य करना है। नैतिक मूल्य एक लोक-सेवक को साधारण अधिकारी से 'आदर्श प्रशासक' में बदलते हैं।

नैतिक मूल्यों की आवश्यकता:

- ◆ **जवाबदेही:** नोलन समिति के अनुसार, सार्वजनिक जीवन में जवाबदेही अनिवार्य है। यह निर्णय लेने में पारदर्शिता लाती है। (उदाहरण: लाल बहादुर शास्त्री द्वारा रेल दुर्घटना के बाद इस्तीफा देना।)
- ◆ **निर्णय लेने में स्पष्टता:** हितों के टकराव (Conflict of Interest) की स्थिति में सत्यनिष्ठा और वस्तुनिष्ठता अधिकारी को सही मार्ग दिखाते हैं।
- ◆ **जन-विश्वास की स्थापना:** पारदर्शिता और सहानुभूति से नागरिकों का शासन के प्रति भरोसा बढ़ता है। (उदाहरण: पी. नरहरि द्वारा 'पंच स्पर्श' अभियान — खंड 3.2 में पूरी कहानी।)
- ◆ **कानून का राज (Rule of Law):** द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के DIPAO ढाँचे में 'कानून के शासन के प्रति दायित्व (Obligation to the Rule of Law)' यह दर्शाता है कि लोक-सेवकों की प्राथमिक निष्ठा कानून और संविधान के प्रति होनी चाहिए, न कि निजी हितों या राजनीतिक दबाव के प्रति।

निष्कर्ष: प्रशासन में नैतिक मूल्य साध्य (End) और साधन (Means) के बीच सामंजस्य स्थापित करते हैं। एक उत्कृष्ट प्रशासक वह है जो केवल नियमों का पालन नहीं करता, बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से समाज के अंतिम व्यक्ति की सेवा करता है।

प्रश्न 2: "मूल्य-निर्माण में परिवार और समाज की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।"

उत्तर: मूल्य व्यक्ति के आचरण की दिशा निर्धारित करते हैं। इनका बीजारोपण परिवार में होता है और विकास समाज में।

परिवार (प्रथम पाठशाला):

- ◆ **अनुकरण:** प्रारंभिक वर्षों में बच्चा परिवार के सदस्यों के व्यवहार को देखकर सीखता है — यह प्रक्रिया माता-पिता व अन्य सदस्यों के साझा आचरण से मिलकर बनती है।
- ◆ **आधारभूत मूल्य:** यहीं से सत्यनिष्ठा, प्रेम और जिम्मेदारी जैसे बुनियादी मानवीय मूल्य विकसित होते हैं।

समाज (द्वितीय शिक्षक):

◆ **समाजीकरण:** समाज व्यक्ति को 'नियम' और 'सांस्कृतिक मूल्य' सिखाता है। सहयोग, सहिष्णुता, और सामूहिकता का विकास समाज में ही होता है।

◆ **वैज्ञानिक दृष्टिकोण:** एक प्रगतिशील समाज ही व्यक्ति में तार्किकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर सकता है।

प्रशासनिक प्रासंगिकता: जो अधिकारी संस्कारित परिवार और प्रगतिशील समाज से आते हैं, वे प्रशासनिक चुनौतियों (जैसे राजनीतिक दबाव या प्रलोभन) के सामने डगमगाते नहीं हैं। (उदाहरण: अशोक खेमका जैसे अधिकारियों का साहसी व्यवहार अक्सर मज़बूत पारिवारिक व सामाजिक मूल्य-संस्कारों के साथ देखा जाता है, हालाँकि यह एकमात्र कारण नहीं कहा जा सकता — पूरी कहानी खंड 11.3 में।)

निष्कर्ष: परिवार 'नींव' है और समाज 'विस्तार'। एक आदर्श प्रशासक के निर्माण में इन दोनों का समन्वय अनिवार्य है, ताकि वह लोक-सेवा को एक 'मिशन' के रूप में देख सके।



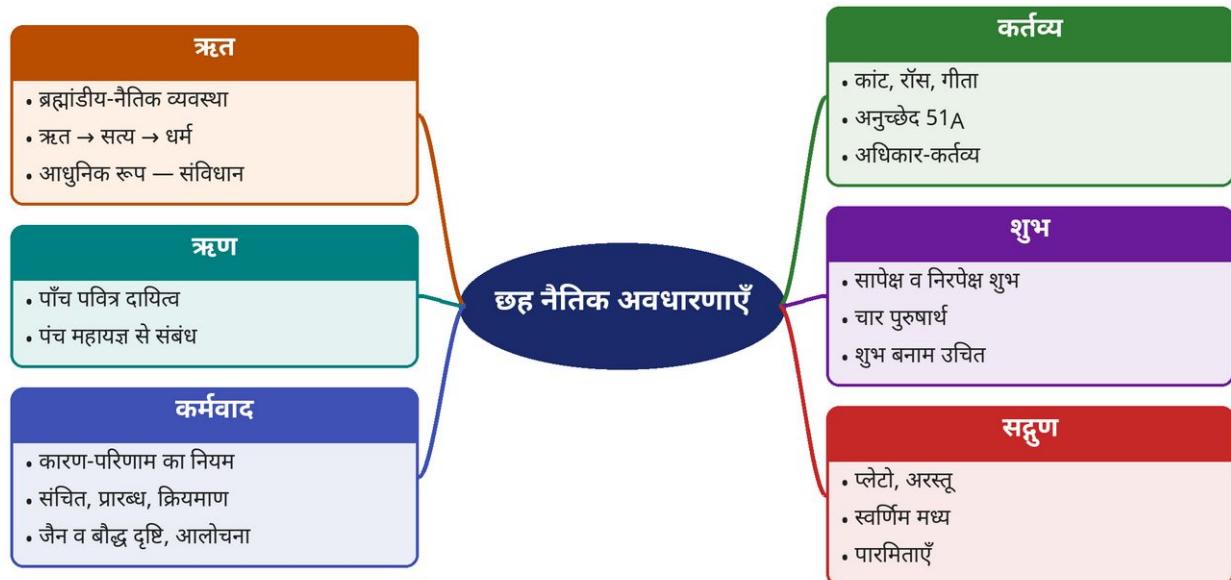
📖 शुरुआत एक सच्ची घटना से...

दिसंबर 2015 की एक सर्द सुबह थी। राजस्थान के जालौर जिले के तत्कालीन कलेक्टर डॉ. **जितेन्द्र कुमार सोनी** एक सरकारी स्कूल के निरीक्षण पर गए थे। वहाँ उन्होंने देखा कि कड़कड़ाती ठंड में कई बच्चे नंगे पैर या फटी-टूटी चप्पलों में स्कूल आए हैं। यह दृश्य देखकर उनसे रहा नहीं गया — उसी दिन उन्होंने अपनी जेब से बच्चों के लिए जूते खरीदकर बाँटवाए। पर जब पंचायत-स्तर पर सर्वे कराया गया तो पता चला कि जिले में हज़ारों बच्चे बिना ठीक जूतों के स्कूल जाते हैं। एक अफसर के लिए यह आँकड़ा किसी फ़ाइल में दर्ज कर आगे बढ़ जाने का मौका था, पर सोनी साहब ने इसे अपना कर्तव्य माना। उन्होंने आम जनता से चंदा जुटाने की अपील शुरू की — थोड़े ही दिनों में जिले के बस-मालिकों से लेकर विदेश में बैठे प्रवासी भारतीयों तक ने दान दिया। यह अभियान "चरण पादुका अभियान (Charan Paduka Abhiyaan)" कहलाया, जो जनवरी 2016 के पहले सप्ताह में औपचारिक रूप से शुरू हुआ, और देखते ही देखते जालौर से आगे बढ़कर राज्य के कई और ज़िलों तक पहुँच गया — इतना सराहा गया कि राजस्थान सरकार ने इससे प्रेरित होकर इसे व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाया। सोनी साहब ने किसी कानून की बाध्यता से यह काम नहीं किया — उन्होंने बस यह महसूस किया कि हर इंसान अपने आस-पास के दूसरे इंसानों का ऋणी है, और यही ऋण चुकाना उनका फ़र्ज़ है। यही इस पूरे अध्याय की जड़ है — प्रशासक के हर सही फैसले के पीछे कोई न कोई गहरी नैतिक अवधारणा काम करती है, चाहे उसे इसका एहसास हो या न हो। यह अध्याय आपको ठीक उन्हीं जड़ों से मिलवाएगा — ऋत, ऋण, कर्मवाद, कर्तव्य, शुभ और सद्गुण।

☀️ यह अभियान कितना बड़ा बना?

सर्वे में पता चला कि ज़िले के लगभग ढाई हज़ार विद्यालयों में औसतन हर विद्यालय के करीब दस बच्चे नंगे पैर आते थे — यानी लगभग **25 हज़ार बच्चे**। सोशल मीडिया पर अपील के बाद लगभग 15 दिनों में ही **30 हज़ार से अधिक** विद्यार्थियों तक जूते पहुँच गए। अभियान का नियम बना कि सर्दी के लिए गणतंत्र दिवस तक और गर्मी के लिए स्वतंत्रता दिवस तक जूते बाँटे जाएँगे। मुख्यमंत्री ने इसे पूरे राज्य में दोहराने के निर्देश दिए, और 2020 की शुरुआत तक यह अभियान **1.76 लाख से अधिक** विद्यार्थियों तक पहुँच चुका था। सोनी स्वयं इसे "जनता की योजना" कहते थे, जिसमें वे केवल एक सहायक की भूमिका में थे।

अध्याय 02 — एक नज़र में



चित्र 2.1: अध्याय 02 — एक नज़र में

कहानी: अध्याय की यात्रा — "सेठ धनराज जी का आखिरी बहीखाता"

(यह एक काल्पनिक कहानी है। इसके हर पन्ने में इस अध्याय का एक भाग छिपा है — इसे ध्यान से पढ़िए, पूरा अध्याय आपके सामने खुल जाएगा।)

बाड़मेर ज़िले में नए-नए उपखंड अधिकारी बने आदित्य लुट्टी में अपने पुश्तैनी गाँव लौटे। हवेली की पुरानी अलमारी साफ़ करते हुए उन्हें लाल कपड़े में लिपटी एक मोटी बही मिली। यह उनके स्वर्गीय दादा सेठ धनराज जी की थी, जो पूरे इलाक़े में ईमानदार व्यापारी के रूप में जाने जाते थे। आदित्य ने सोचा कि इसमें पुराने लेन-देन का हिसाब होगा। पर जब उन्होंने आखिरी पन्ने खोले, तो वहाँ पैसों का नहीं, **जीवन का हिसाब** लिखा था।

पहला पन्ना — "तराजू का नियम": दादाजी ने लिखा था — "सूरज रोज़ समय पर उगता है, ऋतुएँ अपने क्रम से आती हैं। दुकान का तराजू भी इसी व्यवस्था का हिस्सा है। जिस दिन तराजू झूठा तौलेगा, उस दिन केवल ग्राहक नहीं ठगा जाएगा, पूरी व्यवस्था टूटेगी।" आदित्य मुस्कराए — यही तो ऋतु है: प्रकृति और समाज की वह व्यवस्था जिसे कोई तोड़े तो अनृत होता है। आज के प्रशासन में संविधान और क़ानून यही "तराजू" हैं। (खंड 1 और 2)

दूसरा पन्ना — "पाँच उधार": इस पन्ने पर पाँच नाम लिखे थे। "धरती, पानी और सूरज का उधार; गुरुजी का उधार, जिन्होंने हिसाब सिखाया; माँ-बाप का उधार; गाँव वालों का उधार, जिन्होंने अकाल में साथ दिया; और गाय, पेड़ और पंछियों का उधार।" हर नाम के आगे लिखा था कि यह उधार कैसे चुकाया — कुआँ खुदवाकर, पाठशाला बनवाकर, माँ-बाप की सेवा करके, अकाल में अनाज बाँटकर, और ओरण में पेड़ लगाकर। आदित्य समझ गए — यह पाँच ऋणों (देव, ऋषि, पितृ, नृ और भूत ऋण) की सूची है। (खंड 3)

तीसरा पन्ना — "जमा, नामे और आगे का खाता": दादाजी ने कर्म को भी बही की भाषा में समझाया था — "पिछले सालों का जो जमा है, वह पूँजी है; उसमें से जो इस साल खर्च हो रहा है, वह तय है; और जो आज कमा रहा हूँ, वही कल की पूँजी बनेगा।" यही संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण कर्म का भेद है। नीचे लिखा था — "कर्म का फल मिलता है, पर फल के डर से हाथ पर हाथ धरे बैठना भाग्यवाद है, कर्मवाद नहीं।" (खंड 4)

चौथा पन्ना — "तीन सवाल": एक कोने में तीन सवाल लिखे थे — "क्या सही है? क्यों करना है? कैसे करना है?" आदित्य को लगा जैसे दादाजी ने ऋतु, ऋण और कर्म का त्रिकोण बना दिया हो। (खंड 5)

पाँचवाँ पन्ना — "दुकान के नियम": "सुबह दुकान समय पर खोलना, वादा किया माल समय पर देना, और गलती हो तो नुकसान भरना" — आदित्य ने पढ़ा तो उन्हें लगा जैसे वे दार्शनिक डब्ल्यू.डी. रॉस के कर्तव्यों की सूची पढ़ रहे हों: वचन निभाना, क्षतिपूर्ति करना, कृतज्ञता, न्याय। उसी पन्ने पर लिखा था — "हज़र माँगने से पहले फ़र्ज़ निभाना।" यही कर्तव्य और अधिकार का रिश्ता है, और यही संविधान के मूल कर्तव्य भी सिखाते हैं। (खंड 6)

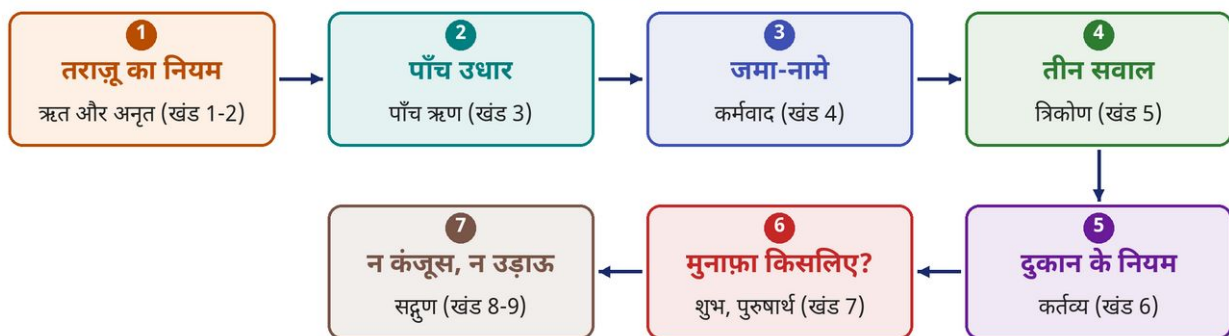
छठा पन्ना — "मुनाफ़ा किसलिए?": दादाजी ने लिखा था — "मुनाफ़ा सुख का साधन है, सुख नहीं। धर्म से कमाओ, ज़रूरत भर भोगो, और अंत में सब छोड़ने को तैयार रहो।" यह सापेक्ष और निरपेक्ष शुभ का अंतर था, और भारतीय परंपरा के चार पुरुषार्थ — धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष — का सार भी। (खंड 7)

सातवाँ पन्ना — "न कंजूस, न उड़ाऊ": आखिरी पंक्ति थी — "दान ऐसा कि घर भी चले और ज़रूरतमंद भी। साहस ऐसा कि अन्याय से डरो नहीं, पर बेवजह झगड़ो भी नहीं।" आदित्य चौंक गए — यह तो यूनानी दार्शनिक अरस्तू का स्वर्णिम मध्य है, जिसमें हर सद्गुण दो अतियों के बीच होता है। (खंड 8 और 9)

अगले दिन दफ़्तर जाते हुए आदित्य ने बही की एक फ़ोटो अपने फ़ोन की स्क्रीन पर लगा ली। उन्होंने तय किया कि हर फ़ाइल पर दस्तखत से पहले वे तीन बातें सोचेंगे — क्या यह व्यवस्था (ऋतु) के अनुरूप है, क्या इससे मैं अपना ऋण चुका रहा हूँ, और इसका फल (कर्म) किस पर क्या पड़ेगा। यही यात्रा अब आप इस अध्याय में करने जा रहे हैं।

🔑 **इस कहानी से सीख:** यह अध्याय सात पन्नों की तरह खुलता है — (1) ऋतु और अनृत, (2) पाँच ऋण, (3) कर्मवाद और उसके प्रकार, (4) ऋतु-ऋण-कर्म का त्रिकोण, (5) कर्तव्य और मूल कर्तव्य, (6) शुभ और पुरुषार्थ, (7) सद्गुण और स्वर्णिम मध्य।

बहीखाते के सात पन्ने — अध्याय के सात भाग



चित्र 2.2: बहीखाते के सात पन्ने — अध्याय के सात भाग

अध्याय विषय-सूची

1 नैतिक संप्रत्यय (Ethical Concepts) — एक परिचय	6 कर्तव्य (Duty) की अवधारणा
2 ऋतु (Rit / Rita) — ब्रह्मांडीय व्यवस्था की अवधारणा	7 शुभ (Good) की अवधारणा

3 ऋण (Rin) — पाँच पवित्र दायित्व

4 कर्मवाद (Karmavada) — क्रिया और उसके परिणाम का नियम

5 ऋत + ऋण + कर्मवाद — त्रिकोणीय संबंध

8 सद्गुण (Virtue) की अवधारणा

9 ऋत, ऋण, कर्मवाद, कर्तव्य, शुभ एवं सद्गुण — ऐतिहासिक यात्रा

1. नैतिक संप्रत्यय (Ethical Concepts) — एक परिचय

नैतिक संप्रत्यय वे मूलभूत मापदंड हैं जिनकी कसौटी पर एक सामान्य मनुष्य के ऐच्छिक आचरण (यानी जो उसने अपनी मर्जी से किया, मजबूरी में नहीं) का नैतिक मूल्यांकन किया जाता है। सीधी भाषा में कहें तो — जब भी हमें यह तय करना हो कि किसी काम को "सही" कहा जाए या "गलत", तो हम जिन कसौटियों का सहारा लेते हैं, वही नैतिक संप्रत्यय हैं।

◆ ये अवधारणाएँ मुख्यतः **आदर्शमूलक नीतिशास्त्र (Normative Ethics)** से जुड़ी हैं — क्योंकि ये सीधे बताती हैं कि व्यक्ति को कैसा आचरण करना चाहिए; इनके अर्थ, स्रोत और मूल आधार पर चर्चा **परा-नैतिकता (Meta Ethics)** के प्रश्नों से भी जुड़ सकती है (जैसे "शुभ का वास्तविक अर्थ क्या है")।

◆ इस अध्याय में हम छह प्रमुख नैतिक संप्रत्ययों को समझेंगे — **ऋत, ऋण, कर्मवाद, कर्तव्य, शुभ और सद्गुण**।

💡 **आसान भाषा में:** जैसे किसी पेड़ की जड़ें ज़मीन के नीचे छिपी रहती हैं, दिखती नहीं, पर पूरे पेड़ को खड़ा रखने का काम वही करती हैं — ठीक वैसे ही ये छह अवधारणाएँ हमारे रोज़मर्रा के नैतिक व्यवहार की जड़ें हैं, भले ही हम रोज़ इनका नाम न लें।

1.1 भारतीय और पाश्चात्य नैतिक संप्रत्यय — एक तुलना

इस अध्याय की छह अवधारणाओं में से पहली तीन — **ऋत, ऋण और कर्मवाद** — भारतीय चिंतन से आई हैं, जबकि बाकी तीन — **कर्तव्य, शुभ और सद्गुण** — पर भारतीय और पाश्चात्य, दोनों परंपराओं ने गहराई से विचार किया है। दोनों परंपराओं की दृष्टि में कुछ अंतर है, पर लक्ष्य एक ही है — मनुष्य को अच्छा जीवन जीने और सही निर्णय लेने की दिशा देना।

आधार	भारतीय दृष्टि	पाश्चात्य दृष्टि
नैतिकता का स्रोत	ब्रह्मांड की व्यवस्था (ऋत), धर्म, कर्म	तर्क (Reason), मानव स्वभाव, सामाजिक अनुबंध
मुख्य प्रश्न	मेरा धर्म या कर्तव्य क्या है? मैं किसका ऋणी हूँ?	सही कार्य कौन-सा है? अच्छा जीवन क्या है?
व्यक्ति और समाज	व्यक्ति प्रकृति, समाज और पूर्वजों से जुड़ा हुआ है	व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों पर अधिक ज़ोर
अंतिम लक्ष्य	मोक्ष, निर्वाण, लोक-कल्याण	यूडेमोनिया (मानवीय उत्कर्ष), अधिकतम सुख, शुभ-संकल्प
उदाहरण	गीता का निष्काम कर्म, पाँच ऋण	कांट का कर्तव्य, अरस्तू का स्वर्णिम मध्य

2. ऋत (Rit / Rita) — ब्रह्मांडीय व्यवस्था की अवधारणा

🔍 आसान परिभाषा: ऋत (Rita)

📘 **परिभाषा:** ऋत (Rita) वैदिक साहित्य की वह अवधारणा है जो सत्य, नियमबद्धता और ब्रह्मांडीय-नैतिक व्यवस्था को व्यक्त करती है — यानी वह सत्य, धार्मिकता और प्राकृतिक व्यवस्था जो इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित करती है। प्रसिद्ध दार्शनिक और भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार, "ऋत सत्य और धार्मिकता का मार्ग है।"

💡 **आसान भाषा में:** सोचिए — पृथ्वी के घूर्णन के कारण सूर्य प्रतिदिन पूर्व दिशा में उदित होता दिखाई देता है, ऋतुएँ एक तय क्रम में बदलती हैं, गुरुत्वाकर्षण के नियम से नदी ऊँचाई से नीचाई की ओर बहती है — यह सब बिना किसी के आदेश के अपने आप, एक तय नियम के तहत होता है। ध्यान रहे, ये वैज्ञानिक नियम हैं; वैदिक चिंतन इन्हीं से प्रेरणा लेकर एक व्यापक नैतिक-ब्रह्मांडीय व्यवस्था की कल्पना करता है — यही अनुशासित व्यवस्था ऋत है, यानी प्रकृति और जीवन का वह अलिखित संविधान जिसे हर कोई मानने को बाध्य है, चाहे वह इंसान हो या देवता। 🏠

🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी शहर में ट्रैफिक सिग्नल का नियम सबके लिए एक जैसा होता है — चाहे कोई मंत्री हो या आम आदमी, लाल बत्ती पर सबको रुकना ही पड़ता है — ठीक वैसे ही ऋत भी किसी का पक्ष नहीं लेता, यह सबके लिए एक-समान लागू होता है।

2.1 ऋत शब्द की उत्पत्ति और विकास — ऋत से सत्य और धर्म तक

"ऋत" शब्द संस्कृत की "ऋ" धातु से बना है, जिसका अर्थ है **गति करना या चलना**। इसलिए ऋत का मूल भाव है — "चीज़ों के चलने का सही क्रम"। इसके विपरीत "धर्म" शब्द "धृ" धातु से बना है, जिसका अर्थ है **धारण करना या संभालना** — यानी जो समाज और जीवन को टिकाए रखे।

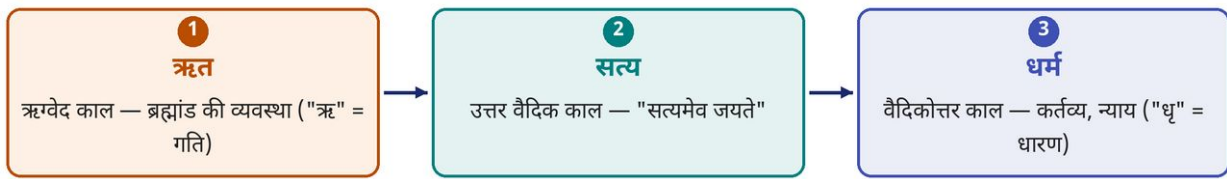
◆ **ऋग्वेद काल:** ऋत को प्रकृति का मूल नियम माना गया, जो जन्म, वृद्धि और क्षय — सबको नियंत्रित करता है। ऋग्वेद के कई सूक्त ऋत को "प्रकृति का मौलिक नियम" बताते हैं।

◆ **मित्र और वरुण:** वैदिक ऋषियों ने प्राकृतिक शक्तियों को देवताओं के रूप में देखा। **वरुण** को ऋत का मुख्य रक्षक (ऋतस्य गोपा) माना गया — वे भौतिक और नैतिक, दोनों व्यवस्थाओं के संरक्षक और न्याय के देवता थे। मित्र और वरुण को प्रायः एक साथ ऋत के पालनकर्ता के रूप में स्मरण किया गया।

◆ **उत्तर वैदिक काल:** धीरे-धीरे ऋत के स्थान पर "सत्य" शब्द प्रमुख हुआ। मुंडक उपनिषद् का वाक्य "सत्यमेव जयते" (सत्य की ही जीत होती है) आज भारत का राष्ट्रीय आदर्श-वाक्य है।

◆ **वैदिकोत्तर काल:** ऋत की जगह "धर्म" ने ले ली। धर्मशास्त्रों में धर्म का अर्थ केवल पूजा-पद्धति नहीं, बल्कि न्याय, सदाचार, कर्तव्य और सामाजिक व्यवस्था — सब कुछ हो गया। यानी ऋत एक तरह से धर्म का "पूर्वज" है।

नैतिक व्यवस्था की यात्रा — ऋत से धर्म तक



चित्र 2.3: नैतिक व्यवस्था की यात्रा — ऋत से धर्म तक

आसान परिभाषा: अनृत (Anṛta)

📖 **परिभाषा:** ऋत का विपरीत — वह आचरण या स्थिति जो प्राकृतिक, नैतिक या सामाजिक व्यवस्था को तोड़ती है; वैदिक साहित्य में इसे असत्य और अव्यवस्था के रूप में देखा गया।

💡 **आसान भाषा में:** जो काम "तय क्रम" या "सही नियम" को तोड़ दे, वही अनृत है — जैसे झूठ, धोखा, मिलावट या प्रकृति का अंधाधुंध दोहन। 🏠 **उदाहरण:** ट्रैफिक सिग्नल सबके लिए व्यवस्था (ऋत) है; लाल बत्ती तोड़कर निकल जाना अनृत है, जिससे पूरी व्यवस्था और दूसरों की जान खतरे में पड़ती है।

2.2 ऋत की तीन परतें (आयाम)

ऋत सिर्फ एक धार्मिक शब्द नहीं है — समझने की सुविधा के लिए इसे नीचे दिए तीन आयामों में देखा जा सकता है (यह वैदिक साहित्य का कोई स्थिर/आधिकारिक त्रिभाजन नहीं, बल्कि एक शिक्षण-वर्गीकरण है):

आयाम	अर्थ	उदाहरण
भौतिक/ब्रह्मांडीय (Cosmological)	सौरमंडल की गति, ऋतुओं का बदलना, गुरुत्वाकर्षण की दिशा — प्रकृति के भौतिक नियम।	पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना, दिन-रात का बदलना।
नैतिक/सामाजिक (Moral)	धर्म, कर्म, जीवन के आश्रम, बौद्ध धर्म का "धम्म" — मानव-आचरण के नियम।	चार आश्रम व्यवस्था (ब्रह्मचर्य-गृहस्थ-वानप्रस्थ-संन्यास), कर्म-सिद्धांत।
कर्मकांड (Ritualistic)	धार्मिक क्रियाओं का निश्चित क्रम और अनुशासन।	यज्ञ की विधि, पूजा-पद्धति का तय क्रम।

2.3 ऋग्वेद में ऋत — कुछ महत्वपूर्ण संदर्भ

- ◆ ऋग्वेद 10.133.6 में प्रार्थना है — "ऋत के मार्ग पर हमें ले चलो" (सत्य और व्यवस्था के रास्ते पर चलने की कामना)।
- ◆ "ऋतस्य गोपा" — वरुण देवता को ऋत का रक्षक कहा गया है, और भगवान विष्णु को ऋत का प्रवर्तक (शुरुआत करने वाला) माना जाता है।
- ◆ सबसे दिलचस्प बात — वेदों में यह भी कहा गया है कि खुद देवताओं को भी ऋत का पालन करना पड़ता है। यानी ऋत देवताओं से भी बड़ा है — कोई भी शक्ति इस व्यवस्था से ऊपर नहीं।

2.4 ऋत की तीन विशेषताएँ

विशेषता	सरल भाषा में अर्थ	उदाहरण
1. गति (Gati)	निरंतर परिवर्तन या प्रवाह — रुकना नहीं, बहते रहना।	ऋतुओं का बदलना, नदी का लगातार बहना।
2. संघटन (Sanghatan)	परस्पर निर्भर हिस्सों पर टिकी व्यवस्था — एक हिस्सा हटे तो पूरा तंत्र गड़बड़ा जाए।	पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) — एक प्रजाति खत्म हो तो पूरी खाद्य-श्रृंखला प्रभावित।
3. नियति (Niyati)	एक तय, अंतर्निहित क्रम — जो अपने-आप एक ढर्रे में चलता रहता है।	गुरुत्वाकर्षण के नियमों के अंतर्गत ग्रहों की नियमित कक्षीय गति।

ऋत — एक नज़र में



चित्र 2.4: ऋत — एक नज़र में

2.5 प्रशासन में ऋत — असली कहानियों से समझिए

ऋत सिर्फ किताबी अवधारणा नहीं है — एक प्रशासक के रोज़मर्रा के फैसलों में यह सीधे लागू होती है। दो उदाहरण देखिए:

☀ कहानी 1 — जब ऋत तोड़ने की कीमत चुकानी पड़ी (चंदा कोचर मामला)

आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) की एमडी व सीईओ रही **चंदा कोचर** ने 2009 में वीडियोकॉन समूह को 300 करोड़ रुपये का कर्ज़ मंज़ूर करने वाली समिति की अध्यक्षता की थी। बाद में जाँच में सामने आया कि इसके तुरंत बाद वीडियोकॉन से जुड़ी कंपनियों से करीब 64 करोड़ रुपये उनके पति की कंपनी "न्यूपावर रिन्यूएबल्स" में पहुँचे — यानी हितों का टकराव (Conflict of Interest), जो बैंक को कभी नहीं बताया गया। अक्टूबर 2018 में उन्हें पद छोड़ना पड़ा, और जनवरी 2019 में आंतरिक जाँच (न्यायमूर्ति श्रीकृष्ण समिति) में उन्हें बैंक की आचार-संहिता का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया। 2022 में सीबीआई ने उन्हें और उनके पति को गिरफ्तार किया, और जुलाई 2025 के एक अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के 64 करोड़ रुपये के "क्विड-प्रो-क्वो" (लेन-देन के बदले फायदा) संबंधी आरोपों को प्रथमदृष्टया आधार माना गया — यह अंतिम आपराधिक दोषसिद्धि नहीं है, और संबंधित न्यायिक कार्यवाही अभी भी लंबित है। यह कहानी बताती है कि बैंकिंग और प्रशासन के नियम (यानी संस्थागत ऋत) चाहे कितने भी शक्तिशाली व्यक्ति के लिए क्यों न हों, उनका उल्लंघन देर-सबेर सामने आ ही जाता है।

☀ कहानी 2 — अपने स्वभाव के विरुद्ध जाना भी अनृत है

ऋत का एक गहरा सबक यह भी है कि हर व्यक्ति की अपनी एक "स्वाभाविक प्रकृति" (Swabhav) होती है, और उसके विरुद्ध जाकर काम करना भी एक तरह का अनृत (व्यवस्था से भटकाव) है। कोटा जैसे कोचिंग हब में हर साल हज़ारों छात्र सिर्फ परिवार या समाज के दबाव में इंजीनियरिंग-मेडिकल जैसे क्षेत्र चुन लेते हैं, भले ही उनकी रुचि और क्षमता कहीं और हो — नतीजा यह होता है कि सालों की मेहनत के बावजूद न मन लगता है, न नतीजा मिलता है, और भारी मानसिक तनाव झेलना पड़ता है। यही कारण है कि नीतिशास्त्र में कहा जाता है — अपने सच्चे स्वभाव ("स्व-धर्म") के अनुसार काम चुनना ही ऋत के पालन का एक रूप है, और इसके विपरीत जाना दुःख का कारण बनता है।

2.6 आधुनिक प्रशासन में ऋत के रूप

वेदों का ऋत आज के लोकतांत्रिक प्रशासन में कई रूपों में दिखाई देता है। जिस तरह ऋत में देवता भी नियम से ऊपर नहीं थे, उसी तरह आधुनिक **विधि के शासन (Rule of Law)** में कोई भी व्यक्ति — चाहे वह कितना भी बड़ा पदाधिकारी हो — क़ानून से ऊपर नहीं है।

◆ **संविधान और विधि का शासन:** संविधान आधुनिक "ऋत" है — यह तय करता है कि सत्ता कैसे चलेगी और उसकी सीमाएँ क्या हैं।

◆ **उचित प्रक्रिया (Due Process):** किसी भी निर्णय में तय प्रक्रिया का पालन करना — यानी जिस व्यक्ति पर निर्णय का असर पड़ेगा उसे अपनी बात रखने (सुनवाई) का अवसर देना, निर्णय के कारण लिखित में दर्ज करना, और उसे ऊपर अपील करने का अधिकार देना। प्रक्रिया टूटे तो निर्णय सही होते हुए भी अन्यायपूर्ण लगता है।

◆ **नियमितता और समयबद्धता:** जैसे ऋतुएँ समय पर आती हैं, वैसे ही सेवाओं की समय-सीमा तय करना — राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 और नागरिक अधिकार-पत्र (Citizen Charter) इसी भावना के उदाहरण हैं — इनमें तय किया गया है कि कौन-सी सेवा (जैसे प्रमाण-पत्र या कनेक्शन) कितने दिनों में मिलेगी, और समय पर सेवा न देने वाले अधिकारी की जवाबदेही तय होती है।

◆ **पारिस्थितिक संतुलन:** प्रकृति के चक्र को न तोड़ना भी ऋत का पालन है। सतत विकास (Sustainable Development) का अर्थ है ऐसा विकास, जो आज की ज़रूरतें पूरी करे पर आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन (जल, जंगल, ज़मीन) भी बचाकर रखे — इसलिए इसे ऋत की आधुनिक भाषा कहा जा सकता है।

◆ **संस्थाओं की स्वायत्तता:** निर्वाचन आयोग, नियंत्रक-महालेखा परीक्षक जैसी संस्थाओं का नियमानुसार स्वतंत्र काम करना पूरी व्यवस्था को संतुलित रखता है, क्योंकि ये संस्थाएँ सरकार के दबाव से मुक्त रहकर चुनाव और सरकारी खर्च की निष्पक्ष जाँच करती हैं — ठीक वैसे ही जैसे ऋत में हर शक्ति एक नियम से बँधी रहती है।

ऋत बनाम अनृत — प्रशासन में

ऋत (व्यवस्था)	बनाम	अनृत (अव्यवस्था)
नियम व तथ्य के आधार पर	निर्णय	सिफ़ारिश, दबाव, पक्षपात से
पारदर्शी, लिखित, समयबद्ध	प्रक्रिया	मनमानी, गोपनीय, टालमटोल
सतत विकास, संतुलन	प्रकृति	अंधाधुंध दोहन, प्रदूषण
भरोसा, शांति, प्रगति	परिणाम	अविश्वास, असंतोष, संकट

चित्र 2.5: ऋत बनाम अनृत — प्रशासन में

कहानी: "बारी का पानी" — नहर की व्यवस्था और एक फ़ोन कॉल

श्रीगंगानगर ज़िले के एक नहरी क्षेत्र में सुरेंद्र (काल्पनिक नाम) सहायक अभियंता थे। इस इलाक़े में खेतों तक पानी वाराबंदी से पहुँचता है — यानी हर किसान की बारी का दिन और समय पहले से तय होता है। नहर के अंतिम छोर (टेल) पर बसे छोटे किसानों के लिए यह बारी ही जीवन-रेखा है, क्योंकि ऊपर के किसान ज़्यादा पानी ले लें तो नीचे तक पानी पहुँचता ही नहीं।

उस साल बारिश कम हुई थी। एक रात सुरेंद्र के पास एक प्रभावशाली बड़े किसान का फ़ोन आया — "साहब, मेरी कपास सूख रही है। बस दो दिन मोघा (आउटलेट) थोड़ा बड़ा कर दो, बारी से पहले पानी दे दो। आपका ध्यान रखेंगे।" अगले दिन एक बड़े नेता के कार्यालय से भी "देख लेने" का संदेश आया।

सुरेंद्र जानते थे कि बड़े किसान की फ़सल सचमुच संकट में थी — उनकी चिंता झूठी नहीं थी। पर अगर बारी तोड़ी जाती, तो टेल के पचास से ज़्यादा छोटे किसानों की गेहूँ की बुवाई मारी जाती, और अगले साल से हर कोई बारी तोड़ने के लिए सिफ़ारिश लाता। एक व्यक्ति की मदद के लिए पूरी व्यवस्था (ऋत) टूट जाती।

उन्होंने बारी नहीं तोड़ी। पर वे संवेदनहीन भी नहीं बने। उन्होंने बड़े किसान को बताया कि नियम के अनुसार सूखे की स्थिति में जल-उपयोक्ता संगम (किसानों की समिति) की बैठक बुलाकर सबकी सहमति से अतिरिक्त पानी की "विशेष बारी" तय की जा सकती है। बैठक हुई, सबके सामने पानी की उपलब्धता के आँकड़े रखे गए, और सबकी सहमति से हर खेत के लिए समय थोड़ा-थोड़ा घटाकर एक छोटी विशेष बारी निकाली गई — टेल के किसानों का हिस्सा भी सुरक्षित रहा।

साथ ही उन्होंने मोघों की रात में जाँच शुरू करवाई, ताकि कोई चोरी-छिपे आउटलेट बड़ा न करे। उस मौसम में पहली बार टेल तक पूरा पानी पहुँचा। गाँव की चौपाल पर एक बुजुर्ग किसान ने कहा — "जिस दिन पानी की बारी ईमानदारी से चलती है, उस दिन किसी को सिफ़ारिश की ज़रूरत नहीं पड़ती।"

इस कहानी से सीख: ऋत का अर्थ है ऐसी व्यवस्था, जो सबके साथ समान रूप से चले — ताक़तवर और कमज़ोर, दोनों के लिए। प्रशासक का काम व्यवस्था को तोड़कर किसी एक की मदद करना नहीं, बल्कि व्यवस्था के भीतर रहकर सबकी भागीदारी से संकट का हल निकालना है। सुरेंद्र ने नियम (ऋत), करुणा, पारदर्शिता और सामूहिक निर्णय — चारों को साथ रखा।

ऋत और प्रशासनिक उत्कृष्टता: संविधान और क़ानून आज के युग का "आधुनिक ऋत" हैं। करोड़ों मतदाताओं का शांतिपूर्ण चुनाव इसीलिए संभव होता है, क्योंकि सब संविधान और निर्वाचन आयोग की तय व्यवस्था (ऋत) का पालन करते हैं। साथ ही इसरो (ISRO) जैसी संस्थाएँ ब्रह्मांड के अनजाने नियमों को खोजने में जुटी हैं — यानी ऋत केवल बंधन नहीं, नई खोज की प्रेरणा भी है।

याद रखें — ऋत और अनृत

जब व्यक्ति और समाज ऋत (व्यवस्था) का पालन करते हैं, तो जीवन में सुख, शांति और प्रगति आती है; और जब अनृत (ऋत के विपरीत आचरण) बढ़ता है, तो दुःख और अव्यवस्था फैलती है। महात्मा गांधी ने 1934 के बिहार भूकंप को छुआछूत (अस्पृश्यता) रूपी "अनृत" का दैवीय दंड बताया था — जिस पर रवींद्रनाथ टैगोर ने खुले तौर पर असहमति जताते हुए कहा कि प्राकृतिक घटनाओं को नैतिक पाप से जोड़ना अवैज्ञानिक सोच है। (इस बहस की पूरी कहानी खंड 4.4 में — जहाँ कर्मवाद की आलोचना पर चर्चा है)।

3. ऋण (Rin) — पाँच पवित्र दायित्व

आसान परिभाषा: ऋण (Rin)

परिभाषा: वैदिक नीतिशास्त्र के अनुसार ऋण का अर्थ है — नैतिक दायित्व (Moral Debt/Obligation)। मान्यता है कि हर मनुष्य जन्म लेते ही कुछ ऋणों के साथ पैदा होता है, क्योंकि उसे जीवन, ज्ञान, परिवार, समाज और प्रकृति से बहुत कुछ मुफ्त में मिला है — और इसे चुकाना उसका नैतिक कर्तव्य है।

आसान भाषा में: जैसे किसी से उधार पैसा लिया हो तो उसे लौटाना हमारी ज़िम्मेदारी होती है — ठीक वैसे ही हमें अपना जीवन, शिक्षा, परिवार और प्रकृति मुफ्त में मिली है, और इसे "लौटाने" का तरीका है — दूसरों की सेवा करना, आगे बढ़ाना, संभालकर रखना। यह ऋण पैसों

का नहीं, कृतज्ञता (Gratitude) का है।  **उदाहरण:** जैसे कोई सरकारी टीचर जिसने खुद सरकारी स्कूल में पढ़कर आईएएस बनने का सपना देखा हो, बाद में उसी तरह के गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाए — वह असल में अपने ऊपर के 'ऋषि ऋण' यानी ज्ञान के ऋण को आगे बढ़ाकर चुका रहा होता है।

आसान परिभाषा:

 **परिभाषा:**  मूल स्रोत: तैत्तिरीय संहिता में तीन मूल ऋणों — देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण — का उल्लेख मिलता है। बाद की भारतीय परंपरा और आधुनिक नैतिक व्याख्याओं में समस्त मानवता (नृ ऋण) तथा समस्त प्राणिजगत (भूत ऋण) के प्रति उत्तरदायित्व को जोड़कर पाँच ऋणों का विस्तृत रूप समझाया जाता है — अलग-अलग ग्रंथों/व्याख्याओं में इनके स्रोत भिन्न-भिन्न बताए गए हैं।

 **आसान भाषा में:**  **उदाहरण:**

ऋण का प्रकार	हम किसके ऋणी हैं?	चुकाने का तरीका
1. देव ऋण	देवताओं (प्राकृतिक शक्तियों) का — सूर्य, जल, वायु, पृथ्वी	यज्ञ, पूजा, प्रकृति-संरक्षण
2. ऋषि ऋण	गुरुओं और विद्वानों का — जिनसे ज्ञान मिला	ज्ञान अर्जन, प्रचार, गुरु-सम्मान
3. पितृ ऋण	पूर्वजों व माता-पिता का — जीवन देने के लिए	संतानोत्पत्ति, माता-पिता की सेवा
4. नृ ऋण	समस्त मानवता का	दान, करुणा, समानता, सेवा
5. भूत ऋण	समस्त प्राणियों व प्रकृति का	प्रदूषण-मुक्त पर्यावरण, वन-संरक्षण

3.1 ग्रंथों में ऋण — तीन से पाँच तक, और पंच महायज्ञ

ऋण की अवधारणा धीरे-धीरे विकसित हुई। सबसे पहले तीन ऋण बताए गए, फिर चार, और बाद की परंपरा में पाँच। इसी के साथ गृहस्थ के लिए **पंच महायज्ञ** — यानी पाँच दैनिक कर्तव्य — भी बताए गए, जो इन ऋणों से मिलते-जुलते हैं:

◆ **तैत्तिरीय संहिता (6.3.10.5):** मनुष्य तीन ऋणों के साथ जन्म लेता है — ऋषियों का ऋण ब्रह्मचर्य और अध्ययन से, देवताओं का ऋण यज्ञ से, और पितरों का ऋण संतान से चुकाया जाता है।

◆ **शतपथ ब्राह्मण (1.7.2):** इन तीन ऋणों में एक चौथा जोड़ा गया — **मनुष्यों का ऋण**, जिसे अतिथि-सत्कार से चुकाया जाता है। महाभारत में भी पांडु इन्हीं चार ऋणों का उल्लेख करते हैं।

◆ **मनुस्मृति (3.67-70):** गृहस्थ के लिए पाँच महायज्ञ बताए गए — ब्रह्म यज्ञ (वेद-अध्ययन), देव यज्ञ (होम), पितृ यज्ञ (तर्पण-श्राद्ध), नृ/मनुष्य यज्ञ (अतिथि-सत्कार) और भूत यज्ञ (सभी प्राणियों के लिए अन्न का भाग)।

ऋण	मिलता-जुलता महायज्ञ	आज के जीवन में अर्थ
ऋषि ऋण	ब्रह्म यज्ञ — स्वाध्याय, अध्यापन	पढ़ना, पढ़ाना, ज्ञान को आगे बढ़ाना
देव ऋण	देव यज्ञ — होम, यज्ञ	प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, संसाधनों की रक्षा
पितृ ऋण	पितृ यज्ञ — तर्पण, श्राद्ध	माता-पिता की सेवा, परिवार की परंपरा निभाना
नृ ऋण	नृ/मनुष्य यज्ञ — अतिथि-सत्कार	ज़रूरतमंद की मदद, जन-सेवा
भूत ऋण	भूत यज्ञ — प्राणियों के लिए अन्न	पशु-पक्षी, पेड़-पौधों और पर्यावरण की रक्षा

 **ध्यान रहे:** ऋण और महायज्ञ आपस में मिलते-जुलते हैं, पर पूरी तरह एक नहीं हैं। ऋण जन्म से मिली "देनदारी" है, जबकि महायज्ञ रोज़ के जीवन में होने वाली अनजानी हानियों के प्रायश्चित्त और कृतज्ञता के कर्तव्य हैं। सरल शब्दों में — ऋण बताता है कि हम किसके "कर्ज़दार" हैं, और महायज्ञ बताते हैं कि यह कर्ज़ रोज़ कैसे चुकाया जाए।

“माता को देवता मानो, पिता को देवता मानो, आचार्य को देवता मानो, अतिथि को देवता मानो। (मातृदेवो भव। पितृदेवो भव। आचार्यदेवो भव। अतिथिदेवो भव।)” — तैत्तिरीय उपनिषद् (1.11)

पाँच ऋण — किसके ऋणी, कैसे चुकाएँ?

पाँच पवित्र दायित्व

देव ऋण प्रकृति की शक्तियाँ → यज्ञ, संरक्षण	ऋषि ऋण गुरु, ज्ञान → पढ़ना-पढ़ाना	पितृ ऋण माता-पिता, पूर्वज → सेवा	नृ ऋण मानवता → दान, जन-सेवा	भूत ऋण जीव-जगत → पर्यावरण रक्षा
---	---	--	--	--

चित्र 2.6: पाँच ऋण — किसके ऋणी, कैसे चुकाएँ?

3.2 देव ऋण (Dev Rin) — प्रकृति और दैवीय शक्तियों का ऋण

- ◆ सूरज की रोशनी, स्वच्छ हवा, पानी, ज़मीन — यह सब हमें बिना कुछ चुकाए प्राकृतिक शक्तियों से मिला है, इसलिए हम इनके ऋणी हैं।
- ◆ चुकाने का मार्ग — "यज्ञेन देवेभ्यः" यानी यज्ञ, ध्यान और प्रकृति की सेवा के रूप में इस ऋण को उतारना।
- 💡 **आसान भाषा में:** आज के प्रशासनिक संदर्भ में इसे यूँ समझें — नमामि गंगे अभियान के तहत नदियों की सफाई, या राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में योग को बढ़ावा देना — दोनों ही असल में प्रकृति के प्रति हमारे कृतज्ञता-भाव (देव ऋण) को ही आधुनिक भाषा में दोहराते हैं।

3.3 ऋषि ऋण (Rishi Rin) — ज्ञान का ऋण

- ◆ वेद, उपनिषद, आधुनिक विज्ञान, गुरुओं और शिक्षकों से मिला हर ज्ञान — यह सब ऋषि ऋण के दायरे में आता है।
- ◆ चुकाने का मार्ग — "ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यः" यानी ब्रह्मचर्य (अनुशासित विद्यार्थी-जीवन) में मन लगाकर ज्ञान को खुद अर्जित करना और फिर उसे दूसरों तक आगे फैलाना।

☀ कहानी — दो शिक्षिकाओं ने कैसे अपना ऋषि ऋण चुकाया

5 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान की दो शिक्षिकाओं को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। जोधपुर की **डॉ. शीला असोपा** ने ग्रामीण इलाकों की छात्राओं को तकनीक (ICT) के ज़रिए पढ़ाने के साथ-साथ स्वास्थ्य, वर्षा-जल संचयन और विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों की शिक्षा पर भी काम किया। वहीं अलवर की **आशा रानी सुमन** को नवाचार-आधारित शिक्षण-पद्धति के लिए सम्मानित किया गया। ये दोनों शिक्षिकाएँ बताती हैं कि ऋषि ऋण चुकाने का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान बाँटना नहीं, बल्कि उस ज्ञान को समाज के सबसे पिछड़े वर्ग तक, सबसे रचनात्मक तरीके से पहुँचाना है।

☀ ऋषि ऋण — एक शिक्षक, जिसने समुद्र के किनारे सपना बो दिया

रामेश्वरम के एक छोटे विद्यालय में पाँचवीं कक्षा के शिक्षक **शिव सुब्रमण्य अय्यर** पक्षियों के उड़ने का विषय पढ़ा रहे थे। बच्चों को बात समझ नहीं आई, तो वे पूरी कक्षा को शाम के समय समुद्र के किनारे ले गए और उड़ते हुए समुद्री पक्षियों को दिखाकर समझाया कि वे पंख कैसे फैलाते और दिशा कैसे बदलते हैं।

उस दिन एक बच्चे के मन में उड़ान का सपना जाग गया। वही बच्चा आगे चलकर **डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम** बना — भारत के मिसाइल कार्यक्रम का प्रमुख वैज्ञानिक और देश का राष्ट्रपति। कलाम जीवन भर अपने इस शिक्षक को याद करते रहे और स्वयं भी अंत तक विद्यार्थियों को पढ़ाते रहे। 27 जुलाई 2015 को शिलांग में विद्यार्थियों को व्याख्यान देते हुए ही उनका देहांत हुआ। ऋषि ऋण चुकाने का इससे सुंदर उदाहरण कम मिलता है — जो ज्ञान मिला, उसे आखिरी साँस तक आगे बाँटते रहना।

3.4 पितृ ऋण (Pitra Rin) — पूर्वजों और माता-पिता का ऋण

- ◆ हमारा अस्तित्व ही हमारे पूर्वजों और माता-पिता की देन है — चाहे वे जीवित हों या दिवंगत।
- ◆ चुकाने का मार्ग — संतानोत्पत्ति, श्राद्ध-कर्म, और सबसे ज़रूरी — जीवित माता-पिता की सेवा और सम्मान।
- 💡 **आसान भाषा में:** रामायण में भगवान राम का प्रसंग इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है — रघुकुल की "प्राण जाहूँ बरु बचनु न जाई" वाली रीति निभाते हुए उन्होंने पिता को दिए वचन को अपने प्राणों से भी ऊपर रखा। आज राजस्थान के पुष्कर में हर साल हज़ारों लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान करने आते हैं — मान्यता है कि स्वयं भगवान राम ने भी यहीं अपने पिता दशरथ का पिंडदान किया था।

3.5 नृ ऋण (Nri Rin) — समस्त मानवता का ऋण

- ◆ हर व्यक्ति समाज के दूसरे लोगों का ऋणी है — क्योंकि हम अकेले नहीं, एक-दूसरे की मदद से ही जीवन चला पाते हैं।
- ◆ चुकाने का मार्ग — करुणा, दान, हर इंसान का सम्मान, और गांधीजी का प्रसिद्ध "तावीज़ (Talisman)" सिद्धांत — जब भी शक में हो कि कोई काम सही है या नहीं, याद करो कि इससे सबसे गरीब और कमज़ोर व्यक्ति को क्या फायदा होगा।

☀ पूरी कहानी अध्याय की शुरुआत में — डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी का चरण पादुका अभियान

इस अध्याय की शुरुआत में आप जालौर (राजस्थान) के कलेक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी की पूरी कहानी पढ़ चुके हैं — कैसे एक स्कूल-निरीक्षण में नंगे पैर बच्चों को देखकर उन्होंने चंदा जुटाकर "चरण पादुका अभियान" शुरू किया, जो आगे चलकर लाखों बच्चों तक पहुँचा और राज्य सरकार

की आधिकारिक योजना बन गया। यह नृ ऋण (मानवता के प्रति ऋण) का सबसे जीवंत उदाहरण है — किसी कानून ने उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं किया था, सिर्फ एक इंसान होने के नाते दूसरे इंसानों के प्रति ज़िम्मेदारी के एहसास ने यह करवाया।

3.6 भूत ऋण (Bhut Rin) — प्रकृति और समस्त प्राणियों का ऋण

- ◆ हमारा शरीर पंच महाभूतों (पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश) से बना है, इसलिए हम समस्त वनस्पतियों और जीव-जंतुओं के भी ऋणी हैं।
- ◆ चुकाने का मार्ग — पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त रखना, वनों और जीव-जंतुओं की रक्षा करना, और अपरिग्रह (ज़रूरत से ज़्यादा न रखना) अपनाना — क्योंकि हम जितना कम संग्रह और उपभोग करेंगे, प्रकृति पर उतना ही कम बोझ पड़ेगा।

☀ कहानी — जब 363 लोगों ने पेड़ों के लिए अपनी जान दे दी (खेजड़ली बलिदान)

सन् 1730 में जोधपुर रियासत के महाराजा अभयसिंह को अपने महल के निर्माण के लिए चूना जलाने को लकड़ी चाहिए थी, और सैनिक खेजड़ली गाँव (जोधपुर के पास) पहुँचे — जहाँ बिश्नोई समुदाय के लोग खेजड़ी के पेड़ों को पवित्र मानकर पूजते थे। **अमृता देवी बिश्नोई** नाम की महिला ने पेड़ काटने का विरोध करते हुए कहा — "सिर सांटे रूखडो रहे तो भी सस्तो जाण" (यानी अगर मेरा सिर देकर भी पेड़ बच जाए, तो यह सस्ता सौदा है) — और उसने खुद एक पेड़ से लिपटकर अपनी जान दे दी। उसे देखकर गाँव के बाकी लोग भी एक-एक करके पेड़ों से लिपटते गए, और अंततः 363 बिश्नोई पुरुष-महिलाएँ पेड़ों की रक्षा करते हुए बलिदान हो गए। जब यह खबर महाराजा तक पहुँची तो उन्होंने तुरंत पेड़ काटने का आदेश वापस ले लिया और बिश्नोई गाँवों में पेड़ काटने व शिकार करने पर हमेशा के लिए रोक लगा दी। यह घटना आज भी दुनिया के सबसे पहले पर्यावरण-संरक्षण आंदोलनों में गिनी जाती है — भूत ऋण का इससे बड़ा उदाहरण मिलना मुश्किल है।

☀ भूत ऋण — एक आदमी, जिसने अकेले जंगल उगा दिया

असम में ब्रह्मपुत्र नदी के एक रेतीले टापू पर 1979 में बाढ़ के बाद किशोर **जादव पायेंग** ने देखा कि गर्म रेत पर पेड़ों की छाया न होने से बहुत-से साँप मर गए थे। इस दृश्य ने उन्हें भीतर तक हिला दिया। उन्होंने बाँस के लगभग बीस पौधे लगाए और फिर हर दिन पेड़ लगाते रहे। लगभग चार दशकों में वह वीरान रेतीला टापू करीब **550 हेक्टेयर** के घने जंगल में बदल गया, जिसे आज उनके नाम पर **मोलाई वन** कहा जाता है। इसमें बाघ, गैंडे, सैकड़ों हिरण, अनेक पक्षी आते हैं और हाथियों का एक बड़ा झुंड हर साल कई महीने यहाँ रहता है। उन्हें "भारत का वन-पुरुष" (Forest Man of India) कहा गया और 2015 में **पद्मश्री** से सम्मानित किया गया। किसी कानून ने उनसे यह नहीं करवाया — यह प्रकृति और प्राणियों के प्रति ऋण (भूत ऋण) चुकाने का भाव था।

“ इस संसार में जो कुछ भी है, वह सब ईश्वर से व्याप्त है; इसलिए त्याग-भाव से उपभोग करो, किसी के धन का लालच मत करो। (ईशा वास्यमिदं सर्वं... तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्।) ” — ईशोपनिषद (मंत्र 1)

💡 **ऋणानुबंध:** मान्यता है कि जो व्यक्ति इस जन्म में अपना ऋण नहीं चुकाता, उसे अगले जन्म में उन्हीं लोगों के हाथों कष्ट सहना पड़ता है जिनका ऋण बाकी रह गया — इसे "ऋणानुबंध" कहा जाता है। मनुस्मृति (श्लोक 6.35) में भी कहा गया है कि तीनों मूल ऋण (देव, ऋषि, पितृ) चुकाने के बाद ही मोक्ष संभव है।

📖 कहानी: "ओरण की ज़मीन" — विकास और प्रकृति के बीच एक तहसीलदार

जैसलमेर ज़िले की एक तहसील में **कविता** (काल्पनिक नाम) तहसीलदार थीं। एक बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना के लिए सरकारी भूमि आवंटन का प्रस्ताव उनकी टेबल पर आया। नक्शे में जो ज़मीन "बंजर सरकारी भूमि" लिखी थी, वहाँ जाकर देखा तो वह गाँव का सदियों पुराना **ओरण** निकला — देवता के नाम पर छोड़ी गई वह पवित्र भूमि, जहाँ कोई पेड़ नहीं काटता और जहाँ गाँव के पशु चरते हैं। वहाँ खेजड़ी और जाल के पुराने पेड़ थे, एक प्राचीन नाडी (तालाब) थी, और गोडावण (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) जैसे पक्षी भी कभी-कभी दिख जाते थे।

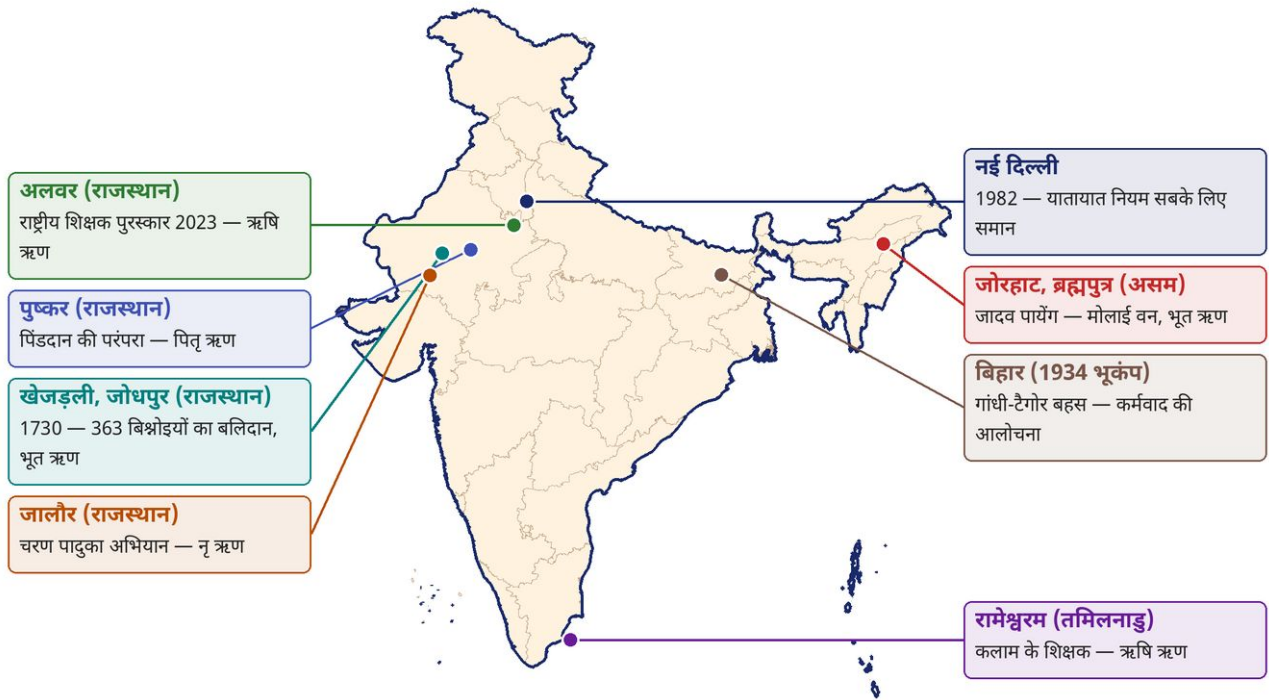
परियोजना से इलाक़े में बिजली, रोज़गार और राजस्व आता — यह भी देश की ज़रूरत थी। कंपनी के प्रतिनिधि ने कहा — "मैडम, रिकॉर्ड में यह बंजर है, आप बस रिपोर्ट भेज दीजिए।" गाँव वालों की भीड़ दूसरी ओर खड़ी थी — "यह हमारा ओरण है, हमारे पूर्वजों ने इसे बचाया है।"

कविता के सामने दुविधा थी — विकास (नृ ऋण, जन-कल्याण) बनाम प्रकृति और परंपरा (देव ऋण और भूत ऋण)। उन्होंने न तो आँख मूँदकर "बंजर" वाली रिपोर्ट भेजी, न ही परियोजना को सीधे खारिज किया। उन्होंने पटवारी के साथ भूमि का पुराना बंदोबस्त रिकॉर्ड निकलवाया, ग्राम सभा की बैठक बुलाई, ओरण की वास्तविक सीमा का ज़मीन पर सीमांकन करवाया, और पेड़ों, नाडी और पशु-चराई की तस्वीरों सहित पूरी रिपोर्ट ज़िला कलेक्टर को भेजी।

रिपोर्ट में उन्होंने सुझाव दिया कि ओरण की भूमि को परियोजना से अलग रखा जाए, और उसके बदले पास की वास्तव में बंजर भूमि का विकल्प दिया जाए। अंत में परियोजना पास की दूसरी भूमि पर लगी, ओरण बचा रहा, और गाँव के युवाओं को परियोजना में रोज़गार भी मिला। ग्राम सभा ने ओरण की रक्षा के लिए अपनी एक समिति भी बना ली।

🔑 **इस कहानी से सीख:** विकास और प्रकृति एक-दूसरे के शत्रु नहीं हैं। देव ऋण और भूत ऋण हमें याद दिलाते हैं कि प्रकृति केवल "ज़मीन का एक टुकड़ा" नहीं, बल्कि जीवन का आधार है। एक अच्छा प्रशासक कागज़ के रिकॉर्ड के साथ-साथ ज़मीन की सच्चाई देखता है, समुदाय को निर्णय में शामिल करता है, और ऐसा विकल्प खोजता है जिसमें विकास भी हो और प्रकृति का ऋण भी चुके।

इस अध्याय की सच्ची कहानियों का भारत-मानचित्र



मानचित्र केवल प्रतीकात्मक है — स्थान लगभग दर्शाए गए हैं

चित्र 2.7: इस अध्याय की सच्ची कहानियों का भारत-मानचित्र

आज के समय में ऋण की प्रासंगिकता: ऋण की अवधारणा प्रशासक में यह भाव जगाती है कि पद और संसाधन जनता की अमानत हैं, निजी संपत्ति नहीं। समकालीन समाज भी इससे बहुत लाभ उठा सकता है — कृतज्ञता, पर्यावरण-संरक्षण, बुजुर्गों का सम्मान और ज्ञान को आगे बढ़ाने जैसे मूल्य इसी विचार से पोषित होते हैं। ऊपर की कहानियाँ इसके जीवंत उदाहरण हैं।

4. कर्मवाद (Karmavada) — क्रिया और उसके परिणाम का नियम

आसान परिभाषा: कर्मवाद (Karmavada)

परिभाषा: कर्मवाद वह सिद्धांत है जिसके अनुसार हमारे कर्म (क्रियाएँ) — चाहे पहले किए गए हों या आज किए जा रहे हों, अच्छे हों या बुरे — अनिवार्य रूप से उनके अनुरूप परिणाम (फल) वर्तमान या भविष्य में लाते हैं। यह कारण-और-परिणाम (Cause and Effect) के सार्वभौमिक नियम पर आधारित है।

आसान भाषा में: सीधी भाषा में कहावत याद कीजिए — "जैसा बोओगे, वैसा काटोगे।" अगर आप गेहूँ बोएँगे तो गेहूँ ही उगेगा, बाजरा नहीं। ठीक वैसे ही, अच्छे कर्म अच्छा फल लाते हैं और बुरे कर्म बुरा — यह कोई सज़ा नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक नियम है, जैसे आग में हाथ डालने पर जलना स्वाभाविक है। **उदाहरण:** एक ईमानदार अधिकारी जो नियम से काम करता है, धीरे-धीरे जनता का भरोसा (जनविश्वास) कमाता है — यह उसके अच्छे कर्म का फल है। वहीं भ्रष्टाचार से जाँच, दंड, प्रतिष्ठा-हानि और जनविश्वास के क्षरण का जोखिम हमेशा बना रहता है — यह उसके गलत कर्म का संभावित फल है। यही कर्मवाद है, चाहे कोई इसे "पिछले जन्म" से जोड़े या सिर्फ "इस जीवन के नतीजे" से।

4.1 कर्म के तीन प्रकार — संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण

भारतीय दर्शन, विशेषकर वेदांत, कर्म को समय के आधार पर तीन भागों में बाँटता है। इसे समझने की सबसे प्रसिद्ध उपमा **धनुर्धारी (तीरंदाज़)** की है:

◆ **संचित कर्म (Sanchita):** पिछले सभी जन्मों और अब तक के जीवन में किए गए कर्मों का कुल जमा भंडार, जिसका फल अभी मिलना बाकी है। यह **तरकश में रखे बाणों** जैसा है — अभी चले नहीं, पर मौजूद हैं।

◆ **प्रारब्ध कर्म (Prarabdha):** संचित कर्मों का वह हिस्सा, जिसका फल इस जीवन में मिलना शुरू हो चुका है — जैसे जन्म की परिस्थितियाँ। यह **छूट चुके बाण** जैसा है, जिसे अब रोका नहीं जा सकता; उसे बस धैर्य से भोगना है।

◆ **क्रियमाण या आगामी कर्म (Kriyamana / Agami):** जो कर्म हम अभी, इस समय कर रहे हैं, और जिनका फल आगे मिलेगा। यह **हाथ में पकड़े बाण** जैसा है — इसे कहाँ चलाना है, यह पूरी तरह हमारे हाथ में है।

यह वर्गीकरण एक बहुत ज़रूरी बात सिखाता है — **बीते कर्म हमारे वर्तमान को प्रभावित करते हैं, पर हमारा भविष्य हमारे आज के कर्मों से बनता है।** इसलिए कर्मवाद व्यक्ति को निराश नहीं, बल्कि ज़िम्मेदार बनाता है।

कर्म के तीन प्रकार — धनुर्धारी की उपमा



चित्र 2.8: कर्म के तीन प्रकार — धनुर्धारी की उपमा

आसान परिभाषा: संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण कर्म

परिभाषा: वेदांत में कर्म का त्रिविध वर्गीकरण — संचित (जमा भंडार), प्रारब्ध (जिसका फल शुरू हो चुका) और क्रियमाण/आगामी (वर्तमान कर्म, जिनका फल भविष्य में मिलेगा)।

आसान भाषा में: जो पहले कमाया वह जमा है, जो इस समय भुगत रहे हैं वह तय है, और जो आज कर रहे हैं वही कल बनेगा। 🏠

उदाहरण: किसी छात्र का पिछले साल का कमजोर आधार (प्रारब्ध) उसकी आज की कठिनाई है, पर आज की रोज़ की पढ़ाई (क्रियमाण) ही अगले साल का परिणाम तय करेगी।

4.2 कर्मवाद बनाम भाग्यवाद — एक आम भ्रम

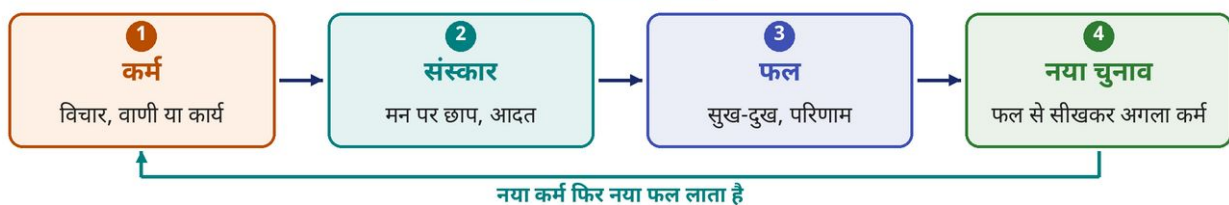
बहुत से लोग कर्मवाद को भाग्यवाद (Fatalism) समझ लेते हैं — "जो लिखा है वही होगा, कुछ करने से क्या फ़ायदा?" जबकि दोनों बिल्कुल उल्टे विचार हैं:

आधार	कर्मवाद	भाग्यवाद
मूल विचार	जैसा कर्म, वैसा फल — भविष्य कर्म से बनता है	सब पहले से तय है — मनुष्य कुछ नहीं बदल सकता
मनुष्य की भूमिका	सक्रिय कर्ता, अपने कर्मों के लिए ज़िम्मेदार	निष्क्रिय, परिस्थितियों का शिकार
प्रशासन पर असर	जवाबदेही, सुधार और परिश्रम को बढ़ावा	उदासीनता — "गरीबी तो उनकी किस्मत है"
समाज पर असर	परिवर्तन संभव	अन्याय को सही ठहराने का ख़तरा

4.3 कर्मवाद के चार मूल सिद्धांत

सिद्धांत	सरल व्याख्या
1. कारण-परिणाम नियम (विपाक — कर्म का फल के रूप में पकना)	हर क्रिया का कोई-न-कोई परिणाम अवश्य होता है — कुछ भी बिना नतीजे के नहीं जाता।
2. प्रतीत्यसमुत्पाद (कारण-परस्परता)	बौद्ध धर्म का व्यापक कारण-परस्परता सिद्धांत — हर घटना अनेक कारणों और परिस्थितियों पर निर्भर होकर उत्पन्न होती है; कर्म का नैतिक आधार व्यक्ति की चेतना/इरादा (Cetana) है।
3. नैतिक उत्तरदायित्व	हर व्यक्ति अपने चुनावों और कार्यों के लिए खुद ज़िम्मेदार है — किसी और पर दोष नहीं डाला जा सकता।
4. पुनर्जन्म का नियम (संसार)	पारंपरिक मान्यता के अनुसार, इस जन्म के कर्म अगले जन्म को भी प्रभावित करते हैं।

कर्म का चक्र



चित्र 2.9: कर्म का चक्र

4.4 जैन धर्म में कर्मवाद — मुक्ति के तीन रत्न

आसान भाषा में: जैन दर्शन में कर्म को समझाने के लिए एक सरलीकृत रूपक अक्सर दिया जाता है — जैसे धूल और बादल सूरज की रोशनी को ढक देते हैं, वैसे ही हमारे कर्म हमारी आत्मा की असली, शुद्ध और दिव्य प्रकृति को ढक लेते हैं (जैन दर्शन में वास्तव में कर्म को सूक्ष्म पुद्गल/कर्म-द्रव्य के रूप में भी समझाया गया है, जिसका विस्तार यहाँ आवश्यक नहीं)। मुक्ति (मोक्ष) पाने के लिए तीन रत्न ज़रूरी हैं — सम्यक्

दर्शन (सही नज़रिया), सम्यक् ज्ञान (सही समझ), सम्यक् चरित्र (सही आचरण)। बंधन में डालने वाले चार मुख्य दोष (कषाय) हैं — क्रोध, अहंकार, छल-कपट (माया) और लालच — इन्हें "चिपकने वाले पदार्थ" कहा गया है क्योंकि ये कर्म-कर्मों को आत्मा से चिपका देते हैं।

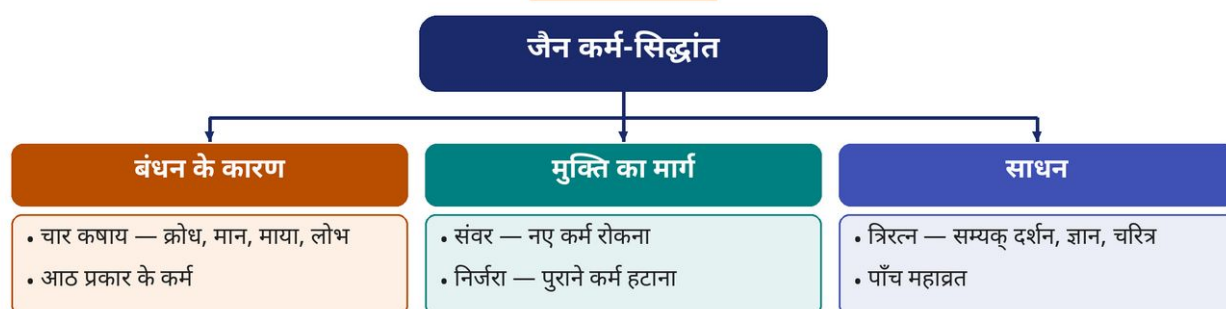
◆ **मुक्ति का रास्ता:** जैन दर्शन के अनुसार मुक्ति दो कदमों से मिलती है। पहला है संवर — यानी संयम और सजगता से नए कर्म-कर्मों को आत्मा की ओर आने से रोकना। दूसरा है निर्जरा — यानी तप और साधना से पहले से चिपके पुराने कर्म-कर्मों को झाड़ देना। जब नए कर्म आना बंद हो जाएँ और पुराने सब झड़ जाएँ, तब आत्मा शुद्ध होकर मोक्ष पाती है।

◆ **पाँच महाव्रत:** जैन साधु-साध्वियाँ पाँच बड़े व्रतों का पूरी कठोरता से पालन करते हैं — अहिंसा (किसी जीव को कष्ट न देना), सत्य, अस्तेय (चोरी न करना), ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह (ज़रूरत से ज़्यादा संग्रह न करना)। गृहस्थ लोग इन्हीं व्रतों का हल्का रूप "अणुव्रत" के रूप में अपनाते हैं।

जैन दर्शन में कर्म के **आठ प्रकार** बताए गए हैं, जिन्हें दो समूहों में बाँटा जाता है। **घाती कर्म** आत्मा के मूल गुणों (ज्ञान, दर्शन, सुख, शक्ति) को सीधे ढकते हैं, जबकि **अघाती कर्म** केवल शरीर और सांसारिक स्थिति से जुड़े होते हैं:

समूह	कर्म	क्या प्रभावित करता है
घाती (4)	ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अंतराय	ज्ञान, अनुभूति, सही दृष्टि और आत्म-शक्ति को ढकते हैं
अघाती (4)	वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र	सुख-दुख का अनुभव, आयु, शरीर और सामाजिक स्थिति

जैन कर्मवाद — बंधन और मुक्ति



चित्र 2.10: जैन कर्मवाद — बंधन और मुक्ति

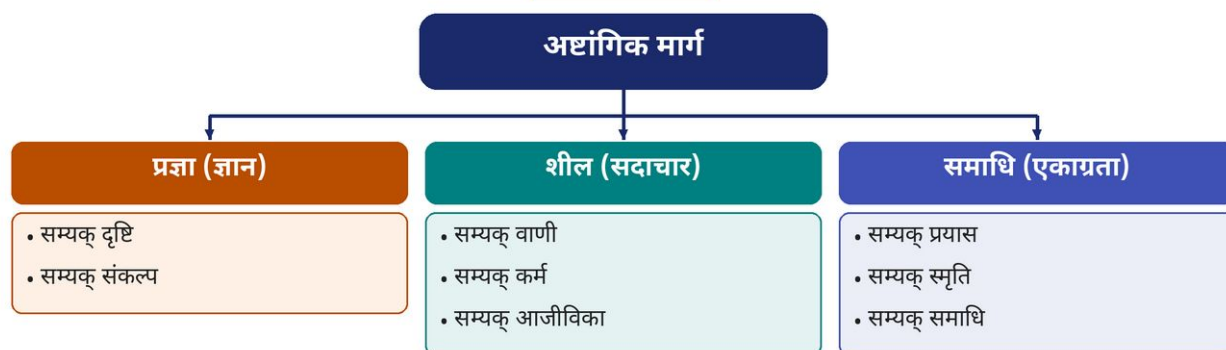
4.5 बौद्ध धर्म में कर्मवाद — अष्टांगिक मार्ग

बौद्ध धर्म के अनुसार, इस जीवन की निरंतरता से अगला जीवन जन्म लेता है — और यह प्रक्रिया कर्म के नियम से ही संचालित होती है। पुनर्जन्म का कारण है — आसक्ति (राग), द्वेष और मोह में डूबकर किए गए कर्म। इनसे मुक्ति का रास्ता है — अष्टांगिक मार्ग: सम्यक् दृष्टि, सम्यक् संकल्प, सम्यक् वाणी, सम्यक् कर्म, सम्यक् आजीविका, सम्यक् प्रयास, सम्यक् स्मृति और सम्यक् समाधि।

बौद्ध धर्म में कर्म का सबसे महत्वपूर्ण तत्व **चेतना (इरादा)** है। बुद्ध ने कहा कि केवल बाहरी कार्य नहीं, बल्कि उसके पीछे की नीयत ही कर्म को अच्छा या बुरा बनाती है। अष्टांगिक मार्ग को तीन समूहों में बाँटा जाता है — **प्रज्ञा (ज्ञान)**, **शील (सदाचार)** और **समाधि (मन की एकाग्रता)**।

“ भिक्षुओ, मैं चेतना (इरादे) को ही कर्म कहता हूँ। (Intention, monks, I tell you, is kamma.) ” — गौतम बुद्ध (अंगुत्तर निकाय)

अष्टांगिक मार्ग — तीन समूहों में



चित्र 2.11: अष्टांगिक मार्ग — तीन समूहों में

4.6 कर्मवाद की आलोचना — क्या यह असमानता को सही ठहराता है?

☀ **कहानी — डॉ. भीमराव आंबेडकर की तीखी आलोचना**

डॉ. भीमराव आंबेडकर ने अपनी अधूरी कृति "प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति" (Revolution and Counter-Revolution in

Ancient India, मरणोपरांत प्रकाशित) के "कृष्ण और उनकी गीता" (Krishna and His Gita) खंड में एक गंभीर सवाल उठाया — क्या भगवद्गीता का "कर्मयोग" सिद्धांत सच में एक सार्वभौमिक निष्काम-कर्म का उपदेश है, या यह बौद्ध धर्म की समानता-आधारित चुनौती के जवाब में वर्ण-व्यवस्था (चातुर्वर्ण्य) को बचाने के लिए गढ़ा गया एक दार्शनिक हथियार है? उनका तर्क था कि गीता में मोक्ष को व्यक्ति के "वर्ण-धर्म" (यानी जन्म से मिली जाति के तय कर्तव्य) से जोड़ दिया गया — जिसका मतलब यह हुआ कि निचली मानी गई जाति में जन्मा एक बेहद समर्पित व्यक्ति भी अपने "तय" काम को नकारकर मुक्ति नहीं पा सकता। आंबेडकर के अनुसार, इस तरह कर्मवाद को नैतिक कारण-परिणाम की जगह एक ऐसे औज़ार की तरह इस्तेमाल किया गया जो जातिगत ऊँच-नीच को "ब्रह्मांडीय रूप से तय" और इसलिए अपरिवर्तनीय दिखा दे — जिससे लोग इस असमानता के खिलाफ आवाज़ ही न उठाएँ।

◆ **भगवद्गीता का जवाब:** गीता खुद इस भाग्यवादी नज़रिए को नकारती है — यह निष्काम कर्म (फल की चिंता किए बिना कर्तव्य निभाना) और स्वतंत्र इच्छा ("यथेच्छसि तथा कुरु" — जैसा तुझे उचित लगे, वैसा कर) का समर्थन करती है, न कि भाग्यवाद का।

“ **तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों पर कभी नहीं; तू कर्मफल का कारण मत बन, और कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति न हो।** (कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि॥) ” — भगवद्गीता (2.47)

☀ कहानी — जब गांधीजी और टैगोर एक प्राकृतिक आपदा पर आपस में भिड़ गए

15 जनवरी 1934 को बिहार-नेपाल में आए भीषण भूकंप में हज़ारों लोगों की जान गई। इसके बाद महात्मा गांधी ने अपनी पत्रिका "हरिजन" में लिखा कि यह भूकंप "हरिजनों (दलितों) के प्रति किए गए महापाप — यानी छुआछूत — का दैवीय दंड" है। रवींद्रनाथ टैगोर ने इस पर तीखी असहमति जताते हुए हरिजन पत्रिका में ही जवाब भेजा — उन्होंने कहा कि प्राकृतिक घटनाओं को नैतिक पाप से जोड़ना "अवैज्ञानिक सोच" है, क्योंकि प्रकृति की घटनाएँ भौतिक नियमों से होती हैं, और ऐसी व्याख्या पीड़ितों के प्रति भी अन्यायपूर्ण है। गांधीजी ने टैगोर की बात मानी कि उन्हें प्रकृति के नियमों की पूरी जानकारी नहीं, फिर भी अपनी बात पर अड़े रहे कि आपदाएँ किसी-न-किसी रूप में मनुष्य के नैतिक आचरण से जुड़ी होती हैं। यह बहस आज भी कर्मवाद की सीमाओं को समझने का एक बेहतरीन उदाहरण है — कर्मवाद को व्यक्तिगत नैतिकता तक तो ठीक माना जा सकता है, पर सामूहिक त्रासदियों को "पाप का फल" कहना खतरनाक भी हो सकता है।

कर्मवाद — आलोचना और बचाव

आलोचना	बनाम	बचाव / उत्तर
जन्म की स्थिति को "पिछले कर्म" बताकर जाति-भेद को सही ठहराना (आंबेडकर)	असमानता	गीता गुण और कर्म पर बल देती है, स्वतंत्र इच्छा ("यथेच्छसि तथा कुरु") का समर्थन करती है
प्राकृतिक आपदा को पाप का दंड बताना अवैज्ञानिक (टैगोर)	आपदा	कर्मवाद व्यक्ति के नैतिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है, प्रकृति का नहीं
भाग्यवाद को बढ़ावा, सुधार की इच्छा कम	निष्क्रियता	क्रियमाण कर्म — भविष्य हमारे हाथ में है
पुनर्जन्म का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं	प्रमाण	इसका नैतिक संदेश — "जैसा करोगे, वैसा भरोगे" — इस जीवन में भी सत्य है

चित्र 2.12: कर्मवाद — आलोचना और बचाव

4.7 प्रशासन में कर्मवाद की प्रासंगिकता

कर्मवाद का सिद्धांत	प्रशासनिक महत्व
नैतिक उत्तरदायित्व	जवाबदेही, सत्यनिष्ठा, विवेकपूर्ण निर्णय — "कर्तव्य के लिए कर्तव्य।"
कारण-परिणाम	कोई भी कर्म बिना परिणाम के नहीं — नेता, अधिकारी, कॉर्पोरेट — सब जवाबदेह।
निष्काम कर्म	पुरस्कार की चाह या दंड के डर के बिना काम करना — सच्ची लोक-सेवा की भावना।
भ्रष्टाचार-विरोध	भ्रष्टाचार = विकर्म (गलत कर्म) — भ्रष्टाचार-विरोधी ढाँचे का नैतिक आधार।

आंबेडकर की आलोचना और गीता के निष्काम-कर्म वाला उत्तर — दोनों पक्षों को साथ रखकर देखने से ही कर्मवाद की संतुलित समझ बनती है। गांधी-टैगोर की बहस भी यही दिखाती है कि इस सिद्धांत को आँख मूँदकर नहीं, आलोचनात्मक दृष्टि से समझना ज़रूरी है।

5. ऋत + ऋण + कर्मवाद — त्रिकोणीय संबंध

अब तक हमने ऋत, ऋण और कर्मवाद — तीनों को अलग-अलग समझा। पर असल में ये तीनों मिलकर एक ही पूरी नैतिक प्रणाली बनाते हैं, जैसे एक त्रिभुज की तीन भुजाएँ। इसे एक सरल सवाल-जवाब की तरह याद रखें:

अवधारणा	कौन-सा सवाल पूछती है?	प्रशासनिक सादृश्य
ऋत (Rit)	क्या सही है? (सार्वभौमिक व्यवस्था कैसी है)	संविधान = आधुनिक ऋत — सही और गलत की सीमा तय करता है।
ऋण (Rin)	क्यों करें? (कर्तव्य निभाने की वजह क्या है)	प्रशासक का कर्तव्य = ऋण — जनता, संस्था और प्रकृति के प्रति ज़िम्मेदारी।
कर्मवाद (Karma)	कैसे करें? (ऋण कैसे चुकाया जाए)	प्रशासक का हर निर्णय = कर्म — जिसका परिणाम तय है।

💡 आसान भाषा में: इसे एक कहानी की तरह समझिए — मान लीजिए एक कलेक्टर के सामने एक गरीब किसान की ज़मीन पर अवैध कब्जे का मामला आता है। ऋत उसे बताता है कि कानून और इंसाफ के हिसाब से सही क्या है (ज़मीन किसान की है)। ऋण उसे याद दिलाता है कि जनता की सेवा करना उसका कर्तव्य (ऋण) है, इसलिए वह इस मामले को टाल नहीं सकता। और कर्मवाद उसे यह एहसास कराता है कि उसका फैसला (कर्म) — चाहे न्यायपूर्ण हो या पक्षपाती — उसका परिणाम ज़रूर भुगतना पड़ेगा, चाहे जनविश्वास के रूप में हो या जाँच-कार्रवाई के रूप में। यही तीनों मिलकर एक आदर्श प्रशासन की नींव रखते हैं।

ऋत + ऋण + कर्म — आदर्श प्रशासन का त्रिकोण



चित्र 2.13: ऋत + ऋण + कर्म — आदर्श प्रशासन का त्रिकोण

यह त्रिकोण ऋत, ऋण और कर्मवाद के आपसी संबंध को सबसे सरल रूप में दिखाता है — ऋत बताता है कि **क्या सही है**, ऋण बताता है कि **क्यों करें**, और कर्म बताता है कि **कैसे करें**। ऊपर दिया कलेक्टर वाला उदाहरण इन तीनों को एक साथ जोड़ देता है।

6. कर्तव्य (Duty) की अवधारणा

🔍 आसान परिभाषा: कर्तव्य (Duty)

📖 परिभाषा: "Duty" शब्द अंग्रेज़ी के "due" से बना है, यानी जो "बकाया" है, जो करना ही चाहिए। ईसा पूर्व पहली सदी के रोमन राजनेता, वक्ता और दार्शनिक मार्कस टुलियस सिसरो ने अपनी किताब "ऑन ड्यूटीज़" (De Officiis) में कर्तव्यों के अलग-अलग स्रोतों पर चर्चा की — उन्होंने बताया कि हमारे कर्तव्य नैतिक भलाई से पैदा होते हैं, और जहाँ निजी फ़ायदा और नैतिकता आपस में टकराएँ, वहाँ नैतिकता को ही चुनना चाहिए। सरल शब्दों में — एक नैतिक प्राणी के नाते जो काम हमें करना ही चाहिए, वही कर्तव्य है।

💡 आसान भाषा में: जैसे स्कूल में एक मॉनिटर को क्लास का ध्यान रखने की ज़िम्मेदारी दी जाए — वह भले ही उसे मज़ा न आए, पर वह काम करना उसका "कर्तव्य" बन जाता है क्योंकि उसे वह पद (भूमिका) मिली है। ठीक वैसे ही, हर इंसान को परिवार, समाज और देश में जो भूमिका मिली है, उसके हिसाब से कुछ काम करना उसका कर्तव्य बन जाता है — चाहे मन हो या न हो। **🏠 उदाहरण:** एक सिविल सेवक को वेतन, पेंशन, सुविधाएँ मिलती हैं (यह उसका अधिकार है) — इसके बदले नागरिकों को ईमानदार और बेहतर सेवा देना उसका कर्तव्य है। अगर वह सिर्फ अधिकार लेता रहे और कर्तव्य न निभाए, तो यह सिक्के का सिर्फ एक पहलू दिखाने जैसा है।

“ जीवन का कोई भी पक्ष — सार्वजनिक हो या निजी, कार्यस्थल हो या घर — नैतिक कर्तव्य से मुक्त नहीं हो सकता। (No phase of life, whether public or private... can be without its moral duty.) ” — मार्कस टुलियस सिसरो (Marcus Tullius Cicero), "ऑन ड्यूटीज़" (De Officiis)

6.1 विभिन्न दार्शनिकों की नज़र में कर्तव्य

दर्शन / विचारक	कर्तव्य की परिभाषा
स्टोइक दर्शन (Stoicism)	सार्वभौमिक प्राकृतिक नियमों और अपनी तर्कसंगत प्रकृति का सम्मान करना।
सुकरात (Socrates)	ज्ञान प्राप्त करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है।
प्लेटो (Plato)	तर्क, भावना और शारीरिक इच्छाओं में सामंजस्य (न्याय) बनाए रखना।
अरस्तू (Aristotle)	स्वर्णिम मध्य-मार्ग (Golden Mean) का पालन करना ही कर्तव्य है।
इमैनुएल कांट (Kant)	कर्तव्य के लिए कर्तव्य — बिना शर्त आदेश (Categorical Imperative)।

दर्शन / विचारक	कर्तव्य की परिभाषा
डब्ल्यू.डी. रॉस (W.D. Ross)	7 प्रथम-दृष्टया कर्तव्य — निष्ठा, क्षतिपूर्ति, कृतज्ञता, न्याय, परोपकार, आत्म-विकास, अहानि।
एफ.एच. ब्रैडली (F.H. Bradley, ब्रिटिश दार्शनिक)	"मेरा पद और उसके कर्तव्य" — जो पद मिला है, उसी के अनुसार कर्तव्य निभाना।
भगवद्गीता	निष्काम कर्म — फल की चिंता किए बिना कर्तव्य-पालन।

6.2 इमैनुएल कांट (Immanuel Kant) — पूर्ण और अपूर्ण कर्तव्य

18वीं सदी के जर्मन दार्शनिक इमैनुएल कांट (1724-1804) के अनुसार नैतिक कार्य वही है जो केवल कर्तव्य की भावना से किया जाए — किसी लाभ, डर या भावना के कारण नहीं। उन्होंने कर्तव्यों को दो भागों में बाँटा:

◆ **पूर्ण कर्तव्य (Perfect Duty):** जिनका पालन हर स्थिति में बिना अपवाद करना ही है — जैसे झूठ न बोलना, वादा न तोड़ना, किसी की जान न लेना। इन्हें तोड़ने का कोई "उचित कारण" नहीं हो सकता।

◆ **अपूर्ण कर्तव्य (Imperfect Duty):** जिनका पालन ज़रूरी तो है, पर कब, कितना और कैसे — यह व्यक्ति के विवेक पर छोड़ा गया है — जैसे दूसरों की मदद करना (परोपकार) या अपनी प्रतिभा का विकास करना।

“ केवल उसी नियम के अनुसार कार्य करो, जिसे तुम एक साथ यह भी चाह सको कि वह एक सार्वभौमिक नियम बन जाए। (Act only according to that maxim whereby you can at the same time will that it should become a universal law.) ” — इमैनुएल कांट (Immanuel Kant)

6.3 डब्ल्यू.डी. रॉस (W.D. Ross) के सात प्रथम-दृष्टया कर्तव्य

ब्रिटिश दार्शनिक डब्ल्यू.डी. रॉस ने 1930 में अपनी पुस्तक "द राइट एंड द गुड" (The Right and the Good) में कहा कि हमारे कई कर्तव्य होते हैं, और हर कर्तव्य "पहली नज़र में" (Prima Facie) बाध्यकारी है। जब दो कर्तव्य आपस में टकराएँ, तो व्यक्ति को परिस्थिति देखकर अपने विवेक से तय करना पड़ता है कि उस समय कौन-सा कर्तव्य ज़्यादा भारी है — वही उसका वास्तविक कर्तव्य (Actual Duty) बन जाता है।

कर्तव्य	अर्थ	प्रशासनिक उदाहरण
1. निष्ठा (Fidelity)	वादा निभाना, सच बोलना	जनसुनवाई में दिए आश्वासन को समय पर पूरा करना
2. क्षतिपूर्ति (Reparation)	अपनी गलती से हुए नुकसान की भरपाई	विभाग की गलती से रुके भुगतान को ब्याज सहित देना
3. कृतज्ञता (Gratitude)	जिसने भला किया, उसका आभार मानना	आपदा में मदद करने वाले स्वयंसेवकों का सम्मान
4. न्याय (Justice)	लाभ और बोझ का उचित बँटवारा	राहत-सामग्री का पारदर्शी और समान वितरण
5. परोपकार (Beneficence)	दूसरों का भला करना	योजना से वंचित पात्र लोगों को ढूँढकर जोड़ना
6. आत्म-विकास (Self-improvement)	अपने ज्ञान और क्षमता को बढ़ाना	नई तकनीक और कानूनों का प्रशिक्षण लेना
7. अहानि (Non-maleficence)	किसी को नुकसान न पहुँचाना	अतिक्रमण हटाते समय मानवीय गरिमा का ध्यान

🔍 आसान परिभाषा: प्रथम-दृष्टया कर्तव्य (Prima Facie Duty)

📖 **परिभाषा:** ऐसा कर्तव्य जो सामान्य रूप से बाध्यकारी है, पर किसी अधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य से टकराने पर उसके आगे झुक सकता है; टकराव में जो कर्तव्य भारी पड़ता है वही "वास्तविक कर्तव्य" बनता है।

💡 **आसान भाषा में:** हर कर्तव्य "पहली नज़र में" ज़रूरी है, पर दो कर्तव्य आपस में टकराएँ तो सोच-समझकर बड़े कर्तव्य को चुनना पड़ता है।

🏠 **उदाहरण:** आपने दोस्त से शाम को मिलने का वादा किया (निष्ठा), पर रास्ते में घायल व्यक्ति मिला — उसे अस्पताल पहुँचाना (अहानि, परोपकार) वादे से बड़ा कर्तव्य बन जाता है।

रॉस के सात प्रथम-दृष्टया कर्तव्य

प्रथम-दृष्टया कर्तव्य



चित्र 2.14: रॉस के सात प्रथम-दृष्टया कर्तव्य

6.4 जब कर्तव्य आपस में टकराएँ — क्या करें?

- ◆ **कर्तव्यों का क्रम देखें:** लोक सेवक के लिए सामान्य क्रम है — संविधान → क़ानून और नियम → संस्था के निर्देश → व्यक्तिगत और पारिवारिक कर्तव्य। यानी सबसे ऊपर संविधान है, उसके बाद संसद-विधानसभा के बनाए क़ानून और सेवा-नियम, फिर अपने विभाग या वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश, और सबसे अंत में व्यक्तिगत व पारिवारिक कर्तव्य। इसलिए संविधान और क़ानून के खिलाफ़ जाने वाला कोई भी "आदेश" कर्तव्य नहीं बनता — चाहे वह किसी बड़े अधिकारी ने ही क्यों न दिया हो।
- ◆ **परिणाम और नुकसान तौलें:** यह सोचें कि किस कर्तव्य को छोड़ने से ज़्यादा और गंभीर नुकसान होगा — खासकर कमज़ोर लोगों को? जिस कर्तव्य को छोड़ने से नुकसान बढ़ा और अपूरणीय हो, उसे पहले निभाना चाहिए।
- ◆ **अंतरात्मा और पारदर्शिता:** जो निर्णय सबके सामने खुलकर उचित ठहराया जा सके, वही सामान्यतः सही होता है। एक आसान कसौटी यह है — अगर आपका निर्णय कल अख़बार में छप जाए और आप बिना झिझक उसका कारण बता सकें, तो वह आपकी अंतरात्मा की कसौटी पर भी खरा है।
- ◆ **स्वधर्म का विचार (गीता):** अपनी भूमिका से जुड़ा कर्तव्य पहले — जैसे युद्ध के मैदान में अर्जुन का क्षत्रिय-धर्म, और आज के लोक सेवक के लिए जन-सेवा का धर्म।

6.5 कर्तव्यों का श्रेणीक्रम — व्यक्ति से लेकर संविधान तक

कर्तव्य सिर्फ़ एक स्तर पर नहीं, बल्कि छह अलग-अलग स्तरों पर हमारे जीवन में मौजूद रहते हैं:

स्तर	उदाहरण	न निभाने पर नुकसान
व्यक्तिगत	करुणा, विनम्रता, उदारता दिखाना।	एकाकीपन, अवसाद, स्वकेंद्रित जीवन।
परिवार	बच्चों का माता-पिता के प्रति, पति-पत्नी का एक-दूसरे के प्रति कर्तव्य।	टूटते परिवार, तलाक, बुजुर्गों की उपेक्षा।
संगठन	अनुशासन, कौशल-विकास, सत्यनिष्ठा से काम करना।	भ्रष्टाचार, अकुशलता, घोटाले।
समाज	स्वच्छता, सहिष्णुता, सामाजिक कर्तव्य निभाना।	सांप्रदायिक तनाव, अव्यवस्था।
राज्य	क़ानून का पालन, कर चुकाना, मतदान करना।	जुर्माना, जेल, सेवा से निलंबन।
संविधान	अनुच्छेद 51A — मूलतः 10 मूल कर्तव्य 42वें संशोधन (1976) से जोड़े गए; 11वाँ कर्तव्य 86वें संशोधन अधिनियम, 2002 से जोड़ा गया।	मूल अधिकारों का हनन, संवैधानिक संकट।

कर्तव्यों का श्रेणीक्रम — व्यक्ति से संविधान तक



चित्र 2.15: कर्तव्यों का श्रेणीक्रम — व्यक्ति से संविधान तक

6.6 अनुच्छेद 51A — नागरिकों के 11 मूल कर्तव्य

मूल संविधान में नागरिकों के कर्तव्य नहीं थे। **स्वर्ण सिंह समिति** की सिफारिश पर **42वें संविधान संशोधन (1976)** द्वारा भाग 4-क (Part IV-A) में अनुच्छेद 51A जोड़कर 10 मूल कर्तव्य शामिल किए गए। बाद में **86वें संविधान संशोधन (2002)** ने 11वाँ कर्तव्य जोड़ा। ये कर्तव्य सीधे अदालत द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, पर कानूनों की व्याख्या और नागरिक-चेतना में इनका बड़ा महत्व है।

क्रम	मूल कर्तव्य (सरल भाषा में)
(क)	संविधान का पालन करना; उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना
(ख)	स्वतंत्रता संग्राम के महान आदर्शों को हृदय में संजोना और उनका पालन करना
(ग)	भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना
(घ)	देश की रक्षा करना और बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना
(ङ)	सभी लोगों में भाईचारा बढ़ाना; महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना
(च)	हमारी मिली-जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत का सम्मान और संरक्षण करना
(छ)	वन, झील, नदी, वन्यजीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना; प्राणियों के प्रति दया रखना
(ज)	वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद तथा जिज्ञासा और सुधार की भावना का विकास करना
(झ)	सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना
(ञ)	व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के हर क्षेत्र में उत्कृष्टता की ओर बढ़ना
(ट)	माता-पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा के अवसर देना (86वाँ संशोधन, 2002)

 **ऋण और मूल कर्तव्य:** मूल कर्तव्य पाँच ऋणों से सुंदर ढंग से मेल खाते हैं — पर्यावरण और प्राणियों के प्रति दया (भूत ऋण, देव ऋण), मिली-जुली संस्कृति का संरक्षण (पितृ ऋण), वैज्ञानिक दृष्टिकोण और बच्चों की शिक्षा (ऋषि ऋण), तथा भाईचारा और राष्ट्र-सेवा (नृ ऋण)।

6.7 कर्तव्य और अधिकार — एक ही सिक्के के दो पहलू

जहाँ एक व्यक्ति को कोई अधिकार मिलता है, वहीं दूसरे पक्ष का एक कर्तव्य अपने-आप जन्म ले लेता है — एक का अधिकार, हमेशा दूसरे का कर्तव्य होता है।

संदर्भ	अधिकार (Right)	कर्तव्य (Duty)
अनुच्छेद 14 — समानता	नागरिक का समान व्यवहार पाने का अधिकार।	राज्य का कर्तव्य — भेदभाव न करे, समान अवसर दे।
अनुच्छेद 21 — स्वच्छ पर्यावरण	नागरिक का स्वच्छ पर्यावरण पाने का अधिकार।	अनुच्छेद 51A(g) — नागरिक का पर्यावरण-संरक्षण का कर्तव्य।
सिविल सेवा	अधिकारी का वेतन-पेंशन पाने का अधिकार।	नागरिकों को बेहतर सेवा देने का कर्तव्य।

गांधीजी का कर्तव्य-सिद्धांत

महात्मा गांधी कहते थे — "अधिकारों के बजाय कर्तव्यों का घोषणापत्र बनाओ, अधिकार खुद-ब-खुद उसका पीछा करेंगे, जैसे शीत ऋतु के बाद वसंत अपने आप आता है।" यानी अगर हर कोई अपने कर्तव्यों पर ध्यान दे, तो दूसरों के अधिकार बड़ी हद तक अपने आप सुरक्षित हो जाते हैं — कानून की ज़रूरत घट सकती है, भले पूरी तरह समाप्त न हो।

कर्तव्य सबसे ऊपर — नीरजा भनोट (1986)

5 सितंबर 1986 को मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहे पैन एम (Pan Am) विमान संख्या 73 को कराची हवाई अड्डे पर चार आतंकवादियों ने अपहृत कर लिया। विमान में 360 यात्री और 19 चालक-दल सदस्य थे। 22 वर्षीय वरिष्ठ परिचारिका **नीरजा भनोट** ने अपहरणकर्ताओं के चढ़ते ही कॉकपिट को सूचना दे दी, जिससे पायलट कॉकपिट की छत में बने आपातकालीन रास्ते से निकल गए और विमान वहीं रुक गया — पायलट न होने के कारण आतंकवादी विमान को उड़ाकर कहीं और नहीं ले जा सके।

लगभग 17 घंटे तक नीरजा ने यात्रियों को संभाला और अमेरिकी यात्रियों के पासपोर्ट छिपा दिए, ताकि उन्हें निशाना न बनाया जा सके। जब अंधेरे में गोलीबारी शुरू हुई, तो उन्होंने आपातकालीन द्वार खोलकर यात्रियों को बाहर निकाला। वे चाहतीं तो सबसे पहले खुद निकल सकती थीं, पर तीन बच्चों को गोलियों से बचाते हुए वे स्वयं शहीद हो गईं। उन्हें मरणोपरांत **अशोक चक्र** (1987) मिला — इसे पाने वाली वे पहली महिला थीं। उनका जीवन बताता है कि कर्तव्य का अर्थ है — अपनी भूमिका को अपने प्राणों से भी ऊपर रखना।

कर्तव्य और अधिकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं — ऊपर की तालिका के तीनों संवैधानिक उदाहरण और गांधीजी का कथन, दोनों यही सिद्ध करते हैं।

7. शुभ (Good) की अवधारणा

आसान परिभाषा: शुभ (Good)

परिभाषा: "Good" शब्द प्राचीन जर्मनिक मूल का है (जर्मन "GUT" इसी का सजातीय शब्द है), जिसका अर्थ है — किसी लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक। नीतिशास्त्र में "शुभ" का अर्थ है — नैतिक गुणों की अभिव्यक्ति, यानी वह सब कुछ जो हमारे उद्देश्य को पूरा करने में मदद करे। ब्रिटिश दार्शनिक जी.ई. मूर (G.E. Moore), जिन्होंने 1903 में "प्रिंसिपिया एथिका" पुस्तक लिखी, के अनुसार शुभ को शब्दों में पूरी तरह परिभाषित करना असंभव है — इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जैसे "पीला रंग" क्या है यह बताना मुश्किल है, बस देखकर पहचाना जा सकता है।

आसान भाषा में: सोचिए — अच्छा खाना खाना "शुभ" इसलिए है क्योंकि यह अच्छी सेहत पाने में मदद करता है, और अच्छी सेहत इसलिए "शुभ" है क्योंकि यह खुश और लंबी ज़िंदगी जीने में मदद करती है। यानी कुछ चीज़ें किसी और बड़े लक्ष्य तक पहुँचने का ज़रिया (साधन) होती हैं, जबकि कुछ चीज़ें खुद ही अंतिम लक्ष्य (साध्य) होती हैं। **उदाहरण:** एक छात्र के लिए परीक्षा में अच्छे अंक लाना "सापेक्ष शुभ" है (क्योंकि यह नौकरी पाने का साधन है), जबकि नौकरी में समाज-सेवा करके संतोष और खुशी पाना "निरपेक्ष शुभ" है (क्योंकि यह अपने आप में अंतिम लक्ष्य है, किसी और चीज़ का साधन नहीं)।

7.1 शुभ के दो प्रकार

सापेक्ष शुभ (Instrumental Good)	निरपेक्ष / सर्वोच्च शुभ (Intrinsic Good)
◆ किसी बड़े/उच्चतर शुभ को पाने का साधन-मात्र है।	◆ स्वयं ही अंतिम लक्ष्य (साध्य) है, किसी और का साधन नहीं।
◆ खुद के लिए नहीं, बल्कि किसी और लक्ष्य के लिए वांछित।	◆ मानव जीवन का परम उद्देश्य माना जाता है।
◆ उदाहरण: अच्छा पोषण (स्वास्थ्य पाने का साधन)।	◆ उदाहरण: मोक्ष, निर्वाण, सच्ची खुशी।
◆ हिंदू धर्म में: धर्म, अर्थ, काम — ये मोक्ष के साधन हैं।	◆ कांट के अनुसार: शुभ-संकल्प (Goodwill) वह नैतिक इच्छा है जो निजी लाभ या परिणाम के बजाय कर्तव्य के प्रति सम्मान से प्रेरित होकर कार्य करे।

सापेक्ष शुभ बनाम निरपेक्ष शुभ

सापेक्ष शुभ (साधन)	बनाम	निरपेक्ष शुभ (साध्य)
किसी बड़े लक्ष्य तक पहुँचने का साधन	अर्थ	अपने आप में अंतिम लक्ष्य
धन, पोषण, नियम-क़ानून	उदाहरण	मोक्ष, निर्वाण, सच्चा सुख, जन-कल्याण
अच्छी नीतियाँ, प्रक्रियाएँ	प्रशासन में	नागरिकों की खुशहाली और गरिमा

New India Education by Omkar Sir चित्र 2.16: सापेक्ष शुभ बनाम निरपेक्ष शुभ

7.2 चार पुरुषार्थ — शुभों की भारतीय सीढ़ी

भारतीय परंपरा जीवन के चार लक्ष्य या पुरुषार्थ बताती है — धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चारों मिलकर "शुभ" की एक सीढ़ी बनाते हैं। अर्थ (धन) और काम (इच्छाओं की पूर्ति) बुरे नहीं हैं, पर ये धर्म (नैतिकता) की सीमा में रहें, तभी शुभ हैं। मोक्ष सबसे ऊँचा, निरपेक्ष शुभ है।

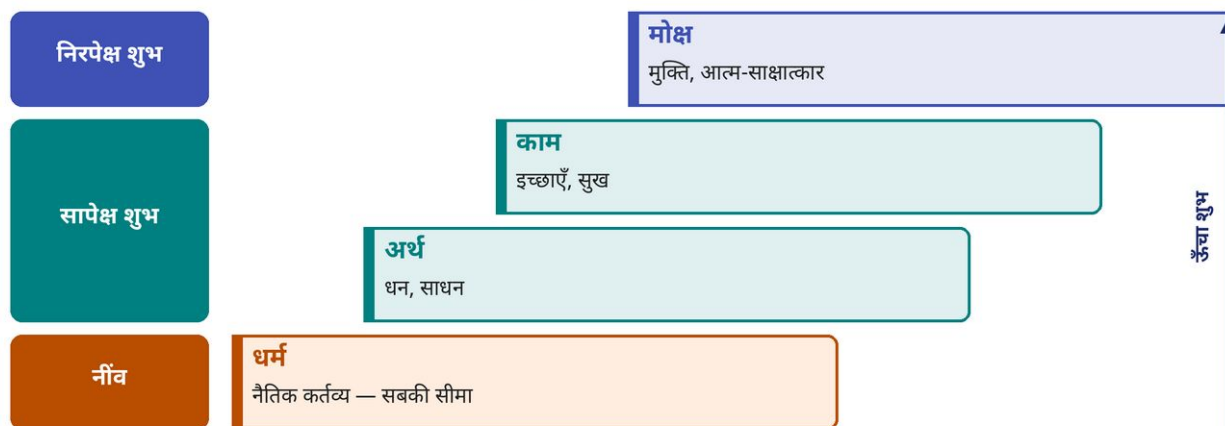
पुरुषार्थ	अर्थ	शुभ का प्रकार	प्रशासनिक संदेश
धर्म	नैतिक कर्तव्य, सदाचार	नींव — बाक़ी सबको दिशा देता है	हर निर्णय नैतिक सीमा में
अर्थ	धन, साधन, आजीविका	सापेक्ष शुभ	आर्थिक विकास — पर ईमानदारी से
काम	इच्छाएँ, सुख, सौंदर्य	सापेक्ष शुभ	नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता
मोक्ष	मुक्ति, आत्म-साक्षात्कार	निरपेक्ष शुभ	निःस्वार्थ सेवा, आसक्ति-रहित कर्म

आसान परिभाषा: पुरुषार्थ (Purushartha)

परिभाषा: भारतीय दर्शन के अनुसार मानव जीवन के चार उचित लक्ष्य — धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष — जिनमें धर्म बाक़ी लक्ष्यों को नैतिक सीमा में बाँधता है।

आसान भाषा में: जीवन में पैसा कमाना और इच्छाएँ पूरी करना भी ज़रूरी है, बस ये सब ईमानदारी (धर्म) के रास्ते से हों, और अंतिम लक्ष्य आत्मिक शांति (मोक्ष) हो। **उदाहरण:** एक दुकानदार अच्छा मुनाफ़ा कमाए (अर्थ), परिवार के साथ सुखी रहे (काम), पर मिलावट न करे

चार पुरुषार्थ — शुभ की सीढ़ी



चित्र 2.17: चार पुरुषार्थ — शुभ की सीढ़ी

7.3 सुखवाद बनाम यूडेमोनिया — सुख के दो अर्थ

आधार	सुखवादी सुख (Hedonic)	यूडेमोनिया (Eudaimonia)
समर्थक	जेरेमी बेन्थम (Jeremy Bentham) — सुख ही शुभ है	अरस्तू (Aristotle) — सद्गुणपूर्ण जीवन ही शुभ है
अर्थ	अधिकतम सुख, न्यूनतम दुःख	मानवीय क्षमताओं का पूर्ण विकास, सार्थक जीवन
प्रकृति	तात्कालिक, गिने-मापे जा सकने वाला	दीर्घकालिक, चरित्र से जुड़ा
उदाहरण	छुट्टी पर घूमना, स्वादिष्ट भोजन	किसी गाँव में स्कूल बनवाकर मिलने वाला संतोष

आसान परिभाषा: सर्वोच्च शुभ (Summum Bonum)

परिभाषा: वह अंतिम और सबसे ऊँचा शुभ, जिसे किसी और लक्ष्य के साधन के रूप में नहीं, बल्कि अपने आप में चाहा जाता है; अलग-अलग दर्शनों में यह मोक्ष, निर्वाण, यूडेमोनिया या शुभ-संकल्प है।

आसान भाषा में: वह "आखिरी मंज़िल" जिसके लिए हम बाक़ी सब करते हैं — जिसके बाद "किसलिए?" पूछने की ज़रूरत नहीं रहती।

उदाहरण: पढ़ाई नौकरी के लिए, नौकरी पैसे के लिए, पैसा परिवार के सुख के लिए — पर "सुख किसलिए?" का कोई उत्तर नहीं; सुख ही यहाँ अंतिम लक्ष्य है।

7.4 शुभ (Good) बनाम उचित (Right)

नीतिशास्त्र में "शुभ" और "उचित" दो अलग प्रश्नों के उत्तर हैं। **शुभ** बताता है कि **कौन-सा लक्ष्य पाने योग्य है** (जैसे जन-कल्याण), जबकि **उचित** बताता है कि **कौन-सा कार्य सही है** (जैसे नियमों का पालन, किसी के अधिकार का सम्मान)। परिणामवादी विचारक (जैसे बेन्थम और मिल, जो किसी कार्य को उसके परिणाम से परखते हैं) पहले "शुभ" तय करते हैं और फिर कहते हैं कि जो कार्य उस शुभ को बढ़ाए वही उचित है; जबकि कर्तव्यवादी विचारक, जैसे कांट, कहते हैं कि कुछ कार्य परिणाम चाहे जो हो, अपने आप में उचित या अनुचित होते हैं। एक अच्छे प्रशासक के लिए दोनों ज़रूरी हैं — अच्छा लक्ष्य भी और सही साधन भी।

7.5 विभिन्न दर्शनों में "सर्वोच्च शुभ"

दर्शन / विचारक	सर्वोच्च शुभ (Absolute Good)
हिंदू धर्म	मोक्ष — चार पुरुषार्थों की अंतिम मंज़िल।
बौद्ध धर्म	निर्वाण — अष्टांगिक मार्ग से दुःख से मुक्ति।
जैन धर्म	मोक्ष + आत्मा की शुद्धि — तीन रत्नों से प्राप्त।
अरस्तू (Aristotle)	यूडेमोनिया (Eudaimonia) — मानवीय उत्कर्ष/फलना-फूलना; चिंतनशील (Contemplative) जीवन को इसका उच्चतम रूप माना।
इमैनुएल कांट (Kant)	गुडविल (शुभ-संकल्प) — एकमात्र चीज़ जो बिना किसी शर्त के अच्छी है।
भगवद्गीता	मोक्ष/आत्म-साक्षात्कार परम लक्ष्य है; निष्काम कर्म (फल की इच्छा किए बिना कर्तव्य-पालन) उस तक पहुँचने का एक प्रमुख साधन/मार्ग है।

दर्शन / विचारक	सर्वोच्च शुभ (Absolute Good)
जेरेमी बेन्थम (Bentham)	अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख (Utilitarian Good)।

विभिन्न दर्शनों में सर्वोच्च शुभ



चित्र 2.18: विभिन्न दर्शनों में सर्वोच्च शुभ

अशुभ (Evil): अशुभ वह है जो हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक बने — जैसे लोभ, मोह, घृणा, भ्रष्टाचार और हिंसा। यह शुभ का ठीक उल्टा है।

शुभ और अच्छा प्रशासन: प्रशासन में अच्छे नियम-कानून सापेक्ष शुभ हैं, क्योंकि वे अपने आप में लक्ष्य नहीं, बल्कि लक्ष्य तक पहुँचने का साधन हैं; जबकि नागरिकों का कल्याण निरपेक्ष शुभ है, क्योंकि वही प्रशासन का अंतिम लक्ष्य (साध्य) है। अच्छा प्रशासन तभी बनता है जब साधन (नियम) और साध्य (जन-कल्याण), दोनों साफ़-सुथरे हों। कांट का "शुभ-संकल्प" (Goodwill) इसमें नीयत की शुद्धता जोड़ता है।

8. सद्गुण (Virtue) की अवधारणा

आसान परिभाषा: सद्गुण (Virtue)

परिभाषा: "Virtue" शब्द लैटिन के "Virtus" से आया है, जो "Vir" (पुरुष) से बना है और जिसका अर्थ है वीरता/पुरुषोचित उत्कृष्टता। संस्कृत में इसके समकक्ष शब्द "वीर्य" का अर्थ है — वीरता, शक्ति, उत्कृष्टता। सद्गुण का मतलब है — आंतरिक चरित्र की उत्कृष्टता, जो लंबे समय तक अच्छी आदतों का अभ्यास करने से अर्जित होती है।

आसान भाषा में: जैसे एक खिलाड़ी रोज़ अभ्यास करके एक कुशल खिलाड़ी बनता है, वैसे ही रोज़-रोज़ ईमानदारी, साहस और संयम जैसे अच्छे व्यवहार को दोहराने से इंसान के अंदर वह "आदत" पक्की हो जाती है — यही सद्गुण है। इसमें तीन बातें ज़रूरी हैं — यह जानना कि कर्तव्य क्या है, उसे अपनी मर्जी से निभाना, और बार-बार अभ्यास से उसे अपने चरित्र का स्थायी हिस्सा बना लेना। **उदाहरण:** एक अधिकारी जो सालों-साल ईमानदारी से काम करते हुए कभी भी रिश्तों के प्रलोभन में नहीं आता — उसके लिए ईमानदार रहना अब कोई मुश्किल फैसला नहीं, बल्कि उसके चरित्र का स्वाभाविक हिस्सा (सद्गुण) बन चुका होता है।

New India Education by Omkar Sir

8.1 विभिन्न दार्शनिकों के अनुसार सद्गुण

दार्शनिक	सद्गुण की परिभाषा	प्रमुख सद्गुण
सुकरात (Socrates)	ज्ञान ही सद्गुण है — अज्ञान ही एकमात्र दुर्गुण है।	ज्ञान, सत्य की खोज।
प्लेटो (Plato)	नैतिक आचरण के चार मूल सद्गुण, इनमें न्याय सबसे महत्वपूर्ण।	विवेक, साहस, संयम, न्याय (Wisdom, Courage, Temperance, Justice — संक्षेप में WCTJ)।
अरस्तू (Aristotle)	सद्गुण अनेक हैं, और हर नैतिक सद्गुण दो अतियों के बीच का स्वर्णिम मध्य (Golden Mean) होता है।	साहस (भय और दुस्साहस के बीच का संतुलन)।
भगवद्गीता	स्थितप्रज्ञ (सुख-दुख में स्थिर बुद्धि वाला), निष्काम कर्म — ये आंतरिक उत्कृष्टता के रूप हैं।	निष्काम कर्म, स्थितप्रज्ञता।
इमैनुएल कांट (Kant)	आंतरिक-बाहरी बाधाओं के बावजूद कर्तव्य पूरा करने की इच्छाशक्ति।	शुभ-संकल्प, कर्तव्यनिष्ठा।

8.2 अरस्तू — बौद्धिक और नैतिक सद्गुण

अरस्तू ने सद्गुणों को दो प्रकारों में बाँटा। **बौद्धिक सद्गुण (Intellectual Virtues)** — जैसे विवेक, व्यावहारिक बुद्धि और ज्ञान — शिक्षा और अनुभव से विकसित होते हैं। **नैतिक सद्गुण (Moral Virtues)** — जैसे साहस, संयम, उदारता और न्यायप्रियता — **आदत और अभ्यास** से बनते हैं। अरस्तू कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति केवल किताब पढ़कर साहसी नहीं बनता; साहसी कार्य बार-बार करके ही साहसी बनता है।

8.3 स्वर्णिम मध्य (Golden Mean) — दो अतियों के बीच

अरस्तू के अनुसार हर नैतिक सद्गुण दो दोषों के बीच का संतुलन-बिंदु है — एक दोष "कमी" का और दूसरा "अति" का। यह मध्य बिंदु गणित का बीच नहीं है, बल्कि परिस्थिति के अनुसार **विवेक से तय किया गया उचित बिंदु** है।

क्षेत्र	कमी का दोष	सद्गुण (मध्य)	अति का दोष
भय का सामना	कायरता	साहस	दुस्साहस (लापरवाह जोखिम)
सुख-भोग	संवेदनहीनता	संयम	भोग-विलास
धन देना	कंजूसी	उदारता	फिजूलखर्ची
क्रोध	निर्जीवता (अन्याय पर भी चुप)	धैर्य / शांत स्वभाव	चिड़चिड़ापन
अपने बारे में सच	झूठी विनम्रता	सत्यवादिता	डींग मारना
सम्मान	हीनता-भाव	आत्म-सम्मान (उदात्तता)	घमंड
सामाजिक व्यवहार	झगड़ालूपन	मैत्री-भाव	चापलूसी

आसान परिभाषा: स्वर्णिम मध्य (Golden Mean)

परिभाषा: अरस्तू का सिद्धांत कि प्रत्येक नैतिक सद्गुण "कमी" और "अति" — इन दो दोषों के बीच का वह उचित बिंदु है, जिसे व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार विवेक से तय करता है।

आसान भाषा में: न बहुत कम, न बहुत ज़्यादा — सही मात्रा, सही समय, सही व्यक्ति के साथ, सही कारण से। **उदाहरण:** खाना कम खाएँ तो कमज़ोरी, ज़्यादा खाएँ तो बीमारी — भूख के अनुसार सही मात्रा ही स्वास्थ्य है; सद्गुण भी ऐसा ही है।

स्वर्णिम मध्य — हर सद्गुण दो दोषों के बीच

कमी का दोष	मध्य	अति का दोष
कायरता	साहस	दुस्साहस
संवेदनहीनता	संयम	भोग-विलास
कंजूसी	उदारता	फिजूलखर्ची
निर्जीवता	धैर्य	चिड़चिड़ापन
झूठी विनम्रता	सत्यवादिता	डींग मारना
झगड़ालूपन	मैत्री-भाव	चापलूसी

चित्र 2.19: स्वर्णिम मध्य — हर सद्गुण दो दोषों के बीच

“ सद्गुण चरित्र की वह अवस्था है जो चुनाव से जुड़ी है और एक मध्य में स्थित होती है। (Virtue, then, is a state of character concerned with choice, lying in a mean.) ” — अरस्तू (Aristotle), निकोमेकियन एथिक्स

8.4 भारतीय परंपरा में सद्गुण — पारमिताएँ और दैवी संपदा

भारतीय परंपरा में भी सद्गुणों की लंबी सूचियाँ मिलती हैं। बौद्ध धर्म की थेरवाद परंपरा में **दस पारमिताएँ** (पूर्णताएँ) बताई गई हैं — दान, शील (सदाचार), नैष्कर्म्य (त्याग), प्रज्ञा (ज्ञान), वीर्य (पराक्रम), क्षांति (धैर्य-क्षमा), सत्य, अधिष्ठान (दृढ़ संकल्प), मैत्री और उपेक्षा (समभाव)। भगवद्गीता के सोलहवें अध्याय में **दैवी संपदा** के रूप में अभय, अहिंसा, सत्य, दया, क्षमा जैसे गुण गिनाए गए हैं (इसकी विस्तृत चर्चा अध्याय 04 में है)। जैन धर्म के पाँच महाव्रत भी सद्गुणों का ही अभ्यास हैं।

दस पारमिताएँ — बौद्ध सद्गुण

दान	शील	नैष्कर्म्य	प्रज्ञा	वीर्य
क्षांति	सत्य	अधिष्ठान	मैत्री	उपेक्षा

चित्र 2.20: दस पारमिताएँ — बौद्ध सद्गुण

8.5 सद्गुण के प्रकार — असली उदाहरणों के साथ

- ◆ **स्वयं के प्रति सद्गुण** — वे गुण जो व्यक्ति अपने भीतर विकसित करता है, जैसे विवेक (सही-गलत की परख), साहस, संयम और आत्म-अनुशासन। ये उसे भीतर से मज़बूत बनाते हैं।
- ◆ **दूसरों के प्रति सद्गुण** — वे गुण जो दूसरों के साथ हमारे व्यवहार में दिखते हैं, जैसे क्षमा, दया, करुणा और उदारता। एक प्रशासक के लिए ये गुण जनता के प्रति संवेदनशीलता के रूप में दिखते हैं।
- ◆ **आदर्श के रूप में सद्गुण** — वे ऊँचे मूल्य जिन्हें पूरा समाज आदर्श मानता है, जैसे न्याय, सत्य और सद्भावना। ये किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं, बल्कि सबके साथ समान व्यवहार की माँग करते हैं।

🌟 कहानी — किरण बेदी और 'क्रेन बेदी' की पहचान

1982 में दिल्ली यातायात पुलिस की डीसीपी रहीं **किरण बेदी** के कार्यकाल में एक चर्चित घटना हुई, जब प्रधानमंत्री कार्यालय से संबद्ध एक गलत पार्क कार पर भी नियमानुसार कार्रवाई (टोइंग) की गई। यह कार्रवाई सीधे किरण बेदी द्वारा स्वयं किए जाने का दावा विवादित है — वास्तव में यह उनके अधीनस्थ यातायात अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई थी, जिसे किरण बेदी ने पूरा समर्थन दिया और इसके पीछे खड़ी रहीं। इसी घटना ने उन्हें "क्रेन बेदी" के रूप में लोकप्रिय पहचान दिलाई। यह घटना सद्गुण के तीसरे प्रकार — "आदर्श के रूप में सद्गुण" यानी नियम के सामने सबकी बराबरी — का एक उपयुक्त उदाहरण है, क्योंकि किरण बेदी के पूरे करियर में संस्थागत निष्पक्षता को समर्थन देने की यह प्रवृत्ति बार-बार दिखी — यही सद्गुण की असली पहचान है, एक बार का अच्छा काम नहीं, बल्कि जीवन-भर दोहराई गई अच्छी आदत।

💡 **याद रखें:** एक सद्गुणी अधिकारी नियम तोड़ने की कोशिश ही नहीं करता, क्योंकि उसका चरित्र ही उसकी सबसे बड़ा सुरक्षा-कवच होता है। अरस्तू ने कहा था — "एक सच में अच्छा इंसान गलत काम कर ही नहीं सकता।" किरण बेदी की तरह ही टी.एन. शेषन (1990-96 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त) का निष्पक्ष चुनाव-प्रबंधन (जिसकी पूरी कहानी अध्याय 01, खंड 11.3 में है) भी सद्गुण-नीतिशास्त्र (Virtue Ethics) का जीवंत उदाहरण है।

📖 कहानी: "साहस का मध्य मार्ग" — तनाव की एक रात

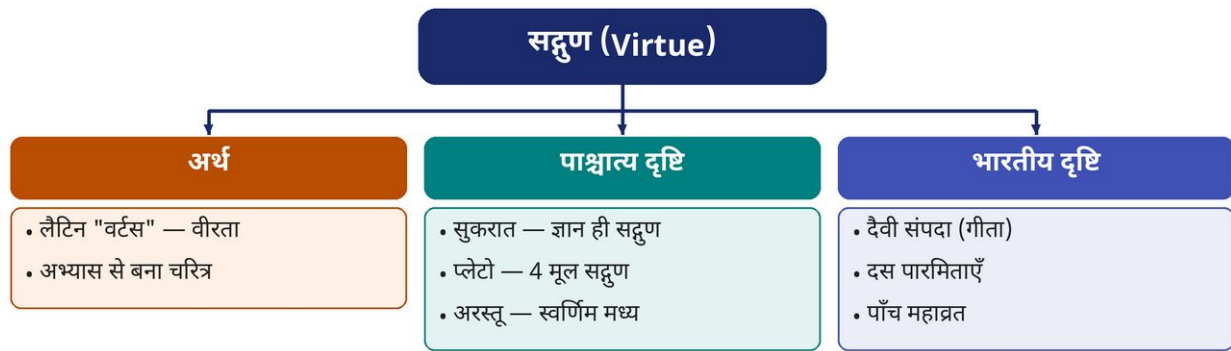
टोंक ज़िले के एक क़स्बे में **रणवीर** (काल्पनिक नाम) थानाधिकारी थे। एक शाम दो समुदायों के युवकों में मामूली कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते अफ़वाहों के कारण तनाव में बदल गई। बाज़ार के चौक पर दोनों ओर से सैकड़ों लोग इकट्ठे हो गए। सोशल मीडिया पर एक पुराना, किसी और जगह का वीडियो "आज की घटना" बताकर फैलाया जा रहा था।

रणवीर के पास कुछ ही सिपाही थे। एक साथी अधिकारी ने सलाह दी — "भीड़ बहुत बड़ी है, हम पीछे हट जाते हैं, अतिरिक्त बल आने दो।" एक दूसरे सिपाही ने गुस्से में कहा — "सीधे लाठीचार्ज कर दो, डर जाएँगे।" रणवीर जानते थे कि पीछे हटना **कायरता** होगी — दुकानें जल सकती थीं और कोई निर्दोष मारा जा सकता था। पर बिना सोचे बल-प्रयोग करना **दुस्साहस** होता — इससे भीड़ और भड़कती और हालात हाथ से निकल जाते।

उन्होंने बीच का रास्ता चुना, जो सबसे कठिन था। वे बिना हथियार उठाए दोनों गुटों के बीच खड़े हुए, दोनों समुदायों के बुजुर्गों और धर्मगुरुओं को बुलाकर लाउडस्पीकर से शांति की अपील करवाई, और साथ ही अपनी टीम को सख्त निर्देश दिए कि जो भी हिंसा करे उसे तुरंत, पर नियम के अनुसार, हिरासत में लिया जाए। साइबर टीम ने उस भ्रामक वीडियो का सच 30 मिनट में सामने रखकर उसे फैलाने वाले खातों पर कार्रवाई की। दो घंटे में भीड़ छूट गई। किसी की जान नहीं गई, कोई दुकान नहीं जली। अगले दिन दोनों समुदायों की शांति समिति की बैठक हुई। रणवीर ने रिपोर्ट में अपने फैसलों के कारण लिखित रूप में दर्ज किए। ज़िला पुलिस अधीक्षक ने कहा — "साहस का अर्थ डर का न होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद सही समय पर सही काम करना है।"

🔑 **इस कहानी से सीख:** अरस्तू का स्वर्णिम मध्य किताबी सिद्धांत नहीं, संकट की घड़ी का सबसे व्यावहारिक मार्गदर्शक है। साहस कायरता और दुस्साहस के बीच है; दृढ़ता कठोरता और ढिलाई के बीच है। यह संतुलन विवेक (व्यावहारिक बुद्धि) से आता है, और विवेक बार-बार के अभ्यास और अनुभव से — यही सद्गुण-नीतिशास्त्र का सार है।

सद्गुण — एक नज़र में



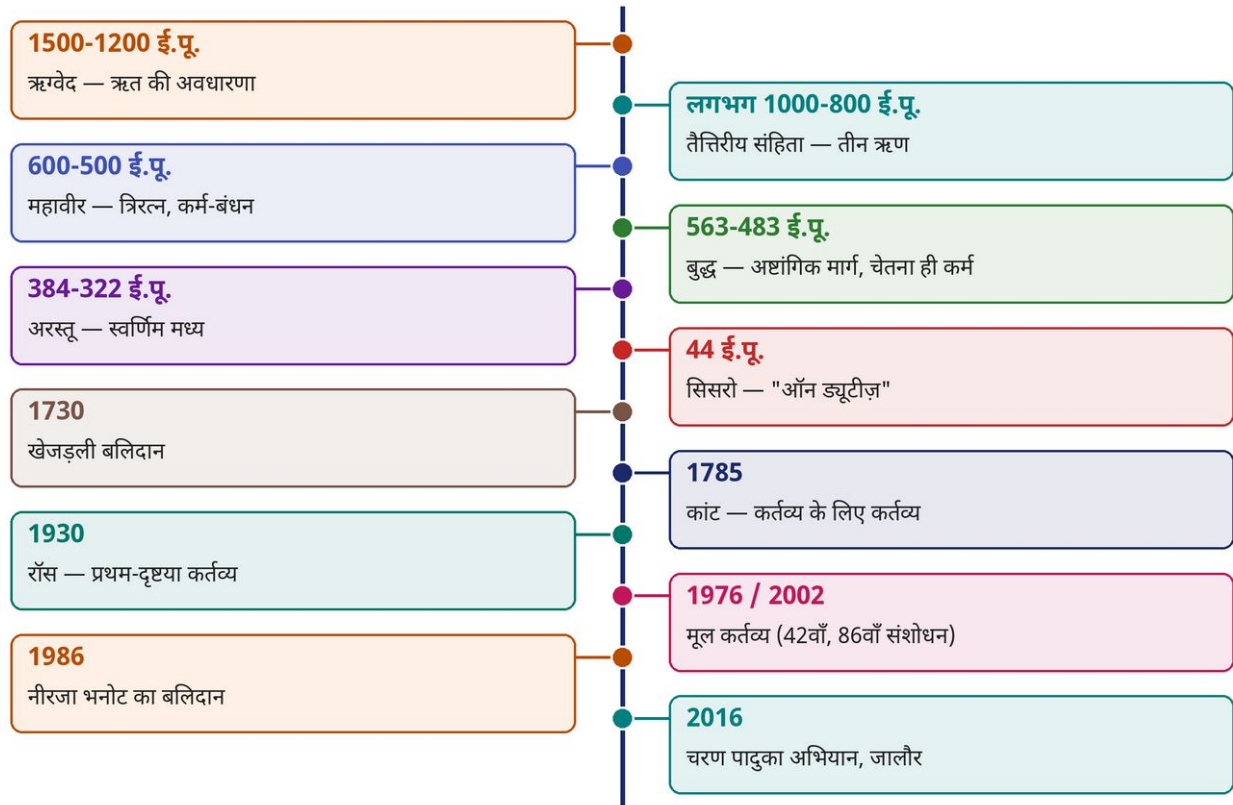
चित्र 2.21: सद्गुण — एक नज़र में

"सद्गुण एक माध्यम है" — इसका अर्थ: अरस्तू के स्वर्णिम मध्य (Golden Mean) सिद्धांत के अनुसार सद्गुण हमेशा दो अतियों — कमी और अधिकता — के बीच का संतुलन-बिंदु होता है; जैसे साहस, कायरता (कमी) और दुस्साहस (अधिकता) के बीच का माध्यम है। ऊपर रणवीर (थानाधिकारी) वाली कहानी दिखाती है कि यह संतुलन व्यवहार में भी संभव है।

9. ऋत, ऋण, कर्मवाद, कर्तव्य, शुभ एवं सद्गुण — ऐतिहासिक यात्रा

वर्ष / संदर्भ	विषय / घटना / विचारक
1500-1200 ई.पू.	ऋग्वेद — ऋत की अवधारणा का सबसे पहला उल्लेख। "ऋतस्य गोपा" = वरुण देवता।
1000-800 ई.पू.	तैत्तिरीय संहिता — 3 मूल ऋण (देव, ऋषि, पितृ) का उल्लेख।
600-500 ई.पू.	जैन धर्म — महावीर: 5 महाव्रत, तीन रत्न, संवर-निर्जरा से मोक्ष।
563-483 ई.पू.	बौद्ध धर्म — गौतम बुद्ध: अष्टांगिक मार्ग, प्रतीत्यसमुत्पाद, कर्मवाद।
428-348 ई.पू.	प्लेटो — चार मूल सद्गुण (विवेक, साहस, संयम, न्याय), सर्वोच्च शुभ की अवधारणा।
384-322 ई.पू.	अरस्तू — निकोमेकियन एथिक्स — "सद्गुण स्वर्णिम मध्य-मार्ग है।"
प्रथम सहस्राब्दी ईसवी (लगभग)	बाद के भारतीय ग्रंथों व परंपराओं में नृ ऋण व भूत ऋण जोड़कर पाँच ऋणों का विस्तृत रूप समझाया गया (सटीक स्रोत भिन्न-भिन्न व्याख्याओं में अलग-अलग बताए गए हैं)।
1730	खेजड़ली बलिदान (जोधपुर) — अमृता देवी बिश्नोई सहित 363 लोगों ने पेड़ों के लिए जान दी।
1724-1804	इमैन्युएल कांट — कर्तव्य के लिए कर्तव्य (Categorical Imperative), शुभ-संकल्प।
1748-1832	जेरेमी बेन्थम — उपयोगितावाद — अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख।
1861-63	जॉन स्टुअर्ट मिल — गुणात्मक उपयोगितावाद (पहले 1861 में पत्रिका में, फिर 1863 में पुस्तक-रूप में प्रकाशित)।
1891-1956	डॉ. भीमराव आंबेडकर — "प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति" (Revolution and Counter-Revolution in Ancient India) के "कृष्ण और उनकी गीता" (Krishna and His Gita) खंड में गीता व चातुर्वर्ण्य की आलोचना।
1934	बिहार-नेपाल भूकंप — गांधी-टैगोर बहस — प्राकृतिक आपदा और नैतिकता पर विमर्श।
1976	42वाँ संवैधानिक संशोधन — अनुच्छेद 51A में मूलतः 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए।
1977	उच्चतम न्यायालय — राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ (AIR 1977 SC 1361) — विधिक अधिकार, विधिक कर्तव्य के परस्पर-संबंधी हैं।
1982	किरण बेदी के कार्यकाल में एक गलत-पार्क कार पर कार्रवाई से "क्रेन बेदी" की लोकप्रिय पहचान बनी — संस्थागत नियम-समानता का उदाहरण।
2002	86वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम — अनुच्छेद 51A में 11वाँ मूल कर्तव्य (6-14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा से संबंधित) जोड़ा गया।
2016	डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी (जालौर, राजस्थान) — चरण पादुका अभियान — नृ ऋण का जीवंत उदाहरण।
2020	राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) — ज्ञान-परंपरा व शिक्षक की भूमिका पर बल, जिसे 'ऋषि ऋण' की आधुनिक नैतिक व्याख्या के रूप में देखा जा सकता है।
2023	डॉ. शीला असोपा व आशा रानी सुमन (राजस्थान) — राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार — ऋषि ऋण की मिसाल।

ऋत से सद्गुण तक — ऐतिहासिक यात्रा



चित्र 2.22: ऋत से सद्गुण तक — ऐतिहासिक यात्रा

☀ अध्याय का सार — एक पंक्ति में

ऋत हमें बताता है कि सही क्या है, ऋण हमें बताता है कि हमें कर्तव्य क्यों निभाना चाहिए, कर्मवाद हमें याद दिलाता है कि हर काम का परिणाम तय है, कर्तव्य और शुभ हमें रास्ता दिखाते हैं, और सद्गुण उस रास्ते को हमारी स्थायी आदत बना देता है। डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के चरण पादुका अभियान से लेकर खेजड़ली के 363 बलिदानों तक — हर कहानी यही सिखाती है कि ये अवधारणाएँ किताबी शब्द नहीं, बल्कि रोज़मर्रा के फैसलों की बुनियाद हैं।

बोनस: उत्तर-लेखन अभ्यास (मॉडल प्रश्न और उत्तर)

प्रश्न 1: "भारतीय परंपरा में 'ऋण' की अवधारणा पर प्रकाश डालिए।"

उत्तर: वैदिक नीतिशास्त्र में ऋण का अर्थ है — नैतिक दायित्व। मान्यता है कि हर व्यक्ति जन्म से ही कुछ ऋणों के साथ पैदा होता है, क्योंकि उसे जीवन, ज्ञान, परिवार और प्रकृति से बहुत कुछ निःशुल्क प्राप्त हुआ है।

पाँच ऋण और उनका प्रशासनिक महत्व:

- ◆ **देव ऋण:** प्रकृति के प्रति कृतज्ञता — नमामि गंगे जैसे पर्यावरण-संरक्षण अभियान इसी भावना से प्रेरित हैं।
- ◆ **ऋषि ऋण:** ज्ञान के प्रति कृतज्ञता — डॉ. शीला असोपा व आशा रानी सुमन जैसे शिक्षकों का ग्रामीण बच्चों को शिक्षित करना इसका जीवंत उदाहरण है।
- ◆ **पितृ ऋण:** पूर्वजों और माता-पिता के प्रति कृतज्ञता — पुष्कर में पिंडदान की परंपरा इसका प्रतीक है, और आज के संदर्भ में बुजुर्ग माता-पिता की सेवा तथा परिवार के अच्छे मूल्यों को आगे बढ़ाना इसी ऋण को चुकाना है।
- ◆ **नृ ऋण:** मानवता के प्रति कृतज्ञता — डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी का चरण पादुका अभियान, जिसने लाखों गरीब बच्चों को जूते उपलब्ध कराए।
- ◆ **भूत ऋण:** प्रकृति व जीवों के प्रति कृतज्ञता — 1730 में खेजड़ली (जोधपुर) में अमृता देवी सहित 363 बिश्नोई लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए जान दे दी; प्रशासन में वन-संरक्षण और प्रदूषण-नियंत्रण इसी ऋण की आधुनिक अभिव्यक्ति हैं।

निष्कर्ष: ऋण की अवधारणा एक प्रशासक को यह सिखाती है कि सत्ता और संसाधन उसे "अधिकार" के रूप में नहीं, बल्कि समाज के प्रति एक "उधार" के रूप में मिले हैं, जिसे सेवा के ज़रिए चुकाना ही उसका असली कर्तव्य है।

प्रश्न 2: "'शुभ' की अवधारणा एक अच्छे प्रशासन की संरचना में कैसे सहायक होगी?"

उत्तर: "शुभ" वह है जो हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक हो। नीतिशास्त्र में इसके दो रूप हैं — सापेक्ष शुभ (साधन) और निरपेक्ष शुभ (साध्य)।

प्रशासन में शुभ की भूमिका:

- ◆ **सापेक्ष शुभ के रूप में नियम-कानून:** अच्छे कानून, नीतियाँ और प्रक्रियाएँ स्वयं अंतिम लक्ष्य नहीं, बल्कि जन-कल्याण पाने का साधन हैं — जैसे संविधान।

◆ **निरपेक्ष शुभ के रूप में जन-कल्याण:** प्रशासन का अंतिम लक्ष्य (साध्य) है — नागरिकों की खुशहाली, गरिमा और न्याय। कोई भी नीति इसी अंतिम लक्ष्य की कसौटी पर परखी जानी चाहिए।

◆ **कांट का शुभ-संकल्प:** एक प्रशासक की नीयत (Intention) साफ होनी चाहिए — सिर्फ नियम का पालन दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सच्ची भावना से जन-सेवा के लिए हो।

◆ **संतुलन ज़रूरी:** अगर सिर्फ साधन (नियम) पर ज़ोर दिया जाए और साध्य (जन-कल्याण) भुला दिया जाए, तो प्रशासन नियम-केंद्रित (Rule-centric) होकर संवेदनहीन हो जाता है — जैसे डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी अगर सिर्फ "नियमानुसार रिपोर्ट भेजना" ही अपना काम मानते, तो चरण पादुका अभियान कभी शुरू ही नहीं होता।

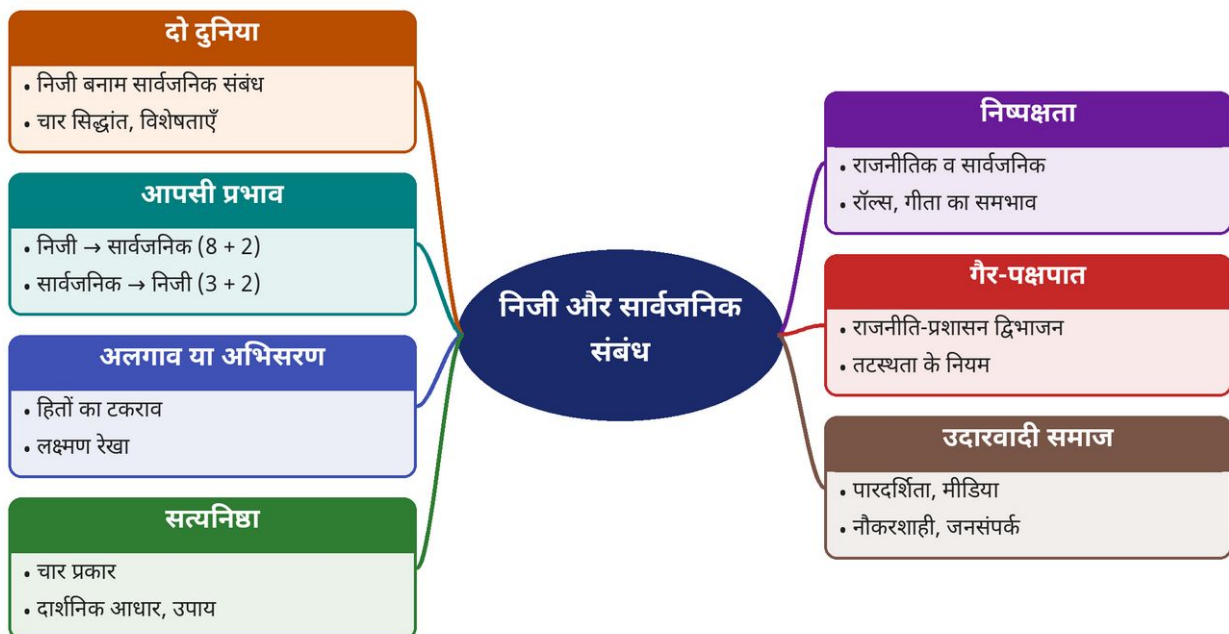
निष्कर्ष: एक अच्छा प्रशासन वही है जो सापेक्ष शुभ (कुशल नियम-व्यवस्था) और निरपेक्ष शुभ (सच्चा जन-कल्याण) — दोनों के बीच संतुलन बनाए रखे, न कि सिर्फ एक पर टिका रहे।



📖 शुरुआत एक सच्ची घटना से...

बूंदी (राजस्थान) में जब सरकारी डॉक्टरों की हड़ताल के दौरान अस्पतालों में मरीज़ बिना इलाज के तड़प रहे थे, तब वहाँ के तत्कालीन कलेक्टर डॉ. रवींद्र गोस्वामी — जो खुद MBBS डिग्रीधारी थे — अपनी कलेक्टर की कुर्सी छोड़कर सीधे अस्पताल पहुँचे और घंटों तक खुद मरीज़ों की जाँच व इलाज में जुट गए। उनका यह कदम किसी सरकारी आदेश या नियम-पुस्तिका में नहीं लिखा था — यह पूरी तरह उनकी निजी योग्यता (एक डॉक्टर होने) से निकला एक व्यक्तिगत निर्णय था, जिसने सार्वजनिक जीवन (प्रशासन) में असाधारण सकारात्मक असर डाला। यही कहानी इस अध्याय के मूल सवाल की जड़ है — क्या निजी और सार्वजनिक जीवन को पूरी तरह अलग-अलग खानों में बाँटा जा सकता है, या दोनों हमेशा एक-दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं? इस अध्याय में हम यही समझेंगे — कब निजी जीवन सार्वजनिक कर्तव्य को नुकसान पहुँचाता है, कब फायदा, और सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता व गैर-पक्षपात जैसे मूल्य इन दोनों दुनिया को कैसे संतुलित रखने में मदद करते हैं।

अध्याय 03 — एक नज़र में



चित्र 3.1: अध्याय 03 — एक नज़र में

New India Education by Omkar Sir

कहानी: अध्याय की यात्रा — "कलेक्टर नंदिनी की दो डायरियाँ"

(यह एक काल्पनिक कहानी है। इसके हर पन्ने में इस अध्याय का एक भाग छिपा है — इसे ध्यान से पढ़िए, पूरा अध्याय आपकी आँखों के सामने खुल जाएगा।)

अजमेर ज़िले की कलेक्टर नंदिनी के पास हमेशा दो डायरियाँ रहती थीं — एक भूरे रंग की, जिसमें दफ़्तर के काम लिखे होते; और एक हरे रंग की, जिसमें बेटी के स्कूल, माँ की दवाइयाँ और घर की बातें। उनके पिता, एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश, कहा करते थे — "बेटा, दोनों डायरियाँ अलग रखना, पर दोनों में लिखावट एक ही ईमानदारी की होनी चाहिए।" उस हफ़्ते नंदिनी को इस बात का असली अर्थ समझ आया।

सोमवार — दो दुनिया: सुबह माँ ने बिना कुछ कहे उनका पसंदीदा नाश्ता बना दिया — यह प्रेम का रिश्ता था, जिसमें कोई नियम नहीं। दफ़्तर पहुँची तो एक आवेदक ने अपनी फ़ाइल दिखाई — यहाँ रिश्ता नियम, समय-सीमा और जवाबदेही का था। नंदिनी ने सोचा — घर में भावना चलती है, दफ़्तर में नियम; पर ईमानदारी, करुणा और सच दोनों जगह एक जैसे हैं। (खंड 1)

मंगलवार — भाई का फ़ोन: छोटे भाई का फ़ोन आया — "दीदी, मेरी फ़र्म ने ज़िले के एक टेंडर में बोली लगाई है, बस थोड़ा ध्यान रखना।" नंदिनी ने प्यार से, पर साफ़ मना किया और उसी दिन लिखित रूप में खुद को उस टेंडर-समिति से अलग कर लिया। उन्हें याद आया कि कैसे निजी रिश्ते (भाई-भतीजावाद), अंध-प्रेम और पूर्वाग्रह सार्वजनिक जीवन को खोखला कर देते हैं। (खंड 2)

बुधवार — माँ की सीख: एक बुजुर्ग विधवा जनसुनवाई में रो पड़ी। नंदिनी को अपनी माँ की बात याद आई — "किसी के आँसू पोंछने से बड़ी कोई पूजा नहीं।" उन्होंने उसी दिन उसकी पेंशन की बाधा दूर करवाई। निजी जीवन से मिली करुणा सार्वजनिक सेवा को बेहतर बना रही थी। (खंड 3)

गुरुवार — छूटा हुआ नाटक: बाढ़ की चेतावनी के कारण नंदिनी रात भर नियंत्रण-कक्ष में रहीं और बेटी के स्कूल का वार्षिक नाटक छूट गया। बेटी नाराज़ थी। नंदिनी ने अगली सुबह उसे गोद में बिठाकर समझाया कि उस रात सैकड़ों परिवारों को सुरक्षित निकालना क्यों ज़रूरी था — और वादा किया कि अगली बार की योजना पहले से बनाएँगी। सार्वजनिक जीवन निजी जीवन पर भी असर डालता है — कभी तकलीफ़ देकर, कभी अच्छे मूल्य सिखाकर। (खंड 4)

शुक्रवार — लक्ष्मण रेखा: रात को उन्होंने दोनों डायरियाँ साथ रखकर सोचा — जीवन के इन दो हिस्सों को पूरी तरह अलग करना न संभव है, न सही; बस एक "लक्ष्मण रेखा" चाहिए — निजी करुणा सार्वजनिक सेवा में आए, पर निजी पक्षपात कभी नहीं। (खंड 5)

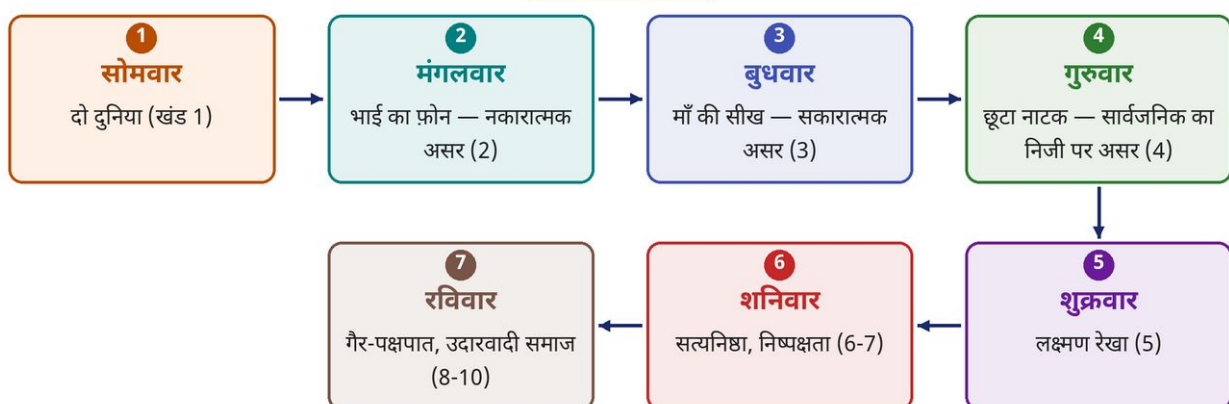
शनिवार — दो दीपक: सरकारी गाड़ी में बेटी को स्कूल छोड़ने का प्रस्ताव ड्राइवर ने रखा, पर नंदिनी ने अपनी निजी कार निकाली। उन्हें चाणक्य के दो दीपकों की कहानी याद आई — यही सत्यनिष्ठा है। उसी दिन एक भर्ती-परीक्षा की उत्तर-पुस्तिकाओं की गोपनीय कोडिंग करवाई, ताकि कोई परीक्षक उम्मीदवार की पहचान न जान सके — यह निष्पक्षता थी। (खंड 6 और 7)

रविवार — चुनाव की तैयारी और अख़बार: आगामी चुनाव के लिए राजनीतिक दलों की बैठक में एक दल के नेता ने "विशेष ध्यान" की माँग की। नंदिनी ने सभी दलों के सामने एक-सी आचार-संहिता पढ़कर सुनाई — यह गैर-पक्षपात था। शाम को अख़बार में ज़िला अस्पताल की कमियों पर एक तीखी ख़बर छपी। नाराज़ होने के बजाय उन्होंने अगले दिन जाँच करवाई और सूचना के अधिकार के तहत आई अर्जियों का जवाब समय पर देने का आदेश दिया — क्योंकि एक उदारवादी समाज में पारदर्शिता, स्वतंत्र मीडिया और जवाबदेह नौकरशाही ही लोकतंत्र की सांस हैं। (खंड 8, 9 और 10)

हफ़्ते के अंत में नंदिनी ने अपनी भूरी डायरी के पहले पन्ने पर पिता की वह पंक्ति फिर से लिखी — "दो डायरियाँ, एक ईमानदारी।" यही यात्रा अब आप इस अध्याय में करने जा रहे हैं।

इस कहानी से सीख: यह अध्याय एक हफ़्ते के सात दिनों की तरह चलता है — (1) निजी और सार्वजनिक संबंधों का अंतर, (2-3) निजी जीवन का सार्वजनिक जीवन पर बुरा और अच्छा असर, (4) सार्वजनिक जीवन का निजी जीवन पर असर, (5) अलगाव और अभिसरण, (6-8) सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और गैर-पक्षपात, (9-10) उदारवादी समाज और ऐतिहासिक यात्रा।

नंदिनी का एक हफ़्ता — अध्याय के सात भाग



चित्र 3.2: नंदिनी का एक हफ़्ता — अध्याय के सात भाग

अध्याय विषय-सूची

1	निजी और सार्वजनिक संबंध — तुलनात्मक विश्लेषण	6	सत्यनिष्ठा (Integrity) का दार्शनिक आधार
2	निजी जीवन का सार्वजनिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव (8)	7	निष्पक्षता (Impartiality) — परिभाषा, महत्व और उपाय

कृत्य — इनसे बचें)	
3 निजी जीवन का सार्वजनिक जीवन पर सकारात्मक प्रभाव (2 कृत्य — इन्हें अपनाएँ)	8 गैर-पक्षपात (Non-Partisanship) — परिभाषा, महत्व और उपाय
4 सार्वजनिक जीवन का निजी जीवन पर प्रभाव	9 उदारवादी समाज (Liberal Society) — पारदर्शिता, मीडिया और नौकरशाही की भूमिका
5 निजी और सार्वजनिक जीवन को अलग क्यों रखें? + अभिसरण (Convergence) कब उचित?	10 सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और उदारवादी समाज — ऐतिहासिक यात्रा

1. निजी और सार्वजनिक संबंध — तुलनात्मक विश्लेषण

सरल भाषा में समझें — निजी संबंध वे हैं जो दिल से चलते हैं, जैसे माँ-बेटे का रिश्ता, जहाँ कोई लिखित नियम नहीं होता। वहीं सार्वजनिक संबंध वे हैं जो नियमों और कानूनों से चलते हैं, जैसे एक अधिकारी और आम नागरिक का रिश्ता। दोनों बिल्कुल अलग आधारों पर टिके होते हैं, इसलिए एक प्रशासक को यह फ़र्क समझना बेहद ज़रूरी है।

आसान परिभाषा: लोक सेवक / Public Servant

 **परिभाषा:** भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita — BNS), 2023 की धारा 2(28) 'लोक सेवक' की परिभाषा देती है (यह पुरानी भारतीय दंड संहिता की धारा 21 की जगह आई है)। इसमें सेना के कमीशन-प्राप्त अधिकारी, न्यायाधीश, न्यायालय के अधिकारी, सरकार की सेवा में रहने वाले या सरकार से वेतन पाने वाले कर्मचारी (जैसे सिविल सेवक), स्थानीय निकायों, सरकारी निगमों व सरकारी कंपनियों के कर्मचारी तथा चुनाव से जुड़े कर्तव्य निभाने वाले व्यक्ति जैसी श्रेणियाँ गिनाई गई हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 2(c) इससे भी व्यापक है — उसके अनुसार जो भी व्यक्ति किसी ऐसे पद पर है जिसके कारण उसे कोई सार्वजनिक कर्तव्य निभाना पड़ता है, वह लोक सेवक है। इसी आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने पी.वी. नरसिम्हा राव मामले (1998) में सांसदों-विधायकों को भी इस अधिनियम के तहत लोक सेवक माना।

 **आसान भाषा में:** इसे ऐसे समझें — जैसे ही कोई व्यक्ति किसी ऐसे पद पर आता है जहाँ उसका फैसला सिर्फ उसकी अपनी ज़िंदगी को नहीं, बल्कि आम जनता को भी प्रभावित करता है, कानून उस पर एक अतिरिक्त, सख्त ज़िम्मेदारी (जवाबदेही) डाल देता है — भले ही वह पद चुनाव से मिला हो, नियुक्ति से, या पेशे की प्रकृति से।  **उदाहरण:** एक निजी क्लिनिक में मरीज़ देखने वाला डॉक्टर और एक सरकारी अस्पताल में मरीज़ देखने वाला डॉक्टर — दोनों एक जैसा ही काम करते हैं, पर दूसरे पर जवाबदेही, पारदर्शिता और निष्पक्षता की कसौटी कहीं ज़्यादा सख्ती से लागू होती है, क्योंकि वह जनता के संसाधनों और भरोसे से जुड़ा है।

1.1 संबंधों के चार आधार और निजी संबंधों का दायरा

मनुष्य सामाजिक प्राणी है। गांधीजी कहते थे कि अहिंसक और सत्यनिष्ठ समाज के लिए अच्छे संबंध बहुत ज़रूरी हैं। कोई भी संबंध — निजी हो या सार्वजनिक — चार आधारों पर टिकता है: **सम्मान (Respect)**, **समझ (Understanding)**, **स्वीकृति (Acceptance)** और **सराहना (Appreciation)**।

◆ **स्वयं के साथ संबंध:** अपने बारे में अच्छा या बुरा सोचना, और अपनी कथनी-करनी में कितनी एकरूपता है — यही व्यक्ति की नैतिकता की पहली परत है।

◆ **दांपत्य जीवन:** पति-पत्नी का रिश्ता तभी अच्छा चलता है जब दोनों एक-दूसरे की अलग पहचान और स्वभाव को समझें और अपनी इच्छाएँ दूसरे पर न थोपें। हर व्यक्ति को अपने फ़ैसले लेने की कुछ स्वतंत्रता चाहिए, इसलिए जीवनसाथी पर ज़रूरत से ज़्यादा अधिकार जताना या बात-बात पर शक करना रिश्ते को कमज़ोर कर देता है। जीवनसाथी के सपनों और आकांक्षाओं (जैसे पढ़ाई या नौकरी) को स्वीकार करना, आपस में होड़ करने के बजाय सहयोग करना, और घर व जीवन की ज़िम्मेदारियों का बोझ मिल-जुलकर बाँटना — यही इस रिश्ते में सम्मान, समझ, स्वीकृति और सराहना के चार आधारों का व्यावहारिक रूप है।

◆ **मित्रता:** सच्ची मित्रता भरोसे पर टिकती है — मित्र वह है जो कठिन समय में साथ न छोड़े, दुख में भावनात्मक सहारा दे, और हमारे मूल्यों व विचारों का सम्मान करे, भले ही वे उसके अपने विचारों से अलग हों। यूनानी दार्शनिक अरस्तू ने सच्ची मित्रता (फ़िलिया — Philia) को सद्गुणी निजी जीवन का मूल हिस्सा माना, जो एक-दूसरे के सद्गुणों की सराहना पर टिकी होती है।

हर अच्छे संबंध के चार आधार

अच्छा संबंध

सम्मान दूसरे की गरिमा का आदर	समझ उसकी स्थिति को जानना	स्वीकृति जैसा है वैसा अपनाना	सराहना अच्छाई की प्रशंसा
--	------------------------------------	--	------------------------------------

चित्र 3.3: हर अच्छे संबंध के चार आधार

1.2 निजी बनाम सार्वजनिक संबंध — आठ आधारों पर तुलना

आधार	निजी संबंध (Private)	सार्वजनिक संबंध (Public)
प्रकार	अनौपचारिक, स्वयं-आरोपित — जैसे पति-पत्नी का कर्तव्य किसी बाहरी कानून से नहीं, बल्कि आपसी भावना से बंधा होता है।	औपचारिक, बाहरी रूप से निर्धारित — जैसे सिविल सेवाओं के नियम कार्मिक मंत्रालय (DoPT) द्वारा तय किए जाते हैं।
मार्गदर्शक तत्व	भावनाएँ और जज़्बात (Passion) — जैसे एक माँ का प्यार, जिसका कोई तार्किक हिसाब-किताब नहीं होता।	नियम और कानून (Reason) — जैसे पुलिस, भारतीय न्याय संहिता (BNS) व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) से निर्देशित होकर काम करती है।
प्रमुख मूल्य	व्यक्तिपरकता, गोपनीयता, आत्मीयता, प्रेम, निष्ठा, विश्वास, करुणा, देखभाल की नैतिकता (Care Ethics)।	वस्तुनिष्ठता (Objectivity), पारदर्शिता, जवाबदेही, दक्षता, राष्ट्रवाद, लोकतांत्रिक मूल्य, न्याय।
साझा मूल्य	ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, करुणा, परोपकार और समर्पण — ये मूल्य निजी संबंधों में भी उतने ही ज़रूरी हैं।	यही मूल्य सार्वजनिक जीवन में भी अनिवार्य हैं — जैसे एक छात्र-शिक्षक के आपसी सम्मान वाले रिश्ते में भी समर्पण और सत्यनिष्ठा दोनों तरफ ज़रूरी होते हैं।
स्थायित्व	अपेक्षाकृत अधिक स्थायी — जैसे यह मान्यता है कि माता-पिता का रिश्ता कभी 'रिटायर' नहीं होता।	अपेक्षाकृत अस्थायी — छुट्टी, सेवानिवृत्ति (Retirement), स्थानांतरण (Transfer) जैसी व्यवस्थाओं से यह संबंध समय-समय पर बदलता रहता है।
गलती पर रवैया	अपेक्षाकृत अधिक सहनशीलता — परिवार प्रायः जेल से लौटे व्यक्ति को भी स्वीकार कर लेता है।	गलती के प्रति बेहद कम सहनशीलता — कारण बताओ नोटिस, निलंबन, जुर्माना या जेल जैसी सख्त कार्यवाही संभव है।
स्वभाव	प्रायः बिना शर्त — जैसे एक माँ की चौबीसों घंटे की देखभाल के पीछे किसी बदले की उम्मीद नहीं होती। (एक अनुमान के अनुसार भारत में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला बड़ा हिस्सा घरेलू व देखभाल-कार्य आर्थिक रूप से 'अवैतनिक' रहता है — भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की एक शोध-रिपोर्ट, 2023 के अनुसार इसका अनुमानित मूल्य देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के लगभग 7.5% के बराबर आँका गया है।)	प्रायः सशर्त, कुछ हद तक लेन-देन (Quid pro quo) जैसा — सिविल सेवकों को उनके कार्य के बदले वेतन व अन्य सुविधाएँ मिलती हैं।
नियामक ढाँचा	व्यक्तिगत नैतिकता, सामाजिक मान्यताएँ, धार्मिक परंपराएँ, तथा माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण अधिनियम, 2007 जैसे कानून।	संविधान (अनुच्छेद 14-16), अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम 1968, BNS/BNSS, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आदि।

निजी बनाम सार्वजनिक संबंध — मुख्य अंतर

निजी संबंध	बनाम	सार्वजनिक संबंध
भावना, प्रेम, निष्ठा	आधार	नियम, कानून, तर्क
अनौपचारिक, एक-से-एक	स्वरूप	औपचारिक, पूर्वानुमेय
भीतर से (अंतरात्मा)	नियंत्रण	बाहर से (कानून, संहिता)
क्षमा, अधिक सहनशीलता	गलती पर रवैया	कम सहनशीलता, जवाबदेही
अपेक्षाकृत स्थायी	स्थायित्व	पद तक सीमित, अस्थायी
प्रेम, गोपनीयता, देखभाल	मूल्य	पारदर्शिता, निष्पक्षता, समानता

चित्र 3.4: निजी बनाम सार्वजनिक संबंध — मुख्य अंतर

1.3 निजी और सार्वजनिक संबंधों की विशेषताएँ

निजी संबंधों की विशेषताएँ: ये अनौपचारिक होते हैं — इन्हें चलाने की कोई लिखित प्रक्रिया नहीं होती। ये एक-से-एक (One-to-one) संबंध होते हैं, जो भावनात्मक बंधन पर टिके होते हैं। इनमें नैतिक व्यवहार पर नियंत्रण भीतर से (अंतरात्मा से) होता है, कानून से नहीं। इनमें कर्तव्य स्वयं ओढ़े हुए और स्वैच्छिक होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात — निजी संबंधों की नैतिकता ही सार्वजनिक संबंधों में नैतिक व्यवहार की नींव बनती है।

सार्वजनिक संबंधों की विशेषताएँ: ये औपचारिक और पूर्वानुमेय (Predictable) होते हैं। इनमें व्यक्ति स्वयं को एक बड़ी व्यवस्था के हिस्से के रूप में देखता है, अलग इकाई के रूप में नहीं। इनमें कानूनी और सामाजिक दायित्व होते हैं — कर्तव्य बाहर से तय, औपचारिक और बाध्यकारी होते हैं। इनका प्रभाव क्षेत्र बहुत बड़ा होता है — एक अधिकारी का एक निर्णय हज़ारों लोगों को प्रभावित करता है।

दोनों में साझा मूल्य: ईमानदारी, अच्छे पारस्परिक संबंध बनाने का कौशल और करुणा — ये तीनों दोनों दुनिया में समान रूप से ज़रूरी हैं।

“ आदर्श अधिकारी अपना काम "बिना घृणा या जुनून के, और इसलिए बिना लगाव या उत्साह के" करता है। (without hatred or passion, and hence without affection or enthusiasm) ” — मैक्स वेबर (Max Weber)

ऊपर की तालिका के सभी आधारों में से चार सबसे मज़बूत आधार हैं — **मार्गदर्शक तत्व, स्थायित्व, गलती पर रवैया और नियामक ढाँचा**। इन चार आधारों के तर्क को समझ लेने से निजी और सार्वजनिक संबंधों की नैतिकता का अंतर उदाहरण सहित आसानी से स्पष्ट हो जाता है।

2. निजी जीवन का सार्वजनिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव (8 कृत्य — इनसे बचें)

जब कोई व्यक्ति अपने निजी संबंधों, भावनाओं या पूर्वाग्रहों को अपने सार्वजनिक कर्तव्यों में घुसने देता है, तो इसका सीधा नुकसान प्रशासन और आम जनता को होता है। नीचे आठ ऐसे कृत्य दिए गए हैं जिनसे एक अच्छे प्रशासक को सतर्क रहना चाहिए।

आसान परिभाषा: भाई-भतीजावाद (Nepotism)

 **परिभाषा:** अपने रिश्तेदारों, परिचितों या करीबी लोगों को बिना योग्यता जाँचें सार्वजनिक पदों, ठेकों या लाभों में तरजीह देना।

 **आसान भाषा में:** जैसे किसी कंपनी का मालिक अपने बेटे को, जो काम में कमज़ोर है, सिर्फ रिश्ते के आधार पर मैनेजर बना दे — जबकि कोई और ज़्यादा योग्य कर्मचारी उस पद के लिए बेहतर होता।  **उदाहरण:** जब कोई सरकारी अधिकारी किसी ठेके में अपने रिश्तेदार की कंपनी को बिना उचित प्रक्रिया के काम दिलवा देता है, तो यह न सिर्फ अनैतिक है बल्कि भ्रष्टाचार-निरोधक कानूनों का उल्लंघन भी बन सकता है।

क्र.	निजी कृत्य	सार्वजनिक जीवन पर प्रभाव	उदाहरण
1	कार्यस्थल पर रिश्तेदारों को तरजीह देना	भाई-भतीजावाद, पक्षपात, अकुशलता, बड़े घोटालों की जड़।	कोयला खान आवंटन घोटाला (नियंत्रक-महालेखा परीक्षक — CAG — की वर्ष 2012 की अंतिम रिपोर्ट में लगभग ₹1.86 लाख करोड़ की संभावित हानि का अनुमान लगाया गया था, हालाँकि तत्कालीन सरकार ने इस आंकड़े व उसकी गणना-पद्धति को संसद में चुनौती दी थी); पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में नीरव मोदी से जुड़ा बैंक धोखाधड़ी मामला (शुरुआती अनुमान लगभग ₹11,400 करोड़, बाद की जाँच में कुल राशि लगभग ₹13,000-14,000 करोड़ आँकी गई); बॉलीवुड में भाई-भतीजावाद पर चर्चा।
2	अंध/तर्कहीन प्रेम	सार्वजनिक पद पर रहते हुए गलत या पक्षपातपूर्ण निर्णय लेना।	महाभारत में धृतराष्ट्र का अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति अंध-प्रेम — जिसने राजा के रूप में उनके निष्पक्ष न्याय करने की क्षमता को ही समाप्त कर दिया और अंततः महाभारत युद्ध की एक बड़ी वजह बना।
3	पारिवारिक मूल्यों का अनादर (Infidelity)	सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति की विश्वसनीयता और नैतिक छवि की गंभीर हानि।	अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का लेव्स्की प्रकरण (जिसके चलते महाभियोग — Impeachment — की कार्यवाही तक चली); प्रेरक वक्ता विवेक बिंद्रा पर लगे घरेलू दुर्व्यवहार के आरोप (जो विवादित रहे और सार्वजनिक चर्चा का विषय बने)।
4	परिवार में पितृसत्तात्मक मूल्यों का प्रभाव (Spillover Effect)	कार्यस्थल पर महिला सहकर्मियों के प्रति पूर्वाग्रह और भेदभाव।	#MeToo आंदोलन के दौरान सामने आए आरोप, 'कास्टिंग काउच' जैसी प्रचलित शिकायतें, तथा हनी-ट्रैप से जुड़े मामले — ये सभी दिखाते हैं कि निजी जीवन के पूर्वाग्रह कैसे कार्यस्थल की संस्कृति को प्रभावित कर सकते हैं।
5	ऐसा निजी आचरण जो स्वयं के सार्वजनिक छवि के विपरीत हो (Image Contradiction)	सार्वजनिक विश्वसनीयता की गंभीर हानि — पाखंड (Hypocrisy) का आरोप।	उन्नीसवीं सदी के समाज-सुधारक केशव चंद्र सेन ने सार्वजनिक रूप से बाल-विवाह का पुरज़ोर विरोध किया, पर बाद में स्वयं अपनी नाबालिग बेटी का विवाह कूचबिहार के युवराज से करवा दिया — इस विरोधाभास से क्षुब्ध होकर उनके कई अनुयायियों ने अलग होकर वर्ष 1878 में 'साधारण ब्राह्म समाज' की स्थापना की।
6	विलासितावाद (Hedonism) — अत्यधिक विलासिता व अपव्यय की प्रवृत्ति	आर्थिक तंगी से भ्रष्टाचार की ओर झुकाव; कुछ संवैधानिक पदों के लिए यह अयोग्यता का आधार भी बन सकता है।	संबंधित कानूनों के अनुसार, यदि संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) जैसे पदों पर बैठा कोई व्यक्ति 'दिवालिया (Insolvent)' घोषित हो जाए, तो यह उसे पद से हटाने का एक आधार बन सकता है।
7	पारिवारिक संबंधों में गहरा टकराव	सार्वजनिक छवि पर सवाल और पारिवारिक जीवन को लेकर सतत	महात्मा गांधी — जिन्हें 'राष्ट्रपिता' कहा जाता है — का अपने पुत्र हरिलाल गांधी के साथ आजीवन तनावपूर्ण और कटु संबंध

क्र.	निजी कृत्य	सार्वजनिक जीवन पर प्रभाव	उदाहरण
		जनचर्चा।	बना रहा।
8	ऐसी धार्मिक/जातिगत मान्यताएँ जो सार्वजनिक कर्तव्य से टकराएँ	कानून का मन से पालन न होना, निर्णयों में पूर्वाग्रह व भेदभाव।	जातिगत पूर्वाग्रह रखने वाला अधिकारी वंचित वर्गों के साथ निष्पक्ष न्याय नहीं कर पाएगा — उदाहरण के लिए, धार्मिक पहचान के आधार पर किसी उत्पाद-शुल्क निरीक्षक (Excise Inspector) की नियुक्ति/स्थानांतरण पर सवाल उठाया जाना, यह दिखाता है कि पूर्वाग्रह किस तरह प्रशासनिक निर्णयों में घुस सकता है।

निजी जीवन के आठ नकारात्मक असर — तीन समूहों में



चित्र 3.5: निजी जीवन के आठ नकारात्मक असर — तीन समूहों में

☀ कहानी — जब सुधारक खुद अपने ही सिद्धांत पर खरा नहीं उतरा

केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक थे और बाल-विवाह के खिलाफ मुखर आवाज़ माने जाते थे — उन्हीं के प्रयासों से 'नेटिव मैरिज एक्ट, 1872' जैसा कानून बनाने में मदद मिली थी, जिसमें विवाह की न्यूनतम उम्र तय की गई। पर 1878 में, उन्होंने खुद अपनी 13-14 वर्षीय नाबालिग बेटी सुनीति देवी का विवाह कूचबिहार के नाबालिग युवराज (महाराजा) से करवा दिया — ठीक उन्हीं मान्यताओं के विपरीत जिनका वे सार्वजनिक रूप से प्रचार करते थे। इस पाखंड से आहत होकर आनंद मोहन बोस और उमेशचंद्र दत्त जैसे उनके कई करीबी अनुयायी अलग हो गए और 'साधारण ब्राह्म समाज' नामक नया संगठन बनाया। यह घटना आज भी यह सिखाती है कि किसी सार्वजनिक व्यक्ति की विश्वसनीयता तभी तक टिकती है, जब तक उसका निजी आचरण उसके सार्वजनिक रुख से मेल खाता हो।

📖 कहानी: "मन का पूर्वाग्रह" — एक ज़िला शिक्षा अधिकारी की आत्म-परीक्षा

भीलवाड़ा ज़िले में महेश (काल्पनिक नाम) नए ज़िला शिक्षा अधिकारी बने थे। वे ईमानदार थे — रिश्तों को उन्होंने कभी हाथ नहीं लगाया था। पर बचपन से उन्होंने अपने गाँव में कुछ समुदायों के बारे में तरह-तरह की बातें सुनी थीं — "वे लोग पढ़ाई को महत्व नहीं देते", "उनके इलाक़े में अच्छे शिक्षक भेजना बेकार है।" ये बातें उनके मन में कहीं गहरे बैठ गई थीं।

शिक्षकों की नई तैनाती की सूची बनाते समय उन्होंने अनजाने में सबसे अनुभवी शिक्षकों को शहर और बड़े गाँवों के विद्यालयों में रखा, और एक घुमंतू समुदाय की बस्ती वाले विद्यालय में केवल एक नया, अनुभवहीन शिक्षक। उनके एक सहायक ने धीरे से पूछा — "सर, उस विद्यालय में तो नामांकन सबसे ज़्यादा बढ़ा है, और सबसे कम परिणाम भी वहीं है। वहाँ सबसे अच्छे शिक्षक की ज़रूरत नहीं?"

महेश रुक गए। उस रात उन्होंने अपने मन से कठिन सवाल पूछा — "क्या यह निर्णय तथ्यों पर था, या बचपन से सुनी बातों पर?" उन्हें एहसास हुआ कि भ्रष्टाचार केवल पैसे का नहीं होता, **मन का पूर्वाग्रह भी निर्णय को भ्रष्ट कर देता है**। निजी जीवन से आया पूर्वाग्रह चुपचाप सार्वजनिक निर्णय में घुस गया था।

अगले दिन उन्होंने तैनाती के लिए स्पष्ट मापदंड बनाए — विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात, पिछले परिणाम और विषय-विशेषज्ञता — और काउंसलिंग खुली बैठक में करवाई। उस बस्ती के विद्यालय में दो अनुभवी शिक्षक भेजे गए, और महेश स्वयं हर महीने वहाँ जाने लगे। दो वर्ष बाद उस विद्यालय की एक छात्रा ने ज़िले में दसवीं कक्षा में सबसे अधिक अंक पाए। महेश ने उस दिन कहा — "मैंने उस बस्ती को नहीं बदला, उस बस्ती ने मेरी सोच बदल दी।"

🔑 इस कहानी से सीख: ईमानदारी के साथ-साथ निष्पक्षता के लिए आत्म-जागरूकता भी ज़रूरी है। निजी जीवन से आए पूर्वाग्रह (Bias) और पूर्व-निर्णय (Prejudice) अक्सर चुपचाप सार्वजनिक निर्णयों में घुस जाते हैं। इसका इलाज है — स्पष्ट, तथ्य-आधारित मापदंड, पारदर्शी प्रक्रिया और अपने निर्णयों की ईमानदार आत्म-समीक्षा।

इन आठ कृत्यों को तीन बड़े समूहों में बाँटकर समझना आसान है — (1) **पक्षपात-आधारित** (भाई-भतीजावाद, अंध-प्रेम, धार्मिक पूर्वाग्रह), (2) **व्यक्तिगत चरित्र-आधारित** (बेवफ़ाई, विलासितावाद (Hedonism), छवि-विरोधाभास (Image Contradiction)), (3) **पारिवारिक-सामाजिक** (पितृसत्तात्मक सोच का फैलाव, पारिवारिक टकराव)। हर समूह का एक-एक उदाहरण याद रहे तो पूरा विषय संतुलित रूप से याद रहता है। नीचे का चित्र इसी वर्गीकरण को दिखाता है।

3. निजी जीवन का सार्वजनिक जीवन पर सकारात्मक प्रभाव (2 कृत्य — इन्हें अपनाएँ)

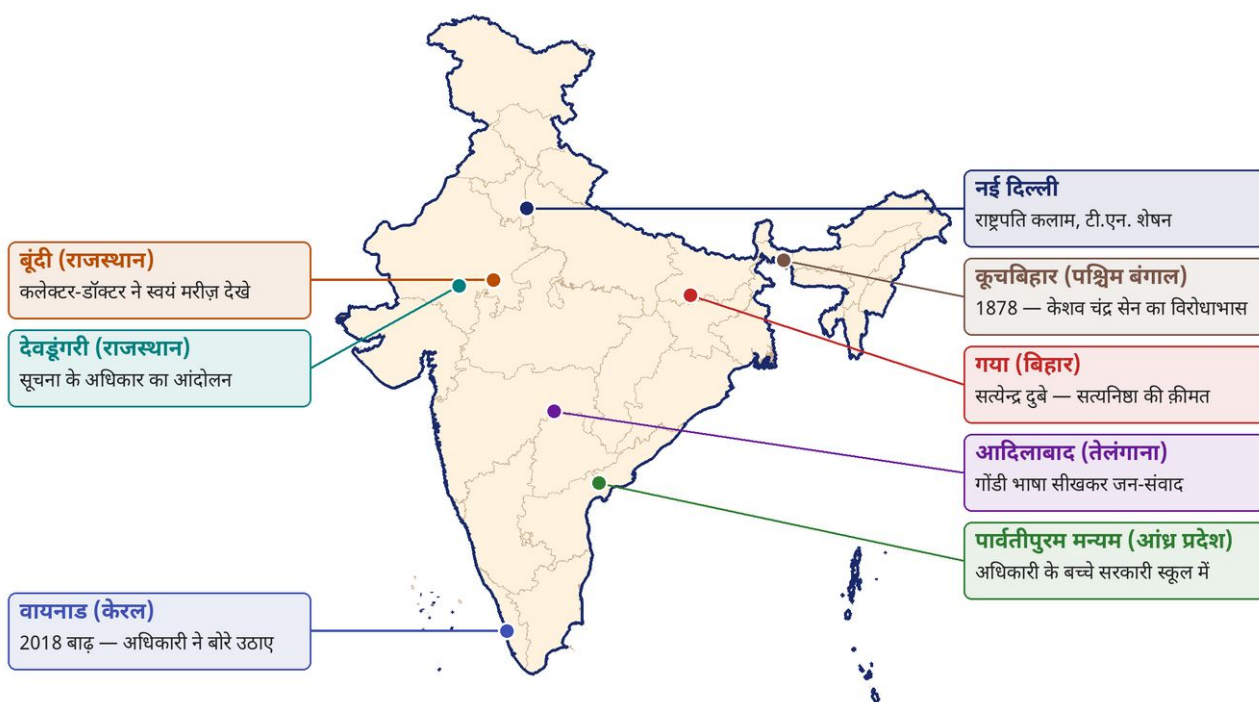
निजी जीवन हमेशा नुकसान ही नहीं पहुँचाता — कई बार निजी गुण, भावनाएँ और आदतें ही एक अधिकारी को बेहतर, अधिक संवेदनशील लोकसेवक बनाती हैं। नीचे दो ऐसे उदाहरण हैं।

क्र.	निजी कृत्य	सार्वजनिक जीवन पर प्रभाव	उदाहरण
1	निजी जीवन में स्नेह, देखभाल और सहानुभूति की भावना	सार्वजनिक सेवा-वितरण में अधिक संवेदनशीलता और बेहतर सेवा।	2018 की केरल बाढ़ के दौरान IAS अधिकारी एम.जी. राजामणिकम् (आपदा-प्रबंधन के विशेष अधिकारी) वायनाड के एक राहत-शिविर में देर रात स्वयं राहत-सामग्री के चावल के बोरे कंधे पर उठाकर उतारते देखे गए — यह उनकी ड्यूटी की औपचारिक परिभाषा से कहीं आगे जाकर किया गया एक व्यक्तिगत, संवेदनशील निर्णय था; बूंदी (राजस्थान) के कलेक्टर डॉ. रवींद्र गोस्वामी — जो पेशे से MBBS डॉक्टर भी हैं — ने सरकारी डॉक्टरों की हड़ताल के दौरान खुद अस्पताल जाकर मरीजों का इलाज किया।
2	शांतिपूर्ण पारिवारिक जीवन से मिलने वाला अच्छा मनोभाव (Mood)	कार्यस्थल पर बेहतर दक्षता, धैर्य और उत्पादकता।	पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का अपनी पत्नी मिशेल ओबामा और बेटियों के साथ मज़बूत पारिवारिक संबंध — जिसे अक्सर उनके कार्यालयीन नेतृत्व-शैली में स्थिरता व संतुलन का एक सहयोगी कारक माना जाता है।

☀ निजी प्रयास से सार्वजनिक भरोसा — एक कलेक्टर जिसने आदिवासियों की भाषा सीखी

तेलंगाना के आदिलाबाद ज़िले की कलेक्टर रहीं **दिव्या देवराजन** ने देखा कि गोंड आदिवासी अपनी समस्याएँ लेकर दफ़्तर आने से कतराते हैं, क्योंकि वे तेलुगु या हिंदी में अपनी बात ठीक से नहीं कह पाते, और अधिकारी उनकी गोंडी भाषा नहीं समझते। उन्होंने अपने निजी समय में **गोंडी भाषा** सीखी और लोगों से उन्हीं की भाषा में बात करनी शुरू की। धीरे-धीरे अविश्वास भरोसे में बदल गया — लोग खुलकर अपनी समस्याएँ बताने लगे और योजनाएँ ज़मीन तक पहुँचने लगीं। यह निजी जीवन के एक गुण (सीखने की लगन और समानुभूति) का सार्वजनिक सेवा पर सकारात्मक असर — यानी **सकारात्मक अभिसरण** — का सुंदर उदाहरण है।

इस अध्याय की सच्ची कहानियों का भारत-मानचित्र



मानचित्र केवल प्रतीकात्मक है — स्थान लगभग दर्शाए गए हैं

चित्र 3.6: इस अध्याय की सच्ची कहानियों का भारत-मानचित्र

बूंदी और वायनाड वाले दोनों उदाहरण एक ही बात सिद्ध करते हैं — जब किसी अधिकारी का निजी गुण (चिकित्सा-कौशल, संवेदनशीलता) सार्वजनिक भलाई के लिए इस्तेमाल होता है, तो निजी-सार्वजनिक विभाजन की सीमा-रेखा धुंधली पड़ जाती है, और यही 'सकारात्मक अभिसरण (Positive Convergence)' है — जिसका विस्तृत विवेचन आगे खंड 5.2 में किया गया है।

4. सार्वजनिक जीवन का निजी जीवन पर प्रभाव

4.1 नकारात्मक प्रभाव (3 कृत्य — इनसे बचें)

क्र.	सार्वजनिक कृत्य	निजी जीवन पर प्रभाव	उदाहरण
1	अत्यधिक व्यस्त कार्य-घंटे	परिवार को पर्याप्त समय न दे पाना — केयर एथिक्स (Care Ethics) से समझौता।	दंगों जैसी आपात-स्थिति में लगातार 19 घंटे की ड्यूटी करने वाले किसी राजस्थान पुलिस सेवा (RPS) अधिकारी का उदाहरण — जिससे घर लौटने पर बच्चों के प्रति चिड़चिड़ापन व दूरी बढ़ सकती है।
2	भ्रष्टाचार या हितों का टकराव (Conflict of Interest)	सामाजिक व पारिवारिक प्रतिष्ठा की गंभीर हानि।	ICICI बैंक की पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकारी (CEO) चंदा कोचर पर वीडियोकॉन समूह को दिए गए ऋण में हितों के टकराव व अनियमितता के आरोप लगे, जिनकी जाँच एजेंसियों द्वारा की गई — यह मामला अभी भी विधिक प्रक्रिया (Legal Process) के विभिन्न चरणों में है, इसलिए इसे अंतिम रूप से 'सिद्ध' मानने के बजाय एक 'आरोपित/जाँचाधीन' मामले के तौर पर ही उद्धृत करना उचित है। इस प्रकरण से परिवार की सार्वजनिक छवि पर भी असर पड़ा।
3	कर्तव्य के प्रति अटूट सत्यनिष्ठा — जान जाने तक का जोखिम	परिवार के सदस्यों को आजीवन कष्ट व असुरक्षा।	भारतीय अभियंत्रण सेवा (IES) के अधिकारी सत्येन्द्र दुबे — जिन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के दौरान वित्तीय अनियमितताएँ उजागर कीं — की नवंबर 2003 में हत्या कर दी गई। उनका परिवार आज भी इस क्षति से जुड़ी पीड़ा को याद करता है — यह दिखाता है कि कभी-कभी सत्यनिष्ठा की कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ती है।

4.2 सकारात्मक प्रभाव (2 कृत्य — इन्हें अपनाएँ)

क्र.	सार्वजनिक कृत्य	निजी जीवन पर प्रभाव	उदाहरण
1	लोकतांत्रिक मूल्यों (समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) में गहरा विश्वास	रचनात्मक, समतामूलक परवरिश (Democratic Parenting)।	आंध्र प्रदेश के पार्वतीपुरम मन्यम ज़िले के कलेक्टर एन. प्रभाकर रेड्डी ने अपने बेटे का दाखिला ज़िले के सरकारी स्कूल में करवाया — यह दिखाने के लिए कि सरकारी स्कूल की गुणवत्ता पर उन्हें स्वयं भरोसा है।
2	कानूनों के गहन अध्ययन व प्रशिक्षण की आदत	सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध व्यक्तिगत जीवन में भी स्पष्ट रुख।	दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 का गहराई से अध्ययन करने वाला कोई अधिकारी अपने स्वयं के विवाह में दहेज लेने से साफ इनकार कर सकता है — कानून की समझ सीधे निजी नैतिक आचरण में बदल जाती है।

सार्वजनिक जीवन का निजी जीवन पर असर



चित्र 3.7: सार्वजनिक जीवन का निजी जीवन पर असर

📖 कहानी: "पिता का वादा" — कर्तव्य और परिवार के बीच एक पुलिस अधीक्षक

सीकर ज़िले के पुलिस अधीक्षक अर्जुन (काल्पनिक नाम) ने अपनी बेटी से वादा किया था कि उसके स्कूल के वार्षिक समारोह में ज़रूर आएँगे — बेटी उसमें मंच पर भाषण देने वाली थी। ठीक उसी शाम ज़िले में एक बड़े धार्मिक मेले की भीड़ बेकाबू होने की सूचना आई।

अर्जुन के सामने दुविधा थी — एक ओर पिता का वादा और बेटी की आँखों की चमक (निजी कर्तव्य), दूसरी ओर हज़ारों श्रद्धालुओं की सुरक्षा (सार्वजनिक कर्तव्य)। उन्होंने मेले की व्यवस्था संभाली, पर जाने से पहले बेटी को फ़ोन किया — "बेटा, आज बहुत लोगों को मेरी ज़रूरत है। तुम्हारा भाषण माँ रिकॉर्ड करेगी, और मैं रात को सबसे पहले वही सुनूँगा।" रात दो बजे घर लौटकर उन्होंने सच में वह वीडियो देखा और सुबह बेटी को उसकी पसंदीदा जगह घुमाने ले गए।

इस घटना ने अर्जुन को एक और बात सिखाई — उनके नीचे काम करने वाले सैकड़ों सिपाही रोज़ यही दुविधा झेलते हैं। उन्होंने ज़िले में साप्ताहिक अवकाश का रोस्टर कड़ाई से लागू करवाया, जहाँ संभव हो वहाँ बारह घंटे की पाली तय की, और थानों में परिवार-दिवस शुरू करवाया। अगले छह महीनों में पुलिसकर्मियों की छुट्टी की अर्ज़ियाँ और आपसी तनाव की शिकायतें — दोनों घटीं।

वार्षिक समीक्षा में पुलिस महानिरीक्षक ने लिखा — "जो अधिकारी अपने परिवार के प्रति संवेदनशील है, वही अपने बल के परिवारों के प्रति भी संवेदनशील हो सकता है।"

🔑 **इस कहानी से सीख:** सार्वजनिक कर्तव्य कई बार निजी जीवन से त्याग माँगता है, पर इसका अर्थ परिवार की उपेक्षा नहीं। देखभाल की नैतिकता (Care Ethics) बताती है कि अपनों की देखभाल भी नैतिक दायित्व है। एक संतुलित अधिकारी संकट में कर्तव्य को प्राथमिकता देता है, ईमानदारी से परिवार को कारण समझाता है, और अपने अनुभव से संस्था की नीतियाँ भी अधिक मानवीय बनाता है।

🔴 **ध्यान रहे:** चंदा कोचर वाला उदाहरण एक न्यायालयीन/जाँच-प्रक्रियाधीन मामला है, इसलिए इसे 'सिद्ध भ्रष्टाचार' के बजाय 'हितों के टकराव व आरोपों का उदाहरण' के रूप में ही समझना चाहिए — यही कानूनी रूप से सटीक और संतुलित दृष्टि है।

5. निजी और सार्वजनिक जीवन को अलग क्यों रखें? + अभिसरण (Convergence) कब उचित?

🔍 आसान परिभाषा: हितों का टकराव (Conflict of Interest)

📖 **परिभाषा:** ऐसी स्थिति जिसमें किसी लोकसेवक का निजी हित (पारिवारिक, आर्थिक या भावनात्मक) उसके सार्वजनिक कर्तव्य के निष्पक्ष निर्वहन में बाधा बन सकता है, या बनता हुआ प्रतीत होता है।

💡 **आसान भाषा में:** जैसे एक क्रिकेट अंपायर अपने ही बेटे की टीम के मैच में अंपायरिंग करे — भले ही वह पूरी ईमानदारी से फैसले दे, पर सिर्फ रिश्ते के कारण उसके फैसलों पर संदेह बना रहेगा। इसीलिए ऐसी स्थिति से पहले ही बचना बेहतर है। 🏠 **उदाहरण:** एक अधिकारी को उस ज़िले में तैनात न करना जहाँ उसका पैतृक घर या पारिवारिक व्यवसाय हो — भारत में सिविल सेवा स्थानांतरण-नीतियों का यह एक सामान्य सिद्धांत इसी अवधारणा पर आधारित है।

5.1 हितों के टकराव के तीन रूप और उनसे निपटने के उपाय

◆ **वास्तविक टकराव (Actual):** जब अधिकारी का निजी हित इसी समय उसके आधिकारिक निर्णय को प्रभावित कर रहा हो — जैसे विमानन नीति बनाने वाले मंत्री के पास किसी एयरलाइन के शेयर हों।

◆ **संभावित टकराव (Potential):** जब अभी कोई निर्णय नहीं हो रहा, पर आगे चलकर निजी हित निर्णय को प्रभावित कर सकता है — जैसे भर्ती-समिति के सदस्य का कोई दूर का रिश्तेदार उम्मीदवार हो।

◆ **प्रतीत होने वाला टकराव (Apparent):** जब वास्तव में कोई प्रभाव न हो, पर जनता को ऐसा लगे — जैसे अधिकारी किसी ठेकेदार के निजी समारोह में मुख्य अतिथि बने। यहाँ भी जनता का भरोसा टूटता है।

उपाय	अर्थ	उदाहरण
प्रकटीकरण (Disclosure)	अपने हित की जानकारी पहले ही लिखित में दे देना	संपत्ति और रिश्तेदारों के व्यवसाय की वार्षिक घोषणा
स्वयं को अलग करना (Recusal)	उस निर्णय से स्वयं को हटा लेना	रिश्तेदार से जुड़े टेंडर की समिति से बाहर होना
विनिवेश (Divestment)	टकराव पैदा करने वाली संपत्ति/शेयर बेच देना	संबंधित कंपनी के शेयर बेचना
कार्य-पुनर्व्यवस्था	ज़िम्मेदारी किसी दूसरे को सौंपना	फ़ाइल दूसरे अधिकारी को भेजना
ब्लाइंड ट्रस्ट (Blind Trust)	संपत्ति का प्रबंधन स्वतंत्र व्यक्ति को, जिसकी जानकारी मालिक को न हो	उच्च पदस्थ व्यक्ति की निवेश-व्यवस्था
प्रतीक्षा-अवधि (Cooling-off)	सेवानिवृत्ति के बाद तय समय तक संबंधित निजी नौकरी न लेना	नियामक संस्था से सीधे उसी क्षेत्र की कंपनी में न जाना

भारत में लोक सेवकों के लिए **केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964** हितों की घोषणा और पद के दुरुपयोग पर रोक लगाते हैं; कंपनियों के निदेशकों के लिए **कंपनी अधिनियम, 2013** की धारा 166 कहती है कि निदेशक कंपनी के हित से टकराव वाली स्थिति में नहीं पड़ेगा। एक आम भ्रम

यह है कि "अगर अंतिम निर्णय सही था तो टकराव से कोई नुकसान नहीं" — यह गलत है, क्योंकि टकराव का होना ही जनता के भरोसे को कमज़ोर कर देता है; प्रक्रिया भी उतनी ही पवित्र होनी चाहिए जितना परिणाम।

हितों का टकराव — पहचान से समाधान तक



चित्र 3.8: हितों का टकराव — पहचान से समाधान तक

5.2 निजी और सार्वजनिक जीवन को अलग रखने की आवश्यकता (Why Separate?)

- ◆ **हितों के टकराव से बचाव** — निजी संबंध सार्वजनिक निर्णयों को प्रभावित न करें, यह सुनिश्चित करना।
- ◆ **व्यक्तिगत पूर्वाग्रह से बचाव** — परिवार, जाति या धर्म के आधार पर पक्षपात रोकना।
- ◆ **भाई-भतीजावाद व क्रोनी कैपिटलिज्म (Crony Capitalism) से मुक्ति** — जब निजी संबंध सार्वजनिक संसाधनों (ठेके, खदानें, लाइसेंस, नौकरियाँ) के बँटवारे में घुस जाते हैं, तो योग्य लोगों की जगह रिश्तेदारों और करीबी लोगों को लाभ मिलने लगता है। 'क्रोनी कैपिटलिज्म' यानी 'याराना पूँजीवाद' ऐसी व्यवस्था है जिसमें व्यापारी अपनी मेहनत या गुणवत्ता के बल पर नहीं, बल्कि नेताओं-अधिकारियों से निकटता के बल पर ठेके और छूटें पाते हैं। निजी और सार्वजनिक जीवन को अलग रखकर ही इस पर रोक लगाई जा सकती है।
- ◆ **प्लेटो का दृष्टिकोण** — प्लेटो ने चेतावनी दी थी कि संपत्ति-संचय की प्रवृत्ति (Acquisitive Instincts) और पारिवारिक मोह शासकों को भ्रष्ट कर सकते हैं — इसीलिए उन्होंने अपने आदर्श 'गणतंत्र (Republic)' में शासक-वर्ग (Guardians) के लिए निजी संपत्ति और परिवार के त्याग की कल्पना तक की थी।
- ◆ **नकारात्मक स्पिलओवर प्रभाव (Negative Spillover Effect) को रोकना** — 'स्पिलओवर' का अर्थ है किसी एक क्षेत्र की बात का छलककर दूसरे क्षेत्र में पहुँच जाना। जब निजी जीवन की कोई कमी (जैसे पितृसत्तात्मक सोच, अंध-प्रेम या जातिगत पूर्वाग्रह) अधिकारी के दफ्तरी फ़ैसलों में पहुँच जाती है, तो यह नकारात्मक स्पिलओवर है, जैसा खंड 2 में विस्तार से देखा गया। दोनों जीवनों के बीच एक साफ़ रेखा रखकर ही इसे रोका जा सकता है।

☀ मैक्स वेबर का दृष्टिकोण

जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर का मानना था कि सार्वजनिक प्रशासन में ठीक वही नैतिक मापदंड लागू करना बुद्धिमानी नहीं है जो एक व्यक्ति अपने निजी विवेक (Personal Conscience) के मामलों में अपनाता है — क्योंकि प्रशासन में कई बार व्यापक जनहित के लिए वे निर्णय लेने पड़ते हैं जो निजी नैतिकता की कसौटी पर कठोर लग सकते हैं। उदाहरण के लिए, दंगा-नियंत्रण में तैनात एक पुलिस अधिकारी को अपनी व्यक्तिगत अहिंसा-प्रियता से आगे बढ़कर बल-प्रयोग जैसे कठोर निर्णय भी लेने पड़ सकते हैं, ताकि व्यापक सार्वजनिक व्यवस्था बहाल हो सके।

5.3 अभिसरण (Convergence) — कब उचित है?

- ◆ **सकारात्मक स्पिलओवर प्रभाव** — करुणा और सत्यनिष्ठा जैसे निजी मूल्यों का सार्वजनिक जीवन में स्वाभाविक विस्तार लाभदायक होता है, जैसा खंड 3 में वायनाड व बूंदी के उदाहरणों में देखा गया।
- ◆ **लोक-चयन सिद्धांत (Public Choice Theory)** — इस सिद्धांत को अमेरिकी अर्थशास्त्री जेम्स बुकानन और गॉर्डन टलॉक ने अपनी पुस्तक 'द कैलकुलस ऑफ़ कंसेंट' (The Calculus of Consent, 1962) में विकसित किया; बुकानन को इसके लिए 1986 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। यह सिद्धांत कहता है कि नेता, अधिकारी और मतदाता भी आम लोगों की तरह अपने निजी हित (जैसे वोट, पदोन्नति, बड़ा बजट या अधिक अधिकार) को ध्यान में रखकर फ़ैसले लेते हैं — सरकारी कुर्सी पर बैठते ही कोई व्यक्ति अपने-आप 'निःस्वार्थ' नहीं बन जाता। जैसे कोई विभाग-प्रमुख अपने विभाग का बजट केवल इसलिए बढ़वाने में लगा रहे कि इससे उसका रुतबा बढ़ेगा, भले ही जनता को उसकी उतनी ज़रूरत न हो। इसका अर्थ है कि निजी हित सार्वजनिक निर्णयों में घुसते ही हैं, इसलिए दोनों जीवनों को पूरी तरह अलग मान लेना वास्तविकता से दूर है। इसीलिए यह सिद्धांत सुझाता है कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए — जैसे प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता, नागरिकों को सेवा चुनने का विकल्प और काम के परिणाम के आधार पर जवाबदेही — जिसमें अधिकारी का निजी हित भी जनहित की दिशा में काम करने लगे।
- ◆ **अराजकतावादी-साम्यवादी (Anarcho-Communist) विचारकों का तर्क** — अराजकतावादी-साम्यवादी वे विचारक हैं (जैसे रूसी विचारक पीटर क्रोपोटकिन) जो ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जिसमें न राज्य हो और न निजी संपत्ति, बल्कि लोग आपसी सहयोग से मिल-जुलकर रहें। इनके अनुसार राज्य (सार्वजनिक क्षेत्र) और निजी संपत्ति (निजी क्षेत्र) की अवधारणाएँ आपस में इतनी गुँथी हुई हैं कि दोनों को पूरी तरह अलग-अलग खानों में नहीं रखा जा सकता — क्योंकि राज्य ही क़ानून और पुलिस के ज़रिए निजी संपत्ति की रक्षा करता है, और संपत्ति वाले वर्ग ही अक्सर राज्य की नीतियों को प्रभावित करते हैं।

◆ कुछ 'निजी' मुद्दों के सीधे सार्वजनिक परिणाम होते हैं — उदाहरण के लिए, यौन-स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों को अक्सर विशुद्ध निजी मामला नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य (Public Health) नीति का भी विषय माना जाता है, क्योंकि इनका असर व्यापक स्वास्थ्य-तंत्र पर पड़ता है।

◆ न्यायिक हस्तक्षेप के माध्यम से मौलिक अधिकारों की रक्षा — उच्चतम न्यायालय के कुछ ऐतिहासिक निर्णय — जैसे सबरीमाला मंदिर प्रवेश से जुड़ा निर्णय (2018) और तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित करने वाला निर्णय (2017) — इस बात के उदाहरण हैं कि परंपरागत रूप से 'निजी' अथवा धार्मिक-व्यक्तिगत माने जाने वाले क्षेत्रों में भी, जब समानता व गरिमा (अनुच्छेद 14, 15, 21) जैसे मौलिक अधिकारों का प्रश्न आता है, तो न्यायपालिका का हस्तक्षेप संवैधानिक रूप से उचित माना गया — यह दिखाता है कि निजी-सार्वजनिक की सीमा-रेखा हमेशा एकदम स्पष्ट व निरपेक्ष नहीं होती।

 **ध्यान रहे:** सबरीमाला और तीन तलाक जैसे विषय सामाजिक रूप से संवेदनशील और बहुआयामी हैं — अध्ययन में इन्हें सिर्फ 'निजी-सार्वजनिक अभिसरण' के एक तटस्थ उदाहरण के तौर पर, न्यायालय के संवैधानिक तर्क (समानता व गरिमा का अधिकार) के साथ प्रस्तुत करना उचित रहता है — किसी एक पक्ष की वकालत करने से बचें।

निष्कर्ष — 'लक्ष्मण रेखा' और भावनात्मक बुद्धिमत्ता

निजी और सार्वजनिक जीवन को पूरी तरह अलग करना न तो संभव है, न ही वांछनीय। एक आदर्श प्रशासक को अपनी 'लक्ष्मण रेखा' खुद तय करनी होती है — यानी यह समझना कि कब निजी संवेदनशीलता (जैसे बूंदी कलेक्टर की करुणा) सार्वजनिक भलाई में बदली जा सकती है, और कब निजी पूर्वाग्रह (जैसे भाई-भतीजावाद) को कर्तव्य से पूरी तरह दूर रखना ज़रूरी है। यह फ़र्क समझने की क्षमता ही भावनात्मक बुद्धिमत्ता (Emotional Intelligence) है, जो एक प्रशासक को स्वयं और समाज दोनों के लिए अधिकतम लाभकारी बनाती है।

5.4 पूर्ण अलगाव की समस्याएँ — क्यों "लक्ष्मण रेखा" ही व्यावहारिक है?

समस्या	अर्थ
अलग नहीं किए जा सकते	दोनों जीवन को पानी-रोधी डिब्बों में बाँटना धुँधला और कठिन है।
व्यावहारिक नहीं	दोनों लगातार एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं; निजी मूल्य ही सार्वजनिक संबंधों को मानवीय बनाते हैं।
संभालना कठिन	दोनों में टकराव से मन में बेचैनी, असंगति (Dissonance) और भ्रम पैदा होता है।
वांछनीय नहीं	जो निजी जीवन में बेईमान है, वह सार्वजनिक जीवन में ईमानदार नहीं रह सकता।
अति-समानता का ख़तरा	दोनों में बहुत अधिक समानता से नए विचारों और बदलाव की गति रुक सकती है।

अलगाव बनाम अभिसरण — कब क्या?

अलग रखें (Separation)	कब?	मिलने दें (Convergence)
भाई-भतीजावाद, पक्षपात	रिश्ते	करुणा, सहानुभूति
क्रोध, पूर्वाग्रह	भावना	सेवा-भाव, संवेदनशीलता
सरकारी संसाधन निजी काम में	संसाधन	निजी कौशल जनहित में
हितों का टकराव, भ्रष्टाचार	परिणाम	बेहतर, मानवीय सेवा

चित्र 3.9: अलगाव बनाम अभिसरण — कब क्या?

6. सत्यनिष्ठा (Integrity) का दार्शनिक आधार

सत्यनिष्ठा (Integrity) शब्द लैटिन के 'इंटीजर (integer)' / 'इंटीग्रिटास (integritas)' से बना है, जिसका अर्थ है 'पूर्ण, अखंड, समग्र' (Whole/Undivided) — यानी विचार, वाणी और कर्म के बीच कोई विभाजन या अंतर न होना। सरल शब्दों में, सत्यनिष्ठा का अर्थ है किसी भी परिस्थिति में अपने नैतिक सिद्धांतों पर अडिग रहना, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं — यह समय, स्थान और परिस्थिति से परे एक स्थिर गुण है।

आसान परिभाषा: सत्यनिष्ठा (Integrity)

 **परिभाषा:** 'ज्ञान सही रास्ता जानना है, सत्यनिष्ठा उस पर चलना है' — यानी सिर्फ यह जान लेना कि सही क्या है, काफी नहीं; सत्यनिष्ठा तब सिद्ध होती है जब व्यक्ति उस सही रास्ते पर अमल भी करे, चाहे इसमें कितनी भी कठिनाई या प्रलोभन क्यों न हो।

 **आसान भाषा में:** जैसे किसी छात्र को पता है कि परीक्षा में नकल करना गलत है (यह ज्ञान है), पर अवसर मिलने पर भी वह नकल न करे — यही उसकी सत्यनिष्ठा है। सिर्फ नियम जानना काफी नहीं, नियम पर टिके रहना ज़रूरी है।  **उदाहरण:** एक अधिकारी को पता है कि रिश्तत लेना गलत है — यह तो हर कोई जानता है। पर जब सामने असली मौका आए (कोई बड़ी रकम की पेशकश हो) और वह उसे ठुकरा दे — तभी असल में उसकी सत्यनिष्ठा साबित होती है।

6.1 सत्यनिष्ठा के तीन प्रकार

प्रकार	अर्थ
1. बौद्धिक सत्यनिष्ठा (Intellectual Integrity)	दूसरों के विचारों व कार्यों को उतनी ही निष्पक्षता व कठोरता से जाँचना, जितनी खुद के विचारों को — यानी दोहरा मापदंड न अपनाना।
2. व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा (Personal Integrity)	अपने विचार, वाणी और आचरण में कोई विरोधाभास न रखना — जैसा सोचें, वैसा ही कहें और वैसा ही करें।
3. व्यावसायिक सत्यनिष्ठा (Professional Integrity)	अपने पेशे की आचार संहिता (Code of Conduct) का पूर्ण, ईमानदार पालन करना।

ऊपर के तीन प्रकारों के साथ एक चौथा प्रकार भी है — **नैतिक सत्यनिष्ठा (Moral Integrity)**, यानी दूसरों को और स्वयं को सही-गलत आँकने के लिए एक ही, ईमानदार मापदंड अपनाना। सत्यनिष्ठ व्यक्ति का नियंत्रण भीतर से होता है (Internal Locus of Control) — वह अपनी अंतरात्मा से चलता है, आस-पास के माहौल से नहीं।

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार सत्यनिष्ठा का अर्थ है कि सिविल सेवक अपने आधिकारिक निर्णयों में केवल जनहित से निर्देशित हों — अपने, अपने परिवार या मित्रों के किसी आर्थिक या अन्य लाभ के विचार से नहीं।

6.2 सिविल सेवकों के लिए सत्यनिष्ठा क्यों अनिवार्य है?

- ◆ सत्यनिष्ठा नैतिकता को व्यवहार से जोड़ती है — यह "कोई न देखे, तब भी सही करना" सुनिश्चित करती है।
- ◆ सिविल सेवक सार्वजनिक संसाधनों, लाभार्थियों के चयन, न्यायिक-प्रकृति के निर्णयों और नीति-निर्माण — सबसे जुड़े होते हैं; यहाँ थोड़ी-सी कमी भी बड़ा नुकसान करती है।
- ◆ सत्यनिष्ठा "मोल-भाव से परे" (Non-negotiable) और "चुनिंदा नहीं" (Non-selective) होती है — यानी इसका किसी लाभ, पद या दबाव के बदले सौदा नहीं किया जा सकता, और इसे केवल सुविधा वाली जगहों पर नहीं, बल्कि हर स्थिति और हर व्यक्ति (अपने परिचित के मामले में भी) पर एक जैसा लागू किया जाता है। इसीलिए सत्यनिष्ठ अधिकारी दूसरों के लिए आदर्श बनता है।
- ◆ **दक्षता के लिए सत्यनिष्ठा ज़रूरी है, पर अकेली पर्याप्त नहीं** — उसके साथ ज्ञान और कौशल भी चाहिए। उदाहरण के लिए, एक ईमानदार इंजीनियर रिश्तत तो नहीं लेगा, पर यदि उसे पुल-निर्माण की तकनीक ठीक से नहीं आती तो पुल फिर भी कमज़ोर बन सकता है; इसलिए अच्छे प्रशासन के लिए ईमानदार नीयत और काम की योग्यता — दोनों साथ चाहिए।

सत्यनिष्ठा में गिरावट के कारण	सुधार के उपाय
औपनिवेशिक विरासत और सत्ता का दुरुपयोग	पद और वेतन के बीच का अंतर कम करना (ज़िम्मेदारी के अनुरूप सम्मानजनक वेतन)
बदलते मूल्य और बढ़ती भौतिक इच्छाएँ	प्रक्रियाओं को सरल बनाना, विवेकाधिकार घटाना
भ्रष्टाचार के विरुद्ध कमज़ोर जनमत	भ्रष्टाचार के विरुद्ध स्वस्थ जनमत तैयार करना
जटिल और उलझी प्रक्रियाएँ	वार्षिक मूल्यांकन में सत्यनिष्ठा का अलग कॉलम
अपर्याप्त क़ानून, अनुचित संरक्षण	सत्यनिष्ठा समझौता (Integrity Pact) — सरकारी ख़रीद में

🔍 आसान परिभाषा: सत्यनिष्ठा समझौता (Integrity Pact)

📖 **परिभाषा:** सरकारी ख़रीद या बड़े अनुबंधों में सरकार और सभी बोली लगाने वालों के बीच किया गया एक लिखित वचन, कि कोई भी पक्ष रिश्तत या अनुचित तरीक़ा नहीं अपनाएगा, और इसकी निगरानी स्वतंत्र बाहरी निगरानीकर्ता करते हैं; यह साधन अंतरराष्ट्रीय संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल (Transparency International) ने विकसित किया।

💡 **आसान भाषा में:** ठेका देने से पहले सब पक्ष लिखकर वादा करते हैं कि "न रिश्तत देंगे, न लेंगे", और एक स्वतंत्र व्यक्ति इस वादे पर नज़र रखता है। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी खेल-प्रतियोगिता से पहले सभी टीमों "फ़िक्सिंग नहीं करेंगे" का शपथ-पत्र भरें और एक तटस्थ पर्यवेक्षक पूरे मैच पर नज़र रखे।

☀️ राष्ट्रपति, जिन्होंने अपने परिवार का बिल खुद चुकाया

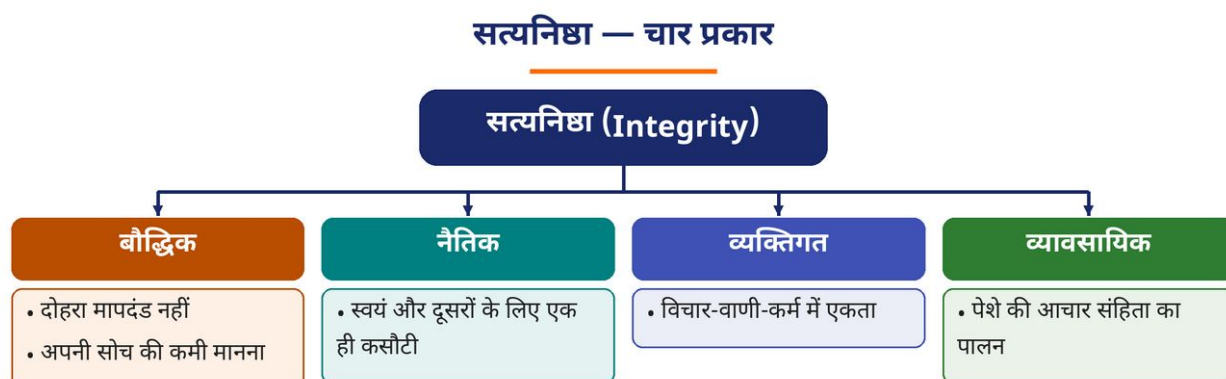
राष्ट्रपति रहते हुए डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने एक बार अपने परिवार के सदस्यों को कुछ दिनों के लिए राष्ट्रपति भवन बुलाया। नियमों के अनुसार इसका खर्च राष्ट्रपति भवन उठा सकता था, पर कलाम ने इस पूरे ठहराव का खर्च अपनी जेब से चुकाया। उनके लिए सार्वजनिक पद और निजी रिश्तों के बीच की रेखा साफ़ थी — यही **गैर-चुनिंदा (Non-selective) सत्यनिष्ठा** है, जो "नियम अनुमति देता है" पर नहीं, बल्कि "क्या उचित है" पर चलती है।

☀️ धमकियों के बावजूद सत्यनिष्ठा — संजीव चतुर्वेदी

भारतीय वन सेवा के अधिकारी **संजीव चतुर्वेदी** ने हरियाणा में और बाद में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में मुख्य सतर्कता अधिकारी रहते हुए कई अनियमितताएँ उजागर कीं। उन्हें बार-बार तबादलों, विभागीय कार्यवाहियों और धमकियों का सामना करना पड़ा, पर वे

अपने रास्ते से नहीं हटे। उनके भ्रष्टाचार-विरोधी कार्यों के लिए उन्हें 2015 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। उनका जीवन दिखाता है कि सत्यनिष्ठा की परीक्षा "समझौते से पूर्ण इनकार" में होती है।

“ लोगों को नियुक्त करते समय तीन गुण देखिए — सत्यनिष्ठा, बुद्धिमत्ता और ऊर्जा; और यदि पहला गुण नहीं है, तो बाकी दो आपको डूबो देंगे। (In looking for people to hire, you look for three qualities: integrity, intelligence, and energy. And if they don't have the first, the other two will kill you.) ” — वॉरेन बफ़ेट (Warren Buffett)



चित्र 3.10: सत्यनिष्ठा — चार प्रकार

6.3 सत्यनिष्ठा से जुड़े कुछ प्रेरक कथन

- ◆ "Wisdom is knowing the right path, Integrity is walking on it." — ज्ञान सही रास्ता जानना है, सत्यनिष्ठा उस पर चलना है।
- ◆ "Integrity without knowledge is weak; Knowledge without Integrity is dangerous." — बिना ज्ञान के सत्यनिष्ठा कमज़ोर है, और बिना सत्यनिष्ठा के ज्ञान खतरनाक।
- ◆ महात्मा गांधी — साध्य (Ends) और साधन (Means), दोनों ही पवित्र होने चाहिए; गलत साधनों से पाया गया सही लक्ष्य भी नैतिक नहीं ठहरता।

6.4 सत्यनिष्ठा के दार्शनिक आधार — विस्तृत तालिका

आधार	प्रमुख अवधारणाएँ
आंतरिक विश्वास (Inner Conviction)	गांधीजी की 'अंतरात्मा की आवाज़ (Conscience)'; बुद्ध की आध्यात्मिक चेतना (Spiritual Enlightenment) — यह विचार कि नैतिक मूल्य किसी बाहरी दबाव से नहीं, आत्मा की गहराई से उपजते हैं। कई अध्ययन यह भी बताते हैं कि दयालुता व सहानुभूति जैसे गुणों में व्यक्ति के स्वभाव (आनुवंशिक प्रवृत्ति) का भी कुछ योगदान होता है, पर परिवर्तन, संस्कार और वातावरण का प्रभाव कहीं अधिक निर्णायक माना जाता है।
प्राचीन भारतीय दर्शन	ऋग्वेद — ऋत (ब्रह्मांड का शाश्वत नैतिक नियम) और ऋण (देव, ऋषि व पितरों के प्रति कर्तव्य-भाव) की अवधारणा; उपनिषद, गीता, स्मृतियाँ, संहिताएँ; चार पुरुषार्थ — धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष; 'सत्यमेव जयते' (मुण्डकोपनिषद); 'मा गृधः कस्यस्विद्धनम्' — किसी और के धन का लालच मत करो (ईशावास्योपनिषद); चाणक्य का अर्थशास्त्र — दो दीपकों की कथा (नीचे देखें)।
आधुनिक भारत	विवेकानंद — 'मानव सेवा ही ईश्वर सेवा'; गांधीजी — सत्य और अहिंसा; संविधान की प्रस्तावना — न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व; मिशन कर्मयोगी — सिविल सेवकों में सत्यनिष्ठा विकसित करने की आधुनिक पहल।
पाश्चात्य दर्शन	सुकरात — ज्ञान सर्वोच्च; प्लेटो — आत्मा के तीन अंगों (विवेक, साहस, इच्छा) का सामंजस्य; अरस्तू — स्वर्णिम मध्य-मार्ग (Golden Mean); कांट — कर्तव्य सर्वोपरि है; जॉन रॉल्स — अज्ञानता का पर्दा (Veil of Ignorance); जेरेमी बेन्थम — अधिकतम लोगों का अधिकतम हित; मैक्स वेबर — निष्पक्ष, नियम-आधारित प्रशासन; विश्व बैंक की 1992 की रिपोर्ट — सुशासन (Good Governance) पर बल।

☀ कहानी — चाणक्य के दो दीपक

कहा जाता है कि आचार्य चाणक्य अपने कक्ष में दो अलग-अलग दीपक जलाकर रखते थे — एक दीपक की रोशनी में वे राजकाज (राज्य से जुड़ा काम) करते थे, और जैसे ही कोई निजी पत्र लिखना होता, वे तुरंत राजकीय दीपक बुझाकर अपना निजी दीपक जला लेते थे। यह छोटी-सी आदत यह सिखाती है कि सार्वजनिक पद से मिले संसाधन का एक कण भी निजी काम में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए — यही 'प्रोबिटी (Probity)' यानी सदाचरिता का सबसे सरल पर सबसे गहरा उदाहरण है।

☀ कहानी — लाल बहादुर शास्त्री की कार-ऋण वाली सत्यनिष्ठा

भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बारे में यह प्रसंग व्यापक रूप से बताया जाता है कि उन्होंने अपनी पहली कार खरीदने के लिए एक

राष्ट्रीयकृत बैंक से लगभग ₹5,000 का ऋण लिया था (सटीक बैंक का नाम व राशि अलग-अलग स्रोतों में थोड़ी भिन्न बताई जाती है)। उनके निधन के बाद यह ऋण पूरी तरह चुका नहीं पाया गया था, और बाद में उनकी पत्नी ललिता शास्त्री ने अपनी पारिवारिक पेंशन से इस ऋण की शेष राशि चुकाई। एक प्रधानमंत्री होते हुए भी अपने निजी खर्च के लिए सरकारी नहीं, बल्कि नियमित बैंक-ऋण का सहारा लेना — यह सादगी और सत्यनिष्ठा का एक व्यापक रूप से प्रचलित व प्रेरक उदाहरण है।

“ कोई भी व्यक्ति अपने कर्तव्यों से निजी लाभ न उठाए — जिस तरह जल में रहने वाली मछली के पानी पीने का पता नहीं चलता, उसी तरह राजकर्मचारी के धन-हरण का भी पता लगाना कठिन होता है; इसलिए उन पर सतत निगरानी आवश्यक है। (भावार्थ — अर्थशास्त्र, अधिकरण 2) ” — कौटिल्य (चाणक्य)

क्या प्रशासनिक वस्तुनिष्ठता (Objectivity) आवश्यक रूप से प्रशासनिक सत्यनिष्ठा (Integrity) को मानकर चलती है? हाँ — बिना सत्यनिष्ठा (ईमानदार नीयत) के वस्तुनिष्ठता टिक ही नहीं सकती, क्योंकि निष्पक्ष दिखने वाला निर्णय भी अगर बेईमान नीयत से लिया गया हो तो वह सिर्फ दिखावा है। चाणक्य व शास्त्री जी के उदाहरण इस तर्क को मज़बूत बनाते हैं।

7. निष्पक्षता (Impartiality) — परिभाषा, महत्व और उपाय

आसान परिभाषा: निष्पक्षता (Impartiality)

परिभाषा: बिना किसी पूर्वाग्रह या पक्षपात के, केवल वस्तुनिष्ठ मापदंडों (Objective Criteria) या योग्यता के आधार पर निर्णय लेने की क्षमता।

आसान भाषा में: जैसे एक अध्यापक कक्षा में सभी छात्रों की उत्तर-पुस्तिकाएँ एक ही मापदंड से जाँचे — चाहे वह छात्र उसका मनपसंद हो या न हो, नंबर सिर्फ उत्तर की गुणवत्ता के आधार पर मिलने चाहिए। **उदाहरण:** एक भर्ती परीक्षा में चयन-समिति में बैठा अधिकारी अपने किसी परिचित उम्मीदवार को अतिरिक्त अंक न दे, बल्कि सभी अभ्यर्थियों का मूल्यांकन ठीक उसी एक तय मापदंड-सूची (Rubric) से करे — यही प्रशासनिक निष्पक्षता है।

7.1 पूर्वाग्रह, पक्षपात और पूर्व-निर्णय — तीन मिलते-जुलते शब्द

- ◆ **पूर्वाग्रह (Bias):** किसी एक पक्ष की ओर झुकाव, जो दूसरे की क्रीमत पर होता है। यह मन की अभिवृत्ति (Attitude) है।
- ◆ **पक्षपात (Partiality):** पूर्वाग्रह का परिणाम — यानी व्यवहार में किसी के साथ तरजीह। पूर्वाग्रह मन में होता है, पक्षपात आचरण में दिखता है।
- ◆ **पूर्व-निर्णय (Prejudice):** पूरी जानकारी के बिना किसी व्यक्ति या समूह के बारे में पहले से ही राय बना लेना — जैसे किसी के पहनावे या गाँव को देखकर ही मान लेना कि वह झूठ बोल रहा होगा। खंड 2 की कहानी में ज़िला शिक्षा अधिकारी महेश के मन में बचपन से बैठी धारणाएँ इसी का उदाहरण थीं।

7.2 राजनीतिक निष्पक्षता और सार्वजनिक निष्पक्षता

राजनीतिक निष्पक्षता (Political Impartiality): सिविल सेवक अपनी निजी राजनीतिक मान्यताओं के बावजूद हर सरकार की पूरी क्षमता से सेवा करता है — वह पद की सेवा करता है, पद पर बैठे व्यक्ति की नहीं। वह मंत्रियों के निर्णयों की सार्वजनिक आलोचना नहीं करता, उनकी नीतियों को वस्तुनिष्ठता से लागू करता है, और मंत्री को दी गई अपनी सलाह को गोपनीय रखता है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने (2007 की "शासन में नैतिकता" रिपोर्ट में) मंत्रियों की आचार संहिता में यह जोड़ने की सिफ़ारिश की कि मंत्री सिविल सेवाओं की राजनीतिक निष्पक्षता बनाए रखेंगे और उन पर ऐसा कोई दबाव नहीं डालेंगे जो उनके कर्तव्यों से टकराए।

सार्वजनिक निष्पक्षता (Public Impartiality): सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार — यह अनुच्छेद 14 के तहत संवैधानिक दायित्व है। पर जहाँ परिस्थितियाँ असमान हों, वहाँ निष्पक्षता का अर्थ समता (Equity) और न्यायसंगतता (Fairness) हो जाता है — जैसे बुजुर्गों और महिलाओं के लिए अलग कतार, या सामाजिक-शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण।

आसान परिभाषा: समता (Equity)

परिभाषा: असमान परिस्थितियों वाले लोगों के साथ उनकी ज़रूरत के अनुसार अलग व्यवहार करना, ताकि अंततः सबको वास्तविक रूप से बराबर अवसर मिल सके।

आसान भाषा में: सबको एक जैसा देना "समानता" है; जिसकी जितनी ज़रूरत, उसे उतना देना "समता" है। **उदाहरण:** दीवार के पार मैच देखने के लिए लंबे, मध्यम और छोटे — तीनों बच्चों को एक-एक स्टूल देना समानता है; छोटे बच्चे को दो स्टूल देना समता है।

राजनीतिक निष्पक्षता बनाम सार्वजनिक निष्पक्षता

राजनीतिक निष्पक्षता	बनाम	सार्वजनिक निष्पक्षता
राजनीतिक नेतृत्व, सरकार	किसके प्रति	सभी नागरिक
हर सरकार की समान निष्ठा से सेवा	अर्थ	सबके साथ समान व्यवहार
पद की सेवा, व्यक्ति की नहीं	आधार	अनुच्छेद 14, 15
सलाह की गोपनीयता	अपवाद	असमान स्थिति में समता

चित्र 3.11: राजनीतिक निष्पक्षता बनाम सार्वजनिक निष्पक्षता

7.3 प्रशासनिक महत्व

- सरदार वल्लभभाई पटेल ने स्वतंत्र भारत की प्रशासनिक सेवा के पहले बैच (21 अप्रैल 1947, मेटकाफ़ हाउस, दिल्ली — इसी की याद में यह दिन सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है) को संबोधित करते हुए निष्पक्षता को प्रशासन का एक प्रमुख स्तंभ बताया था। उन्होंने कहा था कि सिविल सेवकों को न तो राजनीति में भाग लेना चाहिए और न ही सांप्रदायिक झगड़ों में उलझना चाहिए, ताकि हर नागरिक उस पर समान रूप से भरोसा कर सके।
- जॉन रॉल्स का 'अज्ञानता का पर्दा (Veil of Ignorance)' सिद्धांत निष्पक्ष न्याय का एक महत्वपूर्ण दार्शनिक आधार है (विस्तार नीचे 7.2 में)।
- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) ने निष्पक्षता को सिविल सेवकों की आचार संहिता (Code of Ethics) का अनिवार्य हिस्सा बनाने की सिफ़ारिश की।
- खरीद (Procurement), भर्ती (Recruitment) और सेवा-वितरण (Service Delivery) में योग्यता-आधारित निर्णय ही प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित करते हैं — क्योंकि जब ठेका सबसे अच्छी शर्तों वाले बोलीदाता को, नौकरी सबसे योग्य उम्मीदवार को और सेवा सबसे ज़रूरतमंद व्यक्ति को मिलती है, तो जनता के पैसे का सही उपयोग होता है और काम की गुणवत्ता बढ़ती है।
- अनुच्छेद 14-18 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 19-22 (स्वतंत्रता का अधिकार) जैसे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रशासन में निष्पक्षता अनिवार्य है — पक्षपातपूर्ण निर्णय सीधे इन अधिकारों का हनन कर सकते हैं।

7.4 दार्शनिक आधार

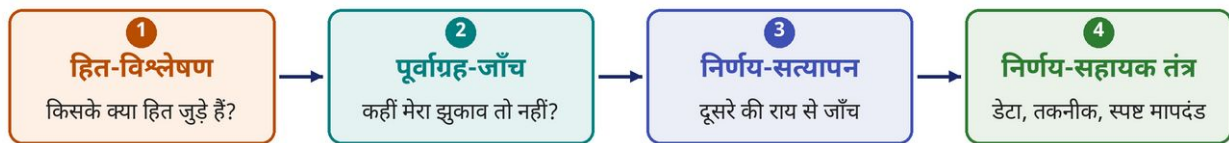
दार्शनिक/सिद्धांत	निष्पक्षता का आधार
कांट का सार्वभौमिकता सिद्धांत (Universality Principle)	कोई भी नियम तभी नैतिक माना जाएगा जब वह बिना विरोधाभास के सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू हो सके — यानी कानून के समक्ष समानता।
जॉन रॉल्स — अज्ञानता का पर्दा (Veil of Ignorance)	यह विचार-प्रयोग बताता है कि यदि कोई निर्णयकर्ता अपनी जाति, धर्म, आर्थिक स्थिति आदि से अनजान हो (जैसे उस पर एक 'पर्दा' पड़ा हो), तभी वह सबसे निष्पक्ष निर्णय ले सकता है — क्योंकि उसे पता नहीं होता कि निर्णय का असर स्वयं उस पर किस रूप में पड़ेगा।
उपयोगितावाद (बेन्थम + जे.एस. मिल)	बिना किसी भेदभाव के, अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख को सुनिश्चित करना ही सही निर्णय की कसौटी है।
भगवद्गीता — समभाव (अध्याय 5, श्लोक 18)	गीता में कहा गया है कि सच्चा ज्ञानी विद्या-विनय संपन्न ब्राह्मण, गाय, हाथी और यहाँ तक कि कुत्ते व चांडाल (हाशिये पर खड़े व्यक्ति) को भी समान दृष्टि (समभाव) से देखता है — यानी बाहरी पहचान के आधार पर भेद न करना ही सच्चा ज्ञान व निष्पक्षता है।

7.5 निष्पक्षता कैसे सुनिश्चित करें?

उपाय	विवरण / उदाहरण
स्पष्ट नियम व लाभार्थियों की परिभाषा	सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का डिजिटलीकरण, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजनाएँ — जहाँ लाभार्थी स्वतः, बिना विवेकाधिकार (Discretion) के तय होते हैं।
पारदर्शिता और जवाबदेही	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (RTI), सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM), ई-बिडिंग, तथा मनरेगा (MGNREGA) जैसी योजनाओं में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) — राजस्थान में सामाजिक अंकेक्षण के ज़रिए कई बार पक्षपात व अनियमितताएँ उजागर हुई हैं।
मिशन कर्मयोगी	सिविल सेवकों में सत्यनिष्ठा व निष्पक्षता जैसे मूल्य विकसित करने की क्षमता-निर्माण पहल, ताकि पक्षपातपूर्ण निर्णयों से बचा जा सके।

उपाय	विवरण / उदाहरण
तर्कसंगत सोच (Rational Thinking)	'अज्ञानता के पर्दे' वाली सोच अपनाकर पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी धारणाओं से मुक्त होने का प्रयास।
संवेदीकरण प्रशिक्षण (Sensitization Training)	अचेतन पूर्वाग्रह (Unconscious Bias) पर नियमित प्रशिक्षण — जैसे पुलिस बल और अधिकारियों का नियमित लैंगिक संवेदीकरण प्रशिक्षण।
आचार संहिता	अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 — जो सिविल सेवकों के लिए कड़े नैतिक मापदंड तय करते हैं।
संस्थागत जाँच-व्यवस्था	आंतरिक समितियाँ, सिविल सेवा बोर्ड, 360-डिग्री मूल्यांकन, तथा वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (APAR) जैसी व्यवस्थाएँ।
आदर्श नेतृत्व (Role Models)	ई. श्रीधरन (दिल्ली मेट्रो) और टी.एन. शेषन (पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त) — निष्पक्ष व सत्यनिष्ठ नेतृत्व के व्यापक रूप से उद्धृत उदाहरण।

निष्पक्ष निर्णय की चार सीढ़ियाँ



चित्र 3.12: निष्पक्ष निर्णय की चार सीढ़ियाँ

सार-रूप में निष्पक्षता: निष्पक्षता की परिभाषा, रॉल्स का अज्ञानता का पर्दा (Veil of Ignorance) और उसे व्यवहार में उतारने वाले उपाय — जैसे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) और सूचना का अधिकार (RTI) — ये तीनों मिलकर निष्पक्षता की पूरी तस्वीर बनाते हैं।

8. गैर-पक्षपात (Non-Partisanship) — परिभाषा, महत्व और उपाय

गैर-पक्षपात का अर्थ है — किसी भी राजनीतिक दल-विशेष के प्रति झुकाव न रखना। एक सिविल सेवक को अपने आधिकारिक निर्णयों व कार्यों में राजनीतिक रूप से तटस्थ और निष्पक्ष रहना चाहिए, चाहे सत्ता में कोई भी दल हो।

आसान परिभाषा: गैर-पक्षपात बनाम राजनीतिक तटस्थता

परिभाषा: गैर-पक्षपात (Non-Partisanship) का अर्थ है — अपने आधिकारिक निर्णयों और कार्यों में किसी राजनीतिक दल-विशेष के प्रति झुकाव न रखना, जबकि पूरी सक्रियता व निष्ठा से जनसेवा करते रहना। इसके विपरीत, राजनीतिक तटस्थता (Political Neutrality) का अर्थ है — सेवा में रहते हुए सक्रिय दलगत राजनीति, सार्वजनिक प्रचार या किसी दल के खुले समर्थन से दूर रहना।

आसान भाषा में: जैसे एक रेफरी किसी भी टीम का समर्थन नहीं करता (राजनीतिक तटस्थता जैसी दूरी), पर फिर भी वह मैच में पूरी तरह सक्रिय रहकर हर नियम को बिना पक्षपात के लागू करता है (गैर-पक्षपात जैसी सक्रिय निष्पक्षता) — निष्क्रिय होना और निष्पक्ष होना, दोनों अलग-अलग बातें हैं। **उदाहरण:** चुनाव के दौरान एक ज़िला निर्वाचन अधिकारी किसी भी राजनीतिक दल के पक्ष में झुकाव नहीं दिखाता (गैर-पक्षपात), पर साथ ही वह खुद किसी दल की रैली में सार्वजनिक रूप से शामिल भी नहीं होता (राजनीतिक तटस्थता) — दोनों मिलकर सुनिश्चित करते हैं कि सिविल सेवक की निष्ठा किसी दल के प्रति नहीं, बल्कि संविधान और जनहित के प्रति बनी रहे।

8.1 राजनीति-प्रशासन द्विभाजन (Politics-Administration Dichotomy)

गैर-पक्षपात का सैद्धांतिक आधार यह विचार है कि राजनीति और प्रशासन दो अलग क्षेत्र हैं। यह विचार सबसे पहले अमेरिकी विद्वान वुड्रो विल्सन (जो बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति बने) ने 1887 में अपने लेख 'प्रशासन का अध्ययन (The Study of Administration)' में रखा था, और बाद में फ्रैंक गुडनाउ ने इसे आगे बढ़ाया। राजनेता नीति बनाते हैं और प्रशासक उसे लागू करते हैं; इसलिए दोनों को एक-दूसरे के काम में अनुचित हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसका उद्देश्य दोनों के बीच सामंजस्य बनाकर सुशासन सुनिश्चित करना है।

आधार	राजनेता	सिविल सेवक
उत्पत्ति	चुनाव से	योग्यता-आधारित परीक्षा से
प्रकृति	दलगत, अस्थायी (कार्यकाल तक)	गैर-दलगत, स्थायी, पेशेवर
कार्यस्थल	संसद/विधानसभा	सचिवालय, ज़िला, क्षेत्र
मुख्य कार्य	नीति बनाना, जनता का प्रतिनिधित्व	नीति लागू करना, तकनीकी सलाह देना

राजनीतिक पक्षपात और दलगत सक्रियता में अंतर: राजनीतिक पक्षपात (Partiality) निष्क्रिय होता है — मन का झुकाव; जबकि दलगत सक्रियता (Partisanship) सक्रिय होती है — किसी दल के लिए खुलकर काम करना। हर पक्षपात दलगत सक्रियता में नहीं बदलता, पर दोनों ही सिविल सेवा के लिए हानिकारक हैं।

8.2 प्रशासनिक महत्व

- ◆ चुनावों के दौरान सिविल सेवक निर्वाचन अधिकारी (Electoral Officer), रिटर्निंग अधिकारी व चुनाव आयुक्त जैसी भूमिकाएँ निभाते हैं — स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के लिए गैर-पक्षपात अनिवार्य है।
- ◆ द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) ने गैर-पक्षपात को सिविल सेवकों की आचार संहिता का हिस्सा बनाने की सिफारिश की।
- ◆ आपातकाल की ज़्यादातियों की जाँच के लिए 1977 में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जे.सी. शाह की अध्यक्षता में बने शाह आयोग (Shah Commission) ने आपातकाल (1975-77) के दौरान प्रशासन में हुए राजनीतिक पक्षपात की गंभीर समस्याओं को उजागर किया था — आयोग ने पाया कि कई अधिकारियों ने कानून के बजाय सत्ताधारी नेताओं के मौखिक और अवैध आदेशों पर लोगों की गिरफ्तारी जैसे कदम उठाए थे।
- ◆ संयुक्त सचिव व उससे ऊपर के अधिकारी नियमित रूप से राजनेताओं से मिलते हैं — ऐसे में तटस्थता बनाए रखना विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण व ज़रूरी हो जाता है।
- ◆ यह क्रोनी कैपिटलिज्म, भ्रष्टाचार और 'स्पॉइल सिस्टम' (सत्ता बदलते ही मनचाहे अधिकारियों को नवाज़ना) जैसी प्रवृत्तियों को कम करने में मदद करता है।
- ◆ पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन को अक्सर गैर-पक्षपाती, निर्भीक प्रशासन के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है।
- ◆ केंद्र-राज्य संबंधों की जाँच के लिए 1983 में बने सरकारिया आयोग (Sarkaria Commission) ने राज्यपाल की नियुक्ति में गैर-पक्षपात को अनिवार्य बताया — उसकी सिफारिश थी कि राज्यपाल ऐसा व्यक्ति हो जो हाल के समय में सक्रिय राजनीति से जुड़ा न रहा हो, ताकि वह केंद्र में सत्ताधारी दल के प्रतिनिधि की तरह काम न करे।

8.3 दार्शनिक आधार

दार्शनिक/सिद्धांत	गैर-पक्षपात का आधार
मैक्स वेबर की नौकरशाही (Bureaucracy)	एक पेशेवर, तटस्थ, नियम-आधारित नौकरशाही की कल्पना — जो संविधान व राज्य की सेवा करे, किसी राजनीतिक दल की नहीं।
जॉन लॉक — सामाजिक अनुबंध (Social Contract)	लोक सेवकों की वैधता (Legitimacy) जनता की सहमति से मिलती है, किसी राजनीतिक दल के प्रति निष्ठा से नहीं।
गांधीवादी नैतिकता	नैतिकता से रहित राजनीति एक 'पाप' के समान है — प्रशासन का मार्गदर्शन सत्य, न्याय और जनकल्याण से होना चाहिए, दलगत हितों से नहीं।

8.4 तटस्थता के आचरण नियम और तटस्थता की आलोचना

सिविल सेवा तटस्थता (Neutrality) का अर्थ है कि अधिकारी पूरे सेवाकाल में राजनीतिक रूप से निष्पक्ष और गैर-दलगत रहे — राजनीति के उतार-चढ़ाव से नौकरशाही अप्रभावित रहे। आचरण नियमों के अनुसार अधिकारी:

- ◆ राजनीति में भाग नहीं ले सकता और किसी दल को चुनावी चंदा या सहायता नहीं दे सकता।
- ◆ मतदान कर सकता है, पर अपनी पसंद दूसरों को नहीं बता सकता।
- ◆ अपने शरीर, वाहन या घर पर कोई चुनाव-चिह्न प्रदर्शित नहीं कर सकता।
- ◆ सरकार की अनुमति के बिना रैली, धरना-प्रदर्शन में भाग नहीं ले सकता।

आधार	तटस्थ नौकरशाही (Neutral)	प्रतिबद्ध नौकरशाही (Committed)
अर्थ	किसी दल या विचारधारा से बँधी नहीं	सरकार के कार्यक्रमों और संवैधानिक लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध
लाभ	निष्पक्षता, निरंतरता, जनता का भरोसा	विकास-कार्यों में तेज़ी, उत्साह
खतरा	निष्क्रियता, "रोबोट जैसी" उदासीनता	दल-विशेष के प्रति झुकाव, राजनीतिकरण
संतुलन	दलगत तटस्थता के साथ संविधान और जनकल्याण के प्रति प्रतिबद्धता	

आलोचना: कई विद्वान कहते हैं कि पूर्ण तटस्थता कभी-कभी निष्क्रियता और डरपोकपन का बहाना बन जाती है। इसलिए आज का संतुलित दृष्टिकोण है — **दलों के प्रति तटस्थ, पर संविधान और जनकल्याण के प्रति प्रतिबद्ध।**

गैर-पक्षपात के उल्लंघन के परिणाम: राजनेता-अधिकारी गठजोड़ से बड़े घोटाले, हर सरकार के "पसंदीदा अधिकारी" बनने से राजनीतिकरण, बार-बार तबादले और निलंबन का डर, और अंततः जनता के भरोसे का टूटना। इसी कारण सर्वोच्च न्यायालय ने 2013 में (टी.एस.आर. सुब्रमण्यम बनाम भारत संघ) केंद्र और राज्यों को तबादलों-पदोन्नति के लिए **सिविल सेवा बोर्ड** बनाने, अधिकारियों का **न्यूनतम निश्चित कार्यकाल** तय करने और **मौखिक आदेशों पर काम न करने** (हर निर्देश लिखित में) के निर्देश दिए।

गैर-पक्षपात कैसे सुनिश्चित हो?



चित्र 3.13: गैर-पक्षपात कैसे सुनिश्चित हो?

8.5 गैर-पक्षपात कैसे सुनिश्चित करें?

- ◆ **राजनीतिक व्यवस्था को मजबूत करना** — जब स्वतंत्र दबाव-समूह (Interest Groups — जैसे किसान, व्यापारी या उपभोक्ता संगठन), निष्पक्ष निर्वाचन-प्रणाली, सजग मीडिया और सक्रिय न्यायपालिका मौजूद हों, तो कोई भी दल अधिकारियों से मनमाना काम नहीं करवा पाता, क्योंकि हर गलत दबाव के उजागर होने और उस पर कार्रवाई होने का डर रहता है।
- ◆ **राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र (Internal Democracy) की स्थापना** — जब दलों के भीतर पदाधिकारियों और प्रत्याशियों का चयन खुले, लोकतांत्रिक तरीके से होता है, तो दल किसी एक नेता या परिवार की निजी जागीर नहीं बनते; ऐसे दल सत्ता में आने पर अधिकारियों से निजी वफादारी के बजाय नियमों के अनुसार काम की अपेक्षा रखते हैं।
- ◆ **सिविल सेवा बोर्ड (टी.एस.आर. सुब्रमण्यम मामला, 2013)** — स्थानांतरण, पदोन्नति व नियुक्ति में राजनेताओं के मनमाने हस्तक्षेप को सीमित करना।
- ◆ **अनुच्छेद 319** — संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष/सदस्य को कार्यकाल पूरा होने के बाद भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई अन्य नौकरी लेने से रोकना (कुछ अपवादों को छोड़कर — जैसे आयोग का सदस्य आगे संघ या किसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है), ताकि उनकी निष्पक्षता पर राजनीतिक प्रभाव का संदेह न रहे।
- ◆ **मिशन कर्मयोगी** — सिविल सेवकों में सत्यनिष्ठा व गैर-पक्षपात जैसे मूल्यों का सतत विकास।

कहानी: "मतगणना की रात" — एक रिटर्निंग अधिकारी की परीक्षा

विधानसभा चुनाव की मतगणना चल रही थी। उपखंड अधिकारी सीमा (काल्पनिक नाम) एक विधानसभा क्षेत्र की रिटर्निंग अधिकारी थीं। अंतिम दौर तक सत्ताधारी दल का प्रत्याशी केवल 312 मतों से पीछे चल रहा था। उसके समर्थक बाहर नारे लगा रहे थे, और एक वरिष्ठ नेता का फ़ोन आया — "डाक मतपत्रों में से कुछ रद्द कर दीजिए, और दोबारा गिनती का आदेश दे दीजिए।"

सीमा पर दबाव दोनों ओर से था। कुछ ही मिनट बाद जीतते दिख रहे विपक्षी प्रत्याशी के एजेंट ने माँग की कि "बाक़ी गिनती रोककर तुरंत हमें विजयी घोषित करो।" सीमा जानती थी कि उनका काम किसी को जिताना या हराना नहीं, बल्कि नियमों के अनुसार सही गिनती करवाना है।

उन्होंने हर डाक मतपत्र की जाँच दोनों दलों के एजेंटों के सामने, वीडियो-रिकॉर्डिंग में करवाई। रद्द होने वाले मतपत्रों के कारण नियम-पुस्तिका के अनुसार लिखित में दर्ज किए। जब सत्ताधारी दल के प्रत्याशी ने पुनर्गणना का लिखित आवेदन दिया, तो उन्होंने नियमों के अनुसार उसकी जाँच की, कारण सहित निर्णय लिखा, और जो हिस्सा नियम के अनुसार पुनर्गणना योग्य था, उसकी दोबारा गिनती दोनों पक्षों के सामने करवाई। अंतर 298 मतों पर आकर स्थिर हुआ, और उन्होंने परिणाम घोषित किया।

अगले दिन हारने वाले प्रत्याशी ने अदालत जाने की बात कही, पर उनके वकील ने रिकॉर्डिंग और लिखित आदेश देखकर कहा — "प्रक्रिया में कोई कमी नहीं है।" राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बाद में प्रशिक्षण-कार्यक्रम में सीमा की प्रक्रिया को उदाहरण के रूप में पढ़ाया।

🔑 **इस कहानी से सीख:** गैर-पक्षपात का अर्थ किसी दल के विरुद्ध होना नहीं, बल्कि सभी दलों के प्रति एक-सा कठोर नियम लागू करना है। रिकॉर्डिंग, लिखित कारण और सबकी मौजूदगी में प्रक्रिया — ये ही दबाव के समय अधिकारी की सबसे बड़ी सुरक्षा हैं। टी.एन. शेषन से लेकर हर ईमानदार रिटर्निंग अधिकारी तक, यही लोकतंत्र में भरोसे की नींव है।

गैर-पक्षपात और राजनीतिक तटस्थता का फ़र्क: सबसे आसान तरीका — गैर-पक्षपात = 'सक्रिय पर निष्पक्ष' (जैसे एक निर्वाचन अधिकारी हर दल के प्रति समान सेवा-भाव रखते हुए भी अपना काम पूरी सक्रियता से करता है), जबकि राजनीतिक तटस्थता = 'दलगत सक्रियता से दूरी' (सेवा में रहते हुए किसी दल की रैली या प्रचार में शामिल न होना)।

9. उदारवादी समाज (Liberal Society) — पारदर्शिता, मीडिया और नौकरशाही की भूमिका

आसान परिभाषा: उदारवादी समाज (Liberal Society)

📖 **परिभाषा:** एक ऐसी सामाजिक-राजनीतिक व्यवस्था जो व्यक्तिवाद (Individualism), स्वतंत्रता, तर्कसंगतता, सहिष्णुता, बहुलवाद (Pluralism), सहमति और विधि के शासन (Rule of Law) पर आधारित होती है, जिसमें राज्य की शक्ति के मनमाने प्रयोग की कोई

गुंजाइश नहीं होती।

💡 **आसान भाषा में:** जैसे एक ऐसा स्कूल जहाँ छात्रों को अपने विषय खुद चुनने की आज़ादी हो, अलग-अलग विचारों वाले छात्रों को बराबर सम्मान मिले, और नियम सबके लिए एक-समान लागू हों — किसी एक छात्र या शिक्षक की मनमानी न चले। 🏠 **उदाहरण:** भारत का लोकतांत्रिक संविधान — जो मौलिक अधिकार (Fundamental Rights), बहुदलीय व्यवस्था, स्वतंत्र न्यायपालिका और प्रेस की स्वतंत्रता की गारंटी देता है — एक उदारवादी समाज की बुनियादी संरचना का उदाहरण है।

9.1 शास्त्रीय उदारवाद बनाम आधुनिक उदारवाद

आधार	शास्त्रीय उदारवाद (Classical) — नकारात्मक उदारवाद	आधुनिक उदारवाद (Modern) — सकारात्मक उदारवाद (कल्याणवाद)
राज्य की भूमिका	राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप — अहस्तक्षेप/मुक्त-बाज़ार (Laissez-Faire)।	राज्य को सकारात्मक कदम उठाने चाहिए — कल्याणकारी नीतियाँ बनानी चाहिए।
स्वतंत्रता की समझ	व्यक्ति को अपने फैसले खुद लेने की पूरी आज़ादी — राज्य सिर्फ 'रात के चौकीदार' (Night Watchman State) की भूमिका में — पुलिस, न्यायालय व सेना तक सीमित।	गरीबी, असमानता, लैंगिक भेद व नस्लवाद जैसी बाधाएँ स्वयं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करती हैं, इसलिए राज्य को इन्हें दूर करना चाहिए।
प्रमुख प्रस्तावक	जॉन लॉक, हर्बर्ट स्पेन्सर।	जॉन स्टुअर्ट मिल, टी.एच. ग्रीन, एल.टी. हॉबहाउस।

शास्त्रीय बनाम आधुनिक उदारवाद

शास्त्रीय (नकारात्मक)	बनाम	आधुनिक (सकारात्मक)
न्यूनतम हस्तक्षेप, "रात का चौकीदार"	राज्य	कल्याणकारी, सक्रिय राज्य
बाधाओं का न होना	स्वतंत्रता	अवसर और क्षमता का होना
जॉन लॉक, हर्बर्ट स्पेन्सर	विचारक	जे.एस. मिल, टी.एच. ग्रीन, हॉबहाउस

चित्र 3.14: शास्त्रीय बनाम आधुनिक उदारवाद

“ किसी सभ्य समाज के किसी सदस्य पर उसकी इच्छा के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग केवल एक ही उद्देश्य से उचित है — दूसरों को हानि से बचाना। (The only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilised community, against his will, is to prevent harm to others.) ” — जॉन स्टुअर्ट मिल (John Stuart Mill), "ऑन लिबर्टी" (1859)

9.2 उदारवादी समाज में पारदर्शिता (Transparency)

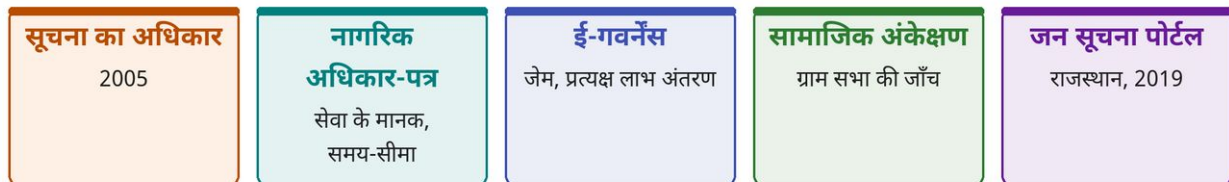
नोलन समिति (Nolan Committee, यूनाइटेड किंगडम, स्थापना अक्टूबर 1994) ने पारदर्शिता को सार्वजनिक जीवन का एक अनिवार्य सिद्धांत माना — यह जनप्रतिनिधियों व लोकसेवकों के लिए तय किए गए सात सिद्धांतों (निःस्वार्थता, सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठता, जवाबदेही, खुलापन, ईमानदारी, नेतृत्व) में से एक है। पारदर्शिता राज्य की मनमानी शक्ति को सीमित करती है, जवाबदेही सुनिश्चित करती है, भ्रष्टाचार घटाती है और जनविश्वास बढ़ाती है।

पारदर्शिता का उपकरण	विवरण	उदाहरण
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI)	नागरिकों को सरकारी सूचना माँगने का कानूनी अधिकार देकर सशक्त बनाना।	अरुणा रॉय — RTI आंदोलन की अग्रणी सामाजिक कार्यकर्ता; मनरेगा (MGNREGA) में सामाजिक अंकेक्षण।
नागरिक अधिकार-पत्र (Citizen Charter)	किसी सेवा के मानक, समय-सीमा व शिकायत-निवारण प्रक्रिया को सार्वजनिक रूप से घोषित करना।	राजस्थान का जन सूचना पोर्टल (2019 में शुरू) — जहाँ नागरिक बिना अलग से RTI आवेदन किए ही कई सरकारी योजनाओं व दस्तावेज़ों की जानकारी सीधे देख सकते हैं।
ई-गवर्नेंस	सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM), प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), आधार-सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) जैसी डिजिटल पारदर्शिता की व्यवस्थाएँ।	GeM पोर्टल ने सरकारी खरीद (Procurement) में विवेकाधिकार व पक्षपात की गुंजाइश काफी हद तक घटाई है।
सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit)	ग्राम सभा के माध्यम से मनरेगा जैसी योजनाओं के खर्च व क्रियान्वयन की सार्वजनिक जाँच।	आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में स्थापित 'सोसाइटी फॉर सोशल ऑडिट, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी (SSAAT)' जैसा मॉडल अग्रणी माना जाता है, जिससे प्रेरित होकर राजस्थान

पारदर्शिता का उपकरण	विवरण	उदाहरण
		सहित कई राज्यों ने भी मनरेगा में सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया को और मज़बूत किया है।
RTI + सामाजिक अंकेक्षण का संयोजन	औपचारिक (RTI) और अनौपचारिक (सामुदायिक निगरानी) — दोनों मिलकर दोहरी जवाबदेही (Double Accountability) बनाते हैं।	जब सामाजिक अंकेक्षण में कोई गड़बड़ी सामने आती है, तो RTI के ज़रिए उसकी और गहराई से पड़ताल की जा सकती है।

पारदर्शिता के प्रमुख उपकरण

पारदर्शी शासन



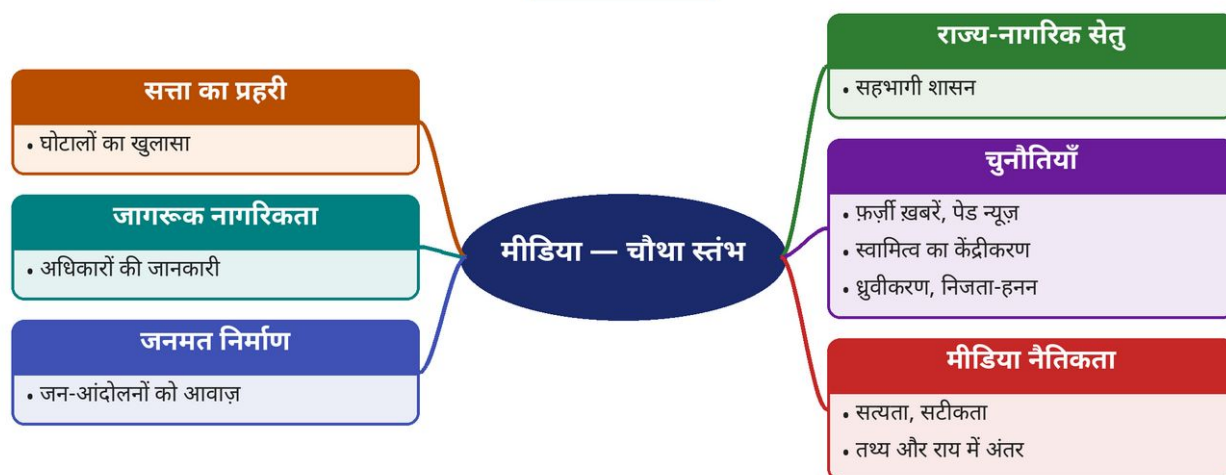
चित्र 3.15: पारदर्शिता के प्रमुख उपकरण

9.3 उदारवादी समाज में मीडिया की भूमिका (Role of Media)

मीडिया को लोकतंत्र का 'चौथा स्तंभ' माना जाता है। अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन ने 1787 में एडवर्ड कैरिंगटन को लिखे एक पत्र में कहा था — 'यदि मुझे तय करना हो कि हमें बिना अखबारों वाली सरकार चाहिए या बिना सरकार वाले अखबार, तो मैं एक पल की भी देरी किए बिना दूसरे विकल्प — यानी अखबारों — को चुनूँगा।' यह कथन प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व को बेहद सशक्त ढंग से रेखांकित करता है।

भूमिका	विवरण	उदाहरण
1. सत्ता का प्रहरी (Watchdog of Power)	भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग व मानवाधिकार हनन को उजागर करना।	2जी स्पेक्ट्रम आवंटन जैसे बड़े घोटालों को उजागर करने में खोजी पत्रकारिता (Investigative Journalism) की अहम भूमिका रही है।
2. जागरूक नागरिकता (Informed Citizenry)	नागरिकों को उनके अधिकारों व सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना।	सोशल मीडिया व टीवी चैनलों के ज़रिए सरकारी योजनाओं की जानकारी का व्यापक प्रसार।
3. जनमत निर्माण (Public Opinion Construction)	सामाजिक-आर्थिक असमानता व भ्रष्टाचार के विरुद्ध जनमत तैयार करना।	अन्ना हज़ारे के जन लोकपाल आंदोलन को मीडिया कवरेज ने पूरे देश से जोड़ दिया; सैनितरी नैपकिन पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) के विरुद्ध चले जन-अभियान में भी मीडिया व सोशल मीडिया की सक्रिय भूमिका रही।
4. राज्य-नागरिक सेतु (State-Citizen Link)	नीति-निर्माण में नागरिकों की सहभागिता बढ़ाना — सहभागी शासन (Participatory Governance)।	बजट-निर्माण प्रक्रिया में सोशल मीडिया के ज़रिए नागरिकों से सुझाव माँगने जैसी पहलें।
5. शैक्षणिक भूमिका (Educational Role)	समाज में बहुलवाद और विविध विचारधाराओं की समझ फैलाना।	विभिन्न विचारधाराओं व दृष्टिकोणों को जनता तक पहुँचाने वाले वृत्तचित्र, परिचर्चाएँ व लेख।

उदारवादी समाज में मीडिया — भूमिकाएँ और चुनौतियाँ



चित्र 3.16: उदारवादी समाज में मीडिया — भूमिकाएँ और चुनौतियाँ

मीडिया की चुनौतियाँ (Challenges)

- ◆ **गलत सूचना और फ़र्जी खबरें (Misinformation/Fake News)** — सोशल मीडिया के दौर में बिना जाँची-परखी या जान-बूझकर गढ़ी गई खबरें बहुत तेज़ी से फैलती हैं, जिससे लोगों में भ्रम, डर और कभी-कभी हिंसा तक फैल सकती है।
- ◆ **पेड न्यूज़ और TRP-केंद्रित संस्कृति** — 'पेड न्यूज़' का अर्थ है पैसे लेकर किसी के प्रचार को खबर की तरह छापना या दिखाना; और TRP (टीवी कार्यक्रम देखने वालों की संख्या का पैमाना) बढ़ाने की होड़ में चैनल सनसनी फैलाने वाली बातों को सही तथ्यों से ज़्यादा महत्व देने लगते हैं। दोनों के कारण जनता तक सच्ची और संतुलित जानकारी नहीं पहुँच पाती।
- ◆ **मीडिया के स्वामित्व का केंद्रीकरण (Media Monopoly)** — जब अधिकतर अखबार और चैनल कुछ ही बड़े व्यापारिक घरानों के हाथ में आ जाते हैं, तो विचारों की विविधता घटती है और खबरें उन मालिकों के व्यापारिक या राजनीतिक हितों के अनुसार ढलने का खतरा रहता है।
- ◆ **निजता, निगरानी व ब्लैकमेल का जोखिम** — खबर बनाने के नाम पर कई बार लोगों के निजी जीवन में अनुचित ताक-झाँक, छिपकर रिकॉर्डिंग, या निजी जानकारी उजागर करने की धमकी देकर दबाव डालने (ब्लैकमेल) जैसी घटनाएँ होती हैं, जो व्यक्ति के निजता के अधिकार का हनन हैं।
- ◆ **सेंसरशिप और ध्रुवीकरण (Polarisation)** — सेंसरशिप का अर्थ है किसी खबर या विचार को छपने-दिखाने से रोकना, और ध्रुवीकरण का अर्थ है समाज का दो विरोधी खेमों में बँट जाना। जब मीडिया तटस्थ रहने के बजाय किसी एक विचारधारा या दल का पक्ष लेने लगता है, तो लोग केवल अपनी पसंद की बात सुनते हैं और समाज में आपसी दूरी बढ़ती है।

💡 📌 **मीडिया नैतिकता (Media Ethics):** पत्रकारिता को इन नैतिक मानकों का पालन करना चाहिए — सत्यता, सटीकता, वस्तुनिष्ठता (तथ्य और राय में स्पष्ट अंतर), निष्पक्षता, स्वतंत्रता, तथा व्यक्तियों की निजता का सम्मान।

9.4 जनसंपर्क (Public Relations) की नैतिकता

सार्वजनिक संबंधों का एक व्यावसायिक रूप **जनसंपर्क (Public Relations)** है — यानी किसी सरकार, संस्था या कंपनी की बात जनता तक पहुँचाना। सरकारी विभागों में भी जनसंपर्क अधिकारी होते हैं। इस काम में बेईमानी से किया गया संवाद कभी भरोसा नहीं बना सकता। अब्राहम लिंकन से जोड़ी जाने वाली एक प्रसिद्ध उक्ति है — "आप कुछ लोगों को हमेशा के लिए और सब लोगों को कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकते हैं, पर सब लोगों को हमेशा के लिए मूर्ख नहीं बना सकते।"

जनसंपर्क में अनैतिक आचरण के उदाहरण: प्रतिकूल खबरों को दबाना, तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश करना, किसी एक उद्देश्य के नाम पर वास्तव में किसी और हित की सेवा करना, ऐसे परिणामों का वादा करना जो संभव न हों, और प्रचार-सामग्री छपवाने के लिए संपादकों पर अनुचित दबाव डालना। आज उपभोक्ता और नागरिक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं, और जनसंपर्क अधिकारी को उपभोक्ता-समूहों, पर्यावरण-संगठनों जैसे दबाव-समूहों का सामना करना पड़ता है; इसलिए उसे स्व-नियंत्रित, नैतिक और संवाद के क़ानूनी पहलुओं के प्रति सावधान रहना चाहिए।

9.5 उदारवादी समाज में नौकरशाही की भूमिका (Role of Bureaucracy)

मैक्स वेबर के अनुसार तर्कसंगतता (Rationality) ही आधुनिक नौकरशाही की नींव है — यह पदानुक्रम (Hierarchy) और योग्यता (Merit) पर आधारित होती है, न कि व्यक्तिगत सनक या पक्षपात पर।

भूमिका	उदारवाद से संबंध	उदाहरण / प्रावधान
1. विधि का शासन लागू करना	शास्त्रीय उदारवाद — नियमों से शासन, मनमानी नहीं।	नौकरशाही नियम व निर्धारित प्रक्रिया से काम करती है — मनमानी (Arbitrariness) की गुंजाइश सीमित रहती है।
2. कल्याणकारी राज्य का	आधुनिक उदारवाद — जे.एस. मिल व टी.एच. ग्रीन —	प्रधानमंत्री आवास योजना, खाद्य सुरक्षा जैसी बुनियादी

भूमिका	उदारवाद से संबंध	उदाहरण / प्रावधान
निर्माण	अधिकारों की रक्षा पर बल।	ज़रूरतें पूरी करने वाली योजनाएँ।
3. मानवीय गरिमा और समानता	मानवाधिकार व समानता — उदारवादी समाज के मूल तत्व।	अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता का उन्मूलन) का क्रियान्वयन; गरीबी-उन्मूलन कार्यक्रम।
4. सूचना के अधिकार का क्रियान्वयन	जागरूक नागरिक — उदारवादी समाज की एक बुनियादी ज़रूरत।	RTI अधिनियम का क्रियान्वयन; राजस्थान का जन सूचना पोर्टल।
5. तटस्थता व निरंतरता	गैर-पक्षपात — सरकारें बदलती रहती हैं, पर नौकरशाही स्थिर रहती है।	स्थायी कार्यपालिका (Permanent Executive) शासन में निरंतरता सुनिश्चित करती है।
6. सामाजिक बाधाओं को दूर करना	आधुनिक उदारवाद — सामाजिक व आर्थिक बाधाओं को दूर करना।	अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण योजनाएँ, महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम जैसे मिशन शक्ति।

उदारवादी समाज में नौकरशाही की भूमिका



चित्र 3.17: उदारवादी समाज में नौकरशाही की भूमिका

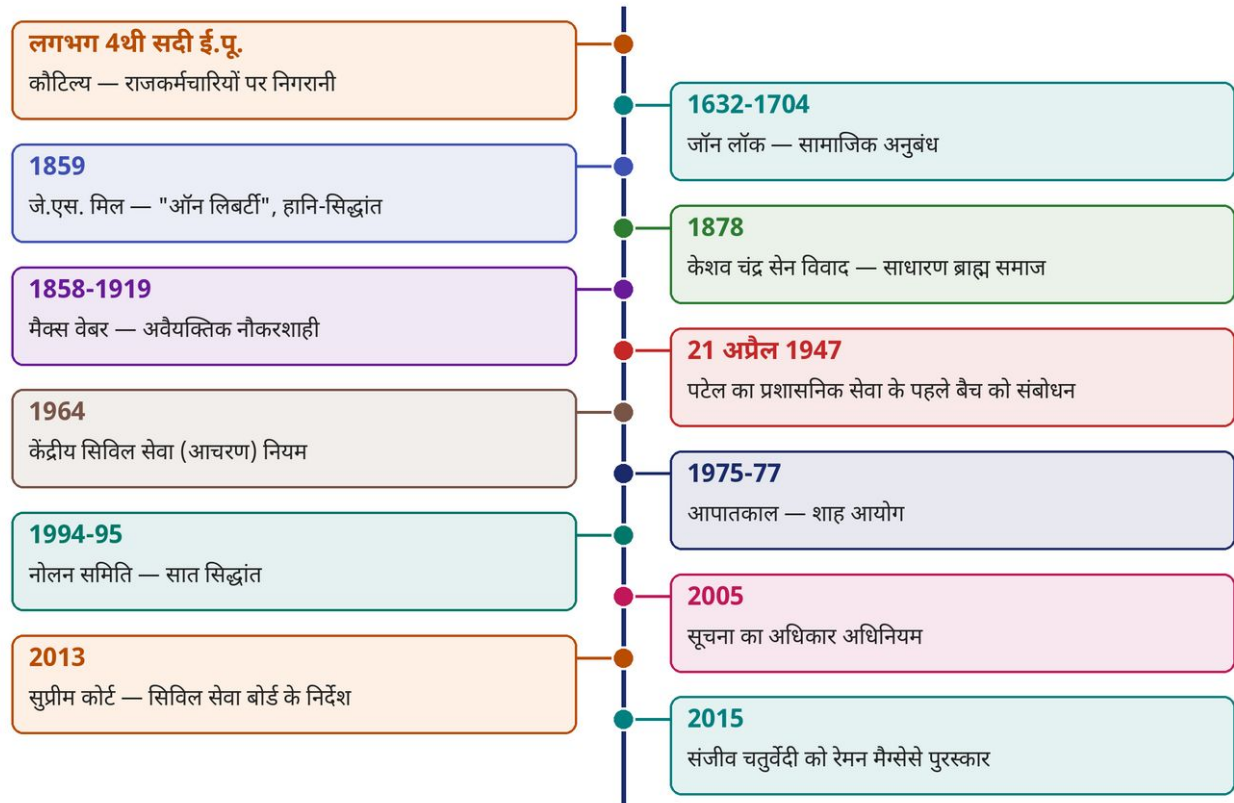
क्या सूचना का अधिकार (RTI), मीडिया सक्रियता और न्यायिक सक्रियता जवाबदेही बढ़ाते हैं? ऊपर की तीनों तालिकाएँ (पारदर्शिता के उपकरण, मीडिया की भूमिका, नौकरशाही की भूमिका) मिलकर इसका उत्तर देती हैं — हाँ, ये तीनों मिलकर शासन को अधिक जवाबदेह बनाते हैं; पर मीडिया की चुनौतियाँ (फ़र्ज़ी ख़बरें, पेड न्यूज़) बताती हैं कि इनका संतुलित और ज़िम्मेदार उपयोग ही वास्तविक जवाबदेही ला सकता है।

10. सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और उदारवादी समाज — ऐतिहासिक यात्रा

वर्ष / संदर्भ	विषय / घटना / विचारक
चतुर्थ शताब्दी ई.पू. (लगभग)	आचार्य चाणक्य — अर्थशास्त्र व 'दो दीपकों' की कथा (कही-सुनी परंपरा) — प्रोबिटी व सत्यनिष्ठा का प्रतीक।
1632-1704	जॉन लॉक — सामाजिक अनुबंध (Social Contract), प्राकृतिक अधिकार व संविधानवाद — उदारवादी समाज की नींव।
1748-1832	जैरेमी बेन्थम — शास्त्रीय उदारवाद व उपयोगितावाद — आधुनिक उदारवाद की ओर पहला कदम।
1806-1873	जॉन स्टुअर्ट मिल — 'ऑन लिबर्टी' (1859) व हानि-सिद्धांत; शास्त्रीय से आधुनिक (कल्याणकारी) उदारवाद की ओर संक्रमण के प्रमुख विचारक।
1858-1919	मैक्स वेबर — तर्कसंगत नौकरशाही (Rational Bureaucracy) — 'सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए अवैयक्तिक (Impersonal) प्रशासन'।
1875-1950	सरदार वल्लभभाई पटेल — स्वतंत्र भारत की प्रशासनिक सेवा के पहले बैच को संबोधन (21 अप्रैल 1947) — निष्पक्षता और राजनीति से दूरी को प्रशासन का प्रमुख स्तंभ बताया।
1904-1966	लाल बहादुर शास्त्री — भारत के दूसरे प्रधानमंत्री (1964-66); बैंक से कार-ऋण लेने की सादगी व सत्यनिष्ठा की व्यापक रूप से प्रचलित मिसाल।
1950	26 जनवरी 1950: भारतीय संविधान लागू — अनुच्छेद 14-18, 19-22, 51A — निष्पक्षता व सत्यनिष्ठा का संवैधानिक आधार।
1975-77	आपातकाल — शाह आयोग ने प्रशासन में राजनीतिक पक्षपात की समस्या को उजागर किया।
1992	विश्व बैंक — सुशासन (Good Governance) आंदोलन — सत्यनिष्ठा व पारदर्शिता पर बल।
अक्टूबर 1994	नोलन समिति (यूनाइटेड किंगडम) — सार्वजनिक जीवन के सात सिद्धांत — निःस्वार्थता, सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठता, जवाबदेही, खुलापन, ईमानदारी, नेतृत्व।
नवंबर 2003	सत्येन्द्र दुबे (IES) — राष्ट्रीय राजमार्ग घोटाला उजागर करने के बाद हत्या — सत्यनिष्ठा की भारी कीमत।
2005	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI) — पारदर्शिता व जवाबदेही को संस्थागत रूप।

वर्ष / संदर्भ	विषय / घटना / विचारक
2017-2019	सबरीमाला मंदिर प्रवेश निर्णय (2018); तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित करने संबंधी निर्णय (2017); राजस्थान का जन सूचना पोर्टल आरंभ (2019)।
2013-2024	मिशन कर्मयोगी, मनरेगा सामाजिक अंकेक्षण (राजस्थान सहित) — आधुनिक पारदर्शिता व क्षमता-निर्माण की दिशा में सतत प्रयास।

निजी-सार्वजनिक नैतिकता — ऐतिहासिक यात्रा



चित्र 3.18: निजी-सार्वजनिक नैतिकता — ऐतिहासिक यात्रा

☀ अध्याय का सार — एक पंक्ति में

निजी और सार्वजनिक जीवन को पूरी तरह अलग करना न संभव है, न वांछनीय — असली चुनौती है दोनों के बीच सही 'लक्ष्मण रेखा' खींचना। सत्यनिष्ठा हमें भीतर से सही रास्ते पर टिकाए रखती है, निष्पक्षता हमें बिना भेदभाव के फैसला लेना सिखाती है, गैर-पक्षपात हमें किसी दल का नहीं बल्कि संविधान का सेवक बनाता है, और एक जीवंत उदारवादी समाज — जिसमें पारदर्शिता, स्वतंत्र मीडिया और तटस्थ नौकरशाही शामिल हों — इन सभी मूल्यों को व्यवहार में उतारने का मंच देता है।

बोनस: उत्तर-लेखन अभ्यास (मॉडल प्रश्न और उत्तर)

प्रश्न 1: "मैक्स वेबर ने कहा: 'सार्वजनिक प्रशासन में व्यक्तिगत विवेक के नैतिक मानक लागू करना बुद्धिमानी नहीं।' इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण करें।" (150 शब्द)

उत्तर: मैक्स वेबर का यह कथन बताता है कि सार्वजनिक प्रशासन के फैसले व्यापक जनहित को ध्यान में रखकर, नियम व तर्क के आधार पर लिए जाने चाहिए — न कि किसी अधिकारी की निजी नैतिक भावना के आधार पर।

◆ **पक्ष में तर्क:** एक पुलिस अधिकारी को दंगा नियंत्रण में अपनी निजी अहिंसा-प्रियता से आगे बढ़कर बल-प्रयोग जैसे निर्णय लेने पड़ सकते हैं; एक कर-अधिकारी को अपने किसी परिचित पर भी वही कानून बिना नरमी के लागू करना होता है।

◆ **आलोचना:** यदि प्रशासन पूरी तरह नियम-केंद्रित और भावनाशून्य हो जाए, तो वह करुणा व मानवीय संवेदनशीलता खो सकता है — जैसे बूंदी कलेक्टर डॉ. रवींद्र गोस्वामी का उदाहरण दिखाता है कि निजी करुणा भी कई बार बेहतर सार्वजनिक सेवा का आधार बनती है।

निष्कर्ष: वेबर का कथन प्रशासनिक निष्पक्षता के लिए आवश्यक है, पर इसे इतना कठोर नहीं बनाया जाना चाहिए कि मानवीय संवेदनशीलता और सकारात्मक स्पिलओवर प्रभाव की गुंजाइश ही समाप्त हो जाए — संतुलन ही सही रास्ता है।

प्रश्न 2: "गैर-पक्षपात और राजनीतिक तटस्थता में अंतर बताते हुए प्रशासन में गैर-पक्षपात की प्रासंगिकता समझाइए।"

उत्तर: गैर-पक्षपात (Non-Partisanship) का अर्थ है आधिकारिक कार्यों में किसी राजनीतिक दल के प्रति झुकाव न रखना, जबकि पूरी सक्रियता से जनसेवा करते रहना। इसके विपरीत, राजनीतिक तटस्थता (Political Neutrality) का अर्थ है सेवा में रहते हुए दलगत राजनीतिक सक्रियता (रैली, प्रचार) से दूर रहना।

◆ **प्रासंगिकता:** निष्पक्ष चुनाव संचालन, नीति-निर्माण में निरंतरता (चाहे सरकार कोई भी बने), तथा भ्रष्टाचार व क्रोनी कैपिटलिज्म पर रोक के लिए गैर-पक्षपात अनिवार्य है — जैसा टी.एन. शेषन के निष्पक्ष चुनाव-प्रबंधन से स्पष्ट होता है।

◆ **संस्थागत सुरक्षा:** अनुच्छेद 319, सिविल सेवा बोर्ड (टी.एस.आर. सुब्रमण्यम मामला, 2013) और मिशन कर्मयोगी जैसी व्यवस्थाएँ गैर-पक्षपात को संस्थागत रूप से मज़बूत करती हैं।

निष्कर्ष: गैर-पक्षपात लोकतंत्र में जनविश्वास बनाए रखने की बुनियादी शर्त है — यह सुनिश्चित करता है कि सिविल सेवक की निष्ठा किसी दल के प्रति नहीं, बल्कि संविधान और जनकल्याण के प्रति बनी रहे।



कहानी: विफलता अपने सिर, सफलता टीम के नाम — सतीश धवन और कलाम (एक सच्ची घटना)

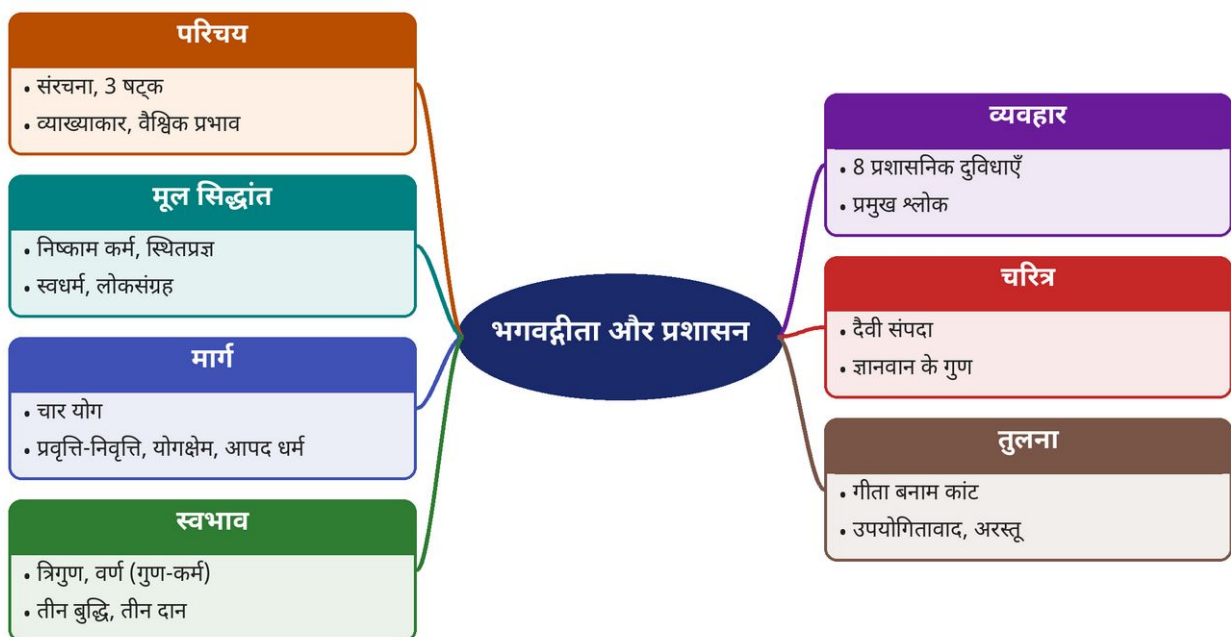
10 अगस्त 1979 की सुबह, श्रीहरिकोटा। भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह-प्रक्षेपण यान **SLV-3** उड़ान भरने वाला था। इस परियोजना के निदेशक थे एक युवा वैज्ञानिक — डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। वर्षों की मेहनत, सैकड़ों वैज्ञानिकों का सपना और पूरे देश की उम्मीदें इस एक उड़ान पर टिकी थीं। रॉकेट ने उड़ान भरी, पर कुछ ही मिनटों में नियंत्रण-प्रणाली की गड़बड़ी के कारण वह बंगाल की खाड़ी में जा गिरा।

कलाम टूट चुके थे। विफलता की ज़िम्मेदारी उन्हीं की थी — वे ही परियोजना के प्रमुख थे। कुछ ही घंटों बाद प्रेस-वार्ता होनी थी, जहाँ देश-भर के पत्रकार कड़े सवाल पूछने वाले थे। तब इसरो के अध्यक्ष **प्रो. सतीश धवन** ने कलाम से कहा कि वे साथ चलें, और प्रेस के सामने स्वयं बोले — "हम विफल हुए हैं। पर मुझे अपनी टीम पर पूरा भरोसा है, अगली बार हम निश्चित रूप से सफल होंगे।" विफलता की पूरी ज़िम्मेदारी उन्होंने अपने सिर ले ली।

लगभग एक साल बाद, **18 जुलाई 1980** को SLV-3 ने रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित कर दिया। पूरा देश गर्व से झूम उठा। इस बार जब प्रेस-वार्ता का समय आया, तो प्रो. धवन स्वयं पीछे हट गए और कलाम से कहा — "आज तुम बोलोगे।" सफलता का पूरा श्रेय उन्होंने अपनी टीम और उसके नेता को दे दिया।

कलाम ने वर्षों बाद इस घटना को अपने जीवन का सबसे बड़ा नेतृत्व-पाठ बताया — "जब विफलता आई, तो नेता ने उसे अपने ऊपर लिया; जब सफलता आई, तो उसने उसे अपनी टीम को दे दिया।" यह घटना गीता की तीन बड़ी शिक्षाओं का जीवंत रूप है — फल की आसक्ति के बिना कर्म (**निष्काम कर्म**), विफलता में भी विचलित न होने वाला मन (**स्थितप्रज्ञ**), और ऐसा श्रेष्ठ आचरण जिसे पीढ़ियाँ अपनाएँ (**लोकसंग्रह**)। यही वह भगवद्गीता है, जिसे यह अध्याय एक प्रशासक की आँखों से पढ़ता है।

इस कहानी से सीख: सच्चा नेतृत्व फल का श्रेय लेने में नहीं, ज़िम्मेदारी उठाने में दिखता है। सफलता-विफलता में समभाव (समत्व), टीम के प्रति समर्पण और फल की आसक्ति से मुक्ति — यही गीता का प्रशासनिक संदेश है।

अध्याय 04 — एक नज़र में

चित्र 4.1: अध्याय 04 — एक नज़र में

कहानी: अध्याय की यात्रा — "कुरुक्षेत्र से कलेक्ट्रेट तक: SDM पार्थ और केशव काका"

(यह एक काल्पनिक कहानी है। इसके हर पड़ाव में इस अध्याय का एक भाग छिपा है।)

पार्थ की पहली पोस्टिंग नागौर ज़िले के एक उपखंड में SDM के रूप में हुई। जाने से पहले वह अपने गाँव गया, जहाँ उसके बचपन के संस्कृत शिक्षक **केशव काका** रहते थे — सेवानिवृत्त, सफ़ेद धोती, हाथ में हमेशा एक पुरानी गीता। विदा करते समय काका ने वही गीता पार्थ के बैग में रख दी और कहा — "बेटा, जब भी कोई उलझन आए, मुझे फ़ोन करना। जवाब इसी किताब में होगा।" पार्थ मुस्कुराया — उसे लगा, सरकारी दफ़्तर में यह पुरानी किताब क्या काम आएगी?

पहला पड़ाव — किताब का परिचय: पहली ही रात फ़ोन पर काका ने बताया कि गीता महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है, 18 अध्याय और 700 श्लोक; शंकराचार्य से लेकर तिलक, गांधी और विनोबा तक ने इसे अपनी-अपनी तरह पढ़ा, और विदेशों में भी इसने वैज्ञानिकों और नेताओं को प्रभावित किया। (खंड 1)

दूसरा पड़ाव — अर्जुन की दुविधा: दूसरे ही हफ़्ते पार्थ को पता चला कि अवैध खनन करने वालों में उसके एक दूर के रिश्तेदार भी हैं। वह उलझ गया। काका बोले — "यही तो अर्जुन की दुविधा थी — सामने अपने ही लोग, पर कर्तव्य स्पष्ट।" (खंड 2)

तीसरा पड़ाव — फल की चिंता: जब ऊपर से "रैंकिंग" सुधारने का दबाव आया, तो काका ने "कर्मण्येवाधिकारस्ते" सुनाया — "काम सच्चा करो, रैंकिंग अपने आप सुधरेगी; और न भी सुधरे, तो भी काम सच्चा ही रहे।" (खंड 3)

चौथा पड़ाव — शांत मन: एक दिन आक्रोशित भीड़ ने दफ़्तर घेर लिया। पार्थ ने गुस्से की जगह धैर्य से बात की — यह **स्थितप्रज्ञ** का पहला अभ्यास था। (खंड 4)

पाँचवाँ पड़ाव — अपना कर्तव्य, अपना धर्म: एक नेता ने कहा "पुलिस का काम भी आप ही देख लो" और एक ठेकेदार ने "थोड़ा लचीला बनिए" कहा। काका बोले — "जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा **स्वधर्म** है; दूसरे का रास्ता, चाहे जितना आसान लगे, भयावह है।" (खंड 5)

छठा पड़ाव — दूसरे देखते हैं: पार्थ ने देखा कि जब वह समय पर दफ़्तर आने लगा, तो पूरा स्टाफ़ समय पर आने लगा। काका हँसे — "यद्यदाचरति श्रेष्ठः — बड़ा जो करता है, दुनिया वही करती है; यही **लोकसंग्रह** है।" (खंड 6)

सातवाँ पड़ाव — चार रास्ते, तीन गुण: काका ने समझाया कि कोई ज्ञान से, कोई कर्म से, कोई भक्ति से और कोई ध्यान से आगे बढ़ता है (**चार योग**); संकट में नियम से आगे सोचना पड़े तो वह **आपद धर्म** है; और हर व्यक्ति में **सत्त्व, रजस, तमस** — तीनों गुण होते हैं, बस संतुलन चाहिए। (खंड 7 से 10)

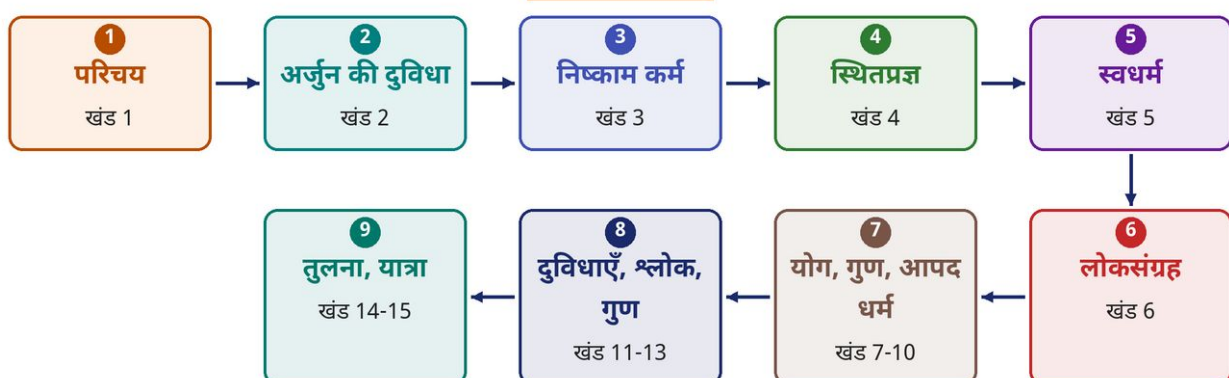
आठवाँ पड़ाव — दुविधाओं की किताब: साल के अंत तक पार्थ के पास आठ बड़ी दुविधाएँ आ चुकी थीं, और हर बार उसे गीता में कोई न कोई श्लोक रास्ता दिखाता मिला। उसने उन श्लोकों की एक छोटी डायरी बना ली, और उसमें **दैवी संपदा** के गुण — निर्भयता, सत्य, विनम्रता — मोटे अक्षरों में लिखे। (खंड 11 से 13)

नौवाँ पड़ाव — पूरब और पश्चिम: प्रशिक्षण अकादमी में पार्थ ने एक व्याख्यान में जर्मन दार्शनिक कांट को सुना और पाया कि "कर्तव्य के लिए कर्तव्य" की बात गीता भी करती है — भले रास्ते अलग हों। (खंड 14 और 15)

साल भर बाद पार्थ ने काका को फ़ोन किया — "काका, आप सही थे। यह पुरानी किताब मेरी सबसे नई नियमावली निकली।" काका ने बस इतना कहा — "किताब पुरानी है बेटा, सवाल हमेशा नए रहेंगे।" आइए, अब हम भी पार्थ की तरह यह यात्रा शुरू करते हैं।

🔑 इस कहानी से सीख: यह अध्याय गीता के मूल सिद्धांतों (निष्काम कर्म, स्थितप्रज्ञ, स्वधर्म, लोकसंग्रह), मार्गों (चार योग, आपद धर्म), स्वभाव-विज्ञान (त्रिगुण), व्यावहारिक दुविधाओं और तुलनात्मक अध्ययन की क्रम से यात्रा कराता है।

पार्थ की यात्रा — अध्याय के नौ पड़ाव



चित्र 4.2: पार्थ की यात्रा — अध्याय के नौ पड़ाव

अध्याय विषय-सूची

1 भगवद्गीता — परिचय, महत्व एवं प्रभाव	9 वर्ण व्यवस्था (Varna Vyavastha) — गुण और कर्म पर आधारित
2 अर्जुन की नैतिक दुविधा (अध्याय 1: अर्जुन विषाद योग)	10 त्रिगुण (Three Gunas) — सत्त्व, रजस, तमस
3 निष्काम कर्मयोग (Nishkama Karma) — फल की इच्छा	11 प्रशासनिक दुविधाओं का गीता से समाधान (8 नैतिक दुविधाएँ)

के बिना कर्तव्य	
4 स्थितप्रज्ञ (Sthita Pragya) — स्थिर बुद्धि वाला प्रशासक	12 प्रमुख श्लोक और प्रशासनिक अनुप्रयोग
5 स्वधर्म और परधर्म (Swadharma and Paradharma)	13 दैवी संपदा (अध्याय 16) और ज्ञानवान के गुण (अध्याय 13)
6 लोकसंग्रह (Lok Sangraha) — विश्व-कल्याण	14 भगवद्गीता और कांट (Kant) की नैतिकता — तुलना
7 गीता के चार योग — मुक्ति के मार्ग	15 भगवद्गीता — ऐतिहासिक यात्रा और प्रशासनिक प्रासंगिकता
8 प्रवृत्ति-निवृत्ति, योगक्षेम और आपद धर्म	

1. भगवद्गीता — परिचय, महत्व एवं प्रभाव

भगवद्गीता एक 'संकट' से उत्पन्न दर्शन है, जो आज एक प्रशासक के दैनिक जीवन के संकटों और दुविधाओं से लड़ने में मदद करता है। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक प्रशासनिक नियमावली की तरह भी पढ़ी जाती है।

आसान परिभाषा: भगवद्गीता

परिभाषा: महाभारत के भीष्म पर्व का एक भाग, जिसमें कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने से ठीक पहले भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश शामिल है — यह 18 अध्यायों व लगभग 700 श्लोकों में विभाजित है, और प्रस्थानत्रयी (ब्रह्मसूत्र, उपनिषद्, भगवद्गीता — हिंदू दर्शन के तीन मूल आधार-ग्रंथ) का एक हिस्सा मानी जाती है।

आसान भाषा में: जैसे किसी बड़े फैसले से पहले हम किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेते हैं, ठीक वैसे ही अर्जुन अपने सारथी और मार्गदर्शक कृष्ण से सलाह लेता है — और यही संवाद गीता के रूप में हमारे सामने है। **उदाहरण:** एक प्रशासक जब किसी कठिन नैतिक दुविधा में फँसता है — जैसे कानून का पालन करें या मानवीय संवेदना दिखाएँ — तो गीता के सिद्धांत (जैसे निष्काम कर्म, स्थितप्रज्ञ) उसे निर्णय लेने की एक स्पष्ट दिशा देते हैं।

गीता की संरचना — 18 अध्याय, तीन षट्क

भगवद्गीता — 700 श्लोक

कर्म षट्क (अध्याय 1-6)

कर्तव्य, निष्काम कर्म, स्थितप्रज्ञ, ध्यान

भक्ति षट्क (अध्याय 7-12)

ईश्वर-स्वरूप, समर्पण, विश्वरूप, भक्त के लक्षण

ज्ञान षट्क (अध्याय 13-18)

क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ, त्रिगुण, दैवी संपदा, मोक्ष

चित्र 4.3: गीता की संरचना — 18 अध्याय, तीन षट्क

गीता का दार्शनिक आधार: गीता का दार्शनिक सार मुख्य रूप से **उपनिषदों** से आया है, और इसमें **सांख्य** (वह दर्शन जो संसार को दो मूल तत्वों — जड़ 'प्रकृति' और चेतन 'पुरुष' — से बना मानता है और सत्त्व-रजस-तमस नाम के तीन गुणों का विचार देता है) तथा **योग** (महर्षि पतंजलि से जुड़ा वह दर्शन जो मन और इंद्रियों को अनुशासन में रखने की विधि सिखाता है) दर्शन के तत्वों का सुंदर समन्वय है। इसीलिए इसे "उपनिषदों का सार" भी कहा जाता है। गीता की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह **कर्म के त्याग की नहीं, बल्कि कर्म में त्याग** की शिक्षा देती है — यानी सब कुछ छोड़कर संन्यास लेने की नहीं, बल्कि कर्म करते हुए स्वार्थ और फल की आसक्ति छोड़ने की बात करती है।

गीता की नैतिकता — न भोगवादी, न तपस्वी: गीता न तो सुख का अंधा पीछा करने (भोगवाद — Hedonism) का समर्थन करती है, न इच्छाओं के कठोर दमन (तपस्वीवाद — Asceticism) का। यह इच्छाओं की **संयमित पूर्ति** का मार्ग बताती है, और व्यक्तिगत कल्याण के साथ-साथ सामाजिक कल्याण को भी बढ़ावा देती है।

1.1 गीता की संरचना — एक नज़र में

तथ्य	विवरण
ग्रंथ का स्थान	प्रस्थानत्रयी में से एक — ब्रह्मसूत्र, उपनिषद्, भगवद्गीता।
महाभारत में स्थान	भीष्म पर्व का भाग (महाभारत के 18 पर्वों में से एक)।
संरचना	18 अध्याय, लगभग 700 श्लोक।
प्रथम अध्याय	अर्जुन विषाद योग — अर्जुन की दुविधा (नीचे खंड 2 में विस्तार)।
द्वितीय अध्याय	सांख्य योग — स्थितप्रज्ञ की परिभाषा दी गई है।
तृतीय अध्याय	कर्म योग — लोकसंग्रह की अवधारणा का वर्णन।
चतुर्थ अध्याय	ज्ञान योग — गुण व कर्म के आधार पर चार वर्णों का परिचय।
बारहवाँ अध्याय	भक्ति योग — अनन्य भक्ति का वर्णन।

तथ्य	विवरण
चौदहवाँ अध्याय	गुणत्रय विभाग योग — सत्त्व, रजस, तमस का विवेचन।
अठारहवाँ अध्याय	चार वर्णों का विस्तृत वर्णन एवं निष्काम कर्म के सार का समापन।

☀ प्रसिद्ध श्लोक — गीता का केंद्रीय संदेश

"यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्॥" — अर्थात्, जब-जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान होता है, तब-तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ (अध्याय 4, श्लोक 7)। यह श्लोक बताता है कि गीता का मूल संदेश ही अन्याय के विरुद्ध खड़े होना है — एक प्रशासक के लिए यह प्रेरणा है कि भ्रष्टाचार व अन्याय के खिलाफ कार्रवाई करना उसका कर्तव्य-धर्म है।

1.2 भारतीय नैतिक परंपरा में गीता — मूल्य और सुशासन के सूत्र

भारतीय (हिंदू) नैतिक परंपरा के प्रमुख मूल्य हैं — **धर्म** (कर्तव्य-नैतिकता), **कर्म** (कारण और परिणाम का नियम), **मोक्ष** (मुक्ति), **संसार** (जन्म-मृत्यु का चक्र), **अहिंसा**, **वसुधैव कुटुम्बकम्** (पूरी पृथ्वी एक परिवार), **निष्काम कर्म** (पुरस्कार की चाह के बिना कर्तव्य) और **सत्यमेव जयते** (सत्य की ही विजय)। गीता इन सभी मूल्यों को एक सूत्र में पिरोती है। सुशासन के संदर्भ में गीता **नेतृत्व**, **कर्तव्यनिष्ठा** और **आत्म-साक्षात्कार** के अनेक सूत्र देती है, जिन्हें आज के संदर्भ में नए ढंग से समझा जाता है। विशेष रूप से गीता का "**अधिष्ठान**" (गीता 18.14 में बताए गए कर्म के पाँच कारणों में पहला — यानी वह आधार या ढाँचा जिस पर कोई काम टिका होता है) का विचार शासन में ज़िम्मेदारी और स्थिरता पर बल देता है — यानी हर कर्म का एक ठोस आधार (संस्था, नियम, व्यवस्था) होना चाहिए।

नैतिक सिद्धांत के रूप में गीता: मानक नीतिशास्त्र (Normative Ethics) — जो यह बताता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं — के चार प्रमुख सिद्धांत माने जाते हैं: प्राचीन यूनानी दार्शनिक अरस्तू का **सद्गुण-नीतिशास्त्र**, जर्मन दार्शनिक इमैनुएल कांट का **कर्तव्य-नीतिशास्त्र**, ब्रिटिश विचारक जॉन स्टुअर्ट मिल का **परिणामवाद (उपयोगितावाद)** और भगवद्गीता का **निष्काम कर्मयोग**। यानी गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि विश्व के चार बड़े नैतिक सिद्धांतों में से एक का स्रोत है।

मानक नीतिशास्त्र के चार प्रमुख सिद्धांत

क्या करना चाहिए?

सद्गुण-नीतिशास्त्र

अरस्तू — अच्छा चरित्र

कर्तव्य-नीतिशास्त्र

कांट — कर्तव्य के लिए कर्तव्य

परिणामवाद

मिल — अधिकतम लोगों का सुख

निष्काम कर्मयोग

गीता — आसक्ति-रहित कर्तव्य

चित्र 4.4: मानक नीतिशास्त्र के चार प्रमुख सिद्धांत

1.3 गीता के प्रमुख व्याख्याकार

विचारक / व्याख्याकार	गीता की व्याख्या	प्रमुख योग
आदि शंकराचार्य	मोक्ष के लिए ज्ञान पर बल (अद्वैत वेदांत)।	ज्ञान योग
रामानुजाचार्य	भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण (विशिष्टाद्वैत)।	भक्ति योग
बाल गंगाधर तिलक ('गीता रहस्य', 1915 — मांडले जेल, बर्मा)	कर्म ही मोक्ष का मार्ग है।	कर्म योग
महात्मा गांधी	अनासक्ति योग (Anasakti Yoga) — फल की चिंता किए बिना कर्म।	निष्काम कर्म
स्वामी विवेकानंद	मानव-सेवा ही ईश्वर-सेवा है।	कर्म + भक्ति + ज्ञान का समन्वय

उल्लेखनीय है कि बाल गंगाधर तिलक ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'गीता रहस्य' वर्ष 1908-1914 के बीच मांडले (बर्मा) की जेल में अपनी कैद के दौरान लिखी थी, जो वर्ष 1915 में प्रकाशित हुई।

☀ जेल की कोठरियों में लिखी गई गीता की व्याख्याएँ

गीता की कई महान व्याख्याएँ कठिन परिस्थितियों में जन्मीं। तिलक की "गीता रहस्य" मांडले जेल में लिखी गई। इसी तरह **आचार्य विनोबा भावे** ने 1932 में **धुळे (महाराष्ट्र) की जेल** में साथी कैदियों के सामने हर रविवार गीता पर प्रवचन दिए। उनके साथी **साने गुरुजी** ने इन प्रवचनों को लिख लिया, जो बाद में "**गीता प्रवचन**" नाम से प्रकाशित हुए और अनेक भाषाओं में अनुवादित होकर करोड़ों लोगों तक पहुँचे।

महात्मा गांधी ने गीता का गुजराती अनुवाद और टीका "**अनासक्ति योग**" (1929) के नाम से लिखी, और गीता को अपनी "माता" कहा। तेरहवीं शताब्दी में संत **ज्ञानेश्वर** ने गीता की मराठी व्याख्या "**ज्ञानेश्वरी**" (1290 ई., नेवासा) लिखी, जिससे यह ज्ञान संस्कृत न जानने वाले आम लोगों तक पहुँचा। **श्री अरविंद** की "एसेज़ ऑन द गीता" (Essays on the Gita) ने इसे आध्यात्मिक-राष्ट्रवादी दृष्टि दी — यानी उन्होंने गीता को केवल व्यक्तिगत मुक्ति का नहीं, बल्कि राष्ट्र के जागरण और कर्तव्य-भावना का ग्रंथ भी बताया। (श्री अरविंद पहले स्वतंत्रता-सेनानी थे और बाद में पुडुचेरी में योगी-दार्शनिक के रूप में रहे।)

गीता के प्रमुख व्याख्याकार — किसने किस योग पर बल दिया



चित्र 4.5: गीता के प्रमुख व्याख्याकार — किसने किस योग पर बल दिया

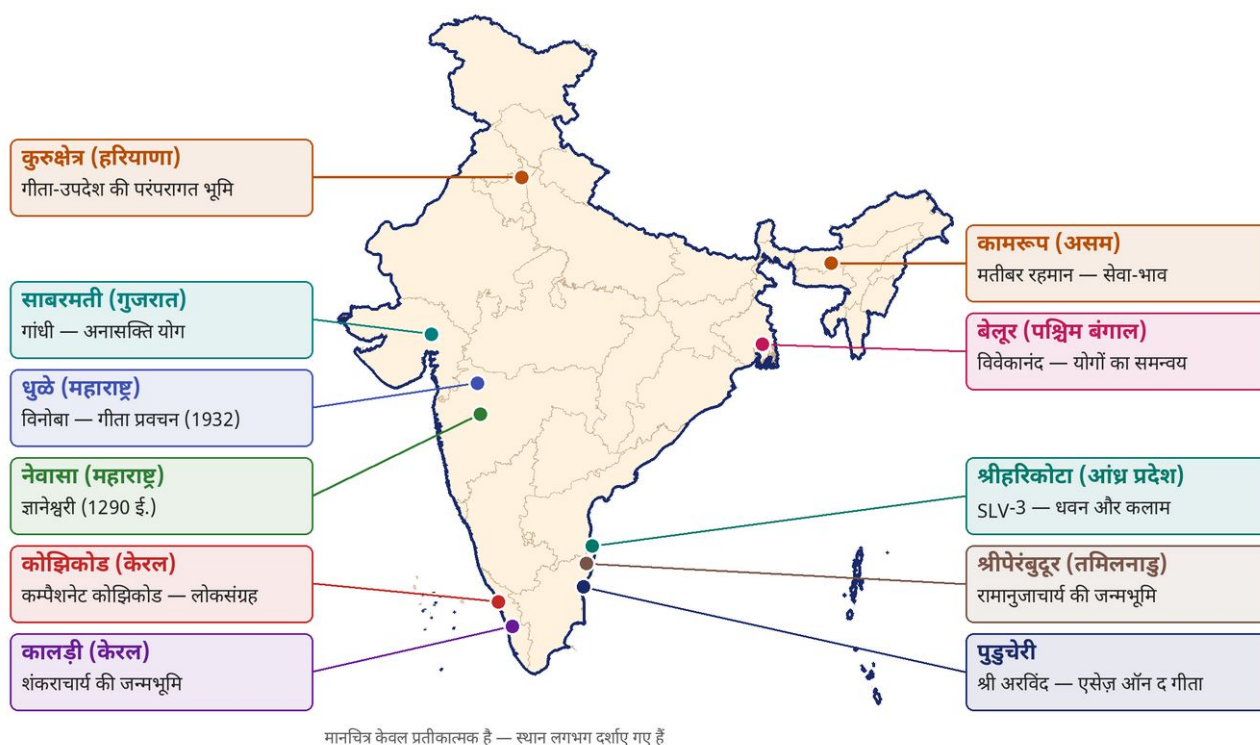
“ जब संदेह मुझे घेर लेते हैं, जब निराशा मेरे सामने खड़ी होती है और क्षितिज पर आशा की एक भी किरण दिखाई नहीं देती, तब मैं भगवद्गीता की ओर मुड़ता हूँ और मुझे सांत्वना देने वाला कोई न कोई श्लोक मिल जाता है। (When doubts haunt me, when disappointments stare me in the face, and I see not one ray of hope on the horizon, I turn to Bhagavad Gita and find a verse to comfort me.) ” — महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi), यंग इंडिया, 1925

1.4 गीता से प्रभावित कुछ प्रमुख व्यक्तित्व

- ◆ जर्मन दार्शनिक विल्हेम फॉन हम्बोल्ट (Wilhelm von Humboldt) ने गीता के बारे में लिखा — 'यह अब तक किसी भी ज्ञात भाषा में रचित सबसे सुंदर, शायद एकमात्र सच्चा दार्शनिक गीत है।' (यह उद्धरण अक्सर गलती से हेगेल के नाम से भी प्रचलित हो जाता है, जबकि वास्तव में हम्बोल्ट के इस निबंध पर हेगेल की टिप्पणी कहीं अधिक आलोचनात्मक और मिश्रित थी।)
- ◆ परमाणु वैज्ञानिक जे. रॉबर्ट ओपेनहाइमर (मैनहटन प्रोजेक्ट के वैज्ञानिक निदेशक) ने गीता के अध्याय 11, श्लोक 32 का हवाला देकर परमाणु बम पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी — 'अब मैं काल (मृत्यु) बन गया हूँ, लोकों का नाश करने वाला।' ध्यान रहे — यह चर्चित उद्धरण उन्होंने वर्ष 1965 के एक टीवी साक्षात्कार में, ट्रिनिटी परीक्षण (जुलाई 1945) को याद करते हुए दिया था — यानी यह घटना के तुरंत बाद का बयान नहीं, बल्कि वर्षों बाद की एक स्मृति है, जो समय के साथ लोकप्रिय मिथक में बदल गई।
- ◆ भारत में ब्रिटिश शासन के पहले गवर्नर-जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1785 में चार्ल्स विल्किंस द्वारा किए गए गीता के पहले अंग्रेज़ी अनुवाद की भूमिका में लिखा था कि गीता का ज्ञान तब भी जीवित रहेगा, जब ब्रिटिश साम्राज्य का नामोनिशान तक मिट चुका होगा।
- ◆ ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ब्रिटिश संसद (हाउस ऑफ कॉमन्स) में सांसद पद की शपथ भगवद्गीता पर हाथ रखकर ली थी।
- ◆ अंतरिक्ष-यात्री सुनीता विलियम्स और पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम — दोनों को गीता से गहरी प्रेरणा मिलने की बात अक्सर कही जाती है।
- ◆ यह व्यापक रूप से कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद अपने साथ हमेशा केवल दो पुस्तकें रखते थे — भगवद्गीता और 'द इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट' (The Imitation of Christ) — हालाँकि यह किस्सा मुख्यतः लोक-स्मृति व जीवनी-साहित्य में मिलता है, इसके हर विवरण के साथ प्रामाणिक ऐतिहासिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है।

New India Education by Omkar Sir

गीता की परंपरा और इस अध्याय की सच्ची कहानियों का भारत-मानचित्र



चित्र 4.6: गीता की परंपरा और इस अध्याय की सच्ची कहानियों का भारत-मानचित्र

गीता की वैश्विक प्रासंगिकता: ओपेनहाइमर और हेस्टिंग्स के उदाहरण गीता की वैश्विक प्रासंगिकता के सबसे सशक्त प्रमाण हैं। ओपेनहाइमर के प्रसंग में सही श्लोक (11:32) और सही संदर्भ याद रखना ज़रूरी है — यह उद्धरण उन्होंने 1965 के एक साक्षात्कार में याद करते हुए दिया था, परीक्षण के समय की तात्कालिक प्रतिक्रिया के रूप में नहीं।

2. अर्जुन की नैतिक दुविधा (अध्याय 1: अर्जुन विषाद योग)

गीता का जन्म एक भीषण नैतिक दुविधा से हुआ — धर्म की रक्षा के लिए अपने ही परिजनों, गुरुओं व स्वजनों से युद्ध करना। यह किसी भी प्रशासनिक दुविधा का एक शक्तिशाली प्रतीक है, जहाँ कर्तव्य और व्यक्तिगत/पारिवारिक संबंध आमने-सामने आ जाते हैं।

अर्जुन के संकट पर कृष्ण के तीन केंद्रीय उपदेश: (1) **व्यक्तिगत मोह से ऊपर कर्तव्य (धर्म)** — कर्तव्य मानव-जीवन का अभिन्न अंग है और उसे बिना व्यक्तिगत पूर्वाग्रह या भावनात्मक हस्तक्षेप के निभाना चाहिए; (2) **निःस्वार्थ कर्म** — व्यक्ति निजी लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज के बड़े हित के लिए कर्म करे; (3) **अनासक्ति** — भौतिक इच्छाओं से अलगाव और अपने स्वभाव तथा नैतिक दायित्वों के अनुरूप आचरण। ये तीनों उपदेश आज के किसी भी अधिकारी की उस दुविधा का उत्तर हैं, जहाँ रिश्ते और कर्तव्य आमने-सामने हों।

धर्म की रक्षा (Duty to Dharma)	परिवार की रक्षा (Duty to Family)
◆ अन्याय के खिलाफ लड़ना आवश्यक था।	◆ अपने ही गुरुओं व परिजनों के विरुद्ध शस्त्र उठाना पड़ता।
◆ धृतराष्ट्र का शासन अधर्म पर टिका था।	◆ भीष्म, द्रोणाचार्य जैसे आदरणीयों का वध करना पड़ता।
◆ युद्ध से दूर भागना कायरता मानी जाती।	◆ युद्ध में समूचे कुल के नाश की आशंका थी।
◆ "स्वधर्मं निधनं श्रेयः" — अपने कर्तव्य में मृत्यु भी श्रेष्ठ है।	◆ व्यक्तिगत भावनाओं व मोह का भारी दबाव था।

अर्जुन की दुविधा — दो कर्तव्यों का टकराव

धर्म की रक्षा	बनाम	परिवार की रक्षा
अन्याय का विरोध आवश्यक	मूल तर्क	अपनों का वध पाप
अधर्म पर टिका शासन	सामने	भीष्म, द्रोण जैसे आदरणीय
अन्याय की जीत	परिणाम का डर	कुल-नाश, समाज में अव्यवस्था
कानून और कर्तव्य	आज का रूप	रिश्ते और सामाजिक दबाव
कर्तव्य सर्वोपरि	गीता का उत्तर	मोह छोड़ो, पर करुणा नहीं

चित्र 4.7: अर्जुन की दुविधा — दो कर्तव्यों का टकराव

 **प्रशासनिक सादृश्य:** अर्जुन की दुविधा को आज के संदर्भ में ऐसे समझा जा सकता है — जब एक IAS या RPS अधिकारी को किसी प्रभावशाली परिजन या करीबी परिचित के खिलाफ ही कानूनी कार्रवाई करनी पड़े। गीता का उत्तर स्पष्ट है — कर्तव्य को व्यक्तिगत संबंधों से ऊपर रखा जाना चाहिए, भले ही यह भावनात्मक रूप से कितना भी कठिन क्यों न हो।

आज का अर्जुन — एक कल्पना

कल्पना कीजिए एक युवा IAS अधिकारी की, जिसे अपनी पहली पोस्टिंग में ही यह आदेश मिलता है कि वह अपने ही किसी करीबी परिचित या प्रभावशाली रिश्तेदार की अवैध खनन गतिविधि के खिलाफ कार्रवाई करे। एक तरफ कानून और कर्तव्य है, दूसरी तरफ पारिवारिक-सामाजिक दबाव और रिश्तों का बोझ। ठीक यही दुविधा, परंपरागत मान्यता के अनुसार हजारों वर्ष पहले, कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के सामने खड़ी थी — जब उसे अपने ही गुरुओं और परिजनों के खिलाफ युद्ध करना था। अर्जुन का यह 'संकट' ही भगवद्गीता के जन्म का कारण बना। यही कारण है कि गीता को सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक ऐसी व्यावहारिक 'प्रशासनिक नियमावली' कहा जाता है, जो आज भी किसी अधिकारी को अपने कर्तव्य और व्यक्तिगत संबंधों के बीच सही रास्ता चुनने में मदद कर सकती है।

3. निष्काम कर्मयोग (Nishkama Karma) — फल की इच्छा के बिना कर्तव्य

गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक

"कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि॥" (अध्याय 2, श्लोक 47) — अर्थात्, तुम्हें अपना निर्धारित कर्तव्य करने का अधिकार है, परंतु फल पाने का अधिकार नहीं। कर्मफल की कामना के लिए प्रेरित मत हो, और कर्म न करने में भी आसक्त मत रहो।

आसान परिभाषा: निष्काम कर्म (Nishkama Karma)

 **परिभाषा:** बिना किसी फल, पुरस्कार या प्रशंसा की चाह के, केवल अपने कर्तव्य की भावना से कर्म करना।

 **आसान भाषा में:** जैसे एक माँ अपने बच्चे की देखभाल किसी इनाम की उम्मीद में नहीं, बल्कि इसलिए करती है क्योंकि यह उसका स्वाभाविक कर्तव्य है — फल (बच्चे का भविष्य कैसा बनेगा) उसके हाथ में नहीं, पर देखभाल करना उसके हाथ में है।  **उदाहरण:** एक ईमानदार अधिकारी सिर्फ इसलिए सही फैसला नहीं लेता कि इससे उसे पदोन्नति या प्रशंसा मिलेगी, बल्कि इसलिए लेता है क्योंकि यह उसका कर्तव्य है — चाहे बदले में तबादला ही क्यों न झेलना पड़े।

कर्म का त्याग नहीं, कर्म में त्याग: निष्काम कर्म का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति लक्ष्य ही न रखे या परिणाम की परवाह ही न करे। इसका अर्थ है कि वह परिणाम को ध्यान में रखकर पूरी योजना और मेहनत से काम करे, पर परिणाम के प्रति **आसक्ति** (Attachment) न रखे — यानी सफलता मिले तो घमंड नहीं, विफलता मिले तो निराशा नहीं, और फल के लालच में गलत साधन भी नहीं। गीता कहती है — "नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः" (3.8) — अपना निर्धारित कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है।

आसान परिभाषा: अनासक्ति (Non-Attachment)

 **परिभाषा:** कर्म करते हुए उसके परिणाम, पुरस्कार, प्रशंसा या स्वार्थ से मन को न बाँधना — यानी कर्म को पूरी निष्ठा से करना पर उसके फल पर अपना मानसिक अधिकार न जमाना।

 **आसान भाषा में:** काम पूरे मन से करो, पर "मुझे क्या मिलेगा" की चिंता को मन पर हावी मत होने दो।  **उदाहरण:** एक क्रिकेट अंपायर पूरी सावधानी से हर निर्णय देता है, पर उसे इससे कोई मतलब नहीं कि कौन-सी टीम जीतेगी — यही अनासक्ति है।

3.1 निष्काम कर्म से मिलने वाली पाँच स्वतंत्रताएँ

स्वतंत्रता	अर्थ	प्रशासनिक उपयोग
आसक्ति (Attachment) से मुक्ति	फल की चिंता और व्याकुलता से मुक्ति।	पदस्थापन (Posting), पदोन्नति (Promotion) व प्रशंसा की चाह से मुक्त होकर काम करना।
अकर्मण्यता से मुक्ति	'क्लैव्यं मा स्म गमः' — कायरता और लालफीताशाही (Red Tapism) का त्याग।	टालमटोल व निष्क्रियता (Apathy) को दूर करना।
क्रोध से मुक्ति	अपेक्षित परिणाम न मिलने पर भी क्रोध न आना।	एक कुंठित, चिड़चिड़े अधिकारी (Frustrated Officer) बनने से बचाव।
अहंकार से मुक्ति	'यस्य नाहंकृतो भावः' — 'मैं ही कर्ता हूँ' की भावना का त्याग।	अधिकारी खुद को जनता का सेवक समझे, शासक नहीं।
कर्महीनता से मुक्ति	'कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः' — कुछ न करने से बेहतर है कर्म करना।	प्रशासनिक निष्क्रियता (Bureaucratic Inaction) से बचाव।

निष्काम कर्म — पाँच स्वतंत्रताएँ

निष्काम कर्म

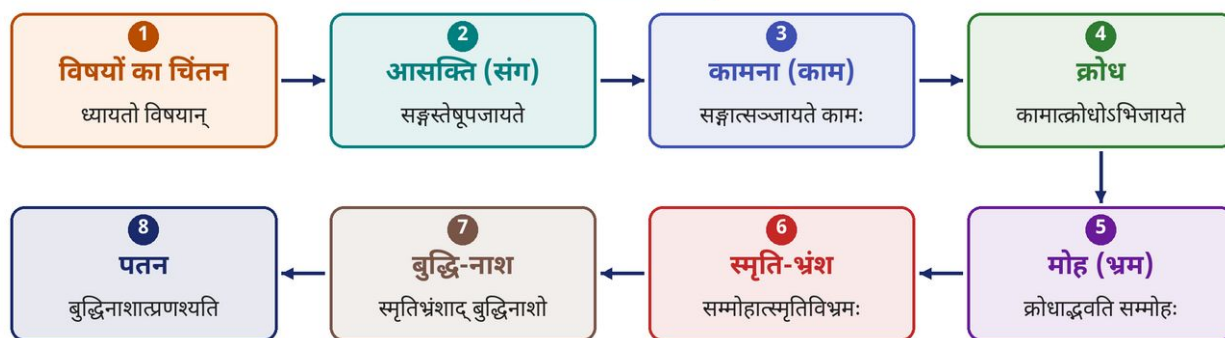


चित्र 4.8: निष्काम कर्म — पाँच स्वतंत्रताएँ

- ◆ महात्मा गांधी ने निष्काम कर्म को 'अनासक्ति (Non-Attachment)' कहा — परिणाम को ईश्वर या नियति पर छोड़कर, केवल कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करना।
- ◆ आधुनिक प्रबंधन-चिंतन में इसे कई बार 'वर्तमान क्षण में जीना और परिणाम की चिंता छोड़ना (Not Attached To Outcome)' जैसी अवधारणाओं से भी जोड़ा जाता है।

💡 **दुष्चक्र (Vicious Cycle) — गीता के अनुसार पतन का क्रम:** गीता बताती है कि विषयों का चिंतन → आसक्ति → इच्छाओं व वासना (काम) की प्रधानता → क्रोध → बौद्धिक भ्रम (सम्मोह) → स्मृति-भ्रम → विवेक (बुद्धि) का नाश — इस तरह एक दुष्चक्र चलता रहता है (अध्याय 2, श्लोक 62-63 पर आधारित)। निष्काम कर्म इसी चक्र को शुरुआत में ही तोड़ने की कुंजी है।

पतन की सीढ़ी — गीता 2.62-63



चित्र 4.9: पतन की सीढ़ी — गीता 2.62-63

इस सीढ़ी का प्रशासनिक अर्थ: किसी अधिकारी का पतन अचानक नहीं होता। पहले वह किसी सुविधा या लाभ के बारे में बार-बार सोचता है (चिंतन), फिर उसका मोह जागता है (आसक्ति), फिर उसे पाने की इच्छा बनती है (कामना); जब कोई बाधा आती है तो क्रोध आता है, क्रोध से विवेक धुंधला होता है, सही-गलत की याद मिट जाती है और अंत में बुद्धि ही नष्ट हो जाती है — यहीं भ्रष्टाचार जन्म लेता है। इसलिए गीता का उपाय पहली सीढ़ी पर ही रुकना है — विचारों पर नियंत्रण।

📖 कहानी: "कागज़ी आँकड़े" — एक विकास अधिकारी और रैंकिंग का दबाव

बाड़मेर ज़िले की एक पंचायत समिति के विकास अधिकारी रमेश (काल्पनिक नाम) पर ज़िले से लगातार दबाव था — "आपकी पंचायत समिति खुले में शौच से मुक्त (ODF) घोषित होने में सबसे पीछे है, इस महीने के अंत तक 100% दिखाइए, वरना ज़िले की रैंकिंग गिर जाएगी।" कुछ ग्राम सचिवों ने सुझाव दिया — "साहब, आधे शौचालयों की बस दीवारें खड़ी हैं, पर फ़ोटो खिंच गए हैं। रिपोर्ट में पूरा दिखा देते हैं, बाक़ी अगले महीने बन जाएंगे।"

रमेश के सामने दुविधा थी। एक ओर उनकी अपनी वार्षिक रिपोर्ट, अधिकारियों की नाराज़गी और "अक्षम" कहलाने का डर; दूसरी ओर यह सच कि कागज़ पर पूरा दिखते ही योजना का पैसा रुक जाएगा, और जिन परिवारों के शौचालय अधूरे हैं, वे हमेशा के लिए छूट जाएंगे। उन्हें गीता का वह श्लोक याद आया जो उनकी माँ रोज़ सुबह पढ़ती थीं — "कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।"

रमेश ने सच्ची रिपोर्ट भेजी — 71% — और साथ में एक चार हफ़्ते की ठोस कार्ययोजना भी: अधूरे शौचालयों की गाँव-वार सूची, हर गाँव के लिए जिम्मेदार कर्मचारी, स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं की निगरानी-टोली, और पानी की कमी वाले गाँवों के लिए टाँके (जल-संग्रह) से जोड़ने का प्रस्ताव। ज़िले की बैठक में उन्हें फटकार मिली। वे शांत रहे और केवल अपनी कार्ययोजना रखी।

छह हफ़्ते बाद उनकी पंचायत समिति वास्तव में ODF हुई — और जब राज्य स्तर से अचानक भौतिक सत्यापन (Physical Verification) की टीम आई, तो ज़िले की कई पंचायत समितियों के "100%" आँकड़े ग़लत निकले, पर रमेश की हर रिपोर्ट सही मिली। अगले वर्ष उन्हें ज़िले की निगरानी-समिति का संयोजक बनाया गया। रमेश ने अपनी डायरी में लिखा — "रैंकिंग फल थी; शौचालय कर्म था। मैंने कर्म चुना, फल अपने आप आ गया।"

🔑 इस कहानी से सीख: निष्काम कर्म का अर्थ परिणाम की उपेक्षा नहीं, बल्कि परिणाम की आसक्ति में ग़लत साधनों से बचना है। लक्ष्य-आधारित दबाव (रैंकिंग, आँकड़े) अक्सर अधिकारियों को कागज़ी सफलता की ओर धकेलता है; गीता सिखाती है कि सच्चा कर्म, ईमानदार रिपोर्टिंग और ठोस योजना ही स्थायी सफलता देते हैं।

निष्काम कर्मयोग — सार: मूल श्लोक (2.47), पाँच स्वतंत्रताओं में से आसक्ति और अकर्मण्यता से मुक्ति, और गांधीजी की 'अनासक्ति' वाली व्याख्या — ये तीनों मिलकर निष्काम कर्म की अवधारणा को पूरी तरह स्पष्ट कर देते हैं।

4. स्थितप्रज्ञ (Sthita Pragya) — स्थिर बुद्धि वाला प्रशासक

☀ स्थितप्रज्ञ को परिभाषित करने वाला श्लोक

"दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः। वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते॥" (अध्याय 2, श्लोक 56) — अर्थात्, जिसका मन दुःखों में विचलित नहीं होता, जिसे सुखों की लालसा नहीं, और जो आसक्ति, भय व क्रोध से मुक्त है — वही स्थितप्रज्ञ (स्थिर बुद्धि वाला) कहलाता है।

🔍 आसान परिभाषा: स्थितप्रज्ञ (Sthita Pragya)

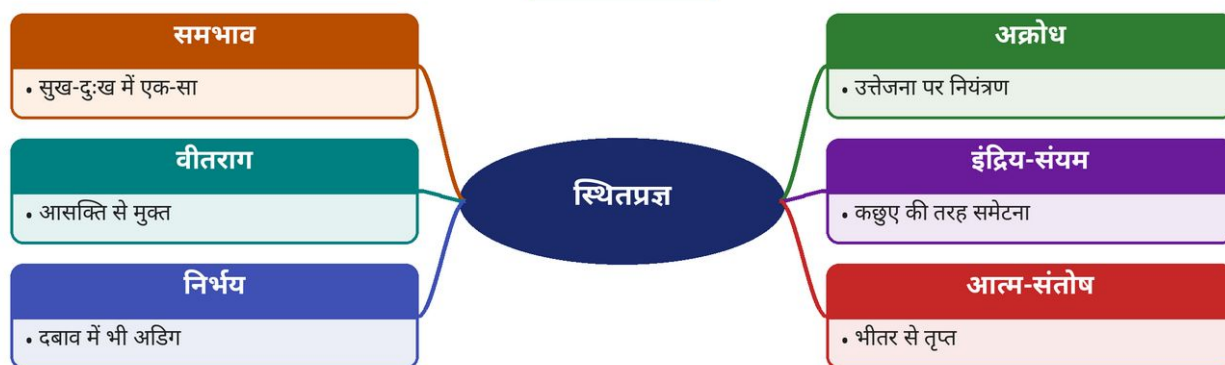
📖 परिभाषा: वह व्यक्ति जिसकी बुद्धि सुख-दुःख, लाभ-हानि, जय-पराजय — हर परिस्थिति में स्थिर व संतुलित बनी रहती है, और जो आसक्ति, भय व क्रोध जैसी अस्थिर करने वाली भावनाओं से मुक्त है।

💡 आसान भाषा में: जैसे एक अनुभवी पायलट खराब मौसम में भी घबराता नहीं, बल्कि शांत मन से सोच-समझकर विमान उतारता है — उसकी बुद्धि परिस्थिति के दबाव में डगमगाती नहीं। 🏠 उदाहरण: दंगे जैसी आपात-स्थिति में एक स्थितप्रज्ञ अधिकारी न तो घबराकर ग़लत निर्णय लेता है, न ही अहंकार में आकर अनुचित बल-प्रयोग करता है — वह शांत मन से स्थिति का आकलन कर संतुलित निर्णय लेता है।

4.1 स्थितप्रज्ञ के लक्षण — गीता के अनुसार

श्लोक (भावार्थ)	लक्षण	सरल अर्थ
"समदुःखसुखं धीरम्"	सम भाव	सुख-दुःख में एकसमान रहने वाला — धैर्यवान।
"सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ"	समत्व	लाभ-हानि, जय-पराजय में समभाव रखना।
"सिद्ध्यसिद्ध्योः समो"	निष्पक्षता	सफलता-असफलता में भी मन समान रहे।
"अनुद्विग्नमनाः"	मानसिक स्थिरता	मन कभी विचलित या परेशान नहीं होता।
"नाभिनन्दति न द्वेष्टि"	तटस्थता	न शुभ पर अति-प्रसन्नता, न अशुभ पर दुःख।
"वीतरागभयक्रोधः"	त्रि-मुक्ति	आसक्ति, भय और क्रोध — तीनों से मुक्त।

स्थितप्रज्ञ — स्थिर बुद्धि वाले के लक्षण



चित्र 4.10: स्थितप्रज्ञ — स्थिर बुद्धि वाले के लक्षण

4.2 स्थितप्रज्ञ का प्रशासन में उपयोग

प्रशासनिक कौशल	स्थितप्रज्ञ से यह कौशल कैसे मिलता है
प्रभावी निर्णय-क्षमता (Effective Decision Making)	संकटकाल में भी तार्किक और उचित निर्णय — दबाव में आए बिना।
भावनात्मक बुद्धिमत्ता (Emotional Intelligence)	सुख-दुःख में एकसमान रहने से दूसरों की भावनाओं को बेहतर समझ पाना।
विवाद-समाधान (Conflict Resolution)	क्रोध व आसक्ति से मुक्त होने पर विवाद सुलझाना आसान हो जाता है।
तनाव-प्रबंधन (Stress Management)	दंगों व आपदाओं जैसी स्थितियों में भी मानसिक स्थिरता बनाए रखना।
निष्पक्ष नेतृत्व (Impartial Leadership)	न किसी से विशेष प्रेम, न द्वेष — भाई-भतीजावाद (Nepotism) से मुक्ति।
अनुकूलनशीलता (Adaptability)	"वासांसि जीर्णानि" — जैसे पुराने वस्त्र त्यागकर नए पहनते हैं, वैसे ही नई पोस्टिंग/विभाग में तुरंत ढल जाना।

स्थितप्रज्ञ और भावनात्मक बुद्धिमत्ता: आधुनिक मनोविज्ञान में जिसे **भावनात्मक बुद्धिमत्ता (Emotional Intelligence)** कहा जाता है — अपनी भावनाओं को पहचानना, उन्हें नियंत्रित करना और दूसरों की भावनाओं को समझना — उसका बहुत पुराना और गहरा रूप गीता का स्थितप्रज्ञ है। गीता कहती है — "उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्" (6.5) — मनुष्य स्वयं ही अपना उद्धार करे, स्वयं को नीचे न गिरने दे; क्योंकि मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका शत्रु।

📖 कहानी: "भीड़ के सामने शांत मन" — एक SDM की सबसे लंबी रात

झालावाड़ ज़िले के एक उपखंड के सरकारी अस्पताल में प्रसव के दौरान एक युवा माँ की मृत्यु हो गई। खबर फैलते ही सैकड़ों लोग अस्पताल के बाहर जमा हो गए। परिजन आरोप लगा रहे थे कि डॉक्टर समय पर नहीं आए। कुछ लोग पथराव पर उतारू थे, और भीतर डॉक्टर-नर्स डर के मारे कमरों में बंद थे। उपखंड अधिकारी **अनुराधा** (काल्पनिक नाम) रात ग्यारह बजे वहाँ पहुँचीं।

भीड़ में से किसी ने उन पर चिल्लाकर कहा — "आप भी इन्हीं की तरफ़ हैं!" एक युवक ने उनकी गाड़ी पर हाथ मारा। उनके साथ आए एक कर्मचारी ने कहा — "मैडम, पुलिस बल बुलाकर भीड़ हटवा देते हैं।" अनुराधा जानती थीं कि बल-प्रयोग से आग और भड़केगी; और यह भी कि उनके अपने मन में उस युवक के व्यवहार पर गुस्सा था। उन्होंने कुछ पल आँखें बंद कीं, गहरी साँस ली और गीता का वह श्लोक मन में दोहराया जो प्रशिक्षण के दिनों से उनकी डायरी में लिखा था — "दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः। वीतरागभयक्रोधः..."

वे गाड़ी से उतरिं, बिना माइक के, परिजनों के पास ज़मीन पर बैठ गईं और सबसे पहले मृत महिला के पति का हाथ पकड़कर कहा — "मुझे आपकी पत्नी के जाने का गहरा दुःख है। मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊँगी, जब तक आपको हर सवाल का जवाब न मिल जाए।" उन्होंने वहीं तीन घोषणाएँ कीं — ज़िला स्तर के विशेषज्ञ डॉक्टरों की जाँच समिति, जो 72 घंटे में रिपोर्ट देगी; परिजनों की इच्छा पर वीडियो-रिकॉर्डिंग में पोस्टमार्टम; और नियमानुसार तत्काल आर्थिक सहायता। साथ ही उन्होंने स्पष्ट कहा कि अस्पताल-कर्मियों पर हिंसा भी अपराध है और कोई भी क़ानून हाथ में न ले।

भीड़ धीरे-धीरे शांत हो गई। सुबह चार बजे जब वे लौटीं, तब तक न कोई घायल हुआ था, न कोई गिरफ़्तारी हुई थी। जाँच में ड्यूटी-रोस्टर की लापरवाही सामने आई, जिस पर कार्रवाई हुई और अस्पताल में रात्रि-ड्यूटी की नई व्यवस्था बनी। महीनों बाद उसी युवक ने, जिसने गाड़ी पर हाथ मारा था, एक जनसुनवाई में आकर माफ़ी माँगी और कहा — "उस रात आप भी गुस्सा हो जातीं, तो पता नहीं क्या हो जाता।"

🔑 **इस कहानी से सीख:** स्थितप्रज्ञता का अर्थ भावनाहीन होना नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं (क्रोध, भय) पर नियंत्रण रखकर दूसरों की भावनाओं (शोक, आक्रोश) को समझना है। संकट में शांत मन, समानुभूति, पारदर्शी घोषणाएँ और क़ानून के प्रति दृढ़ता — यही स्थितप्रज्ञ प्रशासक की पहचान है।

अन्य परंपराओं में स्थितप्रज्ञ जैसा भाव: बौद्ध धर्म में उपेक्खा (Upekkha — जीवन के उतार-चढ़ाव में समभाव) को चार ब्रह्मविहारों में गिना गया है — मेत्ता (मैत्री), करुणा, मुदिता (दूसरों की खुशी में निःस्वार्थ प्रसन्नता) और उपेक्खा। गीता का "समत्वं योग उच्यते" और बुद्ध की उपेक्खा — दोनों एक ही सत्य की ओर संकेत करते हैं: बाहरी परिस्थिति चाहे जैसी हो, भीतर का संतुलन नहीं डगमगाना चाहिए।

 **ध्यान रहे:** स्थितप्रज्ञ की अवधारणा की तुलना कई बार अंग्रेजी कवि रुडयार्ड किपलिंग की प्रसिद्ध कविता 'If—' से भी की जाती है, क्योंकि दोनों में विपरीत परिस्थितियों में भी संयम बनाए रखने का भाव समान दिखता है। हालाँकि ऐतिहासिक रूप से किपलिंग ने स्वयं बताया था कि यह कविता उन्होंने लीएंडर स्टार जेमिसन (Leander Starr Jameson) के जीवन से प्रेरित होकर लिखी थी, गीता से नहीं — इसलिए इसे 'गीता से सीधे प्रेरित' कहने के बजाय 'भाव-साम्य रखने वाला' उदाहरण कहना अधिक सटीक रहेगा। भारतीय क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी को अक्सर 'कैप्टन कूल' कहा जाना — यह स्थितप्रज्ञ नेतृत्व का एक सहज-बोधगम्य लोकप्रिय उदाहरण है।

प्रशासनिक उत्तरदायित्व में स्थितप्रज्ञ की भूमिका: स्थितप्रज्ञ अधिकारी संकट और दबाव में भी संतुलित निर्णय लेता है। उसकी यह क्षमता आधुनिक भावनात्मक बुद्धिमत्ता (Emotional Intelligence) और तनाव-प्रबंधन (Stress Management) के समान है — यही उसे प्रभावी और विश्वसनीय प्रशासक बनाती है।

5. स्वधर्म और परधर्म (Swadharma and Paradharma)

मूल श्लोक

"स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः।" (अध्याय 3, श्लोक 35) — अर्थात्, अपने निर्धारित कर्तव्य (स्वधर्म) का पालन करते हुए मृत्यु को प्राप्त होना भी बेहतर है, दूसरे के मार्ग (परधर्म) का अनुसरण करना खतरनाक है।

आसान परिभाषा: स्वधर्म एवं परधर्म

 **परिभाषा:** स्वधर्म = अपनी प्रकृति, योग्यता, स्थिति और पद के अनुसार निर्धारित कर्तव्य। परधर्म = किसी दूसरे का कर्तव्य, जो अपनी प्रकृति के विपरीत है, फिर भी उसे अपना लेना।

 **आसान भाषा में:** जैसे एक कुशल शिक्षक अगर पढ़ाना छोड़कर सिर्फ व्यापार करने लगे (जो उसका स्वधर्म नहीं), तो न वह अच्छा व्यापारी बन पाएगा, न उसने जो असली काम सीखा था वह आगे बढ़ पाएगा।  **उदाहरण:** एक प्रशासक का स्वधर्म है — संविधान का पालन करना, जनसेवा करना और आचार संहिता का सम्मान करना। यदि वह इसके बजाय किसी राजनीतिक दल का पक्ष लेने लगे (जो उसका परधर्म है), तो यह उसके पद की मूल भावना के विरुद्ध है।

◆ गीता के अनुसार — "कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि" (2.33) — कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि तुम यह धर्मयुद्ध नहीं करोगे तो अपना कर्तव्य और कीर्ति खोकर पाप के भागी बनोगे। यानी स्वधर्म का पालन न करने पर व्यक्ति को पाप और अपयश, दोनों प्राप्त होते हैं।

◆ "सम्भावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते" (2.34) — सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश (बदनामी), मृत्यु से भी बुरा माना गया है। एक अधिकारी के लिए इसका अर्थ है कि कर्तव्य से भागकर मिली बदनामी, कर्तव्य निभाने में आने वाले किसी भी कष्ट से बड़ा नुकसान है।

व्यक्ति	स्वधर्म (Swadharma)	परधर्म (Paradharma) का उदाहरण
प्रशासक (Administrator)	संविधान का पालन, जनसेवा, आचार संहिता का सम्मान।	किसी राजनीतिक दल का पक्ष लेना, भ्रष्टाचार में लिप्त होना।
पुलिस अधिकारी	कानून-व्यवस्था बनाए रखना, अपराध नियंत्रण, BNS/BNSS का पालन।	अपराधियों से साठ-गाँठ करना।
शिक्षक	ज्ञान प्रदान करना, छात्रों का सही मार्गदर्शन करना।	निजी ट्यूशन पर अधिक ध्यान देकर स्कूल के दायित्व की उपेक्षा करना।
डॉक्टर	जीवन बचाना, चिकित्सा-नैतिकता व नीति का पालन।	चिकित्सा-नैतिकता तोड़ना, अनुचित कमीशन (Kickbacks) लेना।

स्वधर्म बनाम परधर्म

स्वधर्म	बनाम	परधर्म
अपनी प्रकृति, योग्यता, पद	आधार	दूसरे का कर्तव्य या रास्ता
संविधान, जनसेवा, नियम	प्रशासक के लिए	दलगत पक्ष, निजी लाभ
आत्म-संतोष, कीर्ति	परिणाम	भय, अपयश, भ्रम
श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः (18.47)	गीता	परधर्मो भयावहः (3.35)

चित्र 4.11: स्वधर्म बनाम परधर्म

"श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात्" (18.47): अपना कर्तव्य, भले ही उसमें कुछ कमियाँ हों, दूसरे के अच्छी तरह निभाए गए कर्तव्य से श्रेष्ठ है। प्रशासनिक भाषा में इसका अर्थ है — हर संस्था और हर अधिकारी अपनी भूमिका की सीमा में रहकर उसे पूरी निष्ठा से निभाए; न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका का **शक्ति-पृथक्करण** भी इसी "स्वधर्म" की आधुनिक अभिव्यक्ति माना जा सकता है — क्योंकि इसमें विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उन्हें लागू करती है और न्यायपालिका न्याय करती है; कोई भी अंग दूसरे का काम अपने हाथ में नहीं लेता।

◆ लोकसंग्रह (नीचे खंड 6 देखें) भी समाज में रहने वाले हर व्यक्ति का एक तरह से स्वधर्म ही माना जाता है, क्योंकि अपने अच्छे आचरण से समाज को जोड़े रखना और दूसरों के लिए उदाहरण बनना हर व्यक्ति का कर्तव्य है — केवल नेताओं का नहीं।

5.1 धर्म का वास्तविक अर्थ — "धारणाद्धर्म इत्याहुः"

"धर्म" शब्द संस्कृत धातु "धृ" से बना है, जिसका अर्थ है — धारण करना, एक साथ बाँधे रखना, टिकाए रखना और पोषण करना। इसलिए धर्म का शाब्दिक अर्थ है वह सिद्धांत, जो व्यक्ति के जीवन और समाज की व्यवस्था को एक साथ बाँधे रखे — "धारणाद्धर्म इत्याहुः" (जो धारण करे, वही धर्म है)। इस अर्थ में धर्म किसी संप्रदाय का नाम नहीं, बल्कि **सामाजिक और नैतिक व्यवस्था का आधार** है।

चार पुरुषार्थों (धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष) में धर्म हमेशा सबसे पहले आता है, क्योंकि अर्थ और काम की खोज भी नैतिक मूल्यों के अनुरूप होनी चाहिए। एक प्रसिद्ध संस्कृत सूक्ति कहती है कि आहार, निद्रा, भय और काम — ये मनुष्य और पशु में समान हैं; **धर्म ही मनुष्य की विशेषता** है। पूर्वी चिंतन में धर्म का एक अर्थ **प्रकृति के सार्वभौमिक नियमों के अनुरूप आचरण** भी है — भौतिक प्रकृति के भी और मानव-स्वभाव के भी। जब विचार सत्य और शुभ की ओर उन्मुख हो, न कि केवल स्वार्थ की ओर, तो उससे निकला कर्म "धर्म-सम्मत" या "उचित" कहलाता है। इसीलिए गीता कहती है कि **अपना कर्तव्य निभाना ही सबसे बड़ा धर्म** है।

6. लोकसंग्रह (Lok Sangraha) — विश्व-कल्याण

☀ मूल श्लोक

"यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः। स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते॥" (अध्याय 3, श्लोक 21) — अर्थात्, श्रेष्ठ व्यक्ति जो आचरण करता है, सामान्य लोग उसी का अनुसरण करते हैं। वह जो भी मानक स्थापित करता है, सारा समाज उसी का अनुकरण करता है।

🔍 आसान परिभाषा: लोकसंग्रह (Lok Sangraha)

📖 **परिभाषा:** 'लोक' का अर्थ है विश्व/समाज, और 'संग्रह' का अर्थ है एकसाथ बाँधे रखना — अर्थात् सभी लोगों को एक सेवा-भावना और साझा कल्याण के सिद्धांत से जोड़े रखना।

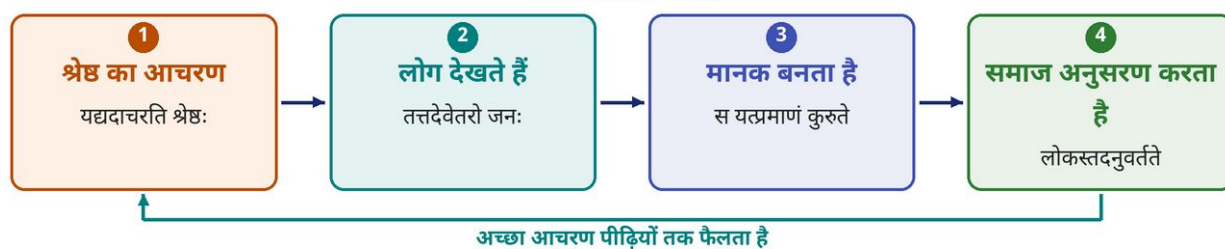
💡 **आसान भाषा में:** जैसे एक कक्षा-मॉनिटर की अनुशासित आदतें देखकर बाकी छात्र भी अनुशासित रहना सीखते हैं — नेता का आचरण पूरे समूह के लिए एक मानक बन जाता है। 🏠 **उदाहरण:** जब कोई वरिष्ठ अधिकारी खुद समय पर दफ्तर आता है और नियमों का ईमानदारी से पालन करता है, तो उसके अधीनस्थ कर्मचारी भी स्वतः वैसा ही आचरण करने लगते हैं — यही लोकसंग्रह का प्रशासनिक रूप है।

◆ "सर्वभूतहिते रताः" (5.25; 12.4) — सभी प्राणियों के कल्याण के प्रति समर्पित रहना। गीता यह गुण ज्ञानी और सच्चे भक्त, दोनों का बताती है; लोकसंग्रह इसी भावना का व्यावहारिक रूप है, जिसमें व्यक्ति अपने कर्म को केवल अपने लिए नहीं, सबके हित के लिए करता है।

◆ लोकसंग्रह की अवधारणा उपयोगितावाद (Utilitarianism — अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख) से भी व्यापक मानी जाती है, क्योंकि यह किसी संख्यात्मक बहुमत तक सीमित न रहकर सार्वभौमिक कल्याण की बात करती है।

◆ "कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः" (अध्याय 3, श्लोक 20) — राजा जनक जैसे महान शासकों ने कर्म करते हुए ही पूर्णता (सिद्धि) प्राप्त की, कर्म त्यागकर नहीं।

लोकसंग्रह कैसे काम करता है — गीता 3.21



चित्र 4.12: लोकसंग्रह कैसे काम करता है — गीता 3.21

“ राजा जनक जैसे महापुरुषों ने कर्म के द्वारा ही सिद्धि प्राप्त की; इसलिए लोकसंग्रह को देखते हुए भी तुम्हें कर्म करना ही चाहिए।
(कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः। लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन्कर्तुमर्हसि॥) ” — भगवद्गीता 3.20

विचारक	लोकसंग्रह की व्याख्या
स्वामी विवेकानंद	दूसरों की भलाई के लिए निःस्वार्थ कर्म करना।
श्री अरविंद	समाज के लोगों को एकसाथ, संगठित रखना।
डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन	विश्व की एकता, समाज की अन्योन्याश्रयता व मानव-भाईचारे पर बल।
वसुधैव कुटुम्बकम्	लोकसंग्रह का विस्तारित रूप — पूरा विश्व ही एक परिवार है।

6.1 प्रशासन में लोकसंग्रह का उपयोग

- ◆ नीतियों का ईमानदार क्रियान्वयन, सुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करना — क्योंकि जब अधिकारी स्वयं नियमों का ईमानदारी से पालन करता है और अपने काम का हिसाब देता है, तो उसके अधीनस्थ और जनता भी उसी आचरण को अपनाते हैं।
- ◆ अंतिम व्यक्ति तक पहुँच (Last Mile Delivery) — यानी योजना का लाभ गाँव-ढाणी के सबसे दूर और सबसे कमजोर व्यक्ति तक पहुँचे; इसके लिए सेवाओं को आसानी से उपलब्ध (Accessibility) बनाना और नागरिकों को अपने अधिकारों की जानकारी देकर सशक्त (Citizen Empowerment) करना ज़रूरी है। लोकसंग्रह का अर्थ ही है कि कोई भी पीछे न छूटे।

लोकसंग्रह का वैश्विक रूप — वसुधैव कुटुम्बकम्: लोकसंग्रह का भाव केवल गाँव या देश तक सीमित नहीं। भारत की **G20 अध्यक्षता (2023)** का मूल विषय था — “**वसुधैव कुटुम्बकम् — एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य**”। सार्वभौमिक भाईचारे और साझा भविष्य के इसी मूल्य ने जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य और सतत विकास जैसी वैश्विक चुनौतियों पर भारत के दृष्टिकोण को दिशा दी। यह दिखाता है कि एक गहराई से आत्मसात किया गया राष्ट्रीय मूल्य अंतरराष्ट्रीय संबंधों और सामूहिक कार्य को भी आकार दे सकता है।

- ◆ सरदार पटेल (देशी रियासतों का भारत में एकीकरण करने वाले पहले गृह मंत्री), सी. राजगोपालाचारी (स्वतंत्र भारत के पहले और एकमात्र भारतीय गवर्नर-जनरल) और एम. विश्वेश्वरैया (मैसूर के दीवान और प्रसिद्ध इंजीनियर) जैसे महान प्रशासकों को भावी पीढ़ी के लिए आदर्श (Role Model) माना जाता है, क्योंकि उनका ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ आचरण आज भी अधिकारियों के लिए मानक का काम करता है — यही लोकसंग्रह है।

🌟 लोकसंग्रह का आधुनिक रूप — “कम्पैशनेट कोझिकोड”

केरल के कोझिकोड ज़िले के कलेक्टर रहे **प्रशांत नायर** ने 2015 में “**कम्पैशनेट कोझिकोड**” (**Compassionate Kozhikode**) नाम से एक पहल शुरू की। इसमें सरकार ने बड़ा बजट नहीं लगाया, बल्कि आम नागरिकों को जोड़ा — “ऑपरेशन सुलैमानी” के तहत भूखे लोगों के लिए होटलों में मुफ्त भोजन के कूपन, सरकारी आश्रय-गृहों के बच्चों और बुजुर्गों के लिए नागरिकों का स्वैच्छिक सहयोग, और ज़रूरतमंदों की सूची से लोगों को सीधे जोड़ना।

एक अधिकारी की पहल ने पूरे शहर को सेवा के लिए प्रेरित कर दिया — यही गीता का **लोकसंग्रह** है: श्रेष्ठ व्यक्ति का आचरण, जो पूरे समाज को एक साझा कल्याण-भावना में बाँध देता है।

🌟 कहानी — जब सेवा-भाव धर्म की सीमाओं से ऊपर उठ गया

असम के कामरूप ज़िले में हाजी मतीबर रहमान (जिन्हें स्थानीय लोग ‘मति काई’ भी कहते हैं) — एक मुस्लिम व्यक्ति — पिछली कई पीढ़ियों (कहा जाता है कि पाँच सौ वर्षों से अधिक — उत्तर गुवाहाटी के रंगमहल गाँव में) से चले आ रहे पारिवारिक दायित्व का निर्वहन करते हुए एक शिव मंदिर की देखभाल करते हैं। वे स्वयं वर्ष 1977 से अपने पिता तैयब अली से यह ज़िम्मेदारी लेकर आज तक इस सेवा में जुटे हैं। धार्मिक पहचान से ऊपर उठकर निभाई गई यह सेवा-भावना ही लोकसंग्रह की सच्ची भावना का एक जीवंत उदाहरण है — जहाँ समाज की भलाई और सामूहिक सद्भाव, संकीर्ण पहचान से बड़ा हो जाता है।

प्रशासन का उद्देश्य जन-कल्याण — लोकसंग्रह: प्रशासन का अंतिम उद्देश्य जन-कल्याण है, और गीता का जो सिद्धांत इसका सबसे सीधा समर्थन करता है, वह लोकसंग्रह ही है। मूल श्लोक (3.21), उपयोगितावाद से इसकी तुलना और हाजी मतीबर रहमान जैसे सामाजिक-सद्भाव के उदाहरण — तीनों मिलकर इसकी पूरी तस्वीर बनाते हैं।

7. गीता के चार योग — मुक्ति के मार्ग

"योगः कर्मसु कौशलम्" (अध्याय 2, श्लोक 50) — अर्थात् कार्यों में कुशलता ही योग है। "समत्वं योग उच्यते" (अध्याय 2, श्लोक 48) — समभाव ही योग है। हर व्यक्ति की अभिरुचि और स्वभाव अलग होते हैं, इसलिए गीता मुक्ति के लिए एक नहीं, बल्कि चार अलग-अलग परंतु परस्पर-पूरक मार्ग सुझाती है।

योग	मुख्य सिद्धांत व श्लोक	प्रशासनिक उपयोग
1. ज्ञान योग (अध्याय 4, 5-6)	बुद्धि और तर्क का मार्ग। "विद्या ददाति विनयम्" (हितोपदेश) — ज्ञान विनम्रता देता है। ज्ञानी अपनी इंद्रियों को कछुए की तरह समेट लेता है ("संहरते कूर्मोऽङ्गानीव")।	संविधान, BNS और आचार संहिता (Code of Conduct) का गहन ज्ञान; अतिथि-व्याख्यान, उच्च-अध्ययन व सहयोग (Collaboration); CPGRAMS (केंद्र सरकार की ऑनलाइन लोक-शिकायत निवारण प्रणाली) जैसी व्यवस्थाओं से जनसमस्याओं का सही ज्ञान प्राप्त करना।
2. कर्म योग (अध्याय 3, 18)	निःस्वार्थ कर्म का मार्ग। "नियतं कुरु कर्म त्वम्" — अपना नियत कर्तव्य करो। "स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः" — अपने-अपने कर्म में तत्पर रहकर ही व्यक्ति सिद्धि पाता है (विवेकानंद, गांधी, तिलक जैसे विचारकों द्वारा विशेष रूप से व्याख्यायित)।	लालफीताशाही, निष्क्रियता व अकुशलता से लड़ना; मिशन कर्मयोगी, 360-डिग्री मूल्यांकन (वरिष्ठ, सहकर्मी व अधीनस्थ — सबकी राय से), ई-गवर्नेंस।
3. भक्ति योग (अध्याय 12)	पूर्ण समर्पण का मार्ग। "पत्रं पुष्पं फलं तोयम्" (9.26) — छोटी सी भेंट भी अगर सच्चे प्रेम व श्रद्धा से दी जाए तो स्वीकार्य है (रामानुजाचार्य व इस्कॉन जैसी परंपराओं द्वारा विशेष रूप से व्याख्यायित)।	न्यूनतम संसाधनों में भी बदलाव लाना — जैसे सामूहिक जन-सहयोग जुटाकर किया गया कोई सामुदायिक कार्य; संविधान के प्रति अगाध निष्ठा।
4. राज योग (अध्याय 6)	ध्यान व प्राणायाम के ज़रिए आत्म-नियंत्रण का मार्ग — श्वास के नियमन (प्राण-अपान — साँस लेना और छोड़ना, 4.29) पर आधारित।	मानसिक स्वास्थ्य व तनाव-प्रबंधन; राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में योग को दिया गया स्थान।

गीता के चार योग — चार स्वभाव, एक लक्ष्य

मुक्ति / पूर्णता

ज्ञान योग

बौद्धिक स्वभाव — विवेक, तर्क

कर्म योग

कर्मठ स्वभाव — निष्काम सेवा

भक्ति योग

भावुक स्वभाव — समर्पण, प्रेम

ध्यान (राज) योग

आत्मनिरीक्षक स्वभाव — मन-संयम

चित्र 4.13: गीता के चार योग — चार स्वभाव, एक लक्ष्य

☀ कहानी — जब एक IAS अधिकारी ने भक्ति-भाव से जन-सहयोग जुटाकर सड़क बनवा दी

मणिपुर के एक IAS अधिकारी आर्मस्ट्रांग पेम ने अपने क्षेत्र में सड़क-निर्माण के लिए सरकारी बजट की प्रतीक्षा करने के बजाय, सोशल मीडिया (फेसबुक) के ज़रिए लोगों से सीधा आह्वान किया। उनकी अपील से प्रेरित होकर देश-विदेश से लगभग ₹40 लाख का जन-सहयोग जुटा, और स्थानीय समुदाय ने मिलकर लगभग 100 किलोमीटर लंबी सड़क बना डाली — जिसे 'पीपल्स रोड' (जनता की सड़क) के नाम से जाना जाता है। यह कहानी दिखाती है कि भक्ति योग जैसा समर्पण-भाव — यहाँ समुदाय के प्रति समर्पण के रूप में — किस तरह न्यूनतम संसाधनों में भी असाधारण बदलाव ला सकता है।

💡 तीनों योगों की अनिवार्य एकता: स्वामी विवेकानंद के अनुसार ज्ञान, कर्म और भक्ति — तीनों योग एक-दूसरे के पूरक हैं, अलग-थलग नहीं। ज्ञान के बिना भक्ति अंधविश्वास बन सकती है, और ज्ञान के बिना किया गया कर्म 'विकर्म' — यानी बिना दिशा व उद्देश्य का यादृच्छिक (Random) कार्य बन सकता है। वहीं कर्म के बिना केवल ज्ञान को एक प्रसिद्ध कहावत के ज़रिए समझाया जाता है — 'वेद ढोने वाला गधा' — यानी सिर्फ ग्रंथ पढ़ लेने भर से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता, उसे आचरण में भी उतारना पड़ता है। गीता अध्याय 12, श्लोक 12 के अनुसार — ज्ञान से बढ़कर ध्यान है, और ध्यान से बढ़कर कर्मफल का त्याग है, क्योंकि त्याग से तुरंत शांति मिलती है।

7.1 आदर्श भक्त के लक्षण — करुणामय प्रशासन का आधार (अध्याय 12)

गीता के बारहवें अध्याय (श्लोक 13-19) में भगवान कृष्ण बताते हैं कि उन्हें कैसा भक्त प्रिय है। ये लक्षण किसी भी धर्म से परे, एक संवेदनशील और करुणामय प्रशासक के लक्षण भी हैं:

“ जो किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं करता, सबका मित्र है, करुणामय है, ममता और अहंकार से रहित है, सुख-दुःख में समान रहता है और क्षमाशील है — वह मुझे प्रिय है। (अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी॥) ” — भगवद्गीता 12.13

- ◆ **अद्वेष्टा (द्वेष-रहित):** किसी शिकायतकर्ता, आलोचक या विरोधी से भी व्यक्तिगत द्वेष न रखना।
- ◆ **मैत्र: करुण: (मित्रवत् और करुणामय):** नागरिक को "फ़ाइल" नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में देखना।
- ◆ **निर्ममो निरहङ्कार: (ममता और अहंकार से मुक्त):** पद को अपनी निजी संपत्ति न समझना और "मैं साहब हूँ" का अहंकार न रखना।
- ◆ **यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च य: (12.15):** जिससे लोग परेशान न हों, और जो लोगों से परेशान न हो — यह जनता के साथ आदर्श संबंध का सबसे सुंदर सूत्र है।

कुछ आधुनिक टिप्पणीकार कर्मयोग की तुलना समाजवादी/साम्यवादी विचारधारा में वर्णित 'निःस्वार्थ मानव' की अवधारणा से भी करते हैं — यह एक विद्वत्तापूर्ण तुलना है, न कि कार्ल मार्क्स का स्वयं गीता पर दिया गया कोई प्रत्यक्ष कथन; अध्ययन में इसे 'कुछ विद्वानों द्वारा की गई तुलना' कहकर ही प्रस्तुत करना उचित रहेगा।

हर योग को एक श्लोक, उसके हिंदी अर्थ और उसके प्रशासनिक अनुप्रयोग के साथ समझना सबसे प्रभावी तरीका है। चारों योगों को केवल सूची के रूप में नहीं, बल्कि चार व्यक्तित्व-प्रकारों (बौद्धिक, कर्मठ, भावुक, आत्मनिरीक्षक) के मार्ग के रूप में समझना चाहिए — यही समझ इस विषय को गहराई देती है।

8. प्रवृत्ति-निवृत्ति, योगक्षेम और आपद धर्म

8.1 प्रवृत्ति और निवृत्ति

प्रवृत्ति धर्म (Pravritti)	निवृत्ति धर्म (Nivritti)
◆ सांसारिक जीवन व सक्रियता की ओर — जिसे गीता (18.30) में निवृत्ति के साथ विवेक से समझने की बात कही गई है।	◆ सांसारिक लक्ष्यों व मोह-माया से क्रमिक विरक्ति।
◆ सत्ता, यश व धन पाने की स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति।	◆ धर्म व आत्मिक नैतिकता को अपने जीवन का केंद्र बनाना।
◆ एक सक्रिय सामाजिक सदस्य के रूप में जीवन जीना।	◆ आत्मिक लक्ष्य (आत्म-साक्षात्कार) की ओर उन्मुख होना।
◆ प्रथम दो आश्रम — ब्रह्मचर्य व गृहस्थ — इसी से जुड़े हैं। कर्म योग का मार्ग — लोकसंग्रह की ओर उन्मुख।	◆ अंतिम दो आश्रम — वानप्रस्थ व संन्यास — इससे जुड़े हैं। ज्ञान योग का मार्ग — त्याग (Renunciation) की ओर उन्मुख।

प्रवृत्ति बनाम निवृत्ति — और गीता का संतुलन

प्रवृत्ति	गीता	निवृत्ति
संसार, सक्रियता	दिशा	विरक्ति, त्याग
लोभ, सत्ता-मोह	खतरा	पलायन, अकर्मण्यता
कर्म करो	गीता का मार्ग	पर आसक्ति छोड़ो
पूरी ऊर्जा से काम	प्रशासक के लिए	पद-लाभ से निर्लिप्तता

चित्र 4.14: प्रवृत्ति बनाम निवृत्ति — और गीता का संतुलन

8.2 योगक्षेम (Yog Kshem) — भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) का आदर्श वाक्य

☀ मूल श्लोक

"योगक्षेमं वहाम्यहम्" (अध्याय 9, श्लोक 22) — योग = अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति करना (अप्राप्तस्य प्रापणम्), क्षेम = प्राप्त वस्तु की रक्षा करना (प्राप्तस्य रक्षणम्), वहाम्यहम् = मैं वहन करता हूँ। अर्थात्, भगवान् अपने सच्चे भक्त के लिए जो कमी है उसे पूरा करते हैं और जो प्राप्त है उसकी रक्षा करते हैं।

- ◆ यही श्लोक भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया गया है — क्योंकि बीमा भी ठीक यही दो काम करता है: भविष्य की कमी को पूरा करना और वर्तमान बचत/संपत्ति की रक्षा करना।
- ◆ किसी RAS/RPS अधिकारी के लिए इसका व्यावहारिक अर्थ है — अपने क्षेत्र में कानून-व्यवस्था व नागरिकों की संपत्ति की रक्षा करना (क्षेम) तथा कल्याणकारी योजनाओं के ज़रिए ज़रूरतमंदों तक नई सुविधाएँ पहुँचाना (योग) — जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना (राजस्थान में सस्ती दरों पर पौष्टिक भोजन) जैसी योजनाएँ, तथा 'नेकी की दीवार' (शीतकालीन वस्त्र-वितरण) जैसी नवाचारी पहलें।

योगक्षेम — कल्याणकारी राज्य के दो काम

योग (अप्राप्त की प्राप्ति)	राज्य	क्षेम (प्राप्त की रक्षा)
जो नहीं है, वह देना	अर्थ	जो है, उसे बचाना
आवास, भोजन, शिक्षा योजनाएँ	उदाहरण	कानून-व्यवस्था, संपत्ति-सुरक्षा
भविष्य की कमी पूरी करना	बीमा में	वर्तमान बचत की रक्षा

चित्र 4.15: योगक्षेम — कल्याणकारी राज्य के दो काम

8.3 योगक्षेम और भारतीय सुशासन की परंपरा

गीता का "योगक्षेम" भारतीय सुशासन-परंपरा के एक बड़े सूत्र का हिस्सा है। कौटिल्य के **अर्थशास्त्र** में भी राजा का धर्म (राजधर्म) प्रजा का योगक्षेम बताया गया है — "प्रजासुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च हिते हितम्" — प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा के हित में ही उसका हित। नीचे की तालिका दिखाती है कि भारतीय ग्रंथों में सुशासन के विचार किस तरह फैले हुए हैं:

स्रोत	सुशासन का सूत्र	आज का रूप
बृहदारण्यक उपनिषद्	धर्म (न्याय) की रक्षा सर्वोपरि	विधि का शासन
मुंडक उपनिषद्	"सत्यमेव जयते" — सत्य की ही विजय	राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, पारदर्शिता
रामायण	रामराज्य — कोई भूखा न रहे, कोई भेदभाव न हो	खाद्य सुरक्षा, समानता
भगवद्गीता	अधिष्ठान — शासन में ज़िम्मेदारी और स्थिरता; योगक्षेम	जवाबदेह संस्थाएँ, कल्याणकारी राज्य
अथर्ववेद (भूमि सूक्त)	प्रकृति के साथ सामंजस्य	सतत विकास, मिशन लाइफ़ (पर्यावरण-अनुकूल जीवन-शैली अभियान)
तिरुक्कुरल (संत तिरुवल्लुवर का तमिल नीति-ग्रंथ)	सामाजिक विकास, संसाधनों का नियमन	संसाधन-प्रबंधन
कौटिल्य का अर्थशास्त्र	योगक्षेम — नागरिक-कल्याण राजा का कर्तव्य	मनरेगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आयुष्मान भारत
अशोक का धम्म	अहिंसा, धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक सद्भाव को राज्य-नीति बनाना	धर्मनिरपेक्ष, कल्याणकारी शासन
गांधी — अंत्योदय	सबसे कमज़ोर व्यक्ति का कल्याण, सर्वोदय की भावना में	लक्षित कल्याणकारी योजनाएँ

अशोक का धम्म — **प्राचीन नैतिक शासन का प्रमाण**: तीसरी शताब्दी ई.पू. के अशोक के अभिलेख इस बात के प्रामाणिक साक्ष्य हैं कि कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने **धम्म** — अहिंसा, धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक सद्भाव की नैतिक संहिता — के आधार पर शासन किया। उनके अधिकारी (धम्म-महामात्र) इन मूल्यों का प्रसार करते थे और सभी प्रजा के कल्याण का लक्ष्य रखते थे। यह सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों को राज्य-नीति में उतारने का बहुत पुराना और गहरा उदाहरण है — ठीक वैसे ही, जैसे गीता "राजर्षि" (4.2) की कल्पना करती है — यानी ऐसा शासक जो राजा की तरह सक्रिय होकर प्रजा का कल्याण करे और ऋषि की तरह संयमी व निःस्वार्थ रहे (इसका विस्तार नीचे खंड 8.3 के अंत में है)।

8.4 आपद धर्म (Apad Dharma)

आसान परिभाषा: आपद धर्म (Apad Dharma)

परिभाषा: विपत्ति, संकट या असाधारण परिस्थिति में सामान्य नियमों से हटकर, स्थिति की मांग के अनुसार असाधारण या लचीले कदम उठाने का सिद्धांत — इसे संस्कृत की एक प्रचलित सूक्ति "आपत्काले परो धर्मः" के माध्यम से भी समझाया जाता है (संकट के समय, कठिनतम परिस्थिति की माँग ही सर्वोच्च धर्म बन जाती है); ध्यान रहे — यह उक्ति सामान्य धर्मशास्त्र-परंपरा से जुड़ी एक व्यापक रूप से उद्धृत सूक्ति है, गीता का कोई विशिष्ट, प्रमाणित अध्याय-श्लोक नहीं।

आसान भाषा में: जैसे किसी सामान्य दिन में अस्पताल में सिर्फ डॉक्टर ही मरीज़ का इलाज करते हैं, पर भूकंप जैसी आपदा में जो भी प्राथमिक चिकित्सा जानता हो, उसे तुरंत मदद के लिए आगे आना चाहिए — यही परिस्थिति के अनुसार अपने कर्तव्य का दायरा बढ़ाना है। **उदाहरण**: बूंदी (राजस्थान) के तत्कालीन कलेक्टर डॉ. रवींद्र गोस्वामी — जो पेशे से MBBS डॉक्टर भी हैं — ने सरकारी डॉक्टरों की हड़ताल के दौरान अपनी प्रशासनिक भूमिका से आगे बढ़कर स्वयं मरीज़ों का इलाज किया; इसी तरह, 2018 की केरल बाढ़ के दौरान वायनाड के एक राहत-शिविर में IAS अधिकारी एम.जी. राजामणिकम् (उस समय आपदा-प्रबंधन के विशेष अधिकारी, पहले एर्णाकुलम के ज़िला कलेक्टर रह चुके) ने औपचारिक प्रोटोकॉल से आगे बढ़कर राहत-कार्य में स्वयं हिस्सा लिया — 13 अगस्त 2018 की रात जब थके हुए कर्मचारी ट्रक से राहत-सामग्री नहीं उतार पा रहे थे, तब उन्होंने वायनाड के उप-कलेक्टर के साथ खुद चावल के बोरे कंधे पर उठाकर उतारे — दोनों उदाहरण आपद धर्म को व्यवहार में दर्शाते हैं।

कहानी: "ऑक्सीजन की आधी रात" — नियम, संकट और विवेक

महामारी की दूसरी लहर के दिन थे। एक ज़िला अस्पताल के ऑक्सीजन-टैंक में केवल चार घंटे की ऑक्सीजन बची थी और भर्ती थे 140 मरीज़। अगली आपूर्ति सुबह आठ बजे से पहले संभव नहीं थी। रात साढ़े ग्यारह बजे ज़िला कलेक्टर विक्रांत (काल्पनिक नाम) के पास अस्पताल अधीक्षक का घबराया हुआ फ़ोन आया।

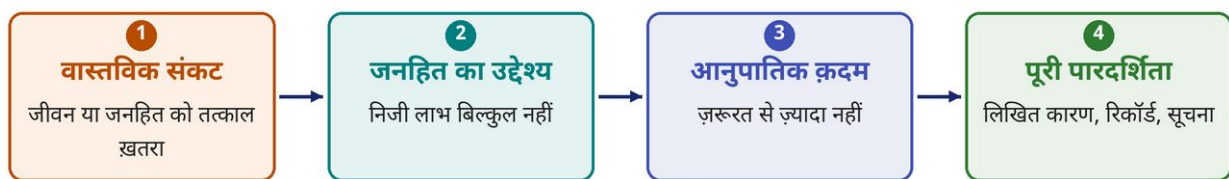
ज़िले के औद्योगिक क्षेत्र में एक इस्पात-इकाई के पास औद्योगिक ऑक्सीजन के भरे सिलेंडरों का भंडार था। सामान्य नियमों में किसी निजी इकाई का माल अपने अधिकार में लेने के लिए लंबी प्रक्रिया, उच्च स्तर की अनुमति और मूल्यांकन ज़रूरी था। इकाई के मालिक ने फ़ोन पर कहा — "बिना लिखित आदेश के मैं एक सिलेंडर नहीं दूँगा, कल मेरा अपना उत्पादन रुक जाएगा।" विक्रांत के सामने दुविधा थी — प्रक्रिया का पालन करें तो मरीज़ों की जान जा सकती है; प्रक्रिया लाँघें तो बाद में जाँच और आरोप।

विक्रांत ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में अपनी शक्तियों का सहारा लिया। उन्होंने तत्काल **लिखित आदेश** जारी किया, जिसमें कारण, सिलेंडरों की संख्या और बाद में भुगतान का आश्वासन दर्ज था; पूरी प्रक्रिया की वीडियो-रिकॉर्डिंग करवाई; राज्य के मुख्य सचिव कार्यालय को रात में ही ई-मेल से सूचना दी; और चिकित्सा-विशेषज्ञ से यह प्रमाणित करवाया कि औद्योगिक सिलेंडरों को सुरक्षित रूप से चिकित्सा-उपयोग में कैसे लाया जाए। सुबह होते ही इकाई को बाज़ार दर पर भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई।

उस रात एक भी मरीज़ ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा। बाद में हुई जाँच में विक्रांत का निर्णय उचित पाया गया, क्योंकि हर क़दम लिखित, आनुपातिक (Proportionate), पारदर्शी और जनहित में था। इकाई-मालिक ने भी बाद में ज़िला प्रशासन को स्वेच्छा से और सिलेंडर दान किए। प्रशिक्षण में विक्रांत अक्सर कहते — "आपद धर्म का अर्थ नियम तोड़ना नहीं, संकट में नियम की आत्मा को बचाना है — और हर क़दम का हिसाब रखना है।"

इस कहानी से सीख: आपद धर्म असाधारण परिस्थितियों में विवेकाधिकार के उचित प्रयोग की शिक्षा देता है — पर उसकी चार शर्तें हैं: वास्तविक संकट, जनहित का उद्देश्य, आनुपातिक क़दम और पूरी पारदर्शिता (लिखित कारण, रिकॉर्ड, उच्च अधिकारियों को सूचना)। इन शर्तों के बिना "आपद धर्म" मनमानी का बहाना बन सकता है।

आपद धर्म — विवेकाधिकार की चार कसौटियाँ



चित्र 4.16: आपद धर्म — विवेकाधिकार की चार कसौटियाँ

समत्व योग और राजर्षि: 'राजर्षि' शब्द 'राजा' और 'ऋषि' के मेल से बना है — राजा निःस्वार्थता व कर्तव्यनिष्ठा दिखाता है, जबकि ऋषि दिव्यता व आत्म-संयम का प्रतीक है। गीता एक आदर्श प्रशासक को इन्हीं दोनों गुणों को साथ लेकर चलने वाला 'राजर्षि' बनने की प्रेरणा देती है। "समत्वं योग उच्यते" — समभाव ही योग है, और यही समानता व गैर-पक्षपात (Non-Partisanship) का दार्शनिक आधार भी है।

आपद धर्म और संकट-प्रबंधन: संकट-प्रबंधन में विवेकाधिकार (Discretion) के उचित प्रयोग को समझने के लिए आपद धर्म सबसे उपयुक्त सिद्धांत है। ऊपर (और अध्याय 03 में) दिए गए बूंदी (कलेक्टर द्वारा स्वयं मरीज़ देखना) और वायनाड (बाढ़ में IAS अधिकारी का स्वयं राहत-कार्य करना) के उदाहरण दिखाते हैं कि महाभारत-परंपरा का यह 2000+ साल पुराना सिद्धांत आज भी व्यावहारिक प्रशासन में कितना प्रासंगिक है।

9. वर्ण व्यवस्था (Varna Vyavastha) — गुण और कर्म पर आधारित

मूल श्लोक

"चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः।" (अध्याय 4, श्लोक 13) — अर्थात्, मैंने (भगवान कृष्ण ने) गुणों (स्वभाव) और कर्मों (व्यवसाय) के आधार पर चार वर्ण बनाए हैं।

गीता के इस श्लोक में वर्ण-विभाजन का आधार गुण व कर्म बताया गया है, जन्म नहीं। यह ध्यान देने योग्य है कि यह गीता का सैद्धांतिक/आदर्श कथन है — ऐतिहासिक रूप से भारतीय समाज में यह व्यवस्था व्यवहार में प्रायः जन्म-आधारित जाति-व्यवस्था (Caste System) में बदल गई, जो कालांतर में सामाजिक भेदभाव का कारण भी बनी। डॉ. भीमराव आंबेडकर ने अपनी पुस्तक 'प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति' (Revolution and Counter-Revolution in Ancient India) में गीता की इस अवधारणा की आलोचना करते हुए यह सवाल उठाया था कि क्या यह सिद्धांत व्यवहार में जन्म-आधारित असमानता को उचित ठहराने का एक औज़ार बन गया (इस आलोचना का विस्तृत विवेचन अध्याय 02 में किया गया है)। अध्ययन में दोनों पक्ष — गीता का 'गुण-कर्म आधारित' आदर्श कथन, और इसके ऐतिहासिक दुरुपयोग की आलोचना — साथ रखना एक संतुलित (Balanced) दृष्टिकोण दर्शाता है।

वर्ण	प्रमुख गुण (भावार्थ)	आधुनिक प्रशासनिक समकक्ष (केवल भाव-साम्य हेतु)
ब्राह्मण (अध्याय 18, श्लोक)	मन-शांति, इंद्रिय-नियंत्रण, तप, शुद्धि, क्षमा, ज्ञान व विवेक।	सिविल सेवक, न्यायाधीश, शोधकर्ता, शिक्षक।

वर्ण	प्रमुख गुण (भावार्थ)	आधुनिक प्रशासनिक समकक्ष (केवल भाव-साम्य हेतु)
42)		
क्षत्रिय (अध्याय 18, श्लोक 43)	वीरता, तेज, दृढ़ता, कौशल, नेतृत्व, उदारता।	सशस्त्र सेनाएँ, पुलिस (IPS/RPS), कलेक्टर।
वैश्य (अध्याय 18, श्लोक 44)	कृषि, पशुपालन व व्यापार — रजोगुण-प्रधान स्वभाव।	व्यवसायी, व्यापारी, किसान।
शूद्र (अध्याय 18, श्लोक 44)	सेवा-कार्य — इसमें तमोगुण की प्रधानता बताई गई है।	कुशल कामगार, सेवा-प्रदाता।

 **ध्यान रहे:** ऊपर दिया गया 'आधुनिक समकक्ष' कॉलम केवल गुण-आधारित भाव-साम्य दिखाने के लिए है, न कि यह दावा करने के लिए कि आज की कोई पेशेवर श्रेणी किसी वर्ण के 'बराबर' है — जन्म-आधारित वर्गीकरण का कोई भी व्यावहारिक रूप संविधान द्वारा निषिद्ध है।

गांधीजी की व्याख्या: महात्मा गांधी ने वर्ण को ऊँच-नीच की व्यवस्था नहीं, बल्कि कर्तव्यों के विभाजन के रूप में देखा, और स्पष्ट कहा कि किसी भी काम को छोटा या बड़ा मानना और किसी को जन्म के आधार पर अछूत मानना पूरी तरह अधर्म है। भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन करके और अनुच्छेद 14-16 के द्वारा अवसर की समानता देकर इसी गुण-कर्म आधारित, जन्म-निरपेक्ष समानता को कानूनी रूप दिया।

9.1 प्रशासनिक अनुप्रयोग

- ◆ गुण-कर्म आधारित चयन की भावना — संघ लोक सेवा आयोग और राजस्थान लोक सेवा आयोग जैसी संस्थाओं द्वारा योग्यता-आधारित (Merit-based) चयन में झलकती है।
- ◆ श्रम-विभाजन (Division of Labor) का आधुनिक रूप — कौशल भारत (Skill India), प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) और मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं में दिखता है — इनमें व्यक्ति को उसके जन्म के आधार पर नहीं, बल्कि उसकी रुचि और प्रशिक्षण से विकसित कौशल के आधार पर काम मिलता है, जो गुण-कर्म आधारित विभाजन की ही आधुनिक भावना है।
- ◆ अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 21A, 46 — सामाजिक न्याय और अवसर की समानता सुनिश्चित करने वाले संवैधानिक प्रावधान। अनुच्छेद 14 सबको कानून के समक्ष समानता देता है, 15 जाति-धर्म आदि के आधार पर भेदभाव रोकता है, 16 सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता देता है, 17 अस्पृश्यता का अंत करता है, 21A 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है, और 46 राज्य को अनुसूचित जातियों, जनजातियों व कमज़ोर वर्गों के शैक्षिक-आर्थिक हितों को बढ़ाने का निर्देश देता है।
- ◆ हाथ से मैला ढोने की प्रथा (निषेध) अधिनियम, 2013 — जन्म-आधारित भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कानून, क्योंकि यह अमानवीय काम सदियों तक कुछ जातियों पर केवल जन्म के आधार पर थोपा गया था; यह कानून ऐसे काम पर रोक लगाकर उनके पुनर्वास की व्यवस्था करता है।

10. त्रिगुण (Three Gunas) — सत्त्व, रजस, तमस

मूल श्लोक

"सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः।" (अध्याय 14, श्लोक 5) — अर्थात्, सत्त्व (शुद्धता), रजस (कार्य-आसक्ति/जुनून) और तमस (अज्ञान/जड़ता) — ये तीन गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और हर व्यक्ति में अलग-अलग अनुपात में विद्यमान रहते हैं।

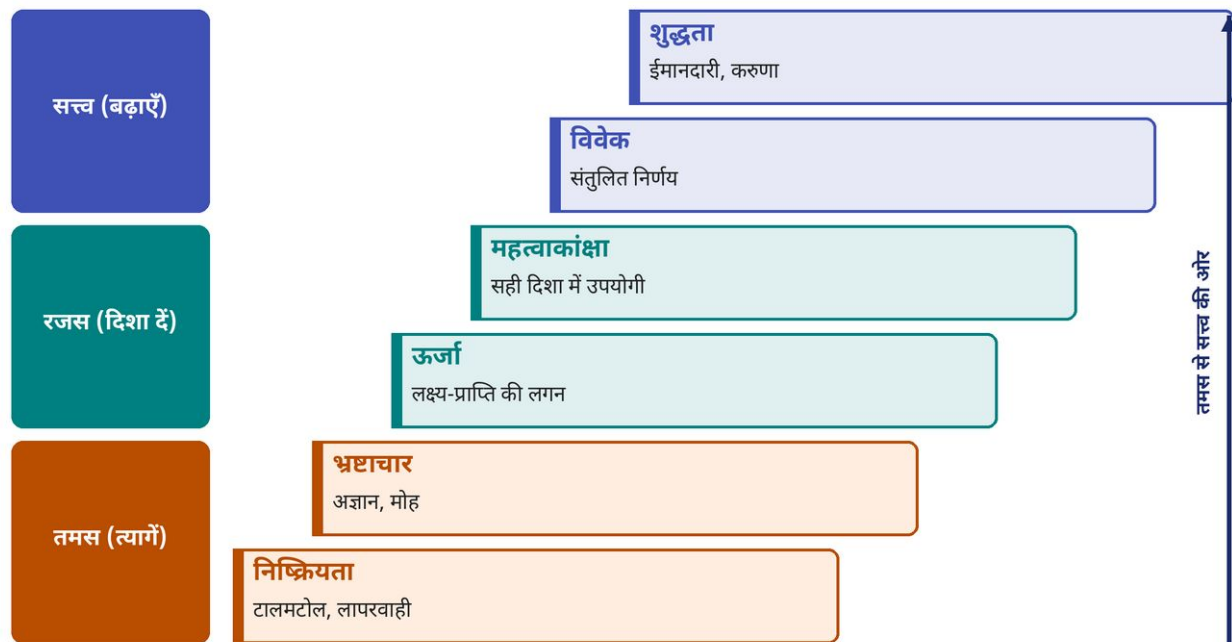
गुण	स्वभाव	प्रशासनिक प्रभाव
सत्त्व (Sattva)	ज्ञान, पवित्रता व सुख का प्रतीक — प्रकाश जैसा। "सत्त्वं सुखे सञ्जयति" — सत्त्व गुण व्यक्ति को सुख से जोड़ता है।	सूचित निर्णय-क्षमता (Informed Decision-making), सत्यनिष्ठा, नैतिक शासन।
रजस (Rajas)	लालसा व कार्य के प्रति आसक्ति का प्रतीक। "रजः कर्मणि" — रजोगुण व्यक्ति को कर्म की ओर प्रेरित करता है।	कार्य-उन्मुख (Action-oriented) तेज़ निर्णय व जोखिम उठाने की क्षमता — सकारात्मक दिशा में प्रयुक्त होने पर उत्कृष्ट परिणाम।
तमस (Tamas)	अज्ञान, आलस्य व मोह का प्रतीक। "ज्ञानमावृत्य तु तमः" — तमोगुण ज्ञान को ढक देता है।	प्रशासनिक निष्क्रियता (Apathy), लालफीताशाही, भ्रष्टाचार व अकर्मण्यता।
गुणातीत (Gunateet)	तीनों गुणों से ऊपर उठी हुई अवस्था — सुख-दुःख, प्रशंसा-निंदा में समभाव — स्थितप्रज्ञ जैसी अवस्था।	एक आदर्श, संतुलित प्रशासक का अंतिम लक्ष्य।

आसान परिभाषा: त्रिगुण (Three Gunas)

 **परिभाषा:** सांख्य दर्शन और गीता के अनुसार प्रकृति के तीन मूल गुण — सत्त्व (ज्ञान, शुद्धता, संतुलन), रजस (क्रियाशीलता, इच्छा, महत्वाकांक्षा) और तमस (जड़ता, आलस्य, अज्ञान) — जो हर व्यक्ति में अलग-अलग अनुपात में रहते हैं और उसके विचार, आचरण व निर्णयों को प्रभावित करते हैं।

 **आसान भाषा में:** हर इंसान में तीन तरह की ऊर्जा होती है — समझदारी वाली (सत्त्व), दौड़-भाग वाली (रजस) और सुस्ती वाली (तमस); जिसकी मात्रा ज़्यादा, वैसा ही व्यक्ति का स्वभाव।  **उदाहरण:** परीक्षा से पहले एक छात्र जो योजना बनाकर शांति से पढ़ता है (सत्त्व), एक

त्रिगुण — प्रशासक की चढ़ाई



चित्र 4.17: त्रिगुण — प्रशासक की चढ़ाई

प्रशासनिक मार्गदर्शन: गीता का संदेश है — एक प्रशासक को तमोगुण (निष्क्रियता, भ्रष्टाचार) का पूर्ण त्याग करना चाहिए, रजोगुण का उपयोग सकारात्मक दिशा में (कार्य-कुशलता के लिए) करना चाहिए, और सत्त्वगुण (ज्ञान, नैतिकता) को निरंतर बढ़ाना चाहिए — अंतिम लक्ष्य है 'गुणातीत' अवस्था प्राप्त करना, जो स्थितप्रज्ञ अवस्था से मेल खाती है।

त्रिगुण का संतुलित दृष्टिकोण: किसी एक गुण को 'पूरी तरह बुरा' मानना ठीक नहीं — रजोगुण सही दिशा में बहुत उपयोगी भी है। गीता की मूल शिक्षा 'संतुलन और सही दिशा' की है: तमस को घटाना, रजस को सही दिशा देना और सत्त्व को बढ़ाना।

10.1 तीन प्रकार की बुद्धि — प्रशासनिक निर्णय की गीता-कसौटी (अध्याय 18)

त्रिगुण का सबसे व्यावहारिक उपयोग गीता के अठारहवें अध्याय में मिलता है, जहाँ बुद्धि (निर्णय-क्षमता) को भी तीन प्रकार का बताया गया है। एक अधिकारी का हर निर्णय इन्हीं तीन में से किसी एक बुद्धि से निकलता है:

“ जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति, करने योग्य और न करने योग्य, भय और अभय, बंधन और मोक्ष — इन सबको ठीक-ठीक जानती है, वह सात्त्विक बुद्धि है। (प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये। बन्धं मोक्षं च या वेति बुद्धिः सा पार्थ सात्त्विकी॥) ” — भगवद्गीता 18.30

बुद्धि	गीता के अनुसार पहचान	प्रशासन में रूप
सात्त्विक (18.30)	कर्तव्य-अकर्तव्य और भय-अभय को ठीक-ठीक जानती है	तथ्य, नियम और जनहित पर आधारित संतुलित निर्णय
राजसिक (18.31)	धर्म-अधर्म और कर्तव्य-अकर्तव्य को अधूरा या ग़लत समझती है	जल्दबाज़ी, दबाव या महत्वाकांक्षा में लिया गया आधा-अधूरा निर्णय
तामसिक (18.32)	अज्ञान से ढकी — अधर्म को धर्म और हर बात को उलटा समझती है	स्वार्थ या पूर्वाग्रह से लिया गया पूरी तरह ग़लत निर्णय

10.2 कर्म के पाँच कारण — सामूहिक ज़िम्मेदारी का सिद्धांत (18.14)

गीता कहती है कि कोई भी कर्म केवल एक व्यक्ति से पूरा नहीं होता — उसके **पाँच कारण** होते हैं: "अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम्। विविधाश्च पृथक्चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम्॥" यह सिद्धांत प्रशासन में बहुत काम का है — किसी योजना की सफलता या विफलता का श्रेय या दोष केवल एक अधिकारी पर डालना ठीक नहीं; संस्था, व्यक्ति, साधन, प्रयास और परिस्थिति — पाँचों को देखना चाहिए। श्लोक के पाँच शब्द यही बताते हैं: अधिष्ठान (आधार — संस्था और क़ानूनी ढाँचा), कर्ता (काम करने वाला व्यक्ति), करण (साधन — बजट, तकनीक, उपकरण), चेष्टा (अलग-अलग प्रयास) और दैव (पाँचवाँ कारण — ऐसी परिस्थितियाँ जो किसी के नियंत्रण में नहीं, जैसे मौसम या आपदा)।

कर्म के पाँच कारण — गीता 18.14 का प्रशासनिक रूप

कोई भी कर्म / योजना

अधिष्ठान आधार — संस्था, कानूनी ढाँचा	कर्ता करने वाला — अधिकारी, कर्मचारी	करण साधन — बजट, तकनीक, उपकरण	चेष्टा विविध प्रयास — क्रियान्वयन	दैव अनियंत्रित परिस्थिति — मौसम, आपदा
--	---	--	---	---

चित्र 4.18: कर्म के पाँच कारण — गीता 18.14 का प्रशासनिक रूप

10.3 वाणी का तप और तीन प्रकार का दान (अध्याय 17)

“ जो वचन किसी को उद्धिग्न न करे, सत्य हो, प्रिय हो और हितकारी हो, तथा स्वाध्याय का अभ्यास — यह वाणी का तप कहलाता है। (अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्। स्वाध्यायाभ्यासनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते॥) ” — भगवद्गीता 17.15

वाणी के तप का प्रशासनिक अर्थ: एक अधिकारी का हर शब्द — चाहे जनसुनवाई में हो, सूचना के अधिकार (RTI) के जवाब में हो या प्रेस-वार्ता में — चार कसौटियों पर खरा उतरना चाहिए: वह किसी को अनावश्यक आहत न करे, **सत्य** हो, **प्रिय** (शालीन) हो और **हितकारी** हो। कठोर सत्य भी शालीनता से कहा जा सकता है।

दान का प्रकार	गीता के अनुसार लक्षण	कल्याणकारी योजनाओं में अर्थ
सात्त्विक (17.20)	कर्तव्य समझकर, बिना बदले की आशा के, सही स्थान, सही समय और सही पात्र को	सही लाभार्थी का चयन (लक्ष्यीकरण), समय पर और सम्मान के साथ लाभ
राजसिक (17.21)	बदले की आशा से, फल के लिए या अनमने मन से	वोट या प्रचार के लिए दी गई सहायता
तामसिक (17.22)	ग़लत स्थान, ग़लत समय, अपात्र को, अनादर और तिरस्कार के साथ	अपात्र को लाभ, लाभार्थी का अपमान या देरी

त्रिगुण हर जगह — बुद्धि, दान और कर्ता

त्रिगुण का विस्तार (अध्याय 17-18)

सात्त्विक	राजसिक	तामसिक
- सही-ग़लत की स्पष्ट बुद्धि - सही पात्र को सम्मान से दान - आसक्ति-रहित, धैर्यवान कर्ता	- अधूरी, उलझी बुद्धि - बदले की आशा वाला दान - फल का लालची, हर्ष-शोक में डूबा कर्ता	- उलटी, अज्ञानी बुद्धि - अपात्र को अनादर से दान - आलसी, हठी, टालने वाला कर्ता

चित्र 4.19: त्रिगुण हर जगह — बुद्धि, दान और कर्ता

11. प्रशासनिक दुविधाओं का गीता से समाधान (8 नैतिक दुविधाएँ)

प्रशासनिक जीवन में अनेक नैतिक दुविधाएँ बार-बार उत्पन्न होती हैं। गीता के सिद्धांत इन दुविधाओं को सुलझाने के लिए एक व्यावहारिक ढाँचा देते हैं — नीचे आठ ऐसी दुविधाओं का विवेचन किया गया है।

दुविधा	गीता का सरल संदेश	प्रशासनिक उपयोग
1. सिद्धांत बनाम आत्म-संरक्षण (Principle vs Self-Preservation)	"अकीर्ति: मरणात् अतिरिच्यते" (2.34) — सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश मृत्यु से भी बुरा है।	किसी भी अधिकारी को जानलेवा खतरे में भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए — जैसे सत्येन्द्र दुबे (भारतीय अभियांत्रिकी सेवा के अधिकारी, जिनकी 2003 में बिहार के गया में हत्या कर दी गई) ने अपनी जान जाने के जोखिम के बावजूद राष्ट्रीय राजमार्ग में भ्रष्टाचार उजागर किया, अपने सिद्धांत से समझौता नहीं किया।
2. कानून का अक्षर बनाम भावना (Letter vs Spirit of Law)	"यथेच्छसि तथा कुरु" (18.63) — पूरा उपदेश देने के बाद कृष्ण अर्जुन से कहते हैं: इस पर गहराई से	विशेष परिस्थितियों में विवेकाधिकार (Discretion) का उचित प्रयोग — जैसे बूंदी कलेक्टर का हड़ताल के

दुविधा	गीता का सरल संदेश	प्रशासनिक उपयोग
	विचार करो, फिर जो उचित लगे वैसा करो।	दौरान स्वयं डॉक्टर बनकर मरीज़ देखना, नियम की भावना (Spirit) का सम्मान है।
3. व्यक्तिगत बनाम व्यावसायिक जीवन (Personal vs Professional)	"युक्ताहारविहारस्य ... युक्तस्वप्नावबोधस्य" (6.17) — जो खान-पान, कार्य और नींद में संयम रखता है, उसका योग उसके दुःखों का नाश करता है।	कार्य-जीवन संतुलन (Work-Life Balance) — रात्रि-ड्यूटी के बावजूद एक अधिकारी को अपना शारीरिक-मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखना चाहिए।
4. गति बनाम सटीकता (Speed vs Accuracy)	"कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। क्लैब्यं मा स्म गमः।" — अकर्मण्यता से कर्म श्रेष्ठ है, कायरता व दुर्बलता त्यागो।	अत्यधिक सटीकता के नाम पर निष्क्रियता (Inaction) नहीं होनी चाहिए — लालफीताशाही व अनावश्यक विलंब से बचाव।
5. पक्षपात बनाम समान व्यवहार (Preferential vs Non-discrimination)	"पण्डिताः समदर्शिनः" — ज्ञानी सबको समान दृष्टि से देखते हैं। "चातुर्वर्ण्यं गुणकर्मविभागशः" — वर्गीकरण गुण-कर्म पर आधारित, जन्म पर नहीं।	भाई-भतीजावाद (Nepotism) व पक्षपात (Favoritism) से दूरी — अनुच्छेद 14, 15 के तहत समानता का पालन।
6. विकास बनाम पर्यावरणीय संतुलन (Development vs Sustainability)	"भूमिरापोऽनलो वायुः खम्" (7.4) — पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु व आकाश — गीता इन्हें भगवान की ही 'प्रकृति' बताती है; इसलिए इनका आदर और इनमें संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।	विकास और पर्यावरण-संरक्षण के बीच संतुलन — सतत विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals) की भावना।
7. साध्य बनाम साधन (Ends vs Means)	"धूमेनाग्निरिवावृताः" — जैसे आग धुएँ से ढकी रहती है, वैसे ही हर प्रयास में कोई-न-कोई दोष स्वाभाविक रूप से रहता है (18.48) — इसलिए किसी 'पूर्ण' परिणाम के लालच में ग़लत साधन अपनाने के बजाय, कमियों के बावजूद अपने उचित कर्तव्य-मार्ग पर चलना चाहिए।	अच्छे लक्ष्य (साध्य) के लिए भी उचित कर्तव्य-मार्ग (साधन) का त्याग नहीं करना चाहिए — गांधीजी के अनुसार साध्य और साधन दोनों पवित्र होने चाहिए।
8. बाह्य जवाबदेही बनाम आंतरिक ज़िम्मेदारी (External vs Inner Accountability)	"शौचम्, स्थैर्यम्, आत्म-विनिग्रहः" (13.7) — मन-शरीर की पवित्रता, दृढ़ता और आत्म-संयम।	बाहरी निगरानी-तंत्र के साथ-साथ आंतरिक अंतरात्मा (Inner Conscience) से काम करना — अंततः विवेक ही सबसे भरोसेमंद मार्गदर्शक है।

आठ प्रशासनिक दुविधाएँ — गीता का समाधान

सिद्धांत बनाम आत्म-रक्षा अकीर्ति: मरणात् अतिरिच्यते	क़ानून का अक्षर बनाम भावना यथेच्छसि तथा कुरु	निजी बनाम व्यावसायिक युक्ताहारविहारस्य	गति बनाम सटीकता क्लैब्यं मा स्म गमः
पक्षपात बनाम समानता पण्डिताः समदर्शिनः	विकास बनाम पर्यावरण भूमिरापोऽनलो वायुः	साध्य बनाम साधन धूमेनाग्निरिवावृताः	बाहरी बनाम आंतरिक जवाबदेही शौचम्, स्थैर्यम्

चित्र 4.20: आठ प्रशासनिक दुविधाएँ — गीता का समाधान

इस तालिका का सबसे प्रभावी उपयोग यह है कि किसी भी वास्तविक प्रशासनिक स्थिति को इन आठ में से किसी एक दुविधा से जोड़ा जाए, और फिर उससे संबंधित श्लोक व उदाहरण के आधार पर समाधान खोजा जाए। इससे निर्णय सैद्धांतिक (श्लोक) और व्यावहारिक (उदाहरण) — दोनों स्तरों पर मज़बूत बनता है।

कहानी: केस अध्ययन — "प्रसिद्ध डॉक्टर और कर-नियम": कर्तव्य बनाम उदारता

एक कर-अधिकारी के सामने शहर के सबसे प्रसिद्ध और सम्मानित डॉक्टर — डॉ. एक्स — का मामला आता है। डॉक्टर ने अपने कर-विवरण में कुछ तकनीकी नियमों का पालन नहीं किया है। वे एक पिछड़े क्षेत्र में बड़ा अस्पताल खोलने की योजना बना रहे हैं, और कई लोग अधिकारी से कहते हैं — "इतने अच्छे इंसान को तकनीकी बातों पर परेशान मत कीजिए।"

उदारता के पक्ष में तर्क: कर-विभाग की छवि नागरिकों को परेशान करने वाली नहीं बनेगी; डॉक्टर अपने नेक पेशे पर ध्यान दे सकेंगे; अस्पताल की योजना पर असर नहीं पड़ेगा; और उपेक्षित क्षेत्र को चिकित्सा-सुविधा मिलेगी।

नियम के पूर्ण पालन के पक्ष में तर्क: (1) अधिकारी अपना व्यावसायिक कर्तव्य निभाएगा — **गीता सिखाती है कि अपना कर्तव्य निभाना ही सबसे बड़ा धर्म है**; जर्मन दार्शनिक कांट का निरपेक्ष आदेश (Categorical Imperative — बिना किसी शर्त के माना जाने वाला नैतिक नियम) कहता है कि जिस बात को सार्वभौमिक नियम नहीं बनाया जा सकता, वह नैतिक नहीं — तकनीकी नियमों का उल्लंघन सबके लिए स्वीकार्य नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ भी नहीं; और गांधीजी ने कहा था कि **"अच्छी तरह निभाया गया कर्तव्य अपने आप एक अधिकार पैदा करता है।"** (2) कर-संग्रह की प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा बनी रहेगी। (3) निष्पक्षता और गैर-पक्षपात के मूल्य सुरक्षित रहेंगे — जनता को यह नहीं लगेगा कि शहर के प्रसिद्ध व्यक्ति को विशेष छूट मिली। (4) भ्रष्टाचार हमेशा छोटे और "भले" रूप में शुरू होता है, और फिर धीरे-धीरे बड़ा होता जाता है।

संतुलित समाधान: अधिकारी नियम का पूरी तरह पालन करेगा, पर अच्छे शासन की भावना में डॉ. एक्स और अन्य सभी नागरिकों के लिए कर-विवरण की प्रक्रिया को सरल और तेज़ बनाने के क़दम भी उठाएगा — जैसे सुविधा-केंद्र, स्पष्ट मार्गदर्शिका और समयबद्ध निपटारा।

इस कहानी से सीख: गीता का स्वधर्म (अपना कर्तव्य) किसी व्यक्ति की प्रसिद्धि या अच्छाई देखकर नहीं बदलता। नियम का समान पालन ही निष्पक्षता है; पर नियम का पालन करते हुए भी प्रक्रिया को नागरिक-अनुकूल बनाना करुणा है — यही कर्तव्य और करुणा का संतुलन है।

12. प्रमुख श्लोक और प्रशासनिक अनुप्रयोग

नीचे दी गई तालिका में गीता के कुछ अन्य महत्वपूर्ण श्लोकों को उनके प्रशासनिक अनुप्रयोग के साथ संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है — यह श्लोकों को उनके प्रशासनिक उपयोग के साथ याद रखने के लिए एक त्वरित संदर्भ (Quick Reference) की तरह उपयोगी है।

श्लोक (अध्याय:श्लोक)	अर्थ	प्रशासनिक उपयोग / उदाहरण
वासांसि जीर्णानि (2:22)	जैसे पुराने वस्त्र त्यागकर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर त्यागती है।	किसी अधिकारी को किसी विशेष विभाग/पोस्टिंग से भावनात्मक रूप से अत्यधिक जुड़ाव नहीं रखना चाहिए — नई भूमिका में भी उतनी ही तत्परता से ढल जाना चाहिए।
अद्वेष्टा सर्वभूतानाम् (12:13-14)	सभी प्राणियों से द्वेष-रहित, मित्रवत, दयालु, निरहंकारी और सुख-दुःख में समान रहने वाला।	करुणा, क्षमाशीलता व स्थितप्रज्ञ जैसे गुणों का प्रतिबिंब — शांत व संयत नेतृत्व-शैली।
समः शत्रौ च मित्रे च (12:18-19)	शत्रु-मित्र, सम्मान-अपमान, सदी-गर्मी, निंदा-प्रशंसा — सभी में समभाव रखने वाला।	कर्तव्य के लिए कर्तव्य (Duty for duty's sake) — बिना किसी पक्षपात के, सबके प्रति समान व्यवहार।
अहङ्कारं बलं दर्पम् (18:53)	अहंकार, बल का दुरुपयोग, घमंड, अनुचित इच्छा व संग्रहवृत्ति — इनसे मुक्ति ही सच्चा त्याग है।	अनुपातहीन/असंगत संपत्ति (Disproportionate Assets) अर्जित करने की प्रवृत्ति व अधिकारियों में अहंकार — दोनों नैतिक व कानूनी रूप से दंडनीय माने जाते हैं।
निमित्तमात्रं भव (11:33)	तुम केवल एक साधन/निमित्त मात्र हो, किसी बड़े उद्देश्य के लिए।	एक अधिकारी को स्वयं को राज्य/संविधान का एक 'साधन' (Instrument of State) समझना चाहिए, स्वयं को 'शासक' नहीं।
सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः (17:16)	विचारों की शांति, कोमलता, मौन और आत्म-संयम — यही मन की तपस्या है।	सादा जीवन, संयमित वाणी व आत्म-अनुशासन — जैसे डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की सादगी-भरी जीवनशैली अक्सर उदाहरण के रूप में दी जाती है।
अनित्यमसुखं लोकम् (9:33)	यह संसार क्षणिक और दुःखमय है।	अधिकारी को भौतिक संपत्ति व भ्रष्टाचार के मोह से दूर रहने की प्रेरणा।
विद्याविनयसम्पन्ने (5:18)	विद्या-विनय संपन्न ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता — ज्ञानी इन सबमें समान दृष्टि रखता है।	भाई-भतीजावाद व पक्षपात से दूरी — अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता) से सीधा जुड़ाव (अध्याय 03 में निष्पक्षता के दार्शनिक आधार में भी इसी श्लोक का उल्लेख किया गया है)।
कामः क्रोधस्तथा लोभः (16:21)	काम (वासना), क्रोध और लोभ — ये तीन नरक के द्वार हैं।	भ्रष्टाचार, सत्ता का दुरुपयोग व लालच — प्रशासनिक पतन के तीन मुख्य कारण।

इस तालिका के हर श्लोक के साथ उसकी अध्याय:श्लोक संख्या दी गई है। इनमें से कुछ श्लोकों को उनके अर्थ और प्रशासनिक उपयोग के साथ अच्छी तरह आत्मसात कर लेना, गीता की व्यावहारिक समझ के लिए सबसे उपयोगी है।

12.1 समदर्शिता और आत्मौपम्य — निष्पक्षता और समानुभूति के दो सूत्र

“ ज्ञानी लोग विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल — सबमें समान दृष्टि रखते हैं। (विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि। शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः॥) ” — भगवद्गीता 5.18

समदर्शिता (5.18) का अर्थ है हर व्यक्ति में एक ही मानवीय गरिमा देखना — यही अनुच्छेद 14 की "विधि के समक्ष समता" का आध्यात्मिक आधार है। **आत्मौपम्य (6.32)** — "आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन" — का अर्थ है दूसरे के सुख-दुःख को अपने सुख-दुःख जैसा अनुभव करना, यानी **समानुभूति (Empathy)**। एक अधिकारी के लिए पहला सूत्र **निष्पक्षता** देता है और दूसरा **करुणा**; दोनों मिलकर ही न्यायपूर्ण और मानवीय प्रशासन बनाते हैं।

युक्ताहार-विहार (6.16-17) — **संतुलन का सिद्धांत**: "नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः" — योग न बहुत अधिक खाने वाले के लिए है, न बिल्कुल न खाने वाले के लिए; न बहुत सोने वाले के लिए, न बहुत जागने वाले के लिए। यह विचार यूनानी दार्शनिक अरस्तू (Aristotle) के **स्वर्णिम मध्य (Golden Mean)** से मेल खाता है, और आज के अधिकारी के लिए **कार्य-जीवन संतुलन (Work-Life Balance)** का सूत्र है।

13. दैवी संपदा (अध्याय 16) और ज्ञानवान के गुण (अध्याय 13)

13.1 दैवी संपदा — अध्याय 16, श्लोक 1-3 (26 गुण)

गीता के अध्याय 16 में कुल 26 दैवीय गुण बताए गए हैं, जो एक आदर्श व्यक्ति (और इसी भावना से, एक आदर्श प्रशासक) के लिए अनिवार्य माने गए हैं। नीचे इनमें से कुछ प्रमुख गुण दिए गए हैं:

गुण (संस्कृत)	हिंदी अर्थ	प्रशासनिक महत्व
अभयम् (Abhayam)	निर्भयता	राजनीतिक या अन्य किसी दबाव में भी अपने कर्तव्य-पथ से न डिगना।
दानम् (Danam)	दान/उदारता	करुणा-आधारित शासन (Compassionate Governance)।
अहिंसा (Ahimsa)	अहिंसा	मानवीय पुलिसिंग (Humane Policing), हिरासत में यातना जैसी प्रवृत्तियों से दूरी।
सत्यम् (Satyam)	सत्य	ईमानदार रिपोर्टिंग, आँकड़ों में हेर-फेर न करना।
अक्रोध (Akrodha)	क्रोध-रहितता	प्रशासन में भावनात्मक बुद्धिमत्ता (Emotional Intelligence)।
शौचम् (Shaucham)	मन-शरीर की स्वच्छता	शासन में सदाचरिता (Probity in Governance)।
क्षमा (Kshama)	क्षमाशीलता	आत्मसमर्पण सह पुनर्वास जैसी नीतियों (Surrender-cum-Rehabilitation Policy) का आधार।
तेजः (Tejah)	ऊर्जा व तेज	प्रशासनिक दक्षता व विश्वसनीयता।
धृतिः (Dhritih)	धैर्य/दृढ़ता	दीर्घकालिक शासन-चुनौतियों (Long-term Governance Challenges) का सामना करना।
दया (Daya)	दया-करुणा	कल्याणकारी योजनाओं का संवेदनशील व प्रभावी क्रियान्वयन।

दैवी संपदा — आदर्श प्रशासक के प्रमुख गुण (अध्याय 16)



चित्र 4.21: दैवी संपदा — आदर्श प्रशासक के प्रमुख गुण (अध्याय 16)

13.2 ज्ञानवान के गुण — अध्याय 13, श्लोक 7-11

गुण	अर्थ	प्रशासन में उपयोग
अमानित्वम्	विनम्रता (Humility)	डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का सादगी-भरा जीवन — राष्ट्रपति पद

गुण	अर्थ	प्रशासन में उपयोग
		पर रहते हुए भी विनम्रता की मिसाल।
अदम्भित्वम्	पाखंड-रहितता (No Hypocrisy)	विचार और आचरण में समन्वय — अध्याय 03 में केशव चंद्र सेन के उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि पाखंड का क्या परिणाम होता है।
अहिंसा	अहिंसा (Non-violence)	पुलिस व्यवस्था में हिरासत-हिंसा (Custodial Violence) से दूरी।
क्षान्तिः	क्षमा (Forgiveness)	पुनर्वास कार्यक्रमों (Rehabilitation Programs) का नैतिक आधार।
आर्जवम्	सरलता (Simplicity)	त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री माणिक सरकार व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जैसे सार्वजनिक व्यक्तित्व अक्सर अपनी सादगी के लिए उद्धृत किए जाते हैं।
शौचम्	मन-शरीर की शुद्धि	व्यक्तिगत व व्यावसायिक सत्यनिष्ठा (Personal & Professional Integrity) — जिसका विस्तृत विवेचन अध्याय 03 में किया गया है।
स्थैर्यम्	दृढ़ता (Steadfastness)	राजनीतिक व अन्य दबावों में भी न डिगना।
आत्म-विनिग्रहः	आत्म-संयम (Self-control)	भ्रष्टाचार व प्रलोभनों से बचाव।
वैराग्यम्	विरक्ति (Dispassion)	पदस्थापन व सुविधाओं (Posting-Perks) के प्रति अनासक्ति।
अनहंकारः	अहंकार-रहितता (No Ego)	"मैं शासक नहीं, सेवक हूँ" की भावना।

दैवी और आसुरी संपदा: गीता के सोलहवें अध्याय में दैवी गुणों के साथ **आसुरी संपदा** भी बताई गई है — "दम्भो दपोंऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च। अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्॥" (16.4) — पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान। गीता के अनुसार दैवी संपदा मुक्ति की ओर ले जाती है और आसुरी संपदा बंधन की ओर। प्रशासनिक भाषा में, दैवी गुण **सुशासन** की नींव हैं और आसुरी गुण **कुशासन** और सत्ता के दुरुपयोग की जड़।

दैवी संपदा (26 गुण) और ज्ञानवान के गुण (20 गुण) — इन दोनों सूचियों में से जो गुण प्रशासनिक जीवन से सीधे जुड़ते हैं, वे सबसे महत्वपूर्ण हैं — जैसे **अभयम्** (निर्भयता), **सत्यम्** (सत्य), , **अनहंकारः** (अहंकार-रहितता) और **आत्म-विनिग्रहः** (आत्म-संयम)। ऊपर के उदाहरण इन्हीं गुणों को जीवंत रूप में दिखाते हैं।

14. भगवद्गीता और कांट (Kant) की नैतिकता — तुलना

भगवद्गीता और जर्मन दार्शनिक इमैनुएल कांट — दोनों की नैतिक चिंतन-प्रणाली में कई रोचक समानताएँ व असमानताएँ देखने को मिलती हैं, जिनका तुलनात्मक अध्ययन दोनों को बेहतर समझने में मदद करता है।

समानताएँ (Similarities)	असमानताएँ (Differences)
◆ दोनों कर्तव्य-आधारित नैतिकता (Deontological Ethics) पर बल देते हैं — यानी कर्म का मूल्यांकन परिणाम से नहीं, कर्तव्य-पालन से होता है।	◆ गीता एक धार्मिक महाकाव्य के संदर्भ में है, जबकि कांट का नीतिशास्त्र पूर्णतः धर्म-निरपेक्ष (Secular) तर्क पर आधारित है।
◆ दोनों "कर्तव्य के लिए कर्तव्य" (Duty for duty's sake) के सिद्धांत का समर्थन करते हैं।	◆ गीता में नैतिकता का अंतिम आधार ईश्वर व आध्यात्मिकता है, जबकि कांट में यह विशुद्ध तर्क (Reason) व कर्तव्य-बोध है।
◆ दोनों इंद्रियों और भावनाओं पर नियंत्रण को नैतिक जीवन के लिए आवश्यक मानते हैं।	◆ गीता कर्म-सिद्धांत (Karma) के अनुसार कर्मफल की निश्चितता मानती है, जबकि कांट के यहाँ नैतिक कर्म के परिणाम की कोई गारंटी नहीं दी जाती।
◆ दोनों भौतिक सुखों से ऊपर आंतरिक/आध्यात्मिक मूल्यों को प्राथमिकता देते हैं।	◆ गीता संकट की घड़ी में लचीलापन देती है (आपद धर्म — खंड 8.3 देखें), जबकि कांट का 'कैटेगोरिकल इम्पेरैटिव' सिद्धांत तुलनात्मक रूप से अधिक कठोर व अपरिवर्तनीय माना जाता है।
◆ दोनों संकल्प-स्वातंत्र्य (Freedom of Will) — यानी व्यक्ति की चुनाव करने की स्वतंत्रता — को स्वीकार करते हैं।	

ऊपर की तालिका से स्पष्ट है कि गीता और कांट के बीच कम-से-कम तीन बड़ी समानताएँ (कर्तव्य की सर्वोच्चता, परिणाम से स्वतंत्रता, नीयत की शुद्धता) और दो-तीन बड़ी असमानताएँ (नैतिकता का स्रोत, लचीलापन, अंतिम लक्ष्य) हैं। नीचे का चित्र इन्हें एक नज़र में दिखाता है।

गीता बनाम कांट — एक नज़र में

भगवद्गीता	बनाम	कांट (Kant)
कर्तव्य (धर्म) सर्वोपरि	मूल	कर्तव्य के लिए कर्तव्य
फल की आसक्ति त्याज्य	फल	परिणाम नैतिकता की कसौटी नहीं
स्वधर्म, ईश्वर-अर्पण	स्रोत	शुद्ध तर्क (Pure Reason)
आपद धर्म — परिस्थिति अनुसार	लचीलापन	निरपेक्ष आदेश — कोई अपवाद नहीं
लोकसंग्रह और मोक्ष	लक्ष्य	स्वायत्त नैतिक इच्छा

चित्र 4.22: गीता बनाम कांट — एक नज़र में

14.1 गीता बनाम उपयोगितावाद और अरस्तू

आधार	भगवद्गीता	उपयोगितावाद (Utilitarianism)	अरस्तू (Aristotle)
नैतिकता की कसौटी	कर्म की नीयत और कर्तव्य	परिणाम — अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख	चरित्र और सद्गुण
फल का स्थान	फल की आसक्ति त्याज्य	फल (सुख) ही सब कुछ	यूडेमोनिया (सार्थक जीवन) लक्ष्य
कल्याण का दायरा	लोकसंग्रह — सर्वभूतहित (सबका कल्याण)	बहुसंख्यक का सुख	नगर-राज्य का कल्याण
संतुलन	युक्ताहार-विहार, समत्व	सुख-दुख का गणित (बेन्थम का 'सुख-कलन' — सुख-दुख को गिनकर तौलना)	स्वर्णिम मध्य (Golden Mean)

इस तुलना से स्पष्ट है कि गीता उपयोगितावाद की तरह जनकल्याण की बात तो करती है, पर उसका दायरा बहुमत तक सीमित न रहकर **सर्वभूतहित** (सभी प्राणियों के कल्याण) तक जाता है; और वह कांट की तरह कर्तव्य को सर्वोपरि रखते हुए भी अरस्तू की तरह **संतुलन और चरित्र** पर बल देती है। इसीलिए गीता को कर्तव्य-आधारित, सद्गुण-आधारित और कल्याण-आधारित — तीनों नैतिक परंपराओं का समन्वय कहा जा सकता है।

14.2 सुख का मार्ग — गीता और अन्य भारतीय परंपराएँ

सुख (Happiness) को "जीवन का समग्र रूप से व्यक्तिपरक आनंद" कहा गया है। इसके दो प्रकार माने जाते हैं — **सुखवादी सुख (Hedonic)**, जो उपयोगितावाद के संस्थापक ब्रिटिश विचारक जेरेमी बेन्थम के अनुसार अधिकतम आनंद पर केंद्रित है; और **यूडेमोनिक सुख (Eudaimonic)**, जो अरस्तू के अनुसार जीवन के अर्थ, उद्देश्य और व्यक्तिगत विकास पर केंद्रित है। गीता का मार्ग दूसरे प्रकार के अधिक निकट है। भारतीय परंपरा में सुख के अलग-अलग मार्ग बताए गए हैं:

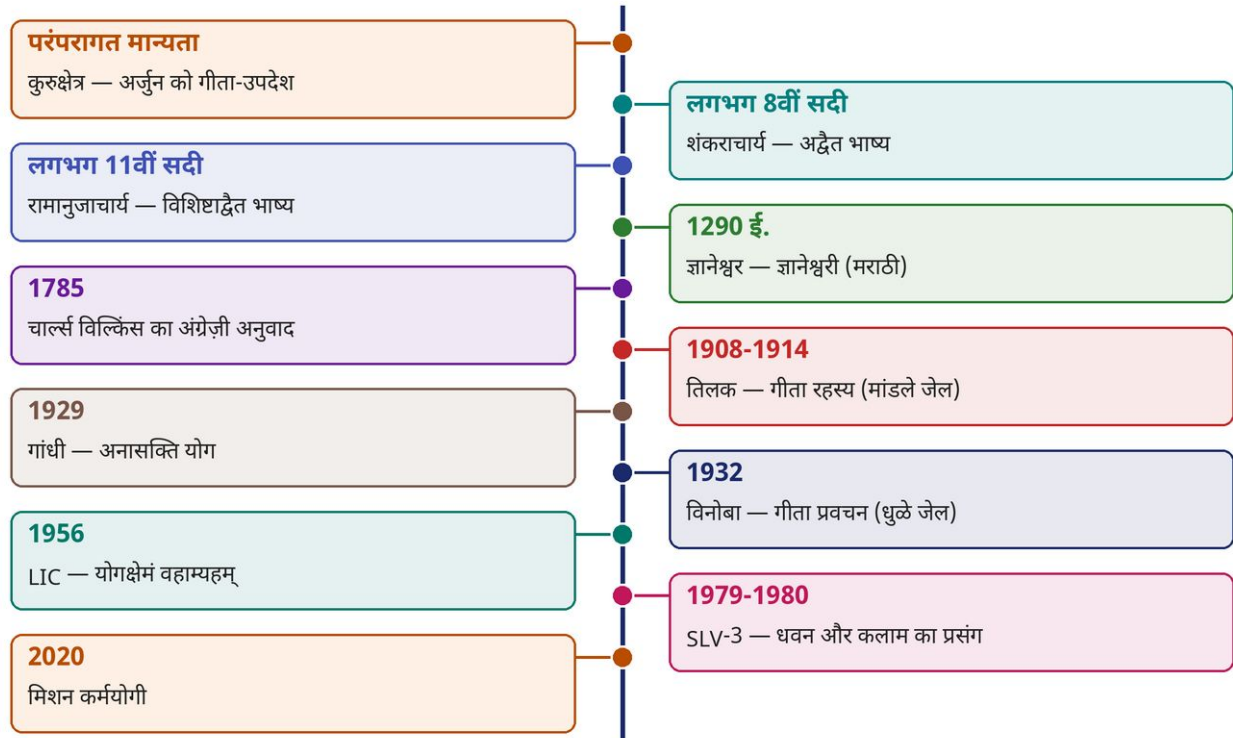
परंपरा	सुख का मार्ग
बौद्ध धर्म	मध्यम मार्ग — दोनों अतियों (भोग और कठोर तप) से बचना
भगवद्गीता	आसक्ति के बिना निःस्वार्थ कर्म
चार्वाक	इंद्रिय-सुख को ही अंतिम लक्ष्य मानना (भारत का एकमात्र सुखवादी दर्शन)
भक्ति परंपरा	ईश्वर के प्रति समर्पण को सुख का मार्ग मानना
गुरु नानक	संतोष और विनम्रता
उपनिषद्	आनंद को आत्मा का स्वाभाविक स्वरूप मानना

प्रशासन में सुख: आधुनिक जीवन में सुख की बाधाएँ बाहरी भी हैं (नकारात्मक सामाजिक तुलना, सामाजिक सहारे की कमी, आर्थिक तनाव, नशा) और भीतरी भी (आत्म-संदेह, वर्तमान में न जी पाना, अत्यधिक स्क्रीन-समय)। एक लोक सेवक जन-केंद्रित शासन, पारदर्शिता, मानसिक स्वास्थ्य की पहल (जैसे टेली-मानस — 2022 में शुरू हुई सरकार की निःशुल्क, चौबीसों घंटे चलने वाली मानसिक-स्वास्थ्य हेल्पलाइन), समावेशी नीतियों और नीति-निर्माण में "सुख" को एक लक्ष्य बनाकर (जैसे भूटान का सकल राष्ट्रीय सुख — GNH) नागरिकों के सुख को बढ़ा सकता है। गीता का निष्काम कर्म स्वयं अधिकारी के लिए भी तनाव-मुक्त, संतोषपूर्ण कार्य-जीवन का मार्ग है।

15. भगवद्गीता — ऐतिहासिक यात्रा और प्रशासनिक प्रासंगिकता

वर्ष / संदर्भ	विषय / घटना / विचारक
लगभग 3100 ईसा पूर्व (पारंपरिक मान्यता)	महाभारत युद्ध — कुरुक्षेत्र। अर्जुन की दुविधा से गीता के उपदेश का जन्म (गीता की ऐतिहासिक कालावधि को लेकर विद्वानों में अलग-अलग मत हैं)।
8वीं शताब्दी ईसवी (लगभग)	आदि शंकराचार्य — ज्ञान योग की व्याख्या, अद्वैत वेदांत के आधार पर।
11वीं शताब्दी ईसवी (लगभग)	रामानुजाचार्य — भक्ति योग की व्याख्या, विशिष्टाद्वैत के आधार पर।
1856-1920	बाल गंगाधर तिलक — 'गीता रहस्य' (मांडले जेल, बर्मा, कारावास 1908-1914 के दौरान लिखी, प्रकाशन 1915)। कर्म योग की व्याख्या।
1869-1948	महात्मा गांधी — गीता को 'अनासक्ति योग' कहा। निष्काम कर्म को अपने जीवन का दैनिक मार्गदर्शक बनाया।
1863-1902	स्वामी विवेकानंद — ज्ञान, कर्म व भक्ति योग की एकता का प्रतिपादन।
जुलाई 1945 (स्मृति: 1965)	जे. रॉबर्ट ओपेनहाइमर — मैनहटन प्रोजेक्ट/ट्रिनिटी परीक्षण; गीता अध्याय 11, श्लोक 32 का उल्लेख — यह प्रसिद्ध उद्धरण उन्होंने वर्ष 1965 के एक साक्षात्कार में, घटना को याद करते हुए दिया था।
1949-50	भारतीय संविधान — 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, 26 जनवरी 1950 से प्रभावी — धर्म, कर्म व समानता जैसे गीता के मूल्यों की झलक संवैधानिक भावना में।
1956 से	भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की स्थापना (1956) — आदर्श वाक्य 'योगक्षेमं वहाम्यहम्' गीता से लिया गया।
2017	ब्रिटेन में ऋषि सुनक — सांसद चुने जाने पर वेस्टमिंस्टर में भगवद्गीता पर हाथ रखकर शपथ ली (बाद में 2022 में वे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने)।
2017	राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 — योग को स्वास्थ्य-नीति में स्थान।
2020 से	मिशन कर्मयोगी (NPCSCB) — सितंबर 2020 में मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत — गीता के निष्काम कर्म व कर्तव्य-नीति से प्रेरित सिविल सेवा क्षमता-निर्माण पहल।

भगवद्गीता — ऐतिहासिक यात्रा



चित्र 4.23: भगवद्गीता — ऐतिहासिक यात्रा

☀ अध्याय का सार — एक पंक्ति में

भगवद्गीता एक धार्मिक ग्रंथ होते हुए भी, अपने मूल में एक धर्म-निरपेक्ष प्रशासनिक नियमावली की तरह पढ़ी जा सकती है — निष्काम कर्म हमें बिना फल की चिंता किए कर्तव्य निभाना सिखाता है, स्थितप्रज्ञ हमें संकट में भी स्थिर रहना सिखाता है, स्वधर्म हमें अपने पद की सीमाओं के भीतर ईमानदारी से काम करना सिखाता है, और लोकसंग्रह हमें याद दिलाता है कि एक नेता का आचरण ही पूरे समाज के लिए मार्गदर्शक बन जाता है — अर्जुन की दुविधा से लेकर आज के किसी प्रशासक की दुविधा तक, गीता का संदेश उतना ही प्रासंगिक बना हुआ है।

बोनस: उत्तर-लेखन अभ्यास (मॉडल प्रश्न और उत्तर)

प्रश्न 1: "भगवद्गीता अर्जुन की दुविधा को संकट के सामने कैसे सुलझाती है? एक प्रशासक के रूप में आप प्रशासनिक दुविधा में गीता के सिद्धांत कैसे लागू करेंगे?"

उत्तर: अर्जुन की दुविधा — धर्म की रक्षा बनाम परिवार की रक्षा — किसी भी प्रशासक की उस दुविधा जैसी है जब उसे किसी प्रभावशाली परिचित के खिलाफ ही कार्रवाई करनी पड़े।

◆ **गीता का समाधान:** कृष्ण अर्जुन को निष्काम कर्म (फल की चिंता छोड़कर कर्तव्य करो) और स्वधर्म (अपने नियत कर्तव्य का पालन करो, चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो) का उपदेश देते हैं।

◆ **प्रशासनिक अनुप्रयोग:** व्यक्तिगत संबंधों को कानून-पालन से ऊपर न रखना; स्थितप्रज्ञ भाव अपनाकर भावनात्मक दबाव में निर्णय न लेना; यह याद रखना कि सत्येन्द्र दुबे जैसे अधिकारियों ने भी अपने कर्तव्य-पथ पर अडिग रहकर मिसाल कायम की।

निष्कर्ष: गीता का संदेश है कि कर्तव्य-पालन में आने वाली पीड़ा अस्थायी है, पर कर्तव्य से विमुख होने का पश्चाताप स्थायी — यही भाव एक प्रशासक को अपनी हर दुविधा में मार्गदर्शन देता है।

प्रश्न 2: "गीता के त्रिगुण सिद्धांत की व्याख्या करें। प्रशासक में किस गुण का विकास होना चाहिए और क्यों?"

उत्तर: गीता के अनुसार सत्त्व (शुद्धता-ज्ञान), रजस (कार्य-आसक्ति) और तमस (अज्ञान-आलस्य) — ये तीन गुण हर व्यक्ति में अलग-अलग अनुपात में विद्यमान रहते हैं।

◆ **आदर्श संतुलन:** एक अच्छे प्रशासक को सत्त्वगुण (नैतिकता, सूचित निर्णय-क्षमता) को प्रमुखता देनी चाहिए, रजोगुण का उपयोग सकारात्मक दिशा (कार्य-कुशलता, त्वरित निर्णय) में करना चाहिए, और तमोगुण (निष्क्रियता, भ्रष्टाचार) का पूर्ण त्याग करना चाहिए।

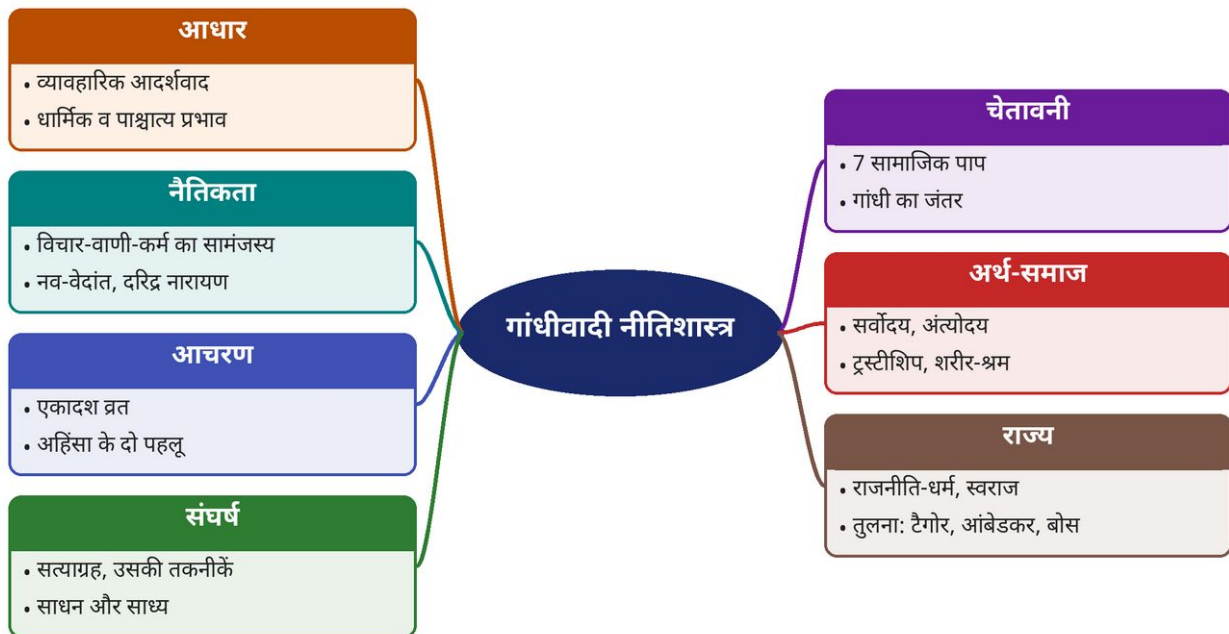
निष्कर्ष: अंतिम लक्ष्य है 'गुणातीत' अवस्था — जहाँ प्रशासक सुख-दुःख व प्रशंसा-निंदा में समभाव रखते हुए, स्थितप्रज्ञ जैसी संतुलित मनःस्थिति से निर्णय ले सके।



📖 शुरुआत एक सच्ची घटना से...

राजस्थान के राजसमंद जिले के पिपलांत्री गाँव के तत्कालीन सरपंच श्याम सुंदर पालीवाल ने एक अनोखी परंपरा शुरू की — गाँव में जब भी कोई बेटी जन्म लेती, तो पूरा गाँव मिलकर उसके नाम पर 111 पेड़ लगाता। यह फैसला उन्होंने अपनी बेटी की असमय मृत्यु के बाद, उसकी याद में लिया था। धीरे-धीरे यह सिर्फ एक श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि एक पूरा सामाजिक मॉडल बन गया — गाँव वाले हर बेटी के जन्म पर पेड़ लगाने के साथ-साथ, परिवार से यह वचन भी लेते हैं कि बेटी की पढ़ाई पूरी कराएँगे और बाल-विवाह नहीं करेंगे, ताकि पेड़ों की तरह वह बेटी भी पूरी तरह पल्लवित हो सके। आज पिपलांत्री में लाखों पेड़ हैं, भूजल स्तर सुधरा है, और गाँव में लिंगानुपात देश के औसत से कहीं बेहतर है। यह कहानी ठीक वही भावना दिखाती है जो महात्मा गांधी के 'सर्वोदय' सिद्धांत की जड़ में है — समाज के हर वर्ग (यहाँ स्त्री और प्रकृति, दोनों) का साथ-साथ उत्थान, बिना किसी को पीछे छोड़े। पालीवाल जी न कोई बड़े दार्शनिक हैं, न कोई सरकारी योजना के बड़े अधिकारी — फिर भी उन्होंने गांधी के विचारों को ज़मीन पर उतार दिया। यही गांधीवादी नीतिशास्त्र की सबसे बड़ी खूबी है — यह किसी मोटी किताब में बंद सिद्धांत नहीं, बल्कि रोज़मर्रा के जीवन और प्रशासन में उतारा जा सकने वाला एक व्यावहारिक दर्शन है।

अध्याय 05 — एक नज़र में



चित्र 5.1: अध्याय 05 — एक नज़र में

📖 कहानी: अध्याय की यात्रा — "साबरमती की एक सुबह: सुधा और हरिभाई"

(यह एक काल्पनिक कहानी है। आश्रम का हर पड़ाव इस अध्याय के एक खंड से जुड़ा है।)

राज्य प्रशासनिक सेवा की प्रशिक्षु अधिकारी **सुधा** अपने बैच के साथ अहमदाबाद के **साबरमती आश्रम** पहुँची। उसे लगता था कि गांधी तो इतिहास की किताबों का एक अध्याय भर हैं — पुरानी बातें, पुराने लोग। आश्रम के बुजुर्ग गाइड **हरिभाई** ने मुस्कराकर कहा — "बेटा, आज मैं तुम्हें गांधी नहीं, तुम्हारी अपनी नौकरी की नियमावली दिखाऊँगा।"

पहला पड़ाव — चरखा: हरिभाई ने चरखा दिखाया — "गांधी कोई किताबी विचारक नहीं थे। उन्होंने जो कहा, पहले स्वयं करके दिखाया। इसे **व्यावहारिक आदर्शवाद** कहते हैं।" (खंड 1)

दूसरा पड़ाव — पुस्तकों की अलमारी: गीता, बाइबिल, रस्किन, टॉल्स्टॉय, थोरो — "गांधी ने हर धर्म और हर विचारक से कुछ न कुछ सीखा।" (खंड 2)

तीसरा पड़ाव — दर्पण: एक छोटे दर्पण के नीचे लिखा था — "जो सोचो, वही बोलो; जो बोलो, वही करो।" हरिभाई बोले — "यही गांधी की नैतिकता का पूरा सार है; और गरीब में भगवान देखना — **दरिद्र नारायण** — उसकी आत्मा।" (खंड 3 और 4)

चौथा पड़ाव — प्रार्थना-भूमि की दीवार: वहाँ आश्रम के **ग्यारह व्रत** लिखे थे — सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, शरीर-श्रम... सुधा ने सोचा, "अस्तेय और अपरिग्रह — यही तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध असली ढाल है।" (खंड 5)

पाँचवाँ पड़ाव — दांडी का चित्र: "एक मुट्ठी नमक से साम्राज्य हिला दिया — यह **सत्याग्रह** था; और जब चौरी-चौरा में हिंसा हुई, तो गांधी ने पूरा आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि उनके लिए **साधन** भी उतने ही पवित्र थे जितना **साध्य**।" (खंड 6 और 7)

छठा पड़ाव — एक पट्टिका: सात सामाजिक पाप — "सिद्धांत बिना राजनीति, श्रम बिना धन..." और उसके नीचे **गांधी का जंतर** — "जब संदेह हो, सबसे गरीब का चेहरा याद करो।" सुधा ने वह जंतर अपने फ़ोन के वॉलपेपर पर लगा लिया। (खंड 8)

सातवाँ पड़ाव — एक उद्योगपति को लिखी चिट्ठी: "धन तुम्हारा नहीं, समाज की अमानत है — तुम उसके **ट्रस्टी** हो।" हरिभाई ने समझाया कि **सर्वोदय** का अर्थ सबका उदय है, और **अंत्योदय** का अर्थ अंतिम व्यक्ति से शुरुआत। (खंड 9)

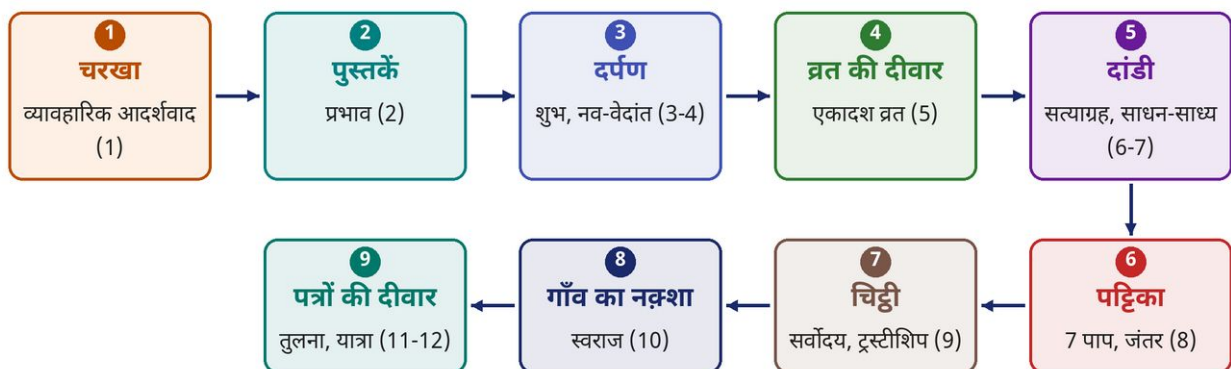
आठवाँ पड़ाव — गाँव का नक्शा: "गांधी का सपना था **ग्राम स्वराज** — हर गाँव अपने निर्णय खुद ले। आज की ग्राम पंचायतें उसी सपने का संवैधानिक रूप हैं।" (खंड 10)

नौवाँ पड़ाव — पत्रों की दीवार: टैगोर, आंबेडकर और सुभाष बोस के साथ गांधी के पत्र — "महान लोग भी असहमत होते थे, पर संवाद नहीं तोड़ते थे।" और आखिर में एक लंबी समय-रेखा, पोरबंदर से दिल्ली तक। (खंड 11 और 12)

लौटते समय सुधा ने आगंतुक-पुस्तिका में लिखा — "मैं इतिहास देखने आई थी, अपनी सेवा की नियमावली लेकर जा रही हूँ।" आइए, अब यही यात्रा हम इस अध्याय में करते हैं।

🔑 **इस कहानी से सीख:** यह अध्याय गांधीवादी नैतिकता के आधार (व्यावहारिक आदर्शवाद, प्रभाव), मूल्यों (सत्य, अहिंसा, एकादश व्रत), संघर्ष-पद्धति (सत्याग्रह, साधन-साध्य), सामाजिक-आर्थिक दर्शन (सर्वोदय, ट्रस्टीशिप) और राज्य-दर्शन (स्वराज) की क्रमबद्ध यात्रा कराता है।

सुधा की साबरमती यात्रा — अध्याय के नौ पड़ाव



चित्र 5.2: सुधा की साबरमती यात्रा — अध्याय के नौ पड़ाव

📖 अध्याय विषय-सूची

1	परिचय, विशेषताएँ एवं मूल आधार	7	साधन और साध्य (Ends vs Means)
2	धार्मिक एवं पाश्चात्य विचारकों का प्रभाव	8	गांधी के 7 सामाजिक पाप (7 Social Sins)
3	शुभ और नैतिकता की गांधीवादी अवधारणा	9	सर्वोदय एवं ट्रस्टीशिप (Sarvodaya and Trusteeship)
4	नव-वेदांती दर्शन (Neo-Vedantic Philosophy)	10	राजनीति-धर्म, राज्य की अवधारणा, हृदय-परिवर्तन एवं स्वराज
5	एकादश व्रत — ग्यारह व्रत (Ekadash Vrat)	11	तुलनात्मक अध्ययन — गांधी बनाम टैगोर/आंबेडकर/बोस
6	सत्याग्रह — सत्य की शक्ति (Satyagraha)	12	गांधीवादी नीतिशास्त्र — ऐतिहासिक यात्रा एवं प्रशासनिक प्रासंगिकता

1. परिचय, विशेषताएँ एवं मूल आधार

गांधीवादी नीतिशास्त्र किसी एक दार्शनिक ग्रंथ में नहीं, बल्कि महात्मा गांधी के पूरे जीवन, आंदोलनों और व्यक्तिगत प्रयोगों में मिलता है। गांधीजी कोई अकादमिक (किताबी) विचारक नहीं थे, बल्कि एक जननेता (Mass Leader) थे — उनका दर्शन उनके धार्मिक विश्वासों, जन-आंदोलनों के अनुभव और विश्व के अलग-अलग विचारकों के प्रभाव से मिलकर बना। इसीलिए इसे 'व्यावहारिक आदर्शवाद' (Practical Idealism) कहा जाता है — यानी सिद्धांत सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि रोज़ के जीवन में जीकर दिखाए गए।

🔍 आसान परिभाषा: व्यावहारिक आदर्शवाद (Practical Idealism)

📖 **परिभाषा:** एक ऐसा नैतिक दृष्टिकोण जिसमें ऊँचे आदर्श (जैसे सत्य, अहिंसा) सिर्फ सोच-विचार तक सीमित न रहकर, वास्तविक जीवन और सार्वजनिक आंदोलनों में लागू किए जाते हैं।

💡 **आसान भाषा में:** जैसे कोई सिर्फ यह न कहे कि 'ईमानदारी अच्छी चीज़ है', बल्कि खुद अपनी ज़िंदगी में हर छोटे-बड़े फैसले में ईमानदारी बरते — गांधीजी ने ठीक यही किया, इसीलिए उन्होंने कहा 'मेरा जीवन ही मेरा संदेश है' (My life is my message)। 🏠 **उदाहरण:** एक कलेक्टर जो सिर्फ भाषणों में पारदर्शिता की बात न करे, बल्कि खुद अपनी हर फाइल और खर्च को जनता के सामने पारदर्शी रखे — यह प्रशासन में व्यावहारिक आदर्शवाद है।

1.1 गांधीवादी नीतिशास्त्र की विशेषताएँ

पहलू	गांधीवादी नीतिशास्त्र की विशेषता
स्वरूप	व्यावहारिक आदर्शवाद (Practical Idealism) — सिद्धांत और व्यवहार का सामंजस्य।
मूल आधार	सत्य और अहिंसा — दोनों एक-दूसरे के लिए अनिवार्य, अलग नहीं किए जा सकते।
स्रोत	धार्मिक विश्वास + जन-आंदोलनों का अनुभव + विश्व के विचारकों का प्रभाव — तीनों का मेल।
सार्वभौमिकता	किसी एक धर्म, देश या काल तक सीमित नहीं — सभी संस्कृतियों के लिए प्रासंगिक माना जाता है।
मुख्य संदेश	"मेरा जीवन ही मेरा संदेश है" — जो कहा, वही करके दिखाया।
नैतिकता की कसौटी	विचार, वाणी और कर्म — तीनों में सामंजस्य होना ही सच्ची नैतिकता है।

गांधीवादी दर्शन — दोहरे लक्ष्य वाला दर्शन: गांधीवादी दर्शन का लक्ष्य एक साथ दो परिवर्तन करना है — **व्यक्ति का परिवर्तन** और **समाज का परिवर्तन**, दोनों सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों के अनुसार। गांधीजी ने स्वतंत्रता आंदोलन के नेता और एक विपुल लेखक के रूप में मानव-जीवन के लगभग हर पहलू — राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और नैतिक — पर विचार रखे। उनके विचारों का विकास किसी पुस्तकालय में नहीं, बल्कि अहिंसक जन-संघर्ष के बीच हुआ, इसलिए उनमें समय-समय पर कुछ बदलाव भी दिखते हैं।

1.2 गांधीजी के अनुसार कोई कर्म "नैतिक" कब है?

गांधीजी के अनुसार कोई कर्म तभी नैतिक है, जब वह एक साथ **छह कसौटियों** पर खरा उतरे — वह **स्वैच्छिक** (Volitional) हो, **सोच-समझकर किया गया** (Intentional) हो, **सार्वभौमिक** (Universal — सब पर लागू हो सके) हो, **व्यावहारिक** (Practical) हो, **निःस्वार्थ** (Selfless) हो, और **भय तथा दबाव से मुक्त** हो। गांधीवादी नैतिक जीवन के तत्व हैं — शांत, सौम्य और स्थिर व्यक्तित्व का विकास, अच्छी आदतें, संयम, परोपकार और सदाचार। यानी गांधीजी के अनुसार नैतिक जीवन किसी एक बड़े अच्छे काम से नहीं बनता, बल्कि रोज़ की अच्छी आदतों, अपनी इच्छाओं पर संयम और दूसरों की भलाई के छोटे-छोटे कामों से धीरे-धीरे एक शांत और स्थिर व्यक्तित्व बनता है — और यही व्यक्तित्व कठिन समय में भी सही रास्ते से नहीं डिगता।

गांधीवादी "नैतिक नियम" की विशेषताएँ: यह नियम पवित्र, सार्वभौमिक, शाश्वत, अपरिवर्तनीय, देश-काल से स्वतंत्र और वस्तुनिष्ठ है; यह बाहर से थोपा नहीं जाता, बल्कि **स्वयं पर लागू किया जाता है** (Self-imposed), हृदय में निवास करता है और व्यक्ति के आंतरिक स्वरूप से जुड़ा है। सरल शब्दों में — सच बोलना या किसी को कष्ट न देना जैसा नैतिक नियम हर देश, हर युग और हर व्यक्ति पर एक-सा लागू होता है; यह किसी की सुविधा या समय के साथ नहीं बदलता। और इसका पालन व्यक्ति किसी क़ानून या सज़ा के डर से नहीं, बल्कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर स्वयं करता है।

गांधीजी के अनुसार नैतिक कर्म की छह कसौटियाँ

नैतिक कर्म

स्वैच्छिक अपनी इच्छा से, मजबूरी में नहीं	सोचा-समझा सजग इरादे से	सार्वभौमिक सब पर लागू हो सके
व्यावहारिक जीवन में उतर सके	निःस्वार्थ निजी लाभ के बिना	भय-मुक्त डर या दबाव से नहीं

चित्र 5.3: गांधीजी के अनुसार नैतिक कर्म की छह कसौटियाँ

गांधीवादी नैतिकता के मूल सिद्धांत और उनकी प्रासंगिकता: गांधीवादी नैतिकता के केंद्र में सत्य और अहिंसा हैं; इन्हीं से सत्याग्रह, ट्रस्टीशिप और सर्वोदय जैसे उप-सिद्धांत निकलते हैं। आज के प्रशासन में इनकी प्रासंगिकता उदाहरणों से सबसे अच्छी तरह समझ आती है — जैसे सत्य का अर्थ है पारदर्शी और ईमानदार कामकाज, अहिंसा का अर्थ है विवाद को बल के बजाय संवाद से सुलझाना, ट्रस्टीशिप का अर्थ है सार्वजनिक धन और संसाधनों को जनता की अमानत समझना, और सर्वोदय का अर्थ है योजनाओं का लाभ सबसे अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना। इस अध्याय की कहानियाँ और उदाहरण यही बात विस्तार से दिखाते हैं।

2. धार्मिक एवं पाश्चात्य विचारकों का प्रभाव

गांधीजी का नैतिक दर्शन किसी एक स्रोत से नहीं, बल्कि कई धर्मों और पश्चिमी विचारकों के मेल से बना। यह उनकी सबसे बड़ी खासियत थी — वे हर जगह से अच्छाई चुनकर अपने दर्शन में पिरो लेते थे।

2.1 धार्मिक प्रभाव

धर्म	प्रमुख प्रभाव	गांधीजी में अभिव्यक्ति
बौद्ध धर्म	अहिंसा का सिद्धांत।	अहिंसा को सत्याग्रह की आत्मा बनाया — किसी भी परिस्थिति में हिंसा का सहारा न लेना।
जैन धर्म	पाँच महाव्रत (सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह) तथा अनेकांतवाद (सत्य को कई दृष्टिकोणों से देखने का सिद्धांत)।	गांधीजी के एकादश व्रतों की नींव इन्हीं पाँच महाव्रतों पर टिकी है; अनेकांतवाद से उन्होंने विरोधी के विचार में भी सत्य के अंश ढूँढने की समझ पाई।
हिंदू धर्म	"वैष्णव जन तो तेने कहिये जे पीर पराई जाने रे" (सच्चा वैष्णव वही है जो दूसरों का दर्द समझे) तथा स्वधर्म का विचार।	दूसरों की पीड़ा समझना और अपने नियत कर्तव्य (स्वधर्म) का पालन करना — दोनों को जीवन का आधार बनाया।
ईसाई धर्म	करुणा और प्रेम — ईसा मसीह की शिक्षाएँ, विशेषकर 'पर्वत पर उपदेश' (Sermon on the Mount)।	सर्वधर्म समभाव तथा 'दूसरा गाल भी आगे कर दो' जैसी क्षमाशीलता की भावना को अपनाया।

New India Education by Omkar Sir

2.2 पाश्चात्य विचारकों का प्रभाव

विचारक	पुस्तक / विचार	गांधीजी पर प्रभाव
सुकरात (Socrates)	जीवनभर सत्य की खोज में लगे रहे, मृत्यु से नहीं डरे।	गांधीजी ने वर्ष 1908 में दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए प्लेटो द्वारा लिखित सुकरात की 'Apology' का गुजराती में रूपांतरण किया, जिसे उन्होंने शीर्षक दिया — 'एक सत्यवीर की कथा' (Story of a Soldier of Truth) — यहीं से सुकरात के प्रति उनका यह सम्मान झलकता है।
लियो टॉल्स्टॉय (Tolstoy)	'द किंगडम ऑफ़ गॉड इज़ विदइन यू' (The Kingdom of God is Within You)	बुराई का अहिंसक प्रतिरोध (Non-resistance to Evil by violent means) — यही विचार आगे चलकर सत्याग्रह का आधार बना।
जॉन रस्किन (Ruskin)	'Unto This Last'	सर्वोदय, अंत्योदय (समाज के अंतिम व्यक्ति का उत्थान) और श्रम की गरिमा (Dignity of Labour) का सिद्धांत इसी किताब को पढ़कर विकसित हुआ।
हेनरी डेविड थोरो (Thoreau)	'सविनय अवज्ञा' (Civil Disobedience)	सविनय अवज्ञा (Civil Disobedience) आंदोलन की तकनीक की प्रेरणा यहीं से मिली।

गांधीवादी विचार के स्रोत



चित्र 5.4: गांधीवादी विचार के स्रोत

☀ पीटरमैरिट्ज़बर्ग की वह रात — जहाँ सत्याग्रह का बीज पड़ा

7 जून 1893 की रात, दक्षिण अफ्रीका। युवा वकील **मोहनदास गांधी** के पास प्रथम श्रेणी का वैध टिकट था, फिर भी एक श्वेत यात्री की आपत्ति पर उन्हें **पीटरमैरिट्ज़बर्ग** स्टेशन पर रेलगाड़ी से उतार दिया गया। कड़ाके की ठंड में वे पूरी रात स्टेशन के प्रतीक्षालय में बैठे रहे और सोचते रहे — "क्या मैं भारत लौट जाऊँ, या यहीं रहकर इस अन्याय से लड़ूँ?"

उन्होंने लड़ने का निर्णय लिया — पर हिंसा से नहीं, सत्य और अहिंसा से। बाद में उन्होंने इस रात को अपने जीवन के सबसे निर्णायक क्षणों में गिना। यह घटना दिखाती है कि अन्याय का अनुभव जब निजी क्रोध के बजाय सार्वजनिक संकल्प में बदलता है, तो वह इतिहास बदल सकता है।

☀ गांधी के पहले शिक्षक — माँ, पत्नी और गुरु

मूल्यों के निर्माण में परिवार की भूमिका सबसे पहली और सबसे गहरी होती है, क्योंकि वहाँ भावनात्मक जुड़ाव सबसे अधिक होता है और बच्चा अपने माता-पिता को देखकर सीखता है (अनुकरण द्वारा सीखना)। गांधीजी स्वयं इसका उदाहरण हैं। अपनी आत्मकथा में उन्होंने बताया कि उनकी माँ **पुतलीबाई** कठोर व्रत और उपवास रखती थीं — उपवास और आत्म-संयम का पहला पाठ उन्होंने वहीं से सीखा। और उन्होंने स्वीकार किया कि अहिंसक प्रतिरोध — यानी बिना हिंसा के, शांत दृढ़ता से अन्याय का विरोध — का पाठ उन्हें अपनी पत्नी **कस्तूरबा** से मिला, जो उनकी ज़िद के आगे शांत रहकर भी झुकती नहीं थीं।

राजनीतिक जीवन में **गोपाल कृष्ण गोखले** उनके गुरु बने, जिन्होंने भारत और जीवन के प्रति गांधी की दृष्टि को आकार दिया। यह दिखाता है कि एक शिक्षक या गुरु अपने शिष्य के नैतिक आचरण को कितनी गहराई से प्रभावित कर सकता है — जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त को और विवेकानंद ने भगिनी निवेदिता को।

☀ एक प्रामाणिक उद्धरण

"अहिंसा मेरी आस्था का पहला सिद्धांत है, और यह मेरी आस्था का अंतिम सिद्धांत भी है।" ("Non-violence is the first article of my faith. It is also the last article of my creed.") — यह गांधीजी का एक सुप्रमाणित, बार-बार उद्धृत किया जाने वाला कथन है, जो उनके जीवन में अहिंसा के केंद्रीय स्थान को दर्शाता है।

धार्मिक और पाश्चात्य प्रभावों को **स्रोत और परिणाम की जोड़ी** के रूप में समझना सबसे आसान है — यानी हर स्रोत से गांधीजी ने कौन-सा विचार लिया। जैसे रस्किन की पुस्तक 'Unto This Last' से सबके कल्याण यानी सर्वोदय का विचार आया; टॉल्स्टॉय के 'बुराई का हिंसा से प्रतिरोध न करने' के विचार से सत्याग्रह की नींव पड़ी; और थोरो के निबंध से अन्यायपूर्ण क़ानून को शांतिपूर्वक तोड़ने यानी सविनय अवज्ञा की प्रेरणा मिली।

3. शुभ और नैतिकता की गांधीवादी अवधारणा

☀ प्रसिद्ध कथन

"खुशी तब है जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं — उनमें सामंजस्य हो।" — महात्मा गांधी के नाम से प्रचलित

गांधीजी के अनुसार कोई भी कार्य तभी नैतिक (शुभ) माना जाएगा जब वह जानबूझकर, सार्वभौमिक रूप से लागू होने योग्य, निस्वार्थ और भय से पूरी तरह मुक्त होकर किया गया हो। नैतिक व्यक्ति में शांति, संयम, सत्य, प्रेम, अहिंसा, करुणा, निडरता और परोपकार — ये सभी गुण एक साथ पाए जाते हैं। व्यक्तिगत परिणामों की परवाह किए बिना हमेशा सही का साथ देना ही 'लोकसंग्रह' है — यानी अपने आचरण से पूरे समाज को सही दिशा दिखाना।

🔍 आसान परिभाषा: विचार-वाणी-कर्म का सामंजस्य (Harmony in Thought, Word and Action)

📖 **परिभाषा:** गांधीजी के अनुसार नैतिकता की सबसे बड़ी कसौटी यह है कि इंसान जो मन में सोचे, वही जुबान से कहे, और वही अपने कर्म में भी करे — तीनों में कोई फ़र्क न हो।

💡 आसान भाषा में: जैसे कोई बच्चा मन में जानता हो कि नकल करना गलत है, जुबान से भी यही कहे, और फिर खुद परीक्षा में नकल न करे — यही तीनों का सामंजस्य है। अगर वह सिर्फ कहे कि नकल गलत है पर खुद नकल कर ले, तो सामंजस्य टूट जाता है। 🏠 **उदाहरण:** एक अधिकारी जो भाषण में भ्रष्टाचार-विरोध की बात करे, पर खुद रिश्तत ले — यह विचार-वाणी-कर्म में असामंजस्य (Unethical) का उदाहरण है; इसके विपरीत जो कहे और वैसा ही करे, वह गांधीवादी अर्थ में सच्चा नैतिक व्यक्ति है।

गांधीवादी नैतिकता की कसौटी — तीनों में एकता



चित्र 5.5: गांधीवादी नैतिकता की कसौटी — तीनों में एकता

“ कमज़ोर कभी क्षमा नहीं कर सकते; क्षमा करना तो बलवान का गुण है। (The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong.) ” — महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi), यंग इंडिया, 1931

3.1 गांधीवादी नैतिकता का प्रशासनिक उपयोग

गांधीवादी नैतिकता	प्रशासनिक उपयोग	उदाहरण
निस्वार्थ कर्म	अपने नियत कर्तव्य (Duty) से आगे जाकर काम करना।	केरल बाढ़ (2018) के दौरान कई अधिकारियों ने प्रोटोकॉल से परे जाकर, अपनी जान जोखिम में डालकर बचाव-कार्य किया।
सार्वभौमिकता	सबका साथ, सबका विकास — किसी वर्ग को पीछे न छोड़ना।	स्वच्छ भारत मिशन — सफाई को हर नागरिक, हर वर्ग का साझा दायित्व बनाना।
सहिष्णुता	धार्मिक व सामाजिक सहिष्णुता बनाए रखना (संविधान का अनुच्छेद 25-28)।	अल्पसंख्यकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर सचचर समिति (Sachar Committee) की रिपोर्ट व सिफारिशें।
परोपकार	व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठकर समाज-सेवा।	टाटा ट्रस्ट्स, अज़ीम प्रेमजी फ़ाउंडेशन जैसी संस्थाओं का कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) कार्य।

☀️ "हिमालय जैसी भूल" — जब गांधी ने सबके सामने अपनी गलती मानी

1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधीजी ने देशव्यापी सत्याग्रह का आह्वान किया। पर अहमदाबाद, नडियाद और कुछ अन्य जगहों पर आंदोलन हिंसक हो गया। गांधीजी ने किसी और पर दोष डालने के बजाय सार्वजनिक रूप से कहा कि लोगों को सत्याग्रह का अनुशासन सिखाए बिना आंदोलन शुरू करना उनकी **"हिमालय जैसी भूल" (Himalayan Miscalculation)** थी, और उन्होंने आंदोलन स्थगित कर दिया। एक बड़े नेता द्वारा अपनी गलती को इतने बड़े शब्दों में सबके सामने स्वीकारना — यही गांधी की **सत्यनिष्ठा** है। उनके लिए सत्य केवल दूसरों से बोलने की चीज़ नहीं, बल्कि सबसे पहले स्वयं से बोलने की चीज़ था।

📖 कहानी: "सच की क्रीमत" — एक तहसीलदार जिसने अपनी गलती मानी

चित्तौड़गढ़ ज़िले की एक तहसील में राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए भूमि-अधिग्रहण चल रहा था। तहसीलदार **दिनेश** (काल्पनिक नाम) के कार्यालय ने मुआवज़े की सूची तैयार करके ज़िले को भेज दी थी। सूची जारी होने के दो हफ्ते बाद एक बुजुर्ग किसान **धन्नाराम** ने आकर बताया कि उनकी संचित ज़मीन को सूची में "असंचित" लिख दिया गया है, जिससे उनका मुआवज़ा लगभग आधा रह गया।

दिनेश ने रिकॉर्ड की जाँच करवाई — गलती उन्हीं के कार्यालय की थी। उनके एक सहयोगी ने सलाह दी — "साहब, सूची ज़िले से स्वीकृत हो चुकी है। अब इसे खोलेंगे तो ऊपर से पूछताछ होगी, आपकी छवि खराब होगी। किसान को अपील में जाने दीजिए।" अपील का अर्थ था — एक बुजुर्ग किसान के लिए महीनों की भाग-दौड़।

दिनेश को गांधीजी की आत्मकथा का वह वाक्य याद आया, जो उन्होंने प्रशिक्षण के दिनों में पढ़ा था — सत्य के प्रयोग का अर्थ है अपनी गलती को सबसे पहले स्वयं स्वीकारना। उन्होंने ज़िला कलेक्टर को एक स्पष्ट पत्र लिखा — "यह त्रुटि मेरे कार्यालय की है, इसकी जिम्मेदारी मेरी है; संशोधन का प्रस्ताव संलग्न है।" साथ ही उन्होंने पूरी सूची का दोबारा भौतिक सत्यापन करवाया, जिसमें ऐसी ही चार और गलतियाँ मिलीं।

कलेक्टर ने संशोधन स्वीकार किया और समीक्षा बैठक में सबके सामने कहा — "गलती होना प्रशासनिक कमज़ोरी है, पर गलती छिपाना नैतिक कमज़ोरी है। दिनेश ने दूसरी कमज़ोरी से बचकर पहली को भी सुधार दिया।" धन्नाराम को पूरा मुआवज़ा मिला। बाद में उस तहसील में हर मुआवज़ा-सूची को जारी करने से पहले ग्राम सभा में पढ़कर सुनाने की व्यवस्था शुरू हुई।

🔑 **इस कहानी से सीख:** गांधीवादी सत्य केवल झूठ न बोलना नहीं, बल्कि अपनी गलती को साहस से स्वीकारना और सुधारना भी है। सार्वजनिक जीवन में गलती छिपाना जनता के भरोसे को तोड़ता है, जबकि उसे स्वीकारना संस्था को और विश्वसनीय बनाता है। पारदर्शिता (सूची को ग्राम सभा में पढ़ना) इसी सत्य का संस्थागत रूप है।

3.2 गांधी के तीन प्रसिद्ध कथन — अर्थ और प्रशासनिक संदेश

कथन	गहरा अर्थ	लोक सेवा में संदेश
"स्वयं को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है, दूसरों की सेवा में स्वयं को खो देना।" (गांधीजी के नाम से प्रचलित)	(1) अहंकार से ऊपर उठना — निःस्वार्थ सेवा ध्यान को अपनी इच्छाओं से हटाकर विनम्रता लाती है; (2) जीवन का उद्देश्य मिलना — दूसरों की ज़रूरतें पूरी करते हुए व्यक्ति अपने भीतर छिपे कौशल और जीवन का असली उद्देश्य खोजता है; (3) परस्पर-जुड़ाव — सेवा से यह भाव जागता है कि हम एक बड़े मानव-परिवार का हिस्सा हैं; (4) आत्म-साक्षात्कार — स्वयं की सच्ची समझ केवल आत्म-चिंतन से नहीं, बल्कि दुनिया की समस्याओं से सक्रिय जुड़ाव से आती है; (5) आध्यात्मिक विकास — सेवा नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है।	लोक सेवक के लिए सेवा ही आत्म-संतोष का सबसे बड़ा स्रोत है; पद नहीं, सेवा पहचान बने।
"क्रोध और असहिष्णुता सही समझ के शत्रु हैं।"	सहिष्णुता का अर्थ है — उन विचारों, आस्थाओं और व्यवहारों को स्वीकारने और उनका सम्मान करने की क्षमता, जो हमारे अपने विचारों से अलग या विपरीत हों। क्रोध और असहिष्णुता मन पर पर्दा डाल देते हैं, जिससे हम सामने वाले की बात सही ढंग से समझ ही नहीं पाते।	बहुसांस्कृतिक समाज में सहिष्णुता सामंजस्यपूर्ण शासन, समावेश, शांति और सामाजिक एकता सुनिश्चित करती है।
"कमज़ोर कभी क्षमा नहीं कर सकते; क्षमा करना बलवान का गुण है।"	(1) आंतरिक शक्ति — सच्ची क्षमा के लिए अहंकार, क्रोध और बदले की भावना पर विजय पानी पड़ती है, जिसके लिए अपार नैतिक साहस चाहिए; (2) कड़वाहट से मुक्ति — मन में द्वेष रखना व्यक्ति को गुलाम बनाता है, जबकि क्षमा उसे मुक्त करती है। गांधी की नैतिकता आंतरिक शक्ति, नैतिक साहस और प्रेम तथा आत्म-पीड़न (स्वयं कष्ट सहकर विरोधी का हृदय बदलना) की परिवर्तनकारी शक्ति पर टिकी थी।	आलोचना या व्यक्तिगत अपमान के बाद भी निर्णय में बदले की भावना न आने देना।

4. नव-वेदांती दर्शन (Neo-Vedantic Philosophy)

नव-वेदांत (Neo-Vedanta) से आशय प्राचीन वेदांत दर्शन की उस नई व्याख्या से है, जो 19वीं-20वीं सदी में स्वामी विवेकानंद और गांधीजी जैसे चिंतकों ने की — इसमें आध्यात्मिकता को संसार से भागने के बजाय समाज-सेवा से जोड़ा गया। गांधीजी ने वेदांत के 'द्वैत' (ईश्वर और जगत अलग-अलग) और 'अद्वैत' (ईश्वर और जगत एक ही) — दोनों विचारधाराओं का समन्वय किया। उनके अनुसार ब्रह्म जितना सत्य है, यह संसार भी उतना ही सत्य है — इसीलिए संसार की समस्याओं (गरीबी, भूख, असमानता) को सुलझाना भी उतना ही ज़रूरी आध्यात्मिक कार्य है, जितना ईश्वर की खोज।

आसान परिभाषा: दरिद्र नारायण की सेवा (Daridra Narayan)

 **परिभाषा:** गांधीजी का यह विचार कि सबसे गरीब और वंचित व्यक्ति में ही ईश्वर का वास है — इसलिए गरीबों की सेवा करना, ईश्वर की सेवा करने के बराबर है।

 **आसान भाषा में:** जैसे कोई मंदिर में पूजा करने से पहले घर के बाहर बैठे भूखे व्यक्ति को खाना खिला दे — गांधीजी के अनुसार यही असली पूजा है, क्योंकि 'भूखे पेट भगवान का भजन नहीं हो सकता'।  **उदाहरण:** प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), मनरेगा (MGNREGA), तथा राजस्थान की इंदिरा रसोई योजना — ये सभी योजनाएँ आधुनिक प्रशासन में 'दरिद्र नारायण की सेवा' के व्यावहारिक रूप हैं।

◆ अनेकांतवाद (जैन दर्शन से प्रभावित) का असर — गांधीजी हमेशा दूसरे के विचार में भी सत्य का कोई अंश खोजने की कोशिश करते थे, इसलिए वे किसी को भी पूरी तरह 'गलत' नहीं मानते थे।

दरिद्र नारायण और "जीव सेवा ही शिव सेवा": गांधीजी का दरिद्र नारायण का विचार स्वामी विवेकानंद के सूत्र "जीव सेवा ही शिव सेवा" से गहराई से मेल खाता है। इसी तरह गीता का सार निःस्वार्थ कर्म है और गांधी का सार स्व-शासन — यानी व्यक्ति का अपने मन और इच्छाओं पर स्वयं नियंत्रण। इन सभी दर्शनों का सार एक ही है — मनुष्य केवल स्वार्थी प्राणी नहीं, वह दूसरों के हित में भी कर्म कर सकता है। इसीलिए दोनों के निष्कर्ष अलग हैं — 17वीं सदी के अंग्रेज़ दार्शनिक थॉमस हॉब्स (Thomas Hobbes) मनुष्य को स्वभाव से स्वार्थी मानते थे, इसलिए उनका मत था कि "मज़बूत सरकार ही सबसे अच्छी सरकार है", जो डंडे के बल पर लोगों को काबू में रखे; वहीं गांधी का मत था कि "सबसे कम शासन करने वाली सरकार ही सबसे अच्छी सरकार है" — क्योंकि नैतिक रूप से जागरूक नागरिक स्वयं पर शासन कर सकते हैं।

◆ गांधीजी धार्मिक बहुलवाद (Religious Pluralism) में विश्वास करते थे — यानी यह मानना कि सभी धर्म अलग-अलग रास्तों से एक ही सत्य तक पहुँचते हैं, जैसे अलग-अलग नदियाँ अंत में एक ही सागर में मिलती हैं। इसलिए किसी धर्म को ऊँचा या नीचा मानने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह विचार 'अनेकता में एकता' के भारतीय विचार से मेल खाता है।

नव-वेदांत — गांधी के आध्यात्मिक सूत्र

गांधी का नव-वेदांत

द्वैत-अद्वैत समन्वय

ब्रह्म भी सत्य, संसार भी सत्य

दरिद्र नारायण

गरीब की सेवा = ईश्वर की सेवा

अनेकांतवाद

हर विचार में सत्य का अंश

सर्वधर्म समभाव

सब धर्म एक सत्य के रास्ते

चित्र 5.6: नव-वेदांत — गांधी के आध्यात्मिक सूत्र

4.1 सर्वधर्म समभाव और सांप्रदायिक सद्भाव

गांधीजी के लिए **सांप्रदायिक सद्भाव** केवल कहने की बात नहीं, बल्कि एक अटूट बंधन था, जो **सभी धर्मों के प्रति समान आदर** पर टिका हो। वे कहते थे कि हर व्यक्ति को दूसरे धर्मों के प्रति वैसा ही आदर रखना चाहिए, जैसा अपने धर्म के प्रति — इससे धार्मिक दरारें मिटेंगी और धर्म समाज को जोड़ने वाली शक्ति बनेगा, तोड़ने वाली नहीं। उनके **रचनात्मक कार्यक्रम** (समाज-सुधार के ठोस कामों की वह सूची, जिसे खंड 10 में विस्तार से समझाया गया है) में सांप्रदायिक एकता को पहला स्थान दिया गया था। वे धैर्य, अनुनय और दृढ़ता (Patience, Persuasion, Perseverance) के रास्ते से सद्भाव लाने में विश्वास करते थे।

प्रशासनिक अर्थ: एक जिला प्रशासन के लिए सर्वधर्म समभाव का अर्थ है — सभी धार्मिक आयोजनों के लिए एक-सी अनुमति-प्रक्रिया, शांति-समितियों में हर समुदाय का प्रतिनिधित्व, अफवाहों पर तत्काल और निष्पक्ष कार्रवाई, और किसी भी समुदाय के प्रति न तो विशेष कृपा, न विशेष कठोरता।

"भूखे पेट भगवान का भजन नहीं हो सकता" — इस पंक्ति का वास्तविक अर्थ तब खुलता है, जब इसे किसी कल्याणकारी योजना (जैसे इंदिरा रसोई, मनरेगा) से जोड़कर देखा जाए; यानी गरीब की बुनियादी ज़रूरतें पूरी करना ही सबसे बड़ी आध्यात्मिक सेवा है।

5. एकादश व्रत — ग्यारह व्रत (Ekadash Vrat)

गांधीजी ने अपने आश्रम (साबरमती व सेवाग्राम) में रहने वालों के लिए 11 व्रतों की एक आचार-संहिता बनाई थी, जिसका पालन हर आश्रमवासी को करना होता था। ये 11 व्रत जैन धर्म के पाँच महाव्रतों की नींव पर खड़े हैं, जिनमें गांधीजी ने अपनी ओर से 6 और व्रत जोड़े।

आसान परिभाषा: एकादश व्रत (Ekadash Vrat)

परिभाषा: गांधीजी द्वारा अपने आश्रम-जीवन के लिए तय की गई 11 आचार-प्रतिज्ञाएँ — 5 व्यक्तिगत महाव्रत (जैन परंपरा से) + 3 'S' (Sharira Shrama, Swadeshi, Sarva Dharma Sambhava) + 3 'A' (Asvada, Abhaya, Asprishyata Nivaran)।

आसान भाषा में: जैसे किसी स्कूल में विद्यार्थियों के लिए एक 'आचार-नियमावली' होती है जिसका पालन हर विद्यार्थी को करना होता है — ठीक वैसे ही गांधी-आश्रम में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए ये 11 व्रत अनिवार्य आचार-संहिता थे। **उदाहरण:** स्मरण-सूत्र: पहले 5 महाव्रत (सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह) + 3S (शारीरिक श्रम, स्वदेशी, सर्वधर्म समभाव) + 3A (अस्वाद, अभय, अस्पृश्यता निवारण) = कुल 11 व्रत। रोज़मर्रा में इसे ऐसे समझें — जो अधिकारी सच बोलता है (सत्य), रिश्तत नहीं लेता (अस्तेय), ज़रूरत से ज़्यादा संपत्ति नहीं जोड़ता (अपरिग्रह), अपना काम खुद करने में शर्म नहीं करता (शरीर-श्रम) और दबाव से नहीं डरता (अभय), वह आज भी इन्हीं व्रतों को जी रहा है।

New India Education by Omkar Sir

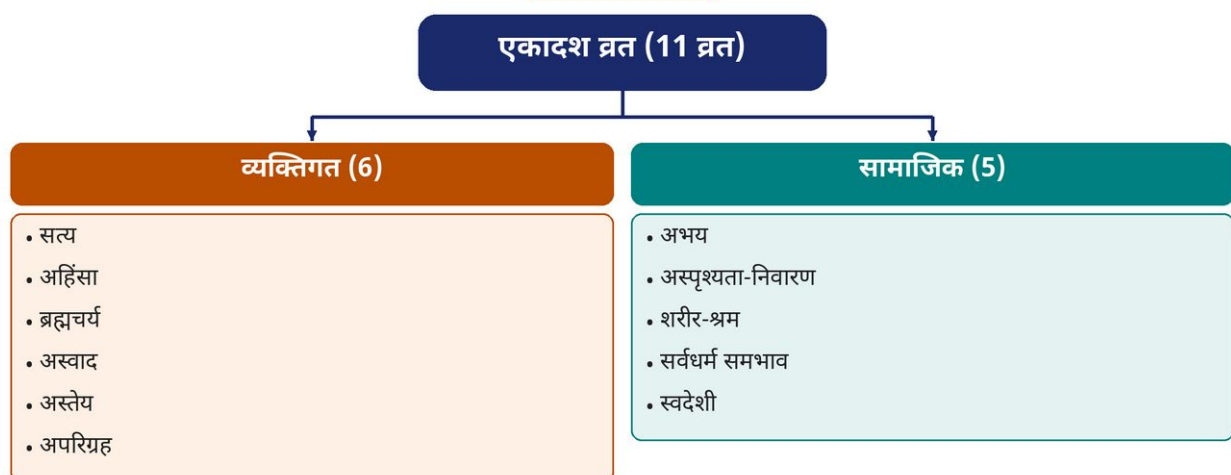
5.1 एकादश व्रत — पूर्ण तालिका (6 व्यक्तिगत + 5 सामाजिक)

एकादश व्रतों का स्रोत — पंच महाव्रत: गांधीजी के व्रतों की जड़ें भारतीय परंपरा, विशेषकर **जैन धर्म के पाँच महाव्रतों** में हैं — अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न करना), ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह (अनावश्यक संग्रह न करना)। जैन परंपरा में अहिंसा का पालन **मन, वचन और शरीर** — तीनों से करना होता है; गांधीजी ने इसी को अपनी अहिंसा का आधार बनाया। इन पाँच के साथ उन्होंने छह और व्रत जोड़े — अस्वाद, अभय, अस्पृश्यता-निवारण, शरीर-श्रम, सर्वधर्म समभाव और स्वदेशी — जो उनके सामाजिक दर्शन को दर्शाते हैं।

क्र.	व्रत	प्रकार	विस्तृत विवरण	प्रशासनिक उपयोग
1	सत्य (Satya)	व्यक्तिगत	विचार, वाणी और कर्म — तीनों में सत्य। "सत्य ही ईश्वर है" — नास्तिक व्यक्ति भी सत्य में विश्वास कर सकता है। अंतरात्मा की आवाज़ ही सत्य की आवाज़ है।	ईमानदार रिपोर्टिंग, डेटा में हेरफेर न करना, व्हिसलब्लोइंग (जैसे सत्येन्द्र दुबे — स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना में भ्रष्टाचार उजागर करने वाले इंजीनियर, जिनकी 2003 में हत्या हुई)।
2	अहिंसा (Ahimsa)	व्यक्तिगत	नकारात्मक अर्थ: मन-वचन-कर्म से किसी को कष्ट न देना। सकारात्मक अर्थ: सभी जीवों से प्रेम, दया, करुणा। "कायर होने से हिंसक होना बेहतर है।" (यानी डर के मारे अन्याय सह लेना अहिंसा नहीं है)	पुलिस हिरासत में यातना (Custodial Torture) पर पूर्ण रोक, भीड़-हिंसा (Mob Lynching) रोकना, पुनर्वास कार्यक्रम।

क्र.	व्रत	प्रकार	विस्तृत विवरण	प्रशासनिक उपयोग
3	अस्तेय (Asteya)	व्यक्तिगत	केवल भौतिक चोरी नहीं, मानसिक चोरी (किसी का श्रेय छीनना) भी वर्जित। ज़रूरत से अधिक संपत्ति रखना भी एक तरह की चोरी है — यही ट्रस्टीशिप का आधार भी है।	भ्रष्टाचार-विरोध, सार्वजनिक धन के दुरुपयोग (Misappropriation) पर रोक।
4	अपरिग्रह (Aparigraha)	व्यक्तिगत	सीमित संग्रहण — बिना श्रम किए कुछ भी प्राप्त न करना। अतिरिक्त धन को व्यक्तिगत नहीं, समाज की धरोहर मानना।	आय से अधिक संपत्ति (Disproportionate Assets) के विरुद्ध कार्रवाई; सivil सेवकों में सादा जीवन की भावना।
5	ब्रह्मचर्य (Brahmacharya)	व्यक्तिगत	व्यापक अर्थ में — "ब्रह्म की ओर बढ़ना", यानी सभी इंद्रियों और भावनाओं पर कठोर आत्म-नियंत्रण, सिर्फ संकुचित यौन-अर्थ नहीं।	कार्यस्थल पर यौन-उत्पीड़न की रोकथाम (POSH अधिनियम, 2013), भावनात्मक संयम।
6	अस्वाद (Asvada)	व्यक्तिगत	जीभ के स्वाद पर नियंत्रण — भोजन को स्वाद का साधन नहीं, बल्कि शरीर को जीवित रखने की 'दवा' मानना। सात्विक भोजन पर बल।	संयम (Temperance) — एक अधिकारी की सादगी; डॉ. कलाम का राष्ट्रपति भवन में भी सादा भोजन लेना इसका जाना-पहचाना उदाहरण है।
7	शारीरिक श्रम (Bread Labour)	सामाजिक	जॉन रस्किन व टॉल्स्टॉय से प्रेरित विचार — बौद्धिक कार्य करने वाला व्यक्ति भी नियमित रूप से कुछ शारीरिक श्रम (जैसे चरखा चलाना) करे।	मनरेगा (MGNREGA) — श्रम की गरिमा (Dignity of Labour); स्किल इंडिया — हर तरह का काम सम्माननीय है, यह भावना।
8	स्वदेशी (Swadeshi)	सामाजिक	अपने आस-पास और अपने देश में बनी वस्तुओं का प्राथमिकता से उपयोग करना।	मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत अभियान, खादी एवं ग्रामोद्योग को बढ़ावा।
9	अभय (Abhaya)	सामाजिक	निडरता — मृत्यु, गरीबी और सत्ता के भय से पूरी तरह मुक्ति। सत्य के साधक के लिए यह अनिवार्य गुण है।	राजनीतिक दबाव में झुके बिना कर्तव्य-निर्वहन — आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल (अवैध रेत-खनन के विरुद्ध कार्रवाई, 2013) तथा आईपीएस मृदुल कच्छावा जैसे अधिकारियों का साहस।
10	अस्पृश्यता निवारण (Asprishyata Nivaran)	सामाजिक	छुआछूत का पूर्ण विरोध। वर्ष 1932 में गांधीजी ने 'हरिजन सेवक संघ' की स्थापना कर इस दिशा में ठोस कदम उठाया।	संविधान का अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता का उन्मूलन); नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (मूल नाम: अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, 1955 — वर्ष 1976 में नाम बदला गया)।
11	सर्वधर्म समभाव (Sarva Dharma Sambhava)	सामाजिक	सभी धर्मों के प्रति समान आदर — यह सिर्फ 'सहनशीलता' (Tolerance) से भी आगे की, सकारात्मक भावना है।	सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना (संविधान का अनुच्छेद 25-28); अंतर-धार्मिक संवाद (Interfaith Dialogue) को बढ़ावा।

एकादश व्रत — 6 व्यक्तिगत + 5 सामाजिक



चित्र 5.7: एकादश व्रत — 6 व्यक्तिगत + 5 सामाजिक

5.2 अहिंसा के दो पहलू — नकारात्मक बनाम सकारात्मक अर्थ

अहिंसा — नकारात्मक अर्थ (Negative)	अहिंसा — सकारात्मक अर्थ (Positive)
◆ मन, वचन और कर्म — तीनों से किसी को भी कष्ट न पहुँचाना।	◆ सभी जीवों के प्रति सक्रिय प्रेम, दया, करुणा और सहानुभूति रखना।
◆ "आँख के बदले आँख लेने की नीति पूरी दुनिया को अंधा बना देगी" — गांधीजी के नाम से प्रचलित कथन (इसका प्रामाणिक लिखित स्रोत नहीं मिलता)।	◆ अन्याय व उत्पीड़न के विरुद्ध सक्रिय (पर अहिंसक) प्रतिरोध करना — निष्क्रियता नहीं।
◆ कायरता से बचना — अहिंसा कायरता का नाम नहीं है, बल्कि निडर व्यक्ति का सचेत चुनाव है।	◆ गांधीजी के अनुसार अहिंसा ही सत्य तक पहुँचने का एकमात्र भरोसेमंद साधन है।

अहिंसा — नकारात्मक और सकारात्मक अर्थ

नकारात्मक (न करना)	बनाम	सकारात्मक (करना)
किसी को कष्ट न देना	मूल भाव	सबके प्रति प्रेम और करुणा
मन, वचन, कर्म से हिंसा नहीं	स्तर	सक्रिय सेवा और सहायता
प्रतिशोध नहीं	विरोधी पर	हृदय-परिवर्तन का प्रयास
बल-प्रयोग से बचना	प्रशासन में	संवाद, संवेदनशीलता, सेवा

चित्र 5.8: अहिंसा — नकारात्मक और सकारात्मक अर्थ

5.3 अहिंसा — वीरों का धर्म, कायरों का नहीं

गांधीजी बार-बार ज़ोर देते थे कि **अहिंसा निष्क्रियता का सिद्धांत नहीं है**, और न ही यह कमज़ोरों या डरपोकों का हथियार है। अहिंसा का अर्थ बुराई को चुपचाप स्वीकार कर लेना नहीं, बल्कि बिना हिंसा के उसका डटकर विरोध करना है। अहिंसा के सक्रिय रूप में **सत्य और निभयता** दोनों शामिल हैं — इसीलिए अहिंसा की पहली शर्त है अभय। गांधीजी को डर था कि कहीं लोग अहिंसा को अन्याय से टकराव टालने का सुविधाजनक बहाना न बना लें, इसलिए उन्होंने यहाँ तक कहा:

“जहाँ केवल कायरता और हिंसा के बीच ही चुनाव करना हो, वहाँ मैं हिंसा की सलाह दूँगा। (Where there is only a choice between cowardice and violence, I would advise violence.)” — महात्मा गांधी, "द डॉक्ट्रिन ऑफ़ द स्वीर्ड", यंग इंडिया, 1920

प्रशासनिक अर्थ: अहिंसक प्रशासन का अर्थ कमज़ोर प्रशासन नहीं है। क़ानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दृढ़ता ज़रूरी है, पर बल-प्रयोग **अंतिम विकल्प** होना चाहिए, न्यूनतम और आनुपातिक होना चाहिए, और उससे पहले संवाद व समझाइश के सभी रास्ते आजमाए जाने चाहिए।

5.4 अहिंसा का विस्तृत अर्थ — पर्यावरण, न्याय और राज्य

◆ **पर्यावरण के प्रति अहिंसा:** जहाँ तक संभव हो, जीवों और उनके पर्यावरण को हानि से बचाने की स्वाभाविक प्रवृत्ति ही अहिंसा है। पारिस्थितिकी-तंत्र की अखंडता का सम्मान करना, और प्रदूषण, दुरुपयोग तथा अत्यधिक दोहन जैसे विनाशकारी प्रभावों से उसे बचाना — यही अहिंसा की भावना है, जिसे गांधी ने विकसित किया।

◆ **न्याय में अहिंसा:** न्याय का उद्देश्य संघर्ष को सुलझाना और घटाना है, और इसका मार्गदर्शक सिद्धांत है **देखभाल और अहिंसा — यानी बल का केवल न्यूनतम आवश्यक प्रयोग**। वैदिक अर्थ में अहिंसा सार्वभौमिक है — सभी जीवों के प्रति सम्मान।

◆ **राज्य-नीति में अहिंसा:** गांधी का विश्वास था कि **अहिंसा की नैतिक नींव पर बना राष्ट्र** भीतर और बाहर से अपनी अखंडता पर होने वाले हमलों का सामना कर सकता है। गांधी ने युद्धों और विनाश से थकी दुनिया को दिखाया कि सत्य और अहिंसा केवल व्यक्तिगत व्यवहार के लिए नहीं, बल्कि वैश्विक मामलों में भी लागू हो सकते हैं — इसका प्राचीन उदाहरण सम्राट अशोक का धम्म है — कलिंग युद्ध के भीषण रक्तपात के बाद अशोक ने युद्ध से विजय (भेरीघोष) छोड़कर धर्म से विजय (धम्मघोष) की नीति अपनाई और जनता के कल्याण को राज्य का लक्ष्य बनाया।

एकादश व्रतों को **6 व्यक्तिगत + 5 सामाजिक** के बँटवारे में समझना सबसे सरल है। हर व्रत को उसके प्रशासनिक उदाहरण के साथ समझने से यह स्पष्ट होता है कि ये व्रत केवल आश्रम-जीवन के नियम नहीं, बल्कि आज के लोक सेवक की आचार संहिता भी हैं।

6. सत्याग्रह — सत्य की शक्ति (Satyagraha)

सत्याग्रह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है — 'सत्य' + 'आग्रह' (सत्य पर दृढ़ता से टिके रहना)। गांधीजी ने वर्ष 1906 में दक्षिण अफ्रीका में इसे व्यावहारिक रूप दिया, जहाँ भारतीय मूल के लोगों के विरुद्ध नस्लीय भेदभाव के खिलाफ उन्होंने इसका पहला प्रयोग किया। शुरुआत में इसे 'निष्क्रिय

प्रतिरोध' (Passive Resistance) कहा गया, पर गांधीजी को यह नाम पसंद नहीं आया — उनके अनुसार सत्याग्रह निष्क्रिय नहीं, बल्कि सक्रिय, साहसिक और प्रेम-आधारित प्रतिरोध है।

आसान परिभाषा: सत्याग्रह (Satyagraha)

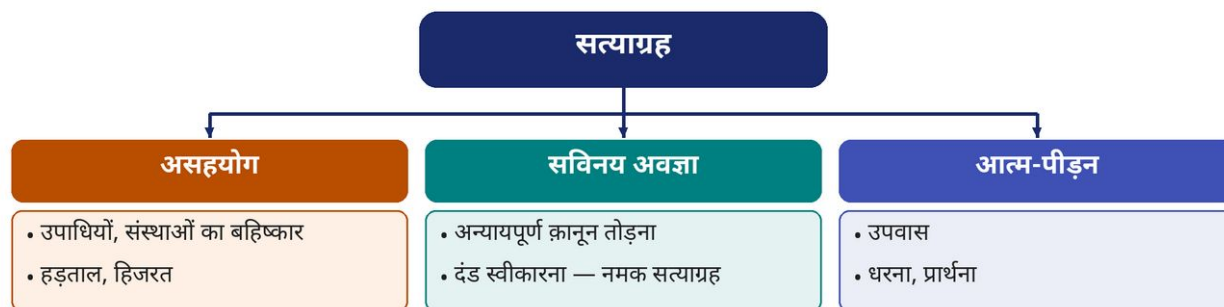
परिभाषा: सत्य और अहिंसा पर आधारित एक सक्रिय प्रतिरोध की पद्धति, जिसमें अन्याय का विरोध बिना हिंसा के, पर पूरी दृढ़ता और साहस के साथ किया जाता है।

आसान भाषा में: जैसे कोई बच्चा किसी गलत आदेश को मानने से विनम्रता से मना कर दे और उसका परिणाम (जैसे सज़ा) भी स्वीकार कर ले, पर गलत काम न करे — यही सत्याग्रह की भावना है: विरोध भी, पर बिना हिंसा और बिना डर के। **उदाहरण:** किसी सरकारी दफ्तर के कर्मचारी का राजनीतिक दबाव के बावजूद किसी गलत आदेश को मानने से इनकार करना, और उसके नतीजे (जैसे तबादला) को शांति से स्वीकार करना — यह एक तरह का 'प्रशासनिक सत्याग्रह' कहा जा सकता है।

6.1 सत्याग्रह की प्रमुख तकनीकें

तकनीक	विवरण	भारत में उदाहरण
असहयोग (Non-Cooperation)	ब्रिटिश संस्थाओं, उपाधियों और वस्तुओं का सुनियोजित बहिष्कार।	असहयोग आंदोलन, 1920-22।
सविनय अवज्ञा (Civil Disobedience)	अन्यायपूर्ण कानूनों को खुले तौर पर, जानबूझकर तोड़ना और उसका परिणाम भुगतने को तैयार रहना।	दांडी मार्च, 1930 — नमक कानून तोड़ा गया।
उपवास (Fast)	अपने या दूसरों पर नैतिक दबाव डालने के लिए आत्म-शुद्धि के रूप में उपवास।	वर्ष 1932 — पूना पैक्ट से पहले यरवदा जेल में किया गया उपवास (दलितों के पृथक निर्वाचन के विरोध में)।
हड़ताल (Hartal)	सामूहिक व शांतिपूर्ण बंद, विरोध जताने के लिए।	रॉलेट एक्ट के विरुद्ध हड़ताल, 1919।
हिजरत (Hijrat)	अत्याचारी क्षेत्र को स्वेच्छा से छोड़ देना, ताकि अन्याय में भागीदार न बनना पड़े।	बारडोली सत्याग्रह (1928) व सविनय अवज्ञा आंदोलन (1930) के दौरान किसानों का बड़ीदा रियासत में पलायन।
धरना/Picketing	बहिष्कार के समर्थन में शांतिपूर्ण धरना देना।	विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना।

सत्याग्रह की तकनीकें



चित्र 5.9: सत्याग्रह की तकनीकें

सत्याग्रही की आवश्यक शर्तें: 1. सत्य पर दृढ़ विश्वास | 2. हर परिस्थिति में अहिंसा | 3. भय से पूर्ण मुक्ति (अभय) | 4. पीड़ा सहन करने की क्षमता | 5. विरोधी पक्ष में भी अच्छाई देखने की दृष्टि। गांधीजी के विचारों से जुड़ा प्रचलित कथन है — "कमजोर का सत्याग्रह कायरता है, सशक्त का सत्याग्रह साहस है" (Satyagraha of the weak is cowardice, of the strong is courage)।

6.2 सत्याग्रही की आचार-संहिता — गांधीजी के निर्देश

गांधीजी ने अपने आंदोलनों में भाग लेने वाले सत्याग्रहियों के लिए स्पष्ट आचार-संहिता बनाई थी। इसे पढ़कर समझ आता है कि सत्याग्रह कितना अनुशासित और नैतिक रूप से कठोर मार्ग था:

क्र.	सत्याग्रही का आचरण	इसका नैतिक अर्थ
1	मन में क्रोध नहीं रखेगा, विरोधी का क्रोध सहेगा	भावनात्मक संयम
2	मार भी सहेगा पर पलटकर वार नहीं करेगा; पर दंड के डर से, क्रोध में दिए गए किसी आदेश के आगे झुकेगा भी नहीं	अहिंसा के साथ दृढ़ता
3	गिरफ्तारी के समय स्वेच्छा से गिरफ्तारी देगा, संपत्ति की कुर्की का विरोध नहीं करेगा	कानून के दंड का सम्मान
4	जिस संपत्ति का वह ट्रस्टी है, उसे जान देकर भी नहीं सौंपेगा, पर बदला नहीं लेगा	अमानत की रक्षा

क्र.	सत्याग्रही का आचरण	इसका नैतिक अर्थ
5	गाली-गलौज और अपशब्द नहीं; विरोधी का अपमान नहीं करेगा	वाणी की अहिंसा
6	यदि कोई किसी अधिकारी का अपमान करे या उस पर हमला करे, तो सत्याग्रही अपनी जान जोखिम में डालकर भी उस अधिकारी की रक्षा करेगा	विरोधी के प्रति भी करुणा

सत्याग्रह कैसे काम करता है



चित्र 5.10: सत्याग्रह कैसे काम करता है

☀ प्रशासन में सत्याग्रह की आधुनिक झलक

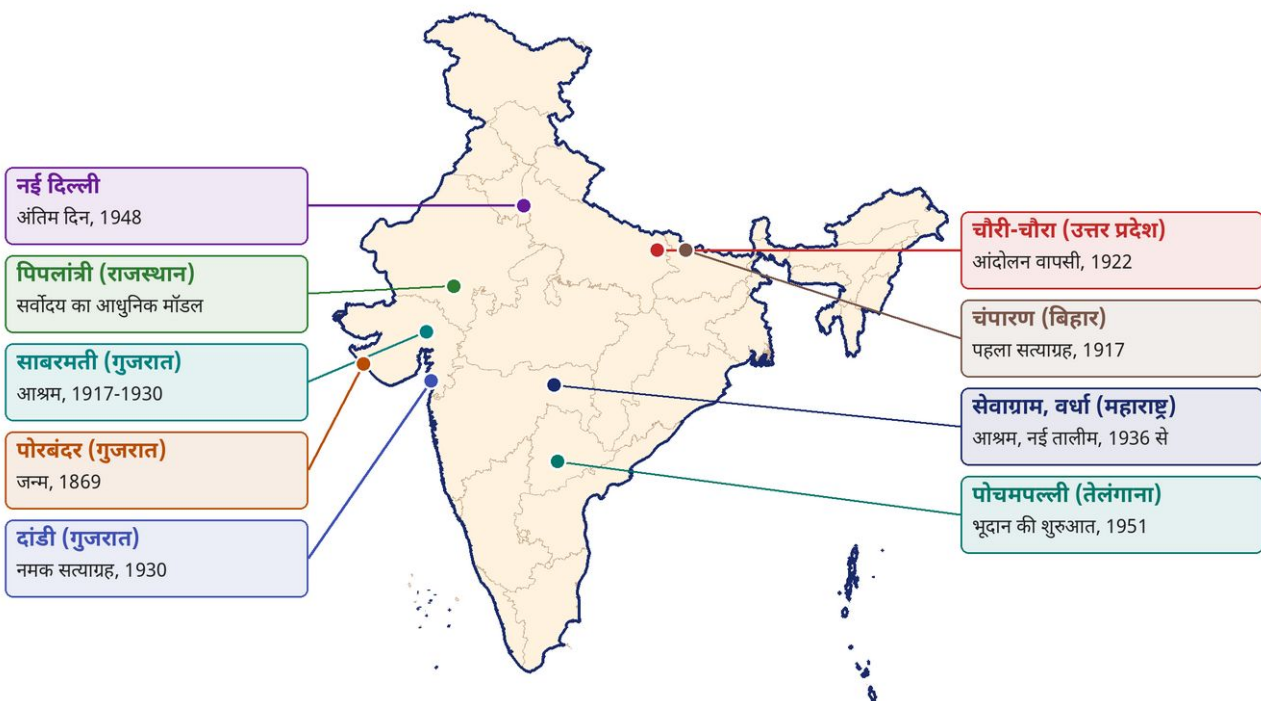
सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI Act, 2005) को कई विद्वान 'सूचना का सत्याग्रह' कहते हैं — क्योंकि यह भी सत्य (सही जानकारी) पाने के लिए, बिना किसी हिंसा या दबाव के, सिर्फ कानूनी और नैतिक अधिकार के बल पर संघर्ष करने का एक औज़ार है। इसी तरह, कोई भी ईमानदार व्हिसलब्लोअर अधिकारी, जो राजनीतिक-प्रशासनिक दबाव के बावजूद सच बोलना नहीं छोड़ता, वह भी एक तरह का आधुनिक सत्याग्रही ही है।

☀ चंपारण, 1917 — भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग

बिहार के चंपारण में नील की खेती करने वाले किसान अंग्रेज़ बागान-मालिकों की "तिनकठिया" प्रथा से पीड़ित थे, जिसमें उन्हें अपनी ज़मीन के हर बीघे (20 कठे) में से 3 कठे पर ज़बरन नील उगानी पड़ती थी — इसीलिए इसे 'तिनकठिया' (तीन कट्टा) कहा जाता था। किसान राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधीजी 1917 में चंपारण पहुँचे। ज़िला प्रशासन ने उन्हें ज़िला छोड़ने का आदेश दिया; गांधीजी ने विनम्रता से आदेश मानने से इनकार किया और अदालत में कहा कि वे दंड भुगतने को तैयार हैं।

उन्होंने कोई भाषणबाज़ी नहीं की — हज़ारों किसानों के लिखित बयान दर्ज करवाए, तथ्य जुटाए और सरकार के सामने रखे। अंततः सरकार को जाँच समिति बनानी पड़ी, जिसमें गांधीजी भी सदस्य थे, और तिनकठिया प्रथा समाप्त हुई। चंपारण सिखाता है कि सत्याग्रह का पहला हथियार तथ्य और सत्य है, और दूसरा — दंड स्वीकारने का नैतिक साहस।।

गांधी की कर्मभूमि — भारत-मानचित्र पर प्रमुख स्थल



मानचित्र केवल प्रतीकात्मक है — स्थान लगभग दर्शाए गए हैं

चित्र 5.11: गांधी की कर्मभूमि — भारत-मानचित्र पर प्रमुख स्थल

📖 कहानी: "धरने पर बैठे किसान" — प्रशासन के सामने सत्याग्रह

हुमानगढ़ ज़िले में नहर के अंतिम छोर (टेल) के गाँवों तक सिंचाई का पानी नहीं पहुँच रहा था। नाराज़ होकर लगभग तीन सौ किसान उपखंड कार्यालय के सामने शांतिपूर्ण धरने पर बैठ गए। वे नारे नहीं लगा रहे थे — बस भजन गा रहे थे और बारी-बारी से उपवास कर रहे थे। तीसरे दिन ऊपर से निर्देश आया — "धरना लंबा खिंच रहा है, कार्यालय का रास्ता रुका है, धारा 163 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता — पुरानी CrPC की धारा 144 जैसी निषेधाज्ञा, जिसमें लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाई जाती है) लगाकर धरना हटवाइए।"

उपखंड अधिकारी प्रियंका (काल्पनिक नाम) के सामने दुविधा थी। आदेश का पालन आसान था, पुलिस बल तैयार था। पर उन्होंने देखा कि यह आंदोलन पूरी तरह अहिंसक है, किसानों की माँग तथ्यात्मक रूप से सही लगती है, और बल-प्रयोग से एक शांत आंदोलन हिंसक बन सकता है। उन्हें याद आया कि सत्याग्रह विरोधी का हृदय बदलना चाहता है — तो क्या प्रशासन भी सत्याग्रही का हृदय समझने का प्रयास नहीं कर सकता?

उन्होंने उच्च अधिकारियों को लिखित रिपोर्ट भेजी कि आंदोलन शांतिपूर्ण है और बल-प्रयोग की ज़रूरत नहीं; कार्यालय का एक वैकल्पिक रास्ता खुलवाया; और स्वयं धरना-स्थल पर जाकर किसानों के साथ ज़मीन पर बैठीं। फिर उन्होंने किसानों के ही दो प्रतिनिधियों के साथ जल संसाधन विभाग के अभियंताओं को लेकर पूरी नहर का संयुक्त निरीक्षण किया। जाँच में सामने आया कि ऊपर के कुछ हिस्सों में अवैध मोघे (आउटलेट) लगाकर पानी चुराया जा रहा था।

अगले ही हफ्ते अवैध मोघे हटाए गए, बाराबंदी (पानी की बारी) की नई सूची ग्राम सभा में पढ़कर सुनाई गई, और हर गाँव में किसानों की एक निगरानी-समिति बनी। धरना पाँचवें दिन किसानों ने स्वयं समाप्त किया — प्रियंका को गुड़ खिलाकर। एक बुजुर्ग किसान ने कहा — "हम सरकार से लड़ने नहीं आए थे, बस सुनवाई चाहते थे।"

🔑 इस कहानी से सीख: शांतिपूर्ण विरोध (सत्याग्रह) लोकतंत्र का वैध अधिकार है। प्रशासन का काम उसे दबाना नहीं, बल्कि उसकी वैध माँग को सुनना है। संवाद, संयुक्त निरीक्षण, तथ्यों की पारदर्शिता और जन-भागीदारी — ये ही गांधीवादी प्रशासन के औज़ार हैं; बल-प्रयोग केवल अंतिम और आनुपातिक विकल्प है।

6.3 अन्यायपूर्ण क़ानून, सविनय अवज्ञा और आज का लोक सेवक

गांधीजी ने कहा था — "अन्यायपूर्ण क़ानून अपने आप में हिंसा का ही एक रूप है।" इसीलिए उन्होंने अन्यायपूर्ण क़ानूनों को खुलेआम तोड़ने और उसका दंड स्वीकारने (सविनय अवज्ञा) का समर्थन किया। यूनानी दार्शनिक सुक्रात भी "सत्ता के सामने सच बोलने" के पक्षधर थे। पर इसके साथ गांधीजी यह भी कहते थे कि "अच्छी तरह निभाया गया कर्तव्य अपने आप एक अधिकार पैदा करता है" — यानी अधिकार की माँग से पहले कर्तव्य-पालन।

एक आधुनिक दुविधा — व्हिसलब्लोइंग (Whistleblowing): अमेरिका की गुप्तचर एजेंसी के एक पूर्व कर्मचारी एडवर्ड स्नोडेन (Edward Snowden) ने 2013 में सरकार के गुप्त निगरानी-कार्यक्रमों से जुड़े दस्तावेज़ प्रेस को दे दिए। अमेरिकी सरकार के अनुसार यह जासूसी-विरोधी क़ानून का उल्लंघन और देशद्रोह था; स्नोडेन का तर्क था कि जनता को यह जानने का अधिकार है कि उसके नाम पर और उसके विरुद्ध क्या किया जा रहा है। एक पक्ष कहता है कि उन्होंने अपने संगठन के प्रति निष्ठा, अनुबंध और राष्ट्रीय सुरक्षा का उल्लंघन किया। दूसरा पक्ष गांधी के "अन्यायपूर्ण क़ानून" वाले विचार, सामाजिक अनुबंध (Social Contract — यह विचार कि सरकार की शक्ति जनता की सहमति से आती है, इसलिए जनता की सहमति के बिना उसकी गुप्त निगरानी इस अनुबंध का उल्लंघन है), सुक्रात के "सत्ता से सच कहने" और जर्मन दार्शनिक इमैनुएल कांट के "स्वयं पर नैतिक नियम लागू करने" (यानी व्यक्ति वही करे जिसे उसकी अपनी विवेक-बुद्धि सही माने) के आधार पर उन्हें उचित ठहराता है।

भारतीय लोक सेवक के लिए मार्ग: सविनय अवज्ञा एक नागरिक का नैतिक अधिकार है, पर एक लोक सेवक संविधान और सेवा-नियमों की शपथ से बँधा है। इसलिए किसी अनियमितता या भ्रष्टाचार की जानकारी होने पर उसके लिए गांधीवादी मार्ग है — सत्य पर टिके रहना, पर वैधानिक रास्ते अपनाना: लिखित आपत्ति दर्ज करना, सतर्कता तंत्र को सूचित करना, और व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम, 2014 जैसे क़ानूनी माध्यमों का उपयोग करना। सत्य का आग्रह और प्रक्रिया का सम्मान — दोनों साथ चलें, यही आज का सत्याग्रह है।

सत्याग्रह को उसकी तकनीकों (सविनय अवज्ञा, असहयोग, उपवास) और उनके ऐतिहासिक उदाहरणों के साथ समझना ज़रूरी है। आधुनिक प्रशासन में सूचना का अधिकार (RTI) और व्हिसलब्लोइंग (भ्रष्टाचार का खुलासा) जैसी अवधारणाएँ सत्याग्रह की भावना का ही आधुनिक रूप मानी जा सकती हैं।

7. साधन और साध्य (Ends vs Means)

☀️ प्रसिद्ध कथन

"जैसा हम बोते हैं, वैसा ही हम काटते हैं।" — महात्मा गांधी के नाम से प्रचलित

गांधीजी कर्तव्यवादी (Deontologist) दार्शनिक थे — यानी ऐसे विचारक जो मानते हैं कि कोई काम सही है या गलत, यह केवल उसके परिणाम से नहीं, बल्कि काम के स्वरूप और कर्तव्य से तय होता है। उनके लिए साधन (Means — लक्ष्य पाने का तरीका) और साध्य (End — पाया जाने वाला लक्ष्य), एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उनका स्पष्ट मानना था कि यदि साधन अपवित्र या हिंसक है, तो उससे प्राप्त साध्य (जैसे स्वतंत्रता या न्याय) भी कभी पवित्र या स्थायी नहीं हो सकता — जैसे ज़हर के बीज से कभी अमृत का पेड़ नहीं उग सकता।

7.1 विभिन्न दार्शनिकों का साधन-साध्य पर दृष्टिकोण

दार्शनिक	साधन को महत्व?	साध्य को महत्व?	दृष्टिकोण
कार्ल मार्क्स (Karl Marx)	नहीं — क्रांति के लिए कोई भी साधन उचित है।	हाँ — वर्गविहीन समाज (साध्य) सर्वोपरि है।	परिणामवादी (Consequentialist/Teleol)

दार्शनिक	साधन को महत्व?	साध्य को महत्व?	दृष्टिकोण
जेरेमी बेन्थम / जे.एस. मिल	नहीं — परिणाम से ही नैतिकता तय होती है।	हाँ — अधिकतम लोगों का अधिकतम हित (Greater Good) ही लक्ष्य है।	उपयोगितावादी (Utilitarian/Teleologist)
इमैनुएल कांट (Kant)	हाँ — कर्तव्य/नियम ही सर्वोच्च है।	नहीं — परिणाम अप्रासंगिक हैं।	कर्तव्यवादी (Deontologist)
महात्मा गांधी	हाँ — साधन पवित्र होने चाहिए।	हाँ — साध्य भी उतना ही पवित्र होना चाहिए।	कर्तव्यवादी — दोनों की पवित्रता पर बल
सुभाष चंद्र बोस	नहीं — आज़ादी के लिए कोई भी साधन उचित है।	हाँ — भारत की आज़ादी (साध्य) सर्वोपरि है।	परिणामवादी (Consequentialist)

साधन और साध्य — गांधी बनाम परिणामवाद

गांधी	बनाम	मैकियावेली / परिणामवाद
साधन ही साध्य बनाते हैं	मूल सूत्र	साध्य साधन को उचित ठहराता है
बीज जैसा, वृक्ष वैसा	उदाहरण	सत्ता के लिए छल भी उचित
किसी भी हाल में नहीं	हिंसा पर	उपयोगी हो तो स्वीकार्य
चौरी-चौरा के बाद आंदोलन वापसी	ऐतिहासिक क्षण	लक्ष्य के लिए हर उपाय
प्रक्रिया की पवित्रता	प्रशासन में	केवल लक्ष्य-प्राप्ति

चित्र 5.12: साधन और साध्य — गांधी बनाम परिणामवाद

गांधी और कांट की समानता, पर एक बड़ा फ़र्क: गांधी और कांट — दोनों कर्तव्यवादी (Deontologist) हैं, यानी दोनों नियम/कर्तव्य को महत्व देते हैं। पर फ़र्क यह है — कांट सिर्फ साधन (नियम-पालन) को महत्व देते हैं, साध्य/परिणाम को नहीं; जबकि गांधी साधन और साध्य — दोनों की पवित्रता पर बल देते हैं। गांधीजी इसे बीज और पेड़ के रिश्ते से समझाते थे — जैसा बीज बोओगे, वैसा ही पेड़ मिलेगा।

7.2 लोक सेवा में साधन और साध्य — एक व्यावहारिक कसौटी

नैतिकता के प्रश्न पर दो विचार आमने-सामने हैं — एक कहता है कि **साधन सर्वोपरि** है (गांधी, कांट — कर्तव्यवाद), दूसरा कहता है कि **साध्य साधन को उचित ठहराता है** (मैकियावेली — 16वीं सदी के इटली के राजनीतिक विचारक, जिनकी पुस्तक 'द प्रिंस' सत्ता पाने के लिए छल को भी उचित मानती है; और उपयोगितावाद — दोनों परिणामवाद के उदाहरण हैं)। कुछ परिस्थितियों में, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, ऐसा लग सकता है कि अच्छा लक्ष्य (नागरिकों की रक्षा) कठोर साधनों को उचित ठहराता है।

पर संविधान से बंधे लोक सेवक के लिए **साधन सर्वोपरि** हैं। उदाहरण के लिए, किसी अपराधी को खत्म करने का लक्ष्य भले ही वांछनीय लगे, पर **फ़र्ज़ी मुठभेड़** जैसा अनैतिक साधन पूरी संस्था को भ्रष्ट कर देता है और जनता का भरोसा तोड़ देता है — यही गांधी की चेतावनी है कि अपवित्र साधन अनिवार्य रूप से अपवित्र साध्य तक ले जाते हैं। "अगर एक व्यक्ति को यातना देकर लाखों जानें बचाई जा सकें तो?" जैसे **अति-काल्पनिक उदाहरण** विचार-प्रयोग के रूप में उपयोगी हो सकते हैं, पर लोक प्रशासन में हर निर्णय की ज़मीन **संविधान की सर्वोच्चता और विधि का शासन** ही होनी चाहिए। लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था में न्याय, विधि के शासन और जनता के भरोसे के लिए "साधन सर्वोपरि हैं" — यही विचार अधिक उचित है।

साधन-साध्य के प्रश्न पर गांधी, मार्क्स और बोस (परिणामवादी दृष्टि) के ठीक विपरीत खड़े दिखते हैं; जबकि कांट के साथ उनकी आंशिक समानता है — दोनों कर्तव्यवादी हैं, पर गांधी साधन की पवित्रता की शर्त पर कहीं अधिक ज़ोर देते हैं।

8. गांधी के 7 सामाजिक पाप (7 Social Sins)

यह प्रसिद्ध सूची मूल रूप से गांधीजी की अपनी रचना नहीं है — इसकी उत्पत्ति ब्रिटेन में हुई थी। 20 मार्च 1925 को लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी (Westminster Abbey) में फ़ादर फ़्रेडरिक लुईस डोनाल्डसन (Frederick Lewis Donaldson) ने अपने एक उपदेश (Sermon) में यह सूची पहली बार प्रस्तुत की थी। गांधीजी ने इसे 'एक मित्र' के हवाले से अपनी पत्रिका 'यंग इंडिया' (Young India) में 22 अक्टूबर 1925 को पुनः प्रकाशित किया — और तभी से यह सूची भारत में 'गांधी के 7 सामाजिक पाप' के नाम से प्रसिद्ध हो गई। यह ध्यान रखना ज़रूरी है — गांधीजी इस सूची के मूल रचयिता नहीं, बल्कि इसके सबसे बड़े प्रचारक थे।

आसान परिभाषा: 7 सामाजिक पाप (7 Social Sins)

परिभाषा: समाज और शासन-व्यवस्था को भीतर से खोखला करने वाली सात प्रवृत्तियाँ, जिनमें हर बार एक ज़रूरी 'नैतिक तत्व' गायब होता

है — जैसे बिना त्याग के धर्म, या बिना चरित्र के ज्ञान।

💡 आसान भाषा में: जैसे किसी गाड़ी में इंजन तो बढ़िया हो, पर ब्रेक ही न हो — तो वह गाड़ी फायदे की जगह खतरा बन जाती है। ठीक वैसे ही ज्ञान, विज्ञान, व्यापार जैसी अच्छी चीज़ें भी अगर उनके साथ ज़रूरी नैतिक 'ब्रेक' (चरित्र, नैतिकता, त्याग) न हों, तो वे समाज के लिए खतरनाक बन जाती हैं। **🏠 उदाहरण:** एक बहुत पढ़ा-लिखा (ज्ञानी) अधिकारी अगर चरित्रहीन होकर भ्रष्टाचार करे, तो उसका ज्ञान समाज के काम नहीं, बल्कि नुकसान के काम आता है — यही 'ज्ञान बिना चरित्र' का सामाजिक पाप है।

क्र.	सामाजिक पाप	विवरण	प्रशासनिक प्रासंगिकता
1	त्याग बिना धर्म (Worship without Sacrifice)	अंधभक्ति, लालच और स्वार्थ का त्याग किए बिना धार्मिक आचरण निरर्थक है।	साम्प्रदायिक हिंसा — जहाँ धर्म के नाम पर मानवीय मूल्यों को भुला दिया जाता है।
2	मानवता बिना विज्ञान (Science without Humanity)	विज्ञान का उपयोग मानव-कल्याण के लिए हो, विनाश के लिए नहीं।	जैव-प्रौद्योगिकी नैतिकता (Bio-ethics), परमाणु हथियार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) से जुड़े नैतिक प्रश्न।
3	चरित्र बिना ज्ञान (Knowledge without Character)	चरित्रहीन व्यक्ति के हाथ में ज्ञान वैसा ही खतरनाक है जैसे किसी नशे में धुत्त व्यक्ति के हाथ में गाड़ी की चाबी।	योग्य पर भ्रष्ट अधिकारी — बड़े घोटालों (जैसे सत्यम घोटाला — कंपनी के खातों में हेराफेरी; व्यापम घोटाला — मध्य प्रदेश की भर्ती व प्रवेश परीक्षाओं में धाँधली) में प्रायः उच्च-शिक्षित लोग ही शामिल पाए गए।
4	नैतिकता बिना व्यापार (Commerce without Morality)	व्यापार में सभी हितधारकों (उपभोक्ता, कर्मचारी, समाज) का हित ध्यान में रखना ज़रूरी है।	फॉक्सवैगन 'डीज़लगेट' उत्सर्जन-धोखाधड़ी (2015 — प्रदूषण-जाँच को धोखा देने वाला सॉफ्टवेयर), सत्यम कंप्यूटर्स जैसे कॉर्पोरेट धोखाधड़ी के मामले।
5	श्रम बिना धन (Wealth without Work)	जुआ, सट्टा या भ्रष्टाचार से — बिना मेहनत के कमाया गया धन एक सामाजिक पाप है।	आय से अधिक संपत्ति (Disproportionate Assets) के मामले, काला धन, भ्रष्टाचार।
6	सिद्धांत बिना राजनीति (Politics without Principle)	राजनीति में जवाबदेही, जनसेवा की भावना और संवैधानिक निष्ठा अनिवार्य है।	क्रोनी कैपिटलिज़्म (सत्ता से नज़दीकी के बल पर चुनिंदा उद्योगपतियों को लाभ), दलबदल और वंशवादी राजनीति (Dynastic Politics) की प्रवृत्तियाँ।
7	अंतरात्मा बिना सुख (Pleasure without Conscience)	बिना किसी ज़िम्मेदारी या पछतावे के, सिर्फ सुख भोगने की प्रवृत्ति।	सोशल मीडिया पर बिना ज़िम्मेदारी के ट्रोलिंग, नशे व जुए की बढ़ती प्रवृत्ति।

7 सामाजिक पाप — हर पाप में एक "बिना"



चित्र 5.13: 7 सामाजिक पाप — हर पाप में एक "बिना"

💡 गांधी का जंतर (Talisman): गांधीजी के जीवन के अंतिम वर्षों (लगभग 1947-48) से जुड़ा यह सुप्रसिद्ध कथन बताया जाता है — "जब भी आप संदेह में हों, या आपका अहंकार बहुत बढ़ने लगे, तो यह परीक्षण करें: उस सबसे गरीब और सबसे कमज़ोर व्यक्ति का चेहरा याद करें जो आपने देखा हो। फिर स्वयं से पूछें — जो कदम आप उठाने जा रहे हैं, क्या वह उस व्यक्ति के किसी काम आएगा?" यह अगस्त 1947 के गांधीजी के एक नोट के रूप में दर्ज है (प्यारेलाल की पुस्तक 'महात्मा गांधी: द लास्ट फ़्रेज़'), और यह गांधीजी के 'अंत्योदय' दर्शन का सबसे सशक्त सार माना जाता है, और प्रशासनिक निर्णय की एक बेहद प्रभावी कसौटी है।

गांधी का जंतर — निर्णय की चार सीढ़ियाँ



चित्र 5.14: गांधी का जंतर — निर्णय की चार सीढ़ियाँ

8.1 नैतिक निर्णय के ढाँचे में गांधी का जंतर

किसी नैतिक दुविधा को सुलझाने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया होती है — तथ्य जुटाना, सभी हितधारकों की पहचान, विभिन्न नैतिक दृष्टिकोणों से विकल्पों को परखना, अनुभवी लोगों से सलाह लेना, निर्णय लेना, और फिर उसे लागू करके उसके परिणामों पर विचार करना। विकल्पों को परखने के दृष्टिकोणों में **उपयोगितावादी** (अधिकतम भलाई), **कर्तव्यवादी** (नियम और कर्तव्य), **सद्गुण-आधारित** (एक सद्गुणी व्यक्ति क्या करता), **न्याय-आधारित** (प्राकृतिक न्याय और समान व्यवहार) और **अधिकार-आधारित** दृष्टिकोण आते हैं — और अधिकार-आधारित दृष्टिकोण में **गांधी का जंतर** एक बहुत प्रभावी साधन है।

उदाहरण: मान लीजिए किसी व्यक्ति ने एक सड़क दुर्घटना देखी है, जिसमें आरोपी उसका प्रभावशाली व्यावसायिक साझेदार है, और पुलिस गवाही माँग रही है। गवाही देने से उसे निजी और सामाजिक नुकसान हो सकता है। गांधी का जंतर कहता है — सबसे कमज़ोर व्यक्ति, यानी **दुर्घटना-पीड़ित** के हित में निर्णय लो। कांट का निरपेक्ष आदेश (Categorical Imperative — वह नैतिक नियम जो हर परिस्थिति में बिना शर्त लागू हो) कहता है — मनुष्य को केवल साधन नहीं, साध्य मानो, पीड़ित के जीवन का मूल्य समझो। अमेरिकी दार्शनिक जॉन रॉल्स का अज्ञानता का पर्दा (Veil of Ignorance — निर्णय ऐसे लो मानो तुम्हें पता ही न हो कि तुम खुद किस पक्ष में होगे) कहता है — कल मैं या मेरा परिवार भी ऐसी लापरवाही का शिकार हो सकता है। तीनों कसौटियाँ एक ही दिशा दिखाती हैं — **सत्य के साथ, क़ानून के साथ सहयोग**। इससे मन की असंगति (जो सही माना और जो किया, उनके बीच टकराव) और अंतरात्मा का संकट भी नहीं होगा।

नैतिक निर्णय की प्रक्रिया — और जंतर का स्थान



चित्र 5.15: नैतिक निर्णय की प्रक्रिया — और जंतर का स्थान

7 सामाजिक पापों का साझा सूत्र यह है कि हर पाप में एक **"बिना"** है: धर्म बिना त्याग, विज्ञान बिना मानवता, ज्ञान बिना चरित्र, व्यापार बिना नैतिकता, धन बिना श्रम, राजनीति बिना सिद्धांत, सुख बिना अंतरात्मा। ऐतिहासिक रूप से यह सूची फ़ादर डोनाल्डसन के उपदेश से आई और गांधीजी ने इसे लोकप्रिय बनाया।

9. सर्वोदय एवं ट्रस्टीशिप (Sarvodaya and Trusteeship)

गांधीजी के आर्थिक-सामाजिक दर्शन के दो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं — सर्वोदय और ट्रस्टीशिप। दोनों ही पूँजीवाद और साम्यवाद के बीच का एक नैतिक व अहिंसक मध्य-मार्ग सुझाते हैं — क्योंकि ये पूँजीवाद की तरह धन को केवल निजी लाभ की चीज़ नहीं मानते, और साम्यवाद की तरह बल-प्रयोग से संपत्ति छीनने की बात भी नहीं करते; बल्कि धनी व्यक्ति के हृदय-परिवर्तन से धन को समाज-हित में लगाने की बात करते हैं।

आसान परिभाषा: सर्वोदय (Sarvodaya)

परिभाषा: जॉन रस्किन की पुस्तक 'Unto This Last' से प्रेरित यह विचार — जिसका अर्थ है 'सभी का उदय' — भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक, तीनों स्तर पर।

आसान भाषा में: उपयोगितावाद (Utilitarianism) कहता है 'अधिकतम लोगों का अधिकतम हित' — यानी अगर 90 लोगों को फायदा हो और 10 को नुकसान, तो भी ठीक है। सर्वोदय इससे आगे जाकर कहता है — जब तक समाज के आखिरी व्यक्ति तक भलाई न पहुँचे, तब तक असली उदय अधूरा है। **उदाहरण:** किसी गाँव में बिजली सिर्फ बड़े किसानों के खेतों तक पहुँचाने की बजाय, सबसे गरीब और दूर-दराज़ के घर तक भी पहुँचाने की योजना बनाना — यही सर्वोदय की भावना है।

सर्वोदय — उपयोगितावाद से आगे: उपयोगितावाद "अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख" की बात करता है, जिसमें बहुमत के लाभ के लिए अल्पसंख्यक से क्रीमत चुकवाई जा सकती है। गांधी ने इसे अस्वीकार किया — उनके लिए लक्ष्य **सबका कल्याण** है, किसी एक का भी बलिदान नहीं।

गांधी का दिल गरीबों, दबे-कुचलों, शोषितों और सबसे अंतिम व्यक्ति के लिए धड़कता था; उनके सर्वोदय का आदर्श था — सबका सामाजिक उत्थान, आर्थिक मुक्ति और नैतिक पुनरुत्थान। गांधी का तर्क था कि सहयोग, न कि प्रतिस्पर्धा, मानव-जाति की स्वाभाविक अवस्था है — यही बात आर्थिक व्यवस्था पर भी लागू होती है। सर्वोदय का यह विचार भारतीय संस्कृति की गहरी विरासत से आया है — गीता में भी सबके कल्याण के अनेक संदर्भ हैं, और बौद्ध तथा जैन धर्म भी सार्वभौमिक प्रेम और सबके कल्याण को आधारशिला मानते हैं।

सर्वोदय का आधुनिक रूप — राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013: यह अधिनियम सर्वोदय के सिद्धांतों पर आधारित माना जाता है, क्योंकि यह जीवन-चक्र दृष्टिकोण अपनाता है (गर्भवती महिलाओं से लेकर बच्चों तक पोषण), मोटे अनाज (पोषक अनाज) को रियायती दर पर देने की बात करता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मज़बूत करता है, घर की सबसे बड़ी महिला को राशन-कार्ड में परिवार का मुखिया बनाता है, और पेयजल, स्वच्छता तथा पोषण को एक साथ जोड़ता है।

आसान परिभाषा: अंत्योदय (Antyodaya)

परिभाषा: सर्वोदय का ही एक और गहरा रूप — समाज की कतार में सबसे पीछे खड़े, सबसे अंतिम व्यक्ति के उत्थान को सर्वोच्च प्राथमिकता देना।

आसान भाषा में: जैसे किसी परिवार में खाना बाँटते समय सबसे कमज़ोर या सबसे छोटे सदस्य को पहले खिलाया जाए, ताकि कोई भूखा न रह जाए — यही अंत्योदय की सोच है। **उदाहरण:** अंत्योदय अन्न योजना — जिसके तहत सबसे गरीब परिवारों को सबसे पहले और सबसे रियायती दर पर राशन उपलब्ध कराया जाता है।

आसान परिभाषा: ट्रस्टीशिप (Trusteeship)

परिभाषा: गांधीजी का यह विचार कि पृथ्वी की सारी संपत्ति ईश्वर/समाज की है — इसलिए धनी व्यक्ति या पूँजीपति उस संपत्ति का 'मालिक' नहीं, बल्कि सिर्फ एक 'ट्रस्टी' (संरक्षक) है, जिसे अपनी ज़रूरत पूरी करने के बाद बचा हुआ धन समाज-हित में लगाना चाहिए।

आसान भाषा में: जैसे किसी स्कूल का प्रिंसिपल स्कूल की इमारत और फंड का 'मालिक' नहीं, बल्कि सिर्फ एक ज़िम्मेदार संरक्षक (Trustee) होता है, जिसे उस संपत्ति का उपयोग बच्चों की भलाई के लिए ही करना होता है — गांधीजी चाहते थे कि हर धनी व्यक्ति खुद को समाज के लिए ऐसा ही 'ट्रस्टी' समझे। **उदाहरण:** टाटा ट्रस्ट्स और अज़ीम प्रेमजी फ़ाउंडेशन जैसी संस्थाएँ, जहाँ बड़े औद्योगिक घरानों का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा, स्वास्थ्य व समाज-कल्याण में लगाया जाता है — यह ट्रस्टीशिप के विचार का आधुनिक व्यावहारिक रूप है।

सर्वोदय की सीढ़ी — अंतिम व्यक्ति से सबके उदय तक



चित्र 5.16: सर्वोदय की सीढ़ी — अंतिम व्यक्ति से सबके उदय तक

9.1 गांधीजी के आर्थिक विचार — शरीर-श्रम, स्वदेशी और आवश्यकता बनाम लोभ

गांधीवादी नैतिकता आर्थिक क्षेत्र तक फैली है। गांधीजी कहते थे कि हर व्यक्ति को अपनी रोटी अपने हाथों के श्रम से कमाना चाहिए — इसे वे **शरीर-श्रम (Bread Labour)** कहते थे, और यही व्यक्ति को भोजन का नैतिक अधिकार देता है। उनके अनुसार कुछ लोगों के लिए बाक़ी लोगों का शोषण किए बिना अपार धन इकट्ठा करना असंभव है, और **शोषण भी हिंसा का ही एक रूप है**। हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, इसलिए उसे भोजन, आवास और वस्त्र के साधन पाने का भी अधिकार है।

गांधीजी आर्थिक समानता लाने के लिए किसी उग्र या हिंसक तरीक़े का समर्थन नहीं करते। आदर्श रूप में धन का समान बँटवारा होना चाहिए, पर यह व्यावहारिक नहीं, इसलिए वे **न्यायसंगत (Equitable) बँटवारे** की बात करते हैं। वे लोगों से अपनी आवश्यकताएँ घटाने और सादा जीवन जीने का आग्रह करते हैं — इससे जो संसाधन बचेंगे, वे गरीबों की सहायता में लग सकेंगे।

“पृथ्वी हर व्यक्ति की आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त देती है, पर हर व्यक्ति के लोभ को पूरा करने के लिए नहीं। (Earth provides enough to satisfy every man's needs, but not every man's greed.)” — महात्मा गांधी (प्यारेलाल द्वारा उद्धृत)

आसान परिभाषा: शरीर-श्रम (Bread Labour)

परिभाषा: गांधीजी का यह सिद्धांत कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आजीविका के लिए कुछ न कुछ शारीरिक श्रम अवश्य करना चाहिए, क्योंकि

श्रम ही भोजन का नैतिक अधिकार देता है और यह श्रम की गरिमा तथा सामाजिक समानता को बढ़ाता है।

आसान भाषा में: जो खाता है, वह कुछ न कुछ हाथ से काम भी करे — कोई काम छोटा नहीं। **उदाहरण:** आश्रम में गांधीजी स्वयं शौचालय साफ़ करते थे और सूत कातते थे; आज "श्रमदान" और स्वच्छता अभियान में अधिकारियों का स्वयं झाड़ू उठाना इसी भावना का रूप है।

आसान परिभाषा: स्वदेशी (Swadeshi)

परिभाषा: अपने निकटतम परिवेश की सेवा को प्राथमिकता देने और स्थानीय उत्पादों, कारीगरों व संसाधनों के उपयोग पर बल देने का सिद्धांत, ताकि गाँव और समुदाय आत्मनिर्भर बनें और शोषण-आधारित बाहरी निर्भरता घटे।

आसान भाषा में: जो चीज़ पास में बन सकती है, उसे दूर से मत मँगाओ — पड़ोसी कारीगर की रोज़ी भी तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। **उदाहरण:** खादी, ग्रामोद्योग, आज का "वोकल फ़ॉर लोकल" और "एक ज़िला एक उत्पाद" जैसी पहलें इसी विचार से मेल खाती हैं।

भूदान — जब एक व्यक्ति ने ट्रस्टीशिप को आंदोलन बना दिया

18 अप्रैल 1951 को गांधीजी के शिष्य **आचार्य विनोबा भावे** तेलंगाना के **पोचमपल्ली** गाँव पहुँचे। वहाँ के भूमिहीन दलित परिवारों ने कहा कि उन्हें गुज़ारे के लिए थोड़ी ज़मीन चाहिए। विनोबा ने गाँव वालों से पूछा — "क्या कोई इनके लिए ज़मीन दे सकता है?" तभी गाँव के एक ज़मींदार **वी. रामचंद्र रेड्डी** ने खड़े होकर लगभग 100 एकड़ ज़मीन दान कर दी।

इसी घटना से **भूदान आंदोलन** का जन्म हुआ। विनोबा ने वर्षों तक पूरे देश में पैदल यात्रा की और लाखों एकड़ ज़मीन दान में मिली। यह गांधी के **ट्रस्टीशिप** सिद्धांत का सबसे बड़ा जीवंत प्रयोग था — बिना क़ानून, बिना बल, केवल नैतिक अपील से संपत्ति का स्वैच्छिक पुनर्वितरण।

9.2 सर्वोदय/ट्रस्टीशिप बनाम उपयोगितावाद बनाम मार्क्सवाद

तुलना का आधार	सर्वोदय / ट्रस्टीशिप	उपयोगितावाद (Utilitarianism)	मार्क्सवाद (Marxism)
लक्ष्य	समाज के सभी वर्गों का सर्वांगीण उदय।	अधिकतम लोगों का अधिकतम हित।	वर्गविहीन समाज की स्थापना।
साधन	पूर्णतः अहिंसक और नैतिक।	कोई भी उपयोगी/प्रभावी तरीका।	क्रांति — ज़रूरत पड़ने पर हिंसक भी।
संपत्ति की धारणा	ट्रस्ट में — व्यक्तिगत नहीं, समाज/ईश्वर की।	व्यक्तिगत अधिकार (Individual Rights) मान्य।	राज्य (State) के नियंत्रण में।
कमज़ोर वर्ग की स्थिति	अंत्योदय — सबसे पहले प्राथमिकता।	बहुसंख्यक के हित को प्राथमिकता, अल्पसंख्यक गौण।	श्रमिक वर्ग (Proletariat) का हित केंद्र में।
प्रशासनिक उदाहरण	मनरेगा, पीएम-किसान, अंत्योदय अन्न योजना।	सामान्य कल्याणकारी योजनाएँ (Welfare Programs)।	राजकीय समाजवाद (State Socialism) के मॉडल।

तीन आर्थिक दर्शन — संपत्ति किसकी?



चित्र 5.17: तीन आर्थिक दर्शन — संपत्ति किसकी?

राजस्थान से जुड़े सर्वोदय के जीवंत उदाहरण

राजसमंद ज़िले के पिपलांत्री गाँव का मॉडल (देखें अध्याय की शुरुआती कहानी) — बेटी के जन्म पर पेड़ लगाना — पर्यावरण और महिला-सशक्तिकरण दोनों को साथ जोड़ता है, यह सर्वोदय का जीता-जागता उदाहरण है। इसके अलावा, इंदिरा रसोई योजना (राजस्थान, 2020) — जिसके तहत बेहद रियायती दर पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है, ताकि 'कोई भूखा न सोए' — तथा पीएम-कुसुम योजना (2019) — जो किसानों को सौर ऊर्जा से जोड़कर प्राकृतिक संसाधनों की ट्रस्टीशिप सिखाती है — दोनों इसी भावना के आधुनिक उदाहरण हैं।

📖 कहानी: "सेठ जी का ट्रस्ट" — CSR का पैसा और गांधी का जंतर

बारां ज़िले में एक बड़ी सीमेंट कंपनी का संयंत्र था। कंपनी अपने **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR)** के फंड से ज़िला मुख्यालय पर एक भव्य "सिटी गेट" और एक संगीतमय फव्वारा बनवाना चाहती थी। कंपनी के प्रबंधक ने कलेक्टर **अमित** (काल्पनिक नाम) से कहा — "साहब, उद्घाटन आपके हाथों होगा, अखबारों में बड़ी खबर छपेगी, ज़िले की छवि चमकेगी।" कुछ स्थानीय नेता भी इस प्रस्ताव के पक्ष में थे।

अमित के मन में एक और चित्र था। पिछले हफ्ते वे शाहाबाद क्षेत्र की **सहरिया** जनजाति (राजस्थान का एकमात्र विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह — PVTG) की एक बस्ती में गए थे, जहाँ कुपोषण से ग्रस्त बच्चे, बिना छत का आंगनबाड़ी केंद्र और कई किलोमीटर दूर से पानी लाती महिलाएँ उन्होंने देखी थीं। उन्हें गांधी का जंतर याद आया — "सबसे गरीब और सबसे कमज़ोर व्यक्ति का चेहरा याद करो, और पूछो — क्या मेरा यह क़दम उसके किसी काम आएगा?" सिटी गेट उस बस्ती के बच्चे के किसी काम नहीं आता।

पर अमित किसी पर कुछ थोपना नहीं चाहते थे — CSR का निर्णय कंपनी का था। उन्होंने कंपनी के निदेशक को उस बस्ती में साथ चलने का निमंत्रण दिया। निदेशक ने वहाँ बच्चों का वज़न होते देखा, महिलाओं की बातें सुनीं। लौटते समय गाड़ी में वह बहुत देर चुप रहे, फिर बोले — "हमारा संयंत्र इसी ज़मीन के पत्थर से चलता है। इस ज़मीन के लोगों का हम पर पहला हक़ है।"

कंपनी ने उसी CSR फंड से 20 आंगनबाड़ी केंद्रों का पक्का निर्माण, पोषण-वाटिकाएँ और तीन गाँवों में पेयजल योजना शुरू की; निगरानी के लिए ग्राम सभा की समिति बनी। दो साल में उन गाँवों में गंभीर कुपोषित बच्चों की संख्या आधी से भी कम हो गई। कंपनी के वार्षिक प्रतिवेदन में निदेशक ने लिखा — "हमने सीखा कि हम इस संपत्ति के मालिक नहीं, ट्रस्टी हैं।"

🔑 **इस कहानी से सीख:** ट्रस्टीशिप का अर्थ है कि संपत्ति और संसाधन समाज की अमानत हैं, और उनका उपयोग सबसे ज़रूरतमंद के लिए होना चाहिए। गांधी का जंतर प्रशासनिक प्राथमिकताएँ तय करने की सबसे सरल कसौटी है। प्रशासक का काम आदेश थोपना नहीं, बल्कि हृदय-परिवर्तन के लिए सही परिस्थितियाँ बनाना है — यही गांधीवादी तरीका है।

सर्वोदय और ट्रस्टीशिप की आज की प्रासंगिकता: ये सिद्धांत आज भी मनरेगा, अंत्योदय अन्न योजना, राजस्थान की इंदिरा रसोई और पिपलांत्री मॉडल जैसे ठोस रूपों में जीवित हैं।

10. राजनीति-धर्म, राज्य की अवधारणा, हृदय-परिवर्तन एवं स्वराज

10.1 राजनीति और धर्म (Politics and Religion)

🌟 प्रामाणिक कथन

"धर्म से रहित राजनीति निरी गंदगी है, जिससे सदैव दूर रहना चाहिए।" ("Politics bereft of religion is absolute dirt, ever to be shunned.") — महात्मा गांधी, यंग इंडिया

- ◆ गांधीजी के अनुसार राजनीति और धर्म (नैतिकता) को कभी अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि राजनीति का उद्देश्य जनता की सेवा है, और नैतिकता के बिना सत्ता सेवा का नहीं, स्वार्थ और शोषण का साधन बन जाती है।
- ◆ यहाँ 'धर्म' का अर्थ किसी संप्रदाय-विशेष से नहीं, बल्कि नैतिकता और सत्य से है।
- ◆ प्रशासन में इसका अर्थ — नैतिकता-विहीन राजनीति ही कुशासन, भ्रष्टाचार और जनता के शोषण को जन्म देती है।

10.2 राज्य की अवधारणा — दार्शनिक अराजकतावादी दृष्टिकोण

🔍 आसान परिभाषा: दार्शनिक अराजकतावाद (Philosophical Anarchism) एवं ग्राम स्वराज

📖 **परिभाषा:** गांधीजी एक 'दार्शनिक अराजकतावादी' थे — यानी वे किसी दमनकारी, केंद्रीकृत पुलिस-राज्य (Police State) के सख्त विरोधी थे, और चाहते थे कि सत्ता का अधिकतम विकेंद्रीकरण हो। उनके अनुसार राज्य संगठित और केंद्रित रूप में हिंसा का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि वह अंततः दंड और बल के सहारे चलता है; इसलिए उनका आदर्श ऐसा समाज था, जहाँ हर व्यक्ति स्वयं पर इतना नियंत्रण रखे कि बाहरी शासन की ज़रूरत न्यूनतम रह जाए।

💡 **आसान भाषा में:** जैसे एक बड़े स्कूल में हर क्लास का अपना मॉनिटर हो और छोटे-छोटे फैसले वहीं क्लास में हो जाएँ, बजाय इसके कि हर बात के लिए प्रिंसिपल के पास जाना पड़े — गांधीजी चाहते थे कि हर गाँव भी अपने ज़्यादातर फैसले खुद ले सके, यही 'ग्राम स्वराज' है। 🏠

🗨️ **उदाहरण:** पंचायती राज व्यवस्था — जिसमें गाँव स्तर पर ही कई प्रशासनिक व विकास से जुड़े फैसले लिए जाते हैं — गांधीजी के 'हर गाँव एक गणराज्य' (Every village a republic) वाले विचार का संवैधानिक रूप है।

- ◆ गांधीजी के लिए 'ग्राम राज्य' का अर्थ किसी धर्म-विशेष का शासन नहीं, बल्कि ग्राम स्वराज था — यानी एक ऐसा न्यायपूर्ण समाज, जहाँ सबसे कमज़ोर व्यक्ति की भी सुनवाई हो और जो राज्य-सत्ता के अत्यधिक दबाव, वर्ग-भेद और हिंसा से मुक्त हो।
- ◆ 73वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम (पारित 1992, प्रभावी 24 अप्रैल 1993) — पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देकर, गांधीजी के विकेंद्रीकरण के सपने को व्यावहारिक रूप दिया।

ग्राम स्वराज से 73वें संशोधन तक



चित्र 5.18: ग्राम स्वराज से 73वें संशोधन तक

10.3 भारतीय संविधान में गांधीवादी विचार

संविधान सभा ने गांधीजी के अनेक विचारों को **राज्य के नीति निदेशक तत्वों** में स्थान दिया, ताकि राज्य उन्हें धीरे-धीरे लागू करे:

अनुच्छेद	प्रावधान	गांधीवादी विचार
अनुच्छेद 40	ग्राम पंचायतों का गठन	ग्राम स्वराज, विकेंद्रीकरण
अनुच्छेद 43	ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा	स्वदेशी, ग्रामोद्योग
अनुच्छेद 46	अनुसूचित जातियों, जनजातियों और कमज़ोर वर्गों के शैक्षिक-आर्थिक हितों की रक्षा	अंत्योदय, दरिद्र नारायण
अनुच्छेद 47	मादक पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध का प्रयास	नशाबंदी
अनुच्छेद 48	कृषि और पशुपालन का वैज्ञानिक संगठन, गोवंश संरक्षण	ग्रामीण अर्थव्यवस्था
अनुच्छेद 17	अस्पृश्यता का उन्मूलन (मौलिक अधिकार)	अस्पृश्यता-निवारण व्रत

10.4 हृदय-परिवर्तन (Change of Heart)

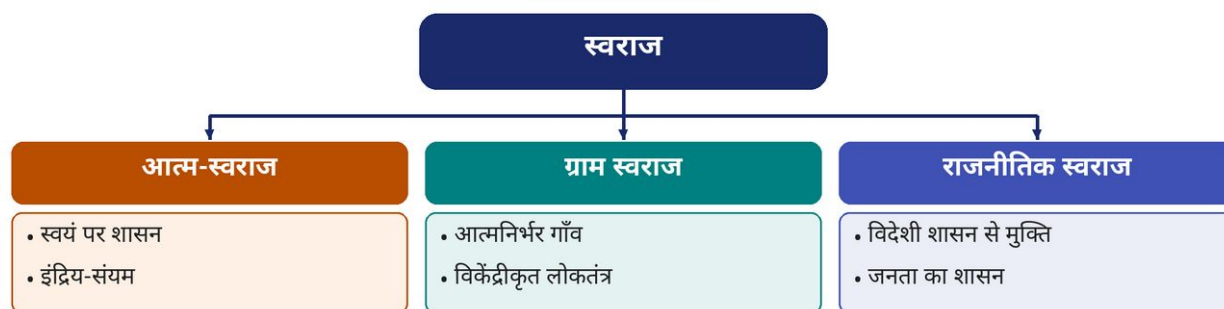
- ◆ गांधीजी का मानना था कि व्यक्ति का आचरण काफ़ी हद तक उसके विचारों पर निर्भर करता है, और हर मनुष्य में — चाहे वह अपराधी ही क्यों न हो — अच्छाई का कुछ अंश अवश्य होता है; यदि उसके विचार बदल दिए जाएँ तो उसका आचरण भी बदल जाएगा — इसलिए किसी अपराधी या अत्याचारी को दंड देने की बजाय, सत्याग्रह, उपवास और प्रेम के माध्यम से उसका 'हृदय-परिवर्तन' किया जा सकता है।
- ◆ प्रशासन में इसका सबसे उपयुक्त उदाहरण — आपराधिक न्याय व्यवस्था में केवल दंड (Punish) पर ज़ोर न देकर सुधार (Reform) पर भी ज़ोर देना।
- ◆ नक्सल-प्रभावित क्षेत्रों में चलाई जाने वाली 'आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वास नीति' (Surrender-cum-Rehabilitation Policy) भी इसी 'हृदय-परिवर्तन' के दर्शन पर आधारित मानी जा सकती है।

राष्ट्रीय एकता के लिए आर्थिक न्याय: गांधी का मानना था कि अमीर और गरीब के बीच की खाई पाटना राष्ट्रीय एकता के लिए उतना ही ज़रूरी है, जितना धर्मों के बीच सद्भाव। आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय के लिए काम करने से वह कड़वाहट और पीड़ा दूर होगी, जो असमानता से पैदा होती है। समानता की यह नींव "यहीं और अभी" रखनी होगी और जनता की नैतिक संतुष्टि के माध्यम से ईंट-दर-ईंट बनानी होगी। गांधी ने **श्रम की गरिमा** को एक ऐसे सामाजिक समतलीकरण-कारक के रूप में सिखाया — यानी ऐसा तत्व जो ऊँच-नीच मिटाकर सबको बराबरी पर लाता है, क्योंकि जब हर व्यक्ति हाथ से काम करेगा तो 'बड़ा काम' और 'छोटा काम' का भेद ही मिट जाएगा। यही विचार नए भारत की राष्ट्रीय दृष्टि में योगदान देता है।

10.5 स्वराज (Swaraj) — तीन आयाम

स्वराज का प्रकार	अर्थ
आत्म-स्वराज	स्वयं की इच्छाओं, कमज़ोरियों और इंद्रियों पर आत्म-नियंत्रण — गांधीजी के अनुसार यही सबसे मुश्किल और सबसे ज़रूरी स्वराज है।
राजनीतिक स्वराज	विदेशी/पराए शासन से पूर्ण मुक्ति।
आर्थिक स्वराज	आत्मनिर्भरता — खादी और स्वदेशी के माध्यम से अपने पैरों पर खड़ा होना।

स्वराज के तीन आयाम



चित्र 5.19: स्वराज के तीन आयाम

10.6 "हिंद स्वराज" (1909) — आधुनिक सभ्यता की आलोचना

गांधीजी ने 1909 में लंदन से दक्षिण अफ्रीका लौटते समय जहाज़ (किल्डोनन कैसल) पर अपनी प्रसिद्ध पुस्तक "हिंद स्वराज" गुजराती में लिखी। यह पुस्तक संवाद-शैली में है और इसमें उन्होंने पश्चिमी आधुनिक सभ्यता की तीखी आलोचना की — उनके अनुसार यह सभ्यता भौतिक सुख और मशीनों को ही प्रगति मानती है, जिससे मनुष्य का नैतिक पतन होता है। उन्होंने रेल, वकीलों और डॉक्टरों की भूमिका पर भी सवाल उठाए। गांधीजी के लिए सच्ची सभ्यता वह है जो मनुष्य को कर्तव्य-पालन और आत्म-संयम की ओर ले जाए। इसीलिए उनका स्वराज केवल अंग्रेज़ों को हटाना नहीं, बल्कि "अंग्रेज़ों के बिना अंग्रेज़ी राज" से भी बचना था — यानी ऐसा न हो कि अंग्रेज़ तो चले जाएँ, पर उनकी शोषणकारी व्यवस्था और भोगवादी सभ्यता वैसी की वैसी बनी रहे। गांधीजी के शब्दों में, यह बाघ को हटाकर बाघ का स्वभाव रख लेने जैसा होगा।

10.7 नई तालीम — गांधी का शिक्षा-दर्शन

गांधीजी शिक्षा को "जीवन का प्रकाश" मानते थे और कहते थे कि नैतिकता का सार्वभौमिकरण शिक्षा के सार्वभौमिकरण से ही संभव है। 1937 के वर्धा शिक्षा सम्मेलन में उन्होंने नई तालीम (बुनियादी शिक्षा) का विचार रखा — हस्तशिल्प और उत्पादक कार्य के माध्यम से शिक्षा, ताकि "हाथ, हृदय और मस्तिष्क" तीनों का विकास हो। श्रम की गरिमा उनकी शिक्षा का केंद्रीय मूल्य था।

आधार	नई तालीम (गांधी)	शांतिनिकेतन (टैगोर)
दर्शन	आत्मनिर्भरता, ग्रामीण सशक्तीकरण, सत्य-अहिंसा जैसे मूल्य	समग्र विकास, कलात्मक अभिव्यक्ति, आध्यात्मिक विकास
शिक्षण-पद्धति	कार्य-आधारित शिक्षा — कृषि, कताई, हस्तशिल्प	खुले आकाश के नीचे, प्रकृति के बीच शिक्षा
सांस्कृतिक संदर्भ	भारतीय ग्रामीण जीवन और आत्मनिर्भर गाँव	भारतीय और वैश्विक विचारों का समन्वय

10.8 रचनात्मक कार्यक्रम (Constructive Programme)

गांधीजी के लिए स्वराज केवल आंदोलन से नहीं, बल्कि समाज के रचनात्मक पुनर्निर्माण से आना था। 1941 में उन्होंने "रचनात्मक कार्यक्रम: उसका अर्थ और स्थान" नामक पुस्तिका लिखी, जिसके 1945 के संशोधित संस्करण में अठारह कार्य गिनाए गए — जैसे सांप्रदायिक एकता, अस्पृश्यता-निवारण, नशाबंदी, खादी, ग्रामोद्योग, ग्राम-स्वच्छता, बुनियादी शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, महिलाओं का उत्थान, स्वास्थ्य-शिक्षा, राष्ट्रभाषा, आर्थिक समानता, किसानों, मज़दूरों और आदिवासियों का कल्याण। आज की अनेक कल्याणकारी योजनाएँ — स्वच्छ भारत मिशन (2 अक्टूबर 2014 से), साक्षरता और महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम — इसी रचनात्मक कार्यक्रम की आधुनिक प्रतिध्वनियाँ हैं।

रचनात्मक कार्यक्रम — प्रमुख कार्य और आज का रूप



चित्र 5.20: रचनात्मक कार्यक्रम — प्रमुख कार्य और आज का रूप

गांधीजी के लिए स्वराज केवल 'अंग्रेज़ों से आज़ादी' (राजनीतिक स्वराज) तक सीमित नहीं था — उनके लिए इसका सबसे गहरा अर्थ आत्म-नियंत्रण (आत्म-स्वराज) था। यह बिंदु अक्सर अनदेखा रह जाता है, जबकि यही गांधी के स्वराज की आत्मा है।

11. तुलनात्मक अध्ययन — गांधी बनाम टैगोर/आंबेडकर/बोस

गांधीजी को उनके समकालीन महान विचारकों से तुलना करके और गहराई से समझा जा सकता है। नीचे तीन सबसे महत्वपूर्ण तुलनाएँ दी गई हैं।

11.1 गांधी बनाम टैगोर (Gandhi vs Tagore)

रवींद्रनाथ टैगोर ने गांधीजी को सबसे पहले 'महात्मा' कहकर संबोधित किया था, फिर भी कई विषयों पर दोनों में गहरा मतभेद था — दोनों के बीच यह वैचारिक बहस भारतीय बौद्धिक इतिहास की सबसे प्रसिद्ध बहसों में गिनी जाती है।

विषय	गांधी का मत	टैगोर का मत
बिहार भूकंप, 1934	भूकंप को छुआछूत के पाप के लिए एक तरह का 'दैवीय दंड' बताया।	इस सोच का कड़ा वैज्ञानिक विरोध किया — प्राकृतिक आपदा को नैतिक पाप से जोड़ना अवैज्ञानिक बताया।
चरखा और आधुनिक विज्ञान	मशीनीकरण व बड़े पैमाने के औद्योगीकरण के विरुद्ध — चरखे व हस्तकला को प्राथमिकता।	आधुनिक विज्ञान व तकनीक से ही गरीबी मिट सकती है, इस पर बल दिया।
शिक्षा	नैतिक शिक्षा + शारीरिक श्रम (Bread Labour) पर बल।	शांतिनिकेतन के माध्यम से रचनात्मक, उदार (Liberal) शिक्षा को बढ़ावा दिया।
राष्ट्रवाद	आध्यात्मिक राष्ट्रवाद (Spiritual Nationalism) की भावना।	संकुचित राष्ट्रवाद (Narrow Nationalism) की अवधारणा का विरोध किया।

टैगोर का दृष्टिकोण — गहराई से: रवींद्रनाथ टैगोर ने 1901 में शांतिनिकेतन में एक प्रायोगिक विद्यालय शुरू किया, जो 1921 में विश्वभारती विश्वविद्यालय बना; 1913 में उन्हें "गीतांजलि" के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला, और 1919 में जलियाँवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने अंग्रेजों द्वारा दी गई "नाइटहुड" की उपाधि लौटा दी (गांधी ने भी 1920 में अपना "कैसर-ए-हिंद" पदक लौटाया)। टैगोर के लिए **राजनीतिक स्वतंत्रता तभी सच्ची स्वतंत्रता है, जब उसके साथ आध्यात्मिक स्वतंत्रता हो** — व्यक्ति की स्वतंत्रता और राष्ट्र की स्वतंत्रता, दोनों एक-दूसरे के बिना अधूरी हैं।

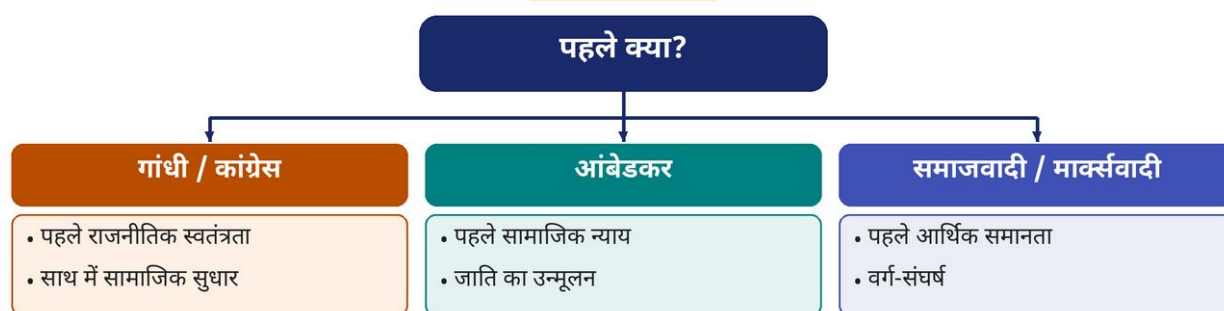
टैगोर का **आध्यात्मिक मानववाद** ब्रह्मांड से एकत्व और समस्त मानवता से प्रेम की बात करता है; यह सांसारिक सुखों से विरक्ति और कठोर तपस्या में विश्वास नहीं करता, बल्कि संसार के सौंदर्य को अपनाने की बात करता है। यहीं गांधी से उनका एक सूक्ष्म अंतर दिखता है — गांधी आत्म-संयम, सादगी और व्रतों पर बल देते थे, जबकि टैगोर सौंदर्य, कला और रचनात्मक स्वतंत्रता पर। फिर भी दोनों ही संकीर्ण स्वार्थपूर्ण व्यक्तिवाद, सुखवाद और केवल उपयोगितावाद को अस्वीकार करते थे, और दोनों का लक्ष्य मनुष्य की पूर्णता था, जो पूरे समाज के हित में हो।

11.2 गांधी बनाम डॉ. भीमराव आंबेडकर (Gandhi vs Ambedkar)

समानताएँ (Similarities)	असमानताएँ (Differences)
◆ दोनों छुआछूत के पूर्ण उन्मूलन के पक्षधर थे।	◆ गांधी: वर्ण-व्यवस्था (श्रम-विभाजन के रूप में) को दोषपूर्ण नहीं मानते थे, सिर्फ अस्पृश्यता का विरोध करते थे। आंबेडकर: पूरी जाति-व्यवस्था को ही समाप्त करना चाहते थे।
◆ दोनों समाज के वंचित/शोषित वर्गों के उत्थान के लिए गहराई से प्रतिबद्ध थे।	◆ गांधी ने दलित समुदाय के लिए 'हरिजन' (ईश्वर की संतान) शब्द प्रचलित किया। आंबेडकर इस शब्द को उपकारपूर्ण (Patronizing) और सम्मान-विहीन मानते थे, और उनके अनुयायियों ने आत्म-सम्मान जताने वाला शब्द 'दलित' अपनाया।
◆ दोनों मूल रूप से अहिंसक तरीकों में विश्वास रखते थे।	◆ गांधी: गाँव को 'ग्राम स्वराज' के आदर्श रूप में देखते थे। आंबेडकर: गाँव को जातिवाद और संकीर्णता का अड्डा भी मानते थे।
◆ दोनों सामाजिक न्याय के सजग प्रहरी माने जाते हैं।	◆ गांधी: ट्रस्टीशिप पर बल। आंबेडकर: राजकीय समाजवाद (State Socialism) व भूमि-सुधार पर अधिक बल देते थे।

आंबेडकर का मूल तर्क: डॉ. आंबेडकर के अनुसार भारत में सामाजिक अन्याय की जड़ **जाति-व्यवस्था** थी, जिसने मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण का वातावरण बनाया। उनका मानना था कि **जाति के उन्मूलन द्वारा सामाजिक न्याय स्थापित किए बिना भारत में कोई लोकतंत्र संभव नहीं**। इसीलिए उनकी स्थिति कांग्रेस और गांधी से भी अलग थी, जो पहले राजनीतिक सुधार और अंग्रेजों से स्वतंत्रता चाहते थे, और समाजवादियों-मार्क्सवादियों से भी, जो पहले आर्थिक समानता चाहते थे। उनका मानना था कि उच्च वर्ग स्वयं इस व्यवस्था को नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि यह उनके हित में है; इसलिए उन्होंने वंचितों के लिए **संवैधानिक सुरक्षा और लोकतांत्रिक संस्थाओं में सीधे प्रतिनिधित्व** की माँग की। उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं — "जाति का विनाश" (Annihilation of Caste, 1936), "शूद्र कौन थे" (1946) और "अछूत" (1948)।

स्वतंत्र भारत की प्राथमिकता — तीन दृष्टिकोण



चित्र 5.21: स्वतंत्र भारत की प्राथमिकता — तीन दृष्टिकोण

11.3 गांधी बनाम सुभाष चंद्र बोस (Gandhi vs Bose)

विषय	महात्मा गांधी	सुभाष चंद्र बोस
परस्पर संबोधन	गांधीजी ने बोस को 'देशभक्तों का राजकुमार' कहा था।	बोस ने गांधीजी को सबसे पहले सार्वजनिक रूप से 'राष्ट्रपिता' कहकर संबोधित किया था।
प्रतिरोध का तरीका	अहिंसा और सविनय अवज्ञा।	सशस्त्र प्रतिरोध (Armed/Military Struggle) — आज़ाद हिंद फ़ौज।
साधन-साध्य दृष्टिकोण	कर्तव्यवादी — साधन भी पवित्र होने चाहिए।	परिणामवादी — आज़ादी (साध्य) सर्वोपरि, साधन गौण।
विदेशी सहयोग पर रुख	नैतिक आधार पर विरोधी।	जर्मनी व जापान से सैन्य सहयोग लिया।
आर्थिक दृष्टिकोण	स्वदेशी, ट्रस्टीशिप, ग्राम-स्वराज पर बल।	आधुनिक व तीव्र औद्योगिकरण के समर्थक।

गांधी और समकालीन — मतभेद का साझा सूत्र



चित्र 5.22: गांधी और समकालीन — मतभेद का साझा सूत्र

11.4 गांधीवाद की आलोचना और आज की प्रासंगिकता

आलोचनाएँ: कई विद्वान मानते हैं कि गांधीवादी आदर्श — पूर्ण अहिंसा, ट्रस्टीशिप, मशीनों का विरोध — आधुनिक औद्योगिक और प्रतिस्पर्धी दुनिया में पूरी तरह व्यावहारिक नहीं हैं। ट्रस्टीशिप धनी वर्ग की स्वेच्छा पर निर्भर है, जिसकी कोई गारंटी नहीं। डॉ. आंबेडकर जैसे विचारकों ने वर्ण-व्यवस्था पर गांधी के शुरुआती विचारों और ग्राम-केंद्रित दृष्टि की आलोचना की, क्योंकि उनके अनुसार गाँव जातिगत भेदभाव के केंद्र भी थे। कुछ आलोचक धार्मिक प्रतीकों के राजनीतिक उपयोग पर भी प्रश्न उठाते हैं।

प्रासंगिकता: इन आलोचनाओं के बावजूद गांधीवादी विचार आज भी अनेक रूपों में जीवित हैं — पंचायती राज, कल्याणकारी योजनाओं में अंत्योदय का सिद्धांत, सतत विकास और पर्यावरण-संरक्षण ("आवश्यकता, लोभ नहीं"), CSR, वैकल्पिक विवाद-समाधान और सुधारात्मक न्याय। विश्व-स्तर पर भी नेल्सन मंडेला (दक्षिण अफ्रीका) और मार्टिन लूथर किंग जूनियर (अमेरिका) ने गांधीवादी अहिंसक संघर्ष को अपनी प्रेरणा माना — किंग ने 1959 में भारत आकर इसे "तीर्थयात्रा" कहा था। यह दिखाता है कि सत्य और अहिंसा केवल व्यक्तिगत आचरण नहीं, बल्कि विश्व-राजनीति के भी सिद्धांत बन सकते हैं।

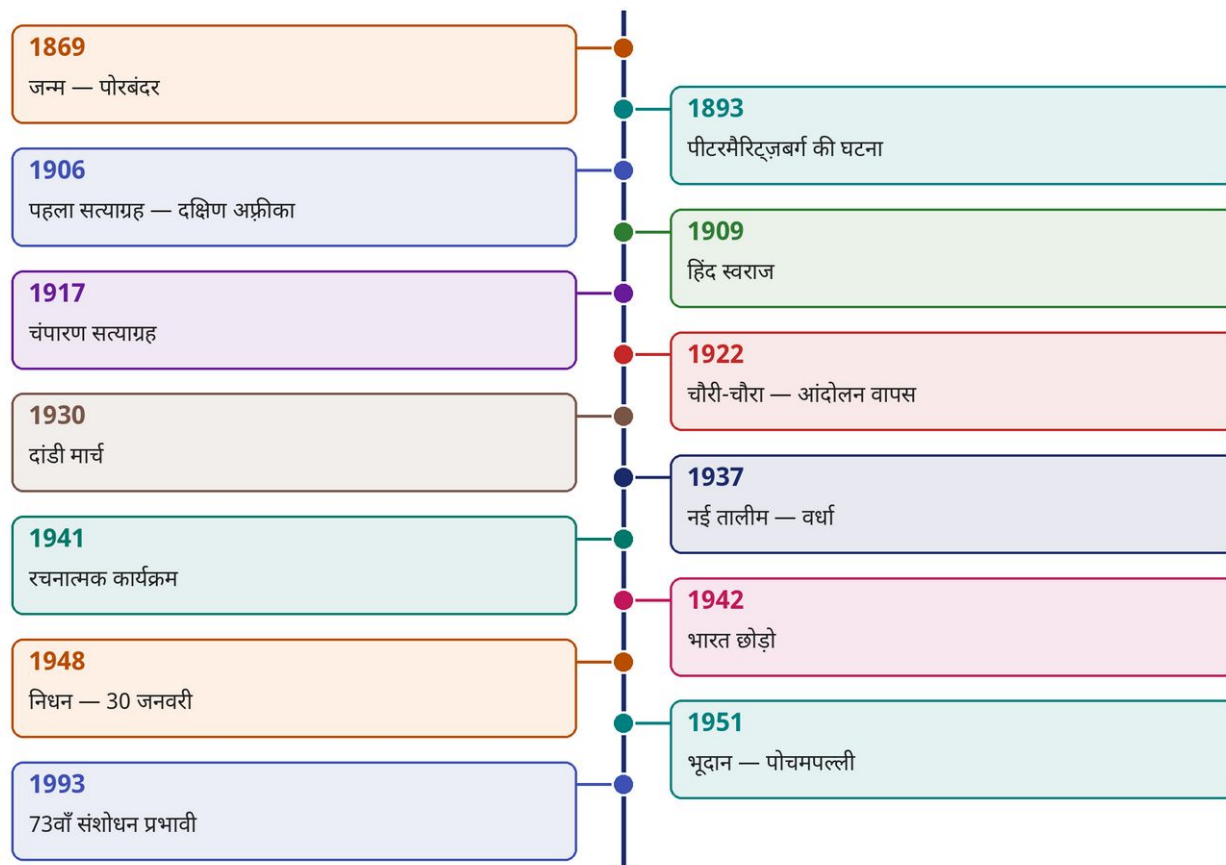
तीनों तुलनाओं में एक साझा सूत्र दिखता है — टैगोर से मतभेद विज्ञान और तर्क को लेकर था, आंबेडकर से जाति-व्यवस्था की जड़ को लेकर, और बोस से साधन की पवित्रता को लेकर।

12. गांधीवादी नीतिशास्त्र — ऐतिहासिक यात्रा एवं प्रशासनिक प्रासंगिकता

वर्ष / संदर्भ	विषय / घटना
1869	मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म — पोरबंदर (गुजरात)।
1888-1891	लंदन में विधि (Law) की पढ़ाई — इसी दौरान भगवद्गीता व बाइबिल से गहरा परिचय हुआ; एडविन आर्नल्ड की 'Light of Asia' पढ़ी।
1893-1915	दक्षिण अफ्रीका प्रवास — नस्लीय भेदभाव का सामना; फ्रीनिक्स सेटलमेंट व टॉल्स्टॉय फ़ार्म की स्थापना।
1904	जॉन रस्किन की 'Unto This Last' पढ़ी — इसी से सर्वोदय व अंत्योदय के विचार की नींव पड़ी।
1906	दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह — 'निष्क्रिय प्रतिरोध (Passive Resistance)' के स्थान पर 'सत्याग्रह' नाम अपनाया गया।
1908	प्लेटो की 'अपोलॉजी ऑफ़ सॉक्रेटीज़' (Apology of Socrates) का गुजराती रूपांतरण — 'एक सत्यवीर की कथा' शीर्षक से प्रकाशित।
1915	भारत वापसी — गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना।
1919	रॉलेट एक्ट का विरोध — जलियाँवाला बाग हत्याकांड — गांधीजी का राष्ट्रीय नेतृत्व स्थापित हुआ।
1920-22	असहयोग आंदोलन — चौरा-चौरा कांड (1922) के बाद आंदोलन वापस लिया — साधन की पवित्रता के प्रति गांधीजी की दृढ़ता की मिसाल।
20 मार्च 1925	लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी में फ़ादर फ्रेडरिक लुईस डोनाल्डसन के उपदेश में '7 सामाजिक पाप' की सूची पहली बार सामने आई।
22 अक्टूबर 1925	गांधीजी ने यह सूची अपनी पत्रिका 'यंग इंडिया' में पुनः प्रकाशित की — तभी से यह भारत में लोकप्रिय हुई।
1930	दांडी मार्च — नमक कानून तोड़ा — सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत।
24 सितंबर 1932	पूना पैक्ट — गांधी व आंबेडकर के बीच अलग निर्वाचिका (Separate Electorate) के मुद्दे पर समझौता।
30 सितंबर 1932	'हरिजन सेवक संघ' की स्थापना — अस्पृश्यता-निवारण हेतु।
जनवरी 1934	बिहार भूकंप — गांधी व टैगोर के बीच वैचारिक मतभेद।
1942	भारत छोड़ो आंदोलन — "करो या मरो" का नारा — गांधीजी के सबसे उग्र सत्याग्रह का उदाहरण।
30 जनवरी 1948	गांधीजी की हत्या — जीवन के अंतिम क्षणों से जुड़ा 'हे राम' कथन व्यापक रूप से प्रचलित है, हालाँकि प्रत्यक्षदर्शियों के बीच इसके सटीक शब्दों को लेकर कुछ मतभेद भी दर्ज हैं।
1992-93	73वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम (पारित 1992, प्रभावी 24 अप्रैल 1993) — पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा — ग्राम स्वराज का संवैधानिक रूप।
2019	पीएम-कुसुम (PM-KUSUM) योजना स्वीकृत — किसानों हेतु सौर ऊर्जा — प्राकृतिक संसाधनों की ट्रस्टीशिप का आधुनिक उदाहरण।
2020	राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ — सर्वोदय व दरिद्र नारायण सेवा का समकालीन रूप।

New India Education by Omkar Sir

गांधीवादी नीतिशास्त्र — ऐतिहासिक यात्रा



चित्र 5.23: गांधीवादी नीतिशास्त्र — ऐतिहासिक यात्रा

☀ अध्याय का सार — एक पंक्ति में

गांधीवादी नीतिशास्त्र किसी दार्शनिक की मेज़ पर नहीं, बल्कि लाखों आम भारतीयों के साथ किए गए वास्तविक जीवन-प्रयोगों में गढ़ा गया — सत्य और अहिंसा इसकी नींव हैं, सत्याग्रह इसका हथियार है, ट्रस्टीशिप व सर्वोदय इसकी अर्थनीति है, और साधन की पवित्रता इसकी सबसे बड़ी शर्त है — यही कारण है कि एक सदी बाद भी, चाहे भ्रष्टाचार-विरोध हो या पर्यावरण-संरक्षण, हर क्षेत्र में गांधीवादी नीतिशास्त्र उतना ही प्रासंगिक बना हुआ है।

बोनस: उत्तर-लेखन अभ्यास (मॉडल प्रश्न और उत्तर)

प्रश्न 1: "गांधीजी के सर्वोदय और ट्रस्टीशिप के सिद्धांत आधुनिक प्रशासन के लिए कितने प्रासंगिक हैं?"

उत्तर: गांधीजी का सर्वोदय (सभी का उदय) और ट्रस्टीशिप (धन को 'न्यास' समझना) — दोनों सिद्धांत पूँजीवाद और साम्यवाद के बीच एक अहिंसक व नैतिक मध्य-मार्ग सुझाते हैं, जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं।

◆ **कल्याणकारी योजनाओं में झलक:** मनरेगा, अंत्योदय अन्न योजना, तथा राजस्थान की इंदिरा रसोई योजना — सभी अंत्योदय (समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान) के सिद्धांत पर आधारित हैं।

◆ **CSR में ट्रस्टीशिप:** कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) कानून तथा टाटा ट्रस्ट्स, अज़ीम प्रेमजी फ़ाउंडेशन जैसी संस्थाएँ — धन को व्यक्तिगत संपत्ति नहीं, बल्कि सामाजिक न्यास (Trust) मानने की भावना को दर्शाती हैं।

◆ **सीमाएँ:** आलोचकों का तर्क है कि आधुनिक बाज़ार-अर्थव्यवस्था में स्वैच्छिक ट्रस्टीशिप पर पूरी तरह निर्भर रहना अव्यावहारिक है, इसलिए राज्य को कानून व नीति के माध्यम से इसे सुनिश्चित करना पड़ता है (जैसे CSR को अनिवार्य बनाना)।

निष्कर्ष: सर्वोदय और ट्रस्टीशिप को हूबहू लागू करना कठिन हो सकता है, पर इनकी मूल भावना — 'समाज के अंतिम व्यक्ति की चिंता' और 'धन का ज़िम्मेदार उपयोग' — आज की समावेशी विकास-नीतियों (Inclusive Development) की आत्मा बनी हुई है।

प्रश्न 2: "गांधीजी के अनुसार साधन और साध्य की पवित्रता एक-दूसरे से अविभाज्य है।" इस कथन की विवेचना कीजिए।

उत्तर: गांधीजी कर्तव्यवादी (Deontologist) दार्शनिक थे, जिनके लिए साधन और साध्य एक ही सिक्के के दो पहलू थे — अपवित्र साधन से कभी स्थायी रूप से पवित्र साध्य प्राप्त नहीं हो सकता।

◆ **तुलनात्मक स्पष्टता:** कार्ल मार्क्स व सुभाष चंद्र बोस जैसे परिणामवादी (Consequentialist) विचारकों के विपरीत, गांधीजी परिणाम जितना ही महत्व प्रक्रिया/साधन को भी देते थे।

◆ **ऐतिहासिक उदाहरण:** असहयोग आंदोलन (1920-22) के दौरान चौरी-चौरा में हिंसा भड़कने पर गांधीजी ने पूरा आंदोलन वापस ले लिया, भले ही उस समय आंदोलन अपने चरम पर था — यह उनके 'साधन की पवित्रता' के सिद्धांत के प्रति दृढ़ता की सबसे बड़ी मिसाल है।

◆ **प्रशासनिक अनुप्रयोग:** एक अधिकारी जो किसी 'अच्छे उद्देश्य' (जैसे विकास-कार्य में तेज़ी) के नाम पर नियम-प्रक्रिया को दरकिनार करता है, वह गांधीवादी अर्थ में नैतिक रूप से उचित नहीं ठहराया जा सकता, भले ही उसका इरादा अच्छा क्यों न हो।

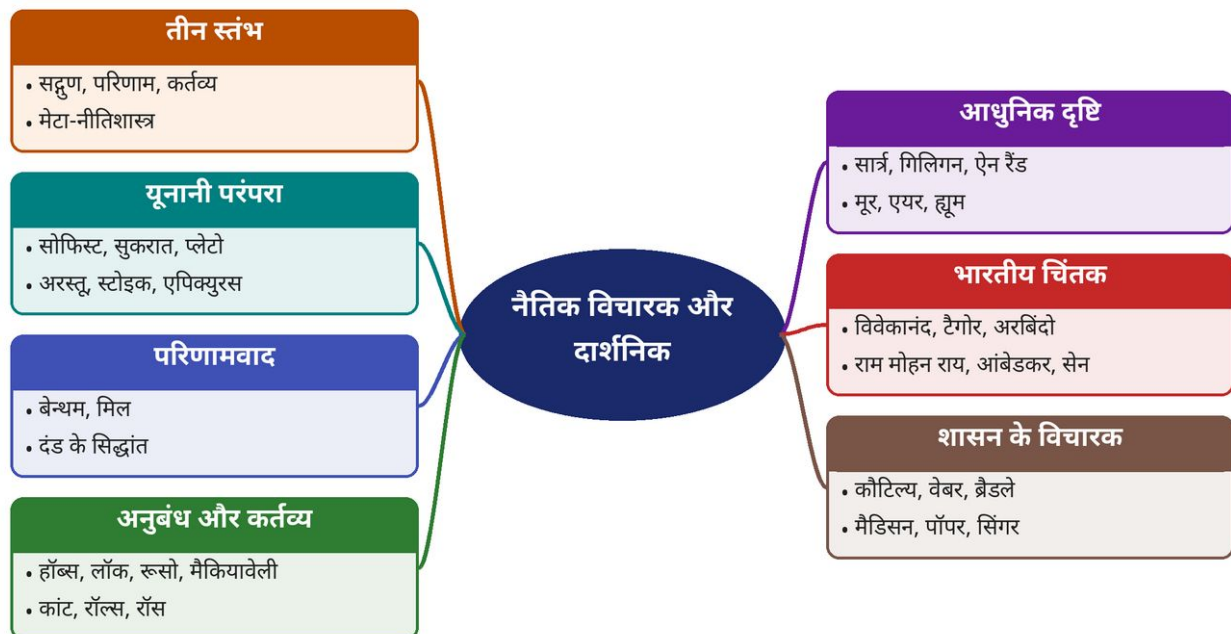
निष्कर्ष: गांधीजी का यह सिद्धांत आज के प्रशासन को यह सिखाता है कि 'परिणाम अच्छा होना चाहिए' के साथ-साथ 'प्रक्रिया भी उतनी ही पारदर्शी और नैतिक होनी चाहिए' — दोनों में से किसी एक की भी अनदेखी दीर्घकाल में शासन की विश्वसनीयता को नुकसान पहुँचाती है।



📖 शुरुआत एक सच्ची घटना से...

हरियाणा कैडर के IAS अधिकारी अशोक खेमका का नाम भारतीय प्रशासनिक इतिहास में एक अनोखे कारण से दर्ज है — अपने लगभग 34 साल के करियर में उनका तबादला 50 से भी ज़्यादा बार हुआ, यानी औसतन हर साल एक से ज़्यादा बार। हर बार जब उन्होंने किसी शक्तिशाली भू-सौदे या फ़ाइल में गड़बड़ी उजागर की, अगले ही हफ्ते उनका तबादला हो जाता। फिर भी उन्होंने कभी चुप रहना नहीं सीखा। जब उनसे पूछा गया कि वे थकते क्यों नहीं, तो उनका जवाब बेहद सीधा था — उन्होंने कभी अपनी ईमानदारी को इसलिए नहीं अपनाया कि इससे उन्हें तरक्की मिलेगी या नाम मिलेगा, बल्कि इसलिए क्योंकि वे इसे अपना कर्तव्य मानते थे। ठीक यही वह भावना है जिसे जर्मन दार्शनिक इमैनुएल कांट ने सदियों पहले 'गुडविल' (Good Will) कहा था — कोई कार्य सिर्फ तभी सच में नैतिक है जब वह परिणाम या नाम की चाहत से नहीं, बल्कि शुद्ध कर्तव्य-भाव से किया जाए। खेमका जी को शायद कभी कांट की किताब पढ़ने का मौका मिला हो या न मिला हो, पर उन्होंने कांट के सिद्धांत को अपने जीवन में जी दिखाया। यही वह ताक़त है जो सदियों पुराने नैतिक विचारकों के सिद्धांतों को आज भी जीवंत और प्रासंगिक बनाए रखती है — चाहे वह सुकरात हों या आंबेडकर, हर एक विचारक ने कहीं न कहीं यही सिखाया कि सही काम करने की वजह बाहरी इनाम नहीं, बल्कि भीतर की आवाज़ होनी चाहिए।

अध्याय 06 — एक नज़र में



चित्र 6.1: अध्याय 06 — एक नज़र में

कहानी: अध्याय की यात्रा — "विचारकों का पुस्तकालय: अधिकारी आरव की एक रात"

(यह एक काल्पनिक कहानी है। पुस्तकालय की हर अलमारी इस अध्याय के एक खंड से जुड़ी है।)

नए-नए उपखंड अधिकारी बने आरव के सामने अगली सुबह एक कठिन निर्णय था — एक बाँध परियोजना के लिए कुछ गाँवों का विस्थापन। रात को बेचैनी में वह प्रशिक्षण अकादमी के पुराने पुस्तकालय में जा बैठा और किताबों के बीच ही उसकी आँख लग गई। सपने में उसने देखा कि पुस्तकालय की हर अलमारी से एक विचारक निकलकर उससे बात कर रहा है।

पहली अलमारी — तीन रास्ते: एक बुजुर्ग पुस्तकालयाध्यक्ष ने बताया — "हर नैतिक प्रश्न को तीन तरह से देखा जाता है: तुम कैसे इंसान हो (सद्गुण), परिणाम क्या होगा (परिणामवाद), और तुम्हारा कर्तव्य क्या है (कर्तव्यवाद)।" (खंड 1)

दूसरी अलमारी — प्रश्न पूछने वाला: नंगे पाँव एक यूनानी आया — सुकरात। "बेटा, पहले खुद से सवाल पूछो। अपरीक्षित जीवन जीने योग्य नहीं।" उसके पीछे प्लेटो ने आत्मा के तीन भाग और चार सद्गुण समझाए, और अरस्तू ने कहा — "साहस कायरता और दुस्साहस के बीच का संतुलन है।" (खंड 2 से 4)

तीसरी अलमारी — सुख का गणित: बेन्थम एक तराजू लेकर आए — "गिनो, किस निर्णय से कितने लोगों को कितना सुख मिलेगा।" मिल ने टोका — "पर हर सुख बराबर नहीं; और किसी को हानि पहुँचाने की छूट किसी को नहीं।" स्टोइक मार्कस ऑरिलियस मुस्कराए — "जो तुम्हारे वश में नहीं, उसकी चिंता छोड़ो; जो वश में है, उसे पूरी निष्ठा से करो।" (खंड 5 और 6)

चौथी अलमारी — अनुबंध: हॉब्स, लॉक और रूसो आपस में बहस कर रहे थे — "राज्य क्यों बना? लोगों ने अपने कुछ अधिकार क्यों सौंपे?" लॉक ने आरव से कहा — "याद रखना, सरकार जनता की सहमति से चलती है; विस्थापितों की सहमति भी उतनी ही ज़रूरी है।" (खंड 7)

पाँचवीं अलमारी — कर्तव्य और न्याय: कांट ने सख्ती से कहा — "मनुष्य को कभी केवल साधन मत बनाना।" रॉल्स ने आँखों पर पट्टी बाँधकर कहा — "कल्पना करो कि तुम नहीं जानते कि तुम विस्थापित किसान बनोगे या शहर का उपभोक्ता — तब कौन-सा नियम बनाओगे?" (खंड 8 और 9)

छठी अलमारी — आधुनिक आवाज़ें: सार्त्र बोले — "तुम्हारा चुनाव ही तुम्हारी पहचान है, ज़िम्मेदारी से भागो मत।" कैरल गिलिगन ने याद दिलाया — "न्याय के साथ देखभाल भी चाहिए — विस्थापितों के आँसू भी फ़ाइल का हिस्सा हैं।" (खंड 10 और 11)

सातवीं अलमारी — भारत की आवाज़ें: विवेकानंद ने कहा — "जीव सेवा ही शिव सेवा"; टैगोर, अरबिंदो, राधाकृष्णन, अमर्त्य सेन और आंबेडकर एक-एक कर आए — किसी ने स्वतंत्रता की, किसी ने क्षमता की, किसी ने समानता और गरिमा की बात की। (खंड 12 से 15)

आठवीं अलमारी — शासन के शिल्पी: अंत में कौटिल्य आए — "प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है"; मैक्स वेबर ने नियम-आधारित निष्पक्ष नौकरशाही की बात की, और ब्रैडले ने कहा — "अपने पद के कर्तव्य को पहचानो।" दीवार पर हज़ारों वर्षों की एक लंबी समय-रेखा चमक रही थी। (खंड 16 और 17)

सुबह आरव की आँख खुली। उसने विस्थापन की फ़ाइल पर लिखा — "पहले सबसे कमज़ोर परिवारों की सहमति और पुनर्वास, फिर निर्माण।" उसे लगा, रात भर में उसने ढाई हज़ार वर्षों का ज्ञान एक निर्णय में उतार दिया। आइए, अब हम भी इस पुस्तकालय की हर अलमारी खोलते हैं।

इस कहानी से सीख: यह अध्याय नैतिकता के तीन स्तंभों से शुरू होकर यूनानी, उपयोगितावादी, अनुबंधवादी, कर्तव्यवादी, आधुनिक और भारतीय विचारकों से होते हुए शासन के विचारकों तक की यात्रा करता है — ताकि हर प्रशासनिक दुविधा को कई दृष्टियों से परखा जा सके।

आरव का सपना — पुस्तकालय की आठ अलमारियाँ



चित्र 6.2: आरव का सपना — पुस्तकालय की आठ अलमारियाँ

अध्याय विषय-सूची

1	नैतिक सिद्धांतों का वर्गीकरण — तीन मुख्य स्तंभ	10	विकासवादी नैतिकता, जी.ई. मूर एवं अन्य पाश्चात्य विचारक
2	सोफिस्ट (Sophists) एवं सुकरात (Socrates)	11	आधुनिक नैतिक दृष्टिकोण — अस्तित्ववाद, देखभाल का नीतिशास्त्र एवं नैतिक स्वार्थवाद
3	प्लेटो (Plato, लगभग 427-347 ईसा पूर्व) — दार्शनिक राजा एवं 4 सद्गुण	12	स्वामी विवेकानंद एवं रवींद्रनाथ टैगोर
4	अरस्तू (Aristotle, 384-322 ईसा पूर्व) — नीतिशास्त्र के जनक	13	श्री अरबिंदो, डॉ. राधाकृष्णन एवं अमर्त्य सेन

5	परिणामवाद — हेडोनिज़्म, बेन्थम एवं मिल का उपयोगितावाद	14	दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय एवं डॉ. आंबेडकर
6	एपिक्युरवाद, स्टोइसिज़्म एवं कन्फ्यूशीवाद	15	अन्य भारतीय विचारक एवं तुलनात्मक विश्लेषण
7	सामाजिक अनुबंध के विचारक — मैकियावेली, हॉब्स, लॉक एवं रूसो	16	शासन और कर्तव्य के विचारक — ब्रैडले, वेबर, कौटिल्य एवं अन्य
8	इमैनुएल कांट (Immanuel Kant, 1724-1804) — कर्तव्यवाद के जनक	17	नैतिक विचारकों की ऐतिहासिक यात्रा — कालक्रम
9	जॉन रॉल्स (John Rawls) एवं डब्ल्यू.डी. रॉस (W.D. Ross)		

1. नैतिक सिद्धांतों का वर्गीकरण — तीन मुख्य स्तंभ

नैतिकता का अध्ययन करते समय तीन मुख्य दृष्टिकोणों को समझना ज़रूरी है — सद्गुण नैतिकता (Virtue Ethics), परिणामवाद (Consequentialism) और कर्तव्यवाद (Deontology)। ये तीनों किसी भी कार्य की नैतिकता को बिल्कुल अलग-अलग सवाल पूछकर परखते हैं।

नैतिक सिद्धांत	मुख्य प्रश्न	प्रमुख प्रतिपादक	प्रशासनिक उपयोग
सद्गुण नैतिकता (Virtue Ethics)	कर्ता कैसा व्यक्ति है?	सुकरात, प्लेटो, अरस्तू; जैन दर्शन; गीता (कृष्ण का चरित्र)।	अधिकारी के चरित्र-निर्माण पर बल, जैसे मिशन कर्मयोगी।
परिणामवाद (Consequentialism)	परिणाम क्या होगा?	बेन्थम, जे.एस. मिल, चार्वक।	अधिकतम लोगों को अधिकतम लाभ — जन-कल्याण योजनाएँ।
कर्तव्यवाद (Deontology)	कार्य नियमानुसार है क्या?	इमैनुएल कांट, डब्ल्यू.डी. रॉस, जॉन रॉल्स; गीता का कर्म योग।	नियमों का पालन, संवैधानिक शपथ, आचार-संहिता।

नैतिक सिद्धांतों के तीन स्तंभ



चित्र 6.3: नैतिक सिद्धांतों के तीन स्तंभ

1.1 सद्गुण-नीतिशास्त्र — "मुझे क्या करना चाहिए" नहीं, "मुझे कैसा होना चाहिए"

नीतिशास्त्र का केंद्रीय प्रश्न है — "मुझे कैसे जीना चाहिए?" पाश्चात्य परंपरा में इसके कई उत्तर हैं: धार्मिक उत्तर (धर्मग्रंथों के नियम मानो), उपयोगितावादी उत्तर (सुख अधिकतम करो, दुःख न्यूनतम) और कांट का उत्तर (वैसे कर्म करो जो सार्वभौमिक नियम बन सके)। इन सब में ज़ोर नियम, कर्तव्य और कर्म के सही-गलत पर है। इसके विपरीत सद्गुण-नीतिशास्त्र कोई कठोर नियम नहीं देता — यह व्यक्ति के चरित्र पर ध्यान देता है। इसका प्रश्न "मुझे क्या करना चाहिए?" नहीं, बल्कि "मुझे कैसा व्यक्ति बनना चाहिए?" है।

सद्गुण (दया, करुणा, ईमानदारी, उदारता) चरित्र की उत्कृष्ट विशेषताएँ हैं और दुर्गुण (लोभ, क्रोध) चरित्र के दोष। सद्गुण जन्मजात नहीं, बल्कि सचेत अभ्यास से विकसित किए जाते हैं — इसलिए इन्हें सद्गुणी व्यक्ति की "अर्जित प्रवृत्तियाँ" कहा जाता है। सद्गुण "होने की नैतिकता" (Morality of Being) हैं, जबकि कर्तव्य और अच्छे कर्म "करने की नैतिकता" (Morality of Doing)। एक सद्गुणी व्यक्ति अपने सद्गुणों से "छुट्टी नहीं लेता" — उसके सद्गुण उसके नियमित अच्छे आचरण से पहचाने जाते हैं। हर महापुरुष का सरल संदेश यही है — अच्छे बनो और अच्छा करो; और अच्छा बनने का रास्ता है लगातार अच्छा करना।

यूनानी शब्द	अर्थ	सरल व्याख्या
अरेते (Arete)	सद्गुण, उत्कृष्टता	किसी भी चीज़ का अपने कार्य में श्रेष्ठ होना
फ्रोनेसिस (Phronesis)	व्यावहारिक/नैतिक प्रज्ञा	किस परिस्थिति में क्या उचित है, यह पहचानने की समझ
यूडेमोनिया (Eudaimonia)	सुख, उत्कर्ष, सार्थक जीवन	मानवीय क्षमताओं का पूर्ण विकास

नैतिक सद्गुण बनाम नैतिकता-संहिता के सद्गुण: ईमानदारी जैसे सद्गुण अधिक विशिष्ट होते हैं — ये किसी विशेष आचार-संहिता के अनुरूप व्यक्तिगत कर्मों पर केंद्रित हैं; जबकि दया या साहस जैसे सद्गुण व्यापक होते हैं और कई तरह के व्यवहार को समेटते हैं। एक ईमानदार व्यक्ति दयालु भी हो सकता

है, पर एक दयालु व्यक्ति हमेशा ईमानदार हो, यह ज़रूरी नहीं — इसलिए किसी के चरित्र को परखते समय दोनों प्रकार देखने चाहिए। पश्चिम में **प्लेटो और अरस्तू** और पूर्व में **कन्फ्यूशियस और मेन्शियस** सद्गुण-नीतिशास्त्र के संस्थापक माने जाते हैं। कन्फ्यूशियस (551–479 ई.पू.) प्राचीन चीन के दार्शनिक थे, जिन्होंने परिवार, समाज और शासन में सदाचार तथा शिष्टाचार पर जोर दिया; मेन्शियस (लगभग 372–289 ई.पू.) उनके प्रमुख अनुयायी थे, जो मानते थे कि मनुष्य स्वभाव से अच्छा होता है और शिक्षा से उस अच्छाई को बढ़ाया जा सकता है।

सद्गुण-नीतिशास्त्र के लाभ	सद्गुण-नीतिशास्त्र की सीमाएँ
नैतिकता की व्यापक समझ देता है	"मैं कैसे फलूँ-फूलूँ?" असल में "मुझे क्या खुश करेगा?" जैसा स्व-हित का प्रश्न बन सकता है, जबकि नैतिकता दूसरों के साथ व्यवहार से जुड़ी है
नियम-आधारित नैतिकता की कठोरता से बचाता है	दुविधा में ठोस मार्गदर्शन नहीं देता — "वही करो जो सद्गुणी व्यक्ति करता" बहुत अस्पष्ट है
केवल कर्म नहीं, भीतरी भावनाओं और प्रेरणाओं पर भी ध्यान देता है	चरित्र बहुत हद तक जन्मजात स्वभाव और परवरिश (भाग्य) पर निर्भर है, फिर उसके लिए प्रशंसा-निंदा कैसे?
नारीवादी चिंतकों के "संबंध-आधारित" दृष्टिकोणों के लिए द्वार खोलता है	

1.2 परिणामवाद के तीन रूप और भ्रष्टाचार पर तीनों सिद्धांतों की दृष्टि

उद्देश्यवादी (Teleological) नीतिशास्त्र — ग्रीक "टेलोस" (लक्ष्य/परिणाम) से बना — कर्तव्य को उस लक्ष्य से निकालता है, जिसे प्राप्त करना अच्छा या वांछनीय है। इसके दो प्रमुख संप्रदाय हैं — **उपयोगितावादी** और **अनुबंधवादी**। परिणामवाद के भीतर तीन रूप हैं: **नैतिक स्वार्थवाद** (कर्म सही है यदि उसके परिणाम केवल कर्ता के लिए अनुकूल हों), **नैतिक परार्थवाद** (कर्ता को छोड़कर बाकी सबके लिए अनुकूल हों) और **उपयोगितावाद** (सबके लिए अनुकूल हों)। इसके विपरीत **कर्तव्यवाद** (ग्रीक "डिऑन" — कर्तव्य) मानता है कि कुछ कर्म परिणाम चाहे जो हों, अपने आप में सही या गलत होते हैं।

सिद्धांत	भ्रष्टाचार को कैसे देखता है
सद्गुण-नीतिशास्त्र	भ्रष्टाचार न्याय और "किसी को हानि न पहुँचाने" जैसे मूल सद्गुणों का उल्लंघन है, क्योंकि यह कुछ लोगों का पक्ष लेना है।
कर्तव्यवाद (कांट)	परिणाम चाहे जो हो, भ्रष्टाचार में छल है और यह लोगों की तार्किक-नैतिक क्षमता को कमज़ोर करता है — इसलिए यह अनैतिक है।
परिणामवाद (उपयोगितावाद)	कुछ लोग तर्क देते थे कि भ्रष्टाचार "पहियों में तेल डालकर" नौकरशाही को तेज़ बनाता है — पर आज यह तर्क लगभग नहीं दिया जाता, क्योंकि तात्कालिक "दक्षता" का लाभ प्रशासनिक व्यवस्था को होने वाली दीर्घकालिक हानि से नष्ट हो जाता है।

आसान परिभाषा: परिणामवाद के तीन उप-प्रकार

परिभाषा: परिणामवाद के भीतर भी यह भेद ज़रूरी है कि 'किसका' हित देखा जा रहा है — स्वयं का, दूसरों का, या सबका।

आसान भाषा में: जैसे कोई निर्णय लेते समय पूछें — 'इससे मुझे क्या फायदा' (स्वार्थवाद), या 'इससे दूसरों को क्या फायदा' (परार्थवाद), या 'इससे सबसे ज़्यादा लोगों को क्या फायदा' (उपयोगितावाद) — तीनों अलग-अलग सोच हैं। **उदाहरण:** स्वार्थवाद (Ethical Egoism) — केवल स्वयं का हित (चार्वाक दर्शन, ऐन रैंड); परार्थवाद (Ethical Altruism) — दूसरों का हित (गीता का लोकसंग्रह); उपयोगितावाद (Utilitarianism) — सबका हित (बेन्थम, मिल)।

यह वर्गीकरण पूरे अध्याय की **नींव** है — आगे आने वाले हर पाश्चात्य विचारक को इन तीन खानों (सद्गुण / परिणाम / कर्तव्य) में से किसी एक में रखकर पहचानने से उनकी तुलना आसान हो जाती है।

2. सोफिस्ट (Sophists) एवं सुकरात (Socrates)

2.1 सोफिस्ट — प्राचीन यूनान के 'व्यावसायिक शिक्षक'

ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के एथेंस में सोफिस्ट ऐसे घुमंतू (एक नगर से दूसरे नगर जाने वाले) शिक्षकों का एक समूह था, जो पैसे लेकर वाद-विवाद (Rhetoric), तर्कशास्त्र और राजनीति सिखाते थे। इनकी सबसे बड़ी विशेषता — और सबसे बड़ी आलोचना भी — यह थी कि इनके लिए कोई भी नैतिक सत्य 'निरपेक्ष' (Absolute) नहीं, बल्कि पूरी तरह सापेक्ष (Relative) था।

सोफिस्ट	मुख्य विचार
प्रोटागोरस (Protagoras, लगभग 490–420 ई.पू.)	"मनुष्य ही सब वस्तुओं का मापदंड है" (Man is the measure of all things) — यानी सत्य/नैतिकता व्यक्ति-सापेक्ष है, कोई एक निरपेक्ष सत्य नहीं।
थ्रेसीमेकस (Thrasymachus, 5वीं सदी ई.पू.; प्लेटो की 'रिपब्लिक' का पात्र)	न्याय कुछ नहीं बल्कि 'शक्तिशाली का हित' (Might is Right) है — जो सत्ता में है, वही तय करता है कि न्याय क्या है।
गोर्जियस (Gorgias, लगभग)	वाक्-पटुता (Rhetoric) की शक्ति पर बल — तर्क से किसी भी बात को सही या गलत सिद्ध किया जा सकता है।

सोफिस्ट	मुख्य विचार
483–375 ई.पू.)	
प्रोडिकस (Prodicus, 5वीं सदी ई.पू.)	शब्दों के सूक्ष्म अर्थ-भेद (Synonyms के बीच अंतर) पर विशेषज्ञता — भाषा-विश्लेषण के प्रारंभिक जनक माने जाते हैं।

आज के संदर्भ में सोफिस्ट: सोफिस्टों का नैतिक सापेक्षवाद आज के प्रशासन में दिखने वाले "स्थिति के अनुसार नैतिकता बदलने" (Situational Ethics) वाले रवये जैसा है — जैसे कोई अधिकारी परिस्थिति देखकर नियम की व्याख्या ही बदल दे। यही प्रवृत्ति अनिश्चितता और मनमानी को जन्म देती है।

2.2 सुकरात (Socrates, लगभग 469-399 ईसा पूर्व)

सुकरात प्राचीन यूनान (ग्रीस) के नगर एथेंस के दार्शनिक थे, जो बाज़ारों और गलियों में लोगों से प्रश्न पूछकर उन्हें सोचने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्हें पश्चिमी नैतिक दर्शन का जनक माना जाता है। उन्होंने स्वयं कुछ नहीं लिखा — उनके विचार उनके शिष्य प्लेटो के संवादों (Dialogues) के माध्यम से हम तक पहुँचे हैं। सुकरात ने सोफिस्टों के सापेक्षवाद को सीधी चुनौती दी और तर्क दिया कि नैतिक सत्य वस्तुनिष्ठ (Objective) और सार्वभौमिक (Universal) होता है, न कि व्यक्ति-सापेक्ष।

नैतिक सार्वभौमिकता (Moral Universalism): सुकरात के समय समाज में नैतिक सापेक्षवाद प्रचलित था — "सत्य अनेक हैं" (भारत के जैन दर्शन के 'स्याद्वाद' जैसा विचार, जिसके अनुसार एक ही वस्तु को अलग-अलग दृष्टियों से देखा जा सकता है और हर दृष्टि केवल आंशिक सत्य बताती है), जिससे समाज में विरोधाभास और संघर्ष पैदा हो रहे थे। सुकरात के लिए सद्गुण कुछ ऐसा था जिसे **सब जान सकते हैं**, और सद्गुणी वही है जो जानता है कि सद्गुण क्या है — इस तरह उन्होंने नैतिक सार्वभौमिकता की नींव रखी।

सुकराती पद्धति (Socratic Method): सुकरात ने लोगों को यह नहीं बताया कि उन्हें कैसे जीना चाहिए, बल्कि यह बताया कि **जीवन के प्रश्नों की जाँच कैसे करें**। किसी विचार या विश्वास को गहन प्रति-परीक्षा (Cross-examination) और आत्म-चिंतन के बाद ही स्वीकार करना चाहिए। जब सोफिस्ट दावा करते कि वे जानते हैं कि न्याय या संयम क्या है, तो सुकरात उनसे परिभाषा माँगते और प्रश्नों के ज़रिए दिखा देते कि वह अधूरी है। इसे **"परिकल्पना-निषेध की नकारात्मक पद्धति"** कहा गया — जो परिकल्पनाएँ विरोधाभास की ओर ले जाती हैं, उन्हें एक-एक कर हटाते हुए बेहतर उत्तर तक पहुँचना। यानी उन्होंने धार्मिक सिद्धांत की जगह **मानवीय तर्क** पर नैतिकता खड़ी करने का प्रयास किया।

सुकराती पद्धति — प्रश्नों से सत्य तक



चित्र 6.4: सुकराती पद्धति — प्रश्नों से सत्य तक

आसान परिभाषा: ज्ञान ही सद्गुण है (Knowledge is Virtue / Virtue is Knowledge)

परिभाषा: सुकरात के अनुसार जो व्यक्ति सच में जानता है कि 'अच्छा' क्या है, वह कभी जान-बूझकर बुरा काम नहीं करेगा — बुरा काम हमेशा अज्ञानता (Ignorance) से ही होता है, दुष्टता से नहीं।

आसान भाषा में: जैसे कोई व्यक्ति सच में जानता हो कि आग हाथ जला देगी, तो वह जान-बूझकर हाथ आग में नहीं डालेगा — ठीक वैसे ही अगर किसी अधिकारी को सच में यह पूरा ज्ञान/समझ हो कि भ्रष्टाचार से समाज को कितना नुकसान होता है, तो वह भ्रष्टाचार करने से खुद-ब-खुद बचेगा। **उदाहरण:** एक अधिकारी जो ट्रेनिंग व अनुभव से यह गहराई से समझता है कि किसी योजना में लापरवाही से गरीबों का कितना नुकसान होगा, वह स्वाभाविक रूप से ज़्यादा ज़िम्मेदारी से काम करता है — यही 'ज्ञान ही सद्गुण है' का व्यावहारिक रूप है।

सुकरात की प्रमुख नैतिक शिक्षाएँ

सिद्धांत	अर्थ एवं प्रशासनिक प्रासंगिकता
परीक्षित जीवन (Examined Life)	"अपरीक्षित जीवन जीने योग्य नहीं है" (An unexamined life is not worth living) — निरंतर आत्म-चिंतन ज़रूरी है। एक अधिकारी को भी नियमित रूप से अपने निर्णयों की नैतिक समीक्षा करते रहना चाहिए।
सौम्य संयम (Mild Asceticism)	सुकरात स्वयं बहुत सादा जीवन जीते थे — भौतिक सुख-सुविधाओं के पीछे न भागना। प्रशासन में यह सादगी व निर्लोभता (सुख-सुविधा के लालच से मुक्ति) के रूप में झलकता है।
शपथ पवित्र होती है (Oaths are Sacred)	किसी भी दी गई शपथ या वचन का पालन नैतिक कर्तव्य है। सिविल सेवक की संवैधानिक शपथ इसी सिद्धांत की आधुनिक अभिव्यक्ति है।
स्वतंत्र चिंतन (Independent Reasoning)	भीड़ की राय या सत्ता के दबाव में आकर नहीं, बल्कि अपने विवेक व तर्क से सही-गलत तय करना — भले ही उसकी कीमत खुद की जान (जैसा सुकरात के साथ हुआ) हो।

सुख का स्रोत ज्ञान: सुकरात के अनुसार (1) सभी मनुष्य स्वभाव से सुख चाहते हैं; (2) सुख बाहरी वस्तुओं पर नहीं, बल्कि इस पर निर्भर है कि हम उनका उपयोग कैसे करते हैं; (3) सुख **इच्छाओं की शिक्षा** पर निर्भर है — आत्मा जब अपनी इच्छाओं को शारीरिक भोग से हटाकर ज्ञान और सद्गुण के प्रेम की ओर मोड़ती है, तो वही प्रज्ञा सच्चा सुख है। व्यक्तिगत स्तर पर ज्ञान सुख का स्रोत है और सामाजिक स्तर पर **सुशासन** का — सुकरात मानते थे कि शासन सबसे अच्छा तब चलता है, जब उसे वे लोग चलाएँ जिनमें सबसे अधिक योग्यता, ज्ञान और आत्म-समझ हो।

नैतिक बौद्धिकतावाद (Moral Intellectualism): सुकरात का मानना था कि जो जानता है कि सद्गुण क्या है, वह अनिवार्य रूप से सद्गुणी आचरण करेगा; जो बुरा करता है, वह केवल अज्ञान या भ्रम के कारण करता है — **"कोई भी जानबूझकर बुरा नहीं करता।"** उनका पूरा दर्शन दो नैतिक सिद्धांतों पर टिका है — (1) **अपने मन की बात कहने की स्वतंत्रता, यानी सत्ता के सामने सच बोलने का साहस, और (2) वस्तुनिष्ठता।** वस्तुनिष्ठता का अर्थ है कि सही-गलत का निर्णय व्यक्तिगत पसंद-नापसंद या भीड़ की राय से नहीं, बल्कि तथ्य और तर्क की कसौटी पर हो, ताकि वह हर व्यक्ति पर समान रूप से लागू हो सके। इन्हीं से सद्गुण-नीतिशास्त्र का जन्म हुआ, जिसे प्लेटो ने समृद्ध किया और अरस्तू ने स्थापित किया।

☀ प्रसिद्ध कथन (Socratic Wisdom)

"मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता" (I know one thing, that I know nothing) — सुकरात का यह प्रसिद्ध कथन बौद्धिक विनम्रता (Intellectual Humility) का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है — यानी सच्चा ज्ञानी वही है जो अपनी सीमाओं को स्वीकार करता है।

2.3 सुकरात का बलिदान — साधन-साध्य की पवित्रता का प्रारंभिक उदाहरण

- ◆ एथेंस की अदालत ने सुकरात पर 'युवाओं को भ्रष्ट करने' व 'नए देवताओं की पूजा सिखाने' का आरोप लगाकर मृत्युदंड सुनाया।
- ◆ शिष्यों ने जेल से भाग निकलने की योजना बनाई, पर सुकरात ने यह कहकर मना कर दिया कि जिस राज्य के कानूनों में उन्होंने जीवन भर आश्रय लिया, अब उन्हीं कानूनों को धोखा देना अनुचित होगा — भले ही निर्णय अन्यायपूर्ण हो।
- ◆ उन्होंने विष का प्याला स्वेच्छा से पी लिया — यह नियम-पालन (Rule of Law) के प्रति सर्वोच्च निष्ठा का ऐतिहासिक उदाहरण माना जाता है।

2.4 सुकरात की शिक्षाओं का आधुनिक प्रशासनिक उदाहरण

भारतीय प्रशासनिक सेवा में भी ऐसे कई अधिकारी देखे गए हैं जो सुकरात की तरह स्वतंत्र-चिंतन व नियम-निष्ठा को सर्वोपरि मानते हैं — जैसे राजस्थान कैडर के IAS अधिकारी जितेंद्र कुमार सोनी, जिन्होंने अपनी पोस्टिंग के दौरान पारदर्शिता व नियम-आधारित निर्णयों पर ज़ोर देकर प्रशासनिक अखंडता की मिसाल पेश की। इसके विपरीत, जब कोई अधिकारी बाहरी दबाव या भीड़ की राय के आगे झुककर अपने विवेक-सम्मत निर्णय से समझौता कर लेता है, तो वह सुकरात की 'स्वतंत्र चिंतन' वाली सीख से दूर हो जाता है — ऐसे उदाहरण प्रशासनिक जगत में जवाबदेही और साहस के महत्व को रेखांकित करते हैं।

सुकरात की एक सीमा — अक्रेसिया: अरस्तू (सुकरात के शिष्य के शिष्य) ने बताया कि केवल "ज्ञान" होना काफी नहीं; **इच्छाशक्ति की कमज़ोरी (Akrasia)** के कारण मनुष्य जानते हुए भी गलत कर सकता है — जैसे कोई अधिकारी जानता है कि रिश्तत गलत है, फिर भी दबाव या लालच में ले लेता है।

3. प्लेटो (Plato, लगभग 427-347 ईसा पूर्व) — दार्शनिक राजा एवं 4 सद्गुण

प्लेटो प्राचीन यूनान (एथेंस) के दार्शनिक और सुकरात के सबसे प्रमुख शिष्य थे — उन्होंने लगभग 387 ईसा पूर्व एथेंस में 'अकादमी' (Academy) की स्थापना की, जिसे विश्व का पहला संगठित उच्च-शिक्षा संस्थान माना जाता है। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति 'रिपब्लिक' (The Republic) है, जिसमें उन्होंने एक आदर्श राज्य की परिकल्पना प्रस्तुत की।

आदर्श जगत बनाम वास्तविक जगत: प्लेटो की सबसे प्रसिद्ध कृति **"द रिपब्लिक" (Politeia)** है। उनके अनुसार सच्चा ज्ञान अलग-अलग वस्तुओं को जानने में नहीं, बल्कि उस **सामान्य तत्व** को जानने में है जो सब में साझा है — जैसे "अच्छाई" का सामान्य स्वरूप। प्लेटो कहते हैं कि **"शुभ का आकार" (Form of the Good)** देश-काल से परे एक पूर्ण, शाश्वत और अपरिवर्तनीय सत्ता है — यह **आदर्श जगत** है; जबकि हमारा **वास्तविक जगत** देश-काल के साथ बदलता रहता है। सुकरात के लिए ज्ञान मानवीय तर्क से आता है, पर प्लेटो के लिए आदर्श जगत से — यानी प्लेटो के अनुसार हम जो कुछ सचमुच जानते हैं, वह बदलती वस्तुओं को आँखों से देखकर नहीं, बल्कि बुद्धि द्वारा उन शाश्वत 'आकारों' (Forms) को पहचानकर जानते हैं, जिनकी ये वस्तुएँ केवल अधूरी नकल हैं।

न्यायपूर्ण क्यों बनें? प्लेटो के अनुसार अन्यायी व्यक्ति हमेशा **आंतरिक कलह** में जीता है — अधूरी इच्छाओं की बेचैनी से जूझता रहता है और कभी "अभाव के न होने" से अधिक कुछ नहीं पाता — यानी उसे जो सुख मिलता है, वह बस किसी कमी के कुछ देर के लिए पूरी हो जाने भर का होता है (जैसे भूख मिटना), कोई स्थायी संतोष नहीं, और कुछ ही देर में नई इच्छा फिर बेचैन कर देती है। जबकि न्यायी व्यक्ति की आत्मा **तर्क के शासन में सामंजस्यपूर्ण** रहती है, और उसे ज्ञान की खोज से सच्चा संतोष मिलता है। हमें न्यायपूर्ण इसलिए बनना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके हम **"स्वयं के साथ और ईश्वर के साथ एक"** होते हैं — यानी हमारे भीतर कोई द्वंद्व नहीं रहता, मन और आचरण एक दिशा में चलते हैं, और हम उस शाश्वत 'शुभ' के निकट पहुँचते हैं।

3.1 आत्मा के तीन भाग (Tripartite Soul)

प्लेटो के अनुसार मनुष्य की आत्मा (व्यक्तित्व) तीन भागों में बँटी होती है, और जब ये तीनों अपने-अपने उचित स्थान पर संतुलित रहें, तभी व्यक्ति में 'न्याय' (Justice) कायम होता है।

आत्मा का भाग	स्वभाव	समाज में समकक्ष वर्ग
तर्कशील भाग (Rational)	बुद्धि, विवेक, ज्ञान की खोज।	शासक/दार्शनिक वर्ग (Rulers)।
उत्साही भाग (Spirited)	साहस, सम्मान, इच्छाशक्ति।	सैनिक/रक्षक वर्ग (Auxiliaries/Warriors)।
वासनात्मक भाग (Appetitive)	भूख, इच्छाएँ, भौतिक सुख।	उत्पादक/श्रमिक वर्ग (Producers/Artisans)।

3.2 चार सद्गुण (Four Cardinal Virtues)

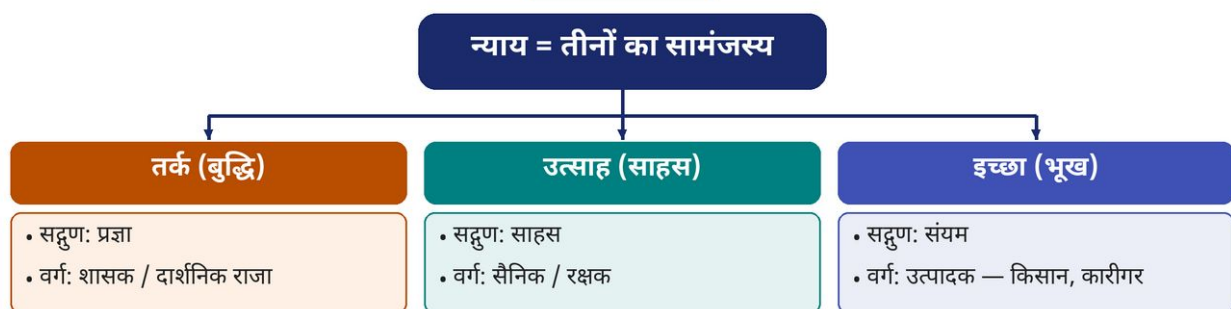
जब आत्मा के तीनों भाग अपनी उचित सीमा में कार्य करते हैं, तो चार सद्गुण उत्पन्न होते हैं — यही चार सद्गुण आगे चलकर पश्चिमी नैतिक-दर्शन की नींव बने।

सद्गुण	किस भाग से संबंधित	प्रशासनिक उदाहरण
प्रज्ञा/बुद्धिमत्ता (Wisdom)	तर्कशील भाग — शासक वर्ग का गुण।	नीति-निर्माण में दूरदर्शिता व सही निर्णय-क्षमता।
साहस (Courage)	उत्साही भाग — रक्षक वर्ग का गुण।	अनियमितता के विरुद्ध खड़े होने का नैतिक साहस।
संयम (Temperance)	तीनों भागों में संतुलन व आत्म-नियंत्रण।	सत्ता व संसाधनों के दुरुपयोग से बचाव।
न्याय (Justice)	जब हर भाग अपने उचित कार्य में रहे — समग्र संतुलन।	निष्पक्ष व समावेशी शासन — जैसे भ्रष्टाचार-विरोधी अभियान।

"कार्डिनल" शब्द का अर्थ: लैटिन शब्द "कार्डो" (Cardo) का अर्थ है — कब्ज़ा (Hinge), जिस पर दरवाज़ा टिका रहता है और घूमता है। ये चार सद्गुण "कार्डिनल" इसलिए कहलाते हैं, क्योंकि पूरा नैतिक जीवन इन्हीं पर टिका है; बाक़ी सद्गुण इन्हीं पर आश्रित हैं। प्लेटो के अनुसार "सद्गुणों की एकता" भी है — कोई व्यक्ति एक कार्डिनल सद्गुण तब तक पूरी तरह नहीं पा सकता, जब तक उसके पास बाक़ी तीन भी न हों।

संयम अति से रक्षा करने वाली शक्ति है — आत्म-नियंत्रण और विरोधी तत्वों में सामंजस्य; **साहस** न्याय करने का पराक्रम है, जो न्याय के रास्ते की बाधाएँ हटाता है; **प्रज्ञा** कर्म का सही कारण है, जो बाक़ी सभी सद्गुणों का मार्गदर्शन करती है; और **न्याय** वह सद्गुण है जो व्यक्ति को आत्म-संगत बनाता है और समाज को भीतर से सामंजस्यपूर्ण। प्लेटो कहते हैं — "समाज व्यक्ति का ही बड़ा रूप है" (Society is the individual writ large)।

प्लेटो — आत्मा, सद्गुण और राज्य



New India Education by Omkar Sir
चित्र 6.5: प्लेटो — आत्मा, सद्गुण और राज्य

प्लेटो का शासन-दर्शन (प्रकार्यवादी दृष्टि): प्लेटो का न्यायपूर्ण राज्य एक **स्वस्थ शरीर** जैसा है, जिसमें हर अंग पूरे शरीर के लाभ के लिए काम करता है और पूरा शरीर हर अंग को लाभ देता है। पूरे का अस्तित्व इस पर निर्भर है कि हर भाग अपना काम ठीक से करे। **न्याय का अर्थ है — अपनी भूमिका पर टिके रहना, अपना काम करना और दूसरों के काम में दखल न देना।** प्लेटो के अनुसार समाज में तीन चीज़ें न्याय लाती हैं — **टीमवर्क** (दार्शनिक राजा, रक्षक और जनता), **समानता** (निष्पक्षता की धारणा के अनुसार सबसे समान व्यवहार) और **नेतृत्व** (प्रबुद्ध राजा द्वारा शासन)।

आधुनिक प्रशासनिक उदाहरण

राजस्थान के धौलपुर ज़िले में पुलिस अधीक्षक के रूप में IPS मृदुल कच्छावा द्वारा डकैत गिरोहों के विरुद्ध चलाया गया सघन अभियान — प्लेटो के 'साहस' (Courage) व 'न्याय' (Justice) सद्गुणों का व्यावहारिक उदाहरण माना जा सकता है।

3.3 दार्शनिक राजा (Philosopher King)

आसान परिभाषा: दार्शनिक राजा (Philosopher King)

परिभाषा: प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य पर शासन उन्हीं लोगों को करना चाहिए, जो सत्य के सच्चे ज्ञानी (दार्शनिक) हों — क्योंकि सत्ता की चाह रखने वाला व्यक्ति अक्सर सत्ता का दुरुपयोग करता है, जबकि ज्ञान की चाह रखने वाला व्यक्ति समाज-हित को प्राथमिकता देता है।

आसान भाषा में: जैसे किसी अस्पताल का सबसे अच्छा प्रशासक वही डॉक्टर हो सकता है, जिसे इलाज की गहरी समझ हो, न कि कोई ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ पद पाना चाहता हो — ठीक वैसे ही राज्य का शासक भी वही होना चाहिए जिसे 'अच्छे शासन' की गहरी समझ व सच्ची निष्ठा हो। **उदाहरण:** भारतीय परंपरा में सम्राट अशोक (बौद्ध धम्म-नीति द्वारा शासन) व राजा भोज जैसे उदाहरण, तथा वैश्विक इतिहास में रोमन

सम्राट-दार्शनिक मार्कस ऑरिलियस को अक्सर 'दार्शनिक राजा' की अवधारणा के करीब माना जाता है — गीता में भी कृष्ण, अर्जुन को ज्ञान देकर एक 'दार्शनिक-मार्गदर्शक' की भूमिका निभाते हैं।

- ◆ भारतीय संदर्भ में यह विचार लोकतांत्रिक ढाँचे में इस रूप में झलकता है कि नीति-निर्माण के केंद्र में सिविल सेवकों व विशेषज्ञों (Technocrats) की गहरी विषय-समझ का समावेश हो — जैसे नीति आयोग में विशेषज्ञों की भागीदारी।

3.4 शुभ की अवधारणा (Concept of the Good)

- ◆ प्लेटो के लिए 'शुभ' (The Good) सर्वोच्च व परम आदर्श था — ठीक वैसे ही जैसे सूर्य सबको प्रकाश देता है, 'शुभ' का विचार ही ज्ञान व सत्य को संभव बनाता है।
- ◆ कई विद्वान इसे 'शुभ = ईश्वर' (Good = God) के समकक्ष मानते हैं, जो हर वस्तु के अस्तित्व व मूल्य का अंतिम स्रोत है।
- ◆ भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) में समग्र (Holistic) व चरित्र-निर्माण पर केंद्रित शिक्षा का जो विचार है, तथा राजस्थान के टोंक ज़िले में स्थित बनस्थली विद्यापीठ (महिलाओं का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय) की 'पंचमुखी शिक्षा' (शारीरिक, व्यावहारिक, कलात्मक, नैतिक व बौद्धिक विकास) जैसी अवधारणाएँ — दोनों ही प्लेटो के 'शुभ की ओर उन्मुख शिक्षा' के विचार से मेल खाती प्रतीत होती हैं।

क्या दार्शनिक राजा आज व्यावहारिक है? इसकी सीमाएँ हैं — जनता की सीधी भागीदारी की कमी और अभिजात्यवाद (Elitism) की आलोचना; पर इसकी वर्तमान प्रासंगिकता भी है — नीति-निर्माण में विशेषज्ञता और ज्ञान की भूमिका। दोनों पक्षों को साथ देखने से ही संतुलित समझ बनती है।

4. अरस्तू (Aristotle, 384-322 ईसा पूर्व) — नीतिशास्त्र के जनक

अरस्तू प्राचीन यूनान के दार्शनिक थे — वे प्लेटो के शिष्य और सिकंदर महान (Alexander the Great) के गुरु थे, और उन्होंने एथेंस में 'लाइसियम' (Lyceum) नाम का अपना विद्यालय स्थापित किया। प्लेटो के शिष्य होते हुए भी उन्होंने नीतिशास्त्र को एक स्वतंत्र, व्यवस्थित विषय के रूप में स्थापित किया — इसीलिए उन्हें 'नीतिशास्त्र का जनक' (Father of Ethics) कहा जाता है। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति 'निकोमेकियन एथिक्स' (Nicomachean Ethics) है।

नीतिशास्त्र — एक व्यावहारिक विज्ञान: अरस्तू की नैतिक दृष्टि उनकी कृति "निकोमेकियन एथिक्स" में मिलती है। उन्होंने प्लेटो के जन्मजात ज्ञान और आदर्श जगत के सिद्धांत को अस्वीकार किया और कहा कि **सारा ज्ञान इंद्रिय-अनुभव से शुरू होता है**। उनके लिए नैतिक सिद्धांत हमारी रोज़मर्रा की गतिविधियों में ही छिपे हैं और उनके सावधान अध्ययन से ही खोजे जा सकते हैं; इसलिए कोई भी नैतिक सिद्धांत मानव-मनोविज्ञान और रोज़मर्रा के जीवन की वास्तविकताओं पर आधारित होना चाहिए। अरस्तू ने प्लेटो के आदर्श जगत की जगह **प्रज्ञा** को रखा, और उसे दो भागों में बाँटा — **सैद्धांतिक प्रज्ञा और व्यावहारिक प्रज्ञा**।

प्रकार्य-तर्क (Function Argument): अरस्तू मानते थे कि ब्रह्मांड में हर चीज़ का एक कार्य है, और **सद्गुण वह गुण है जो किसी वस्तु को अपना कार्य अच्छी तरह करने में सक्षम बनाए**। जैसे चाकू का कार्य काटना है, तो अच्छा चाकू वह है जो अच्छी तरह काटे। मनुष्य की विशिष्ट क्षमता है — **तर्क**; इसलिए मनुष्य का लक्ष्य अपनी तर्क-शक्ति का विकास है, और **प्रज्ञा सर्वोच्च सद्गुण है**।

वस्तु / व्यक्ति	उसका सद्गुण (उत्कृष्टता)
दौड़ का घोड़ा	तेज़ दौड़ना
चाकू	धारदार होना
सैनिक	बहादुर होना
प्रशासक	नियमों का पालन और निष्पक्ष निर्णय
किसान	अच्छी फ़सल उगाना
हर मनुष्य	मित्रता की क्षमता, नागरिक भागीदारी, सौंदर्य-बोध, बौद्धिक जिज्ञासा

आलोचना: इसी "हर चीज़ का एक कार्य है" वाले पदानुक्रमित विचार से अरस्तू ने **दास-प्रथा** का भी समर्थन किया था, क्योंकि वे ग़ैर-यूनानियों को यूनानियों से कम तर्कशील मानते थे — यह उनके दर्शन की एक गंभीर सीमा है।

4.1 चरम शुभ / यूडाइमोनिया (Summum Bonum / Eudaimonia)

🔍 आसान परिभाषा: यूडाइमोनिया (Eudaimonia)

📘 **परिभाषा:** अरस्तू के अनुसार मनुष्य के जीवन का अंतिम व सर्वोच्च लक्ष्य 'यूडाइमोनिया' है — जिसे अक्सर 'सुख' (Happiness) के रूप में अनुवादित किया जाता है, पर इसका असली अर्थ है 'सद्गुण-पूर्ण जीवन जीने से प्राप्त गहरा सार्थक कल्याण/फलना-फूलना' (Flourishing)।

💡 **आसान भाषा में:** जैसे एक क्षणिक खुशी (जैसे स्वादिष्ट भोजन खाना) और एक जीवन-भर की सार्थकता (जैसे एक अच्छा माता-पिता, अच्छा नागरिक या अच्छा अधिकारी बनना) में फर्क है — यूडाइमोनिया दूसरे प्रकार की गहरी, टिकाऊ सार्थकता है, न कि क्षणिक सुख। 🏠 **उदाहरण:** नासिक ज़िले में कोविड-काल में अनाथ हुए बच्चों की मदद के लिए लगभग 40 अधिकारियों ने मिलकर आगे आकर सहयोग किया — यह किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि कर्तव्य-भावना से उपजी गहरी सार्थकता (यूडाइमोनिया) का उदाहरण है, जो किसी भी पदोन्नति या पुरस्कार से कहीं बड़ी संतुष्टि देती है।

4.2 स्वर्णिम मध्य मार्ग (Golden Mean/Doctrine of the Mean)

अरस्तू के अनुसार हर सद्गुण दो अतियों (अति-न्यूनता व अति-अधिकता) के बीच का संतुलित मध्य-बिंदु है। यह अरस्तू की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अधिक चर्चित अवधारणा है।

अति-न्यूनता (Deficiency)	स्वर्णिम मध्य (Golden Mean = सद्गुण)	अति-अधिकता (Excess)
कायरता (Cowardice)	साहस (Courage)	दुःसाहस (Rashness)
कंजूसी (Stinginess)	उदारता (Generosity)	अपव्यय (Extravagance)
हीनभावना/अति-विनम्रता (Undue Humility)	स्वाभिमान (Proper Pride)	अहंकार (Vanity)
सुस्ती/निष्क्रियता (Sloth)	महत्वाकांक्षा का संतुलन (Right Ambition)	अति-महत्वाकांक्षा (Over-ambition)

सद्गुण आदत से बनते हैं: अरस्तू के अनुसार हम नैतिक सद्गुण मुख्य रूप से आदत और अभ्यास से सीखते हैं, केवल तर्क या उपदेश से नहीं। एक उदार व्यक्ति कभी-कभार नहीं, बल्कि नियमित रूप से उदार होता है। सद्गुण दो प्रकार के हैं — नैतिक सद्गुण, जो कर्म से व्यक्त होते हैं, और बौद्धिक सद्गुण, जो चिंतन में व्यक्त होते हैं। स्वर्णिम मध्य को सही ढंग से लागू करने का अर्थ है — सही काम, सही व्यक्ति के प्रति, सही मात्रा में, सही उद्देश्य से और सही समय पर करना।

“ कोई भी क्रोधित हो सकता है — यह आसान है; पर सही व्यक्ति पर, सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए और सही ढंग से क्रोधित होना — यह आसान नहीं। (Anyone can become angry — that is easy. But to be angry with the right person, to the right degree, at the right time, for the right purpose, and in the right way — this is not easy.) ”
— अरस्तू (Aristotle), भावार्थ — निकोमेकियन एथिक्स

व्यावहारिक प्रज्ञा (Phronesis) — प्रशासक का सबसे बड़ा गुण: व्यावहारिक प्रज्ञा का अर्थ है — किसी भी परिस्थिति में क्या आवश्यक है, इसे परख पाना; इसमें यह जानना भी शामिल है कि कब नियम का पालन करना है और कब उससे हटना है। इसके लिए ज्ञान, अनुभव, भावनात्मक संवेदनशीलता, सूक्ष्म दृष्टि और तर्क — सब चाहिए। अरस्तू स्वयं कहते हैं कि व्यावहारिक विज्ञानों में कोई सटीक सूत्र नहीं होते; हर मामले को अलग से, विकसित सद्गुण और व्यावहारिक प्रज्ञा के साथ देखना होता है।

अरस्तू का स्वर्णिम मध्य — दो अतियों के बीच सद्गुण

कमी (Deficiency)	सद्गुण	अधिकता (Excess)
कायरता	साहस	दुस्साहस
कंजूसी	उदारता	फिजूलखर्ची
संवेदनहीनता	आत्म-संयम	भोग-लिप्सा
आलस्य	महत्वाकांक्षा	लोभ
निर्लज्जता	विनम्रता	अति-संकोच

चित्र 6.6: अरस्तू का स्वर्णिम मध्य — दो अतियों के बीच सद्गुण

☀ प्रशासनिक उदाहरण — 'स्वर्णिम मध्य' का व्यावहारिक अनुप्रयोग

टी.एन. शेषन (पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त) के नाम से प्रचलित एक कथन है कि 'कठोरता व लचीलेपन के बीच सही संतुलन ही एक प्रभावी प्रशासक की पहचान है' — यह भावना अरस्तू के 'स्वर्णिम मध्य' सिद्धांत को दर्शाती है। इसका एक ठोस उदाहरण निर्भया कांड (2012) की जाँच अधिकारी रहीं IPS छाया शर्मा हैं, जिन्होंने संवेदनशीलता (पीड़िता व परिवार के प्रति सहानुभूति) और दृढ़ता (त्वरित व सख्त जाँच) — दोनों गुणों को एक साथ संतुलित करके एक मिसाल कायम की।

4.3 वितरणात्मक बनाम सुधारात्मक न्याय (Distributive vs Corrective Justice)

न्याय का प्रकार	अर्थ	प्रशासनिक उदाहरण
वितरणात्मक न्याय (Distributive Justice)	समाज के संसाधनों/लाभों का व्यक्ति के योगदान/आवश्यकता के अनुपात में वितरण।	आरक्षण नीति, सब्सिडी वितरण, कल्याणकारी योजनाएँ — जो आनुपातिक समानता पर आधारित हैं।
सुधारात्मक न्याय (Corrective/Rectificatory)	जब किसी के साथ गलत/नुकसान हो जाए, तो उसकी भरपाई कर संतुलन बहाल करना।	मुआवज़ा/क्षतिपूर्ति (Compensation) व्यवस्था, न्यायालय द्वारा हर्जाना, आपदा-राहत।

न्याय का प्रकार	अर्थ	प्रशासनिक उदाहरण
Justice)		

अरस्तू के न्याय का मूल सूत्र: न्याय का अर्थ है लोगों को वही देना जिसके वे पात्र हैं — न कम, न ज्यादा। इसका मुख्य तत्व है — **समान मामलों में समान व्यवहार, और असमान मामलों में असमान व्यवहार** (Treat like cases alike and unlike cases unlike)। अरस्तू ने न्याय के और भी रूप बताए — **राजनीतिक न्याय** (सत्ता सद्गुणी लोगों में बँटें, और संबंध क़ानून से नियंत्रित हों) और **व्यक्तिगत न्याय** (वह नैतिक प्रवृत्ति जो व्यक्ति को न्यायपूर्ण कर्म करने और न्याय चाहने योग्य बनाती है)। उन्होंने न्याय को **सर्वोच्च सद्गुण** माना। भारत में आरक्षण और लक्षित कल्याणकारी योजनाएँ "असमान मामलों में असमान व्यवहार" के इसी सिद्धांत का आधुनिक रूप हैं।

4.4 अन्य महत्वपूर्ण अवधारणाएँ

◆ **लोगोस, पैथोस, एथोस (Logos, Pathos, Ethos)** — अरस्तू के अनुसार किसी को प्रभावी ढंग से समझाने के तीन साधन: तर्क (Logos), भावना (Pathos) व वक्ता की विश्वसनीयता (Ethos) — प्रशासनिक जन-संवाद व नीति-प्रचार में तीनों का संतुलित उपयोग ज़रूरी है।

◆ **इच्छाशक्ति की स्वतंत्रता (Freedom of Will)** — अरस्तू का मानना था कि मनुष्य अपने कार्यों के लिए वास्तव में ज़िम्मेदार है क्योंकि उसके पास चयन (Choice) की स्वतंत्रता है — यह उसी 'ज्ञान ही सद्गुण है' वाले सुकरात के दृष्टिकोण की एक आलोचनात्मक समीक्षा भी है (देखें अनुभाग 2.4 — 'इच्छाशक्ति की कमज़ोरी' / Akrasia)।

स्वर्णिम मध्य गणितीय औसत नहीं: यह मध्य-बिंदु किसी गणितीय औसत (ठीक बीचोबीच) जैसा नहीं, बल्कि **परिस्थिति और व्यक्ति के सापेक्ष** है — अरस्तू स्वयं इसे "सापेक्ष मध्य" (Relative Mean) कहते थे, "निरपेक्ष मध्य" (Absolute Mean) नहीं।

5. परिणामवाद — हेडोनिज़्म, बेन्थम एवं मिल का उपयोगितावाद

5.1 सुखवाद (Hedonism) — मूल अवधारणा

सुखवाद यह मानता है कि सुख (Pleasure) ही जीवन का परम लक्ष्य है और दुःख से बचना ही एकमात्र नैतिक कसौटी है। यह विचारधारा भारतीय दर्शन में चार्वाक दर्शन ('ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्' — कर्ज़ लेकर भी घी पियो) में तथा पश्चिम में एपिक्युरस के दर्शन में मिलती है।

सुखवाद का प्रकार	अर्थ
मनोवैज्ञानिक सुखवाद (Psychological Hedonism)	एक तथ्यात्मक दावा कि मनुष्य स्वभाव से हमेशा सुख की ही खोज करता है (चाहे वह माने या न माने)।
नैतिक सुखवाद (Ethical Hedonism)	एक मूल्यात्मक दावा कि मनुष्य को सुख की खोज करनी 'चाहिए' — यही नैतिक रूप से सही है।

🔍 आसान परिभाषा: सुखवादी विरोधाभास (Paradox of Hedonism) एवं सुख-चक्र (Hedonic Treadmill)

📘 **परिभाषा:** सुख को सीधे लक्ष्य बनाकर पीछा करने पर वह अक्सर हाथ से फिसल जाता है (Paradox), और जब मिल भी जाता है तो कुछ समय बाद उसी स्तर का सुख फीका पड़ने लगता है, जिससे इंसान और ज़्यादा की चाह में लगातार दौड़ता रहता है (Treadmill)।

💡 **आसान भाषा में:** जैसे कोई नया फ़ोन खरीदने पर शुरू में बहुत खुशी होती है, पर कुछ हफ्तों बाद वही खुशी सामान्य लगने लगती है और मन एक और नए, बेहतर फ़ोन की चाह करने लगता है — व्यक्ति कितनी भी दौड़ ले, संतुष्टि का स्तर वहीं का वहीं रहता है, जैसे ट्रेडमिल पर दौड़ना।
🏠 **उदाहरण:** यह अवधारणा बताती है कि सिर्फ़ भौतिक/आर्थिक संवृद्धि (जैसे सिर्फ़ GDP बढ़ाना) दीर्घकाल में जन-कल्याण की गारंटी नहीं देती — इसीलिए भूतान का 'सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता' (Gross National Happiness) सूचकांक जैसे वैकल्पिक मॉडल महत्वपूर्ण माने जाते हैं।

5.2 जेरेमी बेन्थम (Jeremy Bentham, 1748-1832) — उपयोगितावाद के जनक

जेरेमी बेन्थम इंग्लैंड के दार्शनिक और क़ानून-सुधारक थे, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक 'नैतिकता और विधि-निर्माण के सिद्धांतों का परिचय' (An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, 1789) है। बेन्थम ने 'उपयोगितावाद' (Utilitarianism) को एक व्यवस्थित सिद्धांत का रूप दिया — उनका मूल सूत्र था: "अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख" (The Greatest Happiness of the Greatest Number)। यह एक मात्रात्मक (Quantitative) दृष्टिकोण था — यानी सुख को नापा/तौला जा सकता है।

बेन्थम के नैतिक दर्शन की तीन विशेषताएँ: (1) अधिकतम सुख का सिद्धांत, (2) सार्वभौमिक स्वार्थवाद, और (3) अपने हितों का दूसरों के हितों से कृत्रिम जुड़ाव (क़ानून और संस्थाओं द्वारा)। 'सार्वभौमिक स्वार्थवाद' का अर्थ है कि हर मनुष्य स्वभाव से अपना ही सुख चाहता है; इसलिए बेन्थम मानते थे कि क़ानून और संस्थाएँ ऐसा ढाँचा बनाएँ कि व्यक्ति जब अपना हित साधे तो उसी से दूसरों का हित भी हो जाए — जैसे समय पर कर भरने वाले को छूट और कर-चोरी करने वाले को दंड। बेकन और लॉक के अनुभववाद से प्रभावित बेन्थम मानते थे कि सारा ज्ञान संवेदना से आता है, और संवेदना या तो सुख है या दुःख।

“ प्रकृति ने मानव-जाति को दो सर्वोच्च स्वामियों के शासन में रखा है — दुःख और सुख। यही तय करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और हम क्या करेंगे। (Nature has placed mankind under the governance of two sovereign masters, pain and pleasure.) ” — **जेरेमी बेन्थम (Jeremy Bentham), 1789**

घटती सीमांत उपयोगिता: सुख एक सापेक्ष अवधारणा है — एक ही वस्तु का मूल्य अलग-अलग लोगों के लिए अलग होता है। जैसे एक लाख रुपये एक सामान्य व्यक्ति के लिए अच्छी-खासी रकम हैं, एक भिखारी के लिए जीवन बदल देने वाली बहुत बड़ी रकम, और एक बड़े उद्योगपति के लिए लगभग कुछ भी नहीं। इसी को 'घटती सीमांत उपयोगिता' (Diminishing Marginal Utility) कहते हैं — यानी किसी के पास कोई वस्तु जितनी अधिक होती जाती है, उसकी हर अगली इकाई से मिलने वाला अतिरिक्त सुख उतना ही घटता जाता है। इसीलिए कल्याणकारी योजनाओं में गरीब तक पहुँचा एक रुपया अमीर तक पहुँचे एक रुपये से कहीं अधिक "उपयोगिता" पैदा करता है। बेन्थम ने यह भी कहा कि **पीड़ा को कम करना, धन-निर्माण की योजनाओं से अधिक तात्कालिक प्राथमिकता** है।

बेन्थम और कानून: बेन्थम के लिए **विधायक समाज का डॉक्टर** है — जो चिकित्सक व्यक्ति के शरीर के लिए है, वही विधायक जनता के राजनीतिक शरीर के लिए। उनके अनुसार "जनहित" कोई रहस्यमय वस्तु नहीं, बल्कि **व्यक्तिगत हितों का योग** है। कानून के दंड और पुरस्कार लोगों को ऐसे कर्मों के लिए प्रेरित कर सकते हैं जो समुदाय के लिए लाभकारी हों। बेन्थम का मानना था कि कर्म की उपयोगिता उसकी **प्रेरणा (Motive)** से **स्वतंत्र** है — कोई "अच्छी" या "बुरी" प्रेरणा नहीं होती, केवल परिणाम मायने रखते हैं; इसलिए उनके अनुसार सभी सुख गुणात्मक रूप से समान हैं — **"मात्रा समान हो, तो पुशपिन (एक साधारण खेल) भी उतना ही अच्छा है जितनी कविता।"** उन्होंने प्राकृतिक कानून की अस्पष्टता की आलोचना करते हुए **विधिक प्रत्यक्षवाद (Legal Positivism)** का प्रारंभिक रूप दिया — अधिकार संप्रभु सत्ता द्वारा परिभाषित और संरक्षित होने चाहिए।

बेन्थम का सुखवादी परिकलन (Hedonistic/Felific Calculus) — 7 कारक

कारक	अर्थ
तीव्रता (Intensity)	सुख कितना गहरा/तीव्र है।
अवधि (Duration)	सुख कितने समय तक रहेगा।
निश्चितता (Certainty)	सुख मिलने की कितनी संभावना है।
निकटता (Propinquity/Nearness)	सुख कितनी जल्दी मिलेगा।
फलदायकता (Fecundity)	यह सुख आगे और सुख उत्पन्न करेगा या नहीं।
शुद्धता (Purity)	इस सुख के साथ कितना कम दुःख जुड़ा है।
विस्तार (Extent)	यह सुख कितने लोगों तक पहुँचेगा।

बेन्थम का सुख-परिकलन — सात कसौटियाँ

किसी कर्म का कुल सुख



चित्र 6.7: बेन्थम का सुख-परिकलन — सात कसौटियाँ

बेन्थम की 4 स्वीकृतियाँ/अनुशासन-स्रोत (4 Sanctions) — यानी वे दबाव, जिनके कारण मनुष्य दुःख के डर या सुख की आशा से सही काम करता है और गलत से बचता है:

- ◆ भौतिक (Physical) — प्राकृतिक परिणाम, जैसे ज़्यादा खाने से बीमार पड़ना।
- ◆ राजनीतिक/कानूनी (Political/Legal) — राज्य द्वारा दंड/पुरस्कार, जैसे कानून तोड़ने पर सज़ा।
- ◆ नैतिक/सामाजिक (Moral/Social/Popular) — समाज की स्वीकृति/अस्वीकृति, जैसे सामाजिक बहिष्कार।
- ◆ धार्मिक (Religious) — ईश्वरीय पुरस्कार/दंड की मान्यता।

5.3 दंड का नैतिक औचित्य — दंड के तीन सिद्धांत

दंड को "नैतिक नियम के जानबूझकर उल्लंघन का न्यायपूर्ण प्रतिफल" कहा गया है। जैसे अच्छे कर्म को प्रशंसा या पुरस्कार मिलना चाहिए, वैसे ही बुरे कर्म को दंड; यदि अपराधी को दंड न मिले, तो समाज में सामंजस्य, समता और एकरूपता नहीं रहेगी और नैतिक नियम केवल "सलाह" बनकर रह जाएँगे। दंड के तीन प्रमुख सिद्धांत हैं:

सिद्धांत	मूल विचार	प्रमुख प्रतिपादक	आज का रूप
निवारक (Deterrent)	दंड इसलिए नहीं कि गलत हुआ, बल्कि इसलिए कि आगे गलत न हो — "तुम्हें भेड़ चुराने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए दंड दिया जा रहा है कि भेड़ें चोरी न हों।" लक्ष्य — अपराध-दर घटाकर	बेन्थम	कठोर दंड से अपराध रोकना, जुर्माना

सिद्धांत	मूल विचार	प्रमुख प्रतिपादक	आज का रूप
	अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख।		
प्रतिशोधात्मक (Retributive)	दंड इसलिए क्योंकि अपराधी उसका पात्र है, और किसी कारण से नहीं; दंड बुरे कर्म का "नकारात्मक पुरस्कार" है। लक्ष्य — न्याय।	कांट (Kant), हीगल (Hegel)	अपराध के अनुपात में सज़ा
सुधारात्मक (Reformative)	दंड अपराधी को सुधारने के लिए; अपराध अज्ञान या मानसिक-सामाजिक विकृति का परिणाम है, इसलिए उपचार चाहिए। प्लेटो — "राज्य अपराधी के लिए माता-पिता जैसा है; दुष्टता मन का रोग है; दंड नैतिक औषधि है।"	प्लेटो	खुली जेलें, परिवीक्षा, सामुदायिक सेवा का दंड

बेन्थम का दंड-सिद्धांत: उनके अनुसार दंड अपराध से हुई हानि के अनुपात में हो और दूसरों को वही अपराध करने से रोकने के लिए पर्याप्त हो। भारत की नई भारतीय न्याय संहिता, 2023 में छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा को दंड के रूप में जोड़ना सुधारात्मक दृष्टि का उदाहरण है, जबकि कठोर दंड के प्रावधान निवारक दृष्टि के।

दंड के सिद्धांत — एक नज़र में

निवारक / प्रतिशोधात्मक	बनाम	सुधारात्मक
अपराध रोकना / न्याय देना	प्रश्न	अपराधी को बदलना
अपराध पर केंद्रित	दृष्टि	अपराधी पर केंद्रित
बेन्थम / कांट, हीगल	विचारक	प्लेटो, गांधी
कठोर सज़ा, जुर्माना	उदाहरण	खुली जेल, सामुदायिक सेवा

चित्र 6.8: दंड के सिद्धांत — एक नज़र में

☀ प्रशासनिक उदाहरण

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT), सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), स्वच्छ भारत मिशन तथा उज्ज्वला योजना — ये सभी नीतियाँ बेन्थम के 'अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख' के सिद्धांत पर ही आधारित हैं, जहाँ सीमित संसाधनों से अधिकतम जनसंख्या को लाभ पहुँचाने का प्रयास किया जाता है।

5.4 जॉन स्टुअर्ट मिल (J.S. Mill, 1806-1873) — गुणात्मक उपयोगितावाद

जॉन स्टुअर्ट मिल इंग्लैंड के दार्शनिक, अर्थशास्त्री और सांसद थे, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तकें 'ऑन लिबर्टी' (On Liberty, 1859), 'यूटिलिटेरियनिज़्म' (Utilitarianism, 1863) और 'द सब्जेक्शन ऑफ़ विमेन' (The Subjection of Women, 1869) हैं। मिल, बेन्थम के ही अनुयायी थे, पर उन्होंने बेन्थम की एक बड़ी कमी को सुधारा — मिल के अनुसार सारे सुख एक-जैसे (सिर्फ मात्रा में अलग) नहीं होते, बल्कि गुणवत्ता (Quality) में भी भिन्न होते हैं — बौद्धिक/मानसिक सुख, शारीरिक सुख से श्रेष्ठ माने जाने चाहिए।

☀ प्रामाणिक कथन

"एक असंतुष्ट सुकरात होना, एक संतुष्ट मूर्ख होने से बेहतर है" (It is better to be Socrates dissatisfied than a fool satisfied) — मिल का यह कथन दर्शाता है कि उच्च बौद्धिक/नैतिक सुख, निम्न शारीरिक सुख से कहीं ज़्यादा मूल्यवान है, भले ही वह कम 'संतोषजनक' महसूस हो।

मिल — केवल उपयोगितावादी नहीं: मिल का पालन-पोषण उनके पिता **जेम्स मिल** ने कठोर बेन्थमवादी सिद्धांतों पर किया था। वे उपयोगितावादी होने के साथ-साथ उदारवादी, लोकतंत्रवादी, बहुलवादी, समाजवादी, नारीवादी और प्रकृतिवादी भी थे। उन्होंने सुखों को दो प्रकार में बाँटा — **उच्च सुख** (मुख्यतः बौद्धिक — उपन्यास या अच्छी कविता लिखना) और **निम्न सुख** (मुख्यतः शारीरिक — धूम्रपान, मद्यपान जैसे इंद्रिय-सुख)। इसीलिए उन्होंने कहा — **"संतुष्ट सुअर होने से असंतुष्ट मनुष्य होना बेहतर है।"** मिल के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपना सुख छोड़कर या स्वयं कष्ट सहकर सबकी बड़ी भलाई में सीधा योगदान देता है, तो ऐसा त्याग भी उचित और सराहनीय है — जैसे कोई स्वास्थ्यकर्मी महामारी में अपनी सुविधा छोड़कर दूसरों की सेवा करे।

मिल का सिद्धांत	अर्थ	आज का रूप
हानि का सिद्धांत (Harm Principle)	व्यक्ति जो चाहे करने को स्वतंत्र है, जब तक वह दूसरों को हानि न पहुँचाए; राज्य केवल दूसरों को हानि से बचाने के लिए ही व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित कर सकता है।	अनुच्छेद 19 की युक्तिसंगत सीमाएँ
मिल का प्रकृतिवाद (Naturalism)	मनुष्य पूरी तरह प्रकृति का हिस्सा है; पृथ्वी सबकी है और हर प्रजाति को जीने का अधिकार है — अपने लोभ के लिए दूसरी प्रजातियों को हानि नहीं पहुँचाई	पर्यावरण-नैतिकता का दार्शनिक आधार

मिल का सिद्धांत	अर्थ	आज का रूप
	जा सकती।	
परार्थवादी सुखवाद	व्यक्ति का कर्म समाज को हानि न पहुँचाए; जो समाज के लिए अच्छा है, वही व्यक्ति के लिए अच्छा है।	सामूहिक कल्याण
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता	अधिकांश विचार न पूरी तरह सही होते हैं, न पूरी तरह ग़लत; स्वतंत्र अभिव्यक्ति से सत्य खोजा जाता है; ग़लत विचार का खंडन भी सत्य की समझ बढ़ाता है; अल्पसंख्यक विचारों का दमन न हो; प्रतिनिधि सरकार के लिए नीति-बहस ज़रूरी है।	स्वतंत्र प्रेस, सार्वजनिक परामर्श

मिल और जवाबदेही: मिल ने सार्वजनिक जाँच और बहस को सुशासन के लिए अनिवार्य माना — निरंतर सार्वजनिक संवाद और आलोचना (ऊर्ध्वाधर जवाबदेही) अधिकारियों के नैतिक आचरण को प्रोत्साहित करती है और **"बहुमत की तानाशाही"** को रोकती है — यानी ऐसी स्थिति, जिसमें बहुमत अपनी संख्या के बल पर अल्पसंख्यकों या असहमत लोगों की स्वतंत्रता को कुचल दे।

◆ मिल ने बेन्थम की 4 स्वीकृतियों में एक पाँचवीं जोड़ी — अंतःकरण/विवेक (Conscience/Internal Sanction) — यानी किसी ग़लत काम पर अपनी ही आत्मा द्वारा महसूस किया गया अपराध-बोध, जो बाहरी दंड से भी ज़्यादा प्रभावी नियंत्रक हो सकता है।

कर्म-उपयोगितावाद (Act Utilitarianism)	नियम-उपयोगितावाद (Rule Utilitarianism)
◆ हर एक कार्य को अलग-अलग परखा जाता है — 'इस विशेष स्थिति में' सबसे ज़्यादा सुख किससे मिलेगा।	◆ यह देखा जाता है कि कौन-सा 'सामान्य नियम' अपनाने से समाज को दीर्घकाल में सबसे ज़्यादा लाभ होगा।
◆ लचीला, पर कभी-कभी नियम तोड़ने को भी उचित ठहरा सकता है।	◆ अधिक स्थिर — कानून व आचार-संहिता का आधार यही दृष्टिकोण है।

5.5 उपयोगितावाद का प्रयोग और उसकी आलोचना

प्रयोग: व्यक्तिगत स्तर पर उपयोगितावाद स्वतंत्रता, जोखिम उठाने की क्षमता और नवाचार को बढ़ावा देता है; अर्थव्यवस्था में पेशे के चुनाव की स्वतंत्रता, लाभ-अधिकतमीकरण और दक्षता इसी पर टिके हैं; और सरकारी स्तर पर अधिकांश नीतियाँ — **आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जन-धन योजना** — बड़ी आबादी का अधिकतम भला करने के लक्ष्य पर बनती हैं।

क्र.	उपयोगितावाद की प्रमुख आलोचनाएँ
1	यह अक्सर शारीरिक सुख की खोज बन जाता है, जो मनुष्य का "निम्न शुभ" है, "परम शुभ" नहीं।
2	यह लोगों को भौतिकवादी, स्वार्थी और उपभोक्तावादी बना सकता है, जिससे सांठगांठ वाला पूँजीवाद और भ्रष्टाचार पनपते हैं।
3	"अधिकतम लोगों का अधिकतम भला" बहुसंख्यकवाद, अल्पसंख्यकों की उपेक्षा और "सबसे योग्य की उत्तरजीविता" की ओर ले जा सकता है — इसी आलोचना से रॉल्स का न्याय-सिद्धांत निकला।
4	यदि कोई हिंसक कर्म भी अधिकतम लोगों को सुख दे, तो उपयोगितावाद उसे नैतिक ठहरा सकता है — जैसे एक लोकप्रिय फ़िल्मी खलनायक का तर्क कि "आधी आबादी मिटाकर बाक़ी आधी को सुखी बनाया जाए" — यह विकृत उपयोगितावाद है।
5	इसकी लागत-लाभ गणना अक्सर तात्कालिक लाभ देखती है, दीर्घकालिक नहीं — जलवायु परिवर्तन इसका उदाहरण है।
6	आपात स्थिति में सभी परिणामों का अनुमान लगाकर सुख-दुःख की गणना करने का समय ही नहीं होता।

निष्कर्ष: इन कमियों के बावजूद उपयोगितावाद व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और समाज के लिए "अधिकतम लोगों के अधिकतम भले" की दृष्टि से आज भी प्रासंगिक है। आधुनिक दार्शनिक **पीटर सिंगर (Peter Singer)** — ऑस्ट्रेलिया के समकालीन दार्शनिक (जन्म 1946), जो पशु-अधिकारों और वैश्विक गरीबी पर अपने लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं — ने उपयोगितावाद को **"प्रभावी परोपकार" (Effective Altruism)** के रूप में आगे बढ़ाया — उनके अनुसार यदि हम तुलनीय नैतिक महत्व की कोई चीज़ त्यागे बिना किसी की पीड़ा रोक सकते हैं, तो ऐसा करना हमारा नैतिक दायित्व है; और सहायता करते समय **हर रुपये से अधिकतम भलाई** का लक्ष्य रखना चाहिए। यह "दिल और दिमाग़" दोनों को जोड़ता है — यानी दूसरों की पीड़ा देखकर मदद करने की भावना (दिल) के साथ यह सोच-विचार (दिमाग़) भी कि मदद कहाँ और कैसे सबसे अधिक असर करेगी।

📖 कहानी: "टैंकर किस गाँव जाए?" — सूखे में सुख का गणित और न्याय

जैसलमेर ज़िले में भीषण सूखा था। उपखंड अधिकारी निधि (काल्पनिक नाम) के पास केवल 12 पानी के टैंकर थे और 30 गाँवों की माँग। एक बड़ा गाँव (3,000 की आबादी) सड़क के किनारे था, जहाँ टैंकर दिन में तीन फेरे लगा सकते थे। दूर रेत के धोरों के पार 18 छोटी ढाणियाँ थीं — कुल आबादी 900, जहाँ एक टैंकर दिन में मुश्किल से एक फेरा लगा पाता। स्थानीय नेता का दबाव था — "बड़े गाँव को प्राथमिकता दीजिए, वहाँ वोट भी ज़्यादा हैं और शिकायतें भी।"

निधि ने पहले बेन्थम की तरह गणना की — प्रति टैंकर-फेरे से कितने लोगों को पानी मिलेगा? गणित साफ़ था: बड़े गाँव में हर फेरा अधिक लोगों तक पहुँचेगा। पर फिर उन्होंने घटती सीमांत उपयोगिता के बारे में सोचा — बड़े गाँव में एक पुराना कुआँ और एक टांका अब भी कुछ पानी दे रहे थे, जबकि ढाणियों में पशु मरने लगे थे और बच्चे दस्त से बीमार थे। वहाँ पानी की एक बाल्टी का "सुख" बड़े गाँव की दस बाल्टियों से अधिक था।

फिर उन्होंने अरस्तू का सूत्र याद किया — "समान मामलों में समान व्यवहार, असमान मामलों में असमान।" ढाणियों की ज़रूरत और असुरक्षा अलग थी, इसलिए उनके साथ समान नहीं, बल्कि ज़रूरत के अनुसार व्यवहार होना चाहिए। और रॉल्स का अंतर-सिद्धांत भी यही कहता था — असमानता तभी स्वीकार्य है, जब वह सबसे वंचित के हित में हो।

निधि ने एक खुली बैठक में मानदंड घोषित किए — प्रति व्यक्ति न्यूनतम पानी (पीने और पशुओं के लिए), पानी के दूसरे स्रोतों की उपलब्धता, और बीमारी का जोखिम। इनके आधार पर 7 टैंकर ढाणियों के लिए तय हुए (रात में भरकर सुबह जल्दी निकलने वाले फेरों के साथ), और 5 टैंकर बड़े गाँव के लिए, जहाँ साथ में पुराने कुएँ की सफ़ाई और एक अस्थायी पाइपलाइन का काम भी शुरू हुआ। हर टैंकर का जीपीएस से पता और फेरों की सूची पंचायत भवन पर लगाई गई। शिकायतें थमीं, पशु-मृत्यु रुकी, और बड़े गाँव के लोगों ने भी माना — "ढाणी वालों की हालत हमसे खराब थी।"

🔑 इस कहानी से सीख: उपयोगितावाद का "अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख" एक उपयोगी शुरुआत है, पर घटती सीमांत उपयोगिता, अरस्तू का वितरणात्मक न्याय और रॉल्स का अंतर-सिद्धांत उसे न्यायपूर्ण बनाते हैं। पारदर्शी मानदंड और खुली घोषणा राजनीतिक दबाव से बचने का सबसे अच्छा तरीका है।

उपयोगितावाद की सबसे बड़ी आलोचना यह है कि यह "अल्पसंख्यक या अकेले व्यक्ति के अधिकारों" की अनदेखी कर सकता है — जैसे "बहुमत के लिए एक निर्दोष को सज़ा देना" भी जायज़ ठहरा सकता है। यही आलोचना आगे कांट और रॉल्स के सिद्धांतों का आधार बनती है।

6. एपिक्युरवाद, स्टोइसिज़्म एवं कन्फ्यूशीवाद

6.1 एपिक्युरवाद (Epicureanism)

यूनानी दार्शनिक एपिक्युरस (Epicurus, 341–270 ईसा पूर्व), जिन्होंने एथेंस में 'द गार्डन' (The Garden) नाम का विद्यालय चलाया, ने सुख की खोज को ही जीवन का लक्ष्य बताया, पर उनका 'सुख' शारीरिक भोग-विलास नहीं, बल्कि शांत, संयमित व पीड़ा-रहित जीवन (Ataraxia — मानसिक शांति) था। वे अति-भोग के सख्त विरोधी थे और सादगी को ही असली सुख का मार्ग मानते थे।

◆ एपिक्युरस के अनुसार डर (विशेषकर मृत्यु का डर) ही मनुष्य के दुःख का सबसे बड़ा कारण है — तर्कसंगत समझ से इस डर को दूर किया जा सकता है।

एपिक्युरस का सुख — शांति का सुख: एपिक्युरस सुख को ही एकमात्र परम शुभ और दुःख को एकमात्र अशुभ मानते थे, पर उनके लिए **मन के परिष्कृत सुख** शरीर के स्थूल सुखों से श्रेष्ठ थे — क्योंकि वे अधिक मात्रा में और अधिक टिकाऊ सुख देते हैं। उनके अनुसार सबसे ऊँचा सुख **शांति (Tranquillity)** है, जो अधूरी इच्छाओं को हटाकर मिलता है — और इसका तरीका है सबसे सरल इच्छाओं को छोड़कर बाक़ी सब छोड़ देना, जिन्हें कोई भी, बिना धन के भी, आसानी से पूरा कर सके।

एपिक्युरस के लिए न्याय भी केवल एक **सुविधाजनक व्यवस्था** था, जो आपसी हानि को रोकती है। तो फिर अन्याय क्यों न करें, जब पकड़े न जाएँ? उनका उत्तर था — **पकड़े जाने का निरंतर डर** खुद एक दर्दनाक चिंता है। एपिक्युरस ने मित्रता को भी बहुत ऊँचा स्थान दिया — एपिक्युरियन अपने गर्मजोशी भरे संबंधों के लिए प्रसिद्ध थे — पर वे मित्रता को भी इसलिए अच्छा मानते थे क्योंकि वह सुख देती है।

◆ प्रशासनिक/विधिक संदर्भ — महाराष्ट्र का जादू-टोना विरोधी अधिनियम, 2013 (Anti-Superstition and Black Magic Act) और राजस्थान डायन-प्रताड़ना निवारण अधिनियम, 2015 जैसे कानून — जो झाड़ू-फूँक, नरबलि और 'डायन' बताकर किसी को सताने जैसी प्रथाओं को अपराध घोषित करते हैं — अंधविश्वास व अताकिंक भय के विरुद्ध ठीक उसी तर्कसंगत सोच को बढ़ावा देते हैं, जिसकी वकालत एपिक्युरस ने की थी।

6.2 स्टोइसिज़्म (Stoicism)

ज़ेनो (Zeno of Citium, लगभग 334–262 ईसा पूर्व — साइप्रस के किटियम नगर में जन्मे और एथेंस में पढ़ाने वाले दार्शनिक) द्वारा स्थापित यह विचारधारा — जिसका नाम एथेंस के उस 'स्टोआ' (खंभों वाला बरामदा) से पड़ा जहाँ ज़ेनो पढ़ाते थे — कहती है कि सद्गुण-पूर्ण जीवन ही सच्चा सुख है, और मनुष्य को उन चीज़ों की चिंता नहीं करनी चाहिए जो उसके नियंत्रण में नहीं हैं — केवल अपने कर्मों, विचारों व प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए।

🔍 आसान परिभाषा: विश्व-नागरिकता (Cosmopolitanism)

📖 **परिभाषा:** स्टोइक दार्शनिकों (जैसे रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस, 121–180 ई., जिनकी डायरी-जैसी पुस्तक 'मेडिटेशंस' (Meditations) स्टोइक विचारों का प्रसिद्ध संग्रह है) के अनुसार सभी मनुष्य एक ही 'वैश्विक समुदाय' (Cosmopolis) के नागरिक हैं — जाति, धर्म, राष्ट्र की सीमाओं से ऊपर उठकर सबको समान मानना चाहिए।

💡 **आसान भाषा में:** जैसे एक बड़े परिवार में सभी सदस्य अलग-अलग स्वभाव के होते हुए भी एक-दूसरे को अपना मानते हैं — स्टोइक दर्शन

पूरी मानवता को ही एक ऐसा 'परिवार' मानने की सीख देता है। 🏠 **उदाहरण:** संयुक्त राष्ट्र (UN) के मानवाधिकार सिद्धांत तथा भारत के 'वसुधैव कुटुम्बकम्' (सारा विश्व एक परिवार है) के आदर्श — दोनों ही स्टोइक 'विश्व-नागरिकता' की भावना से गहराई से मेल खाते हैं।

◆ भावनाओं पर नियंत्रण (Apatheia) — स्टोइक दर्शन के अनुसार क्रोध, भय, ईर्ष्या जैसी अनियंत्रित भावनाओं पर काबू पाना ही सच्ची स्वतंत्रता है — एक शांत, संतुलित प्रशासक इसी सिद्धांत का उदाहरण है।

स्टोइक दर्शन की गहराई: "स्टोइक" का आम अर्थ है वह व्यक्ति, जो उन दुःखों और कष्टों से विचलित न हो, जो बाक़ी मानवता को परेशान करते हैं। अरस्तू मानते थे कि केवल कुछ लोग ही तर्क कर सकते हैं, पर स्टोइकों के अनुसार **सभी मनुष्यों में तर्क की क्षमता** है, इसलिए सभी सद्गुण और प्रज्ञा पा सकते हैं। प्लेटो ने कहा था कि भावनाओं और इच्छाओं को तर्क से नियंत्रित करना चाहिए; स्टोइक इससे आगे गए — उन्होंने भावनाओं को अच्छे-बुरे के निर्णय का आधार ही अस्वीकार कर दिया। बुद्धिमान व्यक्ति **"किसी चीज़ को चाहने"** और **"उसे अच्छा मानने"** का अंतर समझता है; शारीरिक पीड़ा उसे भी होती है, पर वह जानता है कि यह उसके तर्कशील स्वरूप को नहीं छूती।

स्टोइक दर्शन की सबसे बड़ी विरासत यह विश्वास है कि **सभी मनुष्यों में तर्क की साझा क्षमता** है — और इसी से उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि एक **सार्वभौमिक नैतिक नियम** है, जिसने नैतिक सापेक्षवाद को अस्वीकार करने की परंपरा को मज़बूत किया। धन, यश और सफलता अच्छे हैं, पर क्षणिक; केवल **तर्क और सद्गुण से प्राप्त उत्कृष्ट मानसिक अवस्था** ही गहराई से अच्छी है। हम एक बड़े प्राकृतिक तंत्र का छोटा-सा हिस्सा हैं — जो बदला जा सकता है उसे बदलो, और जो नहीं बदला जा सकता उसे स्वीकार करो; बाहरी चीज़ों को नियंत्रित करने की कोशिश केवल निराशा देती है।

स्टोइक "नियंत्रण का द्विभाजन" — प्रशासक के लिए

मेरे वश में	स्टोइक	मेरे वश में नहीं
मेरी प्रतिक्रिया, मेरा निर्णय	विचार	दूसरों की राय, आलोचना
मेरी मेहनत, ईमानदारी	कर्म	तबादला, पदोन्नति
क्रोध पर संयम	भावना	घटनाएँ, आपदाएँ
पूरी निष्ठा से करो	रवैया	शांति से स्वीकारो

चित्र 6.9: स्टोइक "नियंत्रण का द्विभाजन" — प्रशासक के लिए

“ तुम्हारा अधिकार अपने मन पर है, बाहरी घटनाओं पर नहीं — यह समझ लो, तुम्हें शक्ति मिल जाएगी। (You have power over your mind — not outside events. Realize this, and you will find strength.) ” — मार्कस ऑरिलियस (Marcus Aurelius), भावार्थ — मेडिटेशंस

स्टोइक दार्शनिक **एपिक्टेटस (Epictetus)** (लगभग 50–135 ई.) — जो जन्म से दास थे और बाद में स्वतंत्र होकर प्रसिद्ध स्टोइक शिक्षक बने — ने सिखाया कि **मनुष्य घटनाओं से नहीं, बल्कि घटनाओं के बारे में अपनी धारणाओं से विचलित होता है** — यानी मायने यह रखता है कि हम घटना पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। यही आज की **भावनात्मक बुद्धिमत्ता** में आत्म-नियंत्रण का आधार है, और गीता के 'स्थितप्रज्ञ' (वह व्यक्ति जिसकी बुद्धि सुख-दुःख, लाभ-हानि और मान-अपमान में भी स्थिर रहती है) से गहरा मेल खाता है।

6.3 कन्फ्यूशीवाद (Confucianism) — पूर्वी नैतिकता का आधार

चीनी विचारक कन्फ्यूशियस (Confucius, लगभग 551-479 ईसा पूर्व) ने पारिवारिक व सामाजिक संबंधों में सामंजस्य पर आधारित एक व्यापक नैतिक-दर्शन विकसित किया, जिसका पूर्वी एशिया की प्रशासनिक व सामाजिक संस्कृति पर आज भी गहरा प्रभाव है।

सिद्धांत	अर्थ
रेन (Ren)	परोपकार, मानवता, करुणा — सर्वोच्च गुण, दूसरों के प्रति सहानुभूति।
ली (Li)	शिष्टाचार, अनुष्ठान, उचित सामाजिक व्यवहार-संहिता।
शियाओ (Xiao)	माता-पिता व पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व आज्ञाकारिता (पितृ-भक्ति)।
यी (Yi)	धार्मिकता/औचित्य — निजी लाभ की बजाय सही काम करने का नैतिक साहस।
झी (Zhi)	व्यावहारिक बुद्धि/विवेक — सही व गलत में भेद करने की क्षमता।

पूर्व और भारत का संवाद: कन्फ्यूशीवाद के "ली" (शिष्टाचार-संहिता) की तुलना भारतीय सिविल सेवा आचरण नियमों से, और "रेन" (करुणा) की तुलना गीता के "सर्वभूतहिते रताः" (सभी प्राणियों के हित में रत रहना) से की जा सकती है।

6.4 मध्यकालीन और आरंभिक आधुनिक चिंतक — ऑगस्टीन, एक्विनास, देकार्त

संत ऑगस्टीन (Saint Augustine) — स्वतंत्र इच्छा: संत ऑगस्टीन (354–430 ई.) उत्तरी अफ्रीका के हिप्पो नगर के ईसाई धर्मशास्त्री थे, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तकें 'कन्फेशन्स' (Confessions) और 'द सिटी ऑफ़ गॉड' (The City of God) हैं। उनके अनुसार ईश्वर ने मनुष्य को

तर्कशील प्राणी बनाया, जो अच्छे-बुरे में भेद कर सकता है, और उसे चुनने तथा कर्म करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी। इसलिए यदि कोई गलत करता है, तो ज़िम्मेदारी उसकी है, ईश्वर की नहीं।

थॉमस एक्विनास (Thomas Aquinas) — सात सद्गुण और न्यायपूर्ण युद्ध: थॉमस एक्विनास (1225–1274 ई.) इटली के ईसाई दार्शनिक-धर्मशास्त्री थे, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक 'सुम्मा थियोलॉजिका' (Summa Theologica) है; वे प्लेटो और विशेषकर अरस्तू के विचारों को ईसाई धर्म से जोड़ने वाले सद्गुण-नीतिशास्त्री थे। उन्होंने चार कार्डिनल सद्गुणों (प्रज्ञा, संयम, साहस, न्याय) में तीन धार्मिक सद्गुण जोड़े — **आस्था, आशा और प्रेम (Faith, Hope, Charity)** — जो मिलकर ईसाई धर्म के सात सद्गुण बने। उनका **न्यायपूर्ण युद्ध सिद्धांत** (Just War Theory) कहता है — (1) युद्ध की घोषणा वैध सत्ता करे; (2) युद्ध का कारण न्यायसंगत हो — जैसे आक्रमण से रक्षा या अत्याचार रोकना; (3) उद्देश्य सही हो — भलाई बढ़ाना और बुराई रोकना (बाद की परंपरा ने "अंतिम विकल्प" और "आनुपातिकता" की शर्तें भी जोड़ीं)। ये सिद्धांत आज भी अंतरराष्ट्रीय कानून और बल-प्रयोग की नैतिकता में काम आते हैं।

रेने देकार्त (René Descartes): फ्रांस के दार्शनिक और गणितज्ञ देकार्त (1596–1650) को 'आधुनिक पाश्चात्य दर्शन का जनक' कहा जाता है। वे "मैं सोचता हूँ, इसलिए मैं हूँ" (Cogito, ergo sum) कथन के लिए प्रसिद्ध हैं — यानी हर बात पर संदेह किया जा सकता है, पर यह निश्चित है कि संदेह करने वाला 'मैं' मौजूद है। देकार्त के अनुसार **तर्क** ही यह खोजने के लिए पर्याप्त है कि हमें किन अच्छाइयों की खोज करनी चाहिए, और **सद्गुण उस सही तर्क में है जो हमारे कर्मों का मार्गदर्शन करे।**

7. सामाजिक अनुबंध के विचारक — मैकियावेली, हॉब्स, लॉक एवं रूसो

अनुबंधवाद (Contractarianism) के अनुसार मानव आचरण तब नैतिक है, जब वह पक्षों के बीच हुए अनुबंध के नियमों के अनुरूप हो। हर समाज किसी न किसी — लिखित या अलिखित — अनुबंध पर टिका है। जब यह अनुबंध **राज्य और नागरिकों** के बीच होता है, तो इसे **सामाजिक अनुबंध** कहते हैं: लोग कानून का पालन करते हैं और राज्य लोगों की सेवा करता है। हॉब्स, लॉक और रूसो — तीनों के विचारों में अंतर है, पर तीनों राज्य और नागरिक के संबंध पर केंद्रित हैं और इस संबंध की नींव **मानव-स्वभाव और मानव-अधिकारों** की व्याख्या पर रखते हैं। इनसे पहले मैकियावेली ने राजनीति को नैतिकता से अलग करके देखा था।

7.1 निकोलो मैकियावेली (Niccolò Machiavelli) — यथार्थवादी राजनीति

निकोलो मैकियावेली (1469–1527) इटली के फ्लोरेंस नगर के राजनयिक और राजनीतिक विचारक थे, जिन्हें आधुनिक राजनीति-विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अपनी पुस्तक **"द प्रिंस" (The Prince)** (1513 में लिखी गई) में मैकियावेली ने राजनीति का एक कठोर व्यावहारिक दृष्टिकोण रखा। उनके लिए सामाजिक-राजनीतिक जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य **सत्ता पाना और उसे बनाए रखना** है; नैतिक नियम केवल सत्ता पाने और बचाने के व्यावहारिक नियम हैं। इसलिए जब भी लाभ हो, अनुबंध तोड़ देना चाहिए, क्योंकि (मानव-स्वभाव दुष्ट होने के कारण) दूसरा भी तोड़ेगा। मैकियावेली पहले बड़े चिंतक थे, जिन्होंने कर्मों को **केवल उनके परिणामों** से परखा — कोई कर्म इसलिए अच्छा नहीं कि ईश्वर उसका आदेश देता है या वह सद्गुण से निकलता है, बल्कि इसलिए कि उससे सत्ता मिलती और बनी रहती है। इसे **यथार्थवादी राजनीति (Realpolitik)** कहते हैं — विचारधारा या नैतिकता के बजाय परिस्थितियों पर आधारित राजनीति। उनके अनुसार शासक के लिए राज्य की स्थिरता और सुरक्षा सर्वोपरि है, भले उसके लिए पारंपरिक नैतिकता के विरुद्ध जाना पड़े — **"साध्य, साधन को उचित ठहराता है।"**

7.2 थॉमस हॉब्स (Thomas Hobbes) — प्राकृतिक अवस्था और "लेवियाथन"

इंग्लैंड के दार्शनिक थॉमस हॉब्स (1588–1679) अपनी पुस्तक 'लेवियाथन' (Leviathan, 1651) के लिए प्रसिद्ध हैं। हॉब्स हिंसा से घृणा करते थे — उन्होंने इंग्लैंड का लगभग एक दशक लंबा गृहयुद्ध देखा था, जिसके दौरान राजा **चार्ल्स प्रथम** का 1649 में सिर कलम कर दिया गया। युद्ध से बचने की इच्छा ने ही उनके नैतिक और राजनीतिक चिंतन को दिशा दी। उनका दर्शन चार चरणों में चलता है:

◆ **प्राकृतिक अवस्था युद्ध की अवस्था है:** बिना नैतिकता और राज्य के संसार में न कला होगी, न साहित्य, न व्यापार — केवल निरंतर भय और हिंसक मृत्यु का खतरा; और मनुष्य का जीवन **"एकाकी, दरिद्र, घृणित, पाशविक और अल्प"** (solitary, poor, nasty, brutish, and short) होगा। कारण — मनुष्य की असीम इच्छाएँ, संसाधनों की कमी, लोगों की लगभग समान शक्ति और प्रबल स्वार्थ।

◆ **प्राकृतिक अधिकार (Right of Nature):** प्राकृतिक अवस्था में कोई पूर्व-निर्धारित नैतिक नियम नहीं; आत्म-रक्षा के लिए बल और छल — सब उचित है; केवल दूसरों की शक्ति हमें सीमित करती है।

◆ **प्राकृतिक नियम (Law of Nature):** तर्कशील प्राणी होने के कारण मनुष्य युद्ध से बचना और शांति चाहते हैं — दूसरों से वैसा व्यवहार न करो जैसा तुम अपने साथ नहीं चाहते। **नैतिकता = शांति के वे नियम, जिन पर हर तर्कशील स्वार्थी व्यक्ति सहमत होगा।**

◆ **सामाजिक अनुबंध और लेवियाथन:** स्वार्थ ही अंततः नैतिकता को उचित ठहराता है; पर समझौते का पालन तभी तर्कसंगत है जब कोई **बाध्यकारी शक्ति** उसे लागू करे। इसलिए हॉब्स ने एक **"लेवियाथन"** — असीम शक्तियों वाले मज़बूत राज्य — का समर्थन किया, जिसके विरुद्ध लोग विद्रोह नहीं कर सकते; लोगों के अधिकार सशर्त होंगे, निरपेक्ष नहीं।

हॉब्स का मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद: हॉब्स के अनुसार मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी है; समाज प्राकृतिक प्रेम से नहीं, बल्कि **स्वार्थ और भय** से बना है। नैतिक आचरण केवल ऐसी सरकार के माध्यम से संभव है, जो सही कर्मों को पुरस्कृत और गलत को दंडित कर सके। **आलोचना:** (1) अनुबंध-सिद्धांत यह तो बताता है कि "हम" नैतिक क्यों बनें, पर यह नहीं कि "मैं" क्यों बनूँ — यदि पकड़े न जाऊँ, तो "मुफ्तखोर" (Free Rider) क्यों न बनूँ? (2) **कैदी की दुविधा (Prisoner's Dilemma)** — ऐसी स्थिति जिसमें दो लोग एक-दूसरे पर भरोसा करके सहयोग करें तो दोनों का भला हो, पर अविश्वास के कारण दोनों अपने-अपने स्वार्थ में धोखा देना चुनते हैं और दोनों का नुकसान होता है; इस असहयोग को रोकने के लिए दंड देने वाली एजेंसियाँ चाहिए, पर वे एजेंसियाँ स्वयं भ्रष्ट हो सकती हैं; (3) हॉब्स का मानव-स्वभाव का नकारात्मक चित्र उनके समय की परिस्थितियों से प्रभावित था, जबकि निःस्वार्थ सेवा के अनगिनत उदाहरण हैं; (4) असीम शक्ति वाला राज्य आज की **सीमित सरकार** की अवधारणा के विपरीत है और शोषक बन सकता है।

7.3 जॉन लॉक (John Locke) — प्राकृतिक अधिकार और सीमित सरकार

टैबुला रासा (Tabula Rasa) — कोरी स्लेट: इंग्लैंड के दार्शनिक जॉन लॉक (1632–1704) अपनी पुस्तक 'शासन पर दो निबंध' (Two Treatises of Government, 1689) के लिए प्रसिद्ध हैं और उन्हें 'उदारवाद का जनक' कहा जाता है। अरस्तू की तरह अनुभववादी (यह मानने वाले कि ज्ञान इंद्रियों के अनुभव से आता है) लॉक मानते थे कि हर मनुष्य एक **खाली, लचीले मन** के साथ जन्म लेता है; उसके चरित्र का हर पहलू समाज में रहते हुए इंद्रियों से देखा, अनुभव किया और सीखा जाता है। यह "प्रकृति बनाम परवरिश" की बहस में परवरिश का पक्ष लेता है और स्वतंत्र इच्छा की अवधारणा को आधार देता है।

प्राकृतिक (अविच्छेद्य) अधिकार: लॉक के अनुसार व्यक्ति की संपत्ति उसके अपने शरीर और आत्मा से शुरू होती है; जब कोई व्यक्ति प्रकृति की साझा देन में अपना श्रम मिलाता है (जैसे पेड़ पर चढ़कर सेब तोड़ना), तो वह उसकी संपत्ति बन जाती है। लॉक ने सामाजिक अनुबंध में **प्राकृतिक अधिकारों** को जोड़ा — राज्य का काम नागरिकों के तीन प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा है: **जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति**। इसीलिए उन्हें "शास्त्रीय उदारवादी" कहा जाता है। अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा (1776) ने इन्हें थोड़े बदलाव के साथ अपनाया — **जीवन, स्वतंत्रता और सुख की खोज**।।

सहिष्णुता और धर्म: लॉक के लिए सहिष्णुता का अर्थ है — किसी चीज़ (दूसरी आस्था, नस्ल या विचार) से मूलभूत असहमति रखते हुए भी उसे अस्तित्व में रहने देना। चूंकि आत्मा व्यक्ति की अपनी है, कोई राजनीतिक सत्ता यह तय नहीं कर सकती कि लोग किस धर्म को मानें। **सीमित और उत्तरदायी सरकार:** राजतंत्र के विशाल "लेवियाथन" के विपरीत लॉक ने छोटे आकार और सीमित दायरे वाली सरकार का समर्थन किया — लोग अपने **कुछ (सब नहीं)** अधिकार सरकार को सौंपते हैं, बदले में क़ानून की सुरक्षा पाते हैं। सरकार एक "तटस्थ न्यायाधीश" हो, जिसे व्यक्ति के जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप का अधिकार नहीं। सबसे क्रांतिकारी विचार — हर वैध सत्ता को **जनता की सहमति** चाहिए; सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी है, जनता सरकार के प्रति नहीं; और यदि जनता अपनी सरकार को अस्वीकार करे, तो उसे बदलने का अधिकार है — **क्रांति का अधिकार**।।

7.4 ज्यॉन्-जैक रूसो (Jean-Jacques Rousseau) — सामान्य इच्छा

जिनेवा (स्विट्ज़रलैंड) में जन्मे और फ्रांस में सक्रिय दार्शनिक ज्यॉन्-जैक रूसो (1712–1778) के विचारों ने फ्रांसीसी क्रांति (1789) को गहराई से प्रभावित किया। रूसो के विचार उनकी कृतियों "असमानता की उत्पत्ति पर विमर्श" (1755) और "सामाजिक अनुबंध" (1762) में मिलते हैं। उनके प्रमुख विचार हैं:

◆ **प्राकृतिक अच्छाई:** मनुष्य अपनी प्राकृतिक अवस्था में स्वभाव से अच्छा और नैतिक है — उसमें करुणा, सहानुभूति और न्याय का स्वाभाविक बोध है; **समाज और सभ्यता** उसे भ्रष्ट करते हैं। "प्राकृतिक मनुष्य" आत्म-रक्षा और दया से निर्देशित होता है; समाज की संस्थाएँ और असमानताएँ उसकी इस मासूमियत को बिगाड़ती हैं।

◆ **सामान्य इच्छा (General Will):** पूरे समुदाय की सामूहिक इच्छा, जो सामान्य हित को दर्शाती है। सच्ची नैतिकता तब है जब व्यक्ति अपनी निजी इच्छा से ऊपर सामान्य इच्छा को रखे। इसका अर्थ है — **संप्रभुता जनता में निहित है**; क़ानून जनता के लिए है, जनता क़ानून के लिए नहीं; जो क़ानून सामान्य इच्छा के अनुरूप न हो, उसे समाप्त कर देना चाहिए।

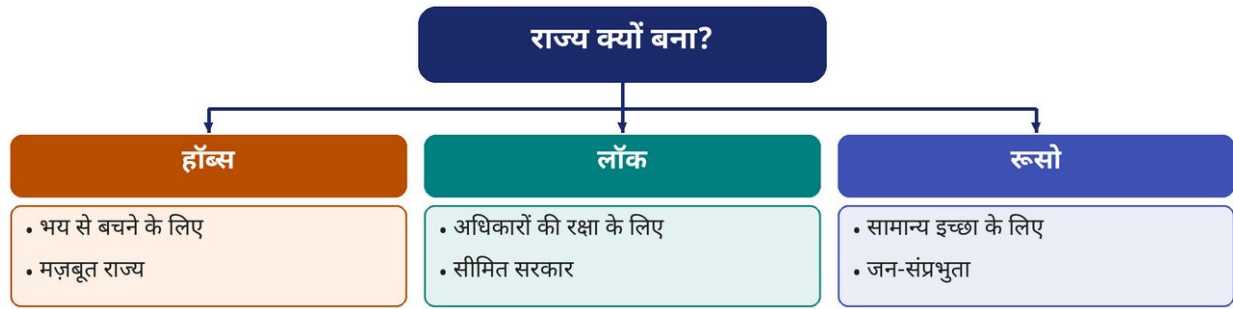
◆ **नैतिक स्वतंत्रता और समानता:** व्यक्ति सच्चे अर्थ में स्वतंत्र तब है, जब वह उन नियमों और क़ानूनों के निर्माण में भाग लेता है जो उसके जीवन को नियंत्रित करते हैं — यह केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता से अलग, **सहभागी स्वतंत्रता** है।

◆ **दो प्रकार का आत्म-प्रेम: "आमूर द स्वा" (Amour de soi) —** स्वाभाविक आत्म-प्रेम या आत्म-रक्षा, जो नैतिक रूप से निर्दोष है; और **"आमूर प्रोप्रे" (Amour propre) —** दूसरों से तुलना और मान्यता की चाह से निकला आत्म-प्रेम, जो प्रतिस्पर्धा, असमानता और संघर्ष जैसी सामाजिक बुराइयों का स्रोत है।

◆ **भावनाएँ नैतिकता का आधार:** कई प्रबोधन-विचारकों (Enlightenment — 17वीं-18वीं सदी का यूरोपीय बौद्धिक आंदोलन, जिसने तर्क और विज्ञान को सबसे ऊपर रखा) के विपरीत रूसो के लिए **करुणा, दया और सहानुभूति** नैतिक आचरण के मूल स्रोत हैं; तर्क की भूमिका है, पर भावनाएँ नैतिक चुनाव को आकार देती हैं। इसलिए शिक्षा को बच्चे की स्वाभाविक नैतिक भावनाओं का पोषण करना चाहिए, न कि बाहरी नियम थोपने चाहिए।

आधार	हॉब्स	लॉक	रूसो
मानव-स्वभाव	स्वार्थी, भयभीत	तर्कशील, अधिकार-संपन्न	स्वभाव से अच्छा, करुणामय
प्राकृतिक अवस्था	सबका सबसे युद्ध	शांत, पर अधिकार असुरक्षित	सरल, सुखी; समाज ने बिगाड़ा
अनुबंध क्यों?	सुरक्षा और शांति के लिए	जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति की रक्षा के लिए	स्वतंत्रता और समानता के साथ सामूहिक जीवन के लिए
राज्य का रूप	असीम शक्ति वाला लेवियाथन	सीमित, उत्तरदायी, तटस्थ न्यायाधीश	सामान्य इच्छा पर आधारित, जन-संप्रभुता
विद्रोह का अधिकार	नहीं	हाँ — क्रांति का अधिकार	सामान्य इच्छा के विरुद्ध क़ानून समाप्त हो
आधुनिक प्रभाव	मज़बूत क़ानून-व्यवस्था	मौलिक अधिकार, उदार लोकतंत्र	प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जन-भागीदारी

सामाजिक अनुबंध — तीन दृष्टियाँ



चित्र 6.10: सामाजिक अनुबंध — तीन दृष्टियाँ

प्रशासनिक अर्थ: भारतीय संविधान में तीनों की छाया है — क़ानून-व्यवस्था बनाए रखने की राज्य की शक्ति (हॉब्स), मौलिक अधिकार और विधि का शासन (लॉक), और प्रस्तावना का **"हम, भारत के लोग"** तथा पंचायती राज जैसी सहभागी संस्थाएँ (रूसो)। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत की खूबी यह है कि यह नैतिकता के रहस्य को हटाता है, मानता है कि हम स्वार्थी हैं (जो यथार्थवादी है) और बताता है कि नैतिक बनना हमारे अपने हित में है।

8. इमैनुएल कांट (Immanuel Kant, 1724-1804) — कर्तव्यवाद के जनक

जर्मन दार्शनिक इमैनुएल कांट को 'कर्तव्यवाद' (Deontology) का जनक माना जाता है — उन्होंने अपना पूरा जीवन प्रशा (Prussia) के कोनिग्सबर्ग नगर में बिताया। उनकी सबसे प्रसिद्ध नैतिक कृति 'ग्राउंडवर्क ऑफ़ द मेटाफिज़िक्स ऑफ़ मोरल्स' (Groundwork of the Metaphysics of Morals, 1785) है; इसके अलावा 'क्रिटिक ऑफ़ प्र्योर रीज़न' (1781) और 'क्रिटिक ऑफ़ प्रैक्टिकल रीज़न' (1788) भी उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। कांट के लिए किसी कार्य की नैतिकता उसके परिणाम से नहीं, बल्कि उसके पीछे की 'नीयत' (Motive/Will) से तय होती है — यह उपयोगितावाद के बिल्कुल विपरीत दृष्टिकोण है।

8.1 शुभ-संकल्प (Good Will)

कांट के अनुसार इस संसार में सिर्फ़ एक ही चीज़ बिना शर्त 'अच्छी' है — शुभ-संकल्प (Good Will)। कोई कार्य सिर्फ़ तभी सच में नैतिक है जब वह परिणाम, नाम या फ़ायदे की चाहत से नहीं, बल्कि शुद्ध कर्तव्य-भाव से किया जाए। जैसा इस अध्याय की शुरुआत में हरियाणा कैडर के IAS अधिकारी अशोक खेमका के उदाहरण से देखा गया, उसी तरह अज़ीम प्रेमजी फ़ाउंडेशन द्वारा वर्षों से बिना किसी प्रचार-प्रसार की चाह के शिक्षा-क्षेत्र में किया जा रहा कार्य भी 'शुभ-संकल्प' का एक उदाहरण माना जा सकता है — जहाँ कार्य स्वयं में कर्तव्य-भाव से प्रेरित है, न कि प्रसिद्धि की चाह से।

कांट के अनुसार ज्ञान कैसे मिलता है: कांट ने **अनुभववाद** (इंद्रिय-अनुभव, जिसे उपयोगितावादी महत्व देते थे) और **तर्कवाद** (तर्क, जिसे सद्गुण-नीतिशास्त्री और अनुबंधवादी महत्व देते थे) — दोनों को जोड़ा। इंद्रिय-अनुभव पहला चरण है, जो आँकड़े देता है; तर्क दूसरा चरण है, जो उन आँकड़ों को अवधारणाओं में व्यवस्थित करता है। उन्होंने संसार को दो भागों में बाँटा — **इंद्रियातीत जगत्** (मानव-पहुँच से परे) और **अनुभवजन्य जगत्** (जिसमें हम रहते हैं), और कहा कि तर्क केवल अनुभवजन्य जगत् पर लागू होता है।

नैतिक क्यों बनें? कांट के लिए मनुष्य सामाजिक और तर्कशील प्राणी है; हर समाज के कुछ न्यूनतम नियम होते हैं, जिनका पालन सबका नैतिक कर्तव्य है। पर क्या सभी सामाजिक नियम मानने चाहिए? कांट कहते हैं — नहीं; केवल उन्हीं नियमों का पालन अनिवार्य है जो **बिना शर्त**, हर परिस्थिति में मानने योग्य हों और अपने आप में साध्य हों — इन्हीं को उन्होंने **निरपेक्ष आज्ञा** कहा। नैतिक नियम **शुद्ध, स्वतंत्र और तर्कशील इच्छा** से निकलता है, जो स्व-निर्धारित और स्व-विधायी है — व्यक्ति तब स्वतंत्र है जब वह दूसरों की नहीं, अपनी इच्छा से बँधा हो। कांट के अनुसार नैतिक जीवन में भावना का स्थान नहीं; वे केवल एक भावना को पवित्र मानते हैं — **नैतिक नियम के प्रति सम्मान (Reverence)**।

8.2 निरपेक्ष आज्ञा (Categorical Imperative)

आसान परिभाषा: निरपेक्ष आज्ञा (Categorical Imperative) — तीन रूप

परिभाषा: कांट के अनुसार एक सच्चा नैतिक नियम 'निरपेक्ष' (Categorical) होता है — यानी वह हर परिस्थिति में, बिना किसी शर्त के, सब पर समान रूप से लागू होता है (न कि 'अगर तुम चाहो तो' वाला सशर्त/Hypothetical नियम)।

आसान भाषा में: जैसे एक अस्पताल में 'हाथ धोना अनिवार्य है' का नियम किसी एक डॉक्टर या मरीज़ के लिए नहीं, बल्कि बिना अपवाद सभी के लिए हो — ठीक वैसे ही कांट कहते हैं कि 'झूठ मत बोलो' जैसा नैतिक नियम भी हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति पर, बिना अपवाद लागू होना चाहिए। **उदाहरण:** सिविल सेवा आचार-संहिता (Code of Conduct) के नियम — जैसे 'रिश्वत मत लो' — किसी विशेष परिस्थिति में छूट नहीं देते, चाहे नीयत कितनी भी 'अच्छी' क्यों न हो; यह निरपेक्ष आज्ञा का ही प्रशासनिक रूप है।

रूप (Formulation)	अर्थ
सार्वभौमिकता का सिद्धांत (Universality)	"केवल उसी नियम पर कार्य करो, जिसे तुम एक साथ यह भी चाहो कि वह एक सार्वभौमिक नियम बन जाए।" — यानी अपने कार्य को हमेशा एक ऐसा नियम मानकर परखो जो सबके लिए लागू हो सके।
मानवता को साध्य मानो, साधन नहीं (Humanity as an End)	किसी भी मनुष्य का उपयोग कभी केवल 'साधन' (Means) के रूप में मत करो, बल्कि उसे हमेशा अपने-आप में एक 'साध्य/लक्ष्य' (End in Itself) मानकर सम्मान दो।

रूप (Formulation)	अर्थ
स्वायत्तता का सिद्धांत (Autonomy)	हर तर्कशील प्राणी अपने-आप में नियम बनाने वाला (Self-Legislator) है — नैतिक नियम बाहर से थोपे नहीं जाते, बल्कि तर्कशील विवेक से स्वयं अपनाए जाते हैं।

कांट की निरपेक्ष आज्ञा — तीन रूप

निरपेक्ष आज्ञा

सार्वभौमिकता वही नियम अपनाओ जो सबके लिए नियम बन सके	मानवता मनुष्य को साध्य मानो, केवल साधन नहीं	साध्यों का राज्य स्वयं पर नैतिक नियम लागू करने वाले स्वायत्त सदस्य बनो
---	---	--

चित्र 6.11: कांट की निरपेक्ष आज्ञा — तीन रूप

8.3 तीन अभिगृहीत (Three Postulates)

कांट ने अनुसार नैतिकता को व्यावहारिक रूप से सार्थक बनाने के लिए तीन बातों को अनिवार्य रूप से मान लेना (Postulate) पड़ता है — भले ही इन्हें तर्क से सीधे सिद्ध न किया जा सके: (1) इच्छा की स्वतंत्रता (Freedom of Will) — बिना स्वतंत्रता के नैतिक ज़िम्मेदारी संभव ही नहीं; (2) आत्मा की अमरता (Immortality of the Soul) — ताकि सद्गुण की पूर्ण-सिद्धि के लिए पर्याप्त समय हो; (3) ईश्वर का अस्तित्व (Existence of God) — जो सद्गुण व सुख के बीच अंतिम न्यायपूर्ण संतुलन सुनिश्चित करे।

8.4 छह वर्जित कार्यों की श्रेणियाँ (Six Forbidden Categories)

कांट ने 'ग्राउंडवर्क' में अपने सिद्धांत को चार प्रसिद्ध उदाहरणों से समझाया — आत्महत्या, झूठा वचन देकर उधार लेना, अपनी प्रतिभा को आलस्य में नष्ट होने देना, और ज़रूरतमंद की सहायता से मुँह मोड़ना। इन्हीं उदाहरणों और उनके अन्य लेखन के आधार पर कांट के दर्शन में कुछ कार्यों को सैद्धांतिक रूप से सदैव वर्जित माना जाता है, क्योंकि इन्हें 'सार्वभौमिक नियम' नहीं बनाया जा सकता — छल-कपट (Deception), चोरी (Theft), वचन-भंग (Breaking Promises), आलस्य (Idleness), स्वार्थपरता (Selfishness), तथा आत्म-क्षति जैसी अपने ही अस्तित्व के विरुद्ध की गई कार्रवाई (Self-Harm) — इन सभी को कांट अपने 'मानवता को सदैव एक साध्य मानो, केवल साधन नहीं' वाले सिद्धांत का उल्लंघन मानते थे, क्योंकि इनमें व्यक्ति स्वयं अपनी या किसी और की गरिमा के साथ केवल एक 'साधन' जैसा बर्ताव करता है।

निरपेक्ष आज्ञा तक पहुँचने के चार सिद्धांत	अर्थ
कर्तव्य का सिद्धांत	अंतरात्मा का पालन करते हुए कार्य को अपना कर्तव्य मानकर करो।
समानता का सिद्धांत	हर नियम सब पर समान रूप से लागू हो।
मानवता का सिद्धांत	मनुष्य को हमेशा साध्य मानो, केवल साधन नहीं।
सार्वभौमिकता का सिद्धांत	ऐसे कर्म करो जो सार्वभौमिक कर्म बन सकें — इससे आचरण का एक समान मानक बनता है (नैतिक निरपेक्षवाद)।

कांट बनाम मिल — मूल टकराव: कांट के लिए झूठ हमेशा गलत है, परिणाम चाहे जो हो, क्योंकि उसे सार्वभौमिक नियम नहीं बनाया जा सकता। इसके ठीक विपरीत मिल कहेंगे कि यदि एक झूठ किसी बड़ी हानि को रोक सके या बहुत लोगों को सुख दे (जैसे किसी आतंकवादी से झूठ बोलकर जानें बचाना), तो वह झूठ न केवल अनुमत, बल्कि नैतिक रूप से आवश्यक है। यही कर्तव्य-आधारित और परिणाम-आधारित नीतिशास्त्र का मूल तनाव है।

कांट के सिद्धांत का प्रयोग: व्यक्तिगत स्तर पर यह तर्कशीलता और कर्तव्यनिष्ठा बढ़ाता है, और नैतिक आदेश का पालन नैतिक स्वायत्तता लाता है, जो नेतृत्व-क्षमता देती है। प्रशासनिक स्तर पर सार्वभौमिक कर्म पंथनिरपेक्षता और तटस्थता की रक्षा करते हैं, और उचित तार्किक नियमों पर आधारित शासन जनता में भरोसा पैदा करता है। **आलोचनाएँ:** नैतिकता समाज-दर-समाज बदलती है, इसलिए निरपेक्षवाद हर स्थिति में उपयुक्त नहीं; मानव-जीवन का कोई लक्ष्य है, तो कर्म परिणाम से पूरी तरह अलग कैसे हो?; तर्क पर अत्यधिक ज़ोर भावनाओं की उपेक्षा करता है; और जटिल परिस्थितियों में सही सार्वभौमिक नियम तय करना कठिन है। फिर भी, परिणाम से प्रभावित हुए बिना निःस्वार्थ और नैतिक आचरण के लिए कांट का दर्शन अत्यंत प्रासंगिक है।

कांट की सबसे बड़ी आलोचना यह है कि उनका सिद्धांत बहुत कठोर और निरपेक्ष है — "झूठ कभी मत बोलो" का नियम तब भी लागू होगा, जब झूठ बोलकर किसी निर्दोष की जान बचाई जा सके। उपयोगितावाद (परिणाम देखता है) और कांट के कर्तव्यवाद (नियम देखता है) के बीच यही मूल द्वंद्व है।

9. जॉन रॉल्स (John Rawls) एवं डब्ल्यू.डी. रॉस (W.D. Ross)

9.1 जॉन रॉल्स (1921-2002) — न्याय का सिद्धांत

अमेरिकी दार्शनिक जॉन रॉल्स ने अपनी 1971 की कृति 'ए थ्योरी ऑफ जस्टिस' (A Theory of Justice) में न्याय को 'निष्पक्षता के रूप में न्याय' (Justice as Fairness) के रूप में परिभाषित किया। उनका उद्देश्य यह बताना था कि एक समाज के मूल नियम/ढाँचा किस तरह तय किए जाएँ ताकि वे सच में निष्पक्ष हों।

आसान परिभाषा: अज्ञानता का आवरण (Veil of Ignorance)

परिभाषा: रॉल्स का सुझाव है कि समाज के नियम बनाते समय हर व्यक्ति को यह कल्पना करनी चाहिए कि उसे यह नहीं पता कि समाज में उसकी अपनी स्थिति (अमीर/गरीब, ऊँची/नीची जाति, स्वस्थ/अशक्त) क्या होगी — इस 'अज्ञानता के आवरण' के पीछे से लिए गए फैसले ही सच में निष्पक्ष माने जा सकते हैं।

आसान भाषा में: जैसे कोई बड़ा केक बाँटने वाला व्यक्ति खुद नहीं जानता कि उसे कौन-सा टुकड़ा मिलेगा, तो वह हर टुकड़े को बराबर काटने की पूरी कोशिश करेगा — ठीक वैसे ही अगर नीति-निर्माता को यह न पता हो कि नीति का असर खुद उस पर किस रूप में पड़ेगा, तो वह सबसे निष्पक्ष नीति बनाने की कोशिश करेगा। **उदाहरण:** बिहार के एक ज़िलाधिकारी द्वारा किसी असहाय वृद्ध विधवा को अपने ही हाथों भोजन खिलाने जैसी संवेदनशील घटनाएँ यह दर्शाती प्रतीत होती हैं कि अधिकारी ने पद/स्थिति की दीवार हटाकर, खुद को उस असहाय व्यक्ति की जगह रखकर निर्णय व सहायता की — यह भावनात्मक रूप से 'अज्ञानता के आवरण' के करीब का व्यवहार माना जा सकता है (हालाँकि यह घटना-विशेष लोकप्रिय मीडिया-वृत्तांतों पर आधारित है, दर्शनशास्त्र की तकनीकी संकल्पना का प्रत्यक्ष उदाहरण नहीं)।

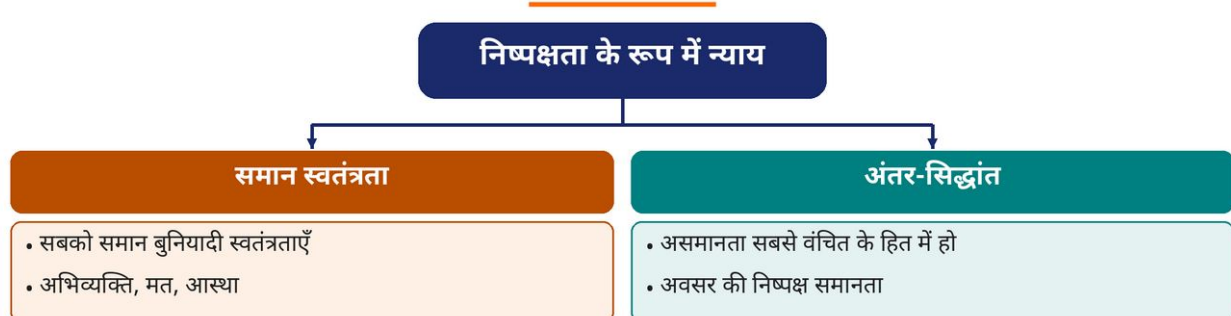
रॉल्स ने उपयोगितावाद क्यों अस्वीकार किया? रॉल्स के अनुसार न्याय उपयोगितावाद से नहीं निकल सकता, क्योंकि वह ऐसी शासन-व्यवस्थाओं के अनुरूप है, जहाँ **बहुमत का अधिक सुख अल्पसंख्यक के अधिकारों और हितों की उपेक्षा** से प्राप्त हो। यह धन और आय का अन्यायपूर्ण केंद्रीकरण भी पैदा करता है, जिससे कई नागरिक पदों और अवसरों के लिए निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के बुनियादी साधनों से वंचित रह जाते हैं। रॉल्स ने **सोवियत-शैली के साम्यवाद** को भी अन्यायपूर्ण माना, क्योंकि वह बुनियादी स्वतंत्रताओं से मेल नहीं खाता और सबको पदों के लिए निष्पक्ष, समान अवसर नहीं देता।

चिंतनशील संतुलन (Reflective Equilibrium): यह वह तरीका है जिसमें हम अपने सामान्य नैतिक सिद्धांतों (जैसे 'सबके साथ समान व्यवहार हो') और विशेष मामलों पर अपने निर्णयों (जैसे 'इस बेहद गरीब परिवार को अतिरिक्त सहायता मिलनी चाहिए') के बीच आगे-पीछे जाँच करते हैं — जहाँ दोनों में टकराव दिखे, वहाँ कभी सिद्धांत को और कभी निर्णय को सुधारते हैं, जब तक दोनों में संतुलन न बन जाए। इसमें नियम बाहर से थोपे नहीं जाते, बल्कि लोग स्वतंत्र इच्छा से, सोच-विचार करके किसी सहमति या मानक तक पहुँचते हैं। **अज्ञानता का पर्दा हितों के टकराव को भी मिटाता है** — जब नियम बनाने वाला यह न जाने कि उसकी अपनी स्थिति, परिवार या हित क्या होंगे, तो वह निजी हित के लिए नियम नहीं बना सकता। रॉल्स के कार्य को सामान्यतः **समतावादी उदारवाद** का दार्शनिक आधार माना जाता है, जो आधुनिक कल्याणकारी राज्य या बाज़ार-आधारित सामाजिक लोकतंत्र में अधूरे रूप में दिखता है।

9.2 न्याय के दो सिद्धांत (Two Principles of Justice)

सिद्धांत	अर्थ	प्रशासनिक उदाहरण
समान स्वतंत्रता का सिद्धांत (Principle of Equal Liberty)	हर व्यक्ति को मौलिक स्वतंत्रताओं (वाणी, धर्म, मताधिकार आदि) का समान अधिकार होना चाहिए।	संविधान के मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 14-32)।
अंतर सिद्धांत (Difference Principle)	सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ तभी उचित हैं जब वे समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग को सबसे ज़्यादा लाभ पहुँचाएँ।	आरक्षण नीति, EWS आरक्षण, प्रगतिशील कराधान (Progressive Taxation)।

रॉल्स — न्याय के दो सिद्धांत



चित्र 6.12: रॉल्स — न्याय के दो सिद्धांत

रॉल्स और भारत की सामाजिक न्याय-नीति: रॉल्स का अंतर-सिद्धांत भारत की आरक्षण-नीति और सकारात्मक कार्रवाई (Affirmative Action) को दार्शनिक आधार देता है — असमानता तभी नैतिक रूप से स्वीकार्य है, जब वह सबसे वंचित वर्ग के हित में हो।

अज्ञानता का पर्दा — नियम बनाने की कसौटी



चित्र 6.13: अज्ञानता का पर्दा — नियम बनाने की कसौटी

कहानी: "बाँध और बस्ती" — चार विचारकों की कसौटी पर एक निर्णय

उदयपुर संभाग में एक बड़ी पेयजल-सह-सिंचाई बाँध परियोजना प्रस्तावित थी, जिससे लगभग दो लाख लोगों को पेयजल और हज़ारों किसानों को सिंचाई मिलनी थी। पर इसके डूब क्षेत्र में सात आदिवासी गाँव आते थे — लगभग 1,400 परिवार, जिनमें से कई के पास ज़मीन के पक्के काग़ज़ भी नहीं थे। ज़िला कलेक्टर रोहित (काल्पनिक नाम) पर काम जल्दी शुरू करवाने का भारी दबाव था।

पहली कसौटी — बेन्थम: गणित स्पष्ट था — दो लाख का लाभ बनाम 1,400 परिवारों का कष्ट; उपयोगितावाद परियोजना के पक्ष में था। **दूसरी कसौटी — कांट:** पर क्या आदिवासी परिवारों को केवल "विकास का साधन" बनाया जा सकता है? कांट कहते — नहीं; मनुष्य हमेशा साध्य है। उनकी सहमति, गरिमा और अधिकारों की अनदेखी नहीं हो सकती। **तीसरी कसौटी — रॉल्स:** रोहित ने खुद से पूछा — "यदि मैं नहीं जानता कि मैं शहर का उपभोक्ता बनूँगा या डूब क्षेत्र का आदिवासी, तो मैं कौन-सा नियम चाहूँगा?" उत्तर था — परियोजना तभी, जब सबसे वंचित की स्थिति पहले से बेहतर हो। **चौथी कसौटी — लॉक:** सत्ता की वैधता जनता की सहमति से आती है; ग्राम सभाओं की सहमति के बिना यह प्रक्रिया अधूरी है।

रोहित ने अपनी रिपोर्ट में परियोजना रोकने की नहीं, बल्कि उसे न्यायपूर्ण बनाने की सिफ़ारिश की — हर परिवार का वन अधिकार अधिनियम के तहत दावा पहले निपटारा जाए, ताकि बिना काग़ज़ वाले भी मुआवज़े के पात्र बनें; ग्राम सभाओं में खुली सुनवाई हो; ज़मीन के बदले ज़मीन, और पुनर्वास-बस्ती में स्कूल, स्वास्थ्य-केंद्र और रोज़गार की व्यवस्था डूब से पहले तैयार हो; और जलाशय में मछली पालन का पहला अधिकार विस्थापित परिवारों की सहकारी समिति को मिले।

परियोजना छह महीने देर से शुरू हुई, पर एक भी अदालती रोक नहीं लगी और कोई हिंसक विरोध नहीं हुआ। तीन साल बाद पुनर्वास-बस्ती के एक युवक ने, जो मछली-सहकारी समिति का सचिव बना था, कहा — "हमारा गाँव डूबा, पर हमें डुबोया नहीं गया।"

इस कहानी से सीख: कोई एक नैतिक सिद्धांत पूरा उत्तर नहीं देता। उपयोगितावाद लाभ दिखाता है, कांट गरिमा की रक्षा करता है, रॉल्स सबसे वंचित को प्राथमिकता देता है और लॉक सहमति को वैधता का आधार बनाता है। एक अच्छा प्रशासक इन सबको मिलाकर ऐसा निर्णय लेता है, जो कुशल भी हो और न्यायपूर्ण भी।

9.3 डब्ल्यू.डी. रॉस (W.D. Ross, 1877-1971) — प्रथम-दृष्ट्या कर्तव्य

ब्रिटिश दार्शनिक डब्ल्यू.डी. रॉस ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'द राइट एंड द गुड' (The Right and the Good, 1930) में कांट के 'निरपेक्ष व कठोर' कर्तव्यवाद की एक व्यावहारिक-लचीली काट प्रस्तुत की — उनके अनुसार कोई भी कर्तव्य 'निरपेक्ष' (Absolute) नहीं, बल्कि 'प्रथम-दृष्ट्या' (Prima Facie) होता है, यानी सामान्यतः बाध्यकारी, पर परिस्थिति-विशेष में किसी अन्य, ज़्यादा भारी कर्तव्य के आगे झुक सकता है।

क्र.	प्रथम-दृष्ट्या कर्तव्य (Prima Facie Duty)
1	निष्ठा (Fidelity) — दिए गए वचन/समझौते का पालन करना।
2	क्षतिपूर्ति (Reparation) — पिछली गलतियों की भरपाई करना।
3	कृतज्ञता (Gratitude) — उपकार करने वालों के प्रति आभार व्यक्त करना।
4	न्याय (Justice) — निष्पक्ष व उचित वितरण सुनिश्चित करना।
5	उपकार (Beneficence) — दूसरों की भलाई करना।
6	आत्म-सुधार (Self-Improvement) — अपने ज्ञान व सद्गुण को बेहतर बनाना।
7	अहानि (Non-Maleficence) — किसी को नुकसान न पहुँचाना।

रॉस के प्रथम-दृष्ट्या कर्तव्य

प्रथम-दृष्ट्या कर्तव्य



चित्र 6.14: रॉस के प्रथम-दृष्ट्या कर्तव्य

रॉस के अनुसार जब दो प्रथम-दृष्ट्या कर्तव्यों में टकराव हो (जैसे किसी मित्र से किया वादा निभाना बनाम किसी ज़रूरतमंद की मदद करना), तो व्यक्ति को अपने नैतिक-विवेक (Moral Intuition) से यह तय करना पड़ता है कि उस विशेष परिस्थिति में कौन-सा कर्तव्य 'वास्तविक कर्तव्य' (Actual Duty/Duty Proper) बनकर सामने आता है। यह लचीलापन ही रॉस के सिद्धांत को प्रशासनिक निर्णय-प्रक्रिया के लिए बेहद व्यावहारिक बनाता है, जहाँ अधिकारियों को अक्सर परस्पर-विरोधी कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाना पड़ता है।

रॉस बनाम कांट: कांट कहते हैं "नियम कभी मत तोड़ो", जबकि रॉस कहते हैं "हर कर्तव्य सामान्यतः बाध्यकारी है, पर परिस्थिति के अनुसार विवेकपूर्ण संतुलन बनाओ" — इसीलिए प्रशासनिक दुविधाओं को सुलझाने में रॉस का सिद्धांत सबसे उपयोगी सिद्धांतों में से एक है।

कहानी: "सच या सांत्वना?" — दंगे की रात एक ज़िला मजिस्ट्रेट

एक ज़िले में त्योहार के जुलूस के दौरान दो समुदायों में झड़प हो गई। एक युवक गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल में था। रात दस बजे तक सोशल मीडिया पर अफ़वाह फैल गई कि उसकी मौत हो चुकी है, और दोनों ओर भीड़ जुटने लगी। ज़िला मजिस्ट्रेट **कविता** (काल्पनिक नाम) के एक सहयोगी ने सुझाव दिया — "मैडम, बयान जारी कर दीजिए कि युवक ख़तरे से बाहर है और घर लौट रहा है; भीड़ शांत हो जाएगी।" सच यह था कि युवक की हालत नाजुक थी।

कांट की कसौटी पर झूठ बोलना हमेशा गलत था — और अगर युवक की मृत्यु हो जाती, तो प्रशासन की हर बात पर से भरोसा हमेशा के लिए उठ जाता। **मिल** की कसौटी पर, यदि झूठ से दंगा रुकता और जानें बचतीं, तो वह उचित था। कविता ने **डब्ल्यू.डी. रॉस** के प्रथम-दृष्ट्या कर्तव्यों के बारे में सोचा — सत्य बोलने (निष्ठा) का कर्तव्य और हानि न होने देने (अहानिकरता) का कर्तव्य, दोनों सामने थे; प्रश्न था कि इस परिस्थिति में कौन-सा कर्तव्य भारी है, और क्या दोनों को साथ निभाने का कोई रास्ता है? और **मैक्स वेबर** का "उत्तरदायित्व का नीतिशास्त्र" कहता था — अपने निर्णय के अनुमानित परिणामों की ज़िम्मेदारी लो।

कविता ने झूठ नहीं बोला, पर अफ़वाह को भी नहीं बढ़ने दिया। उन्होंने स्वयं वीडियो-संदेश जारी किया — "युवक जीवित है और सबसे अच्छे डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं; उसकी हालत गंभीर है, हम सब उसके लिए प्रार्थना करें। मौत की ख़बर पूरी तरह झूठी है; अफ़वाह फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी।" अस्पताल के अधीक्षक का बयान और युवक के परिवार के एक बुजुर्ग की अपील भी साथ जारी हुई। दोनों समुदायों के धर्मगुरुओं को शांति-समिति में बुलाया गया, संवेदनशील इलाकों में बल तैनात हुआ और झूठी पोस्ट करने वाले खातों पर कार्रवाई शुरू हुई।

रात दो बजे तक भीड़ लौट गई। युवक की जान बच गई, और कुछ हफ़्तों बाद उसी शांति-समिति ने दोनों समुदायों का एक संयुक्त रक्तदान शिविर आयोजित किया। कविता ने बाद में प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा — "संकट में सच और शांति के बीच चुनना नहीं पड़ता; सच को संवेदनशीलता से कहना पड़ता है।"

🔑 **इस कहानी से सीख:** कांट का "कभी झूठ मत बोलो" और मिल का "परिणाम देखो" — दोनों अपने-अपने में अधूरे हैं। रॉस के प्रथम-दृष्ट्या कर्तव्य बताते हैं कि टकराते कर्तव्यों के बीच विवेक से संतुलन बनाना पड़ता है, और वेबर का उत्तरदायित्व का नीतिशास्त्र परिणामों की ज़िम्मेदारी लेना सिखाता है। सबसे अच्छा रास्ता अक्सर वह होता है, जो दोनों कर्तव्य साथ निभाए — सत्य भी, शांति भी।

10. विकासवादी नैतिकता, जी.ई. मूर एवं अन्य पाश्चात्य विचारक

10.1 विकासवादी नैतिकता (Evolutionist Ethics)

हर्बर्ट स्पेंसर (Herbert Spencer), लेस्ली स्टीफ़न (Leslie Stephen) व सैमुअल अलेक्ज़ेंडर (Samuel Alexander) जैसे विचारकों ने चार्ल्स डार्विन (1809–1882) की पुस्तक 'ऑन द ओरिजिन ऑफ़ स्पीशीज़' (On the Origin of Species, 1859) में दिए गए 'विकासवाद' (Evolution) के सिद्धांत को नैतिकता पर लागू किया — उनके अनुसार नैतिकता भी जैविक विकास की तरह ही धीरे-धीरे, समय के साथ, 'योग्यतम की उत्तरजीविता' (Survival of the Fittest — यह वाक्यांश स्वयं इंग्लैंड के दार्शनिक हर्बर्ट स्पेंसर ने गढ़ा था) के सिद्धांत के अनुरूप विकसित हुई है। जो नैतिक व्यवहार समाज के अस्तित्व व सहयोग के लिए ज़्यादा उपयोगी साबित हुए, वही समय के साथ स्थायी सामाजिक मूल्यों/नैतिक-मानकों के रूप में स्थापित हो गए।

◆ **आलोचना** — इस सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी यह मानी जाती है कि यह 'जो व्यवहार टिका रहा' (Is) और 'जो व्यवहार नैतिक रूप से सही है' (Ought) — इन दोनों को एक समान मान लेता है, जो जी.ई. मूर की 'नैसर्गिक भ्रांति' (देखें अगला उप-भाग) के दायरे में आ सकता है।

☀ प्रशासनिक/विधिक उदाहरण

दिसंबर 2023 में पारित 'निरसन और संशोधन अधिनियम, 2023' (Repealing and Amending Act, 2023) के माध्यम से भारत सरकार ने कई पुराने, अप्रचलित हो चुके कानूनों को निरस्त किया — यह दर्शाता है कि कानून/सामाजिक-नियम भी समय के साथ 'विकसित' होते रहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे विकासवादी नैतिकता का सिद्धांत बताता है।

10.2 जी.ई. मूर (G.E. Moore, 1873-1958)

आसान परिभाषा: नैसर्गिक भ्रांति (Naturalistic Fallacy)

परिभाषा: कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से जुड़े ब्रिटिश दार्शनिक जी.ई. मूर ने अपनी कृति 'प्रिंसिपिया एथिका' (Principia Ethica, 1903) में तर्क दिया कि 'अच्छाई' (Good) एक सरल, अपरिभाष्य (Non-natural, Indefinable) गुण है — इसे किसी भी प्राकृतिक/अनुभवजन्य गुण (जैसे 'सुखद', 'विकासशील', 'लोकप्रिय') के बराबर मान लेना एक तार्किक भूल है, जिसे उन्होंने 'नैसर्गिक भ्रांति' कहा।

आसान भाषा में: जैसे यह कहना गलत होगा कि 'मीठा होना' और 'अच्छा होना' बिल्कुल एक ही चीज़ है (क्योंकि कोई मीठी चीज़ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकती है) — ठीक वैसे ही मूर कहते हैं कि 'जो प्राकृतिक/लोकप्रिय है, वही नैतिक रूप से अच्छा है' मान लेना एक जैसी ही तार्किक भूल है। **उदाहरण:** यह सिद्धांत विकासवादी नैतिकता व उपयोगितावाद जैसे उन सभी सिद्धांतों की एक तीखी आलोचना है, जो 'अच्छाई' को किसी एक प्राकृतिक तथ्य (जैसे 'टिके रहना' या 'सुख देना') तक सीमित कर देते हैं — मूर के अनुसार 'अच्छाई' इससे कहीं ज़्यादा गहन व स्वतंत्र अवधारणा है।

मूर और एयर: मूर ने अपनी पुस्तक "प्रिंसिपिया एथिका" में कहा कि "शुभ" एक मूल गुण है, जैसे "पीला" रंग — इसे किसी और चीज़ में तोड़कर परिभाषित नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत **भावनावादी (Emotivist)** दार्शनिक **ए.जे. एयर (A.J. Ayer)** (1910–1989) — ब्रिटिश दार्शनिक, जिनकी पुस्तक 'लैंग्वेज, ट्रुथ एंड लॉजिक' (Language, Truth and Logic, 1936) प्रसिद्ध है — ने कहा कि नैतिक कथन तथ्यात्मक कथन हैं ही नहीं — "चोरी गलत है" कहना कोई तथ्य बताना नहीं, बल्कि केवल अस्वीकृति की भावना व्यक्त करना है, जैसे "चोरी — छी!"

10.3 मेटा-नीतिशास्त्र — नैतिक कथनों की प्रकृति पर विभिन्न मत

मेटा-नीतिशास्त्र (Meta-ethics) यह नहीं पूछता कि "क्या करना चाहिए", बल्कि यह पूछता है कि "नैतिक कथन क्या हैं — क्या वे सत्य या असत्य हो सकते हैं, और उनका स्रोत क्या है?" इस पर प्रमुख मत हैं:

मत	मूल विचार
नैतिक सापेक्षवाद (Relativism)	नैतिकता अपनी संस्कृति के मानदंडों के सापेक्ष है; एक ही कर्म एक समाज में सही और दूसरे में गलत हो सकता है; कोई सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत नहीं। यह सहिष्णुता को बढ़ावा देता है। प्रमुख प्रवक्ता — मानवविज्ञानी रूथ बेनेडिक्ट (अमेरिका, 1887–1948) ("जो सामान्य है, वही नैतिक है")।
नैतिक वस्तुनिष्ठतावाद (Objectivism)	सार्वभौमिक और वस्तुनिष्ठ रूप से मान्य नैतिक सिद्धांत हैं, जो न व्यक्ति के सापेक्ष हैं, न समाज के — रसायन या इतिहास के कथनों की तरह वे सत्य या असत्य होते हैं, चाहे कोई कुछ भी माने।
नैतिक निरपेक्षवाद (Absolutism)	कुछ नैतिक नियम हमेशा, हर स्थिति में और सब पर लागू होते हैं; उन्हें तोड़ने वाले कर्म परिस्थिति या परिणाम से परे, अपने आप में गलत हैं।
नैतिक यथार्थवाद (Realism)	ब्रह्मांड में वास्तविक, वस्तुनिष्ठ नैतिक तथ्य हैं; नैतिक कथन उन तथ्यों की जानकारी देते हैं।
व्यक्तिनिष्ठतावाद (Subjectivism)	नैतिक निर्णय केवल व्यक्ति की भावनाओं या दृष्टिकोण के कथन हैं; उनमें अच्छाई-बुराई के बारे में कोई तथ्य नहीं।
भावनावाद (Emotivism)	नैतिक कथन स्वीकृति या अस्वीकृति की अभिव्यक्ति मात्र हैं — वे भावना के बारे में जानकारी नहीं देते, बस भावना व्यक्त करते हैं (ए.जे. एयर)।
निर्देशवाद (Prescriptivism)	नैतिक कथन निर्देश या सिफ़ारिश हैं — "यह अच्छा है" का अर्थ है "ऐसा करो"।
अलौकिकतावाद (Supernaturalism)	नैतिकता धर्म से अविभाज्य है; नैतिक नियमों का एकमात्र स्रोत ईश्वर है।
अंतर्ज्ञानवाद (Intuitionism)	अच्छाई-बुराई वास्तविक वस्तुनिष्ठ गुण हैं, जिन्हें मनुष्य अपने नैतिक अंतर्ज्ञान से सीधे पहचानता है; बुनियादी नैतिक सत्य स्वयं-स्पष्ट हैं (जी.ई. मूर इसी परंपरा से जुड़े हैं)।

ह्यूम की "है-चाहिए" समस्या (Is-Ought Problem): स्कॉटिश दार्शनिक **डेविड ह्यूम (David Hume)** (1711–1776), जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक 'ए ट्रीटाइज़ ऑफ़ ह्यूमन नेचर' (A Treatise of Human Nature) है, ने बताया कि तथ्यात्मक कथनों ("क्या है" — राजनीतिक यथार्थ) से सीधे नैतिक कथन ("क्या होना चाहिए" — नैतिक आदर्श) नहीं निकाले जा सकते; दोनों के बीच एक खाई है। प्रशासन और राजनीति का काम इसी खाई को पाटना है — राजनीतिक साधनों से नैतिक लक्ष्यों तक पहुँचना। ऊपर दी गई विकासवादी नैतिकता की आलोचना भी इसी "है" और "चाहिए" के भ्रम पर आधारित है।

नीतिशास्त्र की तीन शाखाएँ



चित्र 6.15: नीतिशास्त्र की तीन शाखाएँ

10.4 अन्य पाश्चात्य विचारक — संक्षिप्त उल्लेख

विचारक	मुख्य नैतिक योगदान
अब्राहम लिंकन (Abraham Lincoln, 1809–1865; अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति)	"जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन" — लोकतांत्रिक जवाबदेही व समानता (दास-प्रथा की समाप्ति) के प्रबल पक्षधर।
नेल्सन मंडेला (Nelson Mandela, 1918–2013; दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति)	क्षमा, सुलह (Reconciliation) व शांतिपूर्ण वार्ता के माध्यम से रंगभेद (Apartheid) का अंत — 27 वर्ष जेल में रहकर भी बदले की भावना से मुक्त नेतृत्व की मिसाल।

नैसर्गिक भ्रांति को समझने का सरल तरीका: स्वयं से पूछिए — "क्या हर वह चीज़ जो प्राकृतिक या लोकप्रिय है, अपने आप नैतिक रूप से सही भी है?" उत्तर "नहीं" है — और यही मूर का पूरा तर्क है।

11. आधुनिक नैतिक दृष्टिकोण — अस्तित्ववाद, देखभाल का नीतिशास्त्र एवं नैतिक स्वार्थवाद

बीसवीं शताब्दी में नैतिक सिद्धांत और जटिल हुए। **डब्ल्यू.डी. रॉस** जैसे दार्शनिकों ने कहा कि नैतिक सिद्धांत यह नहीं बता सकते कि कोई कर्म पूर्णतः सही या गलत है, बल्कि केवल यह कि वह किसी कर्तव्य (परोपकार, निष्ठा, न्याय) के अनुसार सही होने की प्रवृत्ति रखता है। आधुनिक नैतिक दर्शन तेज़ी से **"अधिकार-आधारित नीतिशास्त्र"** की ओर बढ़ा है — मानवाधिकार, नागरिक-राजनीतिक अधिकार और सामाजिक-आर्थिक अधिकार। इसके उदाहरण हैं **संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणापत्र (1948)** और **कल्याणवाद (Welfarism)**, जिसके अनुसार लोगों का यह उचित दावा बनता है कि राज्य उन्हें सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोज़गार और आवास दे — यानी ये सुविधाएँ कृपा नहीं, बल्कि नागरिक का अधिकार मानी जाती हैं।

11.1 ज्यॉ-पॉल सार्त्र (Jean-Paul Sartre) — अस्तित्ववादी नीतिशास्त्र

बीसवीं सदी के प्रमुख फ्रांसीसी अस्तित्ववादी दार्शनिक **सार्त्र (1905–1980)** — जो 'बीइंग एंड नथिंगनेस' (Being and Nothingness, 1943) पुस्तक के लेखक थे और जिन्होंने 1964 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार लेने से मना कर दिया था — के अनुसार दर्शन का आरंभ-बिंदु **व्यक्ति और उसके अनुभव** होने चाहिए; पारंपरिक व्यवस्थित दर्शन ठोस मानवीय अनुभव से बहुत दूर और अमूर्त हैं। अस्तित्ववाद का केंद्रीय सूत्र है — **"अस्तित्व सार से पहले आता है"** (Existence precedes Essence) — यानी व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वह एक स्वतंत्र रूप से कर्म करने वाला, जिम्मेदार और सचेत प्राणी है, न कि वे लेबल, भूमिकाएँ या रूढ़ियाँ, जिनमें दूसरे उसे फिट करते हैं। मनुष्य अपनी चेतना से **स्वयं अपने मूल्य रचता है** और अपने जीवन का अर्थ तय करता है। इसे एक उदाहरण से समझें — कुर्सी बनने से पहले ही बढ़ई के मन में उसका उद्देश्य (सार) तय होता है, पर मनुष्य पहले जन्म लेता है (अस्तित्व) और फिर अपने चुनावों और कर्मों से तय करता है कि वह क्या बनेगा (सार)।

प्रामाणिकता का नीतिशास्त्र (Ethics of Authenticity): सार्त्र के अनुसार प्रामाणिकता के तीन स्तंभ हैं — **स्वतंत्रता, चुनाव और आत्म-प्रतिबद्धता**। प्रामाणिक कर्म वह है, जो व्यक्ति "स्वयं के रूप में" करता है — न कि "जैसा सब करते हैं" या "जैसा उसके जिन या पद कहते हैं"। सार्त्र मानते थे कि व्यक्ति पर ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि व्यक्ति ही समाज को प्रभावित करते हैं। **प्रशासनिक अर्थ:** "मैं तो बस आदेश मान रहा था" — यह बहाना अस्तित्ववाद में स्वीकार्य नहीं; हर अधिकारी अपने चुनाव के लिए स्वयं उत्तरदायी है। डेनिश दार्शनिक **सोरेन कीर्केगार्ड (Søren Kierkegaard) (1813–1855)** — जिन्हें अस्तित्ववाद का जनक माना जाता है — ने भी "अस्तित्वगत चुनाव" की पीड़ा पर ज़ोर दिया — सच्ची नैतिक दुविधा में व्यक्तिगत जिम्मेदारी से बचने का कोई रास्ता नहीं; व्यक्ति को नैतिक अनिश्चितता के बीच भी निर्णय की "छलाँग" लगानी पड़ती है।

11.2 कैरल गिलिगन (Carol Gilligan) — देखभाल का नीतिशास्त्र

नारीवादी नीतिशास्त्र पारंपरिक नीतिशास्त्र को नए सिरे से देखने का प्रयास है। सदियों से नैतिक चिंतक दो बड़े नैतिक आदर्शों की बात करते रहे — **"न्याय"** और **"प्रेम"**; पर धीरे-धीरे "प्रेम" की जगह "शुभ" और "उपयोगिता" जैसी अवधारणाओं ने ले ली। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक (जन्म 1936) **कैरल गिलिगन** ने अपनी पुस्तक **"इन ए डिफरेंट वॉइस" (1982)** में महिलाओं के देखभाल-केंद्रित व्यवहार पर ध्यान दिया और पारंपरिक, पुरुष-केंद्रित **"न्याय के नीतिशास्त्र"** के सामने **"देखभाल का नीतिशास्त्र" (Ethic of Care)** रखा।

गिलिगन के अनुसार **न्याय अवैयक्तिक** है — व्यक्तिगत अधिकार, क़ानून के सामने समानता, निष्पक्ष खेल — ये सब दूसरों से निजी जुड़ाव के बिना भी पाए जा सकते हैं। जबकि दूसरों के प्रति संवेदनशीलता, निष्ठा, ज़िम्मेदारी, आत्म-त्याग और शांति-स्थापना **पारस्परिक जुड़ाव** से आते हैं — **"देखभाल जुड़ाव से आती है।"** उन्होंने अपने ही गुरु, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत (जो बताता है कि मनुष्य की नैतिक सोच छह चरणों में विकसित होती है) की भी आलोचना की कि वह केवल न्याय-आधारित तर्क को "उच्च" नैतिकता मानता है और इसी कारण देखभाल-आधारित सोच वाली महिलाओं को नैतिक विकास में 'पिछड़ा' दिखा देता है।

न्याय का नीतिशास्त्र बनाम देखभाल का नीतिशास्त्र

न्याय (Justice)	बनाम	देखभाल (Care)
अधिकार, नियम, निष्पक्षता	केंद्र	संबंध, ज़िम्मेदारी, संवेदना
अवैयक्तिक, सार्वभौमिक	स्वरूप	व्यक्तिगत, संदर्भ-आधारित
क्या उचित है?	प्रश्न	किसे किस चीज़ की ज़रूरत है?
नियमों का समान पालन	प्रशासन में	कमज़ोर के प्रति करुणामय व्यवहार

चित्र 6.16: न्याय का नीतिशास्त्र बनाम देखभाल का नीतिशास्त्र

प्रशासनिक अर्थ: आदर्श प्रशासन में दोनों चाहिए — नियमों का निष्पक्ष, समान पालन (न्याय) और बुजुर्गों, दिव्यांगों, बच्चों तथा पीड़ितों के प्रति संवेदनशील, मानवीय व्यवहार (देखभाल)। जैसे किसी दुष्कर्म-पीड़िता का बयान लेते समय प्रक्रिया का कठोर पालन न्याय है, और महिला अधिकारी, निजता और परामर्श की व्यवस्था देखभाल।

11.3 नैतिक स्वार्थवाद — ऐन रैंड (Ayn Rand)

मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद (हॉब्स) एक तथ्यात्मक दावा है कि मनुष्य स्वभाव से अपनी इच्छाओं और हितों की पूर्ति चाहता है; जबकि **नैतिक स्वार्थवाद** एक मूल्य-कथन है कि व्यक्ति को अपने **तार्किक स्व-हित** का पालन करना चाहिए। बीसवीं सदी के अमेरिका में **ऐन रैंड (1905-1982)** — रूस में जन्मी अमेरिकी लेखिका-दार्शनिक, जो 'द फाउंटेनहेड' (The Fountainhead, 1943) और 'एटलस श्रग्ड' (Atlas Shrugged, 1957) जैसे उपन्यासों के लिए प्रसिद्ध हैं — नैतिक स्वार्थवाद की प्रबल समर्थक थीं — उनकी पुस्तक का नाम ही था **"द वर्चु ऑफ़ सेल्फिशनेस"** (स्वार्थ का सद्गुण, 1964)। उनके लिए स्वतंत्रता, व्यक्तिगत गरिमा, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और श्रम की गरिमा महत्वपूर्ण मूल्य थे। उनके अनुसार मनुष्य को केवल भोजन नहीं चाहिए, उसे उत्पादक कार्य करना है, सोचना है, ज्ञान खोजना है — इसलिए **तार्किक स्व-हित की खोज एक सद्गुण** है।

रैंड परार्थवादी नैतिकता की विरोधी थीं — उनके अनुसार परार्थवाद मनुष्य को दूसरों के लिए अपना हित बलिदान करने का आदेश देता है, जो संभव तो है पर वांछनीय नहीं; शुद्ध परार्थवाद मनुष्य को "बलि के पशु" की तरह देखता है, और हर तानाशाह परार्थवादी नैतिकता के नाम पर ही मानवाधिकारों और विचार-स्वातंत्र्य को दबाता है। रैंड के अनुसार दूसरों की मदद करने में कुछ गलत नहीं, पर यह **नैतिक कर्तव्य नहीं** — यह व्यक्ति के स्वतंत्र, तार्किक चुनाव का परिणाम होना चाहिए। **आलोचना:** यह विचार सामाजिक दायित्व, करुणा और कल्याणकारी राज्य की भारतीय और गांधीवादी अवधारणाओं से बिल्कुल विपरीत है, और असमानता को बढ़ा सकता है।

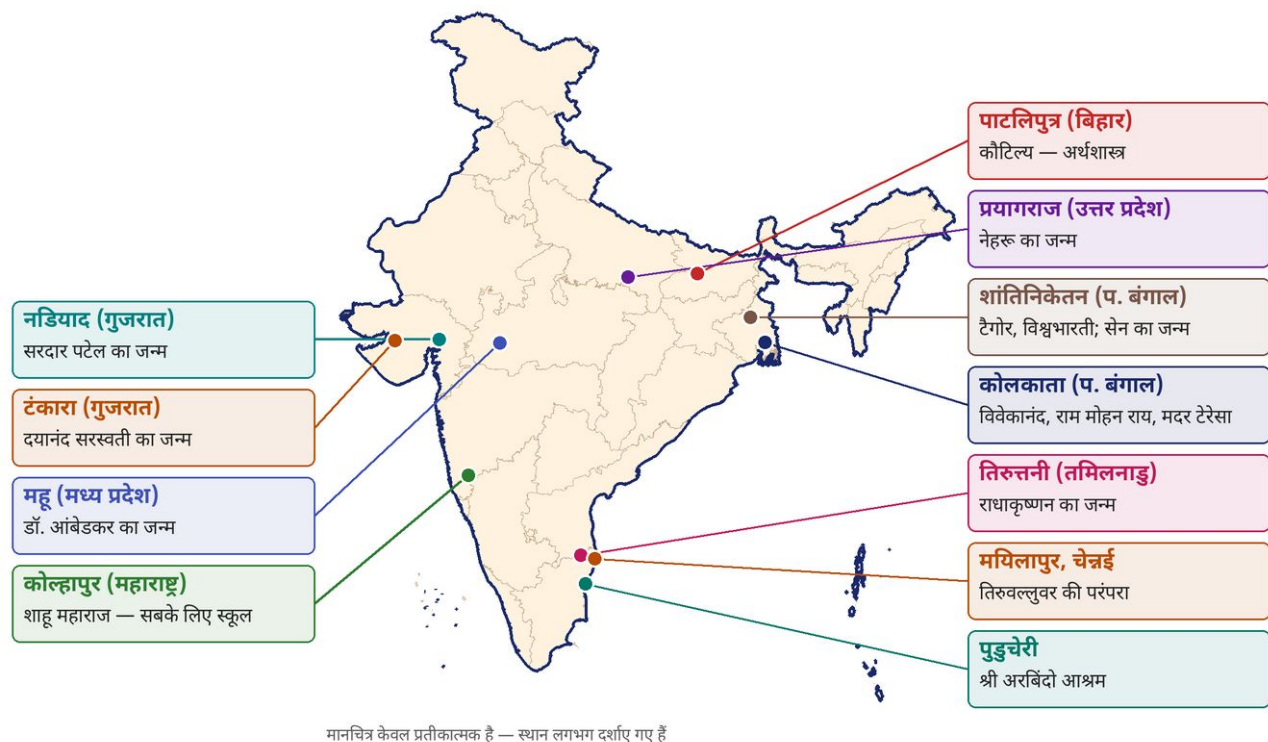
किसका हित? — स्वार्थवाद से परार्थवाद तक

मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद हॉब्स — मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी है	नैतिक स्वार्थवाद ऐन रैंड — तार्किक स्व-हित सद्गुण है	उपयोगितावाद बेन्थम, मिल — सबका अधिकतम सुख	परार्थवाद लोकसंग्रह, सेवा — दूसरों का हित
--	--	---	---

चित्र 6.17: किसका हित? — स्वार्थवाद से परार्थवाद तक

12. स्वामी विवेकानंद एवं रवींद्रनाथ टैगोर

भारत के नैतिक चिंतक — जन्म और कर्मभूमि



चित्र 6.18: भारत के नैतिक चिंतक — जन्म और कर्मभूमि

12.1 स्वामी विवेकानंद (1863-1902)

कोलकाता में जन्मे स्वामी विवेकानंद (मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त) संत रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे और उन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उन्होंने 1893 के शिकागो विश्व-धर्म सम्मेलन में भारतीय अध्यात्म को वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठित किया। उनकी नैतिक-दृष्टि 'व्यावहारिक वेदांत' (Practical Vedanta) पर आधारित थी — यानी वेदांत के गूढ़ दार्शनिक सिद्धांतों को रोजमर्रा के जीवन व समाज-सेवा में उतारना।

आसान परिभाषा: नव-वेदांत (Neo-Vedanta) — 'जीव ही शिव है'

परिभाषा: विवेकानंद ने वेदांत के 'सभी में एक ही ब्रह्म है' वाले सिद्धांत को इस रूप में ढाला कि हर जीवित प्राणी में ईश्वर का ही अंश है — इसलिए मानव-सेवा ही सच्ची ईश्वर-सेवा है, यही 'जीव ही शिव है' (Jiva is Shiva) का सार है।

आसान भाषा में: जैसे अगर हम मानें कि हर बच्चा हमारे अपने परिवार का ही हिस्सा है, तो हम स्वतः ही उसकी भलाई की परवाह करने लगेंगे — विवेकानंद कहते हैं कि हर मनुष्य में ईश्वर को देखने पर हम स्वतः ही निःस्वार्थ सेवा-भाव अपना लेते हैं। **उदाहरण:** रामकृष्ण मिशन द्वारा आपदा-राहत, शिक्षा व स्वास्थ्य-सेवा के क्षेत्र में किया गया कार्य — जहाँ हर ज़रूरतमंद में 'नारायण' (ईश्वर) का रूप देखकर सेवा की जाती है — यह 'जीव ही शिव है' के सिद्धांत का सबसे सटीक व्यावहारिक उदाहरण है।

विवेकानंद के अन्य प्रमुख विचार

- ◆ दरिद्र नारायण की सेवा — निर्धनों व वंचितों की सेवा को ही सबसे बड़ी पूजा माना (गांधीजी ने भी यही अवधारणा आगे अपनाई — देखें अध्याय 5)।
- ◆ निर्भयता (Fearlessness) — "उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए" — उनका मानना था कि निर्भयता ही सबसे बड़ा सद्गुण है, भय ही सभी पापों/कमज़ोरियों की जड़ है। एक ऐसा प्रशासक जो अनुचित दबाव के बावजूद निडरता से सही निर्णय लेने का साहस दिखाता है, वह इसी सिद्धांत का उदाहरण है।
- ◆ सार्वभौमिक भाईचारा (Universal Brotherhood) — सभी धर्मों को सत्य के अलग-अलग मार्ग मानते हुए धार्मिक सहिष्णुता व सद्भाव को बढ़ावा दिया।

व्यावहारिक वेदांत के पाँच घटक: (1) **सार्वभौमिकता** — वेदांत के सत्य पूरी मानवता पर लागू होते हैं; एक ही धारा हर मनुष्य में बहती है; (2) **अवैयक्तिकता** — वेदांत किसी व्यक्ति या अवतार पर नहीं, अपने शाश्वत सिद्धांतों पर टिका है; (3) **तार्किकता** — वेदांत आधुनिक विज्ञान की पद्धतियों और निष्कर्षों से पूरी तरह मेल खाता है; (4) **एकत्व** — ब्रह्मांड में एक ही आत्मा है और सभी प्राणी उसी एक सत्य के रूप हैं; इसी आध्यात्मिक एकत्व से सारी नैतिकता निकलती है — **हम दूसरे से प्रेम इसलिए करते हैं, क्योंकि उसमें स्वयं को देखते हैं;** और इसी को सामाजिक-राजनीतिक जीवन में लागू करने से लोकतंत्र, समाजवाद, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आध्यात्मिकरण होता है — यानी ये मूल्य केवल कानूनी

या राजनीतिक नियम नहीं रह जाते, बल्कि इस विश्वास पर टिक जाते हैं कि हर मनुष्य में एक ही दिव्यता है, इसलिए सबसे समान और भाईचारे का व्यवहार हमारा भीतरी कर्तव्य है; (5) **आशावाद** — वेदांत अडिग आशा सिखाता है, मनुष्य को बलवान और आत्मनिर्भर बनाता है।

विवेकानंद के अनुसार **मूल्य बाहर से थोपे नहीं जाते**, बल्कि हर आत्मा में निहित दिव्यता की अभिव्यक्ति हैं — करुणा, पवित्रता और शक्ति जैसे मूल्य अपने सच्चे, सार्वभौमिक स्वरूप को पहचानने से जन्म लेते हैं। उनके लिए सच्चा धर्म चरित्र-निर्माण और मानवता की सेवा में है।

विवेकानंद का व्यावहारिक वेदांत

व्यावहारिक वेदांत

सार्वभौमिकता

सब पर लागू

अवैयक्तिकता

सिद्धांत-आधारित

तार्किकता

विज्ञान से मेल

एकत्व

सबमें एक आत्मा

आशावाद

बल, आत्मनिर्भरता

चित्र 6.19: विवेकानंद का व्यावहारिक वेदांत

12.2 रवींद्रनाथ टैगोर (1861-1941)

कोलकाता में जन्मे गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर — कवि, दार्शनिक, शिक्षाविद् — अपनी काव्य-कृति 'गीतांजलि' के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई/भारतीय बने। भारत का राष्ट्रगान 'जन गण मन' भी उन्हीं की रचना है। उनकी नैतिक-दृष्टि मानवतावाद, रचनात्मक स्वतंत्रता व सार्वभौमिकता पर केंद्रित थी।

- ◆ मनुष्य में अतिरिक्त (Surplus in Man) — टैगोर के अनुसार मनुष्य केवल जैविक ज़रूरतों (भोजन, नींद) तक सीमित नहीं, बल्कि उसमें एक 'अतिरिक्त' रचनात्मक, सौंदर्यात्मक व आध्यात्मिक आयाम भी है, जो उसे बाकी प्राणियों से अलग करता है।
- ◆ शांतिनिकेतन व विश्व-भारती — प्रकृति की गोद में, रचनात्मकता व स्वतंत्र चिंतन पर आधारित शिक्षा का एक अनूठा प्रयोग, जो आज भी वैकल्पिक शिक्षा-मॉडलों के लिए प्रेरणास्रोत है।
- ◆ संकुचित राष्ट्रवाद का विरोध — टैगोर मानते थे कि अंधराष्ट्रवाद (Extreme Nationalism) मानवता की व्यापक भावना के लिए हानिकारक है (देखें अध्याय 5 — गांधी बनाम टैगोर तुलना)।

टैगोर — स्वतंत्रता और शिक्षा का दर्शन: टैगोर ने 1901 में शांतिनिकेतन में प्रायोगिक विद्यालय शुरू किया, जो 1921 में विश्वभारती विश्वविद्यालय बना। 1919 में जलियाँवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने अंग्रेजों की दी हुई "नाइटहुड" की उपाधि लौटा दी। उनके लिए **राजनीतिक स्वतंत्रता तभी सच्ची है, जब उसके साथ आध्यात्मिक स्वतंत्रता हो**; व्यक्ति की स्वतंत्रता और राष्ट्र की स्वतंत्रता एक-दूसरे के बिना अधूरी हैं। उन्होंने नरमपंथियों (जो अंग्रेजों से प्रार्थना और याचिका के रास्ते सुधार चाहते थे) और गरमपंथियों (जो बहिष्कार और उग्र आंदोलन के पक्ष में थे) — दोनों के रास्तों को सामाजिक-सांस्कृतिक विकास के लिए अपर्याप्त माना, क्योंकि उनके अनुसार राष्ट्र केवल राजनीतिक माँगों से नहीं, बल्कि गाँवों में शिक्षा, आत्मनिर्भरता और सामाजिक सुधार के रचनात्मक काम से सच में खड़ा होता है।

टैगोर की शिक्षा के लक्ष्य	अर्थ
आत्म-साक्षात्कार	व्यक्तित्व का विकास आत्म-बोध और आध्यात्मिक ज्ञान पर निर्भर है
बौद्धिक विकास	कल्पना, रचनात्मक स्वतंत्र चिंतन, जिज्ञासा; बच्चे को अपने ढंग से सीखने की स्वतंत्रता
शारीरिक विकास	योग, खेल — शिक्षा का अभिन्न अंग
मानवता से प्रेम	अंतरराष्ट्रीय समझ और विश्व-बंधुत्व की शिक्षा
स्वतंत्रता	शिक्षा थोपना नहीं, मनुष्य की भीतरी शक्ति को खोजने की उदार प्रक्रिया है
प्रकृति से संबंध	मनुष्य और प्रकृति के तालमेल से ही शांतिपूर्ण विश्व संभव
मातृभाषा	भाषा अभिव्यक्ति का सच्चा माध्यम है — शिक्षा मातृभाषा में
नैतिक-आध्यात्मिक विकास	किताबी ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण — निःस्वार्थता, सहयोग, साझेदारी

आध्यात्मिक मानववाद: टैगोर के लिए **मनुष्य स्वयं एक साध्य** है और ईश्वर मानवीय पूर्णता का प्रतीक है। उनका मानववाद संसार से विरक्ति और कठोर तप में नहीं, बल्कि संसार के सौंदर्य को अपनाने में विश्वास करता है; इसमें संकीर्ण, स्वार्थी व्यक्तिवाद का कोई स्थान नहीं — व्यक्ति की पूर्णता पूरे समाज के हित के लिए है। उन्होंने सुखवाद और उपयोगितावाद को भी अस्वीकार किया, क्योंकि उनके लिए जीवन का लक्ष्य सुख का हिसाब लगाना नहीं, बल्कि प्रेम, सृजन और आत्मा की पूर्णता था।

“ मैं सोया और सपना देखा कि जीवन आनंद है; मैं जागा और देखा कि जीवन सेवा है; मैंने सेवा की और पाया कि सेवा ही आनंद है। (I slept and dreamt that life was joy. I awoke and saw that life was service. I acted and behold, service was joy.) ” — रवींद्रनाथ टैगोर के नाम से प्रचलित (Rabindranath Tagore)

✶ प्रामाणिक कथन

"जहाँ मन बिना किसी भय के हो और सिर ऊँचा उठाकर चले... उस स्वतंत्रता के स्वर्ग में, हे मेरे पिता, मेरे देश को जगाओ" ('Where the mind is without fear and the head is held high...') — 'गीतांजलि' से टैगोर की यह प्रसिद्ध कविता एक ऐसे स्वतंत्र, निर्भय व

विवेकानंद और टैगोर का सूक्ष्म भेद: दोनों ही मानवतावाद की बात करते हैं, पर विवेकानंद का मार्ग सेवा और निर्भयता से होकर जाता है, जबकि टैगोर का मार्ग रचनात्मकता और स्वतंत्र चिंतन से।

13. श्री अरबिंदो, डॉ. राधाकृष्णन एवं अमर्त्य सेन

13.1 श्री अरबिंदो (1872-1950)

कोलकाता में जन्मे श्री अरबिंदो — जो पहले स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी नेता थे और अलीपुर बम कांड (1908) में जेल जाने के बाद योग-साधना की ओर मुड़े तथा 1910 से पुडुचेरी में रहे — ने 'समग्र योग' (Integral Yoga) व 'दिव्य जीवन' (उनकी प्रसिद्ध पुस्तक 'द लाइफ़ डिवाइन' का मुख्य विचार) जैसी अवधारणाओं के माध्यम से आध्यात्म व भौतिक जीवन के बीच के भेद को मिटाने का प्रयास किया।

◆ **दिव्य जीवन (The Life Divine)** — मनुष्य का लक्ष्य केवल मोक्ष पाकर संसार से पलायन करना नहीं, बल्कि इस धरती पर ही चेतना को उच्चतम (दिव्य) स्तर तक विकसित करना है।

◆ **साधनत्व (Instrumentality)** — मनुष्य को स्वयं को ईश्वरीय इच्छा (या उच्च उद्देश्य) का एक 'साधन/उपकरण' मानकर निःस्वार्थ भाव से कर्म करना चाहिए — यह गीता के निष्काम कर्म योग से मिलता-जुलता विचार है।

समग्र शिक्षा (Integral Education): श्री अरबिंदो ने ऐसी शिक्षा का समर्थन किया, जिसका लक्ष्य मनुष्य के पाँचों पक्षों — शारीरिक, प्राणिक (Vital), मानसिक, आत्मिक (Psychic) और आध्यात्मिक — का सामंजस्यपूर्ण विकास है। उनके अनुसार सच्ची शिक्षा "आत्मिक सत्ता" (Psychic Being) के विकास में मदद करती है, जो हमारे गहरे मूल्यों और अंतर्निहित अच्छाई का स्रोत है — और यही संपूर्ण चरित्र-निर्माण की ओर ले जाती है।

श्री अरबिंदो की समग्र शिक्षा — पाँच आयाम



चित्र 6.20: श्री अरबिंदो की समग्र शिक्षा — पाँच आयाम

13.2 डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन (1888-1975)

तमिलनाडु के तिरुत्तनी में जन्मे प्रख्यात दार्शनिक, भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति (1962-1967) डॉ. राधाकृष्णन ने 'इंडियन फ़िलॉसफ़ी' (Indian Philosophy) जैसी पुस्तकों के माध्यम से अद्वैत वेदांत (Advaita Vedanta) की आधुनिक, तर्कसंगत व्याख्या प्रस्तुत की और पूर्व-पश्चिम दार्शनिक संवाद के सबसे बड़े सेतु माने जाते हैं।

◆ **अंतर्ज्ञान बनाम बुद्धि (Intuition vs Intellect)** — राधाकृष्णन के अनुसार तार्किक बुद्धि (Intellect) सत्य को केवल आंशिक रूप से समझ सकती है, जबकि आध्यात्मिक अंतर्ज्ञान (Intuition) ही परम सत्य का प्रत्यक्ष व समग्र अनुभव करा सकता है।

◆ **शिक्षक-दिवस (5 सितंबर)** — उनके जन्मदिवस को पूरे भारत में शिक्षक-दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो शिक्षकों की समाज-निर्माण में भूमिका के प्रति उनकी गहरी आस्था को दर्शाता है।

शिक्षा और शिक्षक पर राधाकृष्णन: डॉ. राधाकृष्णन के अनुसार "शिक्षा केवल जीविका कमाने का साधन नहीं, बल्कि मूल्यों की सही पहचान के लिए मानव-आत्मा का प्रशिक्षण है।" वे ऐसी समग्र शिक्षा में विश्वास करते थे, जो आध्यात्मिक मूल्यों को जोड़े और आंतरिक सामंजस्य बढ़ाए। वे शिक्षक को नैतिक मार्गदर्शक और आदर्श मानते थे — शिक्षक को वही मूल्य स्वयं जीने चाहिए जो वह सिखाना चाहता है। उनका अपना जीवन प्रज्ञा, करुणा और समर्पण का उदाहरण था। इसी परंपरा में कोल्हापुर के छत्रपति शाहू महाराज (1874-1922) — कोल्हापुर रियासत के शासक, जिन्होंने 1902 में अपनी रियासत की सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए 50% आरक्षण दिया — ने सबके लिए, विशेषकर वंचितों के लिए स्कूल खोले, और डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम (भारत के 11वें राष्ट्रपति और 'मिसाइल मैन' के नाम से प्रसिद्ध वैज्ञानिक) ने कहा कि शिक्षक का लक्ष्य चरित्र-निर्माण होना चाहिए।

13.3 अमर्त्य सेन (जन्म 1933) — क्षमता उपागम

शांतिनिकेतन (पश्चिम बंगाल) में जन्मे अर्थशास्त्री-दार्शनिक अमर्त्य सेन 'डेवलपमेंट ऐज़ फ़्रीडम' (Development as Freedom, 1999) और 'द आइडिया ऑफ़ जस्टिस' (The Idea of Justice, 2009) जैसी पुस्तकों के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्हें 1998 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया — उन्होंने कल्याण-अर्थशास्त्र (Welfare Economics) व सामाजिक-चयन सिद्धांत (Social Choice Theory) में उपयोगितावाद व रॉल्स के सिद्धांत, दोनों की सीमाओं को उजागर करते हुए एक नया, ज़्यादा मानवीय दृष्टिकोण दिया।

आसान परिभाषा: क्षमता उपागम (Capability Approach)

परिभाषा: सेन के अनुसार विकास व कल्याण को केवल आय/संसाधनों (जैसे GDP) से नहीं मापा जाना चाहिए, बल्कि यह देखा जाना

चाहिए कि व्यक्ति के पास वास्तव में वह 'जीवन जीने की क्षमता व स्वतंत्रता' (Capability) है या नहीं, जिसे वह जीना चाहता है — जैसे शिक्षित होने, स्वस्थ रहने व सम्मानपूर्वक जीने की वास्तविक क्षमता।

💡 आसान भाषा में: जैसे दो लोगों के पास बराबर पैसा हो, पर अगर एक बीमार है और दूसरा स्वस्थ, तो असल 'भलाई' दोनों की एक-समान नहीं है — सिर्फ पैसा गिनने से यह भेद नहीं दिखता, इसीलिए सेन कहते हैं कि 'वास्तविक क्षमता व अवसर' को देखना ज़्यादा ज़रूरी है, न कि सिर्फ आय को। **🏠 उदाहरण:** मानव विकास सूचकांक (Human Development Index - HDI), सतत विकास लक्ष्य (SDGs), दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (RPWD Act) व आयुष्मान भारत जैसी योजनाएँ — सभी सेन के 'क्षमता उपागम' से प्रेरित होकर सिर्फ आय नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा व गरिमा-पूर्ण जीवन की वास्तविक क्षमता बढ़ाने पर केंद्रित हैं।

- ◆ उपयोगितावाद की आलोचना — सेन का तर्क है कि उपयोगितावाद केवल 'कुल सुख' गिनता है, यह नहीं देखता कि यह सुख कितने न्यायपूर्ण ढंग से बाँटा है।
- ◆ रॉल्स की आलोचना — सेन का तर्क है कि रॉल्स सिर्फ 'संसाधनों' (Primary Goods) के वितरण पर ध्यान देते हैं, पर यह नहीं देखते कि अलग-अलग व्यक्ति समान संसाधनों को असमान 'क्षमता' में बदल पाते हैं या नहीं (जैसे एक दिव्यांग व एक सामान्य व्यक्ति के लिए बराबर पैसा बराबर 'क्षमता' नहीं देता)।

सेन की विशिष्टता: उपयोगितावाद केवल "सुख" गिनता है और रॉल्स मुख्यतः "संसाधन"; सेन इन दोनों से आगे बढ़कर **वास्तविक मानवीय स्वतंत्रता और क्षमता** को केंद्र में रखते हैं।

14. दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय एवं डॉ. आंबेडकर

14.1 स्वामी दयानंद सरस्वती (1824-1883)

गुजरात के टंकारा में जन्मे स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज (स्थापना 1875) के संस्थापक थे और उनकी प्रसिद्ध पुस्तक 'सत्यार्थ प्रकाश' है। उन्होंने हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों (मूर्ति-पूजा, जाति-प्रथा की कठोरता, बाल-विवाह) के विरुद्ध सुधारवादी आंदोलन चलाया — उनका प्रसिद्ध नारा था 'वेदों की ओर लौटो' (Back to the Vedas), यानी मूल वैदिक शिक्षाओं की शुद्ध, तर्कसंगत पुनर्व्याख्या।

🔍 आसान परिभाषा: गुण-कर्म-स्वभाव आधारित वर्ण-व्यवस्था

📖 परिभाषा: दयानंद सरस्वती के अनुसार वर्ण (जाति) जन्म से नहीं, बल्कि व्यक्ति के गुण (योग्यता), कर्म (कार्य) व स्वभाव (प्रवृत्ति) से तय होना चाहिए — यह जन्म-आधारित कठोर जाति-व्यवस्था का सीधा खंडन था।

💡 आसान भाषा में: जैसे किसी स्कूल में बच्चों को उनकी रुचि व योग्यता देखकर अलग-अलग विषय चुनने दिए जाएँ, न कि उनके माता-पिता के पेशे के आधार पर पहले से तय कर दिया जाए — दयानंद जी का यही तर्क था कि समाज में भूमिका जन्म से नहीं, बल्कि योग्यता व कर्म से तय होनी चाहिए। **🏠 उदाहरण:** आधुनिक भारत में योग्यता-आधारित शिक्षा व रोज़गार प्रणाली (जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से चयन) दयानंद सरस्वती के 'गुण-कर्म-स्वभाव' सिद्धांत की ही आधुनिक अभिव्यक्ति मानी जा सकती है।

14.2 राजा राम मोहन राय (1772-1833) — भारतीय पुनर्जागरण के जनक

बंगाल के राधानगर में जन्मे राजा राम मोहन राय को 'भारतीय पुनर्जागरण का जनक' (Father of the Indian Renaissance) कहा जाता है; 'राजा' की उपाधि उन्हें मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने दी थी। उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की — जो एकेश्वरवाद, मूर्ति-पूजा-विरोध व तर्कसंगत धार्मिक सुधार पर आधारित था।

- ◆ सती प्रथा का उन्मूलन — उनके अथक प्रयासों से ही 1829 में 'सती निषेध विनियमन' (Bengal Sati Regulation, 1829) पारित हुआ, जिसने विधवाओं को जबरन सती होने से बचाने हेतु कानूनी आधार दिया।
- ◆ स्त्री-शिक्षा व विधवा-पुनर्विवाह के प्रबल समर्थक — महिलाओं की सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए निरंतर प्रयासरत रहे।
- ◆ प्रेस की स्वतंत्रता व आधुनिक शिक्षा (अंग्रेज़ी-पाश्चात्य शिक्षा सहित) के प्रबल पक्षधर।

राम मोहन राय — "आधुनिक भारत के निर्माता": उन्होंने **द्वारकानाथ टैगोर** (रवींद्रनाथ टैगोर के दादा और बंगाल के प्रसिद्ध उद्योगपति) जैसे प्रमुख बंगालियों के साथ मिलकर **ब्रह्म समाज** को आगे बढ़ाया, जिसने बंगाल के पुनर्जागरण की गति तय की। अठारहवीं सदी के अंत में बंगाल का समाज बाल-विवाह, बहुविवाह और सती जैसी कुरीतियों से ग्रस्त था। राम मोहन राय के प्रयासों और गवर्नर-जनरल **लॉर्ड विलियम बेंटिक** की सहानुभूति से, कट्टरपंथियों के भारी विरोध के बावजूद, **बंगाल सती विनियमन (विनियमन XVII, 1829)** पारित हुआ, जिसने सती प्रथा को दंडनीय अपराध बना दिया।

शिक्षा और धर्म-सुधार: उन्होंने गणित, भौतिकी, रसायन और वनस्पति-विज्ञान जैसे वैज्ञानिक विषयों वाली आधुनिक शिक्षा का समर्थन किया; **डेविड हेयर** (स्कॉटलैंड से कोलकाता आए घड़ीसाज़ और शिक्षा-प्रेमी) के साथ **हिंदू कॉलेज (1817)** की स्थापना के प्रयासों से जुड़े, और परंपरागत ज्ञान तथा आधुनिक तर्क को जोड़ने के लिए **एंग्लो-हिंदू स्कूल (1822)** और **वेदांत कॉलेज (1826)** की स्थापना की। उन्होंने पुरोहितों द्वारा प्रचारित अनावश्यक कर्मकांड और मूर्ति-पूजा का विरोध किया, विभिन्न धर्मों के ग्रंथों का अध्ययन किया और तर्क दिया कि उपनिषद् **एकेश्वरवाद** का समर्थन करते हैं।

14.3 डॉ. भीमराव आंबेडकर (1891-1956)

मध्य प्रदेश के महु में जन्मे डॉ. आंबेडकर — संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष और भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार — केवल एक विधिवेत्ता ही नहीं, बल्कि एक गहन सामाजिक-नैतिक दार्शनिक भी थे, जिनका पूरा जीवन जाति-आधारित भेदभाव के उन्मूलन को समर्पित था।

☀️ प्रामाणिक कथन — संविधान सभा में अंतिम भाषण (25 नवंबर 1949)

आंबेडकर ने चेतावनी दी कि स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व (Liberty, Equality, Fraternity) — इन तीनों में से किसी एक को भी दूसरे से अलग करके नहीं देखा जा सकता; यदि बंधुत्व (भाईचारा/Fraternity) के बिना केवल स्वतंत्रता व समानता को कानून के ज़रिए लागू किया जाए, तो वे मात्र ऊपरी परत (Veneer) बनकर रह जाएँगी और थोड़ी-सी भी परिस्थिति बदलने पर टूट सकती हैं।

- ◆ संविधानवाद को 'जीवन-पद्धति' मानना — आंबेडकर के अनुसार लोकतंत्र सिर्फ एक शासन-प्रणाली नहीं, बल्कि एक 'जीवन-शैली' (Way of Life) है, जिसका आधार सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र भी है, न कि केवल राजनीतिक लोकतंत्र।
- ◆ जाति-व्यवस्था का पूर्ण विरोध — अपनी कृति 'जाति का विनाश' (Annihilation of Caste) में उन्होंने तर्क दिया कि जाति-व्यवस्था को 'सुधारना' नहीं, बल्कि पूरी तरह समाप्त करना ही एकमात्र समाधान है (देखें अध्याय 5 — गांधी बनाम आंबेडकर तुलना)।
- ◆ 1956 में बौद्ध धर्म की दीक्षा — जाति-व्यवस्था को अस्वीकार करते हुए उन्होंने अपने लाखों अनुयायियों सहित बौद्ध धर्म अपनाया, जो समानता व करुणा पर आधारित था।

आंबेडकर का सामाजिक न्याय-दर्शन: आंबेडकर के अनुसार भारत में सामाजिक अन्याय की जड़ जाति-व्यवस्था थी, जिसने मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण का वातावरण बनाया; उनका मानना था कि जाति के उन्मूलन से सामाजिक न्याय स्थापित किए बिना भारत में लोकतंत्र संभव नहीं। उन्हें विश्वास था कि उच्च वर्ग स्वयं इस व्यवस्था को नहीं तोड़ेंगे, और पश्चिमी शैली के लोकतंत्र की संस्थाएँ भी उनके नियंत्रण में रहेंगी — इसलिए उन्होंने वंचितों के लिए **संवैधानिक सुरक्षा और सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं में सीधा प्रतिनिधित्व** माँगा। उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं — **"जाति का विनाश" (1936), "शूद्र कौन थे" (1946), "अछूत" (1948) और "बुद्ध और उनका धम्म" (1957, मरणोपरान्त प्रकाशित)**। उन्होंने मानवशास्त्रीय और नृवंशशास्त्रीय साक्ष्यों से यह भी तर्क दिया कि अस्पृश्यता का कोई नस्लीय या व्यावसायिक आधार नहीं था।

“ मैं किसी समुदाय की प्रगति को उस समुदाय की महिलाओं द्वारा की गई प्रगति की मात्रा से मापता हूँ। (I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved.) ” — डॉ. भीमराव आंबेडकर (Dr. B.R. Ambedkar)

तीनों समाज-सुधारकों का साझा सूत्र: तीनों ने धार्मिक-सामाजिक कुरीतियों को तर्क और नैतिकता की कसौटी पर परखा — दयानंद: वेदों की तर्कसंगत व्याख्या; राम मोहन राय: सती जैसी कुप्रथा का अंत; आंबेडकर: जाति-व्यवस्था का समूल नाश। यह सुधार-चिंतन का एक क्रमिक विकास दिखाता है।

15. अन्य भारतीय विचारक एवं तुलनात्मक विश्लेषण

15.1 अन्य महत्वपूर्ण भारतीय विचारक — संक्षिप्त सार

गांधीजी का विस्तृत नैतिक-दर्शन पिछले अध्याय (अध्याय 5) में पहले ही कवर किया जा चुका है — यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन के कुछ अन्य महत्वपूर्ण नैतिक-राजनीतिक विचारकों का संक्षिप्त सार दिया गया है।

विचारक	मुख्य नैतिक योगदान
सरदार वल्लभभाई पटेल	'लौह पुरुष' — प्रशासनिक अखंडता, दृढ़-निश्चय व राष्ट्रीय एकता (562 रियासतों का विलय) के प्रतीक; सिविल सेवा को 'भारत की स्टील फ्रेम' कहकर इसकी तटस्थता व निष्ठा पर बल दिया।
जवाहरलाल नेहरू	वैज्ञानिक दृष्टिकोण (Scientific Temper), पंथनिरपेक्षता (Secularism) व लोकतांत्रिक समाजवाद के प्रबल पक्षधर।
जयप्रकाश नारायण (JP)	'संपूर्ण क्रांति' (Total Revolution) का आह्वान — सत्ता के विकेंद्रीकरण व भ्रष्टाचार-विरोध पर बल, सर्वोदय आंदोलन से गहरा जुड़ाव।

15.2 जवाहरलाल नेहरू — लोकतांत्रिक समाजवाद, स्वतंत्रता और पंथनिरपेक्षता

लोकतांत्रिक समाजवाद: भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू (1889-1964) — जिनकी पुस्तक 'द डिस्कवरी ऑफ़ इंडिया' (The Discovery of India, 1946) प्रसिद्ध है — के अनुसार लोकतंत्र और समाजवाद एक और अविभाज्य हैं — सच्चे समाजवाद के बिना सच्चा लोकतंत्र नहीं, और सच्चे लोकतंत्र के बिना सच्चा समाजवाद नहीं। दोनों समानता, सामाजिक न्याय, सबके उचित हिस्से और धन तथा शक्ति के संतुलन को श्रमिकों और उनके परिवारों की ओर मोड़ने में मिलते हैं। **स्वतंत्रता:** उनके लिए स्वतंत्रता का अर्थ था — भाषण और अभिव्यक्ति, संगठन और रचनात्मकता की स्वतंत्रता; उन्होंने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता की एक समेकित अवधारणा दी। **पंथनिरपेक्षता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण:** नेहरू तर्कवादी थे, जो मानवीय मूल्यों को धार्मिक रूढ़ियों से ऊपर मानते थे; **वैज्ञानिक दृष्टिकोण (Scientific Temper)** पर उनका ज़ोर भारत में अंधविश्वास और धार्मिक रूढ़िवाद के विरुद्ध संघर्ष की शुरुआत था — यही बाद में अनुच्छेद 51(ज) का मौलिक कर्तव्य बना।

15.3 सरदार वल्लभभाई पटेल — "लौह पुरुष" का नैतिक-राजनीतिक दर्शन

31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद में जन्मे पटेल ने इंग्लैंड से कानून की पढ़ाई (1910-1913) पूरी की। अंग्रेज़ सरकार ने उन्हें कई आकर्षक पद देने चाहे, पर उन्होंने सब ठुकरा दिए। 1917 से 1950 तक वे भारतीय राजनीति के केंद्र में रहे; स्वतंत्रता के बाद गृह और रियासत विभाग संभालते हुए उन्होंने **विभाजन के बाद नौकरशाही का पुनर्गठन** किया और **रियासतों का एकीकरण** किया। वे मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे, शोषण, सत्ता की मनमानी और रियासतों के कुशासन के विरुद्ध आवाज़ उठाते थे; उन्होंने शराबबंदी, अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के

विरुद्ध तथा महिला-मुक्ति के लिए काम किया। उनका राजनीतिक मूल्य-तंत्र उदारवाद, रुढ़िवाद और कल्याणवाद का सुंदर संश्लेषण था — वे राष्ट्र को "संरचना में लोकतांत्रिक, नींव में राष्ट्रवादी और भावना तथा कार्य में कल्याणकारी" देखते थे।

☀ मदन टेरसा — "पूरे मन से और निःशुल्क सेवा" का चौथा व्रत

मदन टेरसा (1910–1997) — जो आज के उत्तर मैसोडोनिया के स्कोप्ये नगर में एक अल्बानियाई परिवार में जन्मी थीं और बाद में भारत की नागरिक बनीं — ने अपना जीवन दुनिया-भर के गरीबों और असहायों की सेवा को समर्पित किया। उन्होंने गरीबी, ब्रह्मचर्य और आज्ञाकारिता के तीन व्रतों के साथ एक चौथा व्रत भी लिया — "गरीबों की पूरे मन से और निःशुल्क सेवा।" 1950 में उन्होंने कोलकाता में 12 सदस्यों के साथ **मिशनरीज़ ऑफ़ चैरिटी** की स्थापना की; 1952 में **कालीघाट** में एक पुराने, खाली पड़े मंदिर-भवन में भारतीय अधिकारियों की मदद से असहाय और मरणासन्न लोगों के लिए "**निर्मल हृदय**" शुरू किया, जहाँ लोगों को अपनी आस्था के अनुसार सम्मान से अंतिम समय बिताने का अवसर मिला। 1955 में अनाथ बच्चों के लिए "**निर्मला शिशु भवन**" खुला।

उन्होंने कुछ रोग के प्रति जनता का डर दूर करने के लिए जागरूकता अभियान चलाए और घर-घर दवा पहुँचाने वाले चलते-फिरते कुछ-क्लिनिक शुरू किए। उनका विश्वास था कि **कोई पीछे न छोटे और हर व्यक्ति को यह महसूस हो कि वह चाहा और प्यार किया जाता है**। 1979 में उन्हें **नोबेल शांति पुरस्कार** और 1980 में **भारत रत्न** मिला; 2016 में रोमन कैथोलिक चर्च ने उन्हें "संत टेरसा" घोषित किया।

15.4 तुलनात्मक विश्लेषण — भारतीय बनाम पाश्चात्य नैतिकता

भारतीय नैतिक-दृष्टिकोण की विशेषताएँ	पाश्चात्य नैतिक-दृष्टिकोण की विशेषताएँ
◆ आध्यात्मिकता व कर्तव्य (धर्म) पर केंद्रित — व्यक्तिगत मोक्ष व सामाजिक कल्याण दोनों साथ-साथ।	◆ तर्क व तार्किक विश्लेषण (Rational Analysis) पर आधारित — व्यवस्थित सिद्धांत व वर्गीकरण।
◆ समग्रता (Holism) — व्यक्ति, समाज व प्रकृति को परस्पर-जुड़ा हुआ मानना (जैसे वसुधैव कुटुम्बकम्)।	◆ व्यक्तिवाद (Individualism) — व्यक्तिगत अधिकार व स्वतंत्रता पर विशेष बल।
◆ निष्काम कर्म — फल की चिंता किए बिना कर्तव्य-पालन पर बल (गीता का कर्मयोग)।	◆ परिणाम या नियम पर केंद्रित बहस — उपयोगितावाद बनाम कर्तव्यवाद जैसा स्पष्ट विभाजन।
◆ गुरु-शिष्य परंपरा — नैतिक शिक्षा मौखिक/अनुभव-आधारित परंपरा से हस्तांतरित।	◆ लिखित, व्यवस्थित ग्रंथों (जैसे निकोमेकियन एथिक्स) के माध्यम से सैद्धांतिक विकास।

15.5 भारतीय नीतिशास्त्र — विशेषताएँ और प्रमुख संप्रदाय

भारत में दर्शन को "**दर्शन**" कहा जाता है, जिसका अर्थ है "**देखना**" और देखने का साधन — भारतीय दर्शन परम सत्य के प्रत्यक्ष अनुभव की इच्छा से निकलता है, जबकि यूनानी शब्द "फ़िलॉसॉफी" का अर्थ है "**पज्ञा का प्रेम**"। पश्चिमी दर्शन में नीतिशास्त्र एक **बौद्धिक जाँच** है, जबकि भारतीय दृष्टि में यह **परम सत्य को पाने की जीवन-पद्धति** है। भारतीय दृष्टि में व्यक्ति का दायित्व केवल मानव-समाज तक सीमित नहीं, बल्कि **समस्त प्राणी-जगत तक फैला** है — "अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, और हर जीव तुम्हारा पड़ोसी है।"

भारतीय दर्शन के संप्रदाय



चित्र 6.21: भारतीय दर्शन के संप्रदाय

भारतीय नीतिशास्त्र की विशेषता	अर्थ
सबसे प्राचीन	सभ्यता के इतिहास का सबसे पुराना नैतिक दर्शन; इसी कारण अनुयायियों के व्यावहारिक जीवन में गहराई से रचा-बसा।
व्यावहारिक	केवल आदर्शों की चर्चा नहीं, उन तक पहुँचने का मार्ग भी — योग, जैन और बौद्ध अनुयायियों ने हज़ारों वर्ष तक आचरण-नियमों का पालन किया।
तत्त्वमीमांसीय आधार	सिद्धांत और व्यवहार का संश्लेषण; बौद्धिकता और नैतिकता आत्मा की उड़ान के दो पंख।
निरपेक्ष और आध्यात्मिक	सुख-दुःख, यहाँ तक कि सही-गलत से भी परे जाकर परम सत्य का साक्षात्कार; आध्यात्मिक अनुशासन से प्राप्य।

भारतीय नीतिशास्त्र की विशेषता	अर्थ
मानवतावादी	व्यक्ति के भीतरी-बाहरी और व्यक्तिगत-सामाजिक जीवन में संतुलन; व्यक्तिगत प्रगति और सामाजिक कल्याण साथ-साथ।
सर्व-जीव करुणा	अहिंसा, प्रेम और करुणा केवल मनुष्यों के लिए नहीं — पौधों, पक्षियों, पशुओं और हर जीव के लिए।
कर्म का नियम	हर अच्छा-बुरा कर्म अपना फल देता है — यह "नैतिक मूल्यों के संरक्षण का नियम" है; चार्वाक को छोड़कर सभी संप्रदाय इसे मानते हैं।

बौद्ध नीतिशास्त्र — पंचशील: बौद्ध नैतिकता करुणामय और मानवतावादी है। इसकी मूल संहिता **पाँच शील** हैं — जो आदेश नहीं, बल्कि स्वेच्छा से अपनाए जाने वाले **"प्रशिक्षण के सिद्धांत"** हैं। बौद्ध परंपरा कर्मों को "सही-गलत" के बजाय **"कुशल" या "अकुशल"** कहती है। हर शील का एक सकारात्मक रूप भी है: (1) प्राणियों को हानि न पहुँचाना — सकारात्मक रूप **प्रेम**; (2) जो दिया न गया हो उसे न लेना (शोषण, छल भी इसमें) — **उदारता**; (3) यौन दुराचार से बचना — **संतोष**; (4) असत्य वचन से बचना — **सत्यवादिता**; (5) मद्य और नशे से बचना — **सजगता (Mindfulness)**।

जैन नीतिशास्त्र: जैन नैतिकता का लक्ष्य व्यक्ति की **मुक्ति** है; इसका प्राथमिक उपदेश राजा और प्रजा दोनों के लिए है — **"अपना कर्तव्य करो, और उसे यथासंभव मानवीयता से करो।"** यह पाँच महाव्रतों — अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह — पर आधारित है, जिनका पालन **मन, वचन और शरीर** तीनों से होता है। जैन धर्म नैतिक आचरण के लिए ईश्वर के भय या आदेश का सहारा नहीं लेता; इसका पालन आत्म-मुक्ति के लिए है। **चार्वाक (लोकायत):** यह नास्तिकता, भौतिकवाद और सुखवाद का समर्थक भारत का अनूठा संप्रदाय है — इसके अनुसार केवल यही लोक है; यह धर्म और मोक्ष को पुरुषार्थ नहीं मानता, **काम** (इंद्रिय-सुख) को जीवन का प्राथमिक लक्ष्य और **अर्थ** को उसका साधन मानता है। चार्वाक की मूल रचनाएँ उपलब्ध नहीं; हम उन्हें दूसरे दार्शनिकों की आलोचनाओं से जानते हैं।

15.6 तुलनात्मक विश्लेषण — कर्तव्यवाद बनाम परिणामवाद (सार-संक्षेप)

आधार	कर्तव्यवाद (Deontology — कांट)	परिणामवाद (Consequentialism — बेन्थम/मिल)
नैतिकता की कसौटी	कार्य के पीछे की नीयत/नियम।	कार्य से उत्पन्न परिणाम।
लचीलापन	कम — नियम निरपेक्ष होते हैं।	अधिक — परिस्थिति अनुसार बदल सकता है।
मुख्य आलोचना	अत्यधिक कठोर, वास्तविक जीवन में कठिन।	अल्पसंख्यक/व्यक्ति के अधिकारों की अनदेखी संभव।
प्रशासनिक अनुप्रयोग	संवैधानिक शपथ, आचार-संहिता, नियम-पालन।	जन-कल्याण नीतियाँ, संसाधन-आवंटन।

भारतीय और पाश्चात्य नैतिकता परस्पर-विरोधी नहीं, बल्कि **एक-दूसरे की पूरक** हैं — जैसे गीता का निष्काम कर्मयोग कांट के "कर्तव्य के लिए कर्तव्य" से गहराई से मेल खाता है।

16. शासन और कर्तव्य के विचारक — ब्रैडले, वेबर, कौटिल्य एवं अन्य

कुछ ऐसे विचारक व अवधारणाएँ हैं, जो लोक प्रशासन की नैतिकता के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, पर पारंपरिक रूप से 'नैतिक विचारक' अध्याय में अक्सर छूट जाती हैं। इस अनुभाग में उन्हें विशेष रूप से जोड़ा गया है ताकि अध्याय पूर्ण (Complete) बने।

16.1 एफ.एच. ब्रैडले (F.H. Bradley, 1846-1924) — 'मेरा स्थान और तत्संबंधी कर्तव्य'

ऑक्सफ़ोर्ड विश्वविद्यालय से जुड़े ब्रिटिश आदर्शवादी (Idealist — यह मानने वाले कि व्यक्ति किसी बड़े 'संपूर्ण', जैसे समाज, का अंग है और उसी से अर्थ पाता है) दार्शनिक एफ.एच. ब्रैडले ने अपनी कृति 'एथिकल स्टडीज़' (Ethical Studies, 1876) में यह तर्क दिया कि कांट या बेन्थम जैसे विचारकों का 'अलग-थलग, अमूर्त व्यक्ति' (Abstract Individual) एक काल्पनिक धारणा है — असल में हर व्यक्ति का 'स्व' (Self) उसके सामाजिक संबंधों (परिवार, समुदाय, पद, पेशा) से ही बनता व परिभाषित होता है।

🔍 आसान परिभाषा: मेरा स्थान और तत्संबंधी कर्तव्य (My Station and Its Duties)

📘 **परिभाषा:** ब्रैडले के अनुसार नैतिकता कोई अमूर्त सार्वभौमिक नियम (कांट) या सुख का हिसाब-किताब (बेन्थम) नहीं, बल्कि समाज में व्यक्ति जिस 'पद/स्थान' (Station) पर है — जैसे पिता, नागरिक, अधिकारी — उससे जुड़े कर्तव्यों को निभाना ही सच्ची नैतिकता है। व्यक्ति व समाज कोई दो अलग-अलग चीज़ें नहीं, बल्कि एक ही 'सामाजिक जीव' (Social Organism) के अंग हैं।

💡 **आसान भाषा में:** जैसे शरीर का हर अंग (हाथ, पैर, हृदय) अपने-अपने निर्धारित कार्य को निभाकर ही पूरे शरीर को स्वस्थ रखता है, न कि यह सोचकर कि 'मैं शरीर से अलग होकर अपना अच्छा कैसे करूँ' — ठीक वैसे ही ब्रैडले कहते हैं कि हर व्यक्ति को समाज-रूपी शरीर में अपने 'पद' का कर्तव्य निभाना ही उसकी सच्ची नैतिकता है। 🏠 **उदाहरण:** एक सिविल सेवक के लिए इसका सीधा अर्थ है — उसका पहला नैतिक दायित्व वही है जो उसके 'पद' (जैसे उपखंड अधिकारी, कलेक्टर) से जुड़ा है; उसे अपने पद की सीमाओं व ज़िम्मेदारियों से बंधकर ही कार्य करना है, न कि पद से परे जाकर मनमाना निर्णय लेना।

ब्रैडले का यह विचार जर्मन दार्शनिक हीगल (Hegel, 1770-1831 — जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक 'फ़िलॉसफी ऑफ़ राइट' (Philosophy of Right, 1820) है) की अवधारणा 'सित्लिक्काइट' (Sittlichkeit — संस्थाओं/समाज में जीया गया व्यावहारिक नैतिक जीवन) से प्रभावित है, जिसे हीगल कांट की 'मोरालिटैट' (Moralität — अमूर्त, व्यक्तिगत नैतिकता) के विपरीत रखते थे। हालाँकि ब्रैडले स्वयं इसे अपना अंतिम निष्कर्ष

नहीं मानते थे — उनके लिए यह एक ज़रूरी पड़ाव था, आत्म-सिद्धि (Self-Realization) के व्यापक 'नैतिक आदर्श' (Moral Ideal) तक पहुँचने के रास्ते में।

- ◆ आलोचना 1 — यह सिद्धांत नैतिक सापेक्षवाद (Moral Relativism) की ओर ले जा सकता है — अगर समाज/पद ही नैतिकता तय करे, तो एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था (जैसे भ्रष्ट प्रशासनिक ढाँचा) में 'सुधार' या असहमति की गुंजाइश खत्म हो जाती है।
- ◆ आलोचना 2 — जब किसी व्यक्ति के दो 'पदों' के कर्तव्यों में टकराव हो (जैसे एक अधिकारी का 'नागरिक' के रूप में कर्तव्य बनाम 'अधिकारी' के रूप में कर्तव्य), तो यह सिद्धांत स्पष्ट मार्गदर्शन नहीं देता — यहाँ डब्ल्यू.डी. रॉस के 'प्रथम-दृष्ट्या कर्तव्य' सिद्धांत (देखें अनुभाग 9.3) की ज़रूरत पड़ती है।

"मेरा स्थान और तत्संबंधी कर्तव्य" — दो तुलनाएँ: (1) गीता के स्वधर्म (अपनी स्थिति के अनुरूप कर्तव्य) से समानता; (2) कांट के निरपेक्ष, सार्वभौमिक कर्तव्य से अंतर — ब्रैडले का कर्तव्य सापेक्ष और पद-आधारित है, कांट का निरपेक्ष और सार्वभौमिक।।

16.2 मैक्स वेबर (Max Weber, 1864-1920) — नौकरशाही एवं नैतिकता

जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर — जिनकी प्रसिद्ध रचनाएँ 'द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज़्म' (1905) और 'राजनीति एक व्यवसाय के रूप में' (Politics as a Vocation, 1919) हैं — को 'आधुनिक नौकरशाही सिद्धांत' (Bureaucracy Theory) का जनक माना जाता है — उन्होंने एक आदर्श नौकरशाही (Ideal Bureaucracy) की विशेषताएँ बताईं: पद-सोपान (Hierarchy), नियम-आधारित कार्य (Rule-based), अवैयक्तिकता (Impersonality) व योग्यता-आधारित नियुक्ति (Merit-based)।

आसान परिभाषा: उत्तरदायित्व का नीतिशास्त्र बनाम आस्था का नीतिशास्त्र (Ethic of Responsibility vs Ethic of Conviction)

■ **परिभाषा:** वेबर ने 1919 के अपने व्याख्यान 'राजनीति एक व्यवसाय के रूप में' में ये दो प्रकार बताए। उनके अनुसार एक लोक सेवक को अपने व्यक्तिगत नैतिक आदर्शों/आस्था (Ethic of Conviction — Gesinnungsethik) की जगह, अपने निर्णयों के वास्तविक/व्यावहारिक परिणामों के प्रति उत्तरदायित्व (Ethic of Responsibility — Verantwortungsethik) को प्राथमिकता देनी चाहिए।

💡 **आसान भाषा में:** जैसे एक डॉक्टर सिर्फ यह नहीं सोचता कि 'मेरी व्यक्तिगत मान्यता क्या कहती है', बल्कि यह सोचता है कि 'मेरे इस इलाज का मरीज़ पर वास्तव में क्या असर पड़ेगा' — वेबर कहते हैं कि लोक सेवकों को भी अपने निजी विश्वासों से ज़्यादा, निर्णय के व्यावहारिक परिणामों की ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। 🏠 **उदाहरण:** एक अधिकारी जो अपनी निजी विचारधारा या मान्यता के आधार पर नहीं, बल्कि नियम, प्रक्रिया व नीति के दीर्घकालिक व्यावहारिक परिणामों को ध्यान में रखकर निर्णय लेता है (जैसे किसी अलोकप्रिय पर आवश्यक विकास-परियोजना को मंजूरी देना), वह वेबर के 'उत्तरदायित्व का नीतिशास्त्र' का पालन करता है।

वेबर — आस्था बनाम उत्तरदायित्व का नीतिशास्त्र

आस्था (Conviction)	बनाम	उत्तरदायित्व (Responsibility)
क्या मेरा सिद्धांत सही है?	मूल प्रश्न	मेरे निर्णय का परिणाम क्या होगा?
नीयत की शुद्धता	केंद्र	परिणाम की ज़िम्मेदारी
हठधर्मिता	ख़तरा	सिद्धांतहीनता
मूल्य दिशा दें	लोक सेवक के लिए	निर्णय परिणाम देखकर लें

चित्र 6.22: वेबर — आस्था बनाम उत्तरदायित्व का नीतिशास्त्र

वेबर की नौकरशाही की आलोचना: अत्यधिक नियम-केंद्रित और अवैयक्तिक व्यवस्था कई बार संवेदनशीलता और लचीलेपन की कमी की ओर ले जाती है, जिसे लालफ़ीताशाही (Red-Tapism) कहा जाता है। इसलिए वेबर के गुण और सीमा, दोनों को साथ देखना ज़रूरी है।

16.3 कौटिल्य/चाणक्य — अर्थशास्त्र में राजधर्म एवं सप्तांग सिद्धांत

आचार्य कौटिल्य (चाणक्य, लगभग चौथी शताब्दी ईसा पूर्व) चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और मंत्री थे तथा राज्य-संचालन पर लिखे ग्रंथ 'अर्थशास्त्र' के रचयिता हैं। उनका 'दो दीपकों' (राजकीय तेल व निजी तेल कभी न मिलाना) वाला प्रोबिटी (Probity — ईमानदारी व सत्यनिष्ठा) प्रसंग इस श्रृंखला के पहले के एक अध्याय (निजी-सार्वजनिक संबंध व प्रोबिटी) में विस्तार से कवर हो चुका है — यहाँ उनके व्यापक राजनीतिक-नैतिक दर्शन को एक विचारक के रूप में संक्षेप में देखते हैं।

- ◆ सप्तांग सिद्धांत (Saptanga Theory) — राज्य के 7 अनिवार्य अंग: स्वामी (राजा), अमात्य (मंत्री), जनपद (क्षेत्र-प्रजा), दुर्ग (किला), कोष (खज़ाना), दंड (सेना/कानून-व्यवस्था) व मित्र (सहयोगी) — एक कल्याणकारी व स्थिर राज्य के लिए इन सातों अंगों का स्वस्थ रहना अनिवार्य है।
- ◆ राजधर्म (राजा का कर्तव्य) — "प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, प्रजा के हित में ही राजा का हित है" — यह विचार आधुनिक 'जन-केंद्रित शासन' (Citizen-Centric Governance) की नींव जैसा प्रतीत होता है।

◆ दंड-नीति (Theory of Punishment) — कौटिल्य के अनुसार राज्य में उचित दंड-व्यवस्था के बिना अराजकता (मात्स्य-न्याय — बड़ी मछली छोटी को खा जाए) फैल जाती है, इसलिए न्यायसंगत व निष्पक्ष दंड-व्यवस्था शासन की आधारशिला है।

राज्य की भूमिका और भ्रष्टाचार पर कौटिल्य: कौटिल्य के अनुसार राज्य के चार प्रमुख कार्य हैं — **सुरक्षा, क़ानून-व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक व्यवस्था की रक्षा और जनकल्याण**। अर्थशास्त्र में उन्होंने अनैतिक आचरण के परिणामों का कठोर विश्लेषण किया — उन्होंने राजकोष से "धन-हरण के चालीस तरीक़े" गिनाए और चेतावनी दी कि एक भ्रष्ट अधिकारी केवल धन नहीं चुराता, बल्कि "प्रजा के महत्वपूर्ण हितों को खा जाता है"; अनैतिक शासन का अंतिम परिणाम राज्य का पतन और विनाश है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि जो अधिकारी अपने संबंधियों का पक्ष लेते हैं या निजी संबंधों से प्रभावित होते हैं, वे राजकोष और न्याय-व्यवस्था के लिए ख़तरा हैं — इसलिए गुप्तचरों और कड़ी निगरानी की व्यवस्था का समर्थन किया। **प्रशासनिक अर्थ:** एक अधिकारी का अनैतिक कर्म केवल उसी तक सीमित नहीं रहता — यह पूरी सिविल सेवा, यानी "स्टील फ़्रेम" की छवि को धूमिल करता है और हज़ारों ईमानदार अधिकारियों का काम कठिन बना देता है।

आधार	कौटिल्य	प्लेटो	मैकियावेली
दृष्टि	यथार्थवाद	आदर्शवाद	यथार्थवाद
राज्य का केंद्र	सुशासन, योगक्षेम	सामान्य हित (Common Good)	सत्ता और स्थिरता
राजा कैसा हो	सद्गुणी, प्रशिक्षित	सद्गुणी दार्शनिक राजा	चतुर, आवश्यकता पर कठोर
व्यक्ति और राज्य की नैतिकता	अलग मानते थे	एक ही मानते थे — आत्मा और राज्य दोनों में न्याय का अर्थ एक-सा है	अलग मानते थे
युद्ध में छल और लचीलापन	समर्थक	न्याय को सर्वोपरि माना; केवल शासकों के "उदात्त झूठ" (Noble Lie) को समाज-हित में सीमित रूप से स्वीकार किया	समर्थक
प्रवृत्ति	राजनीति और राज्यकला पर अधिक	शुद्ध दार्शनिक	राजनीति पर केंद्रित

16.4 अन्य धार्मिक-आध्यात्मिक विचारक

विचारक	मुख्य नैतिक शिक्षा	प्रशासनिक प्रासंगिकता
गौतम बुद्ध (Buddha)	अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग (Middle Path), करुणा (Compassion)।	अति-कठोरता व अति-शिथिलता के बीच संतुलित प्रशासनिक निर्णय।
महावीर (Mahavir)	अहिंसा, अनेकांतवाद (बहु-दृष्टिकोण स्वीकृति), अपरिग्रह (अनावश्यक संग्रह से मुक्ति)।	नीति-निर्माण में विभिन्न पक्षों/दृष्टिकोणों को सुनने की क्षमता (अनेकांतवाद)।
गुरु नानक देव जी	समानता (सभी मनुष्य समान), सेवा (निःस्वार्थ सेवा), वंड छको (बाँटकर खाना)।	समावेशी शासन व सामुदायिक सेवा-भावना (जैसे लंगर व्यवस्था की भावना)।
तिरुवल्लुवर (Thiruvalluvar)	'तिरुक्कुरल' ग्रंथ — धर्म (सद्गुण), अर्थ (सम्पत्ति) व काम (प्रेम) पर तमिल नैतिक-काव्य।	शासक के गुण — न्यायप्रियता, करुणा व आत्म-अनुशासन पर बल।

16.5 शासन, अर्थव्यवस्था और समाज के आधुनिक चिंतक

लोक प्रशासन की नैतिकता को समझने में कई आधुनिक चिंतकों के विचार बहुत उपयोगी हैं। नीचे उनके मुख्य विचार और प्रशासनिक प्रासंगिकता दी गई है:

चिंतक	मुख्य विचार	प्रशासनिक प्रासंगिकता
जेम्स मैडिसन (James Madison, 1751–1836; अमेरिका के चौथे राष्ट्रपति)	अमेरिकी संविधान के प्रमुख निर्माता; सत्ता के केंद्रीकरण और दुरुपयोग को रोकने के लिए नियंत्रण और संतुलन — "महत्वाकांक्षा को महत्वाकांक्षा से संतुलित करो।"	क्षैतिज जवाबदेही — न्यायपालिका, संसद, कार्यपालिका का परस्पर नियंत्रण
मॉन्टेस्क्यू (Montesquieu, 1689–1755; फ्रांस; 'द स्पिरिट ऑफ़ लॉज़', 1748)	शक्ति-पृथक्करण का सिद्धांत; राजनीतिक संरचना के साथ "क़ानूनों की आत्मा" भी शासन को आकार देती है।	संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता
तिरुवल्लुवर (Thiruvalluvar)	तिरुक्कुरल — शासक की नैतिक शुद्धता और प्रभावी शासन का अटूट संबंध; न्याय, करुणा, सत्यनिष्ठा से ही राज्य की समृद्धि।	नैतिक नेतृत्व
कार्ल पॉपर (Karl Popper, 1902–1994; ऑस्ट्रिया में जन्मे ब्रिटिश दार्शनिक; 'द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज़',	"खुला समाज" — बंद, सर्वसत्तावादी व्यवस्थाओं के विपरीत; स्वतंत्र समाज पारदर्शिता, निरंतर जाँच और सूचना के मुक्त प्रवाह पर पनपता है।	पारदर्शिता, सूचना का अधिकार

चिंतक	मुख्य विचार	प्रशासनिक प्रासंगिकता
1945)		
एमिल दुर्खीम (Émile Durkheim, 1858–1917; फ्रांसीसी समाजशास्त्री)	"सामूहिक चेतना" — समाज अपनी संस्थाओं (धर्म, शिक्षा) के माध्यम से व्यक्ति में नैतिक नियम आत्मसात कराता है, जिससे सामाजिक एकता बनती है।	संस्थाओं द्वारा मूल्य-निर्माण
एडम स्मिथ (Adam Smith, 1723–1790; स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री, 'अर्थशास्त्र के जनक')	"वेल्थ ऑफ़ नेशंस" (1776) में "अदृश्य हाथ" — स्व-हित का पीछा अनजाने में समाज को लाभ देता है; पर "थ्योरी ऑफ़ मॉरल सेंटिमेंट्स" (1759) में कहा कि बाज़ार भरोसे और न्याय जैसे नैतिक गुणों पर टिका है।	बाज़ार और नैतिकता का संतुलन
मिल्टन फ्रीडमैन (1912–2006, अमेरिकी अर्थशास्त्री) बनाम आर. एडवर्ड फ्रीमैन (अमेरिकी प्रबंधन-विचारक)	फ्रीडमैन — "व्यवसाय का सामाजिक दायित्व केवल लाभ बढ़ाना है" (शेयरधारक-प्रधानता); फ्रीमैन — हितधारक सिद्धांत : कंपनी की सफलता कर्मचारियों, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, समुदाय और पर्यावरण — सबके हितों के प्रबंधन पर निर्भर।	कॉर्पोरेट शासन, CSR
पीटर ड्रुकर (Peter Drucker, 1909–2005; 'आधुनिक प्रबंधन के जनक')	"प्रबंधन मनुष्यों के बारे में है" — प्रभावी लोक प्रशासन को अंततः मानवीय ज़रूरतें पूरी करनी चाहिए।	जन-केंद्रित प्रशासन
हान्स मॉर्गेन्थाऊ (Hans Morgenthau, 1904–1980; जर्मन-अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय संबंध विशेषज्ञ)	राजनीतिक यथार्थवाद — "राजनेता शक्ति के रूप में परिभाषित हित के अनुसार सोचते और कार्य करते हैं।"	अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता बनाम राष्ट्रहित
ह्यूगो ग्रीशियस (Hugo Grotius, 1583–1645; नीदरलैंड; 'अंतरराष्ट्रीय क़ानून के जनक')	जो स्वयं पर शासन नहीं कर सकता, वह परिवार, नगर या राष्ट्र पर शासन नहीं कर सकता; और स्वयं पर शासन तभी, जब वासनाएँ तर्क के अधीन हों।	आत्म-संयम ही नेतृत्व की नींव
मैरी पार्कर फ़ॉलेट (Mary Parker Follett, 1868–1933; अमेरिकी प्रबंधन-चिंतक)	"शक्ति-के-साथ" (सहयोगी शक्ति) बनाम "शक्ति-के-ऊपर" (दमनकारी शक्ति)।	सहभागी प्रशासन, टीम-भावना
डेसमंड टूटू (Desmond Tutu, 1931–2021; दक्षिण अफ़्रीकी आर्चबिशप, नोबेल शांति 1984)	दक्षिण अफ़्रीका के "सत्य और सुलह आयोग" के माध्यम से सार्वजनिक जीवन में समानुभूति और क्षमा की शक्ति दिखाई।	संघर्ष-समाधान, सुलह
डेनियल काह्नेमन (Daniel Kahneman, 1934–2024; इज़राइली-अमेरिकी मनोवैज्ञानिक)	अमोस ट्वर्स्की के साथ दिखाया कि संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों के कारण मानवीय निर्णय अक्सर तर्कहीन होते हैं (काह्नेमन — अर्थशास्त्र नोबेल, 2002)।	निर्णय में पूर्वाग्रह की जाँच
डगलस मैकग्रेगर (Douglas McGregor, 1906–1964; अमेरिकी प्रबंधन-विचारक)	थ्योरी X (कर्मचारी आलसी हैं, कड़ा नियंत्रण चाहिए) बनाम थ्योरी Y (कर्मचारी प्रेरित हैं, ज़िम्मेदारी चाहते हैं)।	कार्य-संस्कृति और नेतृत्व-शैली

आधुनिक शासन-चिंतन — छह सूत्र



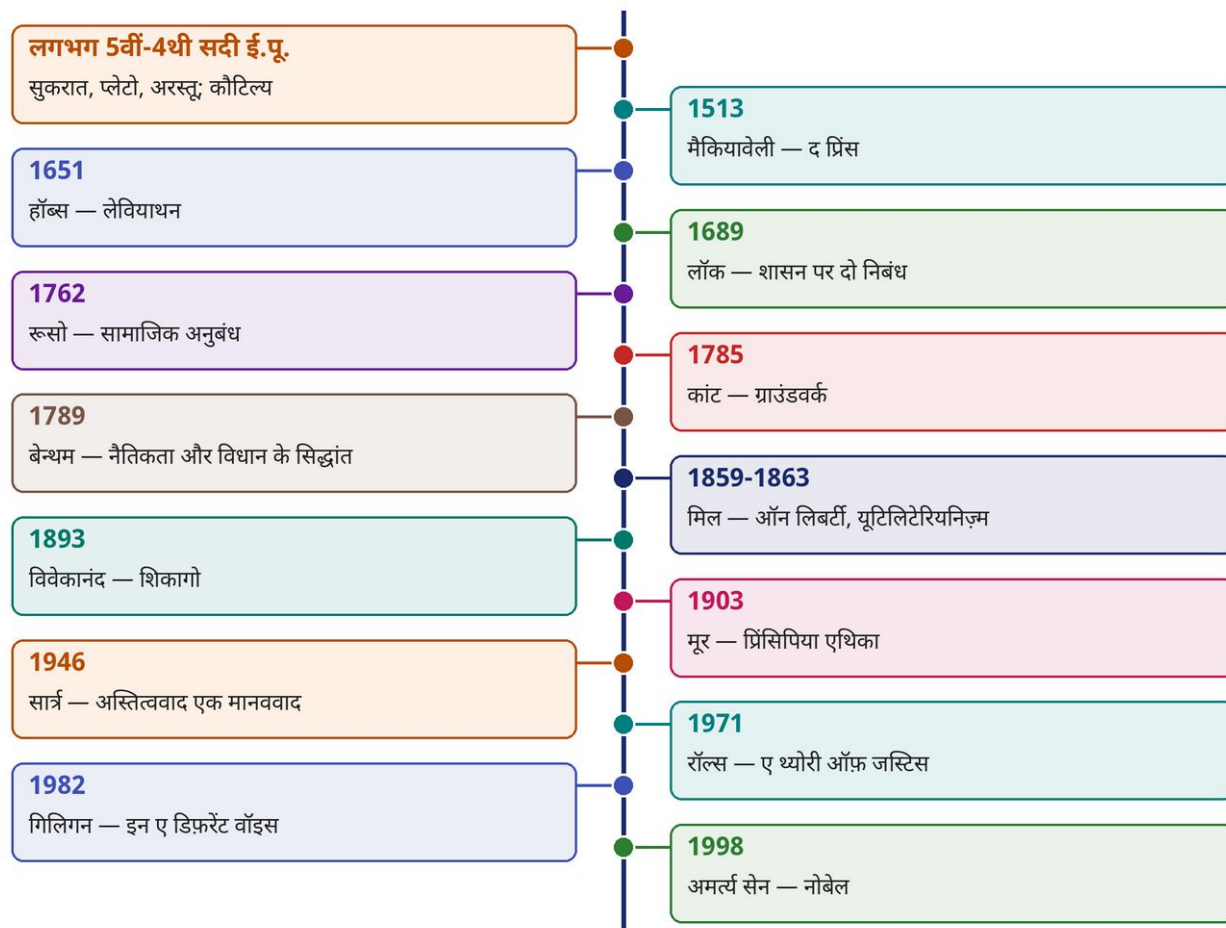
चित्र 6.23: आधुनिक शासन-चिंतन — छह सूत्र

उद्धरणों से जुड़े कुछ और नाम: पॉटर स्टीवर्ट (अमेरिकी न्यायाधीश — अश्लीलता पर "मैं इसे देखते ही पहचान लूँगा" कथन), दलाई लामा (सार्वभौमिक करुणा — "दूसरों के व्यवहार को अपनी भीतरी शांति नष्ट मत करने दो"), कार्ल वॉन क्लॉज़विट्ज़ (प्रशा के सैन्य-विचारक, 1780–1831, पुस्तक 'ऑन वॉर' — "युद्ध अन्य साधनों द्वारा राजनीति का ही विस्तार है"), नेपोलियन बोनापार्ट और वॉरेन बफ़ेट (नेतृत्व और निर्णय-क्षमता संबंधी कथन) — इनके कथनों को उनके नाम के साथ पहचानना उपयोगी है।

17. नैतिक विचारकों की ऐतिहासिक यात्रा — कालक्रम

वर्ष / संदर्भ	विषय / घटना
551 ईसा पूर्व	कन्फ्यूशियस (Confucius) का जन्म — चीन में सामंजस्य-आधारित नैतिकता की नींव।
469 ईसा पूर्व	सुकरात (Socrates) का जन्म — पश्चिमी नैतिक दर्शन का प्रारंभ।
427 ईसा पूर्व	प्लेटो (Plato) का जन्म — बाद में 'अकादमी' की स्थापना व 'रिपब्लिक' की रचना।
399 ईसा पूर्व	सुकरात को मृत्युदंड — विष का प्याला पीकर नियम-निष्ठा का ऐतिहासिक उदाहरण प्रस्तुत किया।
384 ईसा पूर्व	अरस्तू (Aristotle) का जन्म — बाद में 'निकोमेकियन एथिक्स' की रचना, नीतिशास्त्र के जनक।
लगभग 300 ईसा पूर्व	एपिक्युरस (सुखवाद) व ज़ेनो (स्टोइसिज़्म) द्वारा क्रमशः एपिक्युरवाद व स्टोइसिज़्म की स्थापना।
1724	इमैनुएल कांट (Immanuel Kant) का जन्म — बाद में कर्तव्यवाद/निरपेक्ष आज्ञा के सिद्धांत का प्रतिपादन।
1748	जेरेमी बेन्थम (Jeremy Bentham) का जन्म — उपयोगितावाद के जनक।
1770	जर्मन दार्शनिक हीगल (Hegel) का जन्म — 'सित्लिष्काइट' (Sittlichkeit) की अवधारणा, जो आगे चलकर ब्रैडले को प्रभावित करती है।
1772	राजा राम मोहन राय का जन्म — भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत।
1806	जॉन स्टुअर्ट मिल (J.S. Mill) का जन्म — गुणात्मक उपयोगितावाद के प्रतिपादक।
1824	स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म — 'वेदों की ओर लौटो' के प्रणेता।
1828	राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना।
1829	सती प्रथा निषेध विनियमन (Bengal Sati Regulation) पारित।
1846	एफ.एच. ब्रैडले (F.H. Bradley) का जन्म — 'मेरा स्थान और तत्संबंधी कर्तव्य' सिद्धांत के प्रतिपादक।
1861	रवींद्रनाथ टैगोर का जन्म।
1863	स्वामी विवेकानंद का जन्म।
1864	मैक्स वेबर (Max Weber) का जन्म — आधुनिक नौकरशाही सिद्धांत के जनक।
1872	श्री अरबिंदो का जन्म।
1873	जी.ई. मूर (G.E. Moore) का जन्म — 'नैसर्गिक भ्रांति' के प्रतिपादक।
1875	आर्य समाज की स्थापना — स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा।
1876	एफ.एच. ब्रैडले की कृति 'एथिकल स्टडीज़' (Ethical Studies) प्रकाशित।
1877	डब्ल्यू.डी. रॉस (W.D. Ross) का जन्म — प्रथम-दृष्ट्या कर्तव्य सिद्धांत के प्रतिपादक।
1888	डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म।
1891	डॉ. भीमराव आंबेडकर का जन्म।
1893	स्वामी विवेकानंद का शिकागो विश्व-धर्म सम्मेलन में ऐतिहासिक संबोधन।
1913	रवींद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार — यह सम्मान पाने वाले प्रथम एशियाई।
1921	जॉन रॉल्स (John Rawls) का जन्म — न्याय को 'निष्पक्षता के रूप में' परिभाषित करने वाले दार्शनिक।
1924	एफ.एच. ब्रैडले का निधन।
1933	अमर्त्य सेन का जन्म — आगे चलकर 'क्षमता उपागम' (Capability Approach) के प्रतिपादक बने।
25 नवंबर 1949	डॉ. आंबेडकर का संविधान सभा में ऐतिहासिक भाषण — स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व की अन्योन्याश्रितता पर बल।
1956	डॉ. आंबेडकर द्वारा लाखों अनुयायियों सहित बौद्ध धर्म की दीक्षा।
1958	जी.ई. मूर का निधन।
1971	जॉन रॉल्स की कृति 'ए थ्योरी ऑफ जस्टिस' प्रकाशित; इसी वर्ष डब्ल्यू.डी. रॉस का निधन।
1998	अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार — 'क्षमता उपागम' व कल्याण-अर्थशास्त्र में योगदान हेतु।

नैतिक चिंतन — ढाई हज़ार वर्षों की यात्रा



चित्र 6.24: नैतिक चिंतन — ढाई हज़ार वर्षों की यात्रा

☀ अध्याय का सार — एक पंक्ति में

सुकरात से लेकर अमर्त्य सेन व मैक्स वेबर तक — चाहे सद्गुण नैतिकता हो, परिणामवाद हो, कर्तव्यवाद हो, पद-आधारित कर्तव्य हो, या भारत के आध्यात्मिक-सुधारवादी विचारक — हर नैतिक चिंतक का मूल संदेश एक ही रहा है: सही कार्य वह है जो बाहरी दबाव, लाभ या भय से नहीं, बल्कि आंतरिक विवेक, करुणा व कर्तव्य-भावना से प्रेरित हो; प्रशासन में यही समझ किसी भी अधिकारी को दबाव में भी निष्पक्ष व नैतिक बने रहने की शक्ति देती है।

बोनस: उत्तर-लेखन अभ्यास (मॉडल प्रश्न और उत्तर)

प्रश्न 1: "परिणामवाद (उपयोगितावाद) और कर्तव्यवाद (कांट) — दोनों में से कौन-सा दृष्टिकोण एक लोक सेवक के लिए ज़्यादा उपयुक्त मार्गदर्शक है?" विवेचना कीजिए।

उत्तर: दोनों सिद्धांत नैतिक निर्णय-प्रक्रिया के दो अलग-अलग पर पूरक स्तंभ प्रस्तुत करते हैं, और एक आदर्श लोक सेवक को दोनों का संतुलित उपयोग करना चाहिए।

◆ **उपयोगितावाद का महत्व:** नीति-निर्माण के स्तर पर — जैसे किसी योजना का बजट सीमित संसाधनों में अधिकतम लोगों तक कैसे पहुँचे (PDS, DBT) — यहाँ 'अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण' सोचना व्यावहारिक व आवश्यक है।

◆ **कर्तव्यवाद का महत्व:** व्यक्तिगत आचरण के स्तर पर — जैसे रिश्तत लेना या तथ्य छुपाना — यहाँ 'परिणाम चाहे जो भी हो, यह कार्य नियम-विरुद्ध है' सोचना ज़रूरी है, क्योंकि उपयोगितावादी सोच से कई बार गलत कार्यों को भी 'बड़े भले' के नाम पर उचित ठहराया जा सकता है।

◆ **संतुलित दृष्टिकोण:** डब्ल्यू.डी. रॉस का 'प्रथम-दृष्ट्या कर्तव्य' सिद्धांत यहाँ सबसे व्यावहारिक समाधान देता है — सामान्यतः नियमों (कर्तव्यवाद) का पालन हो, पर असाधारण परिस्थिति में परिणाम (उपयोगितावाद) को भी विवेकपूर्ण ढंग से तौला जाए।

निष्कर्ष: एक परिपक्व लोक सेवक वह है जो नीति-स्तर पर उपयोगितावादी सोच अपनाए, पर व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा व आचार-संहिता के मामलों में कांट के कर्तव्यवाद जितना ही दृढ़ रहे — यही संतुलन 'दक्षता' और 'सत्यनिष्ठा' दोनों सुनिश्चित करता है।

प्रश्न 2: 'मेरा स्थान और तत्संबंधी कर्तव्य' (My Station and Its Duties) की अवधारणा की व्याख्या करते हुए बताएँ कि यह एक आधुनिक सिविल सेवक के लिए किस प्रकार प्रासंगिक है।

उत्तर: ब्रिटिश दार्शनिक एफ.एच. ब्रैडले की यह अवधारणा बताती है कि नैतिकता कोई अमूर्त सिद्धांत नहीं, बल्कि समाज में व्यक्ति के 'पद' से जुड़े ठोस कर्तव्यों का पालन है।

◆ **मूल भावना:** व्यक्ति व समाज एक ही 'सामाजिक जीव' के अंग हैं — जैसे शरीर का हर अंग अपने कार्य से ही पूरे शरीर को स्वस्थ रखता है, वैसे ही हर व्यक्ति अपने पद के कर्तव्य से समाज को सुचारू बनाए रखता है।

◆ **गीता से समानता:** यह अवधारणा गीता के 'स्वधर्म' (अपनी स्थिति/वर्ण के अनुरूप कर्तव्य-पालन) से गहराई से मिलती है — दोनों ही 'अपने पद के अनुरूप कर्तव्य' पर बल देते हैं।

◆ **सिविल सेवक हेतु प्रासंगिकता:** एक कलेक्टर, SDM या अन्य अधिकारी का पहला नैतिक दायित्व उसके पद से जुड़े नियम व ज़िम्मेदारियों का पालन है — पद की सीमा से बाहर जाकर मनमाना निर्णय लेना, चाहे नीयत कितनी भी अच्छी क्यों न हो, इस सिद्धांत के विरुद्ध माना जाएगा।

◆ **सीमा:** यदि व्यवस्था/पद ही अन्यायपूर्ण हो (जैसे भ्रष्ट ढाँचा), तो यह सिद्धांत सुधार का मार्ग नहीं दिखाता — यहाँ रॉस के 'प्रथम-दृष्टया कर्तव्य' व व्यक्तिगत विवेक की भी आवश्यकता पड़ती है।

निष्कर्ष: 'मेरा स्थान और तत्संबंधी कर्तव्य' एक सिविल सेवक को यह सिखाता है कि उसकी पहली नैतिक ज़िम्मेदारी उसके संवैधानिक व प्रशासनिक 'पद' से बंधी है — पर इसे आँख मूँदकर नहीं, बल्कि विवेक व उच्चतर संवैधानिक मूल्यों के साथ संतुलित करके निभाना चाहिए।



कहानी: जब तकनीक और अंतरात्मा ने मिलकर लाखों जानें बचाई — चक्रवात फ़ैलिन, ओडिशा (एक सच्ची घटना)

अक्टूबर 1999 में ओडिशा के तट से टकराए **महाचक्रवात** ने लगभग दस हज़ार लोगों की जान ले ली थी। चौदह साल बाद, अक्टूबर 2013 में, उतना ही भयानक एक और चक्रवात — **फ़ैलिन (Phailin)** — बंगाल की खाड़ी में तेज़ी से ओडिशा की ओर बढ़ रहा था। इस बार प्रशासन के सामने एक बड़ी दुविधा थी।

भारत मौसम विज्ञान विभाग के उपग्रह-आधारित मॉडल और पूर्वानुमान बता रहे थे कि चक्रवात गंजाम ज़िले के गोपालपुर के पास टकराएगा। पर तटीय गाँवों के बहुत-से लोग अपना घर, पशु और नावें छोड़ने को तैयार नहीं थे — "पिछली बार भी चेतावनी आई थी, कुछ नहीं हुआ।" ज़बरन निकालना उनकी स्वतंत्रता में दखल लगता था; न निकालना हज़ारों जानों को जोखिम में डालना था। ऊपर से यह डर भी था कि अगर चक्रवात कमज़ोर पड़ गया, तो करोड़ों रुपये के "अनावश्यक" खर्च पर सवाल उठेंगे।

राज्य प्रशासन ने "शून्य जनहानि" को लक्ष्य बनाया। तकनीक ने बताया **कहाँ और कब**; और अधिकारियों की अंतरात्मा ने तय किया कि **किसी भी जान को जोखिम में नहीं छोड़ा जाएगा**। ज़िलाधिकारियों, तहसीलदारों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों ने घर-घर जाकर लोगों को समझाया; बुजुर्गों और दिव्यांगों को सबसे पहले निकाला गया; पशुओं के लिए भी व्यवस्था हुई; और जो किसी भी तरह नहीं माने, उन्हें अंतिम घंटों में दृढ़ता से, पर सम्मान के साथ सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया। लगभग **दस लाख लोगों** को चक्रवात-आश्रय-स्थलों और सुरक्षित भवनों में पहुँचाया गया — भारत के इतिहास के सबसे बड़े निकासी अभियानों में से एक।

12 अक्टूबर 2013 की रात फ़ैलिन लगभग 200 से 215 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से टकराया। हज़ारों घर उजड़े, पर जनहानि कुछ दर्जन तक सीमित रही — 1999 के दस हज़ार की तुलना में। संयुक्त राष्ट्र सहित दुनिया-भर ने इसे आपदा-प्रबंधन की एक सफल मिसाल माना। इस घटना का संदेश यही है, जो इस अध्याय का भी केंद्रीय भाव है — **तकनीक क्षमता देती है, पर दिशा अंतरात्मा देती है**; और दुविधा के क्षणों में सही निर्णय वही है जो तथ्य, संवेदना और साहस — तीनों को साथ लेकर चले।

🔑 **इस कहानी से सीख:** आपदा जैसी दुविधा में (स्वतंत्रता बनाम जीवन-रक्षा, खर्च बनाम सुरक्षा) तकनीक-आधारित तथ्य और मानवीय अंतरात्मा का मेल ही सर्वोत्तम निर्णय देता है। "शून्य जनहानि" जैसा स्पष्ट नैतिक लक्ष्य पूरी व्यवस्था को एक दिशा में बाँध देता है।

अध्याय 07 — एक नज़र में



चित्र 7.1: अध्याय 07 — एक नज़र में

📖 कहानी: अध्याय की यात्रा — "कलेक्टर ज़ोया का एक दिन: डैशबोर्ड से अंतरात्मा तक"

(यह एक काल्पनिक कहानी है। ज़ोया के दिन का हर पड़ाव इस अध्याय के एक खंड से जुड़ा है।)

सुबह आठ बजे, ज़िला कलेक्टर ज़ोया के दफ्तर की बड़ी स्क्रीन पर **AI डैशबोर्ड** चमक रहा था — कौन-सी योजना कितनी पीछे है, किस अस्पताल में बिस्तर भरे हैं, किस गाँव में पानी की शिकायत है। ज़ोया ने चाय का घूँट लिया और सोचा, "मशीन सब बताती है, पर तय मुझे ही करना है।"

सुबह 9 बजे — चिंताएँ: समीक्षा बैठक में पता चला कि एक विभाग में फ़ाइलें महीनों से इसलिए अटकी हैं, क्योंकि कोई अधिकारी "जोखिम" नहीं लेना चाहता; दूसरे में शिकायतकर्ताओं से रूखा व्यवहार होता है। ज़ोया ने नोट किया — ये उदासीनता, जोखिम-विरोध और जवाबदेही की कमी जैसी **नैतिक चिंताएँ** हैं। (खंड 1)

सुबह 11 बजे — दुविधा: एक विधवा की पेंशन इसलिए रुकी थी कि उसकी आय निर्धारित सीमा से सिर्फ़ कुछ सौ रुपये अधिक दिखाई गई थी। नियम का अक्षर एक ओर, उसकी भावना दूसरी ओर — यह **सही बनाम सही** की दुविधा थी। (खंड 2 और 3)

दोपहर 1 बजे — ALIR की कसौटी: ज़ोया ने अपने निर्णय को चार सवालों पर परखा — क्या मैं जवाबदेह रहूँगी? क्या यह क़ानून के भीतर है? क्या यह ईमानदार है? क्या यह जनता के प्रति उत्तरदायी है? (ये चार सवाल ही ALIR मॉडल हैं — A यानी जवाबदेही (Accountability), L यानी वैधता (Legality), I यानी सत्यनिष्ठा (Integrity) और R यानी संवेदनशीलता (Responsiveness); इसे खंड 4 में विस्तार से समझाया गया है।) फिर उन्होंने तथ्यों की दोबारा जाँच का आदेश दिया। (खंड 4)

दोपहर 3 बजे — टकराव: टेंडर-समिति की फ़ाइल आई — एक बोली लगाने वाली कंपनी में उनके एक पुराने सहपाठी की हिस्सेदारी थी। ज़ोया ने तुरंत लिखित घोषणा करके खुद को उस निर्णय से अलग कर लिया — **हितों के टकराव** का पहला नियम। उसी दिन एक कनिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ऊपर से आए एक आदेश को मानने से उसकी **अंतरात्मा** उसे रोक रही है। (खंड 5)

शाम 5 बजे — मशीन की गलती: AI-आधारित लाभार्थी-जाँच ने 300 बुजुर्गों को "डुप्लीकेट" बताकर सूची से हटाने की सिफ़ारिश की थी। ज़ोया ने आदेश दिया — "किसी का नाम बिना भौतिक सत्यापन के नहीं कटेगा।" जाँच में 280 नाम सही निकले — मशीन ने एक जैसे नामों को एक ही व्यक्ति मान लिया था। (खंड 6)

रात 8 बजे — क़ानून और अंतरात्मा: घर लौटते हुए ज़ोया ने सोचा — क़ानून ने उन्हें रास्ता दिखाया, नियमों ने सीमा बताई, पर हर बार अंतिम फ़ैसले में उनकी अंतरात्मा भी बोल रही थी। और AI ने हर बार क्षमता बढ़ाई, पर दिशा उन्होंने खुद तय की। (खंड 7 और 8)

रात 10 बजे — आगे की राह: सोने से पहले ज़ोया ने अपनी डायरी में लिखा — "कल से हर AI सिफ़ारिश पर एक मानवीय हस्ताक्षर, और हर कठिन निर्णय का लिखित कारण।" यही सुरक्षित AI के सूत्रों और नैतिक प्रबंधन का सार है। (खंड 9 और 10)

🔑 **इस कहानी से सीख:** यह अध्याय प्रशासन की नैतिक चिंताओं से शुरू होकर दुविधाओं की पहचान, उनके समाधान के ढाँचे, हितों के टकराव, क़ानून बनाम अंतरात्मा और अंततः कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में मानवीय अंतरात्मा की भूमिका तक जाता है।

ज़ोया का एक दिन — अध्याय के सात पड़ाव



चित्र 7.2: ज़ोया का एक दिन — अध्याय के सात पड़ाव

📖 अध्याय विषय-सूची

- | | | | |
|---|--|----|---|
| 1 | प्रशासन में नैतिक चिंताएँ और चुनौतियाँ — 11 प्रकार | 6 | प्रशासन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI in Administration) |
| 2 | नैतिक दुविधा (Ethical Dilemma) — परिभाषा एवं 3 अनिवार्य शर्तें | 7 | प्रशासन में अंतरात्मा (Conscience in Administration) |
| 3 | नैतिक दुविधाओं के 21 प्रकार | 8 | AI बनाम अंतरात्मा — विस्तृत तुलना |
| 4 | ALIR मॉडल एवं नैतिक दुविधा हल करने के दृष्टिकोण | 9 | भारत AI शासन दिशानिर्देश 2025 (India AI Governance Guidelines) एवं आगे की राह |
| 5 | अंतरात्मा का संकट एवं हितों का टकराव | 10 | नैतिक दुविधाएँ एवं AI — ऐतिहासिक यात्रा |

1. प्रशासन में नैतिक चिंताएँ और चुनौतियाँ — 11 प्रकार

1.1 प्रशासनिक नैतिकता — अर्थ, आयाम और आवश्यकता

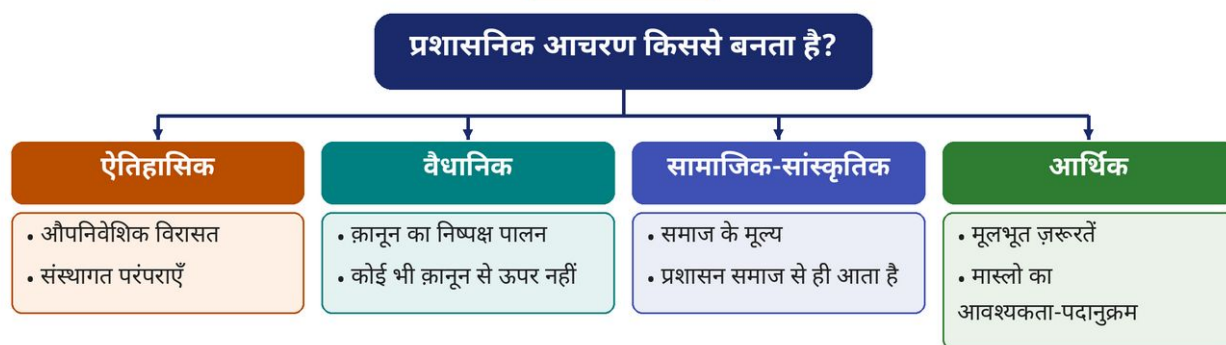
प्रशासनिक नैतिकता (लोक सेवा नैतिकता) का अर्थ है सरकार के प्रशासनिक क्षेत्र में सही आचरण के सिद्धांत और मानक। इसके पाँच आयाम हैं — राजनीति में नैतिकता, विधायिका में नैतिकता, राजनीतिक कार्यपालिका में नैतिकता, स्थायी कार्यपालिका (नौकरशाही) में नैतिकता और नियामक संस्थाओं में नैतिकता। लोक सेवकों को परंपरागत रूप से कुछ सामान्य निर्देश दिए जाते रहे हैं — लोकहित में कार्य करो, राजनीतिक रूप से तटस्थ रहो, गोपनीय सूचना प्रकट मत करो, जनता को कुशल, प्रभावी और निष्पक्ष सेवा दो, हितों के टकराव से बचो और जवाबदेह रहो।

इन निर्देशों की कठिनाइयाँ: (1) इनके अर्थ और व्यवहार में उपयोग को लेकर स्पष्टता की कमी; (2) ये ऊपर से नीचे थोपे गए हैं — प्रभावी होने के लिए नियमों को केवल बाहर से स्वीकार नहीं, बल्कि भीतर से आत्मसात भी किया जाना चाहिए; (3) कई बार ये आपस में टकराते हैं — जैसे निर्णय का बचाव "लक्ष्य-प्राप्ति" से होता है और अनिर्णय का बचाव "नियम-पालन" से; गति, दक्षता और प्रभावशीलता कभी-कभी वस्तुनिष्ठता, जवाबदेही और समानुभूति से समझौता कर लेती हैं; (4) देश के सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक बदलाव के साथ निर्णय के नियमों का निरंतर मूल्यांकन और विकास ज़रूरी है।

प्रशासन में नैतिकता क्यों? — दार्शनिक कारण	वैधानिक-संवैधानिक कारण
सरकार के पक्ष में "सामान्य इच्छा" (रूसो) बनी रहे, वरना जनता सरकार बदल देगी	नीति निदेशक तत्व और मौलिक कर्तव्य — वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और जिज्ञासा की भावना
सामाजिक अनुबंध का दायित्व पूरा करना (हॉब्स, लॉक)	अनुच्छेद 14 — लोक सेवक को निष्पक्ष रहना ही होगा
कर्तव्य-पालन से कर्म सार्वभौमिक बनता है (कांट)	पंथनिरपेक्षता के संवैधानिक मूल्य से सहिष्णुता
अधिकतम लोगों का अधिकतम भला (बेन्थम, मिल)	अनुच्छेद 14 और 15 से वस्तुनिष्ठता और विधि का शासन
समाज में न्याय (रॉल्स)	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम — लोक सेवा के मानकों का वैधानिक ढाँचा
सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और राष्ट्रहित की रक्षा	आचरण संहिता — कार्य और अकार्य, दोनों के लिए जवाबदेही

लोक सेवा के नैतिक दायित्व: निःस्वार्थता, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, करुणा, समर्पण, शुचिता (Probity), दक्षता, प्रभावशीलता और मितव्ययिता। अर्थात् लोक सेवक को निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर, ईमानदार और पवित्र आचरण के साथ, जनता के प्रति करुणा और समर्पण रखते हुए काम करना चाहिए; साथ ही सरकारी संसाधनों का उपयोग ऐसे करना चाहिए कि कम से कम खर्च में (मितव्ययिता) सही काम सही ढंग से (दक्षता) हो और उसका वास्तविक परिणाम भी मिले (प्रभावशीलता)। **नैतिकता के अभाव के परिणाम:** वैधता का क्षय, भरोसे और विश्वसनीयता का टूटना, सामाजिक पूँजी का कमज़ोर होना, विकास की गति धीमी होना और सुशासन का असंभव हो जाना। सरल शब्दों में, जब प्रशासन में नैतिकता नहीं रहती तो जनता की नज़र में सरकार के शासन करने के अधिकार की स्वीकार्यता (वैधता) घटती है, लोग सरकारी संस्थाओं पर भरोसा करना छोड़ देते हैं, समाज में आपसी विश्वास और सहयोग (सामाजिक पूँजी) कमज़ोर पड़ता है, योजनाओं का पैसा भ्रष्टाचार में रिसने से विकास धीमा हो जाता है — और इन सबके कारण सुशासन असंभव हो जाता है।

प्रशासन में नैतिकता के निर्धारक



चित्र 7.3: प्रशासन में नैतिकता के निर्धारक

निर्धारकों की व्याख्या: **ऐतिहासिक कारक** — भारतीय व्यवस्था में भ्रष्टाचार की जड़ें औपनिवेशिक शासन में भी हैं, जबकि कुछ देशों में सार्वजनिक जीवन के उच्च नैतिक मानकों की लंबी परंपरा रही है। **वैधानिक कारक** — क़ानून का निष्पक्ष क्रियान्वयन नैतिक आचरण को बढ़ाता है; जहाँ सर्वोच्च पद भी क़ानून से ऊपर नहीं होता, वहाँ प्रशासन में भी नैतिकता मज़बूत होती है। **सामाजिक-सांस्कृतिक कारक** — प्रशासक वर्ग समाज से ही आता है, इसलिए समाज में प्रचलित मूल्य और व्यवहार प्रशासन में भी झलकते हैं; जाति, लिंग या धर्म के आधार पर भेदभाव की सामाजिक प्रवृत्तियाँ प्रशासन में भी घुस सकती हैं। **आर्थिक कारक** — अमेरिकी मनोवैज्ञानिक अब्राहम मास्लो के आवश्यकता-पदानुक्रम के अनुसार भोजन, आवास और सुरक्षा जैसी बुनियादी ज़रूरतें पूरी होने के बाद ही सम्मान और आत्म-विकास जैसी ऊँची मनोवैज्ञानिक ज़रूरतें आती हैं; इसलिए माना जाता है कि जिस कर्मचारी की बुनियादी ज़रूरतें उचित वेतन से पूरी नहीं होतीं, उसके दबाव या लालच में अनैतिक रास्ता अपनाने की आशंका बढ़ जाती है; पर यह हमेशा सत्य नहीं कि गरीबी अनैतिकता लाती ही है।

जब प्रशासनिक कार्यों में नैतिक सिद्धांतों का उल्लंघन होता है, या जो नैतिक रूप से सही है उससे व्यवहार भटक जाता है, तो उसे 'नैतिक चिंता' (Ethical Concern) कहा जाता है। आज के जटिल प्रशासनिक परिवेश में मुख्य रूप से 11 प्रकार की नैतिक चिंताएँ देखी जाती हैं — हर एक के साथ उसके समाधान के व्यावहारिक प्रयास भी नीचे दिए गए हैं।

नैतिक चिंता	अर्थ	समाधान के प्रयास
1. उदासीनता व करुणा का अभाव (Apathy)	नागरिकों के प्रति संवेदनहीनता — 'आर्मचेयर नौकरशाही' (Armchair Bureaucracy) — दफ्तर में बैठे-बैठे, ज़मीनी हालात जाने बिना काम चलाना।	फील्ड ट्रेनिंग, LBSNAA (मसूरी) / HCM RIPa (जयपुर) जैसे प्रशिक्षण-संस्थानों में प्रशिक्षण, अतिथि व्याख्यान।
2. सत्ता का दुरुपयोग (Abuse of Power)	अधिकारों का व्यक्तिगत लाभ के लिए दुरुपयोग।	360-डिग्री मूल्यांकन, आचार-संहिता (होता समिति, 2004 — सिविल सेवा सुधार), RTI, जन-संपर्क पोर्टल।
3. जोखिम-विरोधी प्रवृत्ति (Risk Aversion)	गलत होने के डर से कोई निर्णय न लेना।	ईमानदार निर्णयों को जाँच से सुरक्षा — भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A (2018): किसी अधिकारी के आधिकारिक निर्णय पर जाँच से पहले सक्षम प्राधिकारी की पूर्व-अनुमति ज़रूरी (पहले यह सुरक्षा DSPE अधिनियम की धारा 6A में केवल संयुक्त सचिव व ऊपर के अधिकारियों को थी, जिसे 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया); सद्भावनापूर्ण कार्यों की सुरक्षा (जैसे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 456 — सद्भाव में किए गए कार्य के लिए अधिकारी पर मुकदमा नहीं)।
4. भ्रष्टाचार (Corruption)	सार्वजनिक संसाधनों का निजी लाभ हेतु दुरुपयोग।	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, K. सन्थानम समिति (1962-64), ई-गवर्नेंस, CBI, CVC, लोकपाल, RTI, PIL, PFMS (सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली) सॉफ्टवेयर, सामाजिक अंकेक्षण।
5. पारदर्शिता की कमी (Poor Transparency)	कार्यप्रणाली में अपारदर्शिता।	ई-ऑफिस, नागरिक चार्टर, जन सूचना पोर्टल (राजस्थान)।
6. कर्तव्य में लापरवाही (Insincerity)	समय पर उपस्थित न रहना, कर्तव्य से बचना।	आधार-सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली।
7. जवाबदेही का अभाव (Lack of Accountability)	निर्णयों के लिए उत्तरदायित्व से बचना।	भारतीय न्याय संहिता (BNS) व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 — पुराने आपराधिक कानूनों का सरलीकरण; दिसंबर 2023 में निरसन और संशोधन अधिनियम, 2023 द्वारा कई पुराने कानून निरस्त।
8. क्रोनिज़्म व भाई-भतीजावाद (Cronyism)	राजनीतिक संरक्षण से ठेके व पदोन्नति।	ई-बिडिंग, सिविल सेवा बोर्ड (तबादला/पदोन्नति), केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) को मज़बूत करना।
9. सत्यनिष्ठा का अभाव (Lack of Integrity)	नैतिक सिद्धांतों से समझौता।	मिशन कर्मयोगी, लोक सेवा आयोगों के पाठ्यक्रम में नैतिकता, मिशन सत्यनिष्ठा (भारतीय रेलवे — लगभग 12-13 लाख कर्मचारी, 2018 से)।
10. निजता का उल्लंघन (Privacy Concerns)	डेटा का दुरुपयोग व डिजिटल निगरानी।	डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 (DPDP Act), IT अधिनियम 2000 (2008 संशोधन), IT नियम 2021।
11. खराब कार्यकुशलता (Poor Efficiency)	मूल्यांकन (Appraisal) में पारदर्शिता का अभाव।	SPARROW पोर्टल (Smart Performance Appraisal Report Recording Online Window)।

इन 11 चिंताओं को तीन व्यापक समूहों में बाँटकर समझना आसान है — (1) **रवैये से जुड़ी** (उदासीनता, जोखिम-विरोध, लापरवाही), (2) **सत्ता के दुरुपयोग से जुड़ी** (सत्ता-दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, क्रोनिज़्म, सत्यनिष्ठा का अभाव), (3) **पारदर्शिता और दक्षता से जुड़ी** (पारदर्शिता, जवाबदेही, निजता, कार्यकुशलता)।

1.2 भारतीय सिविल सेवाओं के नैतिक मुद्दे — द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की दृष्टि

आज भारतीय सिविल सेवाओं के अधिकांश नैतिक मुद्दे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से **भ्रष्टाचार** से जुड़े हैं, जो नैतिकता की विफलता की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है। "करप्ट" शब्द लैटिन "करप्टस" से बना है, जिसका अर्थ है — **तोड़ना या नष्ट करना**; जबकि "एथिक्स" यूनानी "एथिकोस" से, जिसका अर्थ है — **"आदत से उत्पन्न"**। दुर्भाग्य यह है कि बहुतेकों के लिए भ्रष्टाचार ही आदत बन गया है — ऊँचे पदों के "बड़े भ्रष्टाचार" से लेकर आम आदमी के रोज़मर्रा के "खुदरा भ्रष्टाचार" तक। भ्रष्टाचार के दो पहलू हैं — एक, जब किसी संस्था के नियम और प्रक्रियाएँ ही ऐसी बन जाएँ कि

ईमानदार व्यक्ति के लिए भी बिना रिश्त के काम कराना कठिन हो; और दूसरा, जब व्यक्ति स्वयं लालच में अपने पद का दुरुपयोग करे। इन्हें क्रमशः कहा जाता है — **भ्रष्ट संस्था और भ्रष्ट व्यक्ति**।

सिविल सेवाओं के प्रमुख नैतिक मुद्दे	द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अवलोकन
सत्ता का असमान वितरण और दुरुपयोग	भ्रष्टाचार विशेषकर नौकरशाही के निचले, जनता से सीधे जुड़े स्तर पर चिंता का विषय है
जवाबदेही का अभाव	नागरिकों की शिकायतों के निवारण के प्रति प्रतिबद्धता की स्पष्ट कमी
राजनीतिक हस्तक्षेप और सांठगांठ	लालफीताशाही और अनावश्यक जटिल प्रक्रियाएँ नागरिकों की कठिनाई बढ़ाती हैं
सत्यनिष्ठा की कमी; भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई का अभाव	सरकारी कर्मचारियों को शायद ही जवाबदेह ठहराया जाता है; उच्च अधिकारियों से शिकायतें अनसुनी रह जाती हैं
व्हिसलब्लोअरों की अपर्याप्त सुरक्षा	कई लोक-सेवकों का रवैया अहंकार और उदासीनता का है
लोक सेवकों की उचित आचार संहिता का अभाव	बार-बार तबादले प्रभावशीलता घटाते और जवाबदेही को कमजोर करते हैं
पारदर्शिता और आम आदमी के प्रति संवेदनशीलता की कमी	कभी-कभी बेईमान राजनेताओं और नौकरशाहों का "अपवित्र गठजोड़" कुशासन की ओर ले जाता है

"नैतिक अवसंरचना" (Ethics Infrastructure) की ज़रूरत: नियम, विनियम और क़ानून लोक सेवकों में निष्पक्षता, ईमानदारी और समर्पण सुनिश्चित करने के लिए हैं, फिर भी प्रशासनिक गतिविधियों का एक विशाल क्षेत्र ऐसा है, जिसे औपचारिक क़ानूनों से नियंत्रित नहीं किया जा सकता — वहाँ अधिकारी केवल **अपनी अंतरात्मा** और लोक-कल्याण के प्रति अपने कर्तव्य-बोध के प्रति जवाबदेह होते हैं। इसलिए एक ऐसी "नैतिक अवसंरचना" चाहिए, जो अच्छे आचरण का मार्गदर्शन भी करे और कदाचार को प्रशासनिक तथा क़ानूनी रूप से दंडित भी करे — इसमें संगठनात्मक सत्यनिष्ठा बढ़ाने वाले उपाय, पारदर्शिता बढ़ाने वाली सूचना तक पहुँच और शक्ति के दुरुपयोग को रोकने वाले तंत्र शामिल हैं।

अमेरिकन सोसाइटी फ़ॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की आचार संहिता (अमेरिका के लोक प्रशासकों का प्रमुख पेशेवर संगठन) लोक प्रशासकों से अपेक्षा करती है कि वे (1) लोकहित को स्व-हित और संस्थागत निष्ठा से ऊपर रखें, हर प्रकार के भेदभाव और उत्पीड़न का विरोध करें; (2) जनता के "जानने के अधिकार" का सम्मान करें और नीति-निर्माण में नागरिकों को शामिल करें; (3) संविधान और क़ानून का सम्मान करें और समानता, निष्पक्षता, प्रतिनिधित्व, उत्तरदायित्व तथा उचित प्रक्रिया के सिद्धांतों को बढ़ावा दें; (4) ईमानदारी से कर्तव्य निभाएँ, पदोन्नति, सम्मान या निजी लाभ के लिए समझौता न करें, पक्षपात के बिना कार्य करें और दूसरों को उनके काम का श्रेय दें; (5) संगठन की नैतिक क्षमता बढ़ाएँ; और (6) पेशेवर उत्कृष्टता के लिए प्रयास करें।

1.3 नैतिक सुन्नता (Ethical Numbness) — सबसे ख़तरनाक चिंता

नैतिक सुन्नता का अर्थ है — नैतिक मुद्दों को पहचानने या उन पर प्रतिक्रिया देने की क्षमता का घटते जाना। यह तब होता है, जब व्यक्ति या समूह अपने या दूसरों के नैतिक ग़लत कामों के प्रति असंवेदनशील हो जाते हैं। इसके लक्षण हैं — समानुभूति की कमी, पीड़ा के प्रति उदासीनता और वास्तविक नैतिक विश्वास का अभाव। **उदाहरण:** (1) **सड़क दुर्घटना में तमाशबीन प्रभाव (Bystander Effect)** — अनेक घटनाओं में घायल व्यक्ति सड़क पर पड़ा रहता है, क्योंकि लोग डर से या "कोई और मदद करेगा" यह मानकर आगे बढ़ जाते हैं (ज़िम्मेदारी का विसरण); (2) **जाति-आधारित भेदभाव और हाथ से मैला ढोना** — क़ानूनी प्रतिबंध के बावजूद ये प्रथाएँ बनी हुई हैं, क्योंकि वंचित समुदायों का अमानवीकरण समाज के कुछ हिस्सों को उनकी गरिमा और पीड़ा को अनदेखा करने देता है। एक और ख़तरनाक बहाना है — **"सब यही करते हैं"** का तर्क; पर अगर सचमुच सब कुछ ग़लत कर रहे हों, तब भी वह सही नहीं हो जाता।

“सबसे पहले — जानबूझकर किसी को हानि मत पहुँचाओ। (Primum non nocere — Above all, not knowingly to do harm.)” — हिप्पोक्रेटिक शपथ का सिद्धांत, जिसे आधुनिक प्रबंधन-विज्ञान के प्रसिद्ध विचारक पीटर ड्रुकर (Peter Drucker) ने हर पेशे के लिए एकमात्र आवश्यक नैतिकता बताया

11 नैतिक चिंताएँ — तीन समूह



चित्र 7.4: 11 नैतिक चिंताएँ — तीन समूह

2. नैतिक दुविधा (Ethical Dilemma) — परिभाषा एवं 3 अनिवार्य शर्तें

आसान परिभाषा: नैतिक दुविधा (Ethical Dilemma)

परिभाषा: नैतिक दुविधा वह स्थिति है, जब दो या दो से अधिक नैतिक सिद्धांतों/मूल्यों के बीच सीधा टकराव हो और निर्णय लेने वाले व्यक्ति को किसी एक मूल्य को दूसरे की कीमत पर चुनना पड़े — यानी कोई भी विकल्प चुनने पर कुछ न कुछ नैतिक कीमत चुकानी ही पड़ती है।

आसान भाषा में: जैसे एक ट्रेन तेज़ी से आ रही है, एक पटरी पर 1 व्यक्ति बँधा है और दूसरी पटरी पर 5 — आपको लीवर खींचकर ट्रेन की दिशा बदलनी है, तय करना है कि किसे बचाएँ (इसे 'ट्रॉली समस्या' — Trolley Problem कहा जाता है)। अब कल्पना करें कि वह अकेला व्यक्ति स्वयं प्रधानमंत्री हों — क्या निर्णय बदलेगा? और अगर पुल पर खड़े किसी व्यक्ति को धक्का देकर ट्रेन रोकी जा सकती हो, तो क्या वह उचित होगा? — यही असली नैतिक दुविधा है, जहाँ हर विकल्प के साथ एक नैतिक कीमत जुड़ी होती है। **उदाहरण:** एक अधिकारी के सामने जब वरिष्ठ अधिकारी का आदेश और जनहित आमने-सामने आ जाएँ (जैसे किसी गलत परियोजना को तुरंत मंजूरी देने का दबाव), तो वह ठीक ऐसी ही दुविधा में होता है — दोनों तरफ कुछ न कुछ नैतिक मूल्य दांव पर होता है।

नैतिक चिंता बनाम नैतिक दुविधा

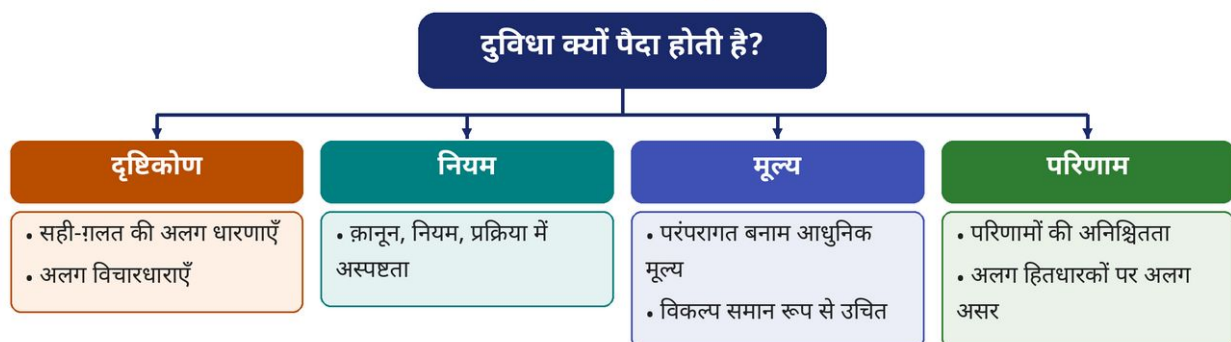
नैतिक चिंता	बनाम	नैतिक दुविधा
एक चेतावनी-बत्ती	स्वरूप	दो "सही" या दो "कम गलत" के बीच मजबूरी का चुनाव
क्या यह सही है या गलत?	प्रश्न	दोनों में से कौन-सा सही?
ऐसी नीति जो अनजाने में पर्यावरण बिगाड़ दे	उदाहरण	बाँध से विकास बनाम आदिवासियों का विस्थापन
गलत को सुधारना	समाधान	एक मूल्य के लिए दूसरे का आंशिक त्याग

चित्र 7.5: नैतिक चिंता बनाम नैतिक दुविधा

दुविधा कब होती है? जीवन में तीन तरह के प्रश्न आते हैं — (1) **सौंदर्य-संबंधी प्रश्न**, जैसे "क्या आपको नीला रंग पसंद है?" — उत्तर पूरी तरह व्यक्तिपरक; (2) **वैज्ञानिक प्रश्न**, जैसे "क्या पृथ्वी चपटी है?" — उत्तर पूरी तरह वस्तुनिष्ठ; और (3) **नैतिक प्रश्न**, जैसे "क्या सार्वभौमिक बुनियादी आय (हर नागरिक को बिना शर्त हर महीने एक निश्चित न्यूनतम राशि देना) लागू होनी चाहिए?" — यहाँ अनेक कसौटियाँ होती हैं: व्यक्तिगत नैतिकता, अंतरात्मा, सामाजिक नैतिकता, धार्मिक नैतिकता, संवैधानिक नैतिकता, अंतरराष्ट्रीय नैतिकता। कई कसौटियों के कारण ही मूल्यों में टकराव होता है और दुविधा जन्म लेती है। अंग्रेज़ी मुहावरे में दुविधा में फँसे व्यक्ति को **"दुविधा के दो सींगों पर"** (On the horns of a dilemma) बैठा कहा जाता है — दोनों में से कोई भी सींग आरामदायक नहीं।

दुविधा आम तौर पर दो समान रूप से सक्षम मूल्यों के बीच होती है — दोनों सकारात्मक या दोनों नकारात्मक। एक सकारात्मक और एक नकारात्मक मूल्य के बीच चुनाव सामान्यतः दुविधा नहीं, क्योंकि वहाँ चुनाव सरल है।

प्रशासन में दुविधा के कारण



चित्र 7.6: प्रशासन में दुविधा के कारण

2.1 नैतिक दुविधा की 3 अनिवार्य शर्तें

शर्त	विवरण	उदाहरण
1. नैतिक कर्ता (Moral Agent)	निर्णय लेने वाला व्यक्ति नैतिक रूप से ज़िम्मेदार होना चाहिए।	एक IAS अधिकारी — जिसने संवैधानिक शपथ ली है, इसलिए उत्तरदायी है।

शर्त	विवरण	उदाहरण
2. विकल्पों की उपलब्धता	कर्ता के पास कम से कम 2 विकल्प व चुनने की वास्तविक क्षमता होनी चाहिए।	RTI के तहत जानकारी देना या न देना — दोनों विकल्प खुले हैं।
3. सिद्धांतों से समझौता	किसी एक विकल्प को चुनने पर कोई न कोई नैतिक मूल्य त्यागना ही पड़ेगा।	जनहित बनाम वरिष्ठ का आदेश — किसी एक से समझौता अवश्यंभावी है।

नैतिक दुविधा की तीन अनिवार्य शर्तें



चित्र 7.7: नैतिक दुविधा की तीन अनिवार्य शर्तें

2.2 नैतिक दुविधा के 3 प्रमुख प्रकार

प्रकार	अर्थ	उदाहरण
निजी हानि दुविधा (Private Cost Dilemma)	सिद्धांत बनाम आत्म-संरक्षण/जीवन-रक्षा।	सत्येंद्र दुबे — सिद्धांत के लिए अपनी जान की कीमत चुकाई (देखें नीचे दी गई सच्ची घटना)।
सही बनाम सही दुविधा (Right vs Right Dilemma)	वफ़ादारी बनाम ईमानदारी — दोनों ही अपने-आप में सही मूल्य हैं।	दिनेश ठाकुर, रैनबैक्सी प्रकरण — कंपनी के प्रति वफ़ादारी बनाम जनता के प्रति ईमानदारी।
संयुक्त नैतिक दुविधा (Conjoint Ethical Dilemma)	साध्य बनाम साधन — अच्छे लक्ष्य के लिए अपनाया गया साधन विवादास्पद हो।	युद्ध में 'सहवर्ती क्षति' (Collateral Damage) की पीड़ा।

📖 सिद्धांत की कीमत — एक सच्ची घटना (सत्येंद्र दुबे)

27 नवंबर 2003 — बिहार के गया शहर में, अपने 30वें जन्मदिन की सुबह, भारतीय इंजीनियरिंग सेवा (IES) के युवा अधिकारी सत्येंद्र दुबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनका 'अपराध' सिर्फ इतना था कि उन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग परियोजना (Golden Quadrilateral Highway Project) में हो रही भारी गड़बड़ियों को सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर उजागर किया था — और गोपनीयता बनाए रखने का अनुरोध करने के बावजूद उनका नाम लीक हो गया। सत्येंद्र दुबे के सामने ठीक वही दुविधा थी, जिससे आज भी अनेक ईमानदार अधिकारी जूझते हैं — 'सिद्धांत बनाम आत्म-संरक्षण' (Principle vs Preservation)। क्या वे चुप रहकर अपनी जान बचाते, या सच बोलकर अपना कर्तव्य निभाते? उन्होंने कर्तव्य को चुना, और अपनी जान की कीमत चुकाई। प्रशासन में ऐसी दुविधाएँ रोज़ आती हैं — कभी छोटी, कभी सत्येंद्र दुबे जैसी विकट। आज के दौर में एक नया आयाम भी जुड़ गया है — कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), जो गति व पैमाने में तो अद्भुत है, पर क्या वह अंतरात्मा की जगह ले सकती है? यही अध्याय इन्हीं दो प्रश्नों — 'सही निर्णय कैसे लें' और 'मशीन बनाम मन' — के इर्द-गिर्द बुना गया है।

नैतिक दुविधा के तीन प्रकार



चित्र 7.8: नैतिक दुविधा के तीन प्रकार

🔍 आसान परिभाषा: नैतिक अवशेष (Moral Residue)

📖 **परिभाषा:** किसी नैतिक दुविधा में सबसे 'सही' विकल्प चुनने के बावजूद भी मन में जो अपराध-बोध या असंतोष बचा रह जाता है, उसे 'नैतिक अवशेष' कहा जाता है — यही चीज़ नैतिक दुविधा को एक सामान्य निर्णय से अलग करती है।

💡 **आसान भाषा में:** जैसे डॉक्टर को एक ही समय पर आए दो गंभीर मरीज़ों में से किसी एक का ही तुरंत इलाज करना पड़े — भले ही उसने 'सही' मरीज़ चुना हो, दूसरे मरीज़ के प्रति एक हल्की-सी बेचैनी उसके मन में फिर भी बनी रहती है। 🏠 **उदाहरण:** युद्ध में सेना कमांडर द्वारा

किसी सैन्य लक्ष्य पर हमले का 'सही' निर्णय लेने के बावजूद, आम नागरिकों को हुई अप्रत्यक्ष क्षति (Collateral Damage) का दुःख/बेचैनी बने रहना — यह नैतिक अवशेष का उदाहरण है।

लोक नीति में मूल्य-संघर्ष: लगभग हर लोक नीति विवाद में "क्या सही है, क्या ग़लत; क्या न्यायपूर्ण है, क्या अन्यायपूर्ण" को लेकर अलग-अलग विश्वास होते हैं — अधिकांश नीतिगत निर्णय असल में **प्रतिस्पर्धी मूल्यों के बीच चुनाव** हैं। जैसे — (1) **समान अवसर बढ़ाने** की नीतियों में समानता, विविधता, न्याय, दक्षता, योग्यता और व्यक्तिगत उपलब्धि जैसे मूल्यों में टकराव हो सकता है; (2) **अपराध-निवारण** नीतियों में स्वतंत्रता, सुरक्षा, उचित प्रक्रिया, समता, प्रभावशीलता और न्याय के बीच; और (3) **आंतरिक सुरक्षा** नीतियों में सूचना-साझाकरण, गोपनीयता, निजता, नागरिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत अधिकार और सुरक्षा के बीच।

लोक सेवक की कुछ व्यावहारिक दुविधाएँ: जब वह देखे कि प्रशासनिक विवेकाधिकार का दुरुपयोग हो रहा है, या भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद चल रहा है — तो क्या वह चुप रहे या "सीटी बजाए" (व्हिसलब्लोइंग करे)? क्या वह किसी दबाव-समूह की गतिविधियों में सक्रिय भाग ले, क्योंकि उसे उनके विचारों से सहानुभूति है? क्या वह दलगत राजनीति में भाग ले, या केवल लोकहित और सार्वजनिक पद के ऊँचे मानकों को बनाए रखे?

नैतिक अवशेष का महत्व: सही निर्णय लेने के बाद भी मन में असहजता बने रहना सामान्य है — यही असहजता दुविधा को किसी सामान्य निर्णय से अलग करती है, और यह बताती है कि छोड़ा गया मूल्य भी महत्वपूर्ण था।

3. नैतिक दुविधाओं के 21 प्रकार

प्रशासनिक जीवन में नैतिक दुविधाएँ कई अलग-अलग रूपों में सामने आती हैं। नीचे 21 सबसे महत्वपूर्ण प्रकार की दुविधाएँ, उनके वास्तविक प्रशासनिक उदाहरणों सहित दी गई हैं — हर प्रकार को याद रखने के लिए दो परस्पर-विरोधी मूल्यों के टकराव के रूप में समझना सबसे आसान तरीका है।

क्र.	दुविधा का प्रकार	प्रशासनिक उदाहरण एवं विश्लेषण
1	सिद्धांत बनाम आत्म-संरक्षण	IES सत्येंद्र दुबे ने राजमार्ग घोटाला उजागर किया, जान गँवाई — सत्याग्रह बनाम सुरक्षा।
2	व्यावसायिक बनाम निजी जीवन	IPS अधिकारी की 24×7 ड्यूटी — परिवार को समय न मिलना — कार्य-जीवन संतुलन की चुनौती।
3	लाभ बनाम सामाजिक ज़िम्मेदारी	किसी विद्युत वितरण कंपनी (DISCOM) के प्रमुख के सामने प्रश्न — घाटा कम करें या निःशुल्क बिजली जारी रखें?
4	प्राथमिकता बनाम गैर-भेदभाव	झारखंड में आधार से न जुड़ने पर राशन कार्ड रद्द होने से एक आदिवासी बालिका को राशन न मिलना, भूख से मृत्यु — नियम बनाम मानवता।
5	दंड बनाम पुरस्कार	यातायात नियम तोड़ने वालों को फूल भेंट करना — साधन (हृदय-परिवर्तन) बनाम साध्य (कानून-पालन)।
6	साध्य बनाम साधन	पुल-निर्माण हेतु किसी पुराने मंदिर को हटाना — बेहतर यातायात बनाम धार्मिक भावनाएँ।
7	स्वायत्तता बनाम जवाबदेही	सतीश धवन ने डॉ. कलाम को SLV-3 (उपग्रह प्रक्षेपण यान) परियोजना में पूरी स्वायत्तता दी — असफलता की ज़िम्मेदारी स्वयं ली।
8	नियम बनाम विवेकाधिकार	नियम: बिना कागज़ात राशन नहीं — विवेकाधिकार: भूखे व्यक्ति को तुरंत राहत देना।
9	वफ़ादारी बनाम ईमानदारी	संस्था/सरकार के प्रति वफ़ादारी बनाम अनियमितताओं को उजागर करना (व्हिसलब्लोइंग)।
10	स्वचालन बनाम रोज़गार	AI व रोबोटिक्स के बढ़ते उपयोग से बड़ी संख्या में नौकरियों पर संकट — तकनीक बनाम मानव-रोज़गार।
11	राष्ट्रीय हित बनाम मानवता	किसी आतंकी को चिकित्सा उपचार देना, या बड़े बाँध हेतु दर्जनों गाँवों का विस्थापन — राष्ट्रीय ज़रूरत बनाम मानवीय पीड़ा।
12	विकास बनाम पर्यावरण/संधारणीयता	मुंबई मेट्रो हेतु आरे वन क्षेत्र में वृक्षों की कटाई — विकास बनाम पर्यावरण-संरक्षण।
13	कानून का अक्षर बनाम भावना	गंभीर मरीज़ को अस्पताल ले जा रही तेज़ रफ़्तार गाड़ी का चालान — नियम (Letter) बनाम जीवन-रक्षा (Spirit)।
14	बाह्य बनाम आंतरिक जवाबदेही	किशोर अपराधी के लिए — बाहरी जवाबदेही (जेल) बनाम आंतरिक ज़िम्मेदारी (पुनर्वास)।
15	गति बनाम सटीकता	मुख्यमंत्री द्वारा 2 महीने में पुल के उद्घाटन का दबाव — सुरक्षा-मानकों से समझौता किए बिना गति बनाए रखना।
16	राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम निजता	अंगुली-छाप/नाकॉ टेस्ट लेना — सुरक्षा बनाम अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार।
17	समानता बनाम समता	सरकारी नौकरियों में आरक्षण — समानता (समान व्यवहार) बनाम समता (सकारात्मक भेदभाव/Positive Discrimination)।

क्र.	दुविधा का प्रकार	प्रशासनिक उदाहरण एवं विश्लेषण
18	वरिष्ठ का आदेश बनाम जनहित	वरिष्ठ अधिकारी का त्रुटिपूर्ण आदेश — कनिष्ठ अधिकारी न तो खुला विद्रोह कर सकता है, न ही उसे सही मान सकता है।
19	गोपनीयता बनाम पारदर्शिता	RTI की धारा 8 के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी जानकारी माँगना — प्रकटीकरण बनाम राज्य-हित।
20	केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण	अति-केंद्रीकरण से थोपे गए निर्णय; अति-विकेंद्रीकरण से अकुशल क्रियान्वयन — दोनों की अपनी सीमाएँ।
21	न्याय बनाम दया	निर्भया कांड में किशोर अपराधी को मात्र 3 वर्ष की सज़ा; ए.जी. पेरारिवलन (राजीव गांधी हत्याकांड) को सुशील आचरण पर रिहाई।

3.1 चार सबसे आम प्रशासनिक दुविधाएँ — उदाहरण सहित

दुविधा	प्रश्न	टकराते मूल्य	उदाहरण
विवेक बनाम नियम (लचीलापन बनाम एकरूपता)	नियम का कठोर पालन करें, या किसी विशेष मामले में करुणामय/न्यायपूर्ण परिणाम के लिए विवेक का प्रयोग?	वैधता/एकरूपता बनाम समानुभूति/वास्तविक न्याय	वास्तव में ज़रूरतमंद व्यक्ति को लाभ से इसलिए वंचित करना कि वह पात्रता की कठोर सीमा से थोड़ा बाहर है
गोपनीयता बनाम पारदर्शिता	राष्ट्रीय सुरक्षा या जारी जाँच की सूचना कब गुप्त रहे, और कब जनता का जानने का अधिकार प्राथमिक हो?	राष्ट्रीय सुरक्षा/दक्षता बनाम जवाबदेही/जन-विश्वास	संवेदनशील रक्षा-सौदे का विवरण सूचना के अधिकार में देना बनाम रणनीतिक गोपनीयता
लोकहित बनाम निजी हित	अधिकारी के निजी वित्तीय या पारिवारिक हित उसके सार्वजनिक कर्तव्य से टकराएँ तो?	सत्यनिष्ठा/वस्तुनिष्ठता बनाम निजी लाभ/निष्ठा	टेंडर-समिति का वह सदस्य, जिसके रिश्तेदार की कंपनी बोली लगा रही है
दक्षता बनाम समता (गति बनाम निष्पक्षता)	तेज़ परिणाम के लिए परियोजना को तेज़ करें, भले उचित प्रक्रिया छूटे या कुछ वर्ग हाशिये पर जाएँ?	प्रदर्शन/विकास बनाम न्याय/समावेश	तेज़ बुनियादी ढाँचा-विकास, जिसमें आदिवासी समुदाय बिना पर्याप्त पुनर्वास के विस्थापित हों

निजता बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा — एक समकालीन दुविधा: डिजिटल निगरानी और डेटा-निजता की बहस में सरकारों के सामने एक ओर मज़बूत राष्ट्रीय सुरक्षा और क़ानून-प्रवर्तन (एक सार्वजनिक भलाई) की ज़रूरत है, दूसरी ओर निजता का मौलिक अधिकार (एक नैतिक और संवैधानिक मूल्य)। **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023** जैसे क़ानून किसी एक मूल्य की पूर्ण विजय नहीं, बल्कि संतुलन का प्रयास करते हैं। इसी तरह हाई-स्पीड रेल गलियारों या औद्योगिक क्षेत्रों के लिए बड़े पैमाने पर **भूमि-अधिग्रहण** "दक्षता बनाम समता" की दुविधा का उत्कृष्ट उदाहरण है — यह ज़िला प्रशासकों के लिए एक आम नैतिक रणक्षेत्र है।

प्रशासनिक दृष्टि: एक लोक सेवक के लिए नैतिक दुविधाएँ सैद्धांतिक नहीं, बल्कि रोज़ की वास्तविकता हैं। तकनीकी समस्याओं के विपरीत, दुविधाओं का कोई एक स्पष्ट हल नहीं होता — इनमें "धूसर रंगों" के बीच रास्ता निकालना पड़ता है — यानी ऐसी स्थितियों में, जो न पूरी तरह सफ़ेद (सही) हैं और न पूरी तरह काली (ग़लत)। इन मूल्य-संघर्षों को परिभाषित और विश्लेषित न कर पाने से अक्सर **अनिर्णय, मनमाने निर्णय या राजनीतिक रूप से सुविधाजनक रास्ता** चुना जाता है, नैतिक रूप से सही नहीं। **दुविधा को पहचानना ही उसके नैतिक समाधान का पहला क़दम है।**

New India Education by Omkar Sir

कहानी: "नियम की एक रेखा" — पेंशन और पात्रता की दुविधा

बीकानेर ज़िले के एक उपखंड में कमला देवी (काल्पनिक नाम), 68 वर्ष की एक विधवा, की वृद्धावस्था पेंशन अचानक रुक गई। नई जाँच में उनके परिवार की वार्षिक आय पात्रता-सीमा से कुछ सौ रुपये अधिक दर्ज हुई थी, क्योंकि उनके बेटे की एक अस्थायी मज़दूरी को स्थायी आय मान लिया गया था। बेटा अब गुजरात में कहीं काम ढूँढ़ रहा था और माँ से संपर्क भी नहीं था। कमला देवी के पास दवा के पैसे भी नहीं थे।

उपखंड अधिकारी सुनील (काल्पनिक नाम) के सामने दुविधा थी। नियम का अक्षर साफ़ कहता था — आय सीमा से अधिक, तो पेंशन नहीं। पर नियम की भावना थी — असहाय बुजुर्ग को सहारा। कर्मचारी ने कहा — "साहब, एक बार छूट देंगे तो सौ लोग आ जाएँगे।" सुनील जानते थे कि नियम तोड़ना भी ग़लत होगा और आँख मूँदकर उसे लागू करना भी।

सुनील ने तीसरा रास्ता खोजा — तथ्यों की दोबारा, ईमानदार जाँच। पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी ने गाँव जाकर पड़ोसियों के बयान लिए, बेटे के पुराने नियोक्ता से पुष्टि की और पाया कि वह आय केवल तीन महीने की अस्थायी मज़दूरी थी, जो अब बंद हो चुकी थी। वास्तविक आय सीमा से काफी कम निकली। सुनील ने लिखित, कारण-सहित आदेश से पेंशन बहाल की, पिछली रुकी राशि भी दिलवाई, और कमला देवी को वृद्धजन-देखभाल योजना और निःशुल्क दवा योजना से भी जोड़ा।

फिर उन्होंने एक स्थायी सुधार भी किया — उपखंड में यह व्यवस्था बनी कि किसी भी लाभार्थी की पेंशन रोकने से पहले उसे सुनवाई का अवसर मिले और अस्थायी आय की जाँच अलग से हो। अगले छह महीनों में ऐसे 37 और मामले सामने आए, जिनमें पेंशन ग़लत ढंग से रुकी थी। सुनील ने प्रशिक्षण में कहा — "नियम की रेखा पार नहीं की, बस यह देखा कि रेखा सही जगह खिंची थी या नहीं।"

 इस कहानी से सीख: "विवेक बनाम नियम" की दुविधा में सबसे अच्छा समाधान अक्सर नियम तोड़ना या आँख मूँदकर लागू करना नहीं, बल्कि तथ्यों की ईमानदार पुनः जाँच, सुनवाई का अवसर (प्राकृतिक न्याय) और कारण-सहित लिखित निर्णय होता है। एक व्यक्ति की समस्या से व्यवस्था की कमी पहचानकर उसे सुधारना ही सच्ची लोक सेवा है।

इन 21 प्रकारों को चार व्यापक समूहों में समझना आसान है — (1) व्यक्तिगत मूल्य-टकराव (1, 2, 9, 14), (2) संस्थागत/प्रक्रिया-संबंधी (5, 6, 7, 8, 13, 15, 18, 20), (3) समाज और नीति-स्तरीय (3, 4, 10, 11, 12, 17, 21), (4) सूचना और सुरक्षा-संबंधी (16, 19)। किसी भी वास्तविक स्थिति को इनमें से सही श्रेणी में पहचान लेना ही उसके समाधान की आधी यात्रा है — उसके बाद अगले खंड का ALIR मॉडल रास्ता दिखाता है।

4. ALIR मॉडल एवं नैतिक दुविधा हल करने के दृष्टिकोण

4.1 ALIR मॉडल — नैतिक दुविधा हल करने की 4-चरण प्रक्रिया

आसान परिभाषा: ALIR मॉडल (ALIR Model)

 परिभाषा: किसी भी नैतिक दुविधा में उलझे होने पर, निर्णय को चार कसौटियों — जवाबदेही (Accountability), वैधता (Legality), सत्यनिष्ठा (Integrity) व संवेदनशीलता (Responsiveness) — पर परखकर एक संतुलित व व्यावहारिक निर्णय तक पहुँचा जा सकता है।

 आसान भाषा में: जैसे किसी नए पुल के डिज़ाइन को मंजूरी देने से पहले एक इंजीनियर उसे चार अलग-अलग जाँचों (भार-क्षमता, सामग्री-गुणवत्ता, लागत, समय-सीमा) से गुज़ारता है — ठीक वैसे ही ALIR मॉडल किसी नैतिक निर्णय को चार कसौटियों से गुज़ारकर परखने में मदद करता है।  उदाहरण: किसी जटिल भूमि-अधिग्रहण मामले में — अधिकारी पहले देखे कि निर्णय राज्य/जनता के प्रति जवाबदेह है (A), संविधान-सम्मत है (L), उसकी अपनी सत्यनिष्ठा से मेल खाता है (I), और सबसे कमज़ोर पक्ष की ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील है (R) — तभी वह निर्णय संतुलित माना जाएगा।

अक्षर	पूरा नाम	अर्थ एवं उपयोग
A	जवाबदेही (Accountability)	राज्य व सरकार के प्रति लोकातांत्रिक जवाबदेही — नागरिकों के प्रति उत्तरदायी रहना।
L	वैधता (Legality)	संविधान की सर्वोच्चता व न्यायिक नियमों का पालन — कानून की कसौटी पर खरा उतरना।
I	सत्यनिष्ठा (Integrity)	पेशेवर नैतिक सिद्धांतों से दृढ़ता से जुड़े रहना — जैसा मिशन कर्मयोगी में अपेक्षित है।
R	संवेदनशीलता (Responsiveness)	नागरिक-कल्याण के प्रति संवेदनशील रहना — गांधीजी के टैलिज़्मन (सबसे गरीब की कसौटी) की भावना।

ALIR मॉडल — निर्णय की चार कसौटियाँ

ALIR

A — जवाबदेही

क्या मैं इस निर्णय के लिए जवाब दे सकूँगा?

L — वैधता

क्या यह क़ानून के भीतर है?

I — सत्यनिष्ठा

क्या यह ईमानदार और निष्पक्ष है?

R — संवेदनशीलता

क्या यह जनता की ज़रूरत के प्रति उत्तरदायी है?

चित्र 7.9: ALIR मॉडल — निर्णय की चार कसौटियाँ

4.2 नैतिक दुविधा हल करने के 10 दृष्टिकोण (Approaches)

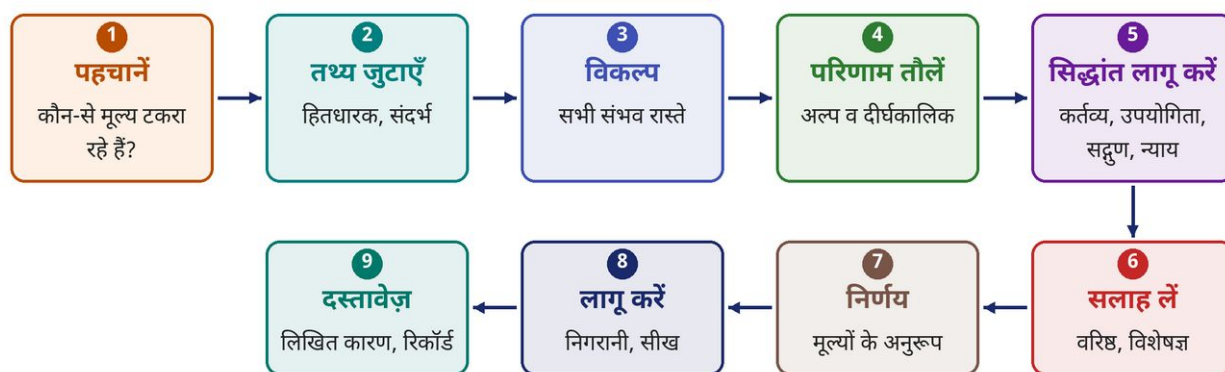
ALIR मॉडल के अतिरिक्त, अलग-अलग नैतिक परंपराओं से निकले 10 दृष्टिकोण भी किसी दुविधा को सुलझाने में सहायक होते हैं — व्यवहार में इन्हें उचित उदाहरण सहित लागू करना निर्णय की गुणवत्ता बढ़ाता है।

दृष्टिकोण	मुख्य विचार	उदाहरण
उपयोगितावादी (Utilitarian)	अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण (बेन्थम)।	सार्वभौमिक बुनियादी आय (UBI) — सर्वाधिक लोगों को लाभ।
अधिकार दृष्टिकोण (Rights Approach)	हर मनुष्य को गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार।	अनुच्छेद 21 — जीवन व गरिमा का अधिकार।
न्याय/निष्पक्षता (Justice/Fairness)	समानों के साथ समान व्यवहार — कोई पक्षपात नहीं (रॉल्स)।	अज्ञानता का आवरण (Veil of Ignorance) — नियम ऐसे बनें, मानो बनाने वाले को अपनी सामाजिक स्थिति ही पता न हो।
सामान्य भलाई (Common Good)	जो समाज के लिए अच्छा है, वही व्यक्ति के लिए भी अच्छा है।	वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना।
सद्गुण दृष्टिकोण (Virtue Approach)	सद्गुणी व्यक्ति का कार्य सदैव नैतिक होता है (अरस्तू)।	भगवान कृष्ण का चरित्र — सद्गुण-आधारित आचरण।
कर्तव्यवादी (Deontological)	परिणाम की परवाह किए बिना कर्तव्य-पालन (कांट)।	सत्येंद्र दुबे — जान देकर भी सत्य का साथ दिया।
नेहरूवादी (Nehruvian)	राष्ट्रीय हित सर्वोपरि।	वैज्ञानिक दृष्टिकोण, पंथनिरपेक्षता।
विवेकानंद दृष्टिकोण	मानव-जाति की सेवा ही अंतिम लक्ष्य।	दरिद्र नारायण की सेवा।
गांधीवादी टैलिज़्मन (Gandhian Talisman)	निर्णय सबसे गरीब व कमज़ोर व्यक्ति के लिए उपयोगी होना चाहिए।	अंत्योदय — अंतिम व्यक्ति को प्राथमिकता।
कानूनी दृष्टिकोण (Legal Approach)	कार्य कानूनी सिद्धांतों का पालन करे, न्यायिक कसौटी पर खरा उतरे।	विधि का शासन (Rule of Law)।

4.3 नैतिक दुविधा हल करने का नौ-चरण ढाँचा

नैतिक दुविधा को हल करने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया इस प्रकार है: (1) **दुविधा पहचानें** — कौन-से नैतिक सिद्धांत या मूल्य टकरा रहे हैं, क्या यह दो सही या दो ग़लत के बीच चुनाव है?; (2) **जानकारी जुटाएँ** — निर्णय से पहले सभी तथ्य और परिस्थिति इकट्ठी करें, यह पता करें कि निर्णय से कौन-कौन (हितधारक) प्रभावित होंगे और क्या-क्या परिणाम संभव हैं; (3) **विकल्प सोचें** — हर विकल्प को निष्पक्षता, न्याय और व्यक्ति के सम्मान की कसौटी पर परखें; (4) **परिणाम तौलें** — हर विकल्प के तुरंत होने वाले (अल्पकालिक) और आगे चलकर होने वाले (दीर्घकालिक) परिणाम सोचें और देखें कि कौन किस तरह प्रभावित होगा; (5) **नैतिक सिद्धांत लागू करें** — परखें कि अलग-अलग नैतिक सिद्धांत क्या कहते हैं, जैसे कर्तव्यवाद (मेरा कर्तव्य क्या कहता है), उपयोगितावाद (सबसे अधिक लोगों का भला किसमें है), सद्गुण-नीतिशास्त्र, न्याय-दृष्टिकोण (प्राकृतिक न्याय) और अधिकार-दृष्टिकोण (गांधी का जंतर, क़ानून-नियम-संहिताएँ); (6) **सलाह लें** — कठिन मामलों में अकेले निर्णय लेने के बजाय वरिष्ठ अधिकारियों, विषय-विशेषज्ञों या भरोसेमंद सहयोगियों की राय लें, ताकि कोई पहलू छूट न जाए; (7) **निर्णय लें** — ऊपर के सभी चरणों के आधार पर वह विकल्प चुनें, जो टकराते मूल्यों के बीच सबसे अच्छा संतुलन बनाए और जिसे आप खुलकर उचित ठहरा सकें; (8) **लागू करें और विचार करें** — परिणामों की निगरानी और अनुभव से सीखना; (9) **प्रक्रिया का दस्तावेज़ बनाएँ** — निर्णय-प्रक्रिया और उसके कारणों का रिकॉर्ड, ताकि भविष्य में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे।

नैतिक दुविधा का समाधान — नौ चरण



चित्र 7.10: नैतिक दुविधा का समाधान — नौ चरण

4.4 छह प्रश्नों की आत्म-परीक्षा और "अखबार परीक्षण"

नैतिक निर्णय लेते समय लोक सेवक को स्वयं से ये प्रश्न पूछने चाहिए — (1) क्या यह कार्य **क्रानूनी** है और सरकार की नीति के अनुरूप है? (2) क्या यह मेरे विभाग के **लक्ष्यों और आचार संहिता** के अनुरूप है? (3) क्या मुझे लगता है कि यह **सही** है? (4) विभाग, मेरे सहयोगियों, अन्य पक्षों और मेरे लिए इसके **परिणाम** क्या होंगे? (5) क्या मैं इसे **उचित ठहरा** सकता हूँ? (6) यदि इस कार्य की **सार्वजनिक जाँच** हो, यानी कल यह अखबार के पहले पन्ने पर छपे, तो क्या होगा? अंतिम प्रश्न को "**अखबार परीक्षण**" (Newspaper Test) भी कहा जाता है — जो निर्णय सबके सामने सही ठहराया न जा सके, उस पर दोबारा सोचना चाहिए।

निर्णय से पहले छह प्रश्न

मेरा निर्णय



चित्र 7.11: निर्णय से पहले छह प्रश्न

4.5 लोकहित (Public Interest) के चार दर्शन

लोकहित का अर्थ है "सामान्य कल्याण"। सरकार का स्वरूप सार्वभौमिक है — उसे बिना किसी भेदभाव के सामान्य भलाई की सेवा करनी है। प्रशासक लोकहित को किस दृष्टि से देखता है, इसके चार प्रमुख दर्शन हैं:

दर्शन	अर्थ	सीमा
अंतर्ज्ञानवादी (Intuitionist)	संघर्ष की स्थिति में प्रशासक अंतर्ज्ञान से वह विकल्प चुनता है, जो उसे उन परिस्थितियों में सही लगे।	कोई स्पष्ट मार्गदर्शन या लोकहित का स्पष्ट सिद्धांत नहीं देता
पूर्णतावाद (Perfectionism)	समाज के हर क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा; सार्वजनिक संसाधन ऐसे खर्च हों कि समाज के सर्वश्रेष्ठ सदस्य सबसे अधिक लाभान्वित हों।	अभिजात्यवादी और समानता-विरोधी; लोकतांत्रिक समाज के अनुकूल नहीं
उपयोगितावाद	नीति अधिक से अधिक लोगों को बेहतर बनाए, भले कुछ लोग पीछे रह जाएँ — सामाजिक संतुष्टि का शुद्ध योग बढ़े।	अल्पसंख्यक की अनदेखी का खतरा
न्याय का सिद्धांत (रॉल्स)	हर व्यक्ति को अधिकतम समान बुनियादी स्वतंत्रता; नीतियाँ सबके हित में हों और पद सबके लिए खुले हों।	व्यवहार में लागू करना जटिल

दुविधा सुलझाने का चार-चरण क्रम: सबसे पहले पहचानें कि सामने की स्थिति 21 प्रकारों में से किस प्रकार की दुविधा है। फिर स्पष्ट करें कि दोनों पक्षों में कौन-कौन से मूल्य टकरा रहे हैं। इसके बाद संभावित निर्णय को ALIR मॉडल की चार कसौटियों (जवाबदेही, वैधता, सत्यनिष्ठा, संवेदनशीलता) पर जाँचें। अंत में किसी एक या अधिक दृष्टिकोण (जैसे उपयोगितावादी, कर्तव्यवादी या गांधीवादी) के आधार पर अपने निर्णय को उचित ठहराएँ, ताकि वह केवल व्यक्तिगत पसंद नहीं, बल्कि तर्कसंगत निर्णय लगे।

5. अंतरात्मा का संकट एवं हितों का टकराव

5.1 अंतरात्मा का संकट (Crisis of Conscience)

आसान परिभाषा: अंतरात्मा का संकट (Crisis of Conscience)

परिभाषा: यह नैतिक दुविधा का एक अत्यंत गहरा व पीड़ादायक रूप है, जिसमें व्यक्ति को अपने आंतरिक नैतिक विश्वासों और बाहरी परिस्थितियों (नौकरी, सुरक्षा, संस्था के प्रति वफादारी) के बीच भीषण मानसिक संघर्ष करना पड़ता है।

आसान भाषा में: जैसे कोई व्यक्ति जानता हो कि उसका करीबी मित्र गलत काम कर रहा है, पर उसे बताने से दोस्ती टूटने का डर हो — यह भीतर से जो बेचैनी व उलझन पैदा होती है, ठीक वैसी ही, पर कहीं अधिक गंभीर स्थिति 'अंतरात्मा का संकट' कहलाती है। **उदाहरण:** फार्मा कंपनी रैनबैक्सी के पूर्व कार्यकारी दिनेश ठाकुर ने कंपनी की दवाओं में गुणवत्ता-संबंधी गंभीर गड़बड़ियाँ पाई — व्हिसलब्लोअर बनने पर नौकरी छूटने व जान को खतरे की आशंका थी, पर चुप रहने पर लाखों मरीजों तक घटिया दवाएँ पहुँचतीं। उन्होंने अमेरिकी अधिकारियों को सूचित किया, जिसके बाद 2013 में रैनबैक्सी को दोष स्वीकार कर भारी जुर्माना भरना पड़ा — यह अंतरात्मा के संकट का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है।

अंतरात्मा के संकट से उबरने के उपाय

समाधान का स्तर	विधि	उदाहरण
आंतरिक विकास (Inner Development)	ध्यान (Meditation), अध्यात्म, आंतरिक मौन (Inner Silence)।	एप्पल के सह-संस्थापक स्टीव जॉब्स ने 1974 में भारत यात्रा की थी — आध्यात्मिक स्पष्टता की खोज में।
बाह्य ज्ञान (External Knowledge)	गीता, संविधान, कानून व नियमों का गहन अध्ययन।	भौतिक-विज्ञानी जे. रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने परमाणु-बम परीक्षण के बाद भगवद्गीता के श्लोकों का सहारा लिया — यह प्रसंग अक्सर उद्धृत किया जाता है, हालाँकि इसकी व्याख्याएँ अलग-अलग रही हैं।
भावनात्मक बुद्धिमत्ता (EI)	आत्म-जागरूकता, सामाजिक-जागरूकता व स्व-प्रबंधन।	भावनात्मक बुद्धिमत्ता से अंतरात्मा व व्यावसायिक कर्तव्य के बीच संतुलन बनता है।
मज़बूत मूल्य-प्रणाली (Value System)	नैतिक मूल्यों को जीवन का आधार बनाना।	गांधीजी — विचार, वाणी व कर्म में एकरूपता।

अंतरात्मा के संकट से उबरने की सीढ़ी



चित्र 7.12: अंतरात्मा के संकट से उबरने की सीढ़ी

5.2 हितों का टकराव (Conflict of Interest)

आसान परिभाषा: हितों का टकराव (Conflict of Interest)

परिभाषा: जब कोई व्यक्ति अपनी सार्वजनिक हैसियत/पद से लिए जाने वाले निर्णयों में अपने निजी निहित स्वार्थ को शामिल कर लेता है, या शामिल करने की स्थिति में आ जाता है, तो उसे 'हितों का टकराव' कहा जाता है — भले ही अंततः कोई गलत निर्णय लिया गया हो या नहीं, स्थिति स्वयं में ही संदेहास्पद बन जाती है।

आसान भाषा में: जैसे किसी क्रिकेट चयन-समिति के सदस्य का अपना बेटा भी उसी चयन-ट्रायल में शामिल हो — भले ही वह सदस्य पूरी तरह निष्पक्ष रहने की कोशिश करे, स्थिति स्वयं संदेह पैदा करती है; इसीलिए सही तरीका है 'रिक्तयूज़ल' यानी खुद को उस निर्णय-प्रक्रिया से अलग कर लेना। **उदाहरण:** पूर्व गोल्डमैन सैक्स बोर्ड सदस्य रजत गुप्ता को कंपनी की गोपनीय जानकारी का दुरुपयोग कर शेयर-कारोबार (Insider Trading) करने के लिए 2012 में दोषी ठहराया गया, और ICICI बैंक की पूर्व CEO चंदा कोचर को वीडियोकॉन समूह को बैंक-

ऋण मंजूर होने के बदले अपने पति की कंपनी को लाभ मिलने के आरोपों के बीच 2018 में पद छोड़ना पड़ा — दोनों ही मामले 'हितों के टकराव' के प्रत्यक्ष व गंभीर उदाहरण हैं।

उदाहरण	टकराव का स्वरूप	समाधान/कार्रवाई
रजत गुप्ता — इनसाइडर ट्रेडिंग	गोल्डमैन सैक्स बोर्ड सदस्य होते हुए कंपनी की गोपनीय जानकारी से शेयर-कारोबार किया।	अमेरिकी नियामक (SEC) व न्यायालय की सख्त कार्रवाई, कारावास (2012 में दोषसिद्ध)।
चंदा कोचर — ICICI बैंक	वीडियोकॉन समूह को ऋण मंजूरी के बदले पति की कंपनी को लाभ मिलने का आरोप।	जाँच एजेंसियों की कार्रवाई, 2018 में पद से त्यागपत्र।
क्रिकेट चयन-समिति का उदाहरण	चयनकर्ता का पुत्र स्वयं चयन-ट्रायल में — व्यक्तिगत बनाम व्यावसायिक टकराव।	रिक्यूज़ल (Recusal) — स्वयं को निर्णय-प्रक्रिया से अलग करना।

5.3 हितों के टकराव के तीन रूप — उदाहरणों सहित

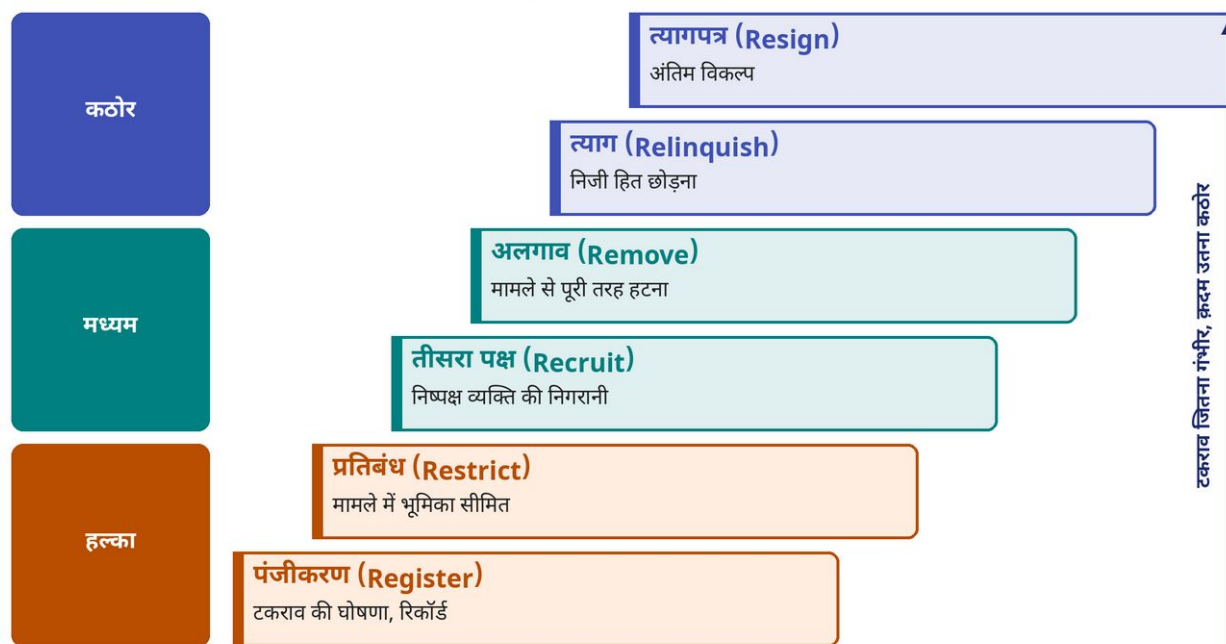
हितों का टकराव एक विशेष प्रकार का मूल्य-संघर्ष है, जिसमें ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं कि प्राथमिक हित (लोकहित) से जुड़े पेशेवर निर्णय पर द्वितीयक हित (निजी लाभ) का अनुचित प्रभाव पड़ने का जोखिम हो। **हितों के टकराव का होना अपने आप में गलत नहीं; व्यक्ति उसे कैसे सुलझाता है, यही उसे नैतिक या अनैतिक बनाता है।**

रूप	अर्थ	उदाहरण
वास्तविक टकराव (Actual)	जब अधिकारी अपना काम करते समय निजी हित से प्रभावित हो सकता है	आदर्श सोसाइटी मामले (युद्ध-विधवाओं के लिए बने फ्लैट रिश्तेदारों को आवंटित होने के आरोप); क्रिकेट बोर्ड के एक पदाधिकारी का साथ-साथ एक लीग टीम का मालिक होना, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय तक प्रश्न उठे
प्रतीत होने वाला टकराव (Perceived)	जब अधिकारी ऐसी स्थिति में हो कि वह निजी हित से प्रभावित दिख सकता है	सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने विदेश यात्रा के दौरान उस देश के अधिकारियों के भोज में जाने से मना किया, क्योंकि उस देश के नौसैनिकों से जुड़ा मामला उनके समक्ष था; ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त एक पुस्तक-विमोचन से उठकर चले गए, क्योंकि वहाँ एक भगोड़ा आर्थिक अपराधी मौजूद था; अखिल भारतीय सेवाओं में अधिकतर अधिकारियों को गृह-राज्य से बाहर का कैडर मिलना
संभावित टकराव (Potential)	जब भविष्य में निजी हित काम को प्रभावित कर सकता है	किसी ग्राहक को उस कंपनी में निवेश की सलाह देना, जो अपने जीवनसाथी की है; एक प्रोफेसर का अपने पद का उपयोग स्वयं लिखी पुस्तक बेचने के लिए करना

प्रतीत होने वाला टकराव भी उतना ही हानिकारक: एक बुरी तरह संभाला गया "प्रतीत होने वाला" टकराव भी वास्तविक टकराव जितना ही नुकसान कर सकता है। लोक सेवकों को न केवल नैतिक आचरण करना चाहिए, बल्कि **नैतिक आचरण करते हुए दिखना भी चाहिए।**

— A C A D E M Y —
New India Education by Omkar Sir

हितों के टकराव का समाधान — 6R सीढ़ी (हल्के से कठोर तक)



चित्र 7.13: हितों के टकराव का समाधान — 6R सीढ़ी (हल्के से कठोर तक)

6R की व्याख्या: 6R नाम इसलिए है, क्योंकि इसके छहों क्रम अंग्रेज़ी में R से शुरू होते हैं — Register, Restrict, Recruit, Remove, Relinquish और Resign। ये टकराव की गंभीरता के अनुसार हल्के क्रम से शुरू होकर कठोर क्रम तक जाते हैं। (1) **पंजीकरण** — टकराव का विवरण घोषित और दर्ज करना; कम जोखिम वाली स्थिति में अकेला यही पर्याप्त हो सकता है। (2) **प्रतिबंध** — अधिकारी को मामले के उन हिस्सों से दूर रखना, जहाँ उसका निजी हित टकराता है, यानी उसकी भागीदारी सीमित करना। (3) **तीसरे पक्ष की नियुक्ति** — किसी निष्पक्ष, बाहरी व्यक्ति को जोड़ना, जो पूरी प्रक्रिया की निगरानी करे, ताकि निर्णय निष्पक्ष बना रहे। (4) **अलगाव** — अधिकारी का स्वयं या अनुरोध पर मामले से पूरी तरह हटना। (5) **त्याग** — टकराव पैदा करने वाले निजी हित (जैसे शेयर) को छोड़ देना। (6) **त्यागपत्र** — पद से इस्तीफ़ा; यह केवल तभी, जब टकराव किसी और व्यावहारिक तरीके से न सुलझ सके।

कहानी: "समिति की अध्यक्ष और पति की कंपनी" — 6R की परीक्षा

एक नगर निगम की स्वच्छता समिति की अध्यक्ष **रेखा** (काल्पनिक नाम) शहर की नई कचरा-प्रबंधन परियोजना के टेंडरों का मूल्यांकन कर रही थीं। तकनीकी रूप से सबसे मज़बूत बोलियों में से एक जिस कंपनी की थी, फ़ाइल पढ़ते हुए उन्हें पता चला कि उसके निदेशक-मंडल में उनके पति एक महत्वपूर्ण पद पर हैं — और यह बात उन्होंने पहले कभी घोषित नहीं की थी, क्योंकि उन्हें खुद इसकी जानकारी नहीं थी।

समिति के एक सदस्य ने सलाह दी — "मैडम, किसी को पता नहीं है, और वैसे भी यह कंपनी सबसे अच्छी है; आप चुप रहिए, परिणाम तो सही ही आएगा।" रेखा जानती थीं कि यह "कोई नुकसान नहीं होगा" वाली भ्रांति है — परिणाम सही हो, तब भी प्रक्रिया पर से भरोसा उठ जाएगा, और भविष्य में सामने आने पर पूरी परियोजना पर प्रश्न लगेगा।

उन्होंने **6R** को क्रम से लागू किया — उसी दिन **लिखित घोषणा** (पंजीकरण) करके आयुक्त को सूचना दी; खुद को इस टेंडर के **मूल्यांकन से पूरी तरह अलग** कर लिया (अलगाव); समिति ने एक **स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञ** को मूल्यांकन की निगरानी के लिए जोड़ा (तीसरा पक्ष); और उनके पति ने स्वेच्छा से उस अनुबंध-काल के लिए कंपनी के उस विशेष प्रकोष्ठ के निर्णयों से खुद को अलग रखने का शपथ-पत्र दिया। पूरी प्रक्रिया का विवरण नगर निगम की वेबसाइट पर डाला गया।

अंततः वह कंपनी पारदर्शी मूल्यांकन में ही विजेता बनी। एक स्थानीय अख़बार ने जब संबंध का मुद्दा उठाया, तो निगम ने पहले से दर्ज घोषणा और प्रक्रिया का रिकॉर्ड सामने रख दिया — विवाद एक दिन में शांत हो गया। रेखा ने बाद में कहा — "मुझे यह साबित नहीं करना था कि मैं ईमानदार हूँ; मुझे बस ऐसी व्यवस्था बनानी थी, जिसमें मेरी ईमानदारी पर किसी को भरोसा करना ही न पड़े।"

इस कहानी से सीख: हितों का टकराव अपने आप में अपराध नहीं, पर उसे छिपाना नैतिक विफलता है। 6R सूत्र (पंजीकरण, प्रतिबंध, तीसरा पक्ष, अलगाव, त्याग, त्यागपत्र) टकराव की गंभीरता के अनुसार क्रम सुझाता है। समय पर घोषणा और पारदर्शी रिकॉर्ड ही अधिकारी की सबसे बड़ी सुरक्षा है।

◆ **बचाव के उपाय** — स्पष्ट नियम व आचार-संहिता, पारदर्शी प्रणाली, नियमित अंकेक्षण (Audit) तंत्र, तथा मूल्य-विकास कार्यक्रम (Value Development Programs)। अर्थात् पहले से साफ़ नियम हों कि किन स्थितियों में घोषणा ज़रूरी है, कामकाज पारदर्शी हो ताकि कुछ छिपाना कठिन रहे, नियमित अंकेक्षण से गड़बड़ी समय पर पकड़ी जाए, और प्रशिक्षण से अधिकारियों में ऐसे मूल्य विकसित हों कि वे स्वयं आगे बढ़कर टकराव की घोषणा करें।

ध्यान रहे: हितों का टकराव सिद्ध होने के लिए किसी ग़लत काम का वास्तव में होना ज़रूरी नहीं — केवल "ऐसी स्थिति का बनना, जहाँ निजी स्वार्थ सार्वजनिक कर्तव्य को प्रभावित कर सकता हो" ही टकराव है। इसीलिए **रिक्त्यूज़ल** (स्वयं को अलग करना) सबसे प्रभावी निवारक उपाय है।

6. प्रशासन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI in Administration)

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) रूटीन कार्यों को स्वचालित करके तेज़ निर्णय लेने में मदद करती है और डेटा-आधारित सिफारिशें देकर नीति-निर्माण को सुदृढ़ बनाती है। भारत में हाल के वर्षों में प्रशासन के कई क्षेत्रों में AI का उपयोग तेज़ी से बढ़ा है।

6.1 प्रशासन में AI के प्रमुख उपयोग

AI उपकरण / क्षेत्र	कार्य / उपयोग	प्रशासनिक लाभ
स्मार्ट सिटी — ट्रैफ़िक AI	वास्तविक-समय सिग्नल नियंत्रण से यातायात प्रबंधन।	यातायात-जाम कम, आपातकालीन प्रतिक्रिया तेज़।
GST विभाग	AI-आधारित धोखाधड़ी पहचान — कर-चोरी पकड़ना।	राजस्व-संग्रहण में वृद्धि, भ्रष्टाचार में कमी।
CCTNS — AI पुलिसिंग	अपराध व अपराधी ट्रैकिंग — चेहरा-पहचान, पैटर्न-विश्लेषण।	अपराध की पूर्व-भविष्यवाणी, त्वरित प्राथमिकी (FIR)।
सभासार (SabhaSaar, अगस्त 2025)	पंचायती राज मंत्रालय द्वारा लॉन्च — ग्राम सभा बैठकों के ऑडियो/वीडियो से AI द्वारा स्वतः कार्यवृत्त (Minutes) तैयार करना।	पंचायती राज में दक्षता, भाषाई बाधा में कमी।
स्वामित्व योजना (SVAMITVA, अप्रैल 2020)	ड्रोन व AI से ग्रामीण भूमि की मैपिंग व संपत्ति-कार्ड जारी करना।	भूमि-विवाद कम, ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण-सुविधा आसान।
गूगल फ़्लड हब (Google Flood Hub)	AI मॉडल — भारत में सर्वप्रथम पटना (बिहार) में 2018 में प्रायोगिक रूप से शुरू, बाद में पूरे भारत में विस्तारित — 7 दिन पहले तक बाढ़ की भविष्यवाणी।	आपदा-पूर्वतैयारी, जीवन-रक्षा।

6.2 AI नैतिकता के छह मूल सिद्धांत

AI नैतिकता एक तेज़ी से विकसित होता क्षेत्र है, जो AI प्रणालियों के डिज़ाइन, विकास, तैनाती और उपयोग से जुड़े नैतिक प्रश्नों की पड़ताल करता है। AI जैसे-जैसे जीवन में गहराई से जुड़ा जा रहा है, यह सुनिश्चित करना सर्वोपरि है कि वह **मानवीय मूल्यों** के अनुरूप हो और सामान्य भलाई में योगदान दे।

AI नैतिकता के छह मूल सिद्धांत

उत्तरदायी AI

हितकारिता AI मानवता के लाभ के लिए हो	अहानिकरता AI हानि न पहुँचाए	स्वायत्तता मानवीय निर्णय-क्षमता का सम्मान
न्याय AI निष्पक्ष और समतापूर्ण हो	पारदर्शिता AI के निर्णय समझाए जा सकें	जवाबदेही AI के कार्यों की स्पष्ट ज़िम्मेदारी

चित्र 7.14: AI नैतिकता के छह मूल सिद्धांत

“ AI दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं को सुलझाने का अभिन्न हिस्सा होगा, पर इसे इस तरह विकसित किया जाना चाहिए कि यह मानवीय मूल्यों को प्रतिबिंबित करे। (AI will be an integral part of solving the world's biggest problems, but it must be developed in a way that reflects human values.) ” — सत्या नडेला के नाम से प्रचलित (Satya Nadella)

6.3 AI में नैतिक मुद्दे (Ethical Issues in AI)

नैतिक मुद्दा	विस्तृत विवरण	उदाहरण
1. निजता (Information Privacy)	डेटा-चोरी (Data Breach) का भारी खतरा — के.एस. पुट्टास्वामी मामले (2017) में सर्वोच्च न्यायालय ने निजता को मौलिक अधिकार घोषित किया, इसलिए तकनीक को निजता का सम्मान करना अनिवार्य है।	2023 में अमेरिकी अस्पताल श्रृंखला HCA Healthcare पर बड़ा साइबर डेटा-चोरी प्रकरण — लगभग 1.1 करोड़ मरीजों का डेटा प्रभावित, अब तक के सबसे बड़े स्वास्थ्य-डेटा उल्लंघनों में से एक।
2. भेदभाव (Algorithmic Bias)	AI डेटा को प्रोसेस करते समय पूर्वाग्रह विकसित कर सकता है, क्योंकि ऐतिहासिक डेटा में ही मौजूदा सामाजिक पूर्वाग्रह छिपे	अमेज़न की आंतरिक भर्ती-AI (अक्टूबर 2018 में उजागर) महिला उम्मीदवारों को अनुचित रूप से

नैतिक मुद्दा	विस्तृत विवरण	उदाहरण
	होते हैं।	कम अंक देती पाई गई — कंपनी ने इस प्रणाली का उपयोग छोड़ दिया।
3. ब्लैक बॉक्स समस्या (Black Box Problem)	AI के निर्णयों को स्पष्ट रूप से समझा पाना कठिन — पारदर्शिता व जवाबदेही की कमी।	कुछ चिकित्सा-AI सिस्टम निदान (Diagnosis) तो सुझाते हैं, पर डॉक्टर उसका पूरा तर्क स्पष्ट नहीं कर पाते — सूचित सहमति (Informed Consent) प्रभावित होती है।
4. अमानवीय प्रशासन (Inhumane Administration)	AI/तकनीक पर अत्यधिक निर्भरता से करुणा व संवेदनशीलता कमज़ोर पड़ सकती है।	झारखंड के सिमडेगा ज़िले में 2017 में आधार से न जुड़ने के कारण राशन कार्ड रद्द होने से एक आदिवासी बालिका को राशन नहीं मिला और भूख से उसकी मृत्यु हो गई — व्यवस्था तकनीकी रूप से 'सही' थी, पर मानवीय रूप से असफल।
5. डिजिटल विभाजन (Digital Divide)	AI-आधारित सेवाओं का लाभ सभी वर्गों तक समान रूप से नहीं पहुँच पाता।	राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (NSS, 2017-18) के अनुसार तब ग्रामीण भारत में मात्र लगभग 15% व शहरी भारत में लगभग 42% परिवारों तक ही इंटरनेट पहुँच थी — हालाँकि एक अनुमान के अनुसार हाल के वर्षों में यह अंतर तेज़ी से घटा है और अब ग्रामीण व शहरी, दोनों क्षेत्रों में अधिकांश परिवारों तक इंटरनेट पहुँच चुका है, पर संरचनात्मक असमानता अब भी बनी हुई है।

अन्य नैतिक चुनौती	विवरण	उदाहरण
जवाबदेही और ज़िम्मेदारी	जब AI प्रणाली ग़लती करे या हानि पहुँचाए, तो ज़िम्मेदार कौन — डिज़ाइनर, डेवलपर, तैनात करने वाला या उपयोगकर्ता?	चालक-रहित कार की दुर्घटना; AI चिकित्सा-उपकरण का ग़लत निदान
स्वायत्तता और नियंत्रण	AI जितना स्वायत्त होगा, मानवीय नियंत्रण का प्रश्न उतना बढ़ा; अत्यधिक निर्भरता से मानवीय कौशल और विवेक का क्षय	बिना मानवीय हस्तक्षेप के जीवन-मृत्यु के निर्णय लेने वाले स्वायत्त हथियार
रोज़गार का विस्थापन	स्वचालन से नौकरियाँ जा सकती हैं और आर्थिक असमानता बढ़ सकती है	कारख़ानों में रोबोट; ग्राहक-सेवा का स्वचालन
भ्रामक सूचना और हेरफेर	AI बेहद वास्तविक लगने वाली झूठी सामग्री बना सकता है, जो जनमत को प्रभावित करे और लोकतंत्र को अस्थिर करे	चुनाव के दौरान नेताओं के "डीपफ़ेक" वीडियो का तेज़ी से फैलना
सुरक्षा और दुरुपयोग	AI प्रणालियों पर साइबर हमले; शक्तिशाली AI का निगरानी या साइबर-युद्ध के लिए दुरुपयोग	AI-नियंत्रित बुनियादी ढाँचे की हैकिंग

समाधान के उपाय	अर्थ	उदाहरण
नैतिक AI डिज़ाइन	विकास-चक्र की शुरुआत से ही नैतिक विचारों को जोड़ना	"मूल्य-संवेदी डिज़ाइन" (Value-Sensitive Design)
विनियमन और शासन	AI के विकास और उपयोग के लिए क़ानून, नीतियाँ और अंतरराष्ट्रीय समझौते	डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023
पारदर्शिता और व्याख्येय AI (XAI)	AI के निर्णयों को मनुष्यों के लिए समझने योग्य बनाना	AI के "भ्रम" (Hallucinations) पर प्रश्न उठाना, मशीन के उत्तर को अचूक सत्य न मानना
मूल्य-संरेखण (Value Alignment)	AI को स्पष्ट रूप से मानवीय मूल्यों और सामाजिक मानदंडों के अनुरूप बनाना	मानवीय निगरानी के साथ निर्णय-सहायक प्रणालियाँ

उद्देश्य AI की प्रगति को रोकना नहीं, बल्कि उसके उत्तरदायी और मानव-केंद्रित विकास को सुनिश्चित करना है। "रेटिंग" और "सामाजिक क्रेडिट" जैसी प्रणालियों पर बनी कुछ प्रसिद्ध काल्पनिक कहानियाँ दिखाती हैं कि जब हर व्यक्ति का मूल्य एक अंक से तय होने लगे, तो लोग दिखावटी व्यवहार करने लगते हैं — यह चेतावनी है कि तकनीक मानवीय आचरण और नैतिकता को किस तरह बदल सकती है।

📖 कहानी: "एल्गोरिदम ने नाम काट दिया" — मशीन की दक्षता और मनुष्य की अंतरात्मा

एक ज़िले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की सूची को "स्वच्छ" करने के लिए एक नई AI-आधारित डी-डुप्लीकेशन प्रणाली (यानी एक ही व्यक्ति के दो-दो बार दर्ज नामों को पहचानकर हटाने वाली प्रणाली) लगाई गई। कुछ ही हफ्तों में प्रणाली ने लगभग चार हजार लाभार्थियों को "संदिग्ध/डुप्लीकेट" बताकर सूची से हटाने की सिफारिश की — इससे सरकार की करोड़ों रुपये की बचत दिखाई जा रही थी। राज्य मुख्यालय से निर्देश आया — "सिफारिश के अनुसार नाम तुरंत हटाएँ।"

ज़िला कलेक्टर अभिषेक (काल्पनिक नाम) ने सूची का एक नमूना खुद देखा। "डुप्लीकेट" बताए गए कई नाम अलग-अलग गाँवों की अलग-अलग विधवाओं के थे, जिनके नाम और पति के नाम संयोग से एक जैसे थे — जैसे "कमला पत्नी रामलाल"। कई बुजुर्गों के फ़िंगरप्रिंट उम्र के कारण मशीन में मेल नहीं खा रहे थे। अभिषेक ने सोचा — "मशीन ने गणना की है, निर्णय नहीं। अगर ये नाम कटे, तो जिन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वही सबसे पहले भूखे रहेंगे।"

उन्होंने मुख्यालय को लिखित रूप से अवगत कराया कि "मानव-इन-द-लूप" (Human-in-the-loop — यानी मशीन की हर सिफारिश पर अंतिम निर्णय कोई ज़िम्मेदार मनुष्य जाँचकर ले) के बिना नाम नहीं हटाए जाएँगे, और 15 दिन का भौतिक सत्यापन अभियान चलाया — हर संदिग्ध लाभार्थी को सूचना, ग्राम सभा में सूची का पठन, और बायोमेट्रिक विफलता वाले बुजुर्गों के लिए वैकल्पिक पहचान (आँख की पुतली, OTP या अधिकारी-प्रमाणन)। नतीजा चौंकाने वाला था — चार हज़ार में से केवल लगभग 600 वास्तव में डुप्लीकेट या अपात्र निकले; बाक़ी 3,400 पात्र लोग थे।

अभिषेक ने अपनी रिपोर्ट में AI प्रणाली को हटाने की नहीं, बल्कि सुधारने की सिफारिश की — मिलान-नियमों में पिता/पति के नाम के साथ गाँव और जन्म-वर्ष जोड़ना, हर सिफारिश के साथ उसका कारण दिखाना (व्याख्येयता), और किसी भी लाभ को रोकने से पहले अनिवार्य मानवीय सत्यापन। राज्य ने इसे सभी ज़िलों के लिए मानक प्रक्रिया बना दिया। प्रशिक्षण में अभिषेक ने कहा — "AI ने हमें 600 असली गड़बड़ियाँ खोजने की क्षमता दी; अंतरात्मा ने 3,400 निर्दोष लोगों को बचाने की दिशा दी।"

🔑 इस कहानी से सीख: AI प्रशासन की क्षमता बढ़ाता है, पर उसके निर्णयों में पूर्वाग्रह, ग़लत मिलान और "ब्लैक बॉक्स" की समस्या हो सकती है। मानव-इन-द-लूप, व्याख्येयता और हानि से पहले सुनवाई — यही उत्तरदायी AI के तीन व्यावहारिक सूत्र हैं। AI और अंतरात्मा प्रतिस्पर्धी नहीं, पूरक हैं।

🔍 आसान परिभाषा: ब्लैक बॉक्स समस्या (Black Box Problem)

📖 परिभाषा: जब कोई AI प्रणाली इतनी जटिल हो जाए कि उसके अपने डेवलपर्स भी यह ठीक-ठीक न समझा सकें कि उसने कोई विशेष निर्णय किन कारणों से लिया — तो इसे 'ब्लैक बॉक्स समस्या' कहा जाता है। इससे पारदर्शिता व जवाबदेही, दोनों प्रभावित होती हैं।

💡 आसान भाषा में: जैसे कोई अत्यंत जटिल मशीन आपको सिर्फ अंतिम उत्तर बताए, पर यह न बताए कि उसने वह उत्तर कैसे निकाला — आप उस पर आँख मूँदकर भरोसा तो कर सकते हैं, पर 'क्यों सही है' यह सत्यापित नहीं कर सकते। 🏠 उदाहरण: यदि कोई AI प्रणाली किसी नागरिक का ऋण-आवेदन या सरकारी योजना का लाभ अस्वीकार कर दे, और अधिकारी स्वयं यह स्पष्ट न कर पाए कि किस आधार पर अस्वीकृति हुई, तो प्रभावित नागरिक अपील का उचित आधार भी नहीं जान पाएगा — यही 'ब्लैक बॉक्स समस्या' का प्रशासनिक खतरा है।

AI के नैतिक मुद्दों को हमेशा एक सकारात्मक और एक नकारात्मक उदाहरण के साथ देखना चाहिए (जैसे गूगल फ़्लड हब का सकारात्मक उपयोग बनाम झारखंड की आधार-लिंगिंग त्रासदी) — इससे स्पष्ट होता है कि AI न तो पूर्णतः अच्छा है, न पूर्णतः बुरा; असली प्रश्न उसके उत्तरदायी उपयोग (Responsible AI) का है।

7. प्रशासन में अंतरात्मा (Conscience in Administration)

☀️ प्रामाणिक कथन

"नैतिकता/अंतरात्मा के मामलों में बहुमत के नियम का कोई स्थान नहीं है" (In matters of conscience, the law of the majority has no place.) — महात्मा गांधी

अंतरात्मा सही और ग़लत की आंतरिक समझ है। गांधीजी के अनुसार यह 'भीतर की आवाज़' (Voice Within) है, जो नैतिक कम्पास का काम करती है। इमैनुएल कांट ने इसे 'आंतरिक न्यायालय' (Internal Court of Law) कहा — जो बाहरी न्यायाधीशों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यह हर परिस्थिति में व्यक्ति के साथ रहती है।

7.1 अंतरात्मा निर्णय-निर्माण में कैसे मदद करती है?

भूमिका	विवरण	उदाहरण
धूसर क्षेत्रों में मार्गदर्शन (Grey Areas)	जब नियम पुराने, अस्पष्ट या अत्यधिक कठोर हों, तब अंतरात्मा नैतिक दिशा दिखाती है।	एक ज़िलाधिकारी ने डॉक्टरों की हड़ताल के दौरान स्वयं मरीज़ों को देखने का निर्णय लिया।
नैतिक स्वायत्तता (Moral Autonomy)	बाहरी नियमों की बजाय अपने नैतिक विश्वास से निर्णय लेना।	मार्टिन लूथर किंग जूनियर — "अन्यायपूर्ण कानूनों की अवहेलना करना नैतिक ज़िम्मेदारी है।"
सहानुभूति व करुणा	सिविल सेवकों को औपचारिक कर्तव्य से आगे बढ़कर संवेदनशील होने की प्रेरणा देती है।	केरल की तत्कालीन खाद्य सुरक्षा आयुक्त टी.वी. अनुपमा (2014-15 में) ने खाद्य-पदार्थों में मिलावट के विरुद्ध अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर सशक्त कार्रवाई की।

भूमिका	विवरण	उदाहरण
नैतिक साहस (Moral Courage)	प्रतिकूल परिस्थितियों में भी नैतिक मार्ग पर डटे रहना।	भगत सिंह के विषय में व्यापक रूप से यह बताया जाता है कि वे फाँसी से ठीक पहले भी शांत मन से पुस्तक पढ़ते रहे — अंतरात्मा की दृढ़ता का प्रतीक।
हितों के टकराव से बचाव	अंतरात्मा व्यक्ति को स्वार्थ से ऊपर उठने में मदद करती है।	मणिपुर के IAS अधिकारी आर्मस्ट्रॉंग पामे ने (2012 में) क्राउडफंडिंग से 'जनता की सड़क' (People's Road) बनवाई, जब सरकारी तंत्र से मदद नहीं मिली।
आंतरिक जवाबदेही	कोई देख न रहा हो, तब भी सही कार्य करना।	हरियाणा कैडर के IAS अधिकारी अशोक खेमका — बार-बार तबादलों के बावजूद सिद्धांतों पर अडिग रहे (विस्तार हेतु देखें अध्याय 6)।

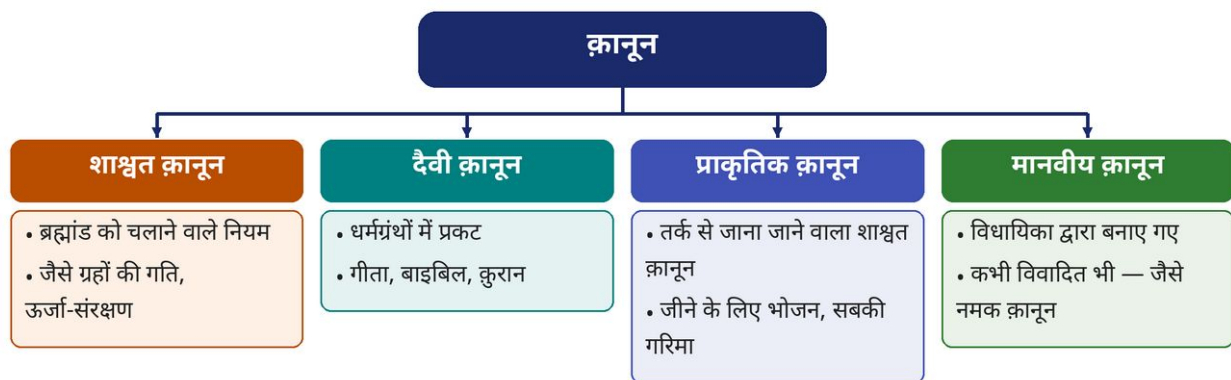
7.2 क़ानून, नियम, विनियम और अंतरात्मा — नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत

नैतिक दुविधा सुलझाने में दो मूलभूत समस्याएँ हैं — (1) नैतिक निर्णय के मानकों के मूल स्रोत क्या हैं? और (2) ये मानक किसी विशेष परिस्थिति पर कैसे लागू हों? मनुष्य अपने कर्मों की नैतिकता को दो स्रोतों से परखता है — **एक बाहर है, क़ानून; और दूसरा भीतर है, अंतरात्मा**। दोनों हम पर नैतिक होने का — यानी अच्छा करने और बुरे से बचने का — दायित्व डालते हैं।

कुछ चीज़ें अकेले नैतिक मानक नहीं बन सकतीं: (1) **धर्म** — महामारी से लड़ाई में किसी धार्मिक मान्यता के आधार पर टीके का विरोध निर्णय की कसौटी नहीं बन सकता; (2) **क़ानून** — भारतीय दंड संहिता की धारा 377 (समलैंगिकता को अपराध मानने वाला प्रावधान) डेढ़ सौ वर्ष से अधिक समय तक क़ानून रहा, जिसे 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने आंशिक रूप से असंवैधानिक ठहराया; (3) **सामाजिक मानदंड** — दहेज और बाल-विवाह जैसी प्रथाएँ समाज में लंबे समय तक 'सामान्य' मानी गईं, फिर भी वे अनैतिक थीं; (4) **विज्ञान** — तकनीकी रूप से संभव हर चीज़ नैतिक नहीं होती, जैसे विज्ञान से गर्भ में भ्रूण का लिंग जाँचना संभव है, पर कन्या-भ्रूण हत्या के लिए उसका उपयोग अनैतिक है; (5) **भावनाएँ** — कई बार ग़लत करके भी व्यक्ति को अच्छा महसूस हो सकता है।

क़ानून की नैतिक अवधारणा: संत थॉमस एक्विनास ने क़ानून को परिभाषित किया — **"सामान्य भलाई के लिए तर्क का एक आदेश, जिसे समुदाय की देखभाल करने वाले ने घोषित किया हो।"** लैटिन शब्द **"लेक्स"** (क़ानून) **"लिगारे"** से बना है, जिसका अर्थ है **"बाँधना"** — क़ानून लोगों को कुछ करने के लिए प्रेरित करता है या कुछ करने से रोकता है; यह दायित्व डालता है। एक्विनास के अनुसार विधायक को तर्कसंगत ढंग से कार्य करना चाहिए — जो वह आदेश दे, वह **अच्छा, संभव और न्यायपूर्ण** हो।

थॉमस एक्विनास — क़ानून के चार प्रकार



चित्र 7.15: थॉमस एक्विनास — क़ानून के चार प्रकार

प्राकृतिक क़ानून और सकारात्मक क़ानून: प्राकृतिक क़ानून मानव-स्वभाव पर आधारित है और तर्क से खोजा जा सकता है; इसके दो गुण हैं — **सार्वभौमिकता** (सभी मनुष्यों पर लागू) और **अपरिवर्तनीयता** (सभी स्थानों और समयों पर एक-सा, क्योंकि मानव-स्वभाव नहीं बदलता)। पर प्राकृतिक क़ानून अक्सर अस्पष्ट और सामान्य होता है, इसलिए **सकारात्मक (नागरिक) क़ानून** — जो विधायक अपनी स्वतंत्र इच्छा से बनाकर घोषित करता है — उसे स्पष्ट करते हैं। नागरिक क़ानून कभी प्राकृतिक क़ानून को दोहराते हैं, कभी उसकी सामग्री स्पष्ट करते हैं, और अक्सर ऐसे विषयों पर होते हैं, जिन पर प्राकृतिक क़ानून मौन है।

नागरिक क़ानून का पालन कब अनिवार्य? इसका पालन इन मान्यताओं पर टिका है — क़ानून एक वैध सरकार ने बनाया हो; वह प्राकृतिक क़ानून के विरुद्ध न हो; उसका पालन नैतिक रूप से संभव हो; वह सामान्य भलाई के लिए हो; और उसे उचित रूप से घोषित किया गया हो। यदि इनमें से कोई शर्त न हो, तो नागरिक उस विशेष क़ानून को मानने के लिए नैतिक रूप से बाध्य नहीं — यही **सविनय अवज्ञा** का तर्क है, हालाँकि ऐसी अवज्ञा ग़ैर-क़ानूनी हो सकती है और उसका दंड भुगतना पड़ सकता है (जैसे गांधी का नमक सत्याग्रह)। **जैसे-जैसे शासन में लोकतंत्र बढ़ता है, क़ानून नैतिकता की ओर बढ़ता है, क्योंकि तब क़ानून जनता की सहमति और नैतिक अपेक्षाओं से बनते हैं।**

आधार	क़ानून (Law)	नियम / विनियम (Rule / Regulation)
कौन बनाता है	संवैधानिक रूप से मान्य निकाय — विधायिका	कोई भी सार्वजनिक या निजी निकाय — कार्यपालिका, संगठन, परिवार का मुखिया

आधार	क़ानून (Law)	नियम / विनियम (Rule / Regulation)
स्वरूप	व्यापक ढाँचा	क़ानून के दायरे में ठोस निर्देश
उद्देश्य	सामान्य भलाई	प्रायः विशेष या संगठनात्मक भलाई
क्षेत्र	सामान्यतः विधायक के क्षेत्र तक सीमित	संगठन का सदस्य जहाँ जाए, वहाँ लागू हो सकता है
उल्लंघन पर दंड	कठोर — जैसे सेवा से बर्खास्तगी, कारावास	अपेक्षाकृत हल्का — जैसे निलंबन

नियम का पालन कब नैतिक? बड़े प्रशासन के सुचारु संचालन के लिए नियम बनाए जाते हैं; उनका पालन नैतिक कहा जा सकता है, यदि वे व्यापक लोकहित को दर्शाते हों, दूसरों के हितों को हानि पहुँचाने के उद्देश्य से न हों, किसी विशेष समूह के स्वार्थ के लिए न हों और सामूहिक राय पर आधारित हों।

क़ानून और नियम नैतिक मार्गदर्शक क्यों हैं?	क़ानून और नियमों की सीमाएँ
ये समाज के नैतिक मूल्यों और मानदंडों का संहिताबद्ध रूप हैं — सही-गलत पर सामूहिक सहमति	अधिकतर बलपूर्वक (Coercive) प्रकृति के
व्यवहार का एक सुसंगत और पूर्वानुमेय ढाँचा देते हैं	शक्तिशाली का औज़ार बन सकते हैं — जैसे रंगभेद (Apartheid) के क़ानून
अधिकारों और कल्याण की रक्षा — हानि, भेदभाव और शोषण की सीमाएँ	कभी सांठगांठ वाले हो सकते हैं — इसीलिए न्यायिक समीक्षा ज़रूरी है
जवाबदेही — उल्लंघन पर दंड का भय अनैतिक आचरण रोकता है	सुधारात्मक के बजाय केवल दंडात्मक हो सकते हैं
विवादों के निष्पक्ष, व्यवस्थित समाधान के तंत्र	अन्यायपूर्ण हो सकते हैं — जैसे पुराने जाति-आधारित विधान, औपनिवेशिक क़ानून
जटिल परिस्थितियों में स्पष्टता और मिसालें	समुदाय के नाम पर व्यक्ति की अनदेखी कर सकते हैं
लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बने, विद्वानों द्वारा विचारित, जनप्रतिनिधियों द्वारा जाँचे और न्यायपालिका द्वारा परखे — इसलिए वैध और वस्तुनिष्ठ	अस्पष्टता, असंगति और क़ानूनी "छिद्र"

प्रशासन में अंतरात्मा की भूमिका



चित्र 7.16: प्रशासन में अंतरात्मा की भूमिका

7.3 केवल अंतरात्मा पर आधारित निर्णयों की सीमाएँ

- ◆ व्यक्तिगत व्यक्तिपरकता (Subjectivity) — अंतरात्मा व्यक्तिगत भावनाओं व पूर्वाग्रहों से प्रभावित हो सकती है, इसलिए यह सदैव 'वस्तुनिष्ठ रूप से सही' होने की गारंटी नहीं देती।
- ◆ सांस्कृतिक सापेक्षता — सिगमंड फ्रॉयड के अनुसार अंतरात्मा काफी हद तक सामाजिक परिवेश/संस्कारण (Conditioning) की उपज है, इसलिए यह संस्कृतियों के बीच भिन्न हो सकती है।
- ◆ आत्म-धोखा (Self-deception) — कई बार लोग अपनी गलतियों को भी 'अंतरात्मा की आवाज़' बताकर उचित ठहरा सकते हैं।
- ◆ कानूनी व सामाजिक मानदंडों से टकराव — केवल अंतरात्मा के आधार पर कार्य करने से कई बार पेशेवर दायित्वों (Professional Obligations) से टकराव हो सकता है।

7.4 अंतरात्मा — नैतिक मार्गदर्शन का भीतरी स्रोत

अंतरात्मा व्यक्ति की **भीतरी आवाज़** है। व्यक्ति के इरादे, निर्णय और आचरण कई बार प्रवृत्तियों, प्रलोभनों, भावनात्मक बंधनों और इच्छाओं से प्रभावित होते हैं, पर अंतरात्मा इन सबसे ऊपर रहती है। कर्तव्यवादी दृष्टि से अंतरात्मा **बुद्धि का एक निर्णय** है — कोई भावना नहीं, बल्कि किसी विशेष कर्म के अच्छे या बुरे होने पर बुद्धि का व्यावहारिक निर्णय; यह किसी भी कर्म के बारे में भी हो सकता है और होने वाले कर्म के बारे में भी। **क़ानून कर्मों के बारे में सामान्य नियम बताता है; अंतरात्मा उस नियम को किसी विशेष कर्म पर लागू करती है** — यानी क़ानून रंग की तरह तैयार सामग्री देता

है, पर उसे किसी विशेष परिस्थिति रूपी चित्र पर सही जगह लगाने का काम ब्रश की तरह अंतरात्मा करती है; इसीलिए कहा गया है कि **अंतरात्मा कानून के लिए वैसी ही है, जैसे रंग के लिए ब्रश।**

अंतरात्मा नैतिक मार्गदर्शक कैसे बनती है?	अंतरात्मा की आवाज़ सुनने के तरीके
विकल्पों का मूल्यांकन करने वाला सबसे निकटतम स्रोत	जल्दबाज़ी में निर्णय न लें
मनुष्य को तर्क देती है और पशु-प्रवृत्तियों से ऊपर उठाती है	निर्णय लें, फिर उसकी समीक्षा करें
भावना नहीं, बल्कि अवचेतन स्तर पर असंख्य गणनाओं के बाद लिया गया तार्किक निर्णय	निर्णय और उसके कारण लिखें
इसका उल्लंघन भीतरी असंगति (Dissonance) पैदा करता है, जो अनैतिक कर्म से रोकता है	एक भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें
जीवन-भर व्यक्ति के साथ रहती है; उसके चरित्र और प्रेरणाओं का मूल्यांकन करती है	
अस्पष्ट कानूनों की सर्वोत्तम व्याख्या में और निर्धारित मानदंडों को नैतिक विचारों से जोड़ने में मदद करती है	

लोक सेवक केवल अंतरात्मा पर क्यों निर्भर नहीं रह सकता? (1) अंतरात्मा **व्यक्तिपरक** है; (2) केवल अंतरात्मा के आधार पर लिए गए निर्णय को **कानूनी संरक्षण** नहीं मिलता; (3) अंतरात्मा हर व्यक्ति में समान रूप से **विकसित** नहीं होती। इसलिए निर्णय कानून, नियम और विनियमों द्वारा निर्धारित ढाँचे में, व्यक्तिगत विश्वासों के बजाय तर्क पर आधारित होने चाहिए — जैसे शौचालय बनवाना पर पानी की व्यवस्था न करना तर्कहीन है, चाहे इरादा कितना भी अच्छा हो।

नैतिकता — "भीतरी जवाबदेही": विद्वानों के अनुसार **नैतिकता को आत्म-जवाबदेही या लोक प्रशासकों के आचरण पर "भीतरी अंकुश" (Inner Check)** माना जा सकता है। आत्म-जवाबदेही और बाहरी जवाबदेही (संसदीय प्रश्न, बहस, समितियाँ) एक-दूसरे से जुड़ी हैं — बाहरी जवाबदेही ही भीतरी जवाबदेही पर अपेक्षाएँ डालती है। सर्वोत्तम प्रशासन वह है, जिसमें दोनों का संश्लेषण हो।

कानून बनाम अंतरात्मा — नैतिक मार्गदर्शन के दो स्रोत

कानून (बाहरी)	बनाम	अंतरात्मा (भीतरी)
सामान्य नियम	स्वरूप	विशेष कर्म पर व्यावहारिक निर्णय
स्पष्टता, वैधता, दंड	शक्ति	संवेदनशीलता, धूसर क्षेत्रों में दिशा
अन्यायपूर्ण या अस्पष्ट हो सकता है	सीमा	व्यक्तिपरक, कानूनी संरक्षण नहीं
रंग	उपमा	ब्रश
दोनों का संतुलन	आदर्श	दोनों का संतुलन

चित्र 7.17: कानून बनाम अंतरात्मा — नैतिक मार्गदर्शन के दो स्रोत

अंतरात्मा एक **ज़रूरी पर अपर्याप्त** मार्गदर्शक है; इसे कानून, नियम और संस्थागत जवाबदेही (जैसे ALIR मॉडल) के साथ संतुलित करना ही सर्वोत्तम प्रशासनिक व्यवहार है।

8. AI बनाम अंतरात्मा — विस्तृत तुलना

आज के प्रशासन की सबसे बड़ी वैचारिक चुनौतियों में से एक यह तय करना है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और मानवीय अंतरात्मा (Conscience) — दोनों की भूमिका किस प्रकार एक-दूसरे की पूरक बने, प्रतिस्पर्धी नहीं। नीचे दोनों की विस्तृत तुलना दी गई है।

आयाम	कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)	अंतरात्मा (Conscience)
प्रकृति (Nature)	एल्गोरिदमिक, तर्क व डेटा-चालित।	नैतिक, करुणा व सत्यनिष्ठा पर आधारित।
गति व पैमाना	तेज़, बड़े पैमाने पर निर्णय — शासन को व्यापक स्तर तक ले जाती है।	धीमी, चिंतनशील — शासन को मानवीय बनाती है।
दृष्टिकोण	डेटा-आधारित वस्तुनिष्ठता (Objectivity)।	मूल्य-आधारित व्यक्तिपरकता (Subjectivity)।
पक्षपात (Bias)	बड़े डेटा से व्यक्तिगत पक्षपात कम होता है, पर ऐतिहासिक/सांस्कृतिक पूर्वाग्रह की संभावना बनी रहती है।	व्यक्तिगत पक्षपात संभव, पर सांस्कृतिक/सामाजिक संदर्भ की गहरी समझ भी देती है।
जवाबदेही	अस्पष्ट — 'ब्लैक बॉक्स समस्या' के कारण ज़िम्मेदारी तय करना कठिन।	स्पष्ट व व्यक्तिगत — नैतिक कर्ता (Moral Agent) स्पष्ट रूप से जवाबदेह होता है।

आयाम	कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)	अंतरात्मा (Conscience)
सहानुभूति (Empathy)	शून्य — मशीन में वास्तविक भावना नहीं होती।	केंद्रीय तत्व — करुणा व दया का मूल स्रोत।
त्रुटि-सुधार	डेटा अद्यतन (Update) व पुनर्प्रशिक्षण से एल्गोरिदम सुधरता है।	नैतिक शिक्षा, आत्म-चिंतन व ध्यान से अंतरात्मा और सशक्त होती है।
मुख्य समस्याएँ	एल्गोरिदमिक पूर्वाग्रह, ब्लैक बॉक्स, डिजिटल विभाजन, निजता का हनन।	व्यक्तिगत व्यक्तिपरकता, आत्म-धोखा, सांस्कृतिक संस्कारण (Conditioning)।

AI बनाम अंतरात्मा — एक नज़र में

AI	बनाम	अंतरात्मा
एल्गोरिदम, डेटा	प्रकृति	नैतिक, करुणामय
गति, पैमाना	शक्ति	विवेक, संवेदना
डेटा का पूर्वाग्रह	पक्षपात	व्यक्तिगत पूर्वाग्रह
अस्पष्ट (ब्लैक बॉक्स)	जवाबदेही	स्पष्ट, व्यक्तिगत
क्षमता बढ़ाता है	भूमिका	दिशा देती है

चित्र 7.18: AI बनाम अंतरात्मा — एक नज़र में

☀ अध्याय का केंद्रीय भाव

AI क्षमता (Capacity) बढ़ाता है — बड़े पैमाने पर, तेज़ी से निर्णय लेने की शक्ति देता है। अंतरात्मा दिशा (Direction) देती है — यह तय करती है कि उस शक्ति का उपयोग किस नैतिक उद्देश्य के लिए हो। AI एक 'प्रवर्धक' (Amplifier) की तरह है, अंतरात्मा एक 'दिशा-सूचक यंत्र' (Compass) की तरह — दोनों मिलकर ही एक आदर्श, तेज़ पर मानवीय प्रशासन का निर्माण करते हैं।

AI और अंतरात्मा — "या" नहीं, "और": दोनों प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि पूरक हैं। **ह्यूमन-इन-द-लूप** — यानी हर महत्वपूर्ण AI निर्णय को अंततः मानवीय अंतरात्मा की समीक्षा से गुज़ारना — यही आदर्श संतुलन है।

9. भारत AI शासन दिशानिर्देश 2025 (India AI Governance Guidelines) एवं आगे की राह

नवंबर 2025 में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा 'भारत AI शासन दिशानिर्देश' (India AI Governance Guidelines) जारी किए गए — ये भारत में सुरक्षित, विश्वसनीय व नैतिक AI विकास हेतु मार्गदर्शक ढाँचा प्रस्तुत करते हैं। इसके तहत एक 'AI गवर्नेंस समूह' (AI Governance Group - AIGG) व एक 'भारतीय AI सुरक्षा संस्थान' (IndiaAI Safety Institute - AISI) जैसी संस्थाओं की भूमिका तय की गई है, जो सुरक्षित व भरोसेमंद AI विकास सुनिश्चित करेंगे।

9.1 सुरक्षित AI के 7 मार्गदर्शक सूत्र (7 Sutas)

क्र.	सूत्र	अर्थ एवं महत्व
1	विश्वास ही आधार है (Trust is the Foundation)	AI प्रणाली पर जनता का विश्वास — पारदर्शी व विश्वसनीय होनी चाहिए।
2	जन-प्राथमिकता (People First)	तकनीक मनुष्य की सेवा करे, उस पर नियंत्रण न करे — मानवीय गरिमा सर्वोपरि।
3	प्रतिबंध नहीं, नवाचार (Innovation over Restraint)	अत्यधिक कठोर विनियमन से नवाचार न रुके — नियंत्रित प्रयोग (Regulated Sandbox) को प्रोत्साहन।
4	निष्पक्षता व समानता (Fairness and Equity)	AI सभी वर्गों के लिए समान रूप से उपलब्ध व निष्पक्ष हो — कोई भेदभाव नहीं।
5	जवाबदेही (Accountability)	AI प्रणाली की हर गड़बड़ी हेतु स्पष्ट उत्तरदायित्व-शृंखला (Responsibility Chain) निर्धारित हो।
6	अभिकल्पना से ही समझने योग्य (Understandable by Design)	AI के निर्णय आरंभ से ही व्याख्या-योग्य (Explainable) बनाए जाएँ — 'ब्लैक बॉक्स' न हों।
7	सुरक्षा, लचीलापन (प्रतिघात-क्षमता) व	AI से भौतिक/डिजिटल क्षति न हो, और यह दीर्घकाल में टिकाऊ रहे — सुरक्षा-प्रथम

क्र.	सूत्र	अर्थ एवं महत्व
	संधारणीयता (Safety, Resilience and Sustainability)	दृष्टिकोण।

सुरक्षित AI के 7 सूत्र — भारत AI शासन दिशानिर्देश

7 सूत्र



चित्र 7.19: सुरक्षित AI के 7 सूत्र — भारत AI शासन दिशानिर्देश

9.2 आगे की राह — संतुलित दृष्टिकोण (Way Forward)

- ◆ पूरकता (Complementarity) — AI प्रशासनिक क्षमता का 'प्रवर्धक' है, अंतरात्मा शासन-व्यवस्था का 'दिशा-सूचक' है — दोनों को साथ चलना है, प्रतिस्पर्धा में नहीं।
- ◆ ह्यूमन-इन-द-लूप (Human-in-the-loop) — हर महत्वपूर्ण AI-निर्णय को अंतिम रूप से मानवीय अंतरात्मा/समीक्षा के फ़िल्टर से गुज़ारना अनिवार्य होना चाहिए।
- ◆ एल्गोरिदम का नैतिक अंकेक्षण (Ethical Audit of Algorithms) — हर AI प्रणाली का नियमित रूप से नैतिक व निष्पक्षता-मूल्यांकन ज़रूरी है।
- ◆ राष्ट्रीय AI रणनीति — नैतिक AI विकास (Ethical AI Development) पर सतत बल देना, ताकि तकनीकी प्रगति व नैतिक ज़िम्मेदारी साथ-साथ चलें।

AI का योगदान	अंतरात्मा का योगदान
◆ डेटा-आधारित निर्णय — व्यक्तिगत पक्षपात में कमी।	◆ करुणा व मानवीय स्पर्श (Empathy and Human Touch)।
◆ बड़े पैमाने पर व तेज़ क्रियान्वयन (Large Scale Implementation)।	◆ धूसर क्षेत्रों (Grey Areas) में नैतिक मार्गदर्शन।
◆ 24x7 सेवा (जैसे AI चैटबॉट्स)।	◆ नैतिक साहस — जोखिम उठाने का सामर्थ्य।
◆ पैटर्न पहचान — धोखाधड़ी व अपराध का पता लगाना।	◆ सांस्कृतिक संदर्भ की गहरी समझ व आंतरिक जवाबदेही।

9.3 नैतिक प्रबंधन और नैतिकता का प्रबंधन

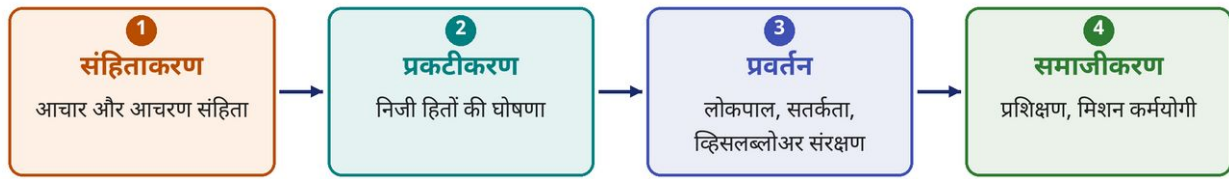
नैतिक प्रबंधन (Ethical Management) का अर्थ है — मूल्यों को प्रशासन के एक महत्वपूर्ण आयाम के रूप में स्वीकार करना और उन्हें संस्था के हर घटक में शामिल करना। प्रबंधन की हर अवस्था (POSDCORB — लोक प्रशासन के विद्वान लूथर गुलिक द्वारा बताए गए प्रबंधन के सात कार्यों का संक्षिप्त रूप: नियोजन, संगठन, कर्मचारी-नियुक्ति, निर्देशन, समन्वय, प्रतिवेदन और बजट) में एक मूल्य जुड़ना चाहिए — **नियोजन** में समावेश और स्थिरता, **संगठन** में निष्पक्षता, **कर्मचारी-नियुक्ति** में तार्किक नियम, **निर्देशन** में लोकतांत्रिकता, **समन्वय** में सहानुभूति, **प्रतिवेदन** में वस्तुनिष्ठता और सत्य, और **बजट** में "अज्ञानता का आवरण" (रॉल्स का विचार — बजट ऐसे बनाया जाए, मानो बनाने वाले को पता ही न हो कि वह स्वयं समाज के किस वर्ग में होगा, ताकि सबसे कमज़ोर वर्ग का भी पूरा ध्यान रहे)। नैतिक प्रबंधन के अभाव में कई बुराइयाँ पनपती हैं — अधिकारी लक्ष्य भूलकर केवल साधनों और प्रक्रियाओं में उलझ जाते हैं (साधन-केंद्रितता), जनता की सेवा की भावना ख़त्म होने लगती है, कमज़ोर और गरीब वर्ग व्यवस्था से कटकर अलग-थलग पड़ जाते हैं, नैतिक भ्रष्टाचार बढ़ता है और हर बात छिपाने वाली गोपनीयता की संस्कृति बन जाती है।

नैतिकता का प्रबंधन (Management of Ethics) का अर्थ है — ऐसे उपकरण और तकनीकें बनाना और उपयोग करना, जो मूल्यों को प्रशासन, कर्मचारियों और नागरिकों के आचरण से जोड़ें — जैसे **लोकपाल**, **व्हिसलब्लोअर संरक्षण**, **आचार संहिता और आचरण संहिता**, और **पेशेवर समाजीकरण (प्रशिक्षण)**। किसी भी नैतिक आचरण-ढाँचे में ये तत्व होने चाहिए — नैतिक मानदंडों का संहिताकरण; लोकहित और निजी लाभ के टकराव से बचने के लिए निजी हितों का प्रकटीकरण; संहिता लागू करने का तंत्र; और किसी को पद के योग्य या अयोग्य ठहराने के मानदंड।

परंपरागत मूल्य जो आज भी प्रासंगिक हैं	जिनकी प्रासंगिकता घटी है	नए उभरते मूल्य
ईमानदारी, निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता	केवल प्रक्रियात्मक शुद्धता	लचीलापन, नवाचार
गैर-पक्षपात, समानुभूति	अत्यधिक केंद्रीकरण	प्रतिस्पर्धा, टीम-भावना
लोक सेवा के प्रति समर्पण, वैधता	अनावश्यक गोपनीयता	जोखिम उठाने का साहस, दक्षता

नए मूल्यों की ज़रूरत क्यों? मैक्स वेबर की परंपरागत नौकरशाही के मूल्य — तटस्थता, वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता, नियम-केंद्रितता, पदानुक्रम, गुमनामी और विशेषज्ञता — आज अकेले पर्याप्त नहीं, क्योंकि सरकारी संस्थाओं की भूमिका **नियामक से सुविधादाता** की ओर, **लक्ष्य नियंत्रण से विकास** की ओर बदल रहा है; शासन में सूचना-प्रौद्योगिकी का प्रवेश हुआ है; विशेषज्ञ प्रशासन की माँग बढ़ी है; और निजी क्षेत्र के प्रबंधन-सिद्धांतों को लोक प्रशासन में लाने वाले **"नव लोक प्रबंधन"** की ज़रूरत है।

नैतिकता का प्रबंधन — चार स्तंभ



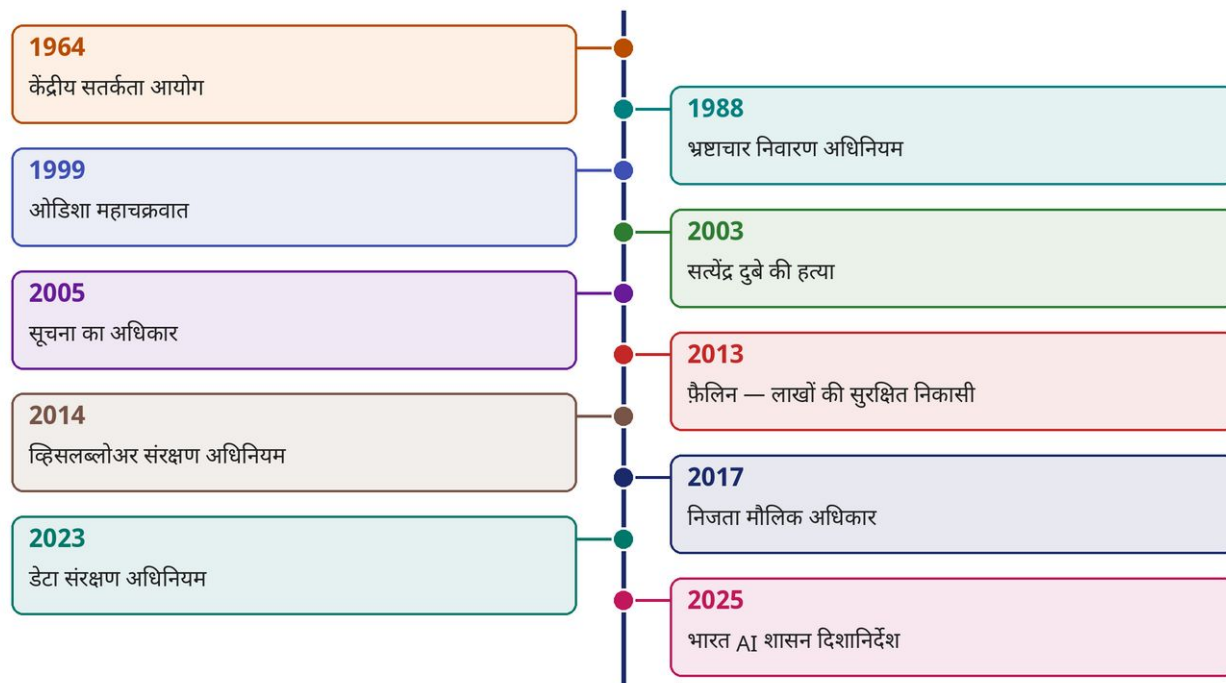
चित्र 7.20: नैतिकता का प्रबंधन — चार स्तंभ

सार-सूत्र: किसी भी दुविधा में सबसे पहले दुविधा के प्रकार को पहचानें, फिर दोनों पक्षों में दाँव पर लगे मूल्य स्पष्ट करें, उसके बाद निर्णय को ALIR मॉडल की चार कसौटियों पर परखें, और अंत में उसे किसी नैतिक दृष्टिकोण (उपयोगितावादी, कर्तव्यवादी या गांधीवादी) से न्यायोचित ठहराएँ। 21 दुविधाओं में से सबसे अधिक उद्धृत उदाहरण हैं — सिद्धांत बनाम आत्म-संरक्षण (सत्येंद्र दुबे), वफ़ादारी बनाम ईमानदारी (दिनेश ठाकुर), स्वायत्तता बनाम जवाबदेही (सतीश धवन-कलाम)। पूरे अध्याय का सार एक पंक्ति में: **"AI क्षमता बढ़ाता है, अंतरात्मा दिशा देती है — दोनों का संतुलन ही आदर्श प्रशासन की कुंजी है।"**

10. नैतिक दुविधाएँ एवं AI — ऐतिहासिक यात्रा

वर्ष / संदर्भ	विषय / घटना
1962	के. संधानम समिति गठित — भ्रष्टाचार-रोधी ढाँचे की सिफ़ारिश हेतु।
1964	संधानम समिति की रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) की स्थापना।
1973	सत्येंद्र दुबे (IES) का जन्म — बिहार।
1974	एप्पल के सह-संस्थापक स्टीव जॉब्स की भारत यात्रा — आध्यात्मिक स्पष्टता की खोज में।
1988	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) पारित।
27 नवंबर 2003	सत्येंद्र दुबे की हत्या — राजमार्ग घोटाला उजागर करने की क्रीम — सिद्धांत बनाम आत्म-संरक्षण का प्रतीक उदाहरण।
2005	सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI Act) पारित — गोपनीयता बनाम पारदर्शिता की दुविधा का एक संस्थागत समाधान।
2012	रजत गुप्ता — गोल्डमैन सैक्स इनसाइडर ट्रेडिंग मामले में दोषसिद्धि।
2013	रैनबैक्सी ने अमेरिकी अधिकारियों के समक्ष दोष स्वीकार किया — दिनेश ठाकुर की व्हिसलब्लोइंग का परिणाम।
2017	के.एस. पुट्टास्वामी मामले — सर्वोच्च न्यायालय ने निजता को मौलिक अधिकार घोषित किया; इसी वर्ष झारखंड के सिमडेगा ज़िले में आधार-लंकिंग के अभाव में राशन कार्ड रद्द होने से एक आदिवासी बालिका की भूख से मृत्यु।
2018	अमेज़न की भर्ती-AI में लैंगिक पूर्वाग्रह उजागर (अक्टूबर); मिशन सत्यनिष्ठा लॉन्च — भारतीय रेलवे (जुलाई); चंदा कोचर का ICICI बैंक से इस्तीफ़ा; गूगल फ़्लड हब का पटना (बिहार) में प्रायोगिक शुभारंभ।
2020	स्वामित्व (SVAMITVA) योजना का शुभारंभ (अप्रैल); गूगल फ़्लड हब का पूरे भारत में विस्तार।
2023	डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP Act) पारित; दिसंबर 2023 में निरसन और संशोधन अधिनियम, 2023 द्वारा कई पुराने कानून निरस्त; अमेरिकी अस्पताल श्रृंखला HCA Healthcare का बड़ा डेटा-चोरी प्रकरण।
2025	सभासार (SabhaSaar) का शुभारंभ — पंचायती राज मंत्रालय (अगस्त); भारत AI शासन दिशानिर्देश जारी — MeitY (नवंबर)।

नैतिक दुविधाएँ और शासन — प्रमुख पड़ाव



चित्र 7.21: नैतिक दुविधाएँ और शासन — प्रमुख पड़ाव

☀ अध्याय का सार — एक पंक्ति में

प्रशासन में नैतिक चिंताएँ व दुविधाएँ अपरिहार्य हैं — असली परीक्षा यह नहीं कि दुविधा आए या न आए, बल्कि यह है कि उसे ALIR मॉडल जैसे व्यवस्थित ढाँचे व अपनी अंतरात्मा की मदद से कैसे सुलझाया जाए; और जैसे-जैसे AI प्रशासन का हिस्सा बनती जा रही है, यह और भी ज़रूरी होता जा रहा है कि उसकी गति व पैमाने को मानवीय अंतरात्मा की दिशा व करुणा से संतुलित रखा जाए।

बोनस: उत्तर-लेखन अभ्यास (मॉडल प्रश्न और उत्तर)

प्रश्न 1: नैतिक दुविधा (Moral Dilemma) से क्या तात्पर्य है? क्या नैतिक संघर्ष की स्थिति में व्यक्तिगत नैतिकता को व्यावसायिक नैतिकता पर प्राथमिकता देनी चाहिए?

उत्तर: नैतिक दुविधा वह स्थिति है जब दो या अधिक नैतिक मूल्यों के बीच टकराव हो और किसी एक को दूसरे की कीमत पर चुनना पड़े — जैसे किसी अधिकारी के सामने संस्था के प्रति वफ़ादारी (व्यावसायिक नैतिकता) और जनहित को उजागर करने की ईमानदारी (व्यक्तिगत नैतिकता) आमने-सामने आ जाएँ।

◆ **व्यावसायिक नैतिकता का महत्व:** संस्थागत अनुशासन, गोपनीयता व टीम-भावना बनाए रखने के लिए आवश्यक है — बिना इसके कोई भी संगठन कार्य नहीं कर सकता।

◆ **व्यक्तिगत नैतिकता की प्राथमिकता कब:** जब व्यावसायिक निष्ठा जनहित, कानून या मौलिक मानवीय मूल्यों के सीधे विरुद्ध जाए — जैसे सत्येंद्र दुबे व दिनेश ठाकुर के मामलों में, जहाँ चुप रहना लाखों लोगों को नुकसान पहुँचाता।

◆ **संतुलन का सिद्धांत:** ब्रिटिश दार्शनिक डब्ल्यू.डी. रॉस का 'प्रथम-दृष्ट्या कर्तव्य' (Prima facie duty) सिद्धांत यहाँ मार्गदर्शक है — इसके अनुसार कुछ कर्तव्य सामान्यतः निभाने ही चाहिए, पर किसी अधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य से टकराने पर वे पीछे हट सकते हैं — सामान्यतः व्यावसायिक निष्ठा निभाई जाए, पर जब वह किसी भारी नैतिक अनिष्ट (गंभीर सार्वजनिक क्षति) को ढकने का साधन बने, तो व्यक्तिगत नैतिकता (सत्य/जनहित) को प्राथमिकता मिलनी चाहिए — पर यह निर्णय उचित संस्थागत माध्यम (जैसे व्हिसलब्लोअर सुरक्षा तंत्र) से लिया जाए, मनमाने ढंग से नहीं।

निष्कर्ष: नैतिक संघर्ष की स्थिति में कोई एक सिद्धांत सदैव 'सही' नहीं होता — पर जब व्यावसायिक वफ़ादारी जनहित के मौलिक हनन का बहाना बन जाए, तब व्यक्तिगत नैतिकता व सत्यनिष्ठा को प्राथमिकता देना ही एक जागरूक लोक सेवक का कर्तव्य है, भले ही उसकी व्यक्तिगत क्रीम कितनी भी बड़ी क्यों न हो।

प्रश्न 2: प्रशासनिक निर्णय-निर्माण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और अंतरात्मा (Conscience) की भूमिका का तुलनात्मक विश्लेषण करें।

उत्तर: आधुनिक प्रशासन में AI व अंतरात्मा दोनों की अपनी विशिष्ट व परस्पर-पूरक भूमिका है — दोनों एक-दूसरे का विकल्प नहीं, बल्कि सहयोगी हैं।

◆ **AI की भूमिका:** डेटा-आधारित, तेज़ व बड़े पैमाने के निर्णयों में सहायक — जैसे गूगल फ़्लड हब से आपदा-पूर्वानुमान, या GST विभाग में धोखाधड़ी-पहचान। पर इसकी सीमाएँ भी स्पष्ट हैं — एल्गोरिदमिक पूर्वाग्रह (अमेज़न भर्ती-AI उदाहरण) व 'ब्लैक बॉक्स समस्या' जैसी चुनौतियाँ।

◆ **अंतरात्मा की भूमिका:** धूसर क्षेत्रों (Grey Areas) में नैतिक मार्गदर्शन व करुणा प्रदान करती है — जैसे झारखंड की घटना में यह स्पष्ट हुआ कि तकनीकी रूप से 'सही' व्यवस्था भी मानवीय अंतरात्मा की अनुपस्थिति में विनाशकारी सिद्ध हो सकती है।

◆ **पूरकता का सिद्धांत:** भारत AI शासन दिशानिर्देश 2025 (India AI Governance Guidelines) के 'जन-प्राथमिकता' (People First) सूत्र में मानवीय निगरानी पर बल दिया गया है; इसी 'ह्यूमन-इन-द-लूप' (Human-in-the-loop) सिद्धांत के अनुसार, हर महत्वपूर्ण AI-सुझाव को अंतिम रूप से मानवीय अंतरात्मा की समीक्षा से गुज़रना चाहिए।

निष्कर्ष: AI प्रशासनिक क्षमता (Capacity) का प्रवर्धक है, जबकि अंतरात्मा उस क्षमता को नैतिक दिशा (Direction) देने वाला दिशा-सूचक यंत्र है — भविष्य का आदर्श प्रशासन वही होगा जो तकनीकी दक्षता (Smart) के साथ-साथ न्यायपूर्ण व मानवीय (Just and Humane) भी हो।



कहानी: एक निर्णय जिसने करोड़ों किसानों की तकदीर बदल दी — डॉ. वर्गीज़ कुरियन (एक सच्ची घटना)

1949 में एक युवा इंजीनियर, **वर्गीज़ कुरियन**, सरकारी नौकरी की एक शर्त पूरी करने के लिए गुजरात के एक छोटे क़स्बे **आणंद** पहुँचे। वे वहाँ रुकना नहीं चाहते थे — अमेरिका से पढ़कर लौटे थे और बड़े शहर की चमक-दमक उन्हें बुला रही थी। पर आणंद में उन्होंने एक दृश्य देखा, जिसने उनका निर्णय बदल दिया।

खेड़ा ज़िले के छोटे दुग्ध-उत्पादक किसान, जिनमें बहुत-सी महिलाएँ थीं, अपना दूध बिचौलियों और एक निजी कंपनी को औने-पौने दाम पर बेचने को मजबूर थे। किसान नेता **त्रिभुवनदास पटेल** ने 1946 में इन किसानों की एक सहकारी समिति बनाई थी, पर उसके पास न तकनीक थी, न प्रबंधन। त्रिभुवनदास ने कुरियन से कहा — "रुक जाओ, इन किसानों को तुम्हारी ज़रूरत है।" कुरियन के सामने दो रास्ते थे — अपना निजी करियर, या लाखों ग़रीब किसानों का भविष्य।

कुरियन रुक गए — और जीवन भर रुके रहे। उन्होंने एक ऐसा मॉडल बनाया, जिसमें **दक्षता और न्याय** दोनों साथ चले: आधुनिक तकनीक, प्रसंस्करण संयंत्र और ब्रांड (दक्षता — साधनभूत तार्किकता); और साथ ही यह सिद्धांत कि **दूध का मालिक किसान है**, उपभोक्ता के रुपये का बड़ा हिस्सा सीधे किसान तक पहुँचे, और हर गाँव की समिति लोकतांत्रिक ढंग से किसान ही चलाएँ (न्याय — मूल्य तार्किकता)। इसी से **"अमूल"** बना। 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने **"ऑपरेशन फ़्लड"** शुरू किया, जिसने इस मॉडल को पूरे देश के गाँवों तक पहुँचाया।

आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध-उत्पादक देश है, और करोड़ों छोटे किसान, जिनमें बड़ी संख्या महिलाओं और भूमिहीनों की है, इस व्यवस्था से रोज़ की आय पाते हैं। कुरियन के जन्मदिन **26 नवंबर** को भारत में **राष्ट्रीय दुग्ध दिवस** मनाया जाता है। उनका जीवन इस अध्याय का सार है — एक अच्छा निर्णय वह है, जो **सामाजिक न्याय** को केंद्र में रखे, **मानवीय संवेदना** से निकले, **जवाबदेह** संस्थाएँ बनाए, और **दक्षता तथा मूल्यों** — दोनों का संतुलन साधे।

इस कहानी से सीख: नैतिक निर्णय केवल "सही-ग़लत" का चुनाव नहीं, बल्कि दक्षता (साधनभूत तार्किकता) और न्याय (मूल्य तार्किकता) के संतुलन से ऐसी व्यवस्था बनाना है, जो सबसे कमज़ोर को सबसे अधिक लाभ दे। निजी करियर पर सार्वजनिक भलाई को चुनना ही लोकसेवा की आत्मा है।

शुरुआत एक सच्ची घटना से...

26 नवंबर 2008 की रात — मुंबई आतंकी हमले के दौरान, महाराष्ट्र आतंकवाद-विरोधी दस्ते (ATS) के प्रमुख हेमंत करकरे अपर्याप्त सुरक्षा वाली पुरानी बुलेटप्रूफ़ जैकेट पहनकर ही मोर्चे पर निकल पड़े — फिर भी वे पीछे नहीं हटे और कर्तव्य निभाते हुए शहीद हो गए। उनका यह निर्णय किसी एक दार्शनिक सिद्धांत से नहीं, बल्कि कई नैतिक धाराओं के संगम से उपजा था — गीता का 'लोकसंग्रह' (समाज-कल्याण की भावना), कांट का 'कर्तव्य के लिए कर्तव्य', और प्लेटो का 'साहस' नामक सद्रूप — सब एक साथ उस निर्णय में समाया हुआ था। असल सवाल यही है — कोई निर्णय आखिर 'नैतिक' कब कहलाता है, और एक जटिल परिस्थिति में सही निर्णय तक पहुँचने की कोई व्यवस्थित प्रक्रिया भी होती है क्या? यही इस अध्याय का केंद्रीय विषय है — सामाजिक न्याय, मानवीय संवेदनशीलता, जवाबदेही और तार्किकता (Rationality) के ठोस आधारों पर खड़ा एक नैतिक निर्णय-ढाँचा।

अध्याय 08 — एक नज़र में

चित्र 8.1: अध्याय 08 — एक नज़र में

कहानी: अध्याय की यात्रा — "जनसुनवाई का एक दिन: उपखंड अधिकारी मीरा"

(यह एक काल्पनिक कहानी है। जनसुनवाई के हर मामले में इस अध्याय का एक भाग छिपा है।)

हर गुरुवार की तरह उपखंड अधिकारी मीरा की जनसुनवाई में सुबह से भीड़ थी। उनकी मेज़ पर एक छोटी पट्टिका रखी थी, जिस पर उनके प्रशिक्षक की एक पंक्ति लिखी थी — "हर फ़ाइल के पीछे एक चेहरा है।"

पहला मामला — कौन-सा निर्णय नैतिक? दो पड़ोसी गाँवों के बीच चरागाह का विवाद था। मीरा ने सोचा — नियम क्या कहता है (कर्तव्य), अधिक लोगों का भला किसमें है (परिणाम), और एक न्यायप्रिय व्यक्ति क्या करता (सद्गुण)? (खंड 1 और 2)

दूसरा मामला — सामाजिक न्याय: एक भील बालिका की माँ आई — बेटी ने दसवीं में अच्छे अंक पाए, पर छात्रवृत्ति का ऑनलाइन आवेदन नहीं हो पाया, क्योंकि गाँव में इंटरनेट ही नहीं था। मीरा को समझ आया कि समान नियम, असमान परिस्थितियों में अन्याय भी बन सकता है। (खंड 3)

तीसरा मामला — मानवीय चिंता: बाढ़-राहत शिविर से ख़बर आई कि कुछ प्रवासी मज़दूर परिवारों को पहचान-पत्र न होने के कारण राशन नहीं मिल रहा। मीरा ने तुरंत आदेश दिया — "भूख पहचान-पत्र नहीं देखती।" (खंड 4)

चौथा मामला — जवाबदेही: एक नई सड़क छह महीने में ही उखड़ गई थी। लोग नाराज़ थे। मीरा ने तय किया — जाँच होगी, ज़िम्मेदारी तय होगी, ठेकेदार से मरम्मत करवाई जाएगी, और रिपोर्ट सबके सामने रखी जाएगी। (खंड 5)

पाँचवाँ मामला — निर्णय की कसौटी: एक उद्योग को नियमों में ढील देने का प्रस्ताव आया। मीरा ने अपने निर्णय को परखा — क्या मैं इसे अख़बार में छपने दे सकती हूँ? अगर मैं प्रभावित ग्रामीण होती, तो क्या इसे स्वीकार करती? (खंड 6)

छठा मामला — मन, संस्था और समाज: मीरा ने देखा कि उनके दफ़्तर का माहौल, उनके वरिष्ठों का रवैया और समाज की अपेक्षाएँ — सब उनके निर्णयों को प्रभावित करते हैं। (खंड 7)

शाम — दक्षता और मूल्य: दिन के अंत में डैशबोर्ड पर लिखा था — "आज 112 शिकायतें निपटाई गईं।" मीरा मुस्कुराई — गिनती दक्षता बताती है, पर कितने लोगों को सचमुच न्याय मिला, यह मूल्य बताते हैं। आदर्श प्रशासन दोनों से बनता है। (खंड 8 से 10)

इस कहानी से सीख: यह अध्याय नैतिक निर्णय के दार्शनिक आधारों से शुरू होकर सामाजिक न्याय, मानवीय चिंताओं, जवाबदेही, निर्णय की प्रक्रिया और परीक्षणों, निर्णय को प्रभावित करने वाले कारकों तथा साधनभूत और मूल्य तार्किकता के संतुलन तक जाता है।

मीरा की जनसुनवाई — अध्याय के सात पड़ाव



चित्र 8.2: मीरा की जनसुनवाई — अध्याय के सात पड़ाव

अध्याय विषय-सूची

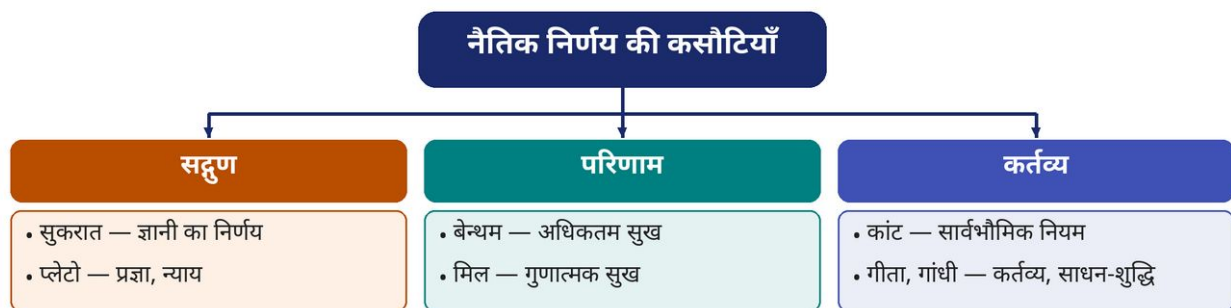
1 कौन-सा निर्णय नैतिक कहलाता है? — 7 दार्शनिक दृष्टिकोण	6 नैतिक निर्णय की 5-चरण प्रक्रिया एवं 10 परीक्षण
2 नैतिक निर्णय लेने के 14 आधार (Basis of Ethical Decision Making)	7 नैतिक निर्णय में योगदान करने वाले कारक
3 सामाजिक न्याय (Social Justice)	8 साधनभूत बनाम मूल्य तार्किकता (Instrumental vs Value Rationality)
4 मानवीय चिंताएँ (Humanitarian Concerns)	9 आगे की राह — संतुलित दृष्टिकोण (Way Forward)
5 शासन में जवाबदेही (Accountability in Governance)	10 नैतिक निर्णय-निर्माण — ऐतिहासिक यात्रा

1. कौन-सा निर्णय नैतिक कहलाता है? — 7 दार्शनिक दृष्टिकोण

अलग-अलग दार्शनिक परंपराओं ने 'नैतिक निर्णय' को अलग-अलग कसौटियों से परखा है। नीचे दी गई तालिका इन सातों दृष्टिकोणों को सरल भाषा व प्रशासनिक उदाहरणों सहित प्रस्तुत करती है — ध्यान दें कि ये सभी दृष्टिकोण अध्याय 6 में विस्तार से पढ़े जा चुके सिद्धांतों (सुकरात, प्लेटो, बेन्थम, मिल, कांट आदि) का ही एक संक्षिप्त, निर्णय-केंद्रित पुनरावलोकन हैं।

दार्शनिक/स्रोत	नैतिक निर्णय की कसौटी	प्रशासनिक उदाहरण
सुकरात (Socrates)	वह निर्णय नैतिक है, जो ज्ञानी व्यक्ति द्वारा लिया जाए — "ज्ञान ही सद्गुण है, अज्ञानता पाप है।"	आचार-संहिता व कानूनों का पूर्ण ज्ञान होने पर ही बेहतर निर्णय संभव।
भगवद्गीता	जो निर्णय लोकसंग्रह (सामाजिक कल्याण) व निष्काम कर्म (बिना फल की इच्छा) की भावना से लिया जाए।	26/11 मुंबई हमले में ATS प्रमुख हेमंत करकरे का बलिदान — कर्तव्य सर्वोपरि।
प्लेटो (Plato)	जो निर्णय चार सद्गुणों — प्रज्ञा, साहस, संयम व न्याय — पर आधारित हो।	IAS दुर्गा शक्ति नागपाल — रेत-खनन माफ़िया के विरुद्ध साहसिक कार्रवाई (साहस)।
जेरेमी बेन्थम	अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख — मात्रात्मक उपयोगितावाद।	सार्वभौमिक बुनियादी आय (UBI) — सर्वाधिक लोगों को लाभ।
जॉन स्टुअर्ट मिल	गुणात्मक उपयोगितावाद — उच्च बौद्धिक/नैतिक सुखों को शारीरिक सुखों से श्रेष्ठ मानना।	लक्षित बुनियादी आय (Targeted Basic Income) — जीवन-गुणवत्ता पर बल।
हिंदू दर्शन	जो निर्णय धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष — इन चार पुरुषार्थों का पालन करे।	लोक-सेवा = धर्म; संसाधनों का उपयोग = अर्थ।
गांधीजी (जंतर — Talisman)	जो निर्णय सबसे गरीब व कमज़ोर व्यक्ति के लिए उपयोगी हो।	अंत्योदय — समाज के अंतिम व्यक्ति को प्राथमिकता।

सात दृष्टिकोण — तीन स्तंभों में



चित्र 8.3: सात दृष्टिकोण — तीन स्तंभों में

ये 7 दृष्टिकोण अध्याय 6 के तीन-स्तंभ वर्गीकरण से सीधे जुड़े हैं — सुकरात और प्लेटो **सद्गुण-नीतिशास्त्र** में, बेन्थम और मिल **परिणामवाद** में, और कांट जैसा **कर्तव्यवाद** गीता और गांधी के दृष्टिकोण में झलकता है। सरल शब्दों में — सद्गुण-नीतिशास्त्र पूछता है कि 'एक अच्छा और चरित्रवान व्यक्ति इस स्थिति में क्या करता?', परिणामवाद पूछता है कि 'किस निर्णय से सबसे अधिक लोगों का भला होगा?', और कर्तव्यवाद पूछता है कि 'मेरा कर्तव्य क्या है, परिणाम चाहे जो हो?' हिंदू दर्शन का पुरुषार्थ-विचार जीवन के इन सभी पक्षों में संतुलन की बात करता है।

2. नैतिक निर्णय लेने के 14 आधार (Basis of Ethical Decision Making)

एक नैतिक प्रशासनिक निर्णय सामान्यतः 14 आधार-स्तंभों में से कई पर एक साथ टिका होता है — नीचे इन्हें क्रमबद्ध रूप से सरल व्याख्या सहित दिया गया है।

क्र.	आधार	सरल व्याख्या
1	ईमानदारी व सत्यनिष्ठा (Honesty & Integrity)	निर्णय लेने वाले का चरित्र निष्कलंक हो — व्यक्तिगत लाभ की सोच न हो।
2	विश्वास व वफ़ादारी (Trust & Loyalty)	संविधान व लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति अटूट निष्ठा।
3	निष्पक्षता व न्याय (Fairness & Justice)	शक्ति का उपयोग सामाजिक न्याय के लिए — किसी के प्रति पक्षपात नहीं।
4	मानवाधिकार व गरिमा की चिंता	हर मनुष्य की गरिमा का सम्मान — देखभाल, करुणा व दयालुता।
5	मानवीय चिंताएँ (Humanitarian Concerns)	मानवता के बड़े संकटों के प्रति संवेदनशीलता।
6	कानून, नियम व विनियम	निर्णय संवैधानिक व वैधानिक ढाँचे के अनुरूप हो।
7	उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता (Excellence)	सर्वोत्तम परिणाम के लिए सतत प्रयासरत रहना।
8	जवाबदेही (Accountability)	निर्णयों के परिणामों की ज़िम्मेदारी स्वयं लेना।
9	स्पष्ट अंतरात्मा (Clear Conscience)	अंतरात्मा की आवाज़ को आंतरिक नैतिक कम्पास मानना।
10	सामाजिक मानदंड व संस्कृति	समाज की मान्यताओं व परंपराओं का सम्मान।
11	परिणामों की चिंता (Consequences)	निर्णय के दीर्घकालिक व अल्पकालिक प्रभावों का आकलन।
12	सामाजिक न्याय (Social Justice)	वंचित व हाशियाकृत वर्गों हेतु संसाधनों का उचित वितरण।

क्र.	आधार	सरल व्याख्या
13	मानवता व करुणा (Humanity)	ज़रूरतमंदों के प्रति सहानुभूति व सक्रिय सहायता।
14	विवेकाधिकार का उचित उपयोग	विशेष परिस्थितियों में नियमों से परे जाकर मानवीय निर्णय लेना।

नैतिक निर्णय के 14 आधार — चार समूह

चरित्र ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, साहस	न्याय और मानवता निष्पक्षता, करुणा, सामाजिक न्याय	संस्थागत-वैधानिक क्रानून, नियम, जवाबदेही, पारदर्शिता	संदर्भ और लचीलापन परिस्थिति, विवेक, दीर्घकालिक दृष्टि
---	--	--	---

चित्र 8.4: नैतिक निर्णय के 14 आधार — चार समूह

इन 14 आधारों को चार समूहों में समझना आसान है — (1) **चरित्र** से जुड़े (1, 2, 9), (2) **न्याय और मानवता** से जुड़े (3, 4, 5, 12, 13), (3) **संस्थागत/वैधानिक** (6, 7, 8), (4) **संदर्भ और लचीलापन** (10, 11, 14)। किसी भी वास्तविक निर्णय में इनमें से 4-5 आधार सबसे अधिक प्रासंगिक होते हैं।

3. सामाजिक न्याय (Social Justice)

☀️ प्रामाणिक कथन

"कहीं भी अन्याय, हर जगह न्याय के लिए खतरा है" (Injustice anywhere is a threat to justice everywhere.) — मार्टिन लूथर किंग जूनियर

🔍 आसान परिभाषा: सामाजिक न्याय एवं ROPE सूत्र

📖 **परिभाषा:** सामाजिक न्याय का अर्थ है — समाज में संसाधनों, अवसरों व विशेषाधिकारों का उचित वितरण, तथा सभी वर्गों (विशेषकर वंचित व हाशियाकृत) का सशक्तिकरण। इसे सरलता से 'ROPE' सूत्र द्वारा याद किया जा सकता है।

💡 **आसान भाषा में:** जैसे एक परिवार में माता-पिता अपने सभी बच्चों को समान संसाधन (भोजन, शिक्षा) व अवसर देने की कोशिश करते हैं, भले ही किसी बच्चे को अतिरिक्त सहयोग की ज़रूरत हो — राज्य भी अपने सभी नागरिकों के लिए ठीक ऐसी ही भूमिका निभाता है। 🏠
उदाहरण: R = संसाधन (Resources) का न्यायपूर्ण वितरण, O = समान अवसर (Opportunities), P = विशेषाधिकारों में समानता (Privileges), E = सभी का सशक्तिकरण (Empowerment)। सामाजिक न्याय हेतु प्रतिवर्ष 20 फ़रवरी को 'विश्व सामाजिक न्याय दिवस' (UN World Day of Social Justice) मनाया जाता है। रोज़मर्रा में इसे ऐसे समझें — हर गाँव में स्कूल और अस्पताल पहुँचाना संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण है; नौकरी की भर्ती में हर उम्मीदवार को एक-सा मौक़ा मिलना समान अवसर है; जन्म, जाति या पैसे के आधार पर किसी को विशेष छूट न मिलना विशेषाधिकारों में समानता है; और महिलाओं व वंचितों को इतना सक्षम बनाना कि वे अपने जीवन के निर्णय स्वयं ले सकें, सशक्तिकरण है।

ROPE सूत्र — सामाजिक न्याय के चार स्तंभ

सामाजिक न्याय

R — संसाधन न्यायपूर्ण वितरण	O — अवसर सबको समान अवसर	P — विशेषाधिकार जन्म-आधारित विशेषाधिकार का अंत	E — सशक्तिकरण वंचितों की आवाज़ और क्षमता
---------------------------------------	-----------------------------------	--	--

चित्र 8.5: ROPE सूत्र — सामाजिक न्याय के चार स्तंभ

समानता बनाम समता — सामाजिक न्याय की कुंजी

समानता (Equality)	बनाम	समता (Equity)
सबको एक जैसा देना	अर्थ	ज़रूरत के अनुसार देना
सबकी शुरुआत एक-सी है	मान्यता	शुरुआत असमान है
सबके लिए एक ही ऑनलाइन फ़ॉर्म	उदाहरण	इंटरनेट-रहित गाँवों के लिए विशेष शिविर
अनुच्छेद 14 — विधि के समक्ष समता	संविधान	अनुच्छेद 15(4), 16(4), 46 — विशेष प्रावधान

चित्र 8.6: समानता बनाम समता — सामाजिक न्याय की कुंजी

3.1 सामाजिक न्याय क्यों ज़रूरी है? — 8 कारण

क्र.	कारण	दार्शनिक/संदर्भ
1	शांतिपूर्ण व समृद्ध समाज के लिए	असमानता से क्रांतियाँ जन्म लेती हैं (जैसे फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति)।
2	मानव-गरिमा व विविधता का उत्सव	इमैनुएल कांट — मनुष्य साध्य है, साधन नहीं।
3	संसाधनों का कुशल उपयोग	गांधीजी — पृथ्वी सबकी आवश्यकता पूरी कर सकती है, लालच नहीं।
4	सुख की अधिकतमता	अरस्तू का 'समम् बोनम' (Summum Bonum) — सर्वोच्च शुभ या कल्याण (Highest Good), यानी ऐसा अच्छा जीवन जिसे पाने के लिए बाक़ी सब किया जाता है।
5	जॉन रॉल्स का न्याय-सिद्धांत	अज्ञानता का आवरण (Veil of Ignorance) — पक्षपात-रहित निर्णय।
6	राज्य का संवैधानिक कर्तव्य	अनुच्छेद 38 (सामाजिक-आर्थिक न्याय) व अनुच्छेद 39 (संसाधन-वितरण) — राज्य के नीति-निदेशक तत्व, संविधान में 1949-50 से निहित।
7	लोकसंग्रह व सर्वोदय	गीता का 'लोकसंग्रह' + गांधीजी का सर्वोदय-अंत्योदय।
8	गांधीजी का जंतर (Talisman)	निर्णय की कसौटी — समाज के अंतिम व्यक्ति पर प्रभाव।

3.2 सामाजिक न्याय के उदाहरण

क्षेत्र	उदाहरण
अंतरराष्ट्रीय	अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन (1950-60 का दशक) — मार्टिन लूथर किंग जूनियर।
संवैधानिक प्रावधान	अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 — समानता व अस्पृश्यता-उन्मूलन।
सकारात्मक भेदभाव	आरक्षण की माँग, दलित आंदोलन (1970 का दशक), LGBTQ+ अधिकार।
जन-आंदोलन	अन्ना हज़ारे — भ्रष्टाचार के विरुद्ध; नियमगिरि सुरक्षा समिति (ओडिशा) — आदिवासी अधिकार।
सरकारी योजनाएँ	मनरेगा, PM आवास योजना, PM किसान, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम।
दृष्टिकोण-परिवर्तन	'विकलांग' से 'दिव्यांगजन' — भाषा में गरिमा; तृतीय-लिंग की मान्यता।

संविधान में सामाजिक न्याय: संविधान की प्रस्तावना **सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय** का वचन देती है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों में **अनुच्छेद 38** राज्य को ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे और आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं तथा अवसरों की असमानता घटे; **अनुच्छेद 39(ग)** यह सुनिश्चित करने को कहता है कि आर्थिक व्यवस्था ऐसी न हो, जिससे धन और उत्पादन के साधनों का कुछ हाथों में अहितकारी केंद्रीकरण हो; और **अनुच्छेद 46** कमज़ोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की विशेष देखभाल का निर्देश देता है।

सुशासन में सामाजिक न्याय और समता: सुशासन का अर्थ है — शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार में **समान अवसर** देकर सामाजिक-आर्थिक असमानता घटाना; **कल्याणकारी योजनाओं** को प्रभावी ढंग से लागू करके उनका लाभ वंचित और हाशिये के वर्गों तक पहुँचाना; अभिव्यक्ति, सभा और विधि के समक्ष समता जैसे **मानवाधिकारों की रक्षा**; और **अल्पसंख्यकों के अधिकारों** की रक्षा कर उन्हें सामाजिक-राजनीतिक ताने-बाने में शामिल करना। आर्थिक न्याय के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी है — इसीलिए गांधी ने अमीर-गरीब की खाई पाटने को राष्ट्रीय एकता के लिए अनिवार्य माना, और आंबेडकर ने सामाजिक न्याय को लोकतंत्र की पूर्व-शर्त।

सामाजिक न्याय के दार्शनिक आधार: जॉन रॉल्स का अंतर-सिद्धांत (असमानता तभी स्वीकार्य, जब वह सबसे वंचित के हित में हो), **अमर्त्य सेन** का क्षमता उपागम (केवल संसाधन नहीं, बल्कि उन्हें उपयोग करने की वास्तविक क्षमता), और **अरस्तू** का वितरणात्मक न्याय (समान मामलों में समान, असमान में असमान व्यवहार) — तीनों मिलकर बताते हैं कि सामाजिक न्याय "सबको एक-सा" देना नहीं, बल्कि "हर किसी को आगे बढ़ने का वास्तविक अवसर" देना है। संयुक्त राष्ट्र ने 2007 में **20 फरवरी** को **विश्व सामाजिक न्याय दिवस** घोषित किया, जो 2009 से मनाया जाता है।

3.3 प्रशासन में सामाजिक न्याय की भूमिका

- ◆ कल्याणकारी योजनाओं का अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना (Last Mile Delivery) — यानी योजना केवल कागज़ पर या ज़िला मुख्यालय तक सीमित न रहे, बल्कि दूर-दराज़ के गाँव में बैठे सबसे ज़रूरतमंद व्यक्ति को उसका लाभ सचमुच मिले।
- ◆ प्रगतिशील कराधान (Progressive Taxation) — अधिक आय वालों पर अधिक कर, गरीबों को राहत।
- ◆ आरक्षण व सकारात्मक भेदभाव (Positive Discrimination) — जिन वर्गों को सदियों तक शिक्षा, नौकरी और सम्मान के अवसर नहीं मिले, उन्हें विशेष अवसर देकर बाक़ी समाज की बराबरी पर लाना।
- ◆ राजस्थान के उदाहरण — इंदिरा रसोई योजना (अब श्री अन्नपूर्णा रसोई), जिसमें ज़रूरतमंदों को बहुत कम दाम पर पौष्टिक भोजन मिलता है; कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, जिसमें अच्छे अंक लाने वाली छात्राओं को स्कूटी दी जाती है ताकि दूरी के कारण उनकी पढ़ाई न छूटे; और पालनहार योजना, जिसमें अनाथ व बेसहारा बच्चों का पालन-पोषण करने वाले परिवारों को आर्थिक सहायता मिलती है।

कहानी: "छात्रवृत्ति का पोर्टल और इंटरनेट-रहित गाँव" — समान नियम, असमान परिस्थिति

उदयपुर ज़िले के कोटड़ा क्षेत्र में ज़िला समाज कल्याण अधिकारी **प्रकाश** (काल्पनिक नाम) ने देखा कि इस वर्ष मैट्रिक-पश्चात छात्रवृत्ति के आवेदन पिछले वर्ष की तुलना में लगभग आधे रह गए थे। कारण जल्दी समझ आ गया — इस बार आवेदन केवल **ऑनलाइन पोर्टल** से हो रहे थे। शहर के छात्रों के लिए यह सुविधा थी, पर दूर के आदिवासी गाँवों में न इंटरनेट था, न ई-मित्र केंद्र, और कई परिवारों के पास बैंक खाते का आधार से जुड़ाव भी नहीं था।

नियम सबके लिए एक-सा था — अंतिम तिथि तक ऑनलाइन आवेदन। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा — "जिसे ज़रूरत है, वह आवेदन करेगा; हम हर बच्चे के घर नहीं जा सकते।" प्रकाश ने सोचा — क्या "सबके लिए एक-सा नियम" उस बच्ची के लिए भी न्यायपूर्ण है, जिसे आवेदन के लिए तीस किलोमीटर दूर जाना पड़े? समानता यहाँ अन्याय बन रही थी; ज़रूरत **समता** की थी।

प्रकाश ने अंतिम तिथि से तीन हफ्ते पहले "**छात्रवृत्ति सप्ताह**" चलाया — हर पंचायत मुख्यालय पर विद्यालयों के साथ मिलकर विशेष शिविर, जहाँ लैपटॉप और मोबाइल इंटरनेट के साथ कर्मचारी बैठे; बैंक प्रतिनिधियों ने वहीं खातों को आधार से जोड़ा; और जनजातीय छात्रावासों के अधीक्षकों को हर पात्र छात्र की सूची बनाकर आवेदन करवाने की ज़िम्मेदारी दी गई। जो दस्तावेज़ तुरंत उपलब्ध नहीं थे, उनके लिए राज्य-स्तर से अनुमति लेकर बाद में जमा करने की छूट दिलवाई।

अंतिम तिथि तक आवेदन पिछले वर्ष से भी 18% अधिक हो गए, और उनमें लड़कियों का अनुपात सबसे अधिक बढ़ा। अगले वर्ष राज्य ने यह मॉडल सभी जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में लागू किया। प्रकाश ने अपनी रिपोर्ट में लिखा — "डिजिटल व्यवस्था दक्षता लाती है, पर अगर उसका दरवाज़ा सबसे कमज़ोर तक न पहुँचे, तो वह नई असमानता बन जाती है।"

 **इस कहानी से सीख:** सामाजिक न्याय का अर्थ समान नियम नहीं, बल्कि समान अवसर है। जब परिस्थितियाँ असमान हों, तो समता (ज़रूरत के अनुसार विशेष व्यवस्था) ही न्याय है। "डिजिटल विभाजन" जैसी नई असमानताओं के प्रति सजगता आज के प्रशासक का अनिवार्य गुण है।

समानता और समता का अंतर: समानता (Equality) का अर्थ है सबको एक जैसा देना, जबकि सामाजिक न्याय की भावना **ज़रूरत के अनुसार अतिरिक्त सहयोग** — यानी समता (Equity) — में निहित है, जैसा आरक्षण नीति में दिखता है। ROPE सूत्र इसी समता को व्यवहार में उतारता है।

4. मानवीय चिंताएँ (Humanitarian Concerns)

मानवीय चिंता वह घटना या परिस्थिति है जो बड़े पैमाने पर मानवता के लिए खतरा उत्पन्न करती है — प्राकृतिक हो या मानव-निर्मित। एक संवेदनशील प्रशासक को इन चिंताओं के प्रति सदैव सजग व सक्रिय रहना चाहिए।

मानवीय चिंता	घटनाएँ / अभियान (Operations)	प्रशासनिक भूमिका व उदाहरण
1. प्राकृतिक आपदाएँ (Natural Disasters)	नेपाल भूकंप 2015 → 'ऑपरेशन मैत्री'; केरल बाढ़ 2018; सुनामी 2004; तुर्की-सीरिया भूकंप 2023 → 'ऑपरेशन दोस्त'।	IAS कन्नन गोपीनाथन — केरल बाढ़ में 8 दिन घर नहीं गए; MG राजामणिक्यम — स्वयं कंधे पर चावल की बोरी उठाई।
2. महामारी (Epidemics/Pandemics)	कोविड-19 (2020-21)।	भीलवाड़ा मॉडल — IAS राजेंद्र भट्ट व टीना डाबी; 'वैक्सीन मैत्री' पहल — लगभग 100 देशों को वैक्सीन आपूर्ति।
3. सीमापार संकट (Cross-border Crisis)	यूक्रेन युद्ध 2022 → 'ऑपरेशन गंगा'; सूडान संकट 2023 → 'ऑपरेशन कावेरी'।	भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निकासी व स्वदेश-वापसी — कूटनीतिक व प्रशासनिक समन्वय का उदाहरण।
4. जलवायु परिवर्तन (Climate Change)	पेरिस समझौता, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance), PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना।	भारत की जलवायु-नीति सौर व जैव-ईंधन (Biofuel) नीतियों पर केंद्रित — जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (Climate Change Performance Index) में भारत की रैंकिंग वर्ष-दर-वर्ष बदलती रहती है।

मानवीय चिंता	घटनाएँ / अभियान (Operations)	प्रशासनिक भूमिका व उदाहरण
5. आतंकवाद (Terrorism)	26/11 मुंबई हमला; संयुक्त राष्ट्र शांति-स्थापना बल (UN Peacekeeping Forces)।	भारत — संयुक्त राष्ट्र में सैनिक-योगदान देने वाले सबसे बड़े देशों में से एक।
6. गरीबी (Poverty)	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), मनरेगा, PM किसान, उज्ज्वला योजना।	खाद्य + आजीविका + ऊर्जा सुरक्षा — बहु-आयामी (Multi-dimensional) दृष्टिकोण।
7. शरणार्थी संकट (Refugee Crisis)	नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) — प्रताड़ित अल्पसंख्यकों हेतु; तिब्बती शरणार्थी (1950 का दशक); रोहिंग्या (म्यांमार)।	भारत एक 'करुणाशील मेज़बान' (Compassionate Host) की भूमिका में — मानवीय आधार पर शरण।

4.1 मानवीय कार्रवाई के चार सिद्धांत और अंतरराष्ट्रीय मानवीय क़ानून

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवीय सहायता के लिए चार मूल सिद्धांत स्वीकार किए हैं — **मानवता** (जहाँ भी मानवीय पीड़ा हो, उसे दूर करना; जीवन और गरिमा की रक्षा), **तटस्थता** (किसी संघर्ष में किसी पक्ष का साथ न देना), **निष्पक्षता** (सहायता केवल ज़रूरत के आधार पर, बिना किसी भेदभाव के — सबसे ज़रूरतमंद को प्राथमिकता) और **स्वतंत्रता** (मानवीय उद्देश्य राजनीतिक, आर्थिक या सैन्य उद्देश्यों से स्वतंत्र रहें)। एक ज़िला प्रशासक के लिए भी आपदा-राहत में यही चार सिद्धांत मार्गदर्शक हैं।

मानवीय कार्रवाई के चार सिद्धांत

मानवीय सहायता

मानवता पीड़ा दूर करना, गरिमा की रक्षा	तटस्थता किसी पक्ष का साथ नहीं	निष्पक्षता केवल ज़रूरत के आधार पर	स्वतंत्रता राजनीतिक उद्देश्यों से मुक्त
---	---	---	---

चित्र 8.7: मानवीय कार्रवाई के चार सिद्धांत

अंतरराष्ट्रीय मानवीय क़ानून (जिनेवा अभिसमय, 1949) के मूल नियम: (1) जो लोग युद्ध में भाग नहीं ले रहे या युद्ध से बाहर हो चुके हैं, उनके जीवन और शारीरिक-नैतिक अखंडता का सम्मान हो और उनसे हर हाल में मानवीय व्यवहार हो; (2) आत्मसमर्पण करने वाले या युद्ध से बाहर हो चुके शत्रु को मारना या घायल करना निषिद्ध है; (3) घायलों और बीमारों की देखभाल हो, और चिकित्सा-कर्मियों, अस्पतालों तथा रेड क्रॉस/रेड क्रिसेंट चिह्न का सम्मान हो; (4) बंदी सैनिकों और नागरिकों के जीवन, गरिमा और विश्वासों का सम्मान हो, उन्हें परिवार से संपर्क का अधिकार हो; (5) किसी पर यातना, शारीरिक दंड या अपमानजनक व्यवहार न हो; (6) अनावश्यक पीड़ा देने वाले हथियार और तरीक़े निषिद्ध हैं; (7) नागरिकों और लड़ाकों में हमेशा भेद हो — हमले केवल सैन्य लक्ष्यों पर हों।

सैन्य/सुरक्षा बलों के लिए नैतिक मार्ग: यदि वरिष्ठ कोई अनैतिक आदेश दें, तो विकल्प हैं — त्यागपत्र, आदेश के पालन से इनकार, विरोध-स्वरूप तबादले का अनुरोध, या आदेश देने वाले से ऊँचे अधिकारी के हस्तक्षेप की माँग। 'युद्ध के बाद का न्याय' (Jus post bellum) का सिद्धांत कहता है कि युद्ध समाप्त होने पर होने वाले शांति-समझौते सभी पक्षों के लिए न्यायसंगत हों — विजेता केवल बदला न ले, बल्कि पुनर्निर्माण और न्याय की व्यवस्था करे — और दीर्घकालिक शांति की परिस्थितियाँ बनाएँ।

4.2 मानवीय सहायता और अंतरराष्ट्रीय वित्तपोषण की नैतिकता

सहायता क्यों? — दार्शनिक कारण: (1) हमने राष्ट्र-राज्यों की कृत्रिम सीमाएँ खींची हैं, पर हम सब एक ही मानव-जाति हैं; (2) ऐतिहासिक बोझ — कई पूर्व औपनिवेशिक देशों ने अन्य देशों के शोषण से विकास किया, इसलिए क्षतिपूर्ति के रूप में सहायता उनका दायित्व है; (3) **त्याग का सिद्धांत** — संपन्न का कर्तव्य है कि वह अपनी संपत्ति का कुछ भाग उनकी रक्षा के लिए त्यागे, जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकते।

सहायता का प्रकार	अर्थ / उदाहरण
मानवीय सहायता	आपात स्थिति में और उसके बाद जीवन बचाने, पीड़ा कम करने और मानवीय गरिमा की रक्षा के लिए — जैसे ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन दोस्त
तकनीकी सहायता	उपकरण नहीं, तकनीकी ज्ञान और क्षमता-निर्माण — सबसे कम खर्चीली, अधिक लाभकारी; जैसे भारत की पैन-अफ्रीकी ई-नेटवर्क परियोजना
आर्थिक सहायता	बहुत कम ब्याज पर दीर्घकालिक ऋण, बुनियादी ढाँचे के लिए
द्विपक्षीय / बहुपक्षीय	भारत द्वारा नेपाल, भूटान, श्रीलंका को सहायता / विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ब्रिक्स बैंक द्वारा
परियोजना सहायता	अफ़ग़ानिस्तान में भारत द्वारा सलमा बाँध (भारत-अफ़ग़ान मैत्री बाँध)
स्वैच्छिक सहायता	सीमाओं से परे काम करने वाली डॉक्टरों की स्वयंसेवी संस्थाएँ, जैसे 'डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स' (Médecins Sans Frontières)
सैन्य सहायता	सबसे विवादित — पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर सकती है

अंतरराष्ट्रीय सहायता के नैतिक मुद्दे: (1) राज्य बनाम गैर-राज्य माध्यम — अगर सहायता सीधे प्राप्तकर्ता देश की सरकार को दी जाए, तो कई बार वह अक्षमता या लालफीताशाही में व्यर्थ खर्च हो जाती है; और अगर सरकार को दरकिनार करके सीधे गैर-सरकारी संस्थाओं को दी जाए, तो उस देश की संप्रभुता (अपने मामलों में स्वयं निर्णय लेने का अधिकार) पर प्रश्न उठता है; **(2) शर्तें** — सहायता के साथ ऐसी शर्तें, जो प्राप्तकर्ता की सबसे ज़रूरी प्राथमिकताओं के बजाय दाता की प्राथमिकताएँ थोपें — इसे कई लोग "दूसरे तरीकों से उपनिवेशवाद" कहते हैं; **(3) एकल-संस्कृतिवाद** — दाता देश सहायता के साथ अपनी संस्कृति, जीवन-शैली और काम करने के तौर-तरीके थोप देता है, जिससे स्थानीय संस्कृति, भाषा और परंपराओं की उपेक्षा होती है; **(4) पुरानी तकनीक का हस्तांतरण** — विकसित देशों की पुरानी, अनुपयोगी हो चुकी तकनीक सहायता के नाम पर दे देना; ; **(5) भ्रष्टाचार** — कई संकटों में सहायता का बहुत छोटा हिस्सा ही प्रभावितों तक पहुँचता है; **(6) निर्भरता** — राज्य अपनी नीतियों के लिए विदेशी सहायता पर निर्भर होने लगता है; **(7) विद्रोही समूहों को अप्रत्यक्ष लाभ** — परिवहन, आयात या गोदामों पर "कर" वसूलकर; और **(8) वित्तीय संस्थाओं में लोकतांत्रिक घाटा** — मतदान-शक्ति कुछ विकसित देशों के पक्ष में।

☀️ राजस्थान-विशेष उदाहरण — भीलवाड़ा मॉडल

कोविड-19 की पहली लहर (मार्च 2020) में जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट ने भीलवाड़ा जिले की सीमाओं को पूर्णतः सील (Seal) किया, तथा तत्कालीन उपखंड अधिकारी (SDM) टीना डाबी ने आगे कार्यान्वयन सुनिश्चित किया — यह मॉडल पूरे देश में प्रशंसित हुआ। यह मानवीय संवेदनशीलता (प्रवासी मज़दूरों की सहायता) व जवाबदेही — दोनों का उत्कृष्ट संगम है।

📖 कहानी: "भूख पहचान-पत्र नहीं देखती" — बाढ़-राहत शिविर की दुविधा

बारां ज़िले में अचानक आई बाढ़ के बाद एक राहत शिविर में लगभग 800 लोग थे। तीसरे दिन तहसीलदार राजेश (काल्पनिक नाम) को शिकायत मिली कि शिविर में रह रहे लगभग 60 प्रवासी मज़दूर परिवारों — जो पास के ईंट-भट्टों पर काम करते थे और दूसरे राज्य से आए थे — को सूखा राशन नहीं दिया जा रहा। राशन-वितरण करने वाले कर्मचारी का तर्क था — "नियम के अनुसार राहत-सामग्री केवल उन्हें मिलेगी, जिनका नाम प्रभावित परिवारों की सूची में है और जिनके पास स्थानीय पहचान-पत्र है।"

राजेश के सामने दुविधा थी — एक ओर लेखा-परीक्षा (ऑडिट) का डर, कि बिना पहचान के बाँटी गई सामग्री का हिसाब कैसे देंगे; दूसरी ओर भूखे बच्चे, जिनका एक ही "अपराध" था कि वे किसी और राज्य में पैदा हुए थे। उन्हें मानवीय सहायता का सिद्धांत याद आया — **निष्पक्षता: सहायता केवल ज़रूरत के आधार पर, बिना भेदभाव।**

राजेश ने तत्काल लिखित आदेश दिया — शिविर में रह रहे हर व्यक्ति को, पहचान-पत्र हो या न हो, भोजन और राशन मिलेगा। लेखा-जोखा के लिए हर प्रवासी परिवार का फ़ोटो सहित एक सरल पंजीकरण किया गया, ईंट-भट्टा मालिकों से उनकी पहचान की पुष्टि करवाई गई, और "एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड" व्यवस्था के तहत जिनके कार्ड थे, उन्हें वहीं राशन दिलवाया गया। ज़िला कलेक्टर को उसी दिन सूचना दी गई, जिन्होंने आदेश का समर्थन किया।

बाद में ऑडिट-दल ने पंजीकरण-रजिस्टर देखकर कहा कि प्रक्रिया पारदर्शी थी। एक प्रवासी मज़दूर की पत्नी ने शिविर से लौटते समय कहा — "हम सोचते थे, परदेस में हमारा कोई नहीं; यहाँ सरकार ने हमें अपना माना।" राजेश ने आपदा-प्रबंधन की ज़िला योजना में एक नई पंक्ति जुड़वाई — "राहत शिविर में पहचान-पत्र के अभाव में किसी को भोजन से वंचित नहीं किया जाएगा।"

🔑 **इस कहानी से सीख:** मानवीय सहायता का मूल सिद्धांत निष्पक्षता है — ज़रूरत ही एकमात्र कसौटी है, पहचान, जाति, धर्म या राज्य नहीं। पर करुणा के साथ जवाबदेही भी ज़रूरी है — सरल पंजीकरण, लिखित आदेश और उच्च अधिकारियों को सूचना करुणा को पारदर्शी बनाते हैं।

भारत के प्रमुख मानवीय अभियान: मैत्री (नेपाल भूकंप, 2015), गंगा (यूक्रेन, 2022), कावेरी (सूडान, 2023), दोस्त (तुर्की-सीरिया भूकंप, 2023) और वैक्सीन मैत्री (कोविड काल) — ये भारत की "वसुधैव कुटुम्बकम्" की भावना के व्यावहारिक रूप हैं।

5. शासन में जवाबदेही (Accountability in Governance)

☀️ सामान्य सिद्धांत

जवाबदेही का अर्थ महज़ 'दोष मढ़ना' (Blame) नहीं, बल्कि 'सीखना और सुधार करना' (Learning and Improving) है — प्रशासनिक सुधार से जुड़े अधिकांश आयोगों (जैसे भारत का द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, जो 2005 में वीरप्पा मोडली की अध्यक्षता में बना, और ब्रिटेन की नोलन समिति, जो 1994 में सार्वजनिक जीवन के आचरण-मानक तय करने के लिए बनी) का यही मूल भाव रहा है।

🔍 आसान परिभाषा: जवाबदेही का सूत्र (Accountability Formula)

📌 **परिभाषा:** जवाबदेही = पारदर्शिता (Transparency) + उत्तरदेयता (Answerability) + प्रवर्तनीयता (Enforceability)।

💡 **आसान भाषा में:** जैसे एक दुकानदार ग्राहक को पक्का बिल देता है (पारदर्शिता), पूछे जाने पर सामान की गुणवत्ता का जवाब देता है (उत्तरदेयता), और ख़राब सामान वापस लेने को बाध्य होता है (प्रवर्तनीयता) — ठीक वैसे ही एक प्रशासक को अपने निर्णयों के लिए तीनों स्तरों पर उत्तरदायी होना पड़ता है। 🏠 **उदाहरण:** सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI Act) 2005 पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, क्योंकि कोई भी नागरिक सरकारी फ़ाइलों की जानकारी माँग सकता है; संसदीय प्रश्नकाल व मीडिया उत्तरदेयता तय करते हैं, क्योंकि वहाँ मंत्रियों और अधिकारियों को सवालों के जवाब देने पड़ते हैं; तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) और लोकपाल जैसी संस्थाएँ प्रवर्तनीयता (दंड/कार्रवाई) सुनिश्चित करती हैं।

जवाबदेही का अर्थ: जवाबदेही का अर्थ है — अधिकारियों का अपने निर्णयों और कार्यों के लिए उत्तरदायी होना; यानी उन्हें सौंपी गई विवेकाधीन शक्ति के प्रयोग का संतोषजनक हिसाब देने का दायित्व, जिसमें विफल रहने पर कोई दंड हो सकता है। यह सुनिश्चित करती है कि जब कर्तव्य और

प्रतिबद्धताएँ पूरी न हों, तो **निवारण** मिले। किसी कार्यक्रम में जवाबदेही और पारदर्शिता की मज़बूती उसकी दक्षता और प्रभावशीलता से, और अंततः लाभार्थियों तक पहुँचे लाभ की मात्रा और गुणवत्ता से मापी जाती है।

ज़िम्मेदारी बनाम जवाबदेही: ज़िम्मेदारी (Responsibility) लोक सेवक की जनता के प्रति उत्तरदायी भावना है; जबकि **जवाबदेही (Accountability)** वह विशिष्ट पद्धति और प्रक्रिया है, जिसके द्वारा लोक सेवक की ज़िम्मेदारी को लागू किया जाता है। ज़िम्मेदारी भीतर से आती है, जवाबदेही बाहर से तय होती है। उदाहरण के लिए, एक डॉक्टर के मन में मरीज़ को ठीक करने की जो कर्तव्य-भावना है, वह उसकी ज़िम्मेदारी है; पर अस्पताल के ऑडिट, शिकायत-जाँच या मेडिकल परिषद के सामने उसे अपने इलाज का जो हिसाब देना पड़ता है, वह उसकी जवाबदेही है। **नैतिकता और जवाबदेही का संबंध:** नैतिकता का स्तर जितना ऊँचा होगा, बाहरी नियंत्रण के मज़बूत साधनों की ज़रूरत उतनी कम होगी; और नैतिकता जितनी कम, बाहरी जवाबदेही के उतने ही शक्तिशाली साधन चाहिए।

5.1 जवाबदेही क्यों ज़रूरी है?

जवाबदेही के लाभ	जवाबदेही के ऐतिहासिक उदाहरण
जनता का विश्वास व आत्मविश्वास बढ़ता है।	लाल बहादुर शास्त्री — रेलमंत्री रहते हुए 1956 के अरियालूर रेल दुर्घटना (23 नवंबर 1956) के बाद नैतिक ज़िम्मेदारी लेते हुए इस्तीफ़ा दिया (इससे पहले महबूबनगर दुर्घटना, सितंबर 1956, पर उनका इस्तीफ़ा नेहरू जी ने अस्वीकार कर दिया था)।
प्रदर्शन (Performance) में सुधार होता है।	सतीश धवन — SLV-3 प्रक्षेपण (1979) की विफलता पर स्वयं सार्वजनिक रूप से ज़िम्मेदारी ली, जबकि अगले वर्ष (1980) की सफलता का श्रेय डॉ. कलाम को दिया।
निर्णय में स्वामित्व (Ownership) आता है — जो स्वयं तय करता है, वह ज़िम्मेदार भी होता है।	ब्रिटेन की नोलन समिति (Nolan Committee, स्थापना अक्टूबर 1994) ने सार्वजनिक जीवन के 7 सिद्धांत (निःस्वार्थता, सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठता, जवाबदेही, खुलापन, ईमानदारी, नेतृत्व) प्रतिपादित किए, जिनमें जवाबदेही एक मूल स्तंभ है।
उपचारात्मक अवसर (Remedial Measure) मिलता है — गलती सुधारने का मौका।	IPS मृदुल कच्छावा — धौलपुर में डकैत गिरोहों के विरुद्ध सघन अभियान चलाकर 'परिणाम-जवाबदेही' (Result Accountability) का उदाहरण प्रस्तुत किया।

5.2 प्रशासक किसके प्रति जवाबदेह है?

जवाबदेही का प्रकार	उपकरण व उदाहरण
1. संविधान के प्रति	संवैधानिक प्रावधानों का पालन; मौलिक कर्तव्य (अनुच्छेद 51A)।
2. संसदीय क़ानूनों के प्रति	उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, RTI अधिनियम 2005, व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम 2014 — नागरिक ही लोक-सेवा का 'उपभोक्ता' है।
3. संस्थाओं के प्रति	लोकपाल व लोकायुक्त, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI, CVC, CAG, निर्वाचन आयोग।
4. स्वयं के प्रति (आंतरिक)	सिटिज़न चार्टर, आंतरिक अंकेक्षण (Internal Audit), वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन (APAR)।
5. तकनीक के माध्यम से	राजस्थान संपर्क पोर्टल, जन सूचना पोर्टल (राजस्थान), प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), CCTV, बायोमेट्रिक उपस्थिति।
6. नागरिकों के प्रति	CPGRAMS (केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली), सामाजिक अंकेक्षण (मनरेगा), 360-डिग्री मूल्यांकन।

ऊर्ध्वाधर बनाम क्षैतिज जवाबदेही

ऊर्ध्वाधर (Vertical)	बनाम	क्षैतिज (Horizontal)
नागरिक / मतदाता	किसके प्रति	राज्य की दूसरी संस्थाएँ
जनता से सरकार की ओर	दिशा	राज्य के अंगों के बीच
चुनाव, जन-आंदोलन, नागरिक अधिकार-पत्र, जन-प्रतिक्रिया	साधन	न्यायिक समीक्षा, संसदीय निगरानी, CAG, लोकपाल
अधूरे वादों पर मतदाता का निर्णय	उदाहरण	CAG द्वारा सरकारी खर्च की जाँच

चित्र 8.8: ऊर्ध्वाधर बनाम क्षैतिज जवाबदेही

क्षैतिज जवाबदेही की नींव — नियंत्रण और संतुलन: अमेरिकी संविधान के प्रमुख निर्माता **जेम्स मैडिसन** ने सत्ता के केंद्रीकरण और दुरुपयोग को रोकने के लिए नियंत्रण और संतुलन पर बल दिया — "महत्वाकांक्षा को महत्वाकांक्षा से संतुलित करो।" इसी तरह **जे.एस. मिल** ने निरंतर सार्वजनिक संवाद और आलोचना (ऊर्ध्वाधर जवाबदेही) को सुशासन के लिए अनिवार्य माना, जो अधिकारियों के नैतिक आचरण को प्रोत्साहित करती है।

5.4 जवाबदेही के पाँच आयाम और विश्व बैंक की दृष्टि

जवाबदेही के मूल में तीन मूल्य हैं — **लोकतंत्र, दक्षता और नैतिकता**। विद्वानों ने जवाबदेही के कम से कम पाँच आयाम बताए हैं: **(1) वैधानिक** — अधिकारी का हर काम कानून के दायरे में हो, यानी विधि का शासन; **(2) वित्तीय** — जनता के पैसे का सही, मितव्ययी और ईमानदार उपयोग तथा उसके हर रुपये का हिसाब; **(3) नीति और प्रदर्शन** — लक्ष्य, वादे और अपेक्षाएँ पूरी करना; **(4) लोकतांत्रिक** — विधायिका और नागरिकों को सूचित करना और उनसे परामर्श; **(5) नैतिक** — आचार संहिता या सामान्य नैतिक मानकों के अनुरूप आचरण। ये आयाम रोज़मर्रा के प्रशासन में अप्रत्यक्ष रूप से मौजूद रहते हैं।

जवाबदेही के पाँच आयाम

जवाबदेही				
वैधानिक विधि का शासन	वित्तीय सार्वजनिक धन	प्रदर्शन लक्ष्य और वादे	लोकतांत्रिक विधायिका, नागरिक	नैतिक आचार संहिता

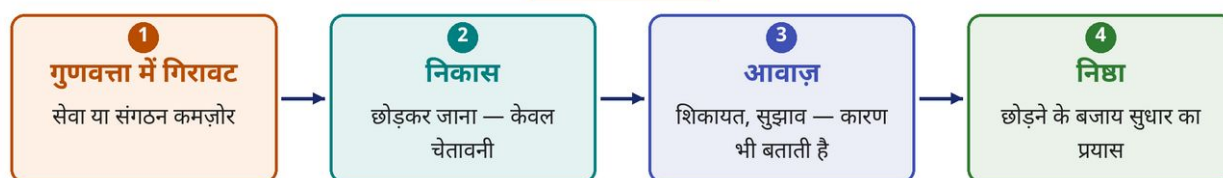
चित्र 8.9: जवाबदेही के पाँच आयाम

विश्व बैंक के अनुसार जवाबदेही के दो रूप: सूक्ष्म जवाबदेही (Micro Accountability) — सेवाएँ जनता की ज़रूरतों के प्रति उत्तरदायी हों; इसके लिए "निकास" (असंतुष्ट होने पर सेवा छोड़ने का विकल्प, जिससे एजेंसी की आय और कर्मचारियों की सुरक्षा पर असर पड़े) और "आवाज़" (जनता की भागीदारी और शिकायत, जो सेवा की गुणवत्ता सुधारे) — दोनों को सेवा-परियोजनाओं के डिज़ाइन में ही शामिल किया जाए। **वृहद जवाबदेही (Macro Accountability)** — इसके दो आयाम हैं: **वित्तीय जवाबदेही** (सुचारु सरकारी लेखा-प्रणाली, खर्च पर नियंत्रण, दुरुपयोग और भ्रष्टाचार को उजागर करने वाली बाहरी लेखा-परीक्षा, और ऑडिट के निष्कर्षों पर अनुवर्ती कार्रवाई) तथा **आर्थिक प्रदर्शन की जवाबदेही** (सार्वजनिक निवेश में संसाधन-उपयोग की समीक्षा और सरकार की स्व-मूल्यांकन क्षमता)।

5.5 निकास, आवाज़ और निष्ठा का सिद्धांत (हर्शमैन)

अर्थशास्त्री **अल्बर्ट ओ. हर्शमैन** (1970) के अनुसार जब किसी संगठन (व्यवसाय, राष्ट्र या कोई भी समूह) की गुणवत्ता गिरती है, तो उसके सदस्यों के पास दो विकल्प होते हैं — **निकास (Exit)** — संबंध तोड़कर चले जाना; या **आवाज़ (Voice)** — शिकायत, सुझाव या विरोध के माध्यम से सुधार का प्रयास। जैसे बढ़ते दमन पर नागरिक या तो देश छोड़ते हैं या विरोध करते हैं; कर्मचारी या तो नौकरी छोड़ते हैं या अपनी चिंता उठाते हैं। "आवाज़" अधिक सूचनाप्रद है, क्योंकि वह गिरावट के कारण भी बताती है; "निकास" केवल चेतावनी है। असहमति को दबाने से लोग "निकास" को मजबूर होते हैं; और जहाँ **निष्ठा (Loyalty)** मज़बूत हो, वहाँ लोग छोड़ने के बजाय आवाज़ उठाना पसंद करते हैं। **प्रशासनिक अर्थ:** एक अच्छी व्यवस्था नागरिकों की "आवाज़" — शिकायत-निवारण, जनसुनवाई, सामाजिक अंकेक्षण — को इतना प्रभावी बनाती है कि उन्हें व्यवस्था से "निकास" (अविश्वास, पलायन) की ज़रूरत ही न पड़े।

निकास, आवाज़ और निष्ठा



चित्र 8.10: निकास, आवाज़ और निष्ठा

5.6 शासन, सुशासन और नैतिक शासन

सरकार संप्रभु शक्ति के प्रयोग की मशीनरी और संस्थागत व्यवस्था है, जबकि **शासन (Governance)** समाज के हित में अधिकारपूर्ण निर्णय लेने की प्रक्रिया और उसका परिणाम है — सरकार "शासन करने" से जुड़ी है, शासन "सेवा करने" से। सुशासन की जड़ें अरस्तू तक जाती हैं — **"राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया, पर अच्छे जीवन के लिए बना रहा।"** लॉक के शब्दों में सरकार तभी तक शासन करे, "जब तक वह जनता के हितों और उनके भरोसे की रक्षा कर सके।" इसी से लोकतंत्र, सहमति से शासन और सुशासन की अवधारणाएँ निकलीं।

आयाम	शासन	सुशासन	नैतिक शासन
अर्थ	हितधारकों के साथ निर्णय और क्रियान्वयन की प्रक्रिया	गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही वाला शासन	स्थापित नैतिक सिद्धांतों पर आधारित शासन
मुख्य विशेषता	निर्णय-प्रक्रिया	पारदर्शिता, जवाबदेही, दक्षता, समावेश	नैतिक सिद्धांतों और मूल्यों का पालन
केंद्र	नियमों और कानूनों का क्रियान्वयन	प्रभावी और कुशल परिणाम	अच्छे इरादे और साधन

नैतिक शासन = जवाबदेही + पारदर्शिता + निष्पक्षता + जन-विश्वास + सेवा-दक्षता। यानी नैतिक शासन तभी बनता है, जब ये पाँचों गुण एक साथ मौजूद हों — इनमें से कोई एक भी कमज़ोर हो, तो शासन पर जनता का भरोसा डगमगा जाता है। नैतिक शासन की माँग है कि लोक सेवक दूसरों की सेवा के सिद्धांत का पालन करें, नैतिक आचरण के ऊँचे मानक रखें और अपने काम को **"व्रत" (Vocation)** — सबके कल्याण को समर्पित, उद्देश्य-पूर्ण जीवन — मानें। **जवाबदेही नैतिकता का व्यावहारिक प्रवर्तन-तंत्र है** — नैतिक सिद्धांत नैतिक दिशा-सूचक हैं, पर जवाबदेही के बिना वे केवल आकांक्षाएँ रह जाते हैं। जवाबदेही नैतिक सिद्धांतों को लागू करती है, पारदर्शिता बढ़ाती है, शक्ति के दुरुपयोग को रोकती है, जन-विश्वास और वैधता बनाती है, और सेवा-वितरण सुधारती है।

सुशासन के छह मापदंड (विश्व बैंक)	नैतिक शासन के लिए महत्व
आवाज़ और जवाबदेही	नागरिक भागीदारी, स्वतंत्र मीडिया
राजनीतिक स्थिरता, हिंसा का अभाव	शांतिपूर्ण शासन-परिवर्तन
सरकारी प्रभावशीलता	सेवाओं की गुणवत्ता
नियामक गुणवत्ता	नियम संतुलित हों — नागरिकों व व्यापार पर अनावश्यक बोझ न डालें
विधि का शासन	अपराध का दंड, अनुबंधों का पालन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सरकार के कार्यों को अदालत में चुनौती की क्षमता
भ्रष्टाचार पर नियंत्रण	परमिट-लाइसेंस में रिश्वत, न्यायपालिका और राजनीति में भ्रष्टाचार का अभाव

5.7 शासन में नैतिक मूल्यों को मज़बूत करना — OECD के 12 सिद्धांत

लोक सेवा में मूल्य कई रास्तों से विकसित होते हैं — **नेतृत्व, कार्य-वातावरण, व्यावहारिक आचार संहिताएँ और मूल्य-वक्तव्य, प्रशिक्षण जैसे पेशेवर समाजीकरण, जोखिम-समीक्षा और नियंत्रण।** यानी अच्छे नेतृत्व का उदाहरण, दफ़्तर का ईमानदार माहौल, स्पष्ट आचार संहिता, प्रशिक्षण के माध्यम से पेशेवर मूल्यों का सीखना और जोखिम वाले कामों की नियमित समीक्षा — ये सब मिलकर कर्मचारियों में नैतिक मूल्य पैदा करते हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) के देशों ने 1998 में लोक सेवा में नैतिक आचरण सुधारने के लिए 12 सिद्धांत तैयार किए:

क्र.	सिद्धांत
1	लोक सेवा के नैतिक मानक स्पष्ट हों
2	नैतिक मानक क़ानूनी ढाँचे में परिलक्षित हों
3	लोक सेवकों को नैतिक मार्गदर्शन उपलब्ध हो
4	ग़लत काम उजागर करते समय लोक सेवक अपने अधिकार और दायित्व जानें
5	नैतिकता के प्रति राजनीतिक प्रतिबद्धता लोक सेवकों के नैतिक आचरण को मज़बूत करे
6	निर्णय-प्रक्रिया पारदर्शी और जाँच के लिए खुली हो
7	सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संपर्क के स्पष्ट दिशानिर्देश हों

क्र.	सिद्धांत
8	प्रबंधक नैतिक आचरण का उदाहरण बनें और उसे बढ़ावा दें
9	प्रबंधन की नीतियाँ, प्रक्रियाएँ और व्यवहार नैतिक आचरण को बढ़ावा दें
10	सेवा-शर्तें और मानव-संसाधन प्रबंधन नैतिक आचरण को बढ़ावा दें
11	लोक सेवा में पर्याप्त जवाबदेही-तंत्र हों
12	कदाचार से निपटने की उचित प्रक्रियाएँ और दंड हों

जवाबदेही के दो प्रसिद्ध उदाहरण: लाल बहादुर शास्त्री का रेल मंत्री पद से इस्तीफा (1956) और सतीश धवन द्वारा SLV-3 की विफलता (1979) की ज़िम्मेदारी लेना — दोनों जवाबदेही के सूत्र (पारदर्शिता + उत्तरदेयता + प्रवर्तनीयता) के जीवंत उदाहरण हैं।

📖 कहानी: "सड़क जो छह महीने में उखड़ गई" — जवाबदेही का सूत्र व्यवहार में

झुंझुनू ज़िले में एक ग्रामीण सड़क, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी थी, पहली ही बरसात में जगह-जगह उखड़ गई। गाँव वालों ने सोशल मीडिया पर टूटी सड़क के वीडियो डाले, और मामला ज़िला स्तर तक पहुँचा। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता **विनोद** (काल्पनिक नाम) के सामने दो रास्ते थे — दोष बारिश और "असाधारण मौसम" पर डाल देना, या सच का सामना करना।

विनोद ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने स्वयं गाँव जाकर ग्रामीणों के सामने स्वीकार किया — "सड़क की गुणवत्ता में कमी हुई है, और निगरानी की ज़िम्मेदारी मेरे विभाग की थी।" फिर उन्होंने **जवाबदेही के सूत्र** के तीनों हिस्से लागू किए। **पारदर्शिता** — सड़क की स्वीकृत लागत, विनिर्देश, ठेकेदार का नाम और गुणवत्ता-जाँच की रिपोर्टें पंचायत भवन पर लगाई गईं। **उत्तरदेयता** — ग्राम सभा में खुली सुनवाई हुई, जहाँ ग्रामीणों ने सवाल पूछे और विभाग ने जवाब दिए; स्वतंत्र प्रयोगशाला से सड़क के नमूनों की जाँच करवाई गई।

प्रवर्तनीयता — जाँच में सामग्री की गुणवत्ता घटिया निकली। अनुबंध की शर्तों के अनुसार ठेकेदार से अपने खर्च पर पूरी सड़क दोबारा बनवाई गई, उसकी ज़मानत राशि ज़ब्त हुई और उसे एक वर्ष के लिए काली सूची में डाला गया; निगरानी में लापरवाही बरतने वाले कनिष्ठ अभियंता पर विभागीय कार्रवाई हुई। साथ ही विनोद ने एक सुधार भी किया — हर नई सड़क पर एक **क्यूआर कोड वाला बोर्ड** लगाया गया, जिसे स्कैन करके कोई भी नागरिक सड़क का विवरण देख सकता था और शिकायत दर्ज कर सकता था, और ग्राम सभा की एक निगरानी-समिति को निर्माण के दौरान निरीक्षण का अधिकार दिया गया।

नई सड़क अगले तीन मानसून झेल गई। ज़िले में नागरिक-शिकायतें घटीं और निर्माण की गुणवत्ता की रैंकिंग सुधरी। विनोद ने एक प्रशिक्षण में कहा — "जवाबदेही का अर्थ किसी पर दोष डालना नहीं, बल्कि सीखना और सुधार करना है। जिस दिन हमने ग़लती स्वीकारी, उसी दिन से लोगों ने हम पर भरोसा करना शुरू किया।"

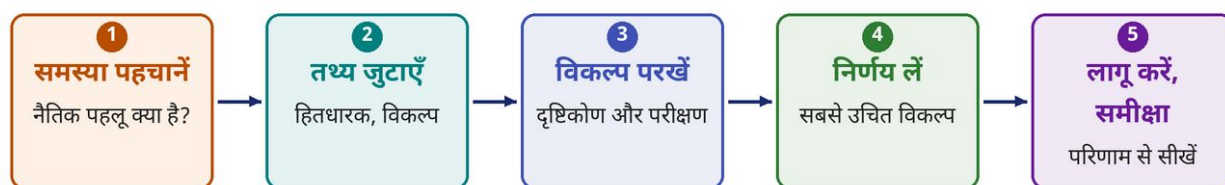
🔑 **इस कहानी से सीख:** जवाबदेही = पारदर्शिता + उत्तरदेयता + प्रवर्तनीयता। ग़लती स्वीकारना कमज़ोरी नहीं, बल्कि भरोसे की शुरुआत है। नागरिकों की "आवाज़" (सोशल मीडिया, ग्राम सभा, क्यूआर कोड) को व्यवस्था में जगह देना ही सूक्ष्म जवाबदेही का सबसे प्रभावी रूप है।

6. नैतिक निर्णय की 5-चरण प्रक्रिया एवं 10 परीक्षण

6.1 नैतिक निर्णय के 5 चरण (5 Steps)

चरण	क्या करें?	उदाहरण
चरण 1: नैतिक समस्या पहचानें	समस्या का नैतिक पहलू क्या है? किसके अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? कौन-सा कर्तव्य प्रभावित है?	PDS (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) का राशन नहीं मिल रहा — यह भोजन के अधिकार (Right to Food) का उल्लंघन है।
चरण 2: तथ्य जुटाएँ (कौन, क्या, कहाँ, कब, क्यों)	प्राथमिक हितधारक (Primary) व द्वितीयक हितधारक (Secondary) कौन हैं?	भूखा परिवार = प्राथमिक हितधारक; राशन-दुकान की बायोमेट्रिक मशीन में अँगूठा न मिलना = समस्या का तकनीकी कारण।
चरण 3: दाँव पर लगे मूल्य पहचानें	कौन-कौन से नैतिक मूल्य ख़तरे में हैं? करुणा, निष्पक्षता, जवाबदेही में से कौन प्रभावित?	करुणा बनाम नियम-पालन (Compassion vs Rule-following) — दोनों मूल्य दाँव पर।
चरण 4: विकल्पों की खोज करें	ऐसे विकल्प खोजें जो न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन न करें; व्यक्तिगत पूर्वाग्रह से बचें।	नियम में स्पष्ट प्रावधान न होने पर भी विवेकाधिकार (Discretion) से भोजन उपलब्ध कराने का विकल्प।
चरण 5: परिणामों का विश्लेषण करें	अल्पकालिक व दीर्घकालिक — दोनों परिणामों का आकलन करें; नीचे दिए 10 परीक्षण लगाएँ।	क्या यह निर्णय न्यायालय में टिकेगा? क्या अख़बार में छपने पर शर्मिंदगी नहीं होगी?

नैतिक निर्णय के पाँच चरण



चित्र 8.11: नैतिक निर्णय के पाँच चरण

6.2 निर्णय परखने के 10 परीक्षण (10 Tests)

परीक्षण (Test)	सरल प्रश्न	मतलब क्या है?
1. अधिकार-दृष्टिकोण (Rights Test)	क्या यह निर्णय सभी हितधारकों के अधिकारों का सम्मान करता है?	क्या कोई मौलिक अधिकार तो नहीं टूट रहा?
2. न्याय-दृष्टिकोण (Justice Test)	क्या यह सभी के साथ समान व न्यायपूर्ण है? कहीं भेदभाव तो नहीं?	अनुच्छेद 14 — विधि के समक्ष समान संरक्षण।
3. उपयोगितावादी परीक्षण (Utilitarian Test)	क्या यह अधिकतम लोगों को अधिकतम लाभ देगा?	बेन्थम — 'अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख' (Greatest Good for Greatest Number)।
4. सामान्य भलाई परीक्षण (Common Good Test)	क्या यह पूरे समुदाय की सेवा करता है, या केवल कुछ लोगों की?	वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना।
5. सद्गुण परीक्षण (Virtue Test)	क्या इस निर्णय से मैं एक बेहतर इंसान बनूँगा?	अरस्तू — चरित्र-निर्माण (Character Development)।
6. देखभाल-नैतिकता परीक्षण (Care Ethics Test)	क्या यह सभी हितधारकों के रिश्तों व भावनाओं का ध्यान रखता है?	देखभाल-नैतिकता (Care Ethics) — अमेरिकी मनोवैज्ञानिक कैरल गिलिगन (Carol Gilligan)।
7. हानि परीक्षण (Harm Test)	क्या इससे लोगों या पर्यावरण को न्यूनतम नुकसान होगा?	न्यूनतम हानि सिद्धांत (Minimum Harm Principle)।
8. उलटाव परीक्षण (Reversibility Test)	यदि मैं उस प्रभावित व्यक्ति की जगह होता, तो कैसा महसूस करता?	जॉन रॉल्स — 'अज्ञानता का आवरण' (Veil of Ignorance)।
9. प्रचार परीक्षण (Publicity Test)	यदि यह निर्णय कल अखबार में छपे, तो क्या मुझे शर्मिंदगी होगी?	"प्रशासन न केवल निष्पक्ष हो, बल्कि निष्पक्ष दिखे भी।"
10. बचाव परीक्षण (Defensibility Test)	क्या यह निर्णय किसी क़ानून का उल्लंघन तो नहीं कर रहा? क्या यह न्यायालय में टिकेगा?	विधि का शासन (Rule of Law) — संवैधानिकता।

New India Education by Omkar Sir

निर्णय परखने के प्रमुख परीक्षण

मेरा निर्णय

प्रचार परीक्षण क्या यह अखबार में छपने लायक है?	उलट परीक्षण अगर मैं प्रभावित होता, तो?	हानि परीक्षण कैसे कितनी हानि?
अधिकार परीक्षण क्या सबके अधिकार सुरक्षित हैं?	न्याय परीक्षण क्या सबसे समान व्यवहार?	सद्गुण परीक्षण क्या यह मेरे चरित्र के अनुरूप है?

चित्र 8.12: निर्णय परखने के प्रमुख परीक्षण

किसी भी नैतिक निर्णय में 5-चरण प्रक्रिया ढाँचे का काम करती है, और 10 परीक्षणों में से **प्रचार परीक्षण (Publicity)**, **उलटाव परीक्षण (Reversibility)** और **हानि परीक्षण (Harm)** सबसे व्यावहारिक हैं — इन्हें हर कठिन निर्णय पर लागू करना चाहिए।

7. नैतिक निर्णय में योगदान करने वाले कारक

एक नैतिक निर्णय तीन स्तरों पर कारकों से प्रभावित होता है — व्यक्तिगत, संगठनात्मक व सामाजिक। तीनों स्तरों को समझना किसी भी निर्णय को बहु-आयामी (multi-dimensional) दृष्टि से देखने में सहायक है।

7.1 व्यक्तिगत स्तर (Individual Level)

कारक	व्याख्या	उदाहरण
दृष्टिकोण (Attitude)	नीति-निर्माता का दृष्टिकोण नीति की दिशा तय करता है।	महिलाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण → बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी बेहतर लैंगिक-नीति।
ज्ञान (Knowledge)	लोकसंग्रह व व्यापक कल्याण का ज्ञान स्वकेंद्रित निर्णय से रोकता है।	नोबेल पुरस्कार-विजेता कैलाश सत्यार्थी — बाल-श्रम के विरुद्ध ज्ञान-आधारित संघर्ष।
व्यक्तिगत मूल्य (Values)	अहिंसा, सत्य जैसे मूल्य कार्य-दिशा तय करते हैं।	गांधीजी — चौरी-चौरा कांड (1922) के बाद असहयोग आंदोलन वापस लिया।
क्रानूनी जागरूकता	क्रानून का ज्ञान बेहतर निर्णय व अधिकार-संरक्षण सुनिश्चित करता है।	घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की जागरूकता — विधिक साक्षरता कार्यक्रम।
भावनात्मक बुद्धिमत्ता (Emotional Intelligence)	संवेदनशील स्थिति में संयम व संवाद-कौशल।	पुलिस अधिकारी — बलप्रयोग की बजाय बातचीत से स्थिति नियंत्रण (De-escalation)।
जवाबदेही	व्यक्तिगत उत्तरदायित्व-बोध निर्णयों को गंभीर बनाता है।	थाना प्रभारी — क्षेत्र में अपराध होने पर स्वयं जवाबदेह मानकर नियमित निगरानी।
हितों का टकराव (Conflict of Interest)	व्यक्तिगत हित निर्णय की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकता है।	क्रिकेट चयन-समिति का सदस्य, जिसका पुत्र स्वयं चयन-परीक्षण में हो — स्वयं को अलग करना (Recusal)।
अंतरात्मा (Conscience)	आंतरिक नैतिक कम्पास निर्णय की अंतिम कसौटी है।	गांधीजी का मांस न खाने का व्यक्तिगत संकल्प — आंतरिक नैतिक प्रतिबद्धता का उदाहरण।

नैतिक निर्णय को प्रभावित करने वाले तीन स्तर



चित्र 8.13: नैतिक निर्णय को प्रभावित करने वाले तीन स्तर

7.2 भावनात्मक बुद्धिमत्ता — नैतिक निर्णय की भीतरी शक्ति

व्यक्तिगत स्तर पर नैतिक निर्णय को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला गुण है **भावनात्मक बुद्धिमत्ता (Emotional Intelligence)** — अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने और सकारात्मक परिणामों के लिए उन्हें प्रबंधित करने की क्षमता (डैनियल गोलमैन का मॉडल)। इसके चार घटक नैतिक निर्णय में इस तरह मदद करते हैं: **(1) आत्म-जागरूकता** — निर्णय को प्रभावित कर सकने वाले अपने पूर्वाग्रहों को पहचानना; **(2) आत्म-नियंत्रण** — क्रोध, भय या लोभ से प्रेरित आवेगपूर्ण निर्णयों से बचना; **(3) समानुभूति** — निर्णय का सभी हितधारकों, विशेषकर कमज़ोर वर्गों पर पड़ने वाला प्रभाव समझना; **(4) सामाजिक कौशल** — नैतिक निर्णय को प्रभावी ढंग से समझाना और टकराव सुलझाना।

भावनात्मक बुद्धिमत्ता कैसे विकसित हो? यह गुण जन्मजात ही नहीं होता, अभ्यास से बढ़ाया जा सकता है। रोज़ कुछ समय आत्म-चिंतन करें — अपनी भावनाओं के प्रति सजग रहें और डायरी लिखें; सहकर्मियों और वरिष्ठों से अपने व्यवहार पर ईमानदार प्रतिक्रिया (Feedback) लें; दूसरों की बात ध्यान से सुनें और स्वयं को उनकी जगह रखकर सोचें; ध्यान, व्यायाम जैसी तनाव-प्रबंधन की तकनीकें अपनाएँ; प्रशिक्षण में भूमिका-निर्वाह (Role-play) से कठिन स्थितियों का अभ्यास करें; और किसी अनुभवी वरिष्ठ से मार्गदर्शन (Mentorship) लें। **उदाहरण:** मान लीजिए किसी दबाव भरी परियोजना में आपके एक होनहार कनिष्ठ अधिकारी से बड़ी गलती हो जाती है, जिससे देरी होती है; वह तनाव में है और दंड से डरा हुआ है। आपका पहला आवेग उसे कठोरता से फटकारने का होता है। भावनात्मक रूप से बुद्धिमान अधिकारी पहले अपने क्रोध को नियंत्रित करेगा, अकेले में शांति से बात करेगा, गलती के कारण समझेगा, सुधार की योजना साथ बनाएगा और टीम को सीख देगा — अनुशासन भी बना रहेगा और अधिकारी का

मनोबल भी। भावनात्मक बुद्धिमत्ता लोक सेवकों को ऐसे निर्णय लेने में सक्षम बनाती है, जो सैद्धांतिक भी हों, व्यावहारिक भी, संवेदनशील भी और प्रभावी भी।

भावनात्मक बुद्धिमत्ता और नैतिक निर्णय

भावनात्मक बुद्धिमत्ता

आत्म-जागरूकता

अपने पूर्वाग्रह पहचानना

आत्म-नियंत्रण

आवेगपूर्ण निर्णय से बचना

समानुभूति

कमज़ोर पर असर समझना

सामाजिक कौशल

संवाद, टकराव-समाधान

चित्र 8.14: भावनात्मक बुद्धिमत्ता और नैतिक निर्णय

7.3 संगठनात्मक स्तर (Organizational Level)

कारक	उदाहरण
अंकेक्षण व पारदर्शिता (Audit & Transparency)	मनरेगा में सामाजिक अंकेक्षण, सरकारी कार्यालयों में RTI का प्रभाव — आज कोई लोकसेवक जब फ़ाइल पर टिप्पणी लिखता है, तो वह जानता है कि यह RTI के तहत जनता के सामने आ सकती है, इसलिए वह सोच-समझकर और नियम के अनुसार लिखता है।
नेतृत्व/निदेशक मंडल (Leadership)	विविधतापूर्ण बोर्ड — TATA, Wipro जैसी कंपनियाँ; डॉ. समित शर्मा (IAS) — चित्तौड़गढ़ में जेनेरिक दवा सुधार मॉडल, बाद में 2011 से 'मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना' के रूप में पूरे राजस्थान में विस्तारित।
कर्मचारी सहभागिता (Employee Participation)	हीरो साइकल — ओ.पी. मुंजाल का मॉडल; OYO — वर्ष 2020 के संकट में अवकाश (फ़र्लो) पर भेजे गए कर्मचारियों को ESOP (शेयर स्वामित्व) देकर हिस्सेदार बनाया।
प्रक्रिया-सत्यनिष्ठा (Process Integrity)	संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग चयन → LBSNAA (लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी)/HCM RIPA (राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर) में प्रशिक्षण → क्षेत्रीय नियुक्ति — यह संपूर्ण प्रक्रिया बेहतर निर्णय-क्षमता सुनिश्चित करती है।
संगठनात्मक मूल्य (Organizational Values)	सत्यनिष्ठा, सहानुभूति, पारदर्शिता, जवाबदेही — ये मूल मूल्य (Core Values) संगठन की दिशा तय करते हैं।
विधिक अंकुश (Legal Sanctions)	भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023, केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम 1964।
केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण	अति-केंद्रीकरण से थोपे गए निर्णय बनते हैं, जबकि अति-विकेंद्रीकरण से अकुशलता आती है — संतुलन आवश्यक।
प्रशिक्षण कार्यक्रम (Training Programs)	मिशन कर्मयोगी — सिविल सेवकों की क्षमता-निर्माण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम।

7.4 सामाजिक स्तर (Social Level)

कारक	उदाहरण
सामाजिक मूल्य	वसुधैव कुटुम्बकम्, सहिष्णुता, करुणा।
आधुनिक अवधारणाएँ	नारीवादी नैतिकता (Feminist Ethics) — BCCI (27 अक्टूबर 2022) ने महिला क्रिकेटर्स को पुरुष क्रिकेटर्स के समान मैच-फ़ीस देने की घोषणा की; #MeToo, Black Lives Matter जैसे वैश्विक आंदोलन।
विधिक प्रतिबंध	PCPNDT अधिनियम 1994 (गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व लिंग-चयन निषेध) — लिंग-समानता हेतु; शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 2009।
न्यायिक व्याख्या	उच्चतम न्यायालय — सबरीमाला निर्णय, ट्रिपल तलाक़ निर्णय।
सरकारी नीतियाँ	कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना (राजस्थान) — शिक्षा जारी रखने के निर्णय को प्रोत्साहन।

प्रशासनिक नैतिकता के निर्धारक — चार स्तर: (1) **व्यक्तिगत गुण** — नैतिक निर्णय-कौशल, मानसिक दृष्टिकोण, सद्गुण और पेशेवर मूल्य; (2) **संगठनात्मक संरचना** — स्पष्ट जवाबदेही, सहयोगी व्यवस्थाएँ, असहमति के माध्यम और भागीदारी की प्रक्रियाएँ; (3) **संगठनात्मक संस्कृति** — प्रतीक, विश्वास, मूल्य और मान्यताएँ; नेतृत्व इस संस्कृति के निर्माण, संरक्षण और बदलाव में सबसे महत्वपूर्ण है — नैतिक आचरण तब बढ़ता है, जब संगठन में व्यक्तिगत मानकों और प्रशिक्षण पर बल हो, पर्यवेक्षक सत्य पर ज़ोर दें और कर्मचारी नियमित रूप से मिलकर नैतिक समस्याओं पर चर्चा करें; (4) **सामाजिक अपेक्षाएँ** — जन-भागीदारी, क़ानून और नीतियाँ।

तीन-स्तरीय ढाँचा (व्यक्तिगत-संगठनात्मक-सामाजिक) बताता है कि कोई भी नैतिक निर्णय केवल व्यक्ति का नहीं होता — संस्था और समाज भी उसे आकार देते हैं।

8. साधनभूत बनाम मूल्य तार्किकता (Instrumental vs Value Rationality)

8.1 तार्किकता (Rationality) क्या है?

 **आसान परिभाषा: तार्किकता (Rationality) — मैक्स वेबर (1864-1920) के अनुसार**

 **परिभाषा:** तार्किकता का अर्थ है — अंधविश्वासों की बजाय तर्क, साक्ष्य व तथ्यों के आधार पर निर्णय लेना। युक्तिकरण (Rationalization) की प्रक्रिया में विश्वास (Belief) का स्थान तर्क (Reason) लेता है, और अनौपचारिकता (Informality) का स्थान नियम (Rules) लेते हैं।

 **आसान भाषा में:** जैसे पुराने समय में फ़सल की बुआई शुभ-मुहूर्त देखकर की जाती थी, पर आज मौसम-पूर्वानुमान व मिट्टी-परीक्षण के वैज्ञानिक आँकड़ों पर आधारित होती है — यही 'तार्किकीकरण' की प्रक्रिया है।  **उदाहरण:** आधुनिक नौकरशाही में भर्ती योग्यता (Merit) पर आधारित है (संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षा), न कि जन्म या व्यक्तिगत संबंध पर — यह तार्किकता का प्रत्यक्ष उदाहरण है।

8.2 तार्किकता की प्रशासनिक भूमिका

भूमिका	व्याख्या	उदाहरण
नैतिक उन्नति	एक पुराना, कम-तार्किक समाज धीरे-धीरे अधिक-तार्किक समाज में परिवर्तित होता है।	राजा राममोहन राय व गवर्नर-जनरल विलियम बेंटिक — सती प्रथा उन्मूलन (1829), अंधविश्वास पर तर्क की विजय।
आधुनिक नौकरशाही की नींव	वेबर के अनुसार नौकरशाही नियमों व प्रक्रियाओं पर टिकी है, न कि व्यक्तिगत विश्वासों/भावनाओं पर।	योग्यता-आधारित चयन (संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग)।
निष्पक्षता व दक्षता	पदोन्नति, स्थानांतरण, नियुक्ति — तर्कसंगत नियमों पर आधारित हों।	निष्पादन-आधारित मूल्यांकन (Performance-linked Appraisal)।
विश्वास का निर्माण	तर्कसंगत प्रशासक नागरिकों को साक्ष्य के आधार पर सहजता से समझा (Persuade) सकता है।	आँकड़ा-आधारित नीति-निर्माण (Data-driven Policy Making)।

8.3 मैक्स वेबर — सामाजिक क्रिया के चार प्रकार

मैक्स वेबर ने मनुष्य के सामाजिक कर्मों को उनके पीछे की प्रेरणा के आधार पर चार प्रकारों में बाँटा। साधनभूत और मूल्य तार्किकता इन्हीं में से पहले दो प्रकार हैं; बाक़ी दो — भावात्मक और परंपरागत — तर्क से कम और भावना या आदत से अधिक संचालित होते हैं:

क्रिया का प्रकार	अर्थ	प्रशासनिक उदाहरण
साधनभूत-तार्किक (लक्ष्य-तार्किक)	लक्ष्य तय, और उसे पाने के सबसे कुशल साधन का गणना-आधारित चुनाव	कम लागत में अधिक सड़कें बनाने की योजना
मूल्य-तार्किक	किसी मूल्य (कर्तव्य, न्याय, धर्म) में दृढ़ विश्वास से किया गया कर्म, परिणाम चाहे जो हो	नुकसान के बावजूद सच बोलना, दबाव में भी नियम का पालन
भावात्मक (Affective)	भावनाओं — क्रोध, प्रेम, सहानुभूति — से प्रेरित कर्म	किसी पीड़ित को देखकर तुरंत मदद
परंपरागत (Traditional)	आदत या परंपरा से — "हमेशा से ऐसा ही होता आया है"	बिना कारण पुरानी प्रक्रिया दोहराते रहना

वेबर — सामाजिक क्रिया के चार प्रकार

सामाजिक क्रिया

साधनभूत-तार्किक

सबसे कुशल साधन

मूल्य-तार्किक

मूल्य में दृढ़ विश्वास

भावात्मक

भावना से प्रेरित

परंपरागत

आदत, परंपरा

चित्र 8.15: वेबर — सामाजिक क्रिया के चार प्रकार

8.4 मैक्स वेबर के 2 प्रकार — विस्तृत तुलना

एक व्याख्यात्मक दृष्टिकोण

मैक्स वेबर के सिद्धांत की एक लोकप्रिय व्याख्या यूँ की जा सकती है — 'साधनभूत तार्किकता पिंजरा बनाती है; मूल्य तार्किकता उसमें आत्मा जीवित रखती है' — ध्यान रहे यह वेबर का शब्दशः कथन नहीं, बल्कि उनके सिद्धांत की एक सरल व्याख्या (Interpretation) मात्र है।

आयाम	साधनभूत तार्किकता (Zweckrationalität)	मूल्य तार्किकता (Wertrationalität)
जर्मन नाम	Zweckrationalität (Zweck = लक्ष्य/उद्देश्य)	Wertrationalität (Wert = मूल्य)
मार्गदर्शक तत्व	दक्षता, लागत-लाभ गणना, लक्ष्य-प्राप्ति	न्याय, समता, मानवता, सत्यनिष्ठा
मूल प्रश्न	"क्या यह तरीका सबसे अच्छा परिणाम देगा?"	"क्या यह कार्य नैतिक रूप से सही है?"
तर्क का स्वरूप (Logic)	परिणाम-केंद्रित तर्क (Logic of Consequence)	औचित्य-केंद्रित तर्क (Logic of Appropriateness)
स्वभाव (Nature)	वस्तुपरक/अनुभवजन्य (Positive/Empirical) — तथ्यों पर आधारित	आदर्शात्मक (Normative) — आदर्शों पर आधारित
नैतिक आधार	परिणामवाद, उपयोगितावाद (बेन्थम, मिल, कौटिल्य)	कर्तव्यवाद, कांट, जॉन रॉल्स, भगवद्गीता
मनुष्य की स्थिति	मनुष्य = आर्थिक संसाधन (साधन)	मनुष्य = गरिमा-युक्त नैतिक कर्ता (साध्य)
कैसे रोकती है?	लालक्रीताशाही (Red Tapism) को रोकती है — काम को तेज़ और परिणाम-केंद्रित बनाकर	सत्तावाद (Authoritarianism) को रोकती है — शक्ति को नैतिक सीमाओं में बाँधकर
समस्या/खतरा	लोहे का पिंजरा (Iron Cage) — बिना नैतिकता के दक्षता = अमानवीय शासन	अव्यावहारिक आदर्शवाद — बिना दक्षता के नैतिकता = नैतिक पक्षाघात, नीतिगत विलंब
उदाहरण	JAM त्रिमूर्ति (जन धन+आधार+मोबाइल); आपातकाल में जबरन नसबंदी (जनसंख्या-नियंत्रण लक्ष्य)	RTI अधिनियम 2005 (पारदर्शिता ही मूल्य है), मनरेगा (श्रम की गरिमा ही मूल्य है)
संबंधित विचारक	जेरेमी बेन्थम, जॉन स्टुअर्ट मिल, कौटिल्य	अरस्तू, कांट, जॉन रॉल्स, भगवद्गीता

साधनभूत बनाम मूल्य तार्किकता

साधनभूत	बनाम	मूल्य
कैसे सबसे कुशलता से?	प्रश्न	क्या यह सही है?
दक्षता, गणना	केंद्र	न्याय, कर्तव्य, गरिमा
लोहे का पिंजरा — अमानवीय	अति का खतरा	नैतिक पक्षाघात — अव्यावहारिक
लक्ष्य, आँकड़े, लागत-लाभ	उदाहरण	सामाजिक न्याय, मानवाधिकार

चित्र 8.16: साधनभूत बनाम मूल्य तार्किकता

लोहे का पिंजरा (Iron Cage Problem)	नैतिक पक्षाघात (Moral Paralysis)
◆ मैक्स वेबर की चेतावनी — केवल दक्षता पर बल देने से अमानवीय प्रशासन जन्म लेता है।	◆ केवल मूल्यों पर बल देने से भी व्यावहारिक कार्य ठप हो सकता है।
◆ मशीन जैसी नौकरशाही — जहाँ संवेदना (Empathy) शून्य हो जाती है।	◆ यूटोपियाई आदर्शवाद — व्यावहारिक क्रियान्वयन असंभव हो जाता है।
◆ आपातकाल में जबरन नसबंदी — लक्ष्य पूरा हुआ, पर गरिमा खो गई।	◆ बिना दक्षता के कल्याणकारी योजनाएँ — करदाता का धन व्यर्थ जाता है।
◆ 'कुशल पर अन्यायपूर्ण' (Efficient but Unjust) — यही लोहे का पिंजरा है।	◆ 'न्यायपूर्ण पर अकुशल' (Just but Inefficient) — यही नैतिक पक्षाघात है।

परिणाम-परिदृश्य — 4 संभावनाएँ

परिदृश्य	साधनभूत तार्किकता	मूल्य तार्किकता	परिणाम
आदर्श (Ideal)	उपस्थित	उपस्थित	कुशल + नैतिक शासन (Efficient + Ethical Governance)

परिदृश्य	साधनभूत तार्किकता	मूल्य तार्किकता	परिणाम
लोहे का पिंजरा (Iron Cage)	उपस्थित	अनुपस्थित	कुशल पर अन्यायपूर्ण — अमानवीयकृत
नैतिक पक्षाघात	अनुपस्थित	उपस्थित	न्यायपूर्ण पर अकुशल — यूटोपियाई
अराजकता	अनुपस्थित	अनुपस्थित	शासन की संपूर्ण विफलता

चार परिदृश्य — दोनों तार्किकताओं का मेल

दोनों उपस्थित कुशल और नैतिक शासन — आदर्श	केवल साधनभूत कुशल पर अमानवीय — लोहे का पिंजरा
केवल मूल्य नैतिक पर अप्रभावी — यूटोपिया	दोनों अनुपस्थित अक्षम और अनैतिक — कुशासन

चित्र 8.17: चार परिदृश्य — दोनों तार्किकताओं का मेल

ध्यान रहे: मैक्स वेबर (1864-1920) ने चेताया था कि आधुनिक समाज नियमों, गणना और दक्षता की ऐसी जकड़ में फँस सकता है, जिसमें मनुष्य एक बड़ी मशीन का पुर्जा भर रह जाए — इसी को उन्होंने 'लोहे का पिंजरा' कहा। लोहे का पिंजरा (Iron Cage) और नैतिक पक्षाघात (Moral Paralysis) — दोनों समस्याएँ साथ समझनी चाहिए; आदर्श प्रशासन दोनों तार्किकताओं के संतुलन से बनता है, किसी एक की अति से नहीं।

9. आगे की राह — संतुलित दृष्टिकोण (Way Forward)

☀ महात्मा गांधी

"साधन बीज के समान है और साध्य वृक्ष के समान; साधन और साध्य के बीच वैसा ही अटूट संबंध है, जैसा बीज और वृक्ष के बीच।" (The means may be likened to a seed, the end to a tree; and there is just the same inviolable connection between the means and the end as there is between the seed and the tree. — हिंद स्वराज, 1909)

- ◆ अगर प्रशासन केवल साधनभूत तार्किकता (दक्षता, लक्ष्य, आँकड़े) पर चले, तो वह 'लोहे का पिंजरा' बन जाता है — काम तेज़ी से होता है, पर लोगों के साथ अन्याय होता है, और ऐसा शासन लंबे समय तक टिक नहीं पाता (असंभारणीय), क्योंकि जनता का भरोसा टूट जाता है।
- ◆ अगर प्रशासन केवल मूल्य तार्किकता (आदर्श और सिद्धांत) पर चले और कुशल क्रियान्वयन की चिंता न करे, तो वह 'यूटोपिया' (कल्पना-लोक) बन जाता है — नीतियाँ सुनने में आदर्श लगती हैं, पर ज़मीन पर लागू नहीं हो पाती।
- ◆ गांधी (जो साधन और साध्य — दोनों की पवित्रता पर बल देते थे) और अमर्त्य सेन (जो नीति को इस बात से परखते हैं कि उससे लोगों की वास्तविक क्षमता कितनी बढ़ी) — दोनों की सीख यही है कि दक्षता और मूल्य एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि परस्पर-पूरक (Complementary) हैं; एक के बिना दूसरा अधूरा है।
- ◆ इसलिए प्रशासक को चाहिए कि वह साधनभूत तार्किकता से दक्षता और मूल्य तार्किकता से नैतिकता लेकर दोनों का समन्वय करे — यही कुशल व नैतिक शासन (Efficient + Ethical Governance) है।

☀ राजस्थान का उदाहरण — भीलवाड़ा मॉडल

कोविड-19 के समय भीलवाड़ा में साधनभूत तार्किकता कठोर लॉकडाउन और ज़िले की सीमाएँ सील करने के रूप में दिखी, ताकि संक्रमण को तेज़ी और कुशलता से रोका जा सके; वहीं मूल्य तार्किकता प्रवासी मज़दूरों तक भोजन पहुँचाने और संवेदनशील पुलिसिंग (Compassionate Policing) के रूप में दिखी, ताकि सख्ती के बीच भी किसी की गरिमा न टूटे। दोनों का संतुलन ही 'भीलवाड़ा मॉडल' को शासन का एक अनुकरणीय उदाहरण बनाता है — जिसे राष्ट्रीय मीडिया में व्यापक सराहना मिली।

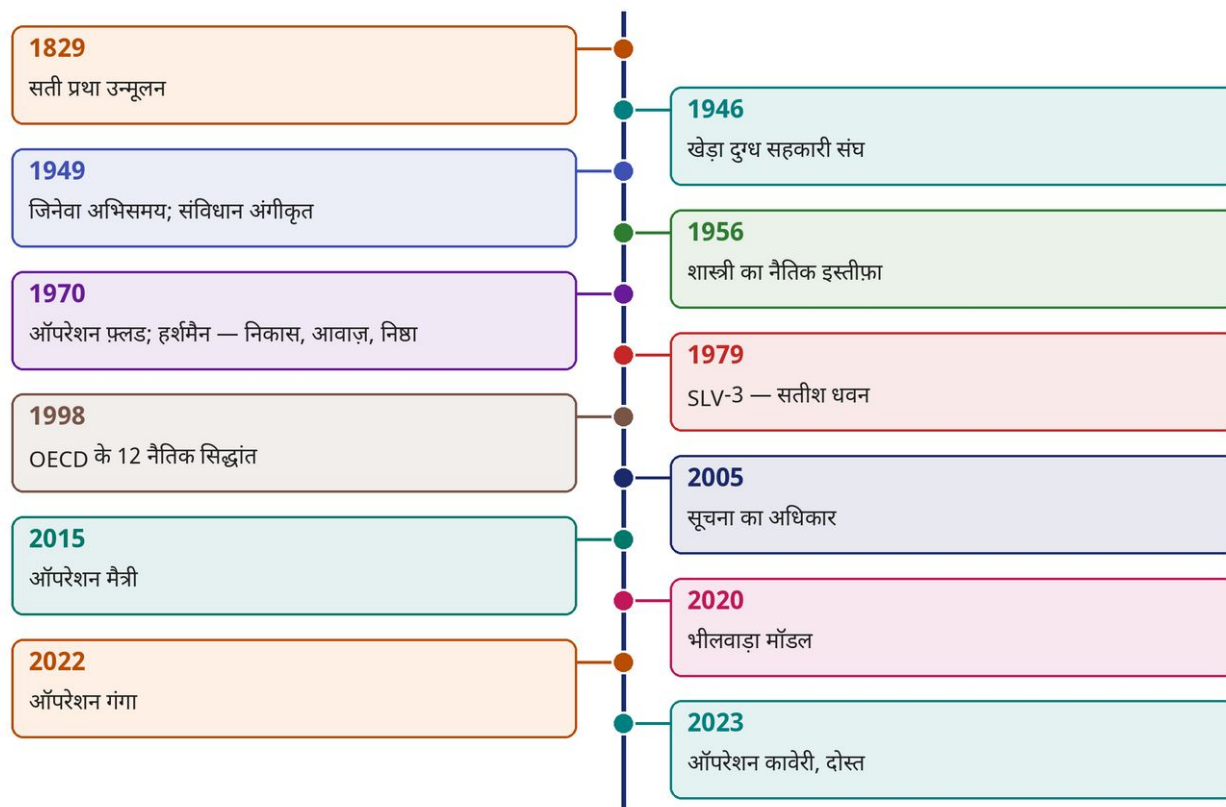
अध्याय का सार-सूत्र: सामाजिक न्याय — ROPE सूत्र (संसाधन, अवसर, विशेषाधिकार, सशक्तीकरण); मानवीय चिंताएँ — मैत्री, गंगा, कावेरी, दोस्त, वैक्सीन मैत्री; जवाबदेही — पारदर्शिता + उत्तरदेयता + प्रवर्तनीयता, शास्त्री (1956) और सतीश धवन (1979); निर्णय — 5 चरण और प्रचार, उलटाव तथा हानि परीक्षण; और तार्किकता — साधनभूत तथा मूल्य तार्किकता का संतुलन।

10. नैतिक निर्णय-निर्माण — ऐतिहासिक यात्रा

वर्ष / संदर्भ	विषय / घटना
1829	राजा राममोहन राय व गवर्नर-जनरल विलियम बेंटिक — सती प्रथा उन्मूलन — तार्किकीकरण व सामाजिक-सुधार का ऐतिहासिक उदाहरण।
1864-1920	मैक्स वेबर (जर्मन समाजशास्त्री) का जीवनकाल — साधनभूत व मूल्य तार्किकता (Zweckrationalität/Wertrationalität) तथा नौकरशाही सिद्धांत के प्रतिपादक।

वर्ष / संदर्भ	विषय / घटना
1949-50	भारतीय संविधान — संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, 26 जनवरी 1950 से लागू; अनुच्छेद 38, 39 (नीति-निदेशक तत्व) — सामाजिक न्याय का संवैधानिक आधार।
1956	लाल बहादुर शास्त्री — अरियालूर रेल दुर्घटना (23 नवंबर) के बाद रेल मंत्री पद से नैतिक जवाबदेही स्वरूप इस्तीफा — जवाबदेही का सर्वोच्च उदाहरण।
1979	इसरो का SLV-3 प्रक्षेपण असफल — सतीश धवन ने स्वयं ज़िम्मेदारी ली।
2004	हिंद महासागर सुनामी — भारत ने श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया को राहत सहायता दी — मानवीय चिंता का उदाहरण।
2005	सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI Act) पारित — मूल्य तार्किकता (पारदर्शिता) का प्रतिष्ठित उदाहरण।
2015	नेपाल भूकंप — 'ऑपरेशन मैत्री' — भारत की मानवीय सहायता।
2018	केरल बाढ़ — IAS कन्नन गोपीनाथन व MG राजामणिक्यम की करुणाशील प्रशासनिक भूमिका।
2020	कोविड-19 — भीलवाड़ा मॉडल (टीना डाबी व राजेंद्र भट्ट) — दोनों तार्किकताओं का संतुलन; 'वैक्सीन मैत्री' पहल — लगभग 100 देशों को वैक्सीन आपूर्ति।
2022	यूक्रेन युद्ध — 'ऑपरेशन गंगा' — लगभग 22,500 भारतीयों की सुरक्षित निकासी।
2023	सूडान से 'ऑपरेशन कावेरी' द्वारा भारतीयों की निकासी और तुर्की-सीरिया भूकंप में 'ऑपरेशन दोस्त' द्वारा राहत; भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP Act) पारित।

नैतिक निर्णय-निर्माण — प्रमुख पड़ाव



चित्र 8.18: नैतिक निर्णय-निर्माण — प्रमुख पड़ाव

☀ अध्याय का सार — एक पंक्ति में

एक नैतिक प्रशासनिक निर्णय न तो केवल दक्षता (साधनभूत तार्किकता) पर टिक सकता है, न केवल आदर्शों (मूल्य तार्किकता) पर — बल्कि सामाजिक न्याय, मानवीय संवेदनशीलता व जवाबदेही की ठोस बुनियाद पर खड़े होकर, 5-चरण प्रक्रिया व 10 परीक्षणों जैसे व्यवस्थित उपकरणों की मदद से, दोनों तार्किकताओं के बीच संतुलन साधने से ही बनता है — यही भीलवाड़ा मॉडल जैसे उदाहरणों का असली सार है।

बोनस: उत्तर-लेखन अभ्यास (मॉडल प्रश्न और उत्तर)

प्रश्न 1: "नैतिक निर्णय" लेने में आवश्यक तत्वों की व्याख्या करें। यदि निर्णय प्रशासनिक आदेश के विरुद्ध हो तो उनमें सामंजस्य कैसे करेंगे?

उत्तर: एक नैतिक निर्णय के लिए आवश्यक तत्वों को इस अध्याय के 14 आधारों में समेटा जा सकता है — इनमें प्रमुख हैं ईमानदारी व सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, मानवाधिकार-सम्मान, जवाबदेही, स्पष्ट अंतरात्मा तथा परिणामों की चिंता। साथ ही, निर्णय की प्रक्रिया 5-चरण ढाँचे (समस्या-पहचान →

तथ्य-संकलन → मूल्य-पहचान → विकल्प-खोज → परिणाम-विश्लेषण) से गुज़रनी चाहिए, और अंत में उसे 10 परीक्षणों (विशेषकर प्रचार, उलटाव व हानि परीक्षण) पर परखा जाना चाहिए।

◆ **टकराव की स्थिति:** जब व्यक्तिगत नैतिक निर्णय प्रशासनिक आदेश से टकराए (जैसे कोई आदेश संवैधानिक मूल्यों या मानवाधिकार का उल्लंघन करता प्रतीत हो), तो सर्वप्रथम आदेश की वैधानिकता व औचित्य की समीक्षा उचित संस्थागत माध्यम से करनी चाहिए — जैसे लिखित में स्पष्टीकरण माँगना (कार्य-संचालन नियम — Rules of Business — के अंतर्गत)।

◆ **सामंजस्य के उपाय:** (1) वरिष्ठ अधिकारी से लिखित निर्देश माँगना — इससे जवाबदेही स्पष्ट होती है; (2) यदि आदेश स्पष्टतः अवैध/अनैतिक हो, तो संवैधानिक व वैधानिक प्रावधानों (जैसे सिविल सेवा आचरण नियम) के अनुरूप विनम्र असहमति दर्ज करना; (3) गांधीजी के जंतर (Talisman) का प्रयोग — यह जाँचना कि निर्णय समाज के सबसे कमज़ोर व्यक्ति के लिए उपयोगी है या नहीं; (4) अंतिम उपाय के रूप में विवेक-आधारित इनकार (Conscientious Objection) व उचित शिकायत-तंत्र (जैसे केंद्रीय सतर्कता आयोग — CVC) का प्रयोग।

निष्कर्ष: नैतिक निर्णय व प्रशासनिक आदेश के बीच टकराव को पूर्णतः टाला नहीं जा सकता, पर एक जागरूक लोक सेवक संस्थागत प्रक्रिया, संवैधानिक मूल्यों व अपनी अंतरात्मा के संतुलित प्रयोग से इसे उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से सुलझा सकता है।

प्रश्न 2: "साधनभूत तार्किकता के बिना मूल्य तार्किकता एक यूटोपिया है, और मूल्य तार्किकता के बिना साधनभूत तार्किकता एक लोहे का पिंजरा है।" इस कथन की विवेचना करें।

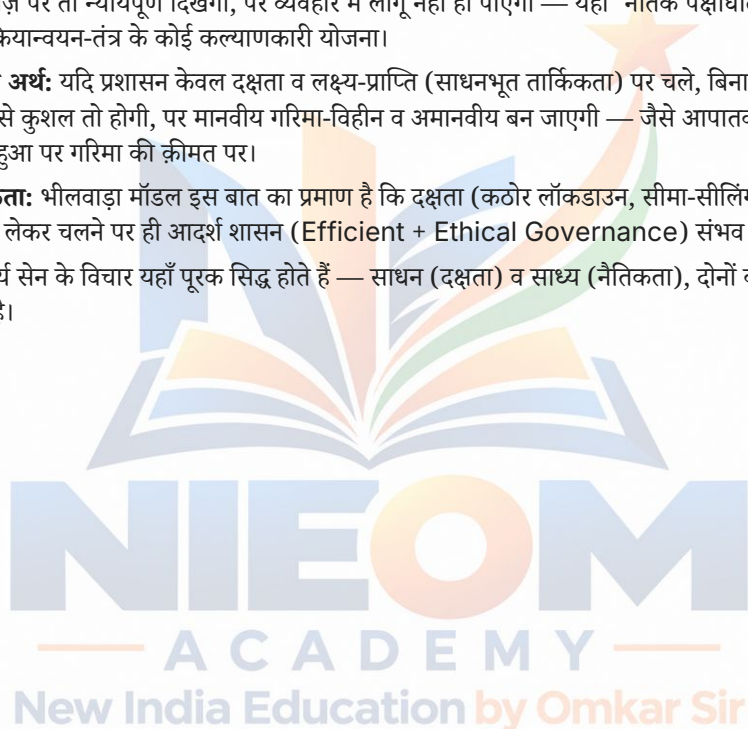
उत्तर: यह कथन मैक्स वेबर की तार्किकता (Rationality) की दो श्रेणियों — साधनभूत तार्किकता (Zweckrationalität) व मूल्य तार्किकता (Wertrationalität) — के अंतर्संबंध को उजागर करता है।

◆ **'यूटोपिया' का अर्थ:** यदि प्रशासन केवल आदर्शों/मूल्यों (न्याय, समता, करुणा) पर चले, पर दक्षता व व्यावहारिक क्रियान्वयन-क्षमता का अभाव हो, तो नीतियाँ कागज़ पर तो न्यायपूर्ण दिखेंगी, पर व्यवहार में लागू नहीं हो पाएँगी — यही 'नैतिक पक्षाघात' (Moral Paralysis) की स्थिति है, जैसे बिना दक्ष क्रियान्वयन-तंत्र के कोई कल्याणकारी योजना।

◆ **'लोहे का पिंजरा' का अर्थ:** यदि प्रशासन केवल दक्षता व लक्ष्य-प्राप्ति (साधनभूत तार्किकता) पर चले, बिना नैतिक मूल्यों की परवाह किए, तो व्यवस्था तकनीकी रूप से कुशल तो होगी, पर मानवीय गरिमा-विहीन व अमानवीय बन जाएगी — जैसे आपातकाल में जबरन नसबंदी अभियान, जहाँ लक्ष्य पूरा हुआ पर गरिमा की कीमत पर।

◆ **संतुलन की आवश्यकता:** भीलवाड़ा मॉडल इस बात का प्रमाण है कि दक्षता (कठोर लॉकडाउन, सीमा-सीलिंग) व मूल्य (प्रवासियों के प्रति करुणा) — दोनों को साथ लेकर चलने पर ही आदर्श शासन (Efficient + Ethical Governance) संभव है।

निष्कर्ष: महात्मा गांधी व अमर्त्य सेन के विचार यहाँ पूरक सिद्ध होते हैं — साधन (दक्षता) व साध्य (नैतिकता), दोनों की पवित्रता व संतुलन ही स्थायी व न्यायपूर्ण शासन का आधार है।



कहानी: 46 दिन में लौटा रामेश्वरम का रास्ता — ई. श्रीधरन और पंबन पुल (एक सच्ची घटना)

22-23 दिसंबर 1964 की रात दक्षिण भारत के तट पर एक भीषण चक्रवात आया। इसने धनुषकोडी को लगभग मिटा दिया और रामेश्वरम द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ने वाले **पंबन रेल पुल** का बड़ा हिस्सा समुद्र में बहा दिया। रामेश्वरम के हज़ारों मछुआरे, व्यापारी और देश भर से आने वाले तीर्थयात्री — सबका रास्ता एक झटके में कट गया। द्वीप पर राशन, दवाइयाँ और रोज़गार — सब संकट में थे।

रेलवे ने पुल की मरम्मत के लिए छह महीने का समय तय किया। पर द्वीप के लोगों के लिए छह महीने बहुत लंबा समय था। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने यह अवधि घटाकर तीन महीने कर दी और काम की ज़िम्मेदारी एक युवा इंजीनियर को सौंपी — **ई. श्रीधरन** (एलटुवलपिल श्रीधरन)। उनके सामने एक वास्तविक दुविधा थी — **गति बनाम सुरक्षा**। जल्दबाज़ी में बना पुल लोगों की जान ले सकता था, और देरी से पूरा द्वीप पीड़ित था।

श्रीधरन ने घबराने के बजाय समस्या को व्यवस्थित ढंग से देखा। पहले उन्होंने **मूल समस्या** पहचानी — द्वीप का संपर्क जल्दी, पर सुरक्षित रूप से बहाल करना। फिर **हितधारकों** को गिना — द्वीपवासी, तीर्थयात्री, मज़दूर, रेलवे, और भविष्य के यात्री। फिर **विकल्प** तौले — नए गर्डरों के बनने की प्रतीक्षा करना, या उपलब्ध संसाधनों का रचनात्मक उपयोग करना। उन्होंने समुद्र में गिरे गर्डरों में से जो उपयोगी थे, उन्हें निकालकर दोबारा काम में लेने जैसे उपाय अपनाए, काम को कई टीमों में बाँटा और दिन-रात की पालियाँ लगाईं — पर सुरक्षा-मानकों से कोई समझौता नहीं किया।

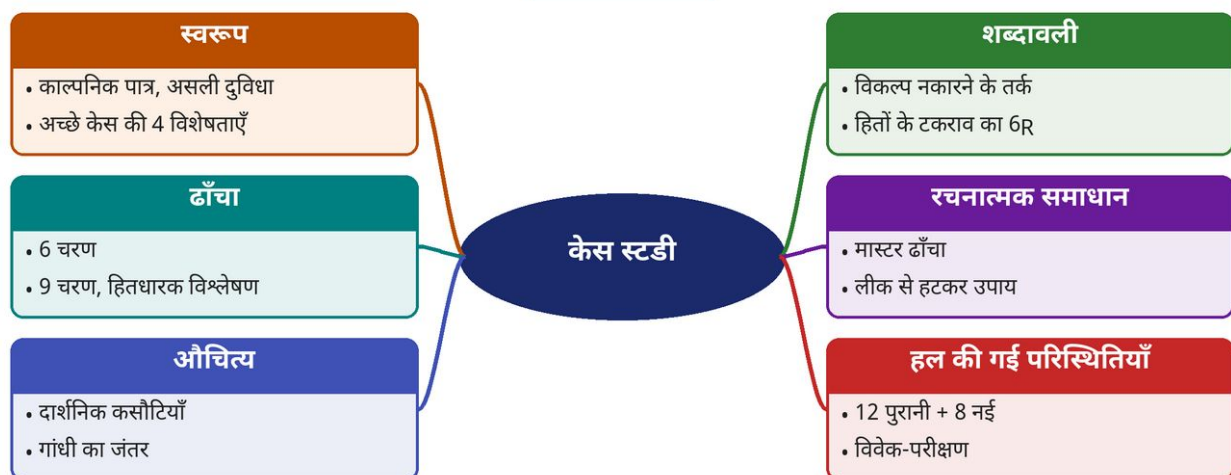
परिणाम इतिहास बन गया — पुल लगभग **46 दिनों** में फिर से चालू हो गया। यही श्रीधरन आगे चलकर **कोंकण रेलवे** और **दिल्ली मेट्रो** जैसी परियोजनाओं के नायक बने, और "मेट्रो मैन" कहलाए। उनकी कार्यशैली की पहचान रही — समय की पाबंदी, ईमानदारी और यह विश्वास कि जनता का पैसा और जनता की जान, दोनों पवित्र अमानत हैं।

यह घटना बताती है कि एक कठिन परिस्थिति को हल करने का तरीका क्या होता है — **समस्या की सही पहचान, सभी प्रभावित लोगों का ध्यान, विकल्पों की तुलना, सिद्धांतों से समझौता न करना, और लीक से हटकर (Out-of-Box) सोचना**। यही इस पूरे अध्याय की आत्मा है।

इस कहानी से सीख: कोई भी केस स्टडी असल में एक ऐसी ही वास्तविक जैसी परिस्थिति है — जिसमें मूल समस्या पहचानना, हितधारकों को समझना, विकल्प तौलना, नैतिक सिद्धांतों से निर्णय को उचित ठहराना और रचनात्मक समाधान देना होता है।

इस अध्याय की भूमिका

प्रशासनिक नैतिकता के अध्ययन का सबसे व्यावहारिक और निर्णायक पड़ाव है — 'गैर-तथ्यात्मक केस स्टडी' (Non-factual Case Study)। यहाँ कोई वास्तविक नाम, कोई वास्तविक घटना नहीं दी जाती — पर दुविधा पूरी तरह वास्तविक जीवन जैसी होती है। यहाँ यह मायने नहीं रखता कि कितने सिद्धांत रटे गए हैं, बल्कि यह कि दबाव व अनिश्चितता की स्थिति में आपकी नैतिक सोच कितनी व्यवस्थित, संवेदनशील व व्यावहारिक है। पिछले आठ अध्यायों में पढ़े गए हर सिद्धांत — बेन्थम का उपयोगितावाद, कांट का कर्तव्यवाद, गीता का स्वधर्म, गांधी का जंतर (Talisman), रॉल्स का न्याय-सिद्धांत — यहाँ आकर एक व्यावहारिक औज़ार बन जाते हैं। यही इस अध्याय का उद्देश्य है — एक व्यवस्थित 6-चरण ढाँचे व 12 हल किए गए उदाहरणों से यह सिखाना कि किताबी ज्ञान को वास्तविक निर्णय में कैसे ढाला जाए।

अध्याय 09 — एक नज़र में

चित्र 9.1: अध्याय 09 — एक नज़र में

📖 कहानी: अध्याय की यात्रा — "नैतिकता प्रयोगशाला: प्रशिक्षु अधिकारी आदित्य का अंतिम सप्ताह"

(यह एक काल्पनिक कहानी है। इसके हर दिन में इस अध्याय का एक भाग छिपा है।)

प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी में प्रशिक्षु अधिकारी **आदित्य** का अंतिम सप्ताह चल रहा था। उनकी मार्गदर्शक **प्रोफ़ेसर सरला** हर सुबह एक लिफ़ाफ़ा देती थीं, जिसमें एक काल्पनिक परिस्थिति लिखी होती थी। वे कहतीं — "नाम झूठे हैं, पर दुविधाएँ सच्ची हैं। कल यही दुविधाएँ तुम्हारी मेज़ पर होंगी।"

सोमवार — केस स्टडी क्या है? पहले लिफ़ाफ़े में बस एक प्रश्न था — "एक अच्छी केस स्टडी में क्या होता है?" आदित्य ने समझा कि उसमें पात्र, परिस्थिति, घटनाओं का क्रम और टकराव होता है — और वह इतनी विश्वसनीय होती है कि पढ़ने वाला खुद को उसमें खड़ा पाता है। (खंड 1)

मंगलवार — ढाँचा: दूसरे लिफ़ाफ़े में एक उलझी हुई परिस्थिति थी। आदित्य घबराए, तो सरला जी बोलीं — "पहले मूल दुविधा लिखो, फिर हितधारक, फिर विकल्प। ढाँचा घबराहट को व्यवस्था में बदल देता है।" (खंड 2)

बुधवार — औचित्य: आदित्य ने एक समाधान चुना। सरला जी ने पूछा — "क्यों?" आदित्य ने उत्तर दिया — "क्योंकि इससे सबसे कमज़ोर व्यक्ति को सबसे अधिक लाभ होगा (गांधी का जंतर), और यही नियम सब पर लागू हो सकता है (कांट)।" (खंड 3)

गुरुवार — विकल्प नकारना और हितों का टकराव: उस दिन की परिस्थिति में एक ठेका आदित्य के एक रिश्तेदार की कंपनी को मिल सकता था। उन्होंने सीखा कि हितों के टकराव को घोषित करना, खुद को अलग करना और निष्पक्ष तीसरे पक्ष को लाना — यही सही रास्ता है। (खंड 4)

शुक्रवार — रचनात्मक समाधान: एक गाँव में स्कूल की छत टूटी थी और बजट नहीं था। आदित्य ने समुदाय, सामाजिक दायित्व निधि (CSR) और स्वयंसेवकों को जोड़ने का रास्ता सुझाया। सरला जी मुस्कुराईं — "यही लीक से हटकर सोचना है।" (खंड 5)

शनिवार और रविवार — अभ्यास: अंतिम दो दिन आदित्य ने एक के बाद एक बीस परिस्थितियाँ हल कीं — रेत माफ़िया, नकल, जल संकट, AI की ग़लती, शरणार्थी, तटीय अवैध निर्माण, सूचना अधिकारी पर दबाव... विदाई के समय सरला जी ने कहा — "याद रखना, हर फ़ाइल के पीछे एक चेहरा है।" (खंड 6 से अंत तक)

🔑 **इस कहानी से सीख:** यह अध्याय केस स्टडी के स्वरूप से शुरू होकर उसे हल करने के ढाँचे, निर्णय के औचित्य, विकल्प नकारने की शब्दावली, हितों के टकराव और रचनात्मक समाधानों तक जाता है, और फिर बीस से अधिक हल की गई परिस्थितियों से इन सबका अभ्यास कराता है।

आदित्य का सप्ताह — अध्याय के सात पड़ाव



चित्र 9.2: आदित्य का सप्ताह — अध्याय के सात पड़ाव

📖 अध्याय विषय-सूची

1	केस स्टडी — परिचय और महत्व	9	केस स्टडी 4: एल्गोरिदम की अंधी आँख (AI बनाम अंतरात्मा)
2	केस स्टडी हल करने की 6-चरण प्रक्रिया (6-Step Framework)	10	केस स्टडी 5: प्रगति की क्रीम — जनजातीय अधिकार
3	समाधान को नैतिक संदर्भ में कैसे उचित ठहराएँ? (Justification Methods)	11	केस स्टडी 6: करुणा की सीमा — सीमा पर शरणार्थी
4	विकल्प नकारने की विधि एवं नैतिक शब्दावली	12	केस स्टडी 7: स्वच्छ ऊर्जा का द्वंद्व — हितों का टकराव
5	रचनात्मक (Out-of-Box) समाधान एवं केस स्टडी का मास्टर ढाँचा (Master Template)	13	केस स्टडी 8-12 — पाँच संक्षिप्त केस स्टडीज
6	केस स्टडी 1: सुनील — अवैध रेत खनन	14	अतिरिक्त हल की गई केस स्टडीज — विकल्पों के मूल्यांकन सहित
7	केस स्टडी 2: वाइस प्रिंसिपल — परीक्षा में नकल	15	विवेक-परीक्षण — स्वयं सोचिए (अभ्यास परिस्थितियाँ)
8	केस स्टडी 3: जल संकट — ज़िला कलेक्टर	16	प्रशासनिक नैतिकता — संपूर्ण यात्रा (Complete Journey Timeline)

1. केस स्टडी — परिचय और महत्व

आसान परिभाषा: गैर-तथ्यात्मक केस स्टडी (Non-factual Case Study)

परिभाषा: एक काल्पनिक (Hypothetical) परिस्थिति, जिसमें कोई वास्तविक नाम या वास्तविक घटना नहीं होती, पर उसमें निहित नैतिक मूल्य व दुविधाएँ पूर्णतः वास्तविक होती हैं। इससे यह परखा जाता है कि किसी व्यक्ति की नैतिक सोच, निर्णय-क्षमता, ALIR मॉडल (अध्याय 7 में पढ़ा गया वह ढाँचा, जो किसी निर्णय को जवाबदेही, वैधता, सत्यनिष्ठा और संवेदनशीलता — इन चार कसौटियों पर परखता है) का प्रयोग व रचनात्मक (Out-of-Box) चिंतन कितना परिपक्व है।

आसान भाषा में: जैसे किसी फ़िल्म की कहानी काल्पनिक होते हुए भी उसमें दिखाया गया पारिवारिक द्वंद्व या नैतिक संघर्ष एकदम वास्तविक लगता है — ठीक वैसे ही केस स्टडी में पात्र काल्पनिक हैं, पर दुविधा असली प्रशासनिक जीवन से उठाई गई है। **उदाहरण:** 'सुनील नामक IAS अधिकारी' जैसा कोई काल्पनिक नाम देकर अवैध खनन माफ़िया से टकराव की स्थिति गढ़ी जाती है — नाम काल्पनिक है, पर सत्यनिष्ठा बनाम आत्म-सुरक्षा की दुविधा वास्तविक प्रशासनिक जीवन जैसी ही है।

आसान परिभाषा: हितधारक (Stakeholder)

परिभाषा: वह प्रत्येक व्यक्ति, समूह, संस्था या व्यवस्था, जिस पर किसी निर्णय का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, या जो उस निर्णय को प्रभावित कर सकता है।

आसान भाषा में: जिसका भी "दाँव" इस फैसले पर लगा है — वही हितधारक है। इसमें केवल इंसान ही नहीं, पर्यावरण, संस्था की साख और आने वाली पीढ़ियाँ भी आती हैं। **उदाहरण:** गाँव में नई सड़क बनाने के निर्णय में किसान, दुकानदार, स्कूली बच्चे, ठेकेदार, पंचायत, पेड़ और भविष्य के यात्री — सभी हितधारक हैं।

आसान परिभाषा: नैतिक दुविधा (Ethical Dilemma)

परिभाषा: ऐसी स्थिति, जिसमें दो या अधिक नैतिक मूल्य या कर्तव्य आपस में टकराते हैं और किसी एक को चुनने पर दूसरे का कुछ-न-कुछ त्याग करना पड़ता है।

आसान भाषा में: जब दोनों रास्ते "सही" लगें, या दोनों में कुछ-न-कुछ "गलत" हो — तब दुविधा होती है। सही और गलत के बीच चुनाव दुविधा नहीं, प्रलोभन है। **उदाहरण:** आदेश है कि बिना पहचान-पत्र राशन न दें, पर सामने एक भूखा परिवार खड़ा है — नियम-पालन और करुणा के बीच यही दुविधा है।

केस स्टडी की संरचना — एक नज़र में	विवरण
भाषा	सरल, सटीक और संवेदनशील भाषा — पात्रों और परिस्थिति के प्रति सम्मान।
प्रकार	गैर-तथ्यात्मक — काल्पनिक परिस्थिति, किसी वास्तविक व्यक्ति का नाम नहीं।
विषय-क्षेत्र	प्रशासनिक नैतिकता से जुड़े — अध्याय 1 से 8 तक के कोई भी सिद्धांत/अवधारणा प्रयोग में आ सकते हैं।
अच्छे विश्लेषण की कुंजी	6-चरण ढाँचे का पालन + नैतिक शब्दावली का प्रयोग + चुने समाधान का औचित्य + कम-से-कम एक रचनात्मक (Out-of-Box) समाधान।

केस स्टडी किसी गतिविधि, घटना या समस्या का ऐसा विवरण है, जिसमें वास्तविक या काल्पनिक परिस्थिति के साथ वे सारी उलझनें होती हैं, जो किसी कार्यस्थल पर सामने आती हैं। इसका उद्देश्य यह दिखाना है कि वास्तविक जीवन की जटिलताएँ निर्णय को कैसे प्रभावित करती हैं। केस का विश्लेषण करते समय व्यक्ति चार काम करता है — **विश्लेषण करना, ज्ञान को लागू करना, तर्क करना और निष्कर्ष निकालना**। इसलिए केस स्टडी पढ़ने वाले को निष्क्रिय श्रोता नहीं, बल्कि निर्णय में "भागीदार" बना देती है।

विशेषता	अर्थ	उदाहरण
1. वास्तविक जीवन से ली गई	घटना असली जीवन जैसी होती है; असली पहचान छिपाई जा सकती है।	किसी ज़िले का नाम नहीं, पर रेत खनन की समस्या असली।
2. कई भाग, खुला अंत	हर भाग किसी समस्या पर रुकता है; कोई एक तय उत्तर नहीं होता।	पहले रिश्त का प्रस्ताव, फिर धमकी, फिर मीडिया का दबाव।
3. पर्याप्त जानकारी	निर्णय लेने लायक तथ्य दिए होते हैं — बाक़ी अनुमान तर्कसंगत हों।	कितने परिवार, कितना बजट, कितना समय।
4. विश्वसनीयता	परिवेश, पात्र, घटनाओं का क्रम, समस्याएँ और टकराव — सब स्वाभाविक लगें।	पढ़ने वाला खुद को उस कुर्सी पर बैठा महसूस करे।

एक अच्छी केस स्टडी की चार विशेषताएँ (कार्डोस और स्मिथ, 1979)

अच्छी केस स्टडी

वास्तविक जीवन पहचान छिपी, समस्या असली	कई भाग खुला अंत, कई प्रश्न	पर्याप्त जानकारी निर्णय लायक तथ्य	विश्वसनीयता पात्र, क्रम, टकराव
---	--------------------------------------	---	--

चित्र 9.3: एक अच्छी केस स्टडी की चार विशेषताएँ (कार्डोस और स्मिथ, 1979)

तथ्यात्मक बनाम गैर-तथ्यात्मक केस स्टडी

तथ्यात्मक	बनाम	गैर-तथ्यात्मक
असली घटना, असली नाम	आधार	काल्पनिक पात्र, असली दुविधा
किसी समाचार पर आधारित	उदाहरण	"सुनील नामक अधिकारी..."
घटना का विश्लेषण	ध्यान	निर्णय और मूल्यों का चुनाव
वास्तविक संदर्भ	लाभ	खुला चिंतन, पूर्वाग्रह-मुक्त

चित्र 9.4: तथ्यात्मक बनाम गैर-तथ्यात्मक केस स्टडी

केस का प्रकार	क्या अपेक्षित है?	कैसे आगे बढ़ें?
विकल्प दिए गए हों	हर विकल्प के लाभ और हानि का मूल्यांकन	हर विकल्प के गुण-दोष लिखकर ही अंतिम विकल्प चुनें।
विकल्प न दिए गए हों	स्वयं विकल्प बनाना	ऐसे विकल्प बनाएँ जो क़ानूनी या नैतिक — या दोनों — रूप से सही हों।
केवल "क्या करेंगे?" पूछा हो	कार्य-योजना	मूल दुविधा → तत्काल क़दम → दीर्घकालिक सुधार।
"विश्लेषण कीजिए" पूछा हो	गहरा विश्लेषण	मूल और सहायक मुद्दे, हितधारक, उनके आपसी संबंध — सब विस्तार से।
"कारण और उपाय" पूछे हों	व्यवस्थागत सोच	कारणों को समूहों में बाँटें, फिर हर कारण का उपाय दें।

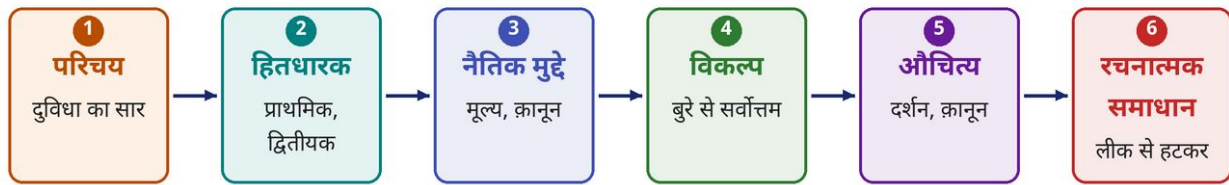
⚠ सुनहरा नियम: जो विकल्प न क़ानूनी रूप से सही है, न नैतिक रूप से — वह "विकल्प" ही नहीं है। जैसे रिश्तत लेकर चुप रहना या गवाह को धमकाना — ये विकल्पों की सूची में रखने लायक भी नहीं हैं; इन्हें केवल "नकारे जाने वाले मार्ग" के रूप में दिखाया जा सकता है।

2. केस स्टडी हल करने की 6-चरण प्रक्रिया (6-Step Framework)

चरण	क्या करें?	कैसे लिखें? (उदाहरण)
चरण 1: परिचय (दुविधा का सार)	दुविधा का संक्षिप्त परिचय लिखें — किसी उद्धरण/श्लोक से शुरुआत करना प्रभावी रहता है।	"यह केस स्टडी एक सत्यनिष्ठ अधिकारी की दुविधा दर्शाती है..." या गीता के उद्धरण से आरंभ करें।
चरण 2: हितधारक (Stakeholders)	सभी हितधारकों की सूची बनाएँ — प्राथमिक (Primary) व द्वितीयक (Secondary) में बाँटें।	प्राथमिक: अधिकारी, पीड़ित। द्वितीयक: सरकार, समाज, पर्यावरण।
चरण 3: नैतिक दुविधाएँ व मुद्दे	उल्लंघित मूल्यों, दुविधाओं, संबंधित क़ानूनी व संवैधानिक प्रावधानों को लिखें।	सत्यनिष्ठा बनाम आत्म-संरक्षण; अनुच्छेद 14 का उल्लंघन; गांधी के 7 सामाजिक पाप।
चरण 4: समाधान (सबसे बुरे से सबसे अच्छे क्रम में)	सभी विकल्पों को सबसे बुरे से सबसे अच्छे क्रम में लिखें; अल्पकालिक व दीर्घकालिक में बाँटें।	अल्पकालिक: तत्काल कार्रवाई। दीर्घकालिक: व्यवस्थागत परिवर्तन।
चरण 5: सर्वोत्तम विकल्प का औचित्य (Justify)	नैतिक सिद्धांतों, क़ानून व दर्शन से अपने चुने विकल्प को उचित ठहराएँ।	उपयोगितावादी दृष्टिकोण + गीता का स्वधर्म + रॉल्स का न्याय-सिद्धांत।

चरण	क्या करें?	कैसे लिखें? (उदाहरण)
चरण 6: रचनात्मक (Out-of-Box) समाधान	सामान्य ढर्रे से हटकर एक रचनात्मक समाधान दें।	CSR, क्राउडफंडिंग (Crowdfunding), सोशल मीडिया अभियान, तृतीय-पक्ष अंकेक्षण।

केस स्टडी हल करने के 6 चरण



चित्र 9.5: केस स्टडी हल करने के 6 चरण

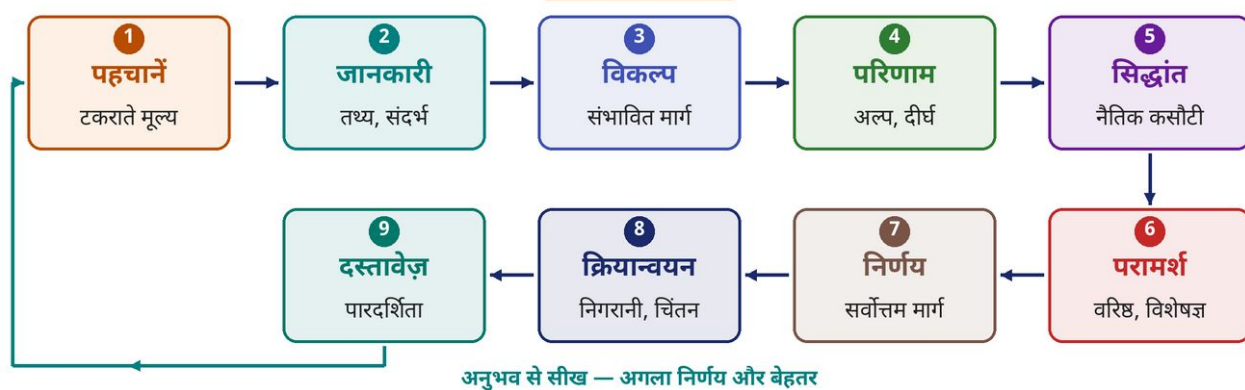
💡 ढाँचे का लाभ: 6-चरण ढाँचा हर केस स्टडी के विश्लेषण की रीढ़ है — परिचय, हितधारक, नैतिक मुद्दे, समाधान, औचित्य और रचनात्मक समाधान को अलग-अलग उप-शीर्षकों में स्पष्ट रखने से विचार उलझते नहीं, और कोई पहलू छूटता नहीं। प्रशासन में भी किसी कठिन फ़ाइल पर टिप्पणी लिखते समय यही क्रम निर्णय को पारदर्शी बनाता है।

2.1 नैतिक दुविधा सुलझाने का विस्तृत 9-चरण ढाँचा

6-चरण ढाँचा केस को व्यवस्थित करता है, पर किसी वास्तविक कार्यालय में दुविधा सुलझाने के लिए एक और विस्तृत ढाँचा उपयोगी है, जिसमें परामर्श, क्रियान्वयन, चिंतन और दस्तावेज़ीकरण भी शामिल हैं:

चरण	क्या करें?	स्वयं से पूछें
1. दुविधा पहचानें	दुविधा का स्वरूप और टकराते मूल्य स्पष्ट करें।	क्या यह दो सही के बीच चुनाव है, या सही-गलत के बीच?
2. जानकारी जुटाएँ	सभी तथ्य, संदर्भ, हितधारक और संभावित परिणाम।	मुझे क्या पता है, और क्या पता करना बाक़ी है?
3. विकल्प सोचें	संभावित कार्य-मार्ग पहचानें और न्याय, निष्पक्षता, व्यक्ति-सम्मान पर परखें।	मेरे पास कौन-कौन से रास्ते हैं?
4. परिणाम तौलें	हर विकल्प के अल्पकालिक और दीर्घकालिक परिणाम।	किस पर, कैसे और कितना असर पड़ेगा?
5. नैतिक सिद्धांत लागू करें	कर्तव्यवाद, उपयोगितावाद, सहृणु, न्याय, अधिकार, गांधी का जंतर, नियम-संहिताएँ।	कौन-सा सिद्धांत इस स्थिति को सबसे स्पष्ट करता है?
6. परामर्श लें	वरिष्ठों, विश्वसनीय सहकर्मियों, विशेषज्ञों से राय।	क्या मैं कोई पहलू अनदेखा कर रहा हूँ?
7. निर्णय लें	वह मार्ग चुनें जो नैतिक सिद्धांतों और मूल्यों से सबसे अधिक मेल खाए।	क्या मैं इस निर्णय पर गर्व कर सकूँगा?
8. लागू करें और चिंतन करें	निर्णय लागू करें, परिणाम पर नज़र रखें, सीख लें।	क्या परिणाम अपेक्षा के अनुरूप रहे?
9. दस्तावेज़ बनाएँ	निर्णय-प्रक्रिया और कारण लिखित रूप में दर्ज करें।	कल कोई पूछे, तो क्या मेरे पास स्पष्ट रिकॉर्ड है?

दुविधा सुलझाने के 9 चरण — एक चक्र



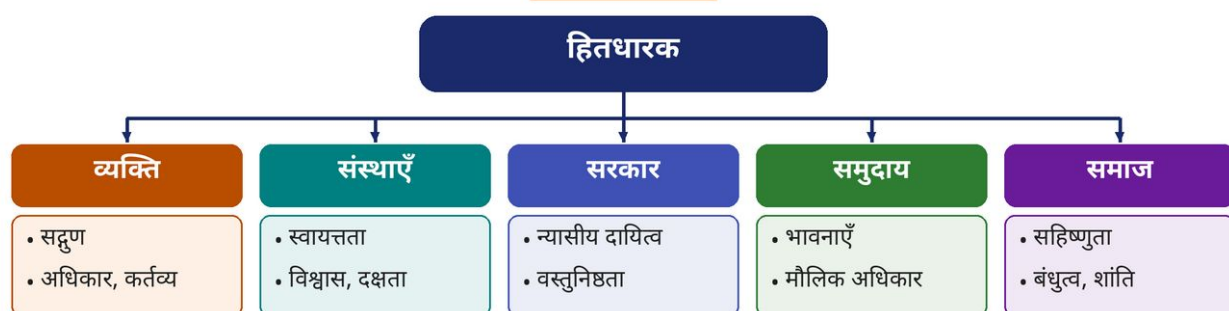
चित्र 9.6: दुविधा सुलझाने के 9 चरण — एक चक्र

2.2 हितधारक विश्लेषण — किसमें क्या देखें?

हितधारकों की केवल सूची बना देना पर्याप्त नहीं — हर हितधारक के साथ जुड़े **मूल्य**, **अधिकार** और **कर्तव्य** पहचानने चाहिए, और यह भी देखना चाहिए कि हितधारकों के आपसी संबंध क्या हैं।

हितधारक	किन बातों पर ध्यान दें?	उदाहरण
व्यक्ति	सद्गुण, अधिकार, कर्तव्य, अंतरात्मा	अधिकारी की सत्यनिष्ठा; पीड़ित का जीवन का अधिकार
संस्थाएँ	स्वायत्तता, दक्षता, जनता का विश्वास, संस्थागत सत्यनिष्ठा, सेवा का उचित मूल्य पाने का अधिकार	अस्पताल, विश्वविद्यालय, कंपनी
सरकार	न्यासीय दायित्व (Fiduciary Responsibility), वस्तुनिष्ठता, आर्थिक-प्रशासनिक मूल्य, नागरिकों की अपेक्षाएँ	ज़िला प्रशासन, मंत्रालय
समुदाय	धार्मिक भावनाएँ, पेयजल जैसे मौलिक अधिकार, आजीविका	जनजातीय समुदाय, मछुआरे
समाज	सहिष्णुता, सामाजिक समरसता, बंधुत्व, शांति	पूरे ज़िले का सामाजिक ताना-बाना

हितधारक विश्लेषण — पाँच स्तर



चित्र 9.7: हितधारक विश्लेषण — पाँच स्तर

हितधारकों के आपसी संबंध — कुछ उदाहरण:

- सरकार का दायित्व है कि वह राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं (जैसे बड़े विश्वविद्यालय और अस्पताल) का स्तर बनाए रखे — यानी संस्थाएँ स्वायत्त रहें, फिर भी उनकी गुणवत्ता की अंतिम ज़िम्मेदारी सरकार की है।
- कर्मचारी की अपनी कंपनी के प्रति निष्ठा — पर क़ानून और समाज के प्रति निष्ठा उससे ऊपर।
- उद्योगों का सामाजिक दायित्व (Corporate Social Responsibility) — लाभ के साथ समाज और पर्यावरण की चिंता।

2.3 विकल्पों का मूल्यांकन — लाभ-हानि की तालिका

विकल्प दिए गए हों या स्वयं बनाए गए हों — हर विकल्प के गुण (Merits) और दोष (Demerits) लिखकर तुलना करनी चाहिए। तालिका या बिंदु-रूप में लिखने से समय और स्थान दोनों बचते हैं, और निर्णय पारदर्शी दिखता है। एक उपयोगी कसौटी है — विकल्प क़ानूनी है या नहीं, और नैतिक है या नहीं:

विकल्प परखने की 2×2 कसौटी

क़ानूनी + नैतिक सर्वोत्तम — इसी को प्राथमिकता	क़ानूनी, पर अनैतिक सावधानी — नियम का अक्षर, भावना नहीं
नैतिक, पर नियम से बाहर विवेक, लिखित कारण, वरिष्ठ को सूचना	न क़ानूनी, न नैतिक विकल्प ही नहीं — नकारें

चित्र 9.8: विकल्प परखने की 2×2 कसौटी

विकल्प	गुण (Merits)	दोष (Demerits)	निर्णय
A. कुछ न करना	तत्काल टकराव से बचाव	कर्तव्य में लापरवाही, ग़लत मिसाल	✗ नकारें
B. केवल वरिष्ठों पर छोड़ना	अनुभव का लाभ, साझा ज़िम्मेदारी	देरी, दबाव में मामला दबने का ख़तरा	⚠ सहायक क़दम
C. कठोर दंड तुरंत	क़ानून का राज, निवारण (Deterrence)	निर्दोषों पर भी असर	⚠ आंशिक
D. संतुलित कार्रवाई	दोषी पर दंड + निर्दोष की रक्षा	अधिक श्रम और समय	✓ सर्वोत्तम

💡 **ध्यान दें:** विकल्पों को "सबसे बुरे से सर्वोत्तम" क्रम में रखने से निर्णय-प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ती है — पढ़ने वाला खुद देख लेता है कि अंतिम विकल्प क्यों चुना गया।

3. समाधान को नैतिक संदर्भ में कैसे उचित ठहराएँ? (Justification Methods)

किसी भी चुने गए समाधान को केवल बताना पर्याप्त नहीं — उसे किसी मान्य दार्शनिक/सिद्धांत के सहारे 'उचित' (Justify) ठहराना ज़रूरी है। नीचे दी तालिका दिखाती है कि किस स्थिति में किस दार्शनिक का सहारा प्रभावी रहता है।

यदि आप चाहते हैं...	तो इस दार्शनिक का सहारा लें	उदाहरण वाक्य
अधिकतम लाभ देना	जेरेमी बेन्थम — मात्रात्मक उपयोगितावाद	यह निर्णय सर्वाधिक लोगों का सर्वाधिक कल्याण (बेन्थम) सुनिश्चित करता है।
अल्पकालिक पीड़ा को स्वीकारना	जे.एस. मिल — शारीरिक सुख से बौद्धिक सुख की श्रेष्ठता	मिल के अनुसार "संतुष्ट सूअर होने से असंतुष्ट मनुष्य होना बेहतर है" — यह अल्पकालिक पीड़ा दीर्घकालिक लाभ के लिए है।
निष्पक्ष (Unbiased) दिखना	जॉन रॉल्स — अज्ञानता का आवरण (Veil of Ignorance)	रॉल्स के 'अज्ञानता के आवरण' सिद्धांत के अनुसार मैंने बिना किसी पक्षपात के निर्णय लिया।
कर्तव्य के लिए त्याग	भगवद्गीता — निष्काम कर्म/स्वधर्म	गीता के अनुसार 'स्वधर्म निधनं श्रेयः' — कर्तव्य के लिए स्वयं को जोखिम में डालना उचित है।
निडरता दिखानी हो	महात्मा गांधी — अभय (Fearlessness)	गांधीजी के अनुसार अभय एक अनिवार्य व्रत है।
समानता का तर्क देना	इमैन्युएल कांट — निरपेक्ष आदेश (Categorical Imperative)	कांट के अनुसार वह नियम अपनाओ जो सार्वभौमिक क़ानून बन सके।
सामाजिक ज़िम्मेदारी बताना	स्वामी विवेकानंद — मानवता की सेवा	विवेकानंद: "कर्तव्य पालन ही सर्वोच्च पूजा है।"
मानवता के प्रति ज़िम्मेदारी	अमर्त्य सेन + सार्वभौमिक मानवाधिकार	यह निर्णय मानव गरिमा (Human Dignity) की रक्षा करता है।
विकेंद्रीकरण का तर्क	गांधी — ग्राम स्वराज	स्थानीय स्तर पर समाधान = गांधी के ग्राम स्वराज की भावना।
सत्यनिष्ठा बनाए रखना	कौटिल्य — दो दीपकों का सिद्धांत (Probity)	कौटिल्य के दो दीपकों की भाँति — राजकीय तेल व निजी तेल अलग रखना।

निर्णय को उचित ठहराने की सात कसौटियाँ

मेरा निर्णय



चित्र 9.9: निर्णय को उचित ठहराने की सात कसौटियाँ

दृष्टिकोण	मूल प्रश्न	कब सबसे उपयोगी?
कर्तव्यवाद (Deontology) — कांट	मेरा कर्तव्य और नियम क्या कहता है?	जब किसी सिद्धांत से समझौते का दबाव हो।
उपयोगितावाद (Utilitarianism) — बेन्थम, मिल	किस विकल्प से सबसे अधिक लोगों का भला और सबसे कम हानि?	संसाधन-आवंटन, नीति-निर्माण।
सद्गुण नीतिशास्त्र (Virtue Ethics) — अरस्तू	एक सद्गुणी व्यक्ति इस स्थिति में क्या करता?	चरित्र और सत्यनिष्ठा की परीक्षा के समय।
न्याय दृष्टिकोण — रॉल्स	क्या सबके साथ निष्पक्ष और समान व्यवहार हो रहा है?	भेदभाव, वंचित वर्ग से जुड़े मामले।
अधिकार-आधारित दृष्टिकोण	किसके कौन-से अधिकार दाँव पर हैं?	विस्थापन, निजता, अभिव्यक्ति।
गांधी का जंतर	क्या यह क्रदम सबसे ग़रीब और कमज़ोर व्यक्ति के काम आएगा?	कल्याण योजनाएँ, अंतिम निर्णय की कसौटी।
क्रानून, नियम और संहिताएँ	आचरण नियम और क्रानून क्या कहते हैं?	हर स्थिति में पहला लंगर।

“ जब भी तुम दुविधा में हो, या जब अपना स्वार्थ तुम पर हावी होने लगे, तो यह कसौटी अपनाओ — सबसे ग़रीब और सबसे कमज़ोर आदमी का चेहरा याद करो, जिसे तुमने कभी देखा हो, और अपने दिल से पूछो कि जो क्रदम तुम उठाने जा रहे हो, वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा। क्या उससे उसे कुछ लाभ पहुँचेगा? क्या उससे वह अपने जीवन और भाग्य पर फिर से कुछ नियंत्रण पा सकेगा?
(Recall the face of the poorest and the weakest man whom you may have seen, and ask yourself, if the step you contemplate is going to be of any use to him.) ” — महात्मा गांधी — “गांधी का जंतर” (Gandhi's Talisman)

बहुआयामी औचित्य: किसी निर्णय को एक से अधिक दृष्टिकोणों से परखना चाहिए — जैसे उपयोगितावाद (परिणाम), कर्तव्यवाद (नियम) और गांधीवाद (सबसे कमज़ोर का हित)। जब तीनों एक ही दिशा दिखाएँ, तो निर्णय मज़बूत होता है; और जब वे टकराएँ, तो वहीं असली दुविधा छिपी होती है, जिस पर सबसे अधिक सोचना चाहिए।

कहानी: प्रशासनिक दुविधा 1 — "सौदा या सच: दुर्घटना का अकेला गवाह"

(यह एक काल्पनिक परिस्थिति है, जो दिखाती है कि एक ही निर्णय को कई नैतिक सिद्धांतों से कैसे उचित ठहराया जाता है।)

विवेक एक कल-पुर्जे बनाने वाली कंपनी में प्रबंधक है। उसकी कंपनी के लिए एक बड़ी निर्माता कंपनी से सौदा जीवन-मरण का प्रश्न है। रात के भोजन पर बातचीत अच्छी रही। लौटते समय निर्माता कंपनी के प्रबंधक **शर्मा जी** ने उसे अपनी कार से होटल छोड़ने की पेशकश की। रास्ते में तेज़ गाड़ी चलाते हुए शर्मा जी ने नियंत्रण खो दिया और एक मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी — वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

पुलिस अधिकारी जाँच के लिए आता है। विवेक घटना का **एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी** है। वह जानता है कि उसका सच्चा बयान शर्मा जी पर मुकदमा चलावाएगा और सौदा लगभग निश्चित रूप से टूट जाएगा। शर्मा जी धीरे से कहते हैं — "बस इतना कह दो कि बाइक वाला अचानक सामने आ गया था।"

विवेक की दुविधाएँ: (1) कंपनी का लाभ बनाम घायल को न्याय; (2) कंपनी के प्रति निष्ठा बनाम सहानुभूति और सामाजिक दायित्व; (3) पेशेवर सफलता बनाम सत्यनिष्ठा; (4) पुलिस का सहयोग करना और निजी हानि सहना, या चुप रहना।

विवेक का निर्णय — सच बोलना और पुलिस का पूरा सहयोग करना। क्यों? (1) **अंतरात्मा:** झूठ बोलकर वह जीवन भर संज्ञानात्मक असंगति (Cognitive Dissonance) में जिएगा; भीतर की शांति सच से ही आती है। (2) **गांधी का जंतर:** इस स्थिति में सबसे कमज़ोर व्यक्ति घायल मोटरसाइकिल सवार है — निर्णय उसके हित में होना चाहिए। (3) **कांट:** मानवता को सदैव साध्य मानो, साधन नहीं — घायल का जीवन किसी सौदे का साधन नहीं हो सकता। (4) **रॉल्स का अज्ञानता का आवरण:** कल विवेक या उसका परिवार भी किसी लापरवाह चालक का शिकार हो सकता है — इसलिए ऐसा नियम ही चुनना चाहिए जो पीड़ित की रक्षा करे। (5) **क्रानून:** यातायात नियम नागरिकों के सहयोग के बिना लागू नहीं हो सकते; गवाही देना नागरिक दायित्व है।

आगे के क़दम: विवेक घायल को अस्पताल पहुँचाने में मदद करता है, सच्चा बयान देता है, और अगले दिन अपनी कंपनी को पूरी बात बताता है। वह प्रबंधन को समझाता है कि झूठ की नींव पर बना सौदा कंपनी की साख के लिए सबसे बड़ा जोखिम है। उसकी सत्यनिष्ठा प्रबंधन का विश्वास बढ़ाती है — और आगे उसे बड़ी ज़िम्मेदारियाँ मिलती हैं।

इस कहानी से सीख: एक मज़बूत औचित्य एक ही सिद्धांत पर नहीं टिकता — अंतरात्मा, गांधी का जंतर, कांट, रॉल्स और क्रानून जब एक ही दिशा दिखाएँ, तो निर्णय अडिग हो जाता है।

दुर्घटना के गवाह की दुविधा — दो रास्ते

चुप्पी या झूठ	बनाम	सच्चा बयान
शायद बचे	सौदा	टूट सकता है
नहीं	घायल को न्याय	हाँ
असंगति, ग्लानि	अंतरात्मा	शांति, सामंजस्य
झूठ उजागर होने का खतरा	दीर्घकालिक साख	विश्वास और सम्मान
लापरवाही को बढ़ावा	समाज पर असर	क्रानून का राज मज़बूत

चित्र 9.10: दुर्घटना के गवाह की दुविधा — दो रास्ते

4. विकल्प नकारने की विधि एवं नैतिक शब्दावली

4.1 किसी ग़लत विकल्प को नकारने के तर्क

तर्क (Argument)	सरल भाषा में
अधिकारी द्वारा अशोभनीय कृत्य (Unbecoming Act)	यह एक लोक सेवक की प्रतिष्ठा व पद के साथ अशोभनीय है।
पेंडोरा बॉक्स खुलेगा (Pandora's Box)	एक ग़लत निर्णय से अनेक नई समस्याएँ जन्म लेंगी।
"आँख के बदले आँख" — गांधी के नाम से प्रचलित	"आँख के बदले आँख पूरी दुनिया को अंधा बना देगी" — प्रतिशोध समाधान नहीं है।
ग़लत मिसाल (Bad Precedent)	यह कार्य भविष्य में एक ग़लत नज़ीर स्थापित करेगा।
व्यावहारिक परिणाम	संपत्ति ज़बूती, प्रतिष्ठा-नाश, पद-हानि, कारावास — सब संभव।
सुखवादी प्रवृत्तियाँ (Hedonistic Tendencies)	क्षणिक सुख की प्रवृत्तियाँ पतन का मार्ग हैं।
दो ग़लतियाँ मिलकर सही नहीं बनती (Two	एक अन्याय का जवाब दूसरे अन्याय से देना उचित नहीं।

तर्क (Argument)	सरल भाषा में
Wrongs)	

गलत विकल्प नकारने के सात तर्क



चित्र 9.11: गलत विकल्प नकारने के सात तर्क

4.2 केस विश्लेषण में उपयोगी नैतिक शब्दावली (Terminology)

शब्द/वाक्यांश	अर्थ व प्रयोग
संज्ञानात्मक असंगति (Cognitive Dissonance)	जब विचार व आचरण में विरोधाभास हो। "इस निर्णय से मुझे संज्ञानात्मक असंगति होगी।"
आंतरिक उथल-पुथल (Inner Turmoil)	अंतरात्मा का संघर्ष। "यह मेरे लिए आंतरिक उथल-पुथल का कारण है।"
कर्तव्य में लापरवाही (Dereliction of Duty)	कर्तव्य से भागना। "यह कृत्य कर्तव्य में लापरवाही होगी।"
व्यापक प्रभाव (Cascading Effect)	एक गलती से अनेक और समस्याएँ जन्म लेती हैं।
छवि खराब करना (Tarnishing the Image)	प्रतिष्ठा नष्ट करना — सरकार/संस्था की छवि को हानि।
अंतरात्मा की आवाज़ (Voice of Conscience)	आंतरिक नैतिक मार्गदर्शक। "यह अंतरात्मा की आवाज़ के विरुद्ध है।"
हितों का टकराव (Conflict of Interest)	व्यक्तिगत व व्यावसायिक हितों का टकराव।
खराब मिसाल (Bad Precedent)	भविष्य के लिए गलत नज़ीर स्थापित करना।
संज्ञानात्मक संतुलन (Cognitive Consistency)	विचार-वाणी-कर्म में सामंजस्य बना रहना।
लक्ष्य से भटकाव (Digression from Objective)	मूल उद्देश्य से दूर हट जाना।

नैतिक शब्दावली — तीन समूह



चित्र 9.12: नैतिक शब्दावली — तीन समूह

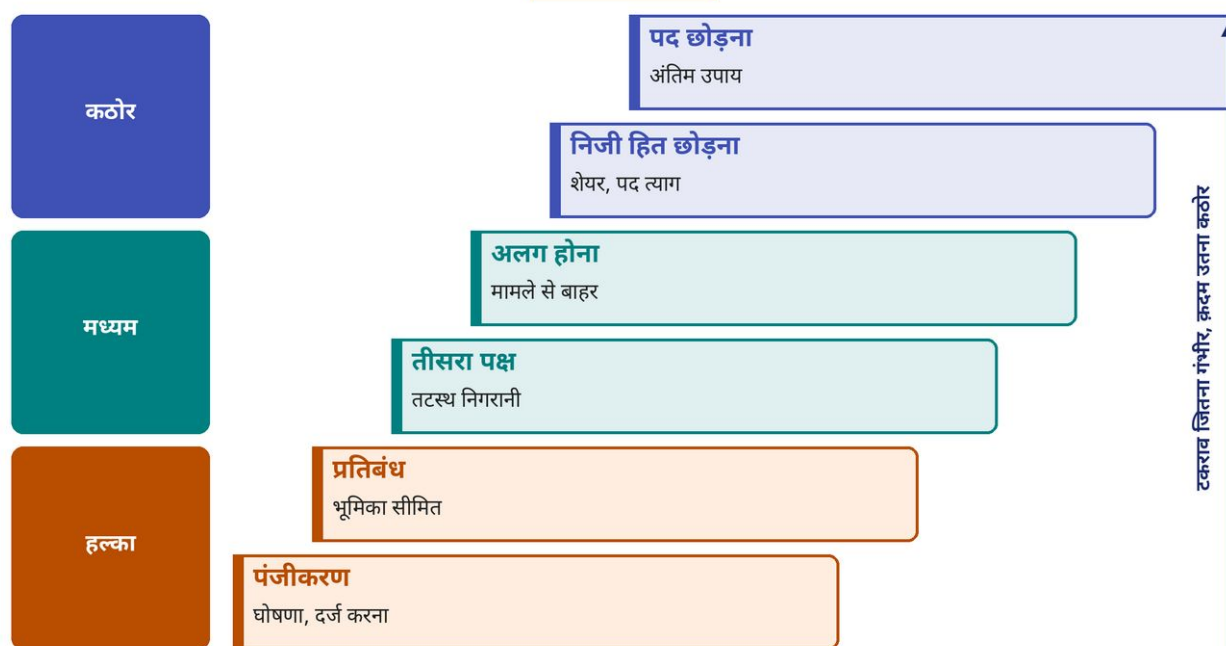
💡 शब्दों का सही प्रयोग: ये पारिभाषिक शब्द (जैसे संज्ञानात्मक असंगति, व्यापक प्रभाव) किसी स्थिति को सटीक रूप से नाम देने में मदद करते हैं — पर इनका प्रयोग वहीं करें, जहाँ ये स्वाभाविक रूप से फिट हों। सही शब्द सोच को स्पष्ट करता है; ज़बरदस्ती ठूँसा गया शब्द उसे धुँधला कर देता है।

4.3 हितों का टकराव सुलझाने का 6R सूत्र

हितों का टकराव (Conflict of Interest) तीन रूपों में आता है — **वास्तविक** (जब निजी हित अभी निर्णय को प्रभावित कर रहा हो), **प्रतीत होने वाला** (जब लोगों को लगे कि निजी हित असर डाल सकता है) और **संभावित** (जब भविष्य में निजी हित असर डाल सकता है)। ध्यान रहे — ठीक से न सँभाला गया "प्रतीत होने वाला" टकराव भी उतना ही नुकसान करता है जितना वास्तविक टकराव; लोक सेवक को न केवल नैतिक होना चाहिए, बल्कि **नैतिक दिखना** भी चाहिए। इसे सुलझाने के छह क़दम हैं, जिन्हें **6R** सूत्र कहा जाता है, क्योंकि इन छह क़दमों के अंग्रेज़ी नाम (Register, Restrict, Recruit, Remove, Relinquish, Resign) R अक्षर से शुरू होते हैं। ये क़दम हल्के से कठोर क्रम में रखे गए हैं — टकराव जितना छोटा हो, शुरुआती क़दम उतना ही काफ़ी है, और टकराव जितना गंभीर हो, उतना आगे का कठोर क़दम उठाना पड़ता है:

क़दम	अर्थ	कब पर्याप्त?
1. पंजीकरण (Register)	टकराव का विवरण घोषित और दर्ज करना।	कम जोखिम वाली स्थिति में यही अकेला क़दम काफ़ी हो सकता है।
2. प्रतिबंध (Restrict)	मामले में अधिकारी की भूमिका सीमित करना।	जब पूरी तरह हटना ज़रूरी न हो।
3. निष्पक्ष तीसरा पक्ष (Recruit)	प्रक्रिया की निगरानी किसी तटस्थ व्यक्ति को सौंपना।	जब विशेषज्ञता के कारण अधिकारी का रहना ज़रूरी हो।
4. अलग होना (Remove)	अधिकारी को उस मामले से पूरी तरह अलग करना।	जब टकराव गंभीर हो।
5. निजी हित छोड़ना (Relinquish)	वह निजी हित (शेयर, पद, संपत्ति) ही छोड़ देना।	जब टकराव बार-बार आने वाला हो।
6. पद छोड़ना (Resign)	पद से त्यागपत्र देना।	केवल तब, जब कोई और उपाय काम न करे।

6R — हल्के से कठोर क़दम की ओर



चित्र 9.13: 6R — हल्के से कठोर क़दम की ओर

व्यवहार में "नैतिक दिखना" — दो उदाहरण:

- ◆ अखिल भारतीय सेवाओं में अधिकांश अधिकारियों को उनके गृह राज्य से बाहर का संवर्ग (Cadre) मिलता है — ताकि रिश्तेदारी या स्थानीय निष्ठाएँ निर्णयों को प्रभावित न करें।
- ◆ एक भारतीय राजनयिक ने एक पुस्तक-विमोचन कार्यक्रम से इसलिए उठकर जाना उचित समझा, क्योंकि वहाँ एक विवादित, क़ानूनी कार्यवाई का सामना कर रहे व्यवसायी उपस्थित थे — ताकि हितों के टकराव का आभास भी न बने।

कहानी: 6R व्यवहार में — "स्वच्छता समिति की अध्यक्ष और पति की कंपनी"

(यह एक काल्पनिक परिस्थिति है।)

नगर निगम की स्वच्छता समिति की अध्यक्ष **सुनीता** एक नई कचरा-प्रबंधन परियोजना की निविदाएँ (Tender) परख रही हैं। उन्हें पता चलता है कि सबसे मज़बूत बोली उस कंपनी की है, जिसमें उनके **पति निदेशक** हैं — और यह बात अब तक घोषित नहीं की गई थी।

सुनीता क्या करती हैं? (1) **पंजीकरण**: समिति की अगली बैठक से पहले ही लिखित रूप में संबंध घोषित करती हैं। (2) **अलग होना**: इस निविदा के मूल्यांकन, चर्चा और मतदान से स्वयं को पूरी तरह अलग कर लेती हैं। (3) **तीसरा पक्ष**: आयुक्त से अनुरोध करती हैं कि मूल्यांकन एक स्वतंत्र तकनीकी समिति करे। (4) **पारदर्शिता**: मूल्यांकन के मानदंड और अंक सार्वजनिक करने का सुझाव देती हैं।

परिणाम: यदि स्वतंत्र समिति उसी कंपनी को सर्वोत्तम पाती है, तो ठेका उसे मिलता है — और किसी को उँगली उठाने का अवसर नहीं मिलता; यदि नहीं, तो शहर को बेहतर कंपनी मिलती है। दोनों स्थितियों में **जनता का विश्वास** बचता है। चुप रहना एक बड़ा जोखिम होता — बाद में पता चलने पर पूरी परियोजना और सुनीता की साख, दोनों डूब जाते।

इस कहानी से सीख: हितों का टकराव अपने आप में अपराध नहीं — उसे छिपाना अपराध है। घोषणा, अलगव और तटस्थ तीसरा पक्ष — यही 6R का व्यावहारिक सार है।

5. रचनात्मक (Out-of-Box) समाधान एवं केस स्टडी का मास्टर ढाँचा (Master Template)

5.1 Out-of-Box (रचनात्मक) समाधान

आर्थिक/संसाधन-आधारित	प्रक्रियागत/संस्थागत
◆ CSR प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग — कॉर्पोरेट फंडिंग।	◆ तृतीय-पक्ष अंकेक्षण (Third Party Audit) — स्वतंत्र जाँच।
◆ क्राउडफंडिंग — जैसे 37 अरुणाचल प्रदेश सिविल सेवा अधिकारियों की स्वैच्छिक पहल, जिन्होंने अपने वेतन/बचत से दूरदराज़ गाँवों में स्कूल-मरम्मत व सड़क-निर्माण करवाया।	◆ लिखित आदेश (Written Order) — ज़िम्मेदारी स्पष्ट रूप से तय हो।
◆ अनुग्रह राशि (Ex Gratia) — पीड़ित परिवार को।	◆ सोशल मीडिया अभियान — जन-जागरूकता हेतु।
◆ मुआवज़ा (Compensation) — शोकाकुल परिवार को।	◆ परामर्श (Counseling) — पीड़ित व आरोपी दोनों के लिए।

रचनात्मक (Out-of-Box) समाधान — छह स्रोत

समुदाय स्वयंसेवक, निगरानी समितियाँ	सामाजिक दायित्व निधि उद्योगों का सहयोग	तकनीक उपग्रह, ऐप, डैशबोर्ड
स्वतंत्र जाँच तृतीय-पक्ष अंकेक्षण	अनुनय जागरूकता, आदर्श व्यक्ति	साझेदारी स्वयंसेवी संस्थाएँ, स्थानीय निकाय

New India Education by Omkar Sir

चित्र 9.14: रचनात्मक (Out-of-Box) समाधान — छह स्रोत

लीक से हटकर सोच — एक सच्चा उदाहरण:

◆ केरल के कोझिकोड ज़िले में 2015 में ज़िला प्रशासन ने "**ऑपरेशन सुलेमानी**" नाम की पहल शुरू की — जिसके पास भोजन के पैसे न हों, उसे एक कूपन मिलता था, जिससे वह भाग लेने वाले भोजनालयों में सम्मान के साथ मुफ्त भोजन कर सकता था। ख़र्च जनता और भोजनालयों के स्वैच्छिक सहयोग से चला।

◆ इसमें न नया क़ानून लगा, न बड़ा बजट — बस समुदाय की भलाई और भूखे व्यक्ति की **गरिमा** को केंद्र में रखा गया। यही अच्छे रचनात्मक समाधान की पहचान है।

त्वरित नियम: समाधानों को अल्पकालिक (Short-term) और दीर्घकालिक (Long-term) में बाँटें; कम-से-कम एक रचनात्मक (Out-of-Box) समाधान अवश्य सोचें; और हर समाधान को किसी-न-किसी दार्शनिक या सिद्धांत से उचित (Justify) ठहराएँ। संक्षिप्तता भी एक गुण है — कम शब्दों में पूरी बात।

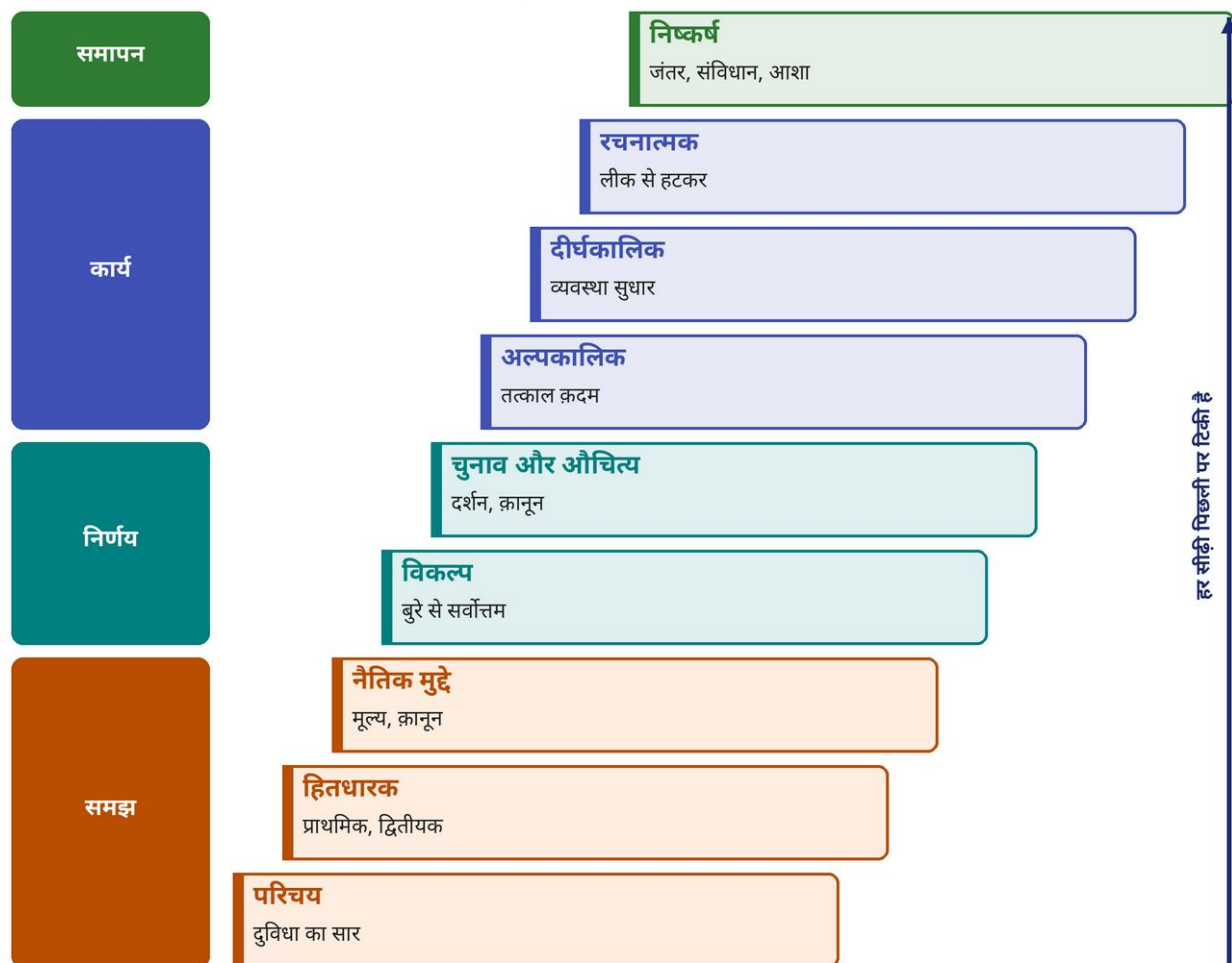
समस्या	केवल दंड वाली सोच	रचनात्मक सोच
किसान मोटे अनाज (Millets) अपनाने से हिचकें	योजना थोपना	सफल किसानों के खेत दिखाना, न्यूनतम मूल्य का भरोसा, प्रदर्शन-भूखंड
मुफ्त पौधे मिलने पर भी पौधारोपण विफल	लक्ष्य बढ़ा देना	"एक पेड़, एक नाम" — बच्चों और परिवारों को पेड़ गोद देना, जीवित पेड़ों पर सम्मान

समस्या	केवल दंड वाली सोच	रचनात्मक सोच
स्कूल में अनुशासनहीनता और धौंस (Bullying)	निलंबन	सहपाठी-मार्गदर्शक, खेल और कला, अभिभावक-शिक्षक संवाद
अवैध शराब से मौतें	केवल छापे और गिरफ्तारी	रोज़गार, शिक्षा, सिंचाई, सामुदायिक नेतृत्व और अनुनय

5.2 केस स्टडी का मास्टर ढाँचा (Master Template)

भाग	क्या लिखें?	क्या दर्शाता है?
1. परिचय (2-3 पंक्तियाँ)	उद्घरण/श्लोक + दुविधा का सार + अपनी भूमिका।	पाठक का ध्यान केंद्रित करता है।
2. हितधारक (सूची)	प्राथमिक: [नाम/भूमिका] द्वितीयक: [नाम/भूमिका]।	संरचना (Structure) दिखाता है।
3. नैतिक मुद्दे (3-4 बिंदु)	उल्लंघित मूल्य + दुविधा का नाम + संबंधित अनुच्छेद/क्रानून।	नैतिक ज्ञान दिखाता है।
4. विकल्प (सबसे बुरे से सर्वोत्तम)	विकल्प A: [सबसे बुरा] विकल्प B: [बेहतर] विकल्प C: [सर्वोत्तम]।	निर्णय-क्षमता दिखाता है।
5. सर्वोत्तम विकल्प + औचित्य	मैं विकल्प C चुनूँगा क्योंकि... (दार्शनिक + क्रानून + सिद्धांत)।	तर्क-क्षमता दिखाता है।
6. अल्पकालिक कार्रवाई (3-4 बिंदु)	तत्काल क्रम — FIR, वरिष्ठ को सूचना, राहत।	कार्य-उन्मुखता दिखाता है।
7. दीर्घकालिक कार्रवाई (3-4 बिंदु)	व्यवस्थागत परिवर्तन — नीति, प्रशिक्षण, तकनीक।	दूरदृष्टि दिखाता है।
8. रचनात्मक (Out-of-Box) समाधान (1-2)	क्राउडफंडिंग / CSR / तृतीय-पक्ष अंकेक्षण।	रचनात्मकता दिखाता है।
9. निष्कर्ष (1-2 पंक्तियाँ)	गांधी का जंतर / संवैधानिक मूल्य / सकारात्मक अंत।	मज़बूत समापन।

केस स्टडी का मास्टर ढाँचा — शुरुआत से निष्कर्ष तक



चित्र 9.15: केस स्टडी का मास्टर ढाँचा — शुरुआत से निष्कर्ष तक

क्रम का महत्व: विचारों का एक स्वाभाविक क्रम होना चाहिए — जो पहले आना चाहिए, वह पहले आए। जैसे **मूल्य** पहले, फिर **अभिवृत्ति**

(Attitude), फिर अनुनय (Persuasion); पहले समस्या, फिर विकल्प, फिर निर्णय। यह क्रम इसलिए स्वाभाविक है, क्योंकि व्यक्ति के मूल्यों से ही उसकी अभिवृत्ति बनती है और अभिवृत्ति को बदलने का साधन अनुनय है; इसी तरह समस्या समझे बिना विकल्प नहीं बन सकते और विकल्प तौले बिना सही निर्णय नहीं हो सकता। साथ ही, विश्लेषण में नीतिशास्त्र के व्यापक विषय — मानवीय मूल्य, अभिवृत्ति, लोक सेवा के मूल्य, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, नैतिक विचारक, नैतिक शासन, सत्यनिष्ठा (Probity) — स्वाभाविक रूप से जुड़ें, तो विश्लेषण बहुआयामी बनता है।

6. केस स्टडी 1: सुनील — अवैध रेत खनन

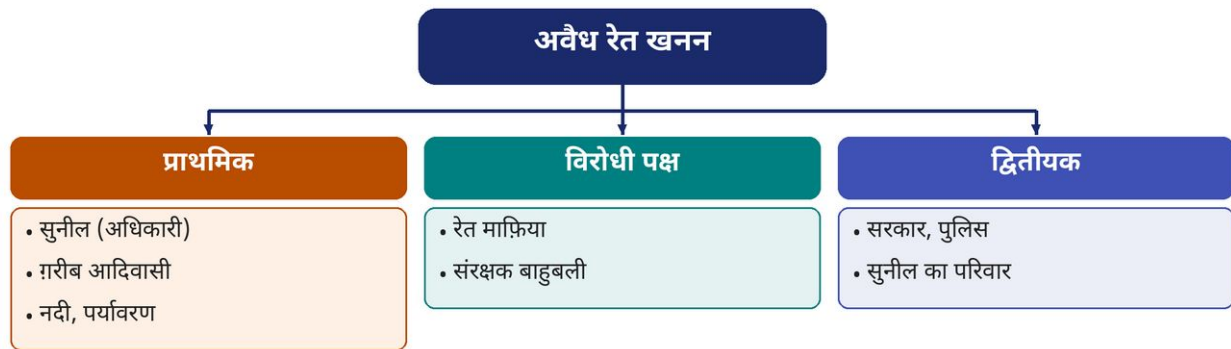
विषय

सत्यनिष्ठा बनाम आत्म-संरक्षण | पर्यावरण नैतिकता | जनजातीय अधिकार | स्वधर्म

स्थिति: सुनील एक युवा व सत्यनिष्ठा IAS अधिकारी है। उसे एक आदिवासी-बहुल ज़िले में तैनात किया गया है, जहाँ अवैध रेत खनन माफ़िया स्थानीय पदाधिकारियों व बाहुबलियों के समर्थन से सक्रिय है। गरीब आदिवासियों को डरा-धमका कर रखा गया है। सुनील को माफ़िया से जान का खतरा है — यदि वह कार्रवाई करे तो जान जोखिम में है, यदि न करे तो कर्तव्य का उल्लंघन।

◆ **हितधारक:** प्राथमिक हितधारक हैं — स्वयं सुनील, जिसकी सत्यनिष्ठा और जान दोनों दाँव पर हैं; गरीब आदिवासी, जिनकी आजीविका और सुरक्षा इस अवैध खनन से प्रभावित है; और रेत माफ़िया, जिसका अवैध मुनाफ़ा दाँव पर है। द्वितीयक हितधारक हैं — नदी और पर्यावरण, जिन्हें अंधाधुंध खनन से स्थायी नुक़सान होता है; सरकार और पुलिस, जिन पर क़ानून-व्यवस्था की ज़िम्मेदारी है; और सुनील का परिवार, जो उसके जोखिम भरे निर्णय से सीधे प्रभावित होगा।

केस 1 — रेत खनन: हितधारक



चित्र 9.16: केस 1 — रेत खनन: हितधारक

नैतिक मुद्दा/दुविधा	उल्लंघित मूल्य/क़ानून
सत्यनिष्ठा बनाम आत्म-संरक्षण — सिद्धांत बनाम जीवन-रक्षा (Principle vs Preservation)	कर्तव्य बनाम व्यक्तिगत सुरक्षा की क्लासिक दुविधा।
पर्यावरण नैतिकता का उल्लंघन	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 + अनुच्छेद 48A।
आदिवासी अधिकारों का हनन	वन अधिकार अधिनियम 2006 + अनुच्छेद 46 (नीति-निदेशक तत्व) + PESA अधिनियम 1996।
पद के नाते कर्तव्य	अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम 1968 — जनसेवा अनिवार्य।

अल्पकालिक कार्रवाई	दीर्घकालिक कार्रवाई
◆ गूगल अर्थ व सैटेलाइट से ट्रक-ट्रैकिंग — साक्ष्य-संकलन।	◆ डिजिटल नदी-निगरानी प्रणाली — वास्तविक-समय रेत-खनन डेटा।
◆ वरिष्ठों (DGP, मुख्य सचिव) को लिखित सूचना।	◆ सामुदायिक निगरानी टीम — आदिवासियों को सशक्त बनाना।
◆ सुरक्षा बलों को तैयार (Standby) रखना।	◆ कॉर्पोरेट को हरित खनन (Green Mining) में CSR के तहत जोड़ना।
◆ आदिवासी समुदाय में जागरूकता अभियान।	◆ गवाह-संरक्षण कार्यक्रम — गवाहों को सुरक्षा।
◆ माफ़िया के विरुद्ध FIR — BNS 2023 के अनुसार।	◆ नीति-स्तरीय परिवर्तन — राजस्थान की रेत खनन नीति।

केस 1 — सुरक्षित, पर दृढ़ कार्रवाई का क्रम



चित्र 9.17: केस 1 — सुरक्षित, पर दृढ़ कार्रवाई का क्रम

☀ औचित्य (Justification)

गीता के अनुसार हर व्यक्ति का अपना स्वधर्म (अपनी भूमिका से जुड़ा कर्तव्य) होता है, और एक लोक सेवक के रूप में सुनील का स्वधर्म है — संविधान की रक्षा, जनसेवा और कानून का पालन; इसलिए जान के खतरे के बावजूद, पूरी सावधानी के साथ माफिया पर कार्रवाई करना ही उसका धर्म है। विवेकानंद: "कर्तव्य पालन ही सर्वोच्च पूजा है।" अरस्तू: सद्गुण अभ्यास और कठिन परिस्थितियों में सही आचरण से ही विकसित होता है। कर्तव्य निभाने से सुनील के विचार और आचरण एक जैसे रहेंगे, यानी संज्ञानात्मक संतुलन (Cognitive Consistency) बना रहेगा, और अंतरात्मा की आवाज़ पर चलने से उसके मन में ग्लानि नहीं, बल्कि शांति रहेगी।

☀ रचनात्मक (Out-of-Box) समाधान

37 अरुणाचल प्रदेश सिविल सेवा (APCS) अधिकारियों की स्वैच्छिक पहल की तर्ज़ पर — साथी अधिकारियों व स्वयंसेवी संस्थाओं से मिलकर आदिवासियों हेतु विधिक-सहायता कोष (Legal Aid Fund) बनाना। सोशल मीडिया जागरूकता अभियान — "नदी बचाओ, आदिवासी बचाओ।" नियमगिरि सुरक्षा समिति (ओडिशा) जैसे स्थापित जनजातीय-अधिकार संगठनों के अनुभव से सीखकर स्थानीय स्तर पर समान संगठन को सहयोग देना।

7. केस स्टडी 2: वाइस प्रिंसिपल — परीक्षा में नकल

☀ विषय

शैक्षणिक नैतिकता | हितों का टकराव | सत्यनिष्ठा | साधन-साध्य की पवित्रता

स्थिति: आप एक डिग्री कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल हैं। आपके सामने प्रिंसिपल बनने का मौका है, और इस पदोन्नति में कॉलेज प्रबंधन की राय निर्णायक होगी। वार्षिक परीक्षा में फ़्लाइंग स्कवॉड ने 2 छात्रों को नकल करते पकड़ा — एक स्थानीय राजनेता का बेटा (जिसने कॉलेज को मान्यता दिलाई) और दूसरा कॉलेज-फंडर का बेटा। एक वरिष्ठ व्याख्याता (प्रबंधन का क़रीबी) उनकी मदद कर रहा था। यदि आप दोनों छात्रों पर नियमानुसार कार्रवाई करते हैं, तो प्रबंधन और प्रभावशाली लोग नाराज़ होंगे और आपकी पदोन्नति रुक सकती है; यदि चुप रहते हैं, तो शैक्षणिक ईमानदारी टूटती है। इसलिए यहाँ पदोन्नति की इच्छा बनाम शैक्षणिक सत्यनिष्ठा की दुविधा है।

◆ **हितधारक:** प्राथमिक हितधारक हैं — आप स्वयं (वाइस प्रिंसिपल), जिनकी पदोन्नति और सत्यनिष्ठा दोनों दाँव पर हैं; नकल करते पकड़े गए दोनों छात्र; और उनकी मदद करने वाले वरिष्ठ व्याख्याता। द्वितीयक हितधारक हैं — कॉलेज प्रबंधन, फ़्लाइंग स्कवॉड, एक छात्र के पिता (स्थानीय राजनेता) और दूसरे छात्र के पिता (कॉलेज को धन देने वाले व्यवसायी), छात्र संघ, तथा वे सभी ईमानदार छात्र, जिनके साथ नकल से अन्याय होता है।

केस 2 — दो छात्र, एक नियम

पक्षपात	बनाम	समान व्यवहार
छोड़ दिया जाए	राजनेता का बेटा	नियमानुसार कार्रवाई
कड़ा दंड	दूसरा छात्र	नियमानुसार कार्रवाई
शायद मिले	आपकी पदोन्नति	जोखिम में
नष्ट	संस्था की साख	मज़बूत
ताक़त से सब संभव	संदेश	नियम सबके लिए समान

चित्र 9.18: केस 2 — दो छात्र, एक नियम

नैतिक मुद्दा	संदर्भ व उल्लंघन
परीक्षा में नकल (Cheating)	विश्वविद्यालय के अनुचित साधन (Unfair Means) संबंधी परीक्षा-नियमों का उल्लंघन; लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम 2024 की भावना के विरुद्ध।
हितों का टकराव	पदोन्नति की इच्छा बनाम शैक्षणिक निष्पक्षता — व्यक्तिगत बनाम व्यावसायिक।
गांधी के 7 सामाजिक पाप	चरित्र-रहित ज्ञान + सिद्धांत-रहित राजनीति + नैतिकता-रहित वाणिज्य।
सत्यनिष्ठा व निष्पक्षता	जॉन रॉल्स — अज्ञानता का आवरण: सभी छात्रों से समान व्यवहार।

अल्पकालिक कार्रवाई	दीर्घकालिक कार्रवाई
◆ प्रबंधन से लिखित आदेश माँगना — ज़िम्मेदारी स्पष्ट हो।	◆ ज़िला शिक्षा विभाग को सूचित करना।
◆ फ़्लाइंग स्क्वॉड से स्वतंत्र जाँच की माँग।	◆ आंतरिक माध्यम विफल हों तो मीडिया की सहायता।
◆ छात्र संघ को विश्वास में लेना।	◆ नकल-रोधी तकनीक (CCTV, जैमर) अनिवार्य करना।
◆ वरिष्ठ व्याख्याता को कारण-बताओ नोटिस।	◆ व्हिसलब्लोअर संरक्षण के तहत स्वयं की सुरक्षा।
◆ दोनों छात्रों पर नियमानुसार कार्रवाई।	◆ शैक्षणिक नैतिकता समिति का गठन।

☀️ औचित्य

गांधी: साधन व साध्य — दोनों पवित्र होने चाहिए। पदोन्नति स्वयं में अच्छी चीज़ है (साध्य), पर शैक्षणिक बेईमानी से नहीं (अपवित्र साधन)। रॉल्स का अज्ञानता का आवरण — यदि मैं उस गरीब, मेहनती छात्र की जगह होता, जिसने बिना नकल के ईमानदारी से परीक्षा दी है, तो क्या मैं प्रभावशाली परिवारों के बच्चों को छोड़ दिए जाने को न्यायपूर्ण मानता? यह उसके साथ स्पष्ट अन्याय है।

8. केस स्टडी 3: जल संकट — ज़िला कलेक्टर

☀️ विषय

विकास बनाम धारणीयता | सामाजिक न्याय | लाभ बनाम सामाजिक ज़िम्मेदारी | प्राथमिकता बनाम गैर-भेदभाव

स्थिति: भीषण गर्मी से ज़िले में जल संकट है। पेयजल बचाने के लिए कलेक्टर ने किसानों की बोखेल से सिंचाई पर रोक लगा दी। किसान शिकायत करते हैं कि नदी-किनारे के बड़े उद्योग गहरे बोखेल से भारी मात्रा में पानी निकाल रहे हैं — पर प्रशासन उन्हें नहीं रोक रहा, और किसानों का आरोप है कि इसके पीछे रिश्ततख़ोरी है। उद्योग बंद करने से हज़ारों मज़दूर बेरोज़गार होंगे। इसलिए यहाँ कई दुविधाएँ एक साथ हैं — धारणीयता बनाम अर्थव्यवस्था (आज का रोज़गार या कल का पानी), समानता बनाम समता (सबके साथ एक जैसा व्यवहार करें, या ज़्यादा ज़रूरतमंद किसान को प्राथमिकता दें), और लाभ बनाम सामाजिक ज़िम्मेदारी (उद्योग का मुनाफ़ा या जनता की जल-सुरक्षा)।

◆ **हितधारक:** सबसे प्रमुख हितधारक हैं — ज़िला कलेक्टर, जिसे निर्णय लेना है; किसान, जिनकी सिंचाई रोक दी गई है; नदी-किनारे की औद्योगिक इकाइयाँ और उनके मज़दूर, जिनका रोज़गार दाँव पर है; और स्थानीय जनता, जिसे पीने का पानी चाहिए। इनके अलावा पर्यावरण (नदी और भूजल), नागरिक समाज और मीडिया भी इस निर्णय से जुड़े हैं।

दुविधा	दोनों पक्ष
विकास बनाम धारणीयता	उद्योग = रोज़गार + राजस्व, बनाम नदी = दीर्घकालिक जल-स्रोत।
समानता बनाम समता	किसान व उद्योग को समान व्यवहार, बनाम किसान को प्राथमिकता।
लाभ बनाम सामाजिक ज़िम्मेदारी	औद्योगिक लाभ बनाम किसानों व जनता की जल-सुरक्षा।
प्राथमिक व्यवहार बनाम गैर-भेदभाव	उद्योगों को छूट, बनाम सभी के लिए समान नियम।

केस 3 — जल संकट की चार दुविधाएँ



चित्र 9.19: केस 3 — जल संकट की चार दुविधाएँ

अल्पकालिक कार्यवाई	दीर्घकालिक कार्यवाई
◆ उद्योगों पर जल-उपयोग सीमा — विधिक सलाह के साथ।	◆ डिजिटल जल-निगरानी प्रणाली — वास्तविक-समय डेटा।
◆ किसानों को टपक सिंचाई (Drip Irrigation) की अनुमति — कम पानी।	◆ संयुक्त जल-परिषद — किसान + उद्योग + नागरिक समाज।
◆ उद्योग को CSR से किसानों हेतु वैकल्पिक सिंचाई-कोष बनवाना।	◆ उद्योगों में जल-पुनर्चक्रण अनिवार्य — क़ानून द्वारा।
◆ रिश्तख़ोरी के आरोपों की स्वतंत्र जाँच।	◆ वर्षा-जल संचयन — मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान (राजस्थान, 2016 से)।

☀ रचनात्मक (Out-of-Box) समाधान

उद्योग व किसानों के बीच स्वैच्छिक 'जल-साझेदारी समझौता' (Water Sharing Agreement)। ग्राम-स्तरीय जल उपयोगकर्ता संघ (Water User Association) का गठन। PM-KUSUM योजना (2019 से लागू, सौर-सिंचाई पंप हेतु) व CSR कोष के संयोजन से सौर-चालित टपक सिंचाई पर सब्सिडी।

9. केस स्टडी 4: एल्गोरिदम की अंधी आँख (AI बनाम अंतरात्मा)

☀ विषय

AI बनाम अंतरात्मा | साधनभूत बनाम मूल्य तार्किकता | जवाबदेही बनाम आंतरिक उत्तरदायित्व | सामाजिक न्याय

स्थिति: आप एक सूखाग्रस्त ज़िले के DM हैं। सरकार ने AI-संचालित स्मार्ट कल्याण प्रणाली लागू की है, जो चेहरा-पहचान व बायोमेट्रिक से राशन व सहायता स्वतः स्वीकृत/अस्वीकृत करती है। एक बुजुर्ग विधवा, जो 3 अनाथ पोते-पोतियों की देखभाल करती है, आपके कार्यालय आती है। उसकी उंगलियों के निशान श्रम से घिस गए हैं और उसके भूमि-अभिलेख में वर्तनी-त्रुटि है — AI ने उसे 'धोखाधड़ी करने वाली आवेदक' के रूप में चिह्नित किया है। प्रणाली का नियम है कि ज़िला स्तर पर कोई अधिकारी AI के इस निर्णय को हाथ से बदल (मैनुअल ओवरराइड) नहीं सकता। भीषण सर्दी है और परिवार के पास खाने को कुछ नहीं है — वे भूख से मरने की कगार पर हैं। ओवरराइड करने पर विभागीय जाँच व निलंबन का ख़तरा है।

◆ **हितधारक:** प्राथमिक हितधारक हैं — आप (DM), जिन्हें निर्णय लेना है और जिन पर कार्यवाई का ख़तरा है; और बुजुर्ग विधवा व उसके तीन अनाथ पोते-पोतियाँ, जिनकी जान दाँव पर है। द्वितीयक हितधारक हैं — AI प्रणाली और तकनीक से शासन चलाने का सरकारी जनादेश, राज्य सरकार, तथा अंकेक्षण व सतर्कता विभाग, जो नियम तोड़ने पर जाँच करेंगे।

दुविधा	AI का पक्ष	अंतरात्मा का पक्ष
साधनभूत बनाम मूल्य तार्किकता	99% मामलों के लिए दक्ष प्रणाली — भ्रष्टाचार कम।	1% अपवाद-स्थितियों में संवेदना ज़रूरी — मानव-जीवन प्रणाली से बड़ा है।
जवाबदेही बनाम अंतरात्मा	राज्य के तकनीकी ढाँचे के प्रति जवाबदेह।	भूखे परिवार को बचाने की नैतिक ज़िम्मेदारी।
क़ानून का अक्षर बनाम भावना	सिस्टम-नियम का अक्षर — कोई ओवरराइड नहीं।	क़ानून की भावना — मानव-जीवन की रक्षा।
ब्लैक बॉक्स समस्या	AI का निर्णय स्पष्ट (Explain) नहीं किया जा सकता।	अंतरात्मा का निर्णय = संवेदना + तर्क का संयोजन।

केस 4 — एल्गोरिदम बनाम अंतरात्मा

AI प्रणाली	बनाम	अधिकारी का विवेक
आँकड़े, नियम	आधार	संदर्भ, संवेदना
गति, एकरूपता	शक्ति	अपवाद पहचानना
ब्लैक बॉक्स, पूर्वाग्रह	कमज़ोरी	मनमानी का ख़तरा
क्षमता बढ़ाए	संतुलन	दिशा दे — मानव निगरानी

चित्र 9.20: केस 4 — एल्गोरिदम बनाम अंतरात्मा

तत्काल कार्यवाई	दीर्घकालिक सुधार
◆ विवेकाधीन/आकस्मिक कोष से उसी दिन आपातकालीन राहत।	◆ ज़िला-स्तरीय मैनुअल ओवरराइड नीति — अपवाद-स्थितियों के लिए।
◆ राज्य-स्तर पर औपचारिक शिकायत — AI ओवरराइड नीति बदलने की माँग।	◆ AI प्रणाली में 'ह्यूमन-इन-द-लूप' (अंतिम निर्णय पर मानव-निगरानी) अनिवार्य।

तत्काल कार्रवाई	दीर्घकालिक सुधार
◆ मामला लिखित में दर्ज करना — जवाबदेही के लिए।	◆ वैकल्पिक सत्यापन तंत्र — सामुदायिक सत्यापन (Community Attestation)।
◆ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सूचना।	◆ भारत AI शासन दिशानिर्देश 2025 (India AI Governance Guidelines) के 7 सूत्रों का पालन।

☀ निर्णय का औचित्य

गांधी का जंतर: क्या यह निर्णय उस बुजुर्ग विधवा के लिए उपयोगी है? — हाँ। AI एक क्षमता-वर्धक (Amplifier) है, जो काम की गति और पैमाना बढ़ाता है, पर दिशा-सूचक (Compass) अधिकारी की अंतरात्मा ही है, जो बताती है कि सही क्या है। कानून की भावना: K.S. पुट्टास्वामी मामले (2017) में — जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निजता को मौलिक अधिकार माना था — तकनीक को मानवीय गरिमा का सम्मान करना ज़रूरी बताया गया — यह सिद्धांत AI-निर्णयों पर भी लागू होता है। जब मानव-जीवन दाँव पर हो, तो मूल्य तार्किकता (Value Rationality) — यह देखना कि निर्णय जीवन और गरिमा जैसे मूल्यों की रक्षा करता है या नहीं। साधनभूत तार्किकता (Instrumental Rationality) — केवल यह देखना कि प्रक्रिया दक्ष और नियमबद्ध है या नहीं। से अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।

10. केस स्टडी 5: प्रगति की क्रीम — जनजातीय अधिकार

☀ विषय

उपयोगितावाद बनाम अधिकार-आधारित दृष्टिकोण | विकास बनाम जनजातीय पहचान | अधिकार-बनाम-अधिकार दुविधा | सामाजिक न्याय

स्थिति: आप एक विशेष प्रयोजन वाहन (Special Purpose Vehicle — SPV, यानी किसी एक बड़ी परियोजना को पूरा करने के लिए बनाई गई अलग कंपनी) के CEO हैं, जिसे एक विशाल बहु-विशेषज्ञता सार्वजनिक अस्पताल बनाना है, जो लाखों गरीबों को मुफ्त विश्व-स्तरीय स्वास्थ्य-सेवा देगा। समस्या: यह अस्पताल केवल उस जगह बन सकता है जहाँ 50 जनजातीय परिवार पीढ़ियों से रहते हैं। वे उस जंगल को पवित्र देवता मानते हैं। सरकार उन्हें उदार मुआवज़ा व आधुनिक अपार्टमेंट देने की पेशकश कर रही है। पर आदिवासी नेता कहते हैं: "पैसे से हमारी सांस्कृतिक पहचान व आत्मिक अस्तित्व नहीं खरीदा जा सकता।"

◆ **हितधारक:** प्राथमिक हितधारक हैं — आप (SPV के CEO), जिन्हें परियोजना पूरी करनी है; वे 50 जनजातीय परिवार, जिनकी भूमि, संस्कृति और आस्था दाँव पर है; और लाखों गरीब लोग, जिन्हें भविष्य में इस अस्पताल से मुफ्त इलाज मिलेगा। द्वितीयक हितधारक हैं — राज्य सरकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, गैर-सरकारी संगठन और पर्यावरण समूह, जो विकास और अधिकारों के संतुलन पर नज़र रखते हैं।

दुविधा	उपयोगितावादी पक्ष	अधिकार-आधारित पक्ष
उपयोगितावाद बनाम अधिकार	अस्पताल = लाखों को लाभ — सर्वाधिक लोगों का सर्वाधिक कल्याण।	50 परिवारों के सांस्कृतिक अधिकार व मानव-गरिमा — असमझौता-योग्य।
साधनभूत बनाम मूल्य तार्किकता	लागत-लाभ विश्लेषण = अस्पताल अधिक दक्ष।	जनजातीय पहचान = आंतरिक मूल्य — इसे धन में नहीं तौला जा सकता।
स्वतंत्र-पूर्व-सूचित सहमति (FPIC)	राज्य का प्राधिकार = अनिवार्य भूमि-अधिग्रहण (Eminent Domain)।	UNDRIP (मूल-निवासियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र, 2007) + वन अधिकार अधिनियम।

केस 5 — अस्पताल बनाम जनजातीय भूमि

उपयोगितावादी पक्ष	बनाम	अधिकार पक्ष
लाखों गरीब रोगी	लाभार्थी	50 जनजातीय परिवार
अधिकतम कल्याण	मूल्य	पहचान, भूमि, संस्कृति
अल्पसंख्यक की अनदेखी	खतरा	विकास में देरी
सहभागी अभिकल्पना + सहमति + पुनर्वास	समाधान	सहभागी अभिकल्पना + सहमति + पुनर्वास

चित्र 9.21: केस 5 — अस्पताल बनाम जनजातीय भूमि

समावेशी समाधान (अधिकार-बनाम-अधिकार का हल)	यदि कोई विकल्प न हो
◆ सहभागी अभिकल्पना — जनजाति के साथ बैठकर अस्पताल की डिज़ाइन बदलें।	◆ अंतिम उपाय के रूप में बलपूर्वक विस्थापन — पर इसे पूरी तरह टालने का प्रयास करें।

समावेशी समाधान (अधिकार-बनाम-अधिकार का हल)	यदि कोई विकल्प न हो
◆ पवित्र उपवन को अस्पताल-डिज़ाइन में संरक्षित करें — पारंपरिक औषधि का वनस्पति-उद्यान।	◆ मुआवज़ा = भूमि + नौकरी + सांस्कृतिक केंद्र + प्राथमिकता स्वास्थ्य-सेवा।
◆ जनजाति को अस्पताल के पारिस्थितिकी-तंत्र में शामिल करें — रोज़गार के अवसर।	◆ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग व जनजातीय मामलों के मंत्रालय को साथ रखें।
◆ मिश्रित मुआवज़ा — भूमि-के-बदले-भूमि + नौकरी + सांस्कृतिक संरक्षण कोष।	◆ न्यायालय-निगरानी में पुनर्वास प्रक्रिया।

☀ निर्णय

जॉन रॉल्स: समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग (जनजाति) को हानि नहीं होनी चाहिए। इसलिए ऐसा समावेशी विकास, जिसमें सबको साथ लेकर चला जाए, ज़बरदस्ती के विस्थापन से कहीं बेहतर है। "पृथ्वी सबकी आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त है, पर किसी के लालच के लिए नहीं" — गांधी। अस्पताल + पवित्र उपवन — दोनों का सह-अस्तित्व ही आदर्श समाधान है।

11. केस स्टडी 6: करुणा की सीमा — सीमा पर शरणार्थी

☀ विषय

मानवीय चिंता बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा | क़ानून का अक्षर बनाम भावना | अंतरात्मा का संकट | कर्तव्यवाद बनाम सद्गुण-नैतिकता

स्थिति: आप एक संवेदनशील सीमा-क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारी हैं। आदेश है: सीमा पूरी तरह सील रहे, बिना वैध वीज़ा कोई प्रवेश नहीं — तुरंत निर्वासित करें। एक रात आपकी गश्ती टुकड़ी 30 शरणार्थियों (सभी महिलाएँ व बच्चे) को पकड़ती है, जो पड़ोसी देश में जातीय-सफ़ाई (Ethnic Cleansing) से भाग रहे हैं। उनके पास कोई दस्तावेज़ नहीं। यदि आप उन्हें वापस भेजते हैं, तो उनकी मृत्यु लगभग निश्चित है; और यदि अंदर आने देते हैं, तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा आदेशों का सीधा उल्लंघन होगा, जिसके लिए आप पर कोर्ट-मार्शल (सैन्य अनुशासनात्मक मुकदमा) तक का ख़तरा है।

◆ **हितधारक:** प्राथमिक हितधारक हैं — आप (सीमा अधिकारी), जिनके सामने आदेश और अंतरात्मा का टकराव है; और 30 शरणार्थी महिलाएँ व बच्चे, जिनकी जान दाँव पर है। द्वितीयक हितधारक हैं — राष्ट्रीय सुरक्षा प्रतिष्ठान और गृह मंत्रालय, जो सीमा की सुरक्षा के लिए ज़िम्मेदार हैं; UNHCR (संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त — शरणार्थियों की सहायता करने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था) और मानवाधिकार आयोग; तथा देश की जनता, जिसकी सुरक्षा और मानवीय छवि, दोनों इस निर्णय से जुड़ी हैं।

दुविधा	राष्ट्रीय सुरक्षा	मानवीय चिंता
आदेश का पालन	राष्ट्रीय सुरक्षा आदेश — सीमा सील रखनी है।	30 निर्दोष लोगों की जान का प्रश्न।
कर्तव्यवाद बनाम सद्गुण-नैतिकता	कर्तव्यवादी दृष्टिकोण — आदेश का पालन, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य।	सद्गुण-नैतिकता — करुणा, मानवता के प्रति कर्तव्य।
क़ानून का अक्षर बनाम भावना	अक्षर — कोई प्रवेश नहीं।	भावना — जीवन-रक्षा ही सर्वोच्च मानवीय कर्तव्य है।

अंतरात्मा के संकट का समाधान	दीर्घकालिक उपाय
◆ सुरक्षित प्रतीक्षा-क्षेत्र (Quarantine Zone) — सीमा-रेखा पर ही; सुरक्षा-प्रोटोकॉल भी संतुष्ट।	◆ भारत की शरणार्थी-नीति स्पष्ट करना — UNHCR के साथ प्रोटोकॉल।
◆ तुरंत गृह मंत्रालय व UNHCR से आपातकालीन संपर्क।	◆ सीमा अधिकारियों के लिए मानवीय प्रशिक्षण।
◆ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सूचना देना।	◆ आपातकालीन प्रावधान — शरणार्थी-संकट हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)।
◆ 24 घंटे में नीति-निर्देश माँगना।	◆ भारत — नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 (CAA) — पड़ोसी देशों के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता का प्रावधान (इस पर समर्थन और आलोचना, दोनों मत हैं)।

केस 6 — करुणा और सुरक्षा, दोनों साथ



चित्र 9.22: केस 6 — करुणा और सुरक्षा, दोनों साथ

☀️ निर्णय का औचित्य

आपद्धर्म (महाभारत): आपद्धर्म का अर्थ है आपत्ति या असाधारण संकट के समय का धर्म — जब सामान्य नियमों का पालन करने से किसी की जान चली जाए, तब जीवन-रक्षा के लिए प्रोटोकॉल से कुछ हटकर, पर सोच-समझकर कदम उठाना उचित माना गया है। कानून की भावना: हर कानून का अंतिम उद्देश्य मनुष्य के जीवन की रक्षा है, इसलिए जीवन बचाने वाला निर्णय ही सही अर्थ में कानून की भावना का पालन है। "अंतरात्मा के मामलों में बहुमत के नियम का कोई स्थान नहीं" — गांधी। मार्टिन लूथर किंग: "अन्यायपूर्ण कानूनों की अवज्ञा करना एक नैतिक ज़िम्मेदारी है।"

12. केस स्टडी 7: स्वच्छ ऊर्जा का द्वंद्व — हितों का टकराव

☀️ विषय

हितों का टकराव | पारदर्शिता | जवाबदेही | व्यक्तिगत प्रतिष्ठा बनाम लोक-हित | वस्तुनिष्ठता

स्थिति: आप ऊर्जा विभाग के सचिव हैं। 500 विद्युत-रहित गाँवों के लिए सौर माइक्रो-ग्रिड अनुबंध देना है। अंध तकनीकी मूल्यांकन (Blind Technical Evaluation) में 'कंपनी A' — उच्चतम गुणवत्ता, न्यूनतम लागत, सबसे तेज़ आपूर्ति में सर्वोत्तम पाई गई। अनुबंध पर हस्ताक्षर से पहले आपको पता चलता है कि कंपनी A आपके विरत/अलग हुए साले (10 वर्ष से कोई संपर्क नहीं) की है। यह संबंध अभी किसी को पता नहीं है। यदि आप कंपनी A को अनुबंध देते हैं और बाद में मीडिया को यह संबंध पता चलता है, तो इसे भाई-भतीजावाद (Nepotism) का घोटाला कहा जाएगा। और यदि आप कंपनी A को अयोग्य ठहराते हैं, तो अनुबंध 30% महंगी कंपनी B को जाएगा, जिससे राजकोष पर अधिक बोझ पड़ेगा और गाँववासियों को घटिया बिजली-सेवा मिलेगी।

◆ **हितधारक:** प्राथमिक हितधारक हैं — आप (सचिव), जिनकी सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा दाँव पर है; 500 गाँवों के निवासी, जिन्हें अच्छी और सस्ती बिजली चाहिए; और कंपनी A (जिसके मालिक आपके साले हैं) व कंपनी B, जो अनुबंध की दावेदार हैं। द्वितीयक हितधारक हैं — राजकोष, जिसका पैसा खर्च होगा; मीडिया; मुख्य सचिव; और केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC), जो भ्रष्टाचार और पक्षपात पर नज़र रखता है।

दुविधा	व्यक्तिगत सुरक्षा	लोक-हित
व्यक्तिगत प्रतिष्ठा बनाम लोक-हित	अपनी छवि बचाना = कंपनी B → घटिया सेवा।	500 विद्युत-रहित गाँवों को सर्वोत्तम सेवा = कंपनी A।
हितों का टकराव	व्यक्तिगत संबंध है (चाहे अनजाने में) = वस्तुनिष्ठता प्रभावित।	कंपनी A ने योग्यता के आधार पर सर्वोत्तम बोली दी।
पारदर्शिता बनाम गोपनीयता	किसी को पता नहीं — छुपाया जा सकता है।	जवाबदेही = पारदर्शिता + उत्तरदेयता।

सही नैतिक कार्रवाई	क्यों यही सही है?
◆ तत्काल प्रकटीकरण (Disclosure) — मुख्य सचिव/मंत्री को लिखित सूचना।	◆ जवाबदेही = पारदर्शिता + उत्तरदेयता।
◆ स्वयं को समिति से अलग (Recuse) करना — हितों के टकराव की घोषणा।	◆ कौटिल्य के दो दीपक — राजकीय तेल व निजी तेल अलग रखना।
◆ समान रैंक के अधिकारी को अध्यक्षता सौंपना।	◆ नोलन सिद्धांत (ब्रिटेन की नोलन समिति के लोक जीवन के 7 सिद्धांत) — खुलापन (Openness) व पारदर्शिता।
◆ CVC को सूचित करना — पारदर्शिता के लिए।	◆ गाँववासियों को सर्वोत्तम सेवा मिले — लोक-हित प्राथमिकता।

केस 7 — हितों के टकराव का सही रास्ता



चित्र 9.23: केस 7 — हितों के टकराव का सही रास्ता

☀️ निर्णय का औचित्य

प्रोबिटी (Probity) का अर्थ है ऐसी उच्च सत्यनिष्ठा, जिसमें ईमानदारी के साथ वस्तुनिष्ठता (निष्पक्ष निर्णय) और पारदर्शिता भी शामिल हो। कौटिल्य: "राजकीय तेल व निजी तेल कभी मत मिलाओ।" — कथा है कि कौटिल्य (चाणक्य) राजकाज के समय राज्य के तेल वाला दीपक जलाते थे और निजी बातचीत शुरू होते ही उसे बुझाकर अपने खर्च का दीपक जला लेते थे; यानी सरकारी और निजी हित कभी आपस में न मिलें। प्रकटीकरण (संबंध की लिखित घोषणा) और स्व-पृथक्करण (Recusal — स्वयं को उस निर्णय से अलग कर लेना) ही सही मार्ग है। इससे: (1) कंपनी A को निष्पक्ष अवसर मिलता है, (2) गाँववासियों को सर्वोत्तम सेवा मिलती है, (3) मेरी सत्यनिष्ठा बनी रहती है, (4) संस्थागत

💡 **केस 1 से 7 — सार-सूत्र:** हर केस स्टडी में सामान्यतः कम-से-कम तीन नैतिक मुद्दे, तीन अल्पकालिक और तीन दीर्घकालिक समाधान, तथा एक रचनात्मक समाधान पहचाने जा सकते हैं। औचित्य के लिए तीन चीजें साथ जोड़ें — किसी दार्शनिक का विचार (जैसे बेन्थम, रॉल्स, कांट या गांधी), कोई संवैधानिक अनुच्छेद या कानून, और कोई सिद्धांत (जैसे ALIR मॉडल की चार कसौटियाँ — जवाबदेही, वैधता, सत्यनिष्ठा और संवेदनशीलता)। गलत विकल्प नकारने के लिए पेंडोरा बॉक्स, गलत मिसाल, संज्ञानात्मक असंगति, व्यापक प्रभाव जैसे तर्क काम आते हैं; और निष्कर्ष प्रायः गांधी के जंतर या संवैधानिक मूल्यों से सबसे सशक्त बनता है।

13. केस स्टडी 8-12 — पाँच संक्षिप्त केस स्टडीज

नीचे दी पाँच केस स्टडीज पिछले 7 केस स्टडीज जितनी विस्तृत नहीं, पर व्यवहार में उतनी ही महत्वपूर्ण हैं — इन्हें संक्षिप्त स्थिति-समाधान प्रारूप में समझें, और विश्लेषण करते समय इन्हें भी उसी 6-चरण ढाँचे (परिचय, हितधारक, नैतिक मुद्दे, समाधान, औचित्य और रचनात्मक समाधान) में विस्तारित करें।

केस 8-12 — पाँच दुविधाएँ एक नज़र में

केस 8 आपातकाल बनाम प्रक्रिया	केस 9 कर्तव्य बनाम वफ़ादारी	केस 10 समता बनाम समानता	केस 11 विकास बनाम विरासत	केस 12 जवाबदेही बनाम निजता
--	---------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------

चित्र 9.24: केस 8-12 — पाँच दुविधाएँ एक नज़र में

केस स्टडी 8: स्वास्थ्य बनाम बजट — 'आपातकाल बनाम प्रक्रिया'

🌟 **विषय:** लोक स्वास्थ्य प्रशासन | प्रक्रियात्मक नैतिकता बनाम तत्काल आवश्यकता | उत्तरदायित्व-निर्धारण

स्थिति: आप एक ज़िले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) हैं। महामारी फैल रही है और जीवन-रक्षक दवाओं की तत्काल आवश्यकता है। सरकारी टेंडर प्रक्रिया में कम-से-कम 15 दिन लगेंगे। एक निजी आपूर्तिकर्ता तत्काल दवा देने को तैयार है, पर उसकी दरें सरकारी टेंडर से 20% अधिक हैं। देरी हुई तो सैकड़ों लोगों की मौत हो सकती है। इसलिए दुविधा है — नियम-पालन (क्रय-नियम) या मानवतावादी दृष्टिकोण (मानव-जीवन)?

◆ **समाधान:** (1) सबसे पहले तत्काल 'आपातकालीन क्रय' (Emergency Purchase) का लिखित आदेश जारी किया जाए, ताकि दवाएँ बिना देरी के पहुँचें और निर्णय का लिखित रिकॉर्ड भी रहे। (2) साथ ही ज़िला कलेक्टर को पूरी स्थिति बताकर अधिक दर पर खरीद की वित्तीय मंजूरी ली जाए, ताकि यह किसी एक अधिकारी का मनमाना निर्णय न लगे। (3) संकट टलने के बाद पूरे खर्च और कारणों की रिपोर्ट बनाकर 'कार्योत्तर' (Post-facto — काम हो जाने के बाद दी जाने वाली) मंजूरी ली जाए, जिससे जवाबदेही पूरी हो। **औचित्य:** गांधी का जंतर हमें यह पूछने को कहता है कि निर्णय सबसे कमज़ोर और ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए उपयोगी है या नहीं — और यहाँ महामारी से जूझ रहे गरीब मरीज़ों तक तुरंत दवा पहुँचाना ही सबसे उपयोगी है। इसलिए मानव-जीवन की रक्षा प्रक्रियागत विलंब से सदैव श्रेष्ठ है, बशर्ते पूर्ण पारदर्शिता व बाद में जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।

केस स्टडी 9: व्हिसलब्लोइंग — 'कर्तव्य बनाम वफ़ादारी'

🌟 **विषय:** संगठनात्मक नैतिकता | पदानुक्रम बनाम सत्यनिष्ठा | सत्य का प्रकटीकरण

स्थिति: आप एक वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं। आपको पता चलता है कि आपके अत्यंत विश्वसनीय व वरिष्ठ मेंटर ने एक प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना में नियमों का उल्लंघन किया है। उनके मार्गदर्शन और सहयोग के बिना आपका करियर व विभाग की प्रगति प्रभावित हो सकती है। शिकायत करने पर 'विश्वासघात' माना जाएगा; न करने पर आप स्वयं 'दोषी की भूमिका' में आ जाते हैं।

◆ **समाधान:** (1) सबसे पहले मेंटर से निजी तौर पर बात करके उन्हें चेतावनी दी जाए और गलती सुधारने का अवसर दिया जाए, क्योंकि हो सकता है कि वे स्वयं सुधार कर लें। (2) यदि वे सुधार न करें, तो उचित माध्यम — केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) या आंतरिक अंकेक्षण — से मामला औपचारिक रूप से दर्ज कराया जाए। (3) पूरी प्रक्रिया में साक्ष्यों को सुरक्षित रखा जाए, ताकि शिकायत तथ्यों पर टिकी रहे और किसी के साथ अन्याय न हो। **औचित्य:** कांट का निरपेक्ष आदेश (Categorical Imperative) — यदि हर कोई अनियमितता को छुपाए, तो व्यवस्था ही ध्वस्त हो जाएगी; व्यक्तिगत वफ़ादारी संस्थागत सत्यनिष्ठा से बड़ी नहीं हो सकती, पर प्रक्रिया न्यायसंगत व चरणबद्ध होनी चाहिए।

केस स्टडी 10: बाढ़ राहत — 'समता बनाम समानता'

🌟 **विषय:** आपदा प्रबंधन | संसाधनों का आवंटन | सामाजिक न्याय

स्थिति: आप ज़िला कलेक्टर हैं। बाढ़ राहत का बजट सीमित है। शहर का एक हिस्सा 'संपन्न' है और दूसरा 'हाशियाकृत' (समाज के किनारे पर रह गए गरीब और वंचित लोगों का इलाका)। राहत सामग्री (भोजन/आश्रय) दोनों तरफ़ से माँगी जा रही है। संपन्न क्षेत्र को उपेक्षित करने पर प्रशासनिक दबाव बढ़ेगा; हाशियाकृत क्षेत्र को छोड़ने पर मानवाधिकारों का उल्लंघन होगा।

◆ **समाधान:** (1) सबसे पहले 'सुभेद्यता मानचित्रण' (Vulnerability Mapping) — यह पता लगाना कि कौन-से इलाके और परिवार बाढ़ से सबसे अधिक असुरक्षित हैं — किया जाए और उसी के आधार पर प्राथमिकता तय की जाए; यही समता है। (2) सीमित सरकारी बजट के साथ

CSR (कंपनियों की सामाजिक दायित्व निधि) और स्वयंसेवी संस्थाओं (NGO) की सहायता जोड़कर दोनों क्षेत्रों तक राहत पहुँचाई जाए, ताकि कोई भी क्षेत्र पूरी तरह उपेक्षित न रहे। (3) स्थानीय स्वयंसेवकों को वितरण में शामिल किया जाए, जिससे राहत तेज़ी और पारदर्शिता से सही लोगों तक पहुँचे। **औचित्य:** ROPE सूत्र (अध्याय 8 में पढ़ा गया सामाजिक न्याय का सूत्र — संसाधन, अवसर, विशेषाधिकार और सशक्तीकरण का न्यायपूर्ण बँटवारा) का समता-आयाम यह कहता है कि ज़रूरत के अनुसार अतिरिक्त सहयोग देना ही वास्तविक सामाजिक न्याय है, समान बँटवारा नहीं।

केस स्टडी 11: विरासत बनाम विकास — 'विकास बनाम संरक्षण'

☀ विषय: शहरी नियोजन | सांस्कृतिक नैतिकता | विकास का अर्थ

स्थिति: शहर में एक नया फ़्लाईओवर बनना है जो यातायात-जाम समाप्त कर सकता है। दुर्भाग्य से, इसके निर्माण में एक प्राचीन, सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण 'शहीद स्मारक' या मंदिर हटाना पड़ेगा। स्थानीय लोग इसे 'भावनाओं का अपमान' मान रहे हैं — विकास का वादा बनाम विरासत का संरक्षण।

◆ **समाधान:** (1) सबसे पहले ऐसे 'वैकल्पिक मार्ग' की व्यवहार्यता रिपोर्ट (Feasibility Report) तैयार कराई जाए, जिससे फ़्लाईओवर स्मारक को छुए बिना बन सके। (2) विरासत-विशेषज्ञों (Heritage Consultants) की राय ली जाए कि स्मारक को सुरक्षित रखते हुए फ़्लाईओवर का डिज़ाइन कैसे बदला जा सकता है। (3) जन-सुनवाई के माध्यम से स्थानीय लोगों को पूरी जानकारी देकर सर्वसम्मति बनाई जाए, ताकि निर्णय ऊपर से थोपा हुआ न लगे। **औचित्य:** सहभागी लोकतंत्र (जिसमें निर्णय जनता की भागीदारी से होते हैं) और सांस्कृतिक संवेदनशीलता — दोनों यही कहते हैं कि विकास और विरासत एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं; रचनात्मक विकल्प खोजे जाएँ, तो दोनों को साथ-साथ साधा जा सकता है।

केस स्टडी 12: डेटा ब्रीच — 'जवाबदेही बनाम निजता'

☀ विषय: सूचना प्रौद्योगिकी नैतिकता | डेटा सुरक्षा | जवाबदेही

स्थिति: आप IT विभाग के प्रमुख हैं। विभाग के एक कनिष्ठ कर्मचारी ने ग़लती से नागरिकों का संवेदनशील डेटा सार्वजनिक कर दिया है — यह एक मानवीय त्रुटि है। मीडिया व विपक्षी दल आपके इस्तीफ़े की माँग कर रहे हैं। कर्मचारी को बर्खास्त करना एक 'बलि का बकरा' (Scapegoat) ढूँढ़ने जैसा होगा।

◆ **समाधान:** (1) विभाग-प्रमुख के रूप में पूरी ज़िम्मेदारी स्वयं स्वीकार की जाए, क्योंकि नैतिक जवाबदेही नेतृत्व की होती है, केवल ग़लती करने वाले की नहीं। (2) कर्मचारी को बर्खास्त करने के बजाय कड़ी चेतावनी और दोबारा प्रशिक्षण दिया जाए, क्योंकि ग़लती अनजाने में हुई है और उसे 'बलि का बकरा' बनाने से असली कमी नहीं सुधरेगी। (3) प्रणाली में 'डेटा हानि-रोधी' (Data Loss Prevention — DLP) सॉफ़्टवेयर अनिवार्य किया जाए, ताकि भविष्य में संवेदनशील डेटा अपने-आप बाहर न जा सके। **औचित्य:** डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 (जो K.S. पुट्टास्वामी मामले, 2017 में निजता को मौलिक अधिकार घोषित किए जाने के सिद्धांत को आगे बढ़ाता है) के अंतर्गत डेटा की सुरक्षा का दायित्व डेटा सँभालने वाली संस्था (Data Fiduciary) का है, और उस संस्था का नेतृत्व करने के कारण नैतिक ज़िम्मेदारी संस्था-प्रमुख की बनती है, न कि किसी एक कर्मचारी की — प्रणालीगत सुधार ही स्थायी समाधान है।

14. अतिरिक्त हल की गई केस स्टडीज — विकल्पों के मूल्यांकन सहित

इस खंड की आठ परिस्थितियाँ एक विशेष कौशल पर केंद्रित हैं — **हर विकल्प के गुण-दोष तौलकर सर्वोत्तम विकल्प चुनना**। इनमें कई बार दिए गए विकल्पों में से कोई भी पूर्ण नहीं होता, और सबसे अच्छा समाधान दो विकल्पों के मेल से बनता है।

14.1 केस 13 — तटीय झील के पास अवैध ऊँची इमारतें (कलेक्टर मोनिका)

स्थिति: दक्षिण भारत के एक तटीय ज़िले की कलेक्टर **मोनिका** के पास एक स्वयंसेवी संस्था शिकायत लाती है कि एक प्रसिद्ध झील के पास बनी ऊँची इमारतें **तटीय विनियमन क्षेत्र (Coastal Regulation Zone)** के नियमों का उल्लंघन करती हैं। जाँच में पता चलता है कि इमारतें आठ वर्ष पहले बनी थीं, और ख़रीदारों ने उस समय प्रशासन से सारी अनुमतियाँ लेकर महँगे फ़्लैट ख़रीदे थे। पिछले दो वर्षों में राज्य में लगातार बाढ़ और भूस्खलन से भारी जन-धन हानि हुई है।

◆ **नैतिक मुद्दे:** इस मामले में कई नैतिक मुद्दे जुड़े हैं। पहला, अनुमति देने में प्रशासन और रियल एस्टेट के बीच भ्रष्टाचार हुआ। दूसरा, पर्यावरण के प्रति घोर उदासीनता दिखाई गई। तीसरा, ईमानदारी से फ़्लैट ख़रीदने वालों को आर्थिक और भावनात्मक हानि का ख़तरा है। चौथा, ऐसे नियम-उल्लंघन से बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदाएँ बढ़ती हैं। और पाँचवाँ, यह मोनिका के नैतिक साहस की परीक्षा है।

◆ **मूल दुविधा:** कार्रवाई करें तो निर्दोष ख़रीदार पीड़ित होंगे; न करें तो ग़लत मिसाल बनेगी और पर्यावरण तथा भावी आपदाओं का जोखिम बढ़ेगा।

विकल्प	गुण	दोष
1. कार्रवाई न करना, बस भविष्य में रोकना	ख़रीदारों पर बोझ नहीं; प्रशासनिक विफलता की स्वीकारोक्ति	कोई निवारण नहीं; ऐसे और अवैध निर्माणों को बढ़ावा
2. इमारतें गिराकर झील का परिवेश बहाल करना	पर्यावरणीय न्याय; कड़ा निवारण	ख़रीदारों की भारी हानि; प्रशासन की अलोकप्रियता, सामाजिक पूँजी की हानि
3. अवैध निर्माण पर कार्रवाई + बिल्डरों से जुर्माना वसूलकर ख़रीदारों को राशि लौटाना + अनुमति देने वाले अधिकारियों पर भ्रष्टाचार	पर्यावरणीय और सामाजिक न्याय दोनों; असली दोषियों को दंड	लंबी, जटिल प्रक्रिया

विकल्प	गुण	दोष
निवारण क़ानून के तहत कार्रवाई		

✓ सर्वोत्तम विकल्प — तीसरा

धारणीय विकास (Sustainable Development) आज की सबसे बड़ी चुनौती है; आपदाओं का प्रभाव घटाने के लिए कड़े पर्यावरणीय नियम ज़रूरी हैं; पूर्ण न्याय के लिए असली दोषी — बिल्डर और भ्रष्ट अधिकारी — दंडित हों; और नागरिकों को बिल्डरों के लालच तथा भ्रामक बिक्री से बचाया जाए। यही रॉल्स का न्याय भी है — बोझ उन पर डालो, जिन्होंने ग़लती की, न कि उन पर, जो ठगे गए।

केस 13 — किस पर कितना बोझ?

केवल गिराना	बनाम	गिराना + वसूली + दंड
पूरी हानि	ख़रीदार	राशि वापसी
लगभग बच निकले	बिल्डर	जुर्माना
अछूते	भ्रष्ट अधिकारी	क़ानूनी कार्रवाई
बहाली	पर्यावरण	बहाली

चित्र 9.25: केस 13 — किस पर कितना बोझ?

14.2 केस 14 — हर्बल दवा फ़ैक्टरी की अनियमितताएँ (कलेक्टर सुरेश)

स्थिति: पश्चिम भारत के एक ग्रामीण ज़िले में नए कलेक्टर सुरेश को पुरानी फ़ाइलों में पता चलता है कि एक हर्बल दवा फ़ैक्टरी को भूमि बहुत सस्ती दर पर दी गई, भवन-नक्शा जल्दबाज़ी में नियम तोड़कर पास हुआ, मालिक ने पास की कृषि भूमि पर अवैध क़ब्ज़ा किया और सरकारी बकाया भी नहीं चुकाया। पर फ़ैक्टरी सैकड़ों स्थानीय लोगों को रोज़गार देती है, ग़रीबों को सस्ती उपयोगी दवाएँ देती है, और उसकी दवाओं की विदेशों में भी माँग है।

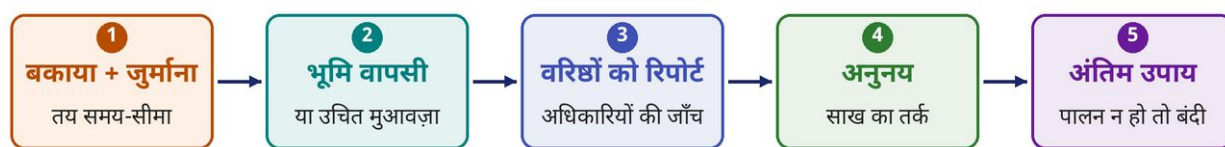
◆ **नैतिक मुद्दे:** इस मामले में पहला मुद्दा यह है कि क़ानून तोड़ने वाले मालिक को दंड देने से निर्दोषों — फ़ैक्टरी के कर्मचारियों और सस्ती दवा पाने वाले ग़रीब रोगियों — को भी हानि हो सकती है। दूसरा, सस्ती दर पर भूमि मिलना और नियम तोड़कर नक्शा पास होना प्रशासन में भ्रष्टाचार दिखाता है। तीसरा, यह साँठगाँठ वाले पूँजीवाद (Crony Capitalism — नेताओं-अधिकारियों से निकटता के बल पर व्यापारिक लाभ उठाना) का उदाहरण है। चौथा, जिन ग़रीब किसानों की ज़मीन पर क़ब्ज़ा हुआ, उनके साथ अन्याय हुआ है। और पाँचवाँ, यह नए कलेक्टर के नैतिक साहस की परीक्षा है।

विकल्प	गुण	दोष
1. कुछ न करना — फ़ाइल पूर्ववर्ती ने पास की थी	सस्ती दवाओं की आपूर्ति जारी; निर्यात से देश की साख़	ग़लत मिसाल; कंपनी को और क़ानून तोड़ने का प्रोत्साहन
2. बकाया चुकाने तक लाइसेंस निलंबित, उत्पादन बंद	क़ानून का राज; किसानों को न्याय	दवा आपूर्ति रुकेगी; कर्मचारियों के कार्य-दिवस घटेंगे; उद्योग की छवि पर असर
3. विस्तृत रिपोर्ट वरिष्ठों को, फिर उनके आदेश पर कार्य	वरिष्ठों का अनुभव; ऐसे सभी मामलों पर व्यापक कार्रवाई; पूर्ववर्ती अधिकारी पर कार्रवाई संभव	देरी; कंपनी दबाव डालकर कलेक्टर का तबादला करवा सकती है
4. भारी जुर्माना, तय समय में भुगतान	बोझ सीधे दोषी पर; निवारण	कंपनी आर्थिक रूप से अव्यावहारिक होकर बंद हो सकती है

✓ संतुलित मार्ग

लक्ष्य है — **दोषी मालिक को क़ानून के दायरे में लाना, पर निर्दोषों का जीवन न बिगाड़ना।** सुरेश मालिक से सारा बकाया कर और उचित जुर्माना वसूलें; हड़पी गई भूमि लौटवाएँ या किसानों को आपसी सहमति से उचित मुआवज़ा दिलवाएँ; पूरी रिपोर्ट वरिष्ठों को भेजें ताकि पूर्ववर्ती अधिकारियों की भूमिका की जाँच हो। यदि मालिक तय समय में पालन न करे, तभी बंदी या अधिग्रहण जैसे कठोर क़दम उठाएँ। साथ में अनुनय का भी प्रयोग करें — मालिक को समझाएँ कि क़ानून का पालन उसकी कंपनी की दीर्घकालिक साख़ और निर्यात के लिए भी ज़रूरी है।

केस 14 — क्रमिक कार्रवाई



चित्र 9.26: केस 14 — क्रमिक कार्रवाई

कहानी: प्रशासनिक दुविधा 2 — "सूचना अधिकारी ईशान: पिता का इलाज या सच्ची सूचना"

(यह एक काल्पनिक परिस्थिति है।)

ईशान शहरी विकास मंत्रालय में लोक सूचना अधिकारी हैं। उनके पास सूचना के अधिकार के तहत एक आवेदन आता है — एक प्रभावशाली व्यवसायी की निर्माण कंपनी को फ़्लाईओवर का ठेका किस प्रक्रिया से दिया गया? यह वही फ़्लाईओवर है, जो पूरा होने से ठीक पहले गिर गया था और जिसमें दो मज़दूरों की जान गई थी। मीडिया का ध्यान न जाने से मामला चुपचाप दबा दिया गया।

ईशान जानते हैं कि उनके कुछ वरिष्ठ भारी रिश्तत लेकर मामला दबाने में शामिल हैं। सही सूचना देने पर वरिष्ठ और कंपनी, दोनों संकट में पड़ेंगे। वरिष्ठ उन पर सूचना "बदलने" का दबाव डाल रहे हैं, और कंपनी ने बड़ी रकम की पेशकश की है। उसी समय ईशान के पिता एक निजी अस्पताल में किडनी प्रत्यारोपण के लिए भर्ती हैं, और उन्हें पैसे की सख्त ज़रूरत है।

विकल्प 1 — सूचना में हेरफेर करना: इससे परिवार की आर्थिक चिंता दूर हो जाती और दफ़्तर में वरिष्ठों की नाराज़गी से "सुरक्षा" मिल जाती; पर इसकी कीमत बहुत बड़ी होती — ईशान की सत्यनिष्ठा नष्ट हो जाती, सूचना के अधिकार की मूल भावना (शासन में पारदर्शिता) का हनन होता, और दफ़्तर की कार्य-संस्कृति में आगे भी ऐसे हेरफेर को बढ़ावा मिलता। **विकल्प 2 — छुट्टी लेना या त्यागपत्र देना:** इससे वे दबाव से तो बच जाते; पर यह कर्तव्य से पलायन है — चुप रहकर वे भ्रष्टाचार में भागीदार बनेंगे और भीतर ग्लानि बनी रहेगी। **विकल्प 3 — सही और पूरी सूचना देना:** इससे सत्यनिष्ठा बनी रहती है, क़ानून की पवित्रता की रक्षा होती है और मृत मज़दूरों के परिवारों को न्याय का रास्ता खुलता है; पर इसके साथ निजी (पिता के इलाज के लिए पैसे का संकट) और पेशेवर (वरिष्ठों की नाराज़गी) कठिनाइयाँ भी आती हैं।

ईशान का निर्णय — सही सूचना देना। पिता के इलाज के लिए वे ऋण लेते हैं, मित्रों-रिश्तेदारों से मदद माँगते हैं, स्वास्थ्य बीमा और सरकारी कर्मचारी स्वास्थ्य योजना के लाभ खोजते हैं। रिश्तत का पैसा अल्पकाल का लाभ होता, पर उसके साथ आती दीर्घकालिक हानि — अपनी सत्यनिष्ठा, मन की शांति, और समाज तथा देश का नुक़सान। फ़्लाईओवर एक सार्वजनिक संपत्ति है; उसका गिरना यात्रियों में भय, राजकोष की हानि और स्थानीय विकास में रुकावट लाता है। वरिष्ठों के दबाव और रिश्तत-प्रस्ताव को वे लिखित रूप में सतर्कता विभाग को सूचित करते हैं।

सिद्धांत: कांट कहते — यदि हर सूचना अधिकारी निजी ज़रूरत पर सूचना बदल दे, तो सूचना का अधिकार ही अर्थहीन हो जाएगा। गांधी का जंतर — सबसे कमज़ोर यहाँ वे दो मज़दूरों के परिवार हैं। और गीता का स्वधर्म — कर्तव्य का पालन फल की चिंता किए बिना।

इस कहानी से सीख: निजी संकट सच्चा हो, तब भी वह कर्तव्य से समझौते का औचित्य नहीं बनता; निजी संकट का समाधान वैध रास्तों से खोजना और कर्तव्य का पालन करना — यही लोक सेवा की सत्यनिष्ठा है।

ईशान के तीन विकल्प



चित्र 9.27: ईशान के तीन विकल्प

14.3 केस 15 — रंगदारी और शस्त्र लाइसेंस के आवेदन (ज़िला मजिस्ट्रेट)

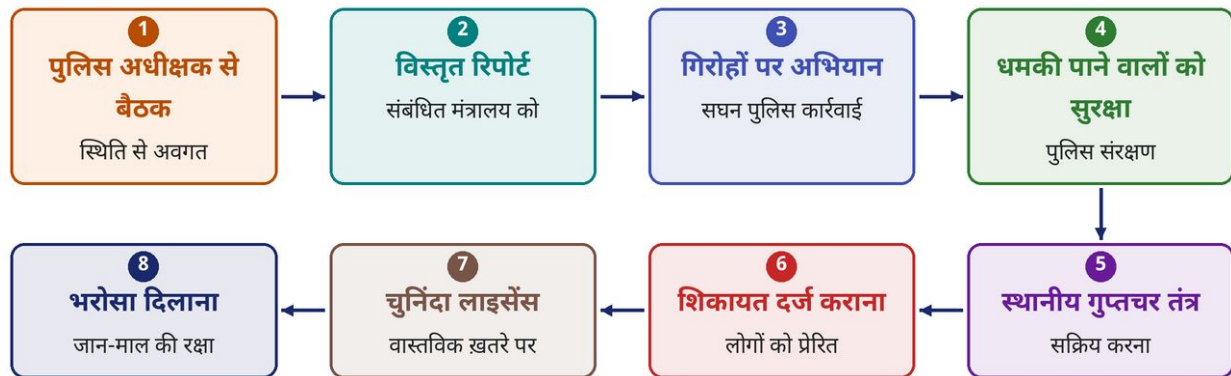
स्थिति: पूर्वी भारत के एक ज़िले के ज़िला मजिस्ट्रेट के पास अचानक डॉक्टरों और व्यापारियों के शस्त्र लाइसेंस के ढेरों आवेदन आते हैं। पता चलता है कि स्थानीय गुंडे इनसे रंगदारी माँग रहे हैं; न देने पर मारपीट, यहाँ तक कि गोली भी चलाई जाती है। पुलिस भी अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभा रही।

पहलू	लाइसेंस देने पर	लाइसेंस न देने पर
सुरक्षा का भाव	डॉक्टर-व्यापारी सुरक्षित महसूस करेंगे, अपराधी डरेंगे	भय बना रहेगा, यदि पुलिस-सुरक्षा न बढ़े
समाज पर असर	आवेदनों की बढ़; "बंदूक-संस्कृति" का ख़तरा	क़ानून-व्यवस्था पर भरोसा बनाए रखने का

पहलू	लाइसेंस देने पर	लाइसेंस न देने पर
		अवसर
क़ानून का राज	लोग क़ानून अपने हाथ में ले सकते हैं	राज्य ही सुरक्षा का एकमात्र ज़िम्मेदार

ऐसे अपराधों का समाज और अर्थव्यवस्था पर असर: क़ानून मानने वाले नागरिकों में भय फैलता है; भय के माहौल में लोगों की उत्पादक क्षमता घटती है; डॉक्टर और व्यापारी राज्य छोड़ने लगते हैं; और ऊँची अपराध-दर निवेश और नए उद्योगों को रोकती है। ऐसी स्थिति में ज़िला मजिस्ट्रेट को क्रमबद्ध ढंग से आठ क़दम उठाने चाहिए। सबसे पहले वे वरिष्ठ अधिकारियों को स्थिति से अवगत कराएँ और संबंधित मंत्रालय (गृह विभाग) को भी सूचना भेजें। फिर पुलिस के साथ मिलकर रंगदारी माँगने वाले गुंडों के विरुद्ध सघन कार्रवाई करवाएँ और धमकी पाए डॉक्टरों-व्यापारियों को पुलिस संरक्षण दिलवाएँ। ढीले पड़े पुलिस और खुफ़िया तंत्र को सक्रिय करें, और लोगों को बिना डरे शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रेरित करें। शस्त्र लाइसेंस थोक में न बाँटें, बल्कि हर आवेदन की जाँच करके केवल वास्तविक ख़तरे वाले मामलों में ही लाइसेंस दें। इन सब क़दमों का लक्ष्य एक ही है — राज्य स्वयं नागरिकों के जान-माल की रक्षा करे, ताकि किसी को क़ानून अपने हाथ में लेने की ज़रूरत न पड़े।

केस 15 — ज़िला मजिस्ट्रेट के आठ क़दम



चित्र 9.28: केस 15 — ज़िला मजिस्ट्रेट के आठ क़दम

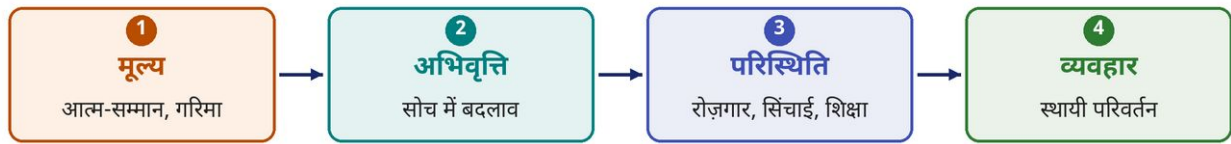
14.4 केस 16 — अवैध शराब: दंड से अनुनय तक (पुलिस अधीक्षक)

स्थिति: शराबबंदी वाले एक राज्य में नए पुलिस अधीक्षक जिस ज़िले में पहुँचते हैं, वह अवैध शराब बनाने के लिए कुख्यात है। ज़हरीली शराब से कई मौतें होती हैं। अब तक इसे केवल क़ानून-व्यवस्था की समस्या मानकर छापे, गिरफ़्तारी और मुक़दमे चलाए गए — असर सीमित रहा। निरीक्षण से पता चलता है कि ये इलाक़े आर्थिक, औद्योगिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, सिंचाई के अभाव में खेती ख़राब है, और समुदायों के आपसी टकराव भी इस धंधे को बढ़ाते हैं।

नया दृष्टिकोण: केवल अस्वीकार्य व्यवहार को दंडित करने के बजाय व्यवहार की जड़ — **मूल्य और अभिवृत्ति** — को बदलना, और उस परिस्थिति को बदलना जो इस व्यवहार को जन्म देती है।

उपाय	क्या करें?
मूल्य-शिक्षा	स्कूल, पंचायत और सामाजिक संस्थाओं में आत्म-सम्मान और गरिमा का भाव जगाना।
युवा प्रेरणा	भाषण, साहित्य, वीडियो, कार्यशालाएँ और मोहल्ला बैठकें — युवाओं को सपने देखने और मेहनत, अनुशासन, धैर्य से उन्हें पूरा करने की प्रेरणा।
आदर्श व्यक्ति	उसी क्षेत्र के सफल युवाओं, खिलाड़ियों, शिक्षकों को उदाहरण के रूप में सामने लाना।
आर्थिक विकल्प	कौशल-प्रशिक्षण, स्वयं-सहायता समूह, लघु उद्योग, सिंचाई सुविधा — ताकि यह धंधा छोड़ने वालों को सम्मानजनक आजीविका मिले।
सामाजिक समरसता	अंतर-सामुदायिक संवाद, शांति समितियाँ, साझा उत्सव।
क़ानून का दृढ़ पालन	बड़े सरगनाओं पर कड़ी कार्रवाई जारी — अनुनय और दंड साथ-साथ।

केस 16 — व्यवहार परिवर्तन का क्रम



चित्र 9.29: केस 16 — व्यवहार परिवर्तन का क्रम

14.5 केस 17 — अवैध मंज़िलें और ढही इमारत: कारण और उपाय

स्थिति: तीन मंज़िल की अनुमति वाली एक इमारत को बिल्डर अवैध रूप से छह मंज़िल तक बढ़ा रहा था। इमारत ढह गई और कई प्रवासी मज़दूर — महिलाएँ और बच्चे भी — मारे गए। सरकार ने तुरंत पीड़ित परिवारों को नक़द राहत दी और बिल्डर को गिरफ़्तार किया। प्रश्न है — ऐसी घटनाएँ बार-बार क्यों होती हैं, और इन्हें कैसे रोका जाए?

कारण	उपाय
क़ानून के प्रति सम्मान का अभाव — भवन नियमों का खुला उल्लंघन	भवन-डिज़ाइन और निर्माण के स्पष्ट दिशानिर्देश
ज़िम्मेदारी से पलायन — डिज़ाइनर, इंजीनियर, ठेकेदार	बिल्डर, इंजीनियर, डिज़ाइनर और अनुमति देने वाले अधिकारी — सबकी स्पष्ट ज़वाबदेही
बिखरी ज़वाबदेही — किसी एक को दंड नहीं	क़ानून का राज — कुशल पुलिस, त्वरित न्याय
नेता-बिल्डर-अधिकारी की साँठगाँठ	रियल एस्टेट का नियमन — बिल्डरों का पंजीकरण, निर्माण-सामग्री का अंकेक्षण
कमज़ोर प्रवर्तन से "दंड-मुक्ति की संस्कृति"	तकनीक से निगरानी — इमारतों की ऊँचाई पर ड्रोन, उपग्रह
जागरूक नागरिकों की कमी	मज़दूरों में जागरूकता, कार्यस्थल-सुरक्षा; नागरिकों द्वारा सूचना के अधिकार और शिकायत का प्रयोग

नरम राज्य की अवधारणा: स्वीडन के अर्थशास्त्री-समाजशास्त्री गुन्नार मिर्डल (Gunnar Myrdal) ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'एशियन ड्रामा' (Asian Drama, 1968) में भारत सहित कई एशियाई देशों को "नरम राज्य" (Soft State) कहा था — ऐसा राज्य, जिसमें क़ानून बनाने या बने क़ानूनों को लागू करने की दृढ़ इच्छा नहीं होती और सार्वजनिक जीवन में अनुशासन का अभाव होता है। अवैध निर्माण जैसी घटनाएँ इसी छवि को मज़बूत करती हैं; इस छवि को तोड़ना हर लोक सेवक का दायित्व है।

14.6 केस 18 — मध्याह्न भोजन: ज़वाबदेही की पूरी शृंखला

स्थिति: 2013 में बिहार के सारण ज़िले के एक सरकारी स्कूल में मध्याह्न भोजन खाने के बाद बीस से अधिक बच्चों की मृत्यु हो गई और कई गंभीर रूप से बीमार हुए। इस घटना ने ऐसी योजनाओं की क्रियान्वयन-व्यवस्था, स्थानीय निकायों और प्रखंड-स्तरीय अधिकारियों की भूमिका, ग्रामीण स्वास्थ्य ढाँचे और ज़िला प्रशासन के समन्वय पर गंभीर प्रश्न खड़े किए।

◆ **मूल समस्या:** लंबी वितरण-शृंखला (अनाज-भंडार → थोक विक्रेता → उचित मूल्य दुकान → स्कूल) में किसकी ज़िम्मेदारी? — यह स्पष्ट नहीं। ज़वाबदेही धुँधली हो, तो कल्याण और समता जैसे मूल्य कमज़ोर पड़ते हैं, स्कूलों में नामांकन घटता है और सरकार पर जनता का विश्वास डगमगाता है।

केस 18 — हर कड़ी पर ज़वाबदेही



चित्र 9.30: केस 18 — हर कड़ी पर ज़वाबदेही

सुधार	कैसे?
हर स्तर पर ज़वाबदेही	प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास अधिकारी, ज़िला स्तर पर कलेक्टर की स्पष्ट भूमिका
सार्वजनिक-निजी भागीदारी	केंद्रीकृत रसोई जैसे सफल मॉडल — जैसे "अक्षय पात्र"
प्रशिक्षित रसोइये	शिक्षकों या अप्रशिक्षित लोगों से खाना न बनवाना

सुधार	कैसे?
स्वास्थ्य तैयारी	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को आपात उपकरणों से सुसज्जित करना
सामुदायिक निगरानी	अभिभावक समितियाँ, सामाजिक अंकेक्षण, भोजन चखने का रजिस्टर

14.7 केस 19 — निजी स्कूलों की शुल्क-वृद्धि: स्वायत्तता बनाम पहुँच

स्थिति: एक ज़िले में अभिभावक संघ शिकायत करता है कि निजी स्कूल हर वर्ष मनमाने ढंग से शुल्क बढ़ाते हैं, अभिभावकों से कोई चर्चा नहीं करते, और तिमाही शुल्क एकमुश्त माँगते हैं। स्कूलों का तर्क है कि वे सरकारी सहायता नहीं लेते, कर्मचारियों के भत्ते बढ़ते हैं और बेहतर सुविधाओं के लिए शुल्क-वृद्धि ज़रूरी है।

केस 19 — दोनों पक्षों के तर्क

निजी स्कूल	बनाम	अभिभावक
स्वायत्तता, कोई सरकारी पैसा नहीं	मूल तर्क	शिक्षा व्यापार नहीं
गुणवत्ता के लिए संसाधन	ज़रूरत	वहनीय शुल्क, पारदर्शिता
गुणवत्ता गिरना	ख़तरा	शिक्षा केवल संपन्नों तक
संवाद मंच, तय सीमा तक वृद्धि, मासिक भुगतान	बीच का रास्ता	संवाद मंच, तय सीमा तक वृद्धि, मासिक भुगतान

चित्र 9.31: केस 19 — दोनों पक्षों के तर्क

संतुलित मार्ग: ज़िला प्रशासन स्कूल-प्रमुखों और अभिभावकों की संयुक्त बैठक बुलाकर **संवाद का स्थायी मंच** बनाए; स्कूलों की स्वायत्तता का सम्मान करे, पर सरकारी आदेशों और न्यायालय के दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करे; शुल्क-वृद्धि का पूरा ब्योरा माँगे; मासिक भुगतान जैसी छोटी राहतें तुरंत दिलवाए; और साथ ही स्कूल बसों जैसी सुरक्षा-व्यवस्थाओं की नियमित जाँच कराए। यहाँ प्रशासन का काम दंड देना नहीं, बल्कि **दोनों पक्षों के बीच विश्वास का पुल** बनाना है।

14.8 केस 20 — एक स्वास्थ्य केंद्र, दो गाँव (ज़िला स्वास्थ्य अधिकारी)

कहानी: प्रशासनिक दुविधा 3 — "एक स्वास्थ्य केंद्र, दो गाँव"

(यह एक काल्पनिक परिस्थिति है।)

ज़िला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नेहा के पास इस वर्ष केवल एक नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का बजट है। दो दावेदार हैं — गाँव "क", जो सड़क से अच्छी तरह जुड़ा है और जहाँ के एक प्रभावशाली नेता लगातार केंद्र की माँग कर रहे हैं; और गाँव "ख", जो दूर-दराज़, दुर्गम है, जहाँ एक वंचित जनजातीय समुदाय रहता है और **शिशु मृत्यु दर** कहीं अधिक है।

नेता जी का संदेश आता है — "गाँव क में केंद्र खुलेगा, तो आपके काम की तारीफ़ ऊपर तक पहुँचेगी।" दूसरी ओर, गाँव "ख" की एक आशा कार्यकर्ता बताती है कि पिछले महीने एक प्रसूता को अस्पताल पहुँचने में चार घंटे लगे।

डॉ. नेहा की सोच: (1) **आँकड़े:** उन्होंने दोनों गाँवों के स्वास्थ्य सूचकांक — शिशु मृत्यु, संस्थागत प्रसव, निकटतम अस्पताल की दूरी — मेज़ पर रखे। (2) **रॉल्स का अंतर-सिद्धांत (Difference Principle):** असमानता तभी स्वीकार्य है, जब वह सबसे वंचित को सबसे अधिक लाभ दे; इसलिए सीमित संसाधन उस गाँव को मिलने चाहिए, जहाँ के लोग सबसे वंचित हैं। (3) **गांधी का जंतर:** सबसे कमज़ोर चेहरा गाँव "ख" की वह प्रसूता है। (4) **उपयोगितावाद:** गाँव "ख" में हर रुपया अधिक जीवन बचाएगा, क्योंकि वहाँ ज़रूरत अधिक है। (5) **संविधान:** अनुच्छेद 46 (नीति-निदेशक तत्व) राज्य को निर्देश देता है कि वह कमज़ोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जनजातियों के हितों की विशेष देखभाल करे।

निर्णय और क्रदम: केंद्र गाँव "ख" में खुलेगा — और निर्णय का आधार (स्वास्थ्य सूचकांक) लिखित रूप से फ़ाइल में दर्ज होगा, ताकि कोई इसे पक्षपात न कहे। गाँव "क" को निराश भी नहीं किया जाएगा — वहाँ **चलित चिकित्सा इकाई (Mobile Medical Unit)** के नियमित दौरे होंगे, टेलीमेडिसिन (फ़ोन या वीडियो से डॉक्टर की सलाह) की सुविधा दी जाएगी, और अगले वर्ष के बजट में वहाँ के लिए भी केंद्र का प्रस्ताव रखा जाएगा। नेता जी से मिलकर वे विनम्रता से आँकड़े दिखाती हैं और कहती हैं — "आपके क्षेत्र के सबसे ज़रूरतमंद लोगों की सेवा भी तो आपकी ही उपलब्धि है।"

इस कहानी से सीख: सीमित संसाधनों के आवंटन में ज़रूरत, आँकड़े और सबसे वंचित का हित — यही न्यायसंगत कसौटियाँ हैं; राजनीतिक दबाव को विनम्र, पर तथ्य-आधारित दृढ़ता से सँभालना चाहिए, और जो पीछे रह जाए, उसके लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए।

केस 20 — दो गाँवों की तुलना

गाँव क	बनाम	गाँव ख
सड़क से जुड़ा	पहुँच	दूर-दराज़, दुर्गम
मिश्रित, प्रभावशाली नेता	समुदाय	वंचित जनजातीय
कम	शिशु मृत्यु दर	अधिक
चलित इकाई, टेलीमेडिसिन	निर्णय	नया स्वास्थ्य केंद्र

चित्र 9.32: केस 20 — दो गाँवों की तुलना

15. विवेक-परीक्षण — स्वयं सोचिए (अभ्यास परिस्थितियाँ)

नीचे दी गई परिस्थितियाँ अधूरी छोड़ी गई हैं — ताकि आप स्वयं 6-चरण ढाँचे से इन्हें हल करें। हर परिस्थिति के सामने मूल दुविधा और सोचने की दिशा का संकेत दिया गया है; पूरा समाधान आपका अपना होगा।

परिस्थिति	मूल दुविधा	सोचने की दिशा
एक बुजुर्ग विधवा, जिसका परिवार पात्रता-सीमा से सिर्फ ₹100 ऊपर है, सहायता माँगती है।	नियम का अक्षर बनाम भावना	नियम के भीतर विवेक के रास्ते — अन्य योजनाएँ, सत्यापन, आपात कोष; नीति-सुधार का सुझाव।
खाद्य सुरक्षा निरीक्षक को एक बड़ी कंपनी हानिकारक मिलावट छिपाने के लिए भारी रिश्ता देती है।	लोभ बनाम जन-स्वास्थ्य	सही रिपोर्ट, रिश्ता-प्रस्ताव की सूचना सतर्कता विभाग को, नमूनों की सुरक्षा।
हाइड्रॉ की दुविधा — पत्नी की जान बचाने के लिए दवा चुराए या क़ानून माने?	जीवन बनाम संपत्ति-अधिकार	कोलबर्ग के नैतिक विकास के चरण; क़ानून की भावना; व्यवस्था की विफलता।
एक कर्मचारी से अनजाने में गोपनीय जानकारी लीक हुई; सहकर्मी दबाव डालकर सच उगलवाने की सलाह देता है।	परिणाम बनाम गरिमा	भावनात्मक बुद्धिमत्ता, भरोसे का माहौल, जाँच की निष्पक्ष प्रक्रिया।
ठेका-समिति के अध्यक्ष के कॉलेज-मित्र की कंपनी ने बोली लगाई है और मित्र "पुरानी दोस्ती" याद दिला रहा है।	मित्रता बनाम निष्पक्षता	6R — घोषणा, अलग होना, तटस्थ मूल्यांकन।
ज़िला शिक्षा अधिकारी देखता है कि नकल को कुछ अभिभावक "सफलता का साधन" मानते हैं।	तत्काल सफलता बनाम चरित्र	मूल्य-शिक्षा, अभिभावक संवाद, परीक्षा-प्रणाली में सुधार।
दबाव वाली परियोजना में एक होनहार कनिष्ठ अधिकारी की गलती से देरी हुई; मन करता है कड़ी फटकार लगाएँ।	अनुशासन बनाम सहानुभूति	भावनात्मक बुद्धिमत्ता — आत्म-नियंत्रण, सीख का अवसर, प्रणाली में सुधार।
शहरी परियोजना के लिए रेहड़ी-पटरी वालों को हटाने पर विरोध; निवासी तुरंत हटाने की माँग कर रहे हैं।	विकास बनाम आजीविका	संवाद, वैकल्पिक वेंडिंग ज़ोन, चरणबद्ध पुनर्वास।
बाढ़-राहत अनाज में डीलरों और कुछ कर्मचारियों की साँठगाँठ से हेराफेरी हो रही है।	जवाबदेही का अभाव	डिजिटल ट्रैकिंग, सामाजिक अंकेक्षण, लाभार्थियों की सार्वजनिक सूची।
सामाजिक दायित्व निधि से स्कूल चलाने वाली एक बड़ी फ़ैक्टरी नदी में बिना उपचार के अपशिष्ट बहा रही है।	उपकार बनाम क़ानून-पालन	दान, नियम-उल्लंघन की छूट नहीं देना; नोटिस, समय-सीमा, निगरानी।

विवेक-परीक्षण — दस दुविधाओं के जोड़े

अक्षर बनाम भावना ₹100 ऊपर	लोभ बनाम स्वास्थ्य मिलावट	जीवन बनाम संपत्ति हाईज़	परिणाम बनाम गरिमा लीक	मित्रता बनाम निष्पक्षता ठेका
सफलता बनाम चरित्र नकल	अनुशासन बनाम सहानुभूति कनिष्ठ की गलती	विकास बनाम आजीविका रेहड़ी	जवाबदेही राहत अनाज	उपकार बनाम क़ानून प्रदूषण

चित्र 9.33: विवेक-परीक्षण — दस दुविधाओं के जोड़े

☀ हर परिस्थिति के लिए पाँच प्रश्न

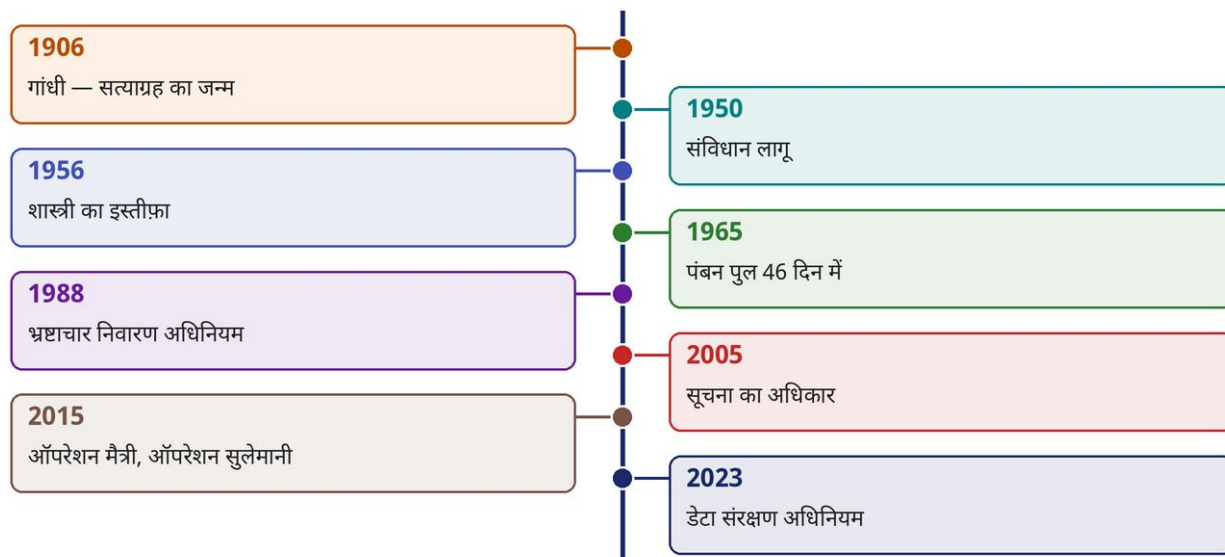
1. सबसे कमज़ोर व्यक्ति कौन है, और यह निर्णय उसके लिए क्या करेगा?
2. क्या मैं यह निर्णय कल अखबार के पहले पन्ने पर छपा देखना पसंद करूँगा?
3. यदि मैं दूसरे पक्ष में होता, तो क्या इसे न्यायपूर्ण मानता?
4. क्या यह क़ानूनी है, और क्या यह नैतिक भी है?
5. क्या मैंने अपने निर्णय का कारण लिखित रूप में दर्ज किया है?

16. प्रशासनिक नैतिकता — संपूर्ण यात्रा (Complete Journey Timeline)

यह तालिका संपूर्ण नौ-अध्यायों की पाठ्यसामग्री को कालक्रम में जोड़ती है — प्रत्येक घटना के सामने संबंधित अध्याय का संदर्भ दिया गया है, ताकि अंतिम पुनरावलोकन (Revision) में पूरा पाठ्यक्रम एक सूत्र में जुड़ जाए।

वर्ष/संदर्भ	विषय/घटना	अध्याय-संदर्भ
1894	महात्मा गांधी — दक्षिण अफ़्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना (1894) और आगे 1906 में सत्याग्रह का जन्म; व्यवहार में नैतिकता का पहला प्रयोग।	अध्याय 5 — गांधीवादी नैतिकता
1949-50	भारतीय संविधान — 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, 26 जनवरी 1950 से लागू; अनुच्छेद 14-18, 38-39, 51A — नैतिकता का संवैधानिक ढाँचा।	अध्याय 1, 3, 8
1956	लाल बहादुर शास्त्री — अरियालूर रेल दुर्घटना पर रेलमंत्री पद से इस्तीफ़ा — जवाबदेही की मिसाल।	अध्याय 8 — जवाबदेही
1972	स्टॉकहोम सम्मेलन — पर्यावरण नैतिकता का अंतरराष्ट्रीय आधार।	अध्याय 7 — दुविधाएँ (पर्यावरण)
1988	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PCA Act) — नैतिक चिंता का विधिक समाधान।	अध्याय 7 — चिंताएँ
1994	नोलन समिति (ब्रिटेन) — लोक जीवन के 7 सिद्धांत।	अध्याय 1, 3
2003	सत्येंद्र दुबे — राजमार्ग घोटाला उजागर करने पर हत्या — सिद्धांत बनाम आत्म-संरक्षण का सर्वोत्तम उदाहरण।	अध्याय 7, अध्याय 9 (CS-1)
2005	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 — मूल्य तार्किकता का प्रतिष्ठित उदाहरण। अरुणा रॉय का योगदान।	अध्याय 8, अध्याय 3
2015	नेपाल भूकंप — ऑपरेशन मैत्री। मानवीय चिंता व्यवहार में।	अध्याय 8, अध्याय 9 (CS-6)
2018	केरल बाढ़ — IAS कन्नन गोपीनाथन — करुणाशील प्रशासन।	अध्याय 8, अध्याय 9
2020	कोविड-19 — भीलवाड़ा मॉडल — दोनों तार्किकताओं के संतुलन का राजस्थान-उदाहरण।	अध्याय 8
2023	डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP Act) पारित — K.S. पुट्टास्वामी (2017) में निजता को मौलिक अधिकार घोषित किए जाने के सिद्धांत को आगे बढ़ाता है (पूर्ण प्रवर्तन चरणबद्ध रूप से 2025 के नियमों से)।	अध्याय 7 (AI नैतिकता), अध्याय 9 (CS-12)
2024	लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम — फ़रवरी 2024 में पारित, जून 2024 से प्रभावी — शैक्षणिक नैतिकता।	अध्याय 9 (CS-2)
2025	भारत AI शासन दिशानिर्देश — 7 सूत्र, ह्यूमन-इन-द-लूप सिद्धांत।	अध्याय 7, अध्याय 9 (CS-4)

प्रशासनिक नैतिकता की यात्रा — प्रमुख पड़ाव



चित्र 9.34: प्रशासनिक नैतिकता की यात्रा — प्रमुख पड़ाव

☀ अध्याय का सार — एक पंक्ति में

केस स्टडी असल में पूरी प्रशासनिक नैतिकता की कसौटी है — जो व्यक्ति 6-चरण ढाँचे से समस्या को व्यवस्थित करता है, सही दार्शनिक से अपने निर्णय को उचित ठहराता है, और कम-से-कम एक रचनात्मक (Out-of-Box) समाधान जोड़ता है, वही एक परिपक्व, संवेदनशील व निर्णय-सक्षम भावी प्रशासक के रूप में उभरता है।

बोनस: दो हल किए गए अभ्यास-प्रश्न

प्रश्न 1: आप एक ज़िला कलेक्टर हैं। AI-आधारित कल्याण प्रणाली ने एक भूखे परिवार को 'धोखाधड़ी करने वाला आवेदक' चिह्नित कर दिया है, और आपको मैनुअल ओवरराइड का अधिकार नहीं है। आप क्या करेंगे?

उत्तर: यह केस स्टडी साधनभूत तार्किकता (System Protocol) व मूल्य तार्किकता (मानव-जीवन की रक्षा) के बीच के द्वंद्व को उजागर करती है — एक ऐसी दुविधा जो आधुनिक AI-संचालित शासन में बार-बार सामने आ रही है।

◆ **हितधारक व नैतिक मुद्दे:** प्राथमिक हितधारक भूखा परिवार है; नैतिक मुद्दा है — प्रणाली के अक्षर (Letter) व भावना (Spirit) के बीच टकराव, तथा 'ब्लैक बॉक्स समस्या' जिसमें AI अपने निर्णय का स्पष्टीकरण नहीं दे सकता।

◆ **तत्काल कार्रवाई:** विवेकाधीन/आकस्मिक कोष से उसी दिन आपातकालीन राहत सुनिश्चित करना — यह अधिकारी के पास प्रायः उपलब्ध वैकल्पिक शक्ति है, इसलिए इससे प्रणाली-नियम का उल्लंघन नहीं होता; साथ ही मामला लिखित रूप से दर्ज कर राज्य-स्तर पर औपचारिक शिकायत भेजना।

◆ **दीर्घकालिक सुधार:** 'ह्यूमन-इन-द-लूप' सिद्धांत (Human-in-the-loop — AI के महत्वपूर्ण निर्णयों पर अंतिम निगरानी मनुष्य की हो; भारत AI शासन दिशानिर्देश 2025 में भी इस पर जोर है) को अनिवार्य बनाने की अनुशंसा करना, तथा अपवाद-स्थितियों के लिए ज़िला-स्तरीय मैनुअल ओवरराइड नीति प्रस्तावित करना।

निष्कर्ष: गांधी के जंतर का प्रयोग करें — क्या यह निर्णय समाज के सबसे कमज़ोर व्यक्ति के लिए उपयोगी है? AI क्षमता (Capacity) बढ़ाता है, पर दिशा (Direction) अंतरात्मा से मिलती है — दोनों का संतुलन ही आदर्श प्रशासन है।

प्रश्न 2: आप एक वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं। आपको पता चलता है कि जिस ठेकेदार ने एक पुल बनाया, उसने सुरक्षा-मानकों से समझौता किया है। पुल का उद्घाटन कल मुख्यमंत्री करेंगे। आप क्या करेंगे?

उत्तर: यह स्थिति एक क्लासिक 'समय-दबाव में सत्यनिष्ठा की परीक्षा' है, जिसमें मूल दुविधा यह है कि उद्घाटन टालने से होने वाली राजनीतिक और प्रशासनिक असुविधा को महत्व दें, या जनता की सुरक्षा को।

◆ **नैतिक मुद्दे:** जनता की सुरक्षा (अनुच्छेद 21 — जीवन का अधिकार) सर्वोपरि है; साथ ही सत्यनिष्ठा बनाम संस्थागत/राजनीतिक दबाव का टकराव, तथा भावी दुर्घटना की स्थिति में उत्तरदायित्व का प्रश्न।

◆ **तत्काल कार्रवाई:** एक स्वतंत्र तकनीकी टीम से तुरंत सुरक्षा-सत्यापन करवाना; परिणाम आने तक विनम्रता से उद्घाटन स्थगित करने की अनुशंसा वरिष्ठ/मुख्यमंत्री कार्यालय को लिखित रूप में भेजना — निर्णय स्वयं मुख्यमंत्री तक पहुँचाना, न कि दबा देना।

◆ **दीर्घकालिक कार्रवाई:** ठेकेदार के विरुद्ध नियमानुसार जाँच और कार्रवाई की जाए, तथा भविष्य के लिए हर सार्वजनिक निर्माण में स्वतंत्र तृतीय-पक्ष गुणवत्ता-अंकेक्षण (Third Party Quality Audit) अनिवार्य बनाया जाए, ताकि ऐसी कमियाँ उद्घाटन से पहले ही पकड़ी जा सकें।

निष्कर्ष: "पेंडोरा बॉक्स" तर्क यहाँ लागू होता है — यदि आज चुप रहा जाए, तो भविष्य में हर सुरक्षा-समझौता स्वीकार्य बन जाएगा। कांट का निरपेक्ष आदेश (Categorical Imperative) कहता है — वह नियम अपनाओ जो सार्वभौमिक बन सके: यदि हर अधिकारी राजनीतिक असुविधा के डर

से सुरक्षा-जोखिम छुपाए, तो व्यवस्था ही ध्वस्त हो जाएगी। जनता की जान बचाना ही एकमात्र नैतिक विकल्प है, भले ही इसकी तात्कालिक राजनीतिक कीमत हो।

